भारत के राष्ट्रपति

# डा० राजेन्द्र प्रसाद

द्वारा दिये गये

# महत्त्वपूर्ण भाषण

(1957-58)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित, 1962

# विषय-सूची

| क्रम संख्या | संदेश | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|

| क्रम संख्या | संदेश | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|

# अन्तर्राष्ट्रीय यक्ष्मा सम्मेलन

एशिया मे पहली बार आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय यक्ष्मा सम्मेलन मे भाग ले सकने की मुझे बहुत खुशी है। ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलना जो वैज्ञानिक ढंग पर कार्य करके मानव समाज को उत्पीडित करने वाले रोगो का निराकरण करते है, सदा हर्ष का विषय होता है।

अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याओ को विश्वव्यापी परिमाण पर काम करके ही सुलझाया जा सकता है, और निश्चय ही ऐसी समस्याओं मे यक्ष्मा की समस्या भी है। जब तक ससार का कोई एक भाग यक्ष्माग्रस्त रहेगा, अन्य भाग इस रोग से सुरक्षित नही रह सकते। यद्यपि यह ठीक है कि अधिकाश उन्नत देशो मे इस रोग को नियत्रण मे लाया जा चुका है और उन देशो में यक्ष्मा एक प्रमुख समस्या के रूप में अब नही रह गई है, किन्तु फिर भी कम उन्नत देशो मे, विशेषकर पूर्वी भूभाग के देशो में जहा ससार के अधिकाश लोग रहते है, यह रोग अभी भी भयानक रूप से विद्यमान है। इसलिए यह उचित ही है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय यक्ष्मा सम्मेलन एक पूर्वी देश में हो जिससे कि विभिन्न देशो मे यक्ष्मा-निरोधक कार्यकर्ता एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित कर सके और आपस मे विचार-विनिमय कर सके। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि यह सम्मेलन भारत में हो रहा है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि पूर्व मे होने वाला पहला सम्मेलन भारत मे हो। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भारत जो कुछ थोडा बहुत कर सका है, सभवत. यह उसी का सुफल है। इधर कई वर्षो से यह बात हम अधिकाधिक समझने लगे है कि कोई भी राष्ट्र एकदम पृथकता के वातावरण मे नही रह सकता और न ही किसी आदर्श की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए हमारी सरकार तथा यहा के लोग अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, चाहे उनका सम्बन्ध राजनीति, अर्थशास्त्र अथवा विज्ञान से हो, गहरी दिलचस्पी रखते है। एक समय था जब प्रत्येक देश को निजी समस्याये, निजी साधनों के बल पर ही सुलझानी होती थी। सयुक्त राष्ट्र सघ तथा उसके अन्तर्गत संस्थाओ की कृपा से पारस्परिक सहयोग तथा एक दूसरे की सहायता करने की भावना संसार के देशो मे जागृत हुई है। जबकि ये सब सस्थाये विभिन्न राष्ट्रो की सरकारो

---

अन्तर्राष्ट्रीय यक्ष्मा सम्मेलन मे उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1957

से आर्थिक सहायता पाती है, अन्तर्राष्ट्रीय यक्ष्मा निरोधक संघ और भारतीय यक्ष्मा संगठन, जिनके तत्वावधान में यह सम्मेलन हो रहा है, पूर्ण रूप से गैर-सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाये है। राजनीति के क्षेत्र में परस्पर-विरोधी विचार धाराये और आपसी मतभेद हो सकते है, किन्तु सौभाग्य से इस प्रकार की गैर-सरकारी संस्थाओं की गतिविधि किसी भी तरह के विरोधी विचारों से प्रभावित नही होती। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन मे 50 से ऊपर देशों के लगभग 800 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और वे सभी यक्ष्मा-सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण मे सहयोग देंगे।

मै जानता हू कि गत 50 वर्षो मे यक्ष्मा के सम्बन्ध मे हमारे अनुभव तथा ज्ञान मे इतनी वृद्धि हुई है कि आज इस रोग के प्रति हमारा दृष्टिकोण काफी बदला हुआ है। जब मै छोटा था उन दिनो यक्ष्मा के नाम से रोगी, उनके परिवार, और पड़ौसी ही नही बल्कि सारी जनता भी बहुत भय खाती थी। आज परि-स्थितिया बदल गई है और लोग यक्ष्मा को उतना भयानक नही समझते और इसके सम्बन्ध मे जनता की भावना आशापूर्ण हो चली है। किसी हद तक यह उस सफलता का परिणाम है जो कुछ देशों को इस रोग को नियंत्रण में लाने में हुई है। और नई औषधियों के आविष्कार और उनके सफल प्रयोग का भी यह फल है। शल्यक्रिया की प्रगति मे भी रोगियों को इस दिशा मे आशा होने लगी है। इसके अतिरिक्त इस रोग के कारणो तथा इसके निरोध के उपाय के सम्बन्ध मे भी हमारी जानकारी मे इधर बहुत वृद्धि हुई है। किन्तु फिर भी हम सन्तुष्ट होकर नही बैठ सकते, क्योंकि इस समस्त ज्ञान के पूर्ण उपयोग के लिए संगठित आन्दोलन की आवश्यकता है। कम उन्नत देशों मे इस बात की विशेष आवश्यकता है। ये देश दूसरे देशों के अनुभव से, जहा इस रोग पर काबू पा लिया गया है, लाभ उठा सकते है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उन्ही उपायों को अमल मे ला सकते है।

भारत जैसे देश में जहा के लोग अधिकाश समय खुली हवा मे व्यतीत करते है और जहा प्रायः साल भर सूरज की धूप उपलब्ध रहती है, यक्ष्मा का निरोध उन देशों की अपेक्षा जहां जलवायु के कारण लोगो को अधिकतर अन्दर रहना होता है और सूरज की गर्मी इतनी नही मिल पाती, अधिक आसान होना चाहिए। किन्तु हमारी सब से बड़ी कठिनाई अपर्याप्त पौष्टिकता और कुछ स्थानीय रहन-सहन के तरीके सम्बन्धी है।

इसलिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि यक्ष्मा-निरोधक कार्य मे आर्थिक स्थिति का बड़ा महत्व है। पौष्टिकता, अच्छे मकान और सामाजिक

व्यवस्था का इस कार्य से घनिष्ट सम्बन्ध है । बहुत से कम उन्नत देशों में इन बातों में सुधार का यत्न किया जा रहा है । इस सुधार और बढ़ते हुए वैज्ञानिक ज्ञान से उन्हें यह आशा होती है कि उन्नत देशों ने इस दिशा में जो उन्नति 50 वर्षों में की, वे सम्भवतः वहां तक बहुत कम समय में पहुंच सकेंगे । जैसा कि आप जानते हैं, देश के आर्थिक विकास के लिए भारत में पंच-वर्षीय योजनायें चालू हैं । यह बात बहुत उत्साहवर्द्धक है कि इन योजनाओं को कार्यरूप देने में विदेशों की सद्भावना तथा सहयोग बहुत मात्रा में हमें प्राप्त है । मैं आशा करता हूं कि हमारे विदेशी मित्रों को, जो इस सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, हमारी राष्ट्रीय योजनाओं ने जो प्रगति की है वह देखने का अवसर मिलेगा ।

इस प्रकार के सभी कामों का सञ्चालन, विशेष कर यक्ष्मा का उन्मूलन, केवल सरकार का ही दायित्व नहीं माना जा सकता । गैर-सरकारी संस्थाओं पर भी इन कामों के करने की जिम्मेदारी आती है । मैं जानता हूं कि उन देशों में भी जहां यक्ष्मा पर काबू पा लिया गया है आरम्भ में गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा संगठित प्रयास किया गया था । इस समस्या को सदा जनसाधारण के सामने रखने के लिए, सरकारी प्रयास को अधिक व्यापक बनाने और अन्य प्रकार के सहायक कार्य करने के लिए जो गैर-सरकारी संस्थायें ही अधिक निपुणता से कर सकती हैं, कल्याण राज्य भी स्वैच्छिक संगठनों पर निर्भर करते हैं । मुझे खुशी है कि भारतीय यक्ष्मा संगठन (ट्यूबरक्यूलोसिस असोसियेशन आफ इंडिया) जिसका संरक्षक होने का मुझे सौभाग्य है और जिसकी अध्यक्षा राजकुमारी अमृतकौर हैं यक्ष्मा की भयानक समस्या को जनता के सामने रखने में सफल रहा है । मैं आशा करता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में ही नहीं बल्कि ऐसी ही स्थिति में अन्य देशों में भी, यक्ष्मा के निराकरण में लगे हुए कार्यकर्ताओं को और अधिक बल तथा प्रोत्साहन प्रदान करेगा ।

मैं सहर्ष इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं ।

# 4

## संस्कृत साहित्य के अध्ययन का महत्त्व

आपके कुलपति महोदय के कृपापूर्ण निमन्त्रण पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए यहां आ सकने की मुझे बहुत खुशी है। यह विश्वविद्यालय हमारे देश में विद्यमान दूसरे विश्वविद्यालयों से कुछ भिन्न होगा। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर यहां विशेष जोर दिया जाएगा, और यह प्रयास किया जायगा कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और स्नातक भारत की प्राचीन विचारधारा से पूरी तरह अवगत हों और उस ज्ञान को प्राप्त कर आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल चिन्तन, व्यवहार तथा जीवन-यापन कर सकें। यह उद्देश्य, संभव है, सभी की सहसा समझ में न आ सके, किन्तु वास्तव में यह सुबोध है और उचित भी। इसके सहज ही समझ में न आने का कारण यह धारणा हो सकती है कि हमारी प्राचीन विचारधारा और आज के युग की विचारधारा में परस्पर-विरोधी तत्व हैं। कहना न होगा कि यह धारणा निराधार और भ्रान्ति-मूलक है। आधुनिक जगत ने निश्चय ही विज्ञान, औद्योगीकरण और तत्सम्बन्धी आविष्कारों में बहुत प्रगति की है और इस दृष्टि से दो हजार वर्ष पहले का मानव बीसवीं सदी के मानव की अपेक्षा पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। किन्तु जहां तक चिन्तन, मनन, शिक्षण, कला-प्रेम, साहित्य-सृजन, जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति, शान्तिपूर्ण ढंग से रहन-सहन आदि आधारभूत मानवीय समस्याओं का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि आधुनिक मानव प्राचीनकालीन मानव से बहुत आगे बढ़ा है। कुछ भी हो, कम से कम इस दिशा में आज का मानव इतना आगे नहीं बढ़ा है कि प्राचीन काल की सफलताओं अथवा विचारधारा की वह एकदम उपेक्षा कर सके। बहुत से विद्वानों का यह विचार है कि प्राचीन विद्या में ऐसे तत्व हैं जो आधुनिक परिस्थितियों के अभावों की पूर्ति कर सकते हैं और यदि अर्वाचीन मानव उन्हें ग्रहण कर सके तो वह अपने जीवन को अधिक सुखी और सफल बना सकता है।

प्राचीन और आधुनिक विद्याओं और विचारधाराओं के समन्वय को मैंने सदा महत्वपूर्ण समझा है। मेरी यह धारणा है कि प्राचीन विद्या तथा विचारधारा से परिचय आज भी मानव के लिए उपलब्ध ज्ञान का आवश्यक अंग है। इन दो विचारधाराओं में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं क्योंकि शायद सृष्टि के आरम्भ से मानव की महत्वाकांक्षा तथा उसका प्रयास एक ही रहा है, अर्थात्

---

विश्व विद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर भाषण कुरुक्षेत्र, 11 जनवरी, 1957

वह निजी जीवन को किस प्रकार अधिक से अधिक सुखी बनाए और अपनी परिस्थितियों को किस प्रकार इस महत्वाकांक्षा के अनुरूप करे । जिन्हें हम आधुनिक विचार कहते हैं उनकी नींव एकदम नवीन नहीं । इस नींव के निर्माण में, दृश्य अथवा अदृश्य रूप में, सदियों पुरानी परम्परागत विचारधारा ने योग दिया है । इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस तथ्य को अपने जीवन में अनुभव करें और प्राचीन तथा अर्वाचीन के समुचित समन्वय का प्रयास करें ।

इस महत्वपूर्ण तथा कल्याणकारी कार्य के लिए यह आवश्यक है कि हम संस्कृत का विशेष रूप से और अन्य भारतीय भाषाओं का साधारण रूप से अध्ययन करें । प्रागैतिहासिक काल से जीवन के सभी विभागों में हमारे देश के विकास का सम्बन्ध सदियों तक संस्कृत भाषा से जुड़ा रहा, यद्यपि बौद्ध तथा जैनकालीन साहित्य और विचारधारा बहुत करके पाली और प्राकृत भाषाओं में उपलब्ध हैं । इन सभी के, और इनके साथ ही इनकी उत्तराधिकारिणी आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन के बिना अभीष्ट समन्वय संभव नहीं ।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्थापक इन्हीं विचारों से प्रभावित हुए हैं और उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही वे इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं । अतः इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धान-सम्बन्धी कार्य-क्रम इसी उद्देश्य के अनुकूल होंगे । जो विभाग यहां खोले जा रहे हैं और जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे उन में भी समन्वय की भावना से ही काम लिया जाएगा । इन सभी में विशुद्ध ज्ञानोपार्जन और जीवन की व्यावहारिक आव-श्यकताओं में यथासंभव समन्वय से काम लेना होगा । मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय, जिसे हम शिक्षा की दिशा में नया परीक्षण कह सकते हैं एक ऐसे अभाव की पूर्ति करेगा जो अभी तक खटकता था ।

इस विश्वविद्यालय के लिए आपने जो स्थान चुना है उसका अपना ही महत्व है । प्राचीन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं और अनेक धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्कारों से सम्बद्ध, कुरुक्षेत्र पंजाब राज्य के लगभग केन्द्र में स्थित है । इधर देहातों में विश्वविद्यालय और शिक्षण केन्द्र स्थापित करने की जो परिपाटी चली है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उस योजना के भी अनुकूल होगा, क्योंकि यह स्थान चारों तरफ से देहातों से घिरा है ।

इस दिशा में यह पग उठा कर पंजाब सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है । कुरुक्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना बरबस हमें उस युग का स्मरण दिलाती है जब इस प्रदेश में संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित और पाणिनी

जैसे व्याकरणाचार्य निवास करते थे । पंजाब के लिए यह गर्व का विषय है कि अतीत में महत्वपूर्ण योगदान दे चुकने के बाद आज फिर सदियों की उपेक्षा तथा उदासीनता से ऊपर उठ, उसने इस विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा संस्कृत को अपनाया है ।

मुझे पूर्ण आशा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देकर देश का ध्यान उस विपुल साहित्य भण्डार की ओर आकृष्ट करेगा जो इन प्राचीन भाषाओं मे निहित है । यह साहित्य तथा विचारधारा भारत की सर्वश्रेष्ठ विरासत है और इसका महत्व किसी राष्ट्र विशेष के लिए ही नही बल्कि समस्त संसार के लिए है ।

इस प्रकार यह विश्वविद्यालय आज के विश्वविद्यालयो की संख्या मे वृद्धि मात्र ही नहीं करेगा वरन इसके अपने उद्देश्य होंगे, अपना कार्यक्रम होगा और ढंग ढांचा होगा । केवल भारत ही नहीं, सारे संसार की यह एक आधुनिक मांग है कि ज्ञान और विज्ञान मे आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि, चरित्र की शुद्धता तथा मानसिक विकास में समन्वय स्थापित किया जाय, जिसमें अणुबम के बनाने का कौशल और विज्ञान प्राप्त रहे पर उस विज्ञान और कौशल को अणुबम के बनाने में न लगा कर मानव हित-साधन में लगाने की प्रेरणा और शक्ति भी प्राप्त रहे। संसार चाहता है कि न तो मानव संसार को ही उपेक्षा की दृष्टि से देखे और जंगलों में जाकर आत्मचिन्तन में ही लगा रहना जीवन का एकमात्र उद्देश्य माने और न आत्मा-परमात्मा को भूलकर भौतिक सुख-साधन के जुटाने मे ही अपनी सारी शक्ति को लगा देवे । ससार में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना अथवा अध्यात्म को साक्षात् करते हुए सुख-साधनों का उपयोग कर सकना, हमारा यही उद्दश्य और आदर्श होना चाहिए । हम चाहते है कि संस्कृत साहित्य के अध्ययन से हमारे देश के नवयुवक और नवयुवतियों की यह समन्वयात्मक दृष्टि बने और राम और सीता जैसे गृहस्थ और राजा जनक जैसे बराबरी ज्ञानी तपस्वी का आदर्श सामने रहे ।

मेरी यह कामना है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य मे सफल हो और भारतीय जनता तथा साहित्य की सेवा करते हुए अधिक से अधिक उन्नति करे ।

## 7

# संस्कृत विश्व परिषद्

मुझे हर्ष है कि कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में होने वाले संस्कृत विश्व परिषद् के पांचवें अधिवेशन में मैं सम्मिलित हो सका और विभिन्न प्रदेशों से आये हुए सभी विद्वज्जनों के दर्शन कर सका। यह मेरा सौभाग्य है कि इस परिषद् के प्रायः सभी सम्मेलनों में मै भाग ले सका हू। यह उचित ही है कि दक्षिण के पुनीत तीर्थ तिरुपति के पश्चात् यह अधिवेशन उत्तर भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध धर्म स्थान कुरुक्षेत्र में हो रहा है।

यह संतोष का विषय है कि संस्कृत विश्व परिषद् अपने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की ओर बराबर बढ़ रही है और संस्कृत भाषा तथा साहित्य का व्यापक प्रचार करने में सफल रही है। भारतीय विश्वविद्यालयों से जो विवरण प्राप्त हुए हैं और जिन्हें देखने का मुझे अवसर हुआ उससे भी यह स्पष्ट होता है कि हमारे विद्यार्थी समाज में एक पाठ्य विषय के रूप में संस्कृत अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। जनसाधारण में और सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में इधर संस्कृत के सम्बन्ध में काफी चर्चा रही है। संभवतः परिषद् के कार्यक्रम और उस सार्वजनिक रुचि का ही यह परिणाम है कि इस वर्ष सरकार ने संस्कृत आयोग की नियुक्ति की है। हमें आशा है कि यह आयोग संस्कृत की व्यापकता तथा उपादेयता-सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर विस्तृत विचार करके सरकार के सम्मुख ऐसी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकेगा जिनसे संस्कृत भाषा तथा साहित्य की ही श्रीवृद्धि नहीं होगी बल्कि हमारा राष्ट्रीय जीवन भी अधिक समृद्ध हो सकेगा। इस सबन्ध में, मेरा विश्वास है, आपकी परिषद् संस्कृत आयोग के कार्य में पूर्ण सहयोग देगी। आयोग ने जो विचारपूर्ण प्रश्नावली प्रसारित की है, मै समझता हूं उसके सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करना और सभी सम्बन्धित तथ्यों का संकलन करना संस्कृत विश्व परिषद् के लिए सहल होगा। इस प्रकार की सामग्री को संस्कृत आयोग के लिए उपलब्ध करके हम उसके कार्य में काफी सहायता कर सकते हैं।

जैसा कि आप महानुभावों को ज्ञात है, आज मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। संस्कृत विश्वविद्यालय की संकल्पना के लिए जहां यह परिषद् गर्व कर सकती है वहां मै समझता हूं कि पंजाब सरकार भी जिन्होंने कुछ कठिनाइयों के बावजूद इस विचार को कार्यरूप दिया, प्रशंसा और बधाई की पात्र है। यह हर्ष का विषय है कि संस्कृत के पठन-पाठन और महत्व की ओर

---

संस्कृत विश्व परिषद् में उद्घाटन भाषण, कुरुक्षेत्र, 11 जनवरी, 1957

अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। और जिस तरह से यहां संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना की जा रही है उसी तरह वाराणसी में भी जो चिरकाल से आज तक सदैव संस्कृत का महान् केन्द्र रहा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का आयोजन किया जा रहा है ।

यद्यपि संस्कृत विश्व परिषद् के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप संस्कृत को प्रोत्साहन मिला है किन्तु यह नही कहा जा सकता कि जनसाधारण अभी भी इस भाषा के महत्व से पूरी तरह अवगत हो पाए है। इस सम्बन्ध में अभी भी उदासीनता की भावना और अनेकों भ्रम विद्यमान है जिनका निराकरण करना संस्कृत के हितैषियों का कर्तव्य है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए केवल प्रचार ही पर्याप्त नही। मेरे विचार में संस्कृत के पठन-पाठन को यथा-संभव सरल बनाना और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल करना भी उतना ही आवश्यक है। प्राचीन साहित्य तथा ग्रन्थों के अध्ययन का निस्सदेह बहुत महत्व है, किन्तु आज का विद्यार्थी केवल उसी से संतुष्ट नही रह सकता। उसे ऐसे साहित्य की अपेक्षा है जो उसे आधुनिक जीवन के निकट लाए और इस जीवन से सम्बन्धित जो समस्यायें अथवा कठिनाइया उसके सामने आये उन्हे पार करने की क्षमता पैदा करे। यह प्रश्न इतना गम्भीर और सारगर्भित है कि संस्कृत विश्व परिषद् और संस्कृत विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के अधिकारीगण पारस्परिक सहयोग तथा विचार-विनिमय द्वारा ही इसे सुलझाने का मार्ग निकाल सकते है। इसलिए इस नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना का जहां हम स्वागत करते है वहा हमे यह भी समझ लेना चाहिए कि इसके द्वारा संस्कृत के सभी समर्थकों पर एक भारी दायित्व आ गया है ।

संस्कृत की उन्नति की दृष्टि से सभी ओर शुभ लक्षण दिखाई देते है। संस्कृत, जो किसी भी प्रचलित भारतीय भाषा पर अतिक्रमण करना नही चाहती, हमारे देश में सामाजिक और सास्कृतिक जीवन मे विशेष स्थान रखती है। यदि मैं यह कहूं कि हमारे राजनैतिक जीवन से भी इसका कुछ सम्बन्ध है तो यह अतिरंजन न होगा, क्योंकि सहस्रों वर्ष तक इस विशाल देश के विभिन्न प्रदेशो को संस्कृत ने एकता के सूत्र में बांधे रखा है। यद्यपि कालान्तर में देश के शिक्षाक्रम में संस्कृत का पहले जैसा स्थान नही रहा, किन्तु हमारे सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में इस समय भी संस्कृत को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसलिए यह कहना दुस्साहस होगा कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संस्कृत की उपादेयता एकदम लुप्त हो गई है ।

मैं संस्कृत विश्व परिषद् को उसके सुचारु रूप से काम करने पर बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि परिषद् के प्रयत्न सफल होंगे और संस्कृत को देश के जीवन में यथोचित स्थान यथाशीघ्र प्राप्त होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं संस्कृत विश्व परिषद् के पंचम अधिवेशन का उद्घाटन करता हूं ।

# 10

# नेत्रहीन कन्याओं के लिए विद्यालय

विरजानन्द अन्ध कन्या विद्यालय के सम्बन्ध में मेरी जानकारी अधिक नही थी। जब मुझे विद्यालय के सम्बन्ध में सब बातों का पता लगा और मुझे बताया गया कि हमारी बहनों ने अपने बलबूते पर कितना बड़ा काम किया है, तो मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने नए भवन के उद्घाटन का निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार किया। यह विद्यालय जो छः वर्ष हुए थोड़ी-सी नेत्रहीन कन्याओं के प्रवेश से एक साधारण मकान में आरम्भ हुआ था आज एक सुन्दर और विशाल भवन में स्थानांतरित हो रहा है। यह परिवर्तन विद्यालय की संस्थापिकाओं तथा व्यवस्थापिका समिति के लिए गर्व की बात है। इन कुछ ही वर्षों में उन्होंने निजी सूझ-बूझ और परिश्रम के द्वारा इतने बड़े भवन का निर्माण किया जिसमें १०० छात्राओं के पठन-पाठन तथा निवास की व्यवस्था है। इसके लिए मै उन सभी बहनों को जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया बधाई देता हू।

जैसा कि श्रीमती धनदेवी कपूर ने कहा, हमारे देश में करीब आठ लाख नेत्र-हीन कन्यायें तथा महिलायें हैं। नेत्रहीन लड़कों तथा पुरुषों की संख्या तो इससे भी कहीं अधिक है। इन सब की शिक्षा दीक्षा तथा रहन-सहन की उचित व्यवस्था करना जिस से कि ये लोग अपने आपको समाज पर भार न समझें बल्कि उसका एक उपयोगी अंग बन सकें, राष्ट्र तथा समाज के हित में अत्यन्त आवश्यक कार्य है। जो लोग ईश्वर की कृपा से सर्वांग सम्पन्न हैं उनका यह नैतिक तथा सामाजिक कर्तव्य है कि वे नेत्रहीनों तथा विकलाग नागरिकों के जीवन को यथा-संभव कष्टहीन तथा सुखमय बनावें। ऐसे लोगों की भरपूर सहायता करना और जीविकोपार्जन की दृष्टि से उन्हें अपने पाव पर खडे होने की क्षमता प्रदान करना किसी भी समाज मे उन्नति तथा सभ्यता का प्रतीक माना जायगा। जिस समाज मे विकलांग प्राणियों की देखरेख, शिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था नही उसे हम सभ्य समाज नही कह सकते। इसी प्रकार जिस राष्ट्र में अंगहीन लोगों की सुख-सुविधा की विशेष व्यवस्था नही उसे उन्नत राष्ट्र नही कहा जा सकता।

पश्चिम और पूर्व में जितने भी प्रगतिशील राष्ट्र है उनमें इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है। यूरोप के देशों में नेत्रहीन लोग अनेक कार्य बहुत निपुणता से करते हैं, किन्तु उन्हे इन कार्यों को करने की वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देनी होती है। उदाहरणार्थ, इंगलैंड, अमरीका आदि देशों में अनेकों नेत्रहीन लोग सरकारी

---

राष्ट्रीय विरजानन्द अन्ध कन्या विद्यालय के भवन का उद्घाटन करते समय भाषण, जनवरी 13, 1957

तथा निजी दफ्तरों में और कारखानों में काम करते है। अभी कुछ दिन हुए बम्बई के श्री राजेन्द्र व्यास मुझे मिलने आए थे। यह सज्जन नेत्रहीन है किन्तु एम० ए० एल० एल० बी० पास करने के बाद बम्बई हाईकोर्ट में वकालत कर रहे है। ऐसे लोगों को देख कर बहुत खुशी होती है और समाज उन पर गर्व कर सकता है।

संभवत. यह ठीक है कि हमारे देश मे नेत्रहीन बालकों तथा पुरुषों की शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था है, अभी तक नेत्रहीन बालिकाओं की शिक्षा के लिए उतनी अच्छी व्यवस्था नही हो पाई है। इस दृष्टि से विरजानन्द अन्ध कन्या विद्यालय का महत्व और भी अधिक है। यह सस्था केवल नेत्रहीन कन्याओं के लिए है और समस्त समाज तथा सरकार की सहायता की सुपात्र है। मेरा विश्वास है कि ऐसे विद्यालय जैसी सस्थाओं को सरकारी स्वीकृति मिलने मे विशेष कठिनाई नही होनी चाहिये।

इसलिए मुझे आशा है कि जनसाधारण तथा अधिकारी वर्ग आपकी हर तरह से पूरी सहायता करेंगे, जिससे कि यथाशीघ्र आप इस विद्यालय मे विस्तार कर सकें और ३०० अथवा इससे भी अधिक नेत्रहीन छात्राओ की शिक्षा तथा निवास का सतोषजनक प्रबन्ध कर सकें। आपने जो लक्ष्य अपनी योजना मे निर्धारित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और यह आशा प्रकट करता हूं कि आप इस पुण्य कार्य में निश्चय ही सफल होंगी।

एक बार फिर मैं विरजानन्द अन्ध कन्या विद्यालय की छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा व्यवस्थापिका समिति को उनकी दक्षता तथा कर्तव्य-परायणता के लिए बधाई देता हूं और अपनी सहानुभूति का उन्हें आश्वासन दिलाता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं सहर्ष आपके विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करता हूं।

12

# सीरिया-भारत प्राचीन सम्बन्ध

महामहिम,

आज सीरिया के राष्ट्रपति महामहिम शुक्री अल-कुवातली तथा श्रीमती बाहिरा अल-कुवातली का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। हम महामहिम का एक ऐसे देश के राष्ट्रपति होने के नाते स्वागत करते है जिसके सम्बन्ध भारत से बहुत पुराने रहे है और आज भी सौहार्दपूर्ण है। मै यह कहना चाहूंगा कि भारत की तरह सीरिया का भी अत्यन्त गौरवपूर्ण अतीत रहा है और उसकी अपनी सास्कृतिक परम्परा है। सीरिया ने अनेको साम्राज्यों और संस्कृतियो का उत्थान-पतन देखा है।

इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है कि ईसा सम्वत् मे पहले और उसके कुछ सदियों बाद सीरिया और भारत मे आपसी सम्पर्क था। यह हर्ष का विषय है कि वे पुराने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आधुनिक युग मे जबकि सीरिया और भारत दोनों का स्वतन्त्र देशों के रूप में उदय हुआ है, सुखद और सौहार्दपूर्ण भावनाओं के रूप मे पल्लवित हुए है। आज हमारे दोनों देश अपनी-अपनी जनता की सम्पन्नता के हेतु राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर है और इस बात से हमारे प्राचीन कालीन सम्बन्धों को पुष्टि मिलती है। ये सब घटनायें, सीरिया और भारत का विश्व-शान्ति बनाये रखने का दृढ़ निश्चय और एतदर्थ हर सम्भव प्रयत्न करने की उत्कट इच्छा तथा हमारे सामान्य हित और आदर्श, ये सब हमारे दोनो राष्ट्रों के बीच दृढ़ मैत्री की पृष्ठभूमि के प्रतीक स्वरूप है।

इस देश मे हम अपनी जनता के रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने और राष्ट्र की सम्पन्नता मे वृद्धि करने के प्रयत्न में लगे हुए है। इस उद्देश्य से अपनी पहली पंच-वर्षीय योजना के कार्यान्वित हो चुकने के बाद हमने दूसरी पंच-वर्षीय योजना हाल ही में लागू की है।

मुझे आशा है कि इस यात्रा में महामहिम को राष्ट्र-निर्माण की हमारी महान् योजनाओं मे से कम से कम कुछ को देखने का अवसर मिलेगा।

हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई सद्भावना तथा मैत्री भारत सरकार तथा भारत के लोगों के लिये गहरे सन्तोष का विषय है। हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि विश्व की समस्याओ के प्रति और बांडुंग घोषणा के नियमों के अनुसार

---

सीरीया के राष्ट्रपति के सम्मान मे दिये गये राजभोज के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1957

राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की नीति के प्रति हमारे दोनों देशों का एक जैसा दृष्टिकोण है। हमें पूर्ण आशा है कि सीरिया और भारत के बीच सद्भावना में वृद्धि होगी और हमारे आपसी सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध दोनों देशों के हितों में और अधिक बढ़ेंगे। सीरिया और भारत में पारस्परिक सहयोग निश्चय ही विश्वशान्ति के हित में है।

भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और हमारा संविधान वर्ग, वर्ण तथा धर्म भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को राजकीय सेवाओं तथा सार्वजनिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों में समान अवसर का आश्वासन देता है।

महामहिम को आज अपने मध्य पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें यह आशा है कि महामहिम की भारत यात्रा से सीरिया और भारत के लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और भी दृढ़ होंगे। मैं महामहिम और श्रीमती बाहिरा अल-कुवातली के प्रति एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं और उनका स्वागत करते हुए यह आशा करता हूं कि इस देश मे उनका प्रवास सुखद और आनन्दमय होगा।

## 14

# व्यापार उद्योग और सार्वजनिक हित

इंडियन चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष महोदय, बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि आज कलकत्ता पहुंचते ही सब से पहले आप लोगों से मिलने का यह मौका मिला। जब मुझे यह खबर दी गई है कि मैं यहां आऊं तो मैंने उसको खुशी से मंजूर कर लिया सिर्फ इसलिये ही नही कि आपमें से बहुतेरे ऐसे सज्जन मौजूद है जो मेरे पुराने परिचित और मित्र है बल्कि इसलिये भी कि आप समाज के एक ऐसे भाग का प्रतिनिधित्व करते है कि जो देश के काम मे बहुत बड़ा भाग लेता आया है और आगे भी ले सकता है।

आपने ठीक ही कहा है कि स्वाधीनता पाने के बाद से हम इस काम में लगे हुए है कि हम कैसे इस देश की गरीबी को दूर करे और किस तरह से यहां जो दरिद्रता फैली हुई है उसको दूर करके लोगो में कुछ थोड़ी-भी सम्पन्नता ला सकें। ऐसे काम में आप जो व्यापार के काम मे लगे है, जो कारखाने चलानेवाले लोग है बहुत बड़ा काम कर सकते है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप सब मे उत्साह है और आपको प्रोत्साहन देने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि हम हमेशा से जानते है कि आप देश की सेवा करते आये है और आप से हर तरह की सहायता देश को मिली है। हम इतना ही चाहेंगे कि जो अब नया समय है, आज की जो परिस्थिति है उसके अनुकूल जहां तक हो सके आप सहायता करते जाये। मै जानता हूं कि बावजूद इस बात के कि बहुत बातों में हेरफेर हो रहा है, बहुत तरह की नयी चीजें आ रही हैं तो भी आप लोगों के लिये देश की सेवा करने के लिये क्षेत्र खुला है, बहुत बड़ा मैदान सामने है और उसमे आप खुल कर अच्छी तरह से भाग ले सकते है और काम कर सकते है। उससे देश को भी लाभ होगा, आपको यश मिलेगा और आप अपने लिये भी कुछ पैदा कर सकते है। यही विश्वास है और इसी विश्वास के साथ जितने देश के व्यापारी वर्ग है, जितने लोग ऐसे हैं जो कारखानों के मालिक है, चलानेवाले है, जितने लोग ऐसे है जो इन चीजो मे दिलचस्पी लेते हैं उन सब से मै यही कहना चाहूंगा कि जो भाग आपके जिम्मे पड़ा है उस भाग को आप अच्छी तरह से सम्भालें और आप सम्भालेंगे। मै आशा करता हूं कि देश को इस बात की खुशी होगी और सब लोग इससे सतुष्ट होंगे कि आपने अपना काम, अपना फर्ज अच्छी तरह से अदा किया और आपने भी जहां तक हो सका लाभ उठा लिया।

---

इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष के स्वागत भाषण के उत्तर मे भाषण, कलकत्ता, 19 जनवरी, 1957

इसलिये मै श्राप सब का बहूत श्राभारी हूं कि श्रापने मुझे यह् मौका दिया कि कलकत्ते में जहां मैं बहुत वर्षों के बाद श्राया हूं श्राप सबसे पहले पहल मुलाकात हो गयी श्रौर उस मुलाकात से मैं लाभ उठा सका ।

# बंगाल में हिन्दी प्रचार

सभापति महोदय, बहनों तथा भाइयो,

मै आपकी परिषद् के काम से अच्छी तरह से परिचित रहा हूं और इसलिये जब मुझ से आज के इस उत्सव मे भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया गया तो मैं ने बहुत खुशी से उस निमन्त्रण को स्वीकार किया।

यह सच है कि कलकत्ते में विद्वानों ने हिन्दी की बड़ी सेवा की है और ऐसे समय में सेवा की है जिस वक्त हिन्दी को वह स्थान प्राप्त नहीं था जो आज प्राप्त है या यों कहें कि हिन्दी को कोई स्थान प्राप्त नही था तो वह बुराई नहीं होगी। जहां तक मै समझता हूं, किन्ही अक्षरों की छपाई शुरू मे यहां आरम्भ हुई और बहुत दिनों तक हिन्दी का एक बहुत बड़ा केन्द्र कलकत्ता रहा है। बंगाल के निवासियों ने हिन्दी की सेवा की है और यहां तक केवल अच्छे अच्छे लेखक ही नहीं हुए है बल्कि बंगला के जो बड़े-बडे विद्वान हुए है उन्होंने भी हिन्दी का अध्ययन किया था। जिस समय सारे भारतवर्ष के लिये एक भारतीय भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का किसी के दिल में अभी ख्याल भी शायद नहीं आया था उस समय श्री बंकिम चन्द्र ने यह कहा था कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिये और जो परम्परा श्री बंकिमचन्द्र ने आरम्भ की वह परम्परा आज तक है उसका थोड़ा दिग्दर्शन सभापति जी ने तथा दूसरे महानुभावों ने कराया है जिन्होंने हिन्दी की सेवा की है। मुझे भी ख्याल है कि जिस समय मै यहां विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय यहां कितने ही हिन्दी के प्रेमी लोग आया करते थे और कितने ही इस शहर में ही रहा करते थे जिनकी वजह से सारे देश को बड़ी सहायता मिला करती थी।

कलकत्ते से निकलने वाला हिन्दी विश्वमित्र के इतना प्रचारवाला दूसरा कोई हिन्दी समाचार पत्र भारत में नहीं होगा। बाद में कानपुर, प्रयाग, बनारस, तथा और जगहों से बहुत बड़े-बड़े पत्र निकले पर आरम्भ में कलकत्ता तथा पटना ये दोनों ही बड़े केन्द्र थे जहां बहुत लोगों ने हिन्दी की सेवा की है।

और एक चीज है जिसका जिक्र अभी तक नहीं किया गया है मैं उसका जिक्र कर देना चाहता हूं। हिन्दी भाषा नागरी लिपि में बहुत दिनों से चली आती थी मगर सभी भाषाएं नागरी लिपि में ही लिखी जायें उसका प्रचार यहां कलकत्ते में ही सब से पहले श्री शारदा चरण ने आरम्भ किया था और उस समय कई वर्षों

---

राज भवन मे भारतीय हिन्दी शिक्षा परिषद के दीक्षान्त समारोह में भाषण, कलकत्ता, 19 जनवरी, 1957

तक एक पत्र निकला था जिसका नाम था 'देवनागर' जिसमें अन्य-अन्य भाषाओं के लेख छपा करते थे पर वे छपते थे नागरी लिपि में ही और इस प्रकार से नागरी लिपि का प्रचार सारे देश में हो रहा था। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर आज लिपि एक हो जाय तो भारत की अनेकानेक भाषाओं के बीच में जो अन्तर देखने को मिलता है वह बहुत कम हो जाय और इसलिए यदि इस प्रकार का काम जिसको एक बंगलाभाषी श्री शारदाचरण ने आरम्भ किया था फिर जोरों से चलाया जाय तो मैं समझता हूं कि वह बड़ी सेवा होगी क्योंकि हमें यह ध्यान में रखना है कि लिपि एक चीज है और वर्णमाला दूसरी चीज है। सारे भारत की भाषाओं में वर्णमाला एक है। अ, आ, ई, क, ख, ग आदि वर्णमाला है। यह वर्णमाला एक ही है चाहे भाषा बंगला हो, मराठी हो, हिन्दी हो, आसामी हो, उडिया हो, तेलुगू हो, कन्नड हो या मलयालम हो। तमिल में कुछ अन्तर है पर देश की अन्य सभी भाषाओं में वर्णमाला एक ही है। देश के बाहर सिलोन में, बर्मा में, इन्डोनेशिया में, चीन में तथा पूर्व के दूसरे देशों में भी यही वर्णमाला प्रचलित है। लिपि मे भेद हो गया है, लिखने के भेद है मगर वर्णमाला मे नही। जैसे क, अ आदि का उच्चारण सभी भाषाओ में वही होगा। तो यह एकता जो वर्तमान है उसके कारण भाषाओं में जो भिन्नता आयी है उसको दूर कर देंगे तो भाषाओं को नजदीक ले आने में बड़ा काम कर सकेंगे।

इसलिये मैं चाहूंगा कि आज जितनी संस्थाएं हिन्दी का प्रचार कर रही हैं या प्रान्तीय भाषाओं के प्रचार में लगी हुई है उनको इस पर विचार करना चाहिये और सब एक लिपि अगर कर दें तो बहुत सुन्दर होगा। इसमें कोई भी लिपि हो सकती है मगर हमारी सारी संस्कृति, हमारा सारा वांगमय संस्कृत में है, हमारे जितने वांगमय है वे देवनागरी अक्षर में हैं। इसलिये उसका प्रचार हो जायगा तो आज की प्रचलित भाषाएं कुछ छोटी नही होंगी बल्कि संस्कृत के साथ भी हमारा सम्पर्क गहरा हो जायगा। इसीलिए देवनागरी लिपि को अपनाना ही बहुत अच्छा है। इसलिये नही कि वह हिन्दी, और मराठी की लिपि है बल्कि वह सस्कृति की भी लिपि है और इसलिये वह भारत की लिपि है। अगर उस लिपि का प्रचार हो जाय तो जो कठिनाई लोग आज महसूस कर रहे है वह दूरहो सकती है।

कुछ दिन पहले 'देवनागर' का पुनर्जन्म दिल्ली में हुआ। पता नहीं अब वह निकलता है या नही पर दो तीन बार वह निकला। किन्तु यह पहले के 'देव-नागर' से कुछ भिन्न था। अनेक भाषाओं के लेख इसमें छपते थे। जैसे यदि बंगला में

कोई लेख हुआ या किसी दूसरी भाषा का लेख रहा तो भाषा वही पर अगर अक्षर देव-नागरी के होते थे। ऐसा होने से अगर दूसरी भाषा के लोग उसे पढ़ना चाहें तो उसे आसानी से समझ सकते थ। मगर मूल लेखक का अनुवाद भी उसके साथ-साथ छापा जाता था जिससे दूसरी भाषावाले भी उसे समझ सकें। अगर बंगला का अनुवाद हिन्दी में या अन्य भाषाओं में हो जाय तो सभी भाषाओं के लोग उसको कुछ न कुछ सीख सकेंगे और समझ सकेंगे। इस प्रकार का काम कुछ दिनों तक चला पर अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हुआ! मैंने इसलिये इस ओर आपका ध्यान दिलाया कि यह ऐसा एक प्रश्न है जिस पर हिन्दी के प्रचारकों और हिन्दी के हितैषियों को सोचना है क्योंकि अगर हम भारत को एक करना चाहते हैं तो एक भाषा और एक लिपि आवश्यक है। पूर्व में जब भारत एक रहा तो उसका कारण संस्कृत थी। संस्कृत भाषा सारे देश की भाषा रही और उसकी वजह से देश की एकता इतनी दृढ़ रही। अगर हम उस एकता को फिर से दृढ़ बनाना चाहते है तो एक भाषा का होना जरूरी है और उसके साथ-साथ एक लिपि होनी चाहिये।

मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा के प्रचार का अर्थ यह नही है कि दूसरी प्रान्तीय भाषाओं की अवनति हो। जितनी हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनकी भी अच्छी से अच्छी उन्नति हो, वे अच्छे से अच्छे साहित्य का सृजन करें और अच्छी से अच्छी तरह से साहित्य निकालें। साथ साथ जो सार्वदेशिक काम हैं उनके लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी को हमें उन्नत करना चाहिये। उसमें जहां तक सहायता की जा सकती हो की जानी चाहिये। यह खुशी की बात है कि आपकी परिषद् उसमें सहायता कर रही हे और यह और भी अधिक खुशी की बात है कि उसमें अहिन्दी भाषी लोग भी सहायता दे रहे हैं। जब वे इस काम को अपना काम मान लेंगे और उसको चलाने लगेंगे तब हम मान लेंगे कि हिन्दी के प्रचार का काम पूरा हो गया और उसमें सफलता मिल गयी।

यह काम दक्षिण भारत में भी हो रहा है। और उसे दक्षिण भारत के लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। पहले उत्तर के लोग गये और उस काम में उनकी सहायता की। पर थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने इस काम को अपने हाथों में ले लिया और इससे मुझे खुशी हुई। मेरा सम्बन्ध उसके साथ आरम्भ से ही रहा है। गत वर्ष जब मैं वहां गया तो मुझे मालूम हुआ कि मद्रास में दस लाख आदमी ऐसे ह जो अंग्रजी जानते हैं जिसका इतने वर्षों तक प्रचार और प्रसार किया गया।

पर हिन्दी का प्रचार वहां 1918 में आरम्भ हुआ और 40 वर्षों में पचास लाख लोग आज ऐसे हैं जो हिन्दी जानते हैं। उन्होंने हिन्दी के प्रचार का काम पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है, उत्तर के लोगों की सहायता की जरूरत उनको नहीं है। मैं जानता हूं कि यहां कलकत्ते में भी वही बात है पर और-और जगहों में भी यह हो जाय तो मैं समझूंगा कि रचनात्मक रीति से हिन्दी राष्ट्र-भाषा बन गयी। यही आपकी परिषद् का उद्देश्य है।

जिन भाइयों और बहनों ने परीक्षा पास करके आज यहां प्रमाण पत्र पाने का हक हासिल कर लिया है उन सब को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे जब अपने जीवन में उतरेंगे तो हिन्दी की सेवा भूलेंगे नहीं, हिन्दी परिषद् ने जो सेवा की है उसको भूलेंगे नहीं। मैं आप सब को इस अवसर के लिये धन्यवाद देता हूं।

20

## शास्त्रीय संगीत और जनसाधारण की अभिरुचि

देवियो और सज्जनो,

मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपके इस समारोह में आज मैं शरीक हो सका हूं। अलाउद्दीन खान ने जिस तरह से अपनी सारी जिन्दगी बिताकर संगीत के प्रचार में, उसकी उन्नति में सब कुछ छोड़ा था उनके यादगार में इस प्रकार की संस्था का बनना अत्यन्त आवश्यक था और आप यह जानते है कि जब भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि अपने यहां के कलाकारों को सम्मान देना चाहिये तो संगीतकारों में सब से पहला पुरस्कार अलाउद्दीन खान को ही दिया गया था और उसके बाद ही और-और लोगों को पुरस्कार दिये गये है।

भारत में स्वराज्य होने के बाद बहुत तरह के हेरफेर हुए है और एक प्रकार से जो लोग कलाकारों को, संगीतज्ञों को या इस तरह के दूसरे लोगों की अकसर सहायता किया करते थे आज उनमें से बहुतेरे इस परिस्थिति में नहीं रह गये है कि वह सहायता कर सकें और इस प्रकार से वह स्रोत एक तरह से बन्द होता जा रहा है। भारत सरकार ने इसीलिए यह निश्चय किया है कि अब सब प्रकार के कलाकारों को भारत सरकार की ओर से ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और उसमें विशेष करके जो हमारे यहां के गान विद्या, वाद्य विद्या के आचार्य है उनको प्रोत्साहन देना चाहिये और उसी के अनुसार उस्ताद अलाउद्दीन खान को वह पुरस्कार दिया गया था। आज हम देखते है कि सभी प्रान्तों में जो संगीत नाटक अकादमी कायम की गयी है उसके प्रयत्न से शाखाएं खुल गयी हैं और स्थान-स्थान पर इस प्रकार की संस्थाएं खुलती जा रही है जो कला को प्रोत्साहन दे। इसलिये यह खुशी की बात है कि उसकी प्रेरणा से आपने यहां उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम पर यह संस्था कायम की है और उसकी प्रगति आपने बतायी कि 12 छात्रों से आरम्भ करके आज प्रायः 100 के करीब छात्र यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे है। यह बड़े संतोष की बात है।

गान विद्या हमारे देश में प्राचीन काल से है और आज हम जिसको शास्त्रीय गान कहते है और आजकल का चलता गान कहते है इन दोनों में भेद मानते है। बात असली यह है कि यह विद्या किसी एक स्थान पर पहुंच कर बैठी नही रही। इसमें हमेशा वृद्धि, हमेशा हेरफेर होता ही रहा और जिसे आप आज शास्त्रीय गान कहते हैं जब वह कायम हुआ था तब से आज तक वह बहुत बदल चुका है।

---

अलाउद्दीन संगीत समाज के चतुर्थ वार्षिक शास्त्रीय संगीत सम्मेलन मे भाषण कलकत्ता, 19 जनवरी, 1957

इस्लाम ने धम की दृष्टि से नहीं पर कला की दृष्टि से इसे प्रोत्साहन दिया। शहन-शाहों और बादशाहों ने इसे प्रोत्साहन दिया और इसमें नये तान, राग आदि निकले। इसलिये आज का जो गान विद्या है वह उन सब का मिश्रित फल है। जो गान विद्या आज प्रचलित है उसने भी उत्तर में कुछ रंग और रखा, दक्षिण में कुछ दूसरा रंग पकड़ा मगर मौलिक रूप से सब एक ही है और एक ही तरीके से चलता है। अब इस वक्त भी हम यह नहीं कह सकते कि जहां तक वह पहुंची है वहां ही रहेगी। उसमें आगे भी मिश्रण के चिह्न दीख रहे है, उसमें नयी चीजें आती जा रही है, नये राग तौर तरीके और शायद कुछ नये यन्त्र भी मिलते जा रहे है। यह होना भी एक प्रकार से आवश्यक ही नही अनिवार्य भी है। जब पूर्व काल में हम अपने यहां की गान विद्या का अछूता नहीं रख सके, उसे अछूता रखना जरूरी भी नही था तो इस वक्त जब पश्चिम के साथ हमारा सम्पर्क बढ़ा है तो उसका असर हमारी गान विद्या पर भी पडे बिना रह नही सकता और हम देखते है कि उसका असर पड़ रहा है और आगे अधिक से अधिक पड़ता जायगा। विशेष करके जब हम देखते है कि जिन यन्त्रों से हमको काम लेना पड़ता है उनके प्रयोग में भी अन्तर पड़ता जा रहा है और उसके लिये जो हमारे आज भी नये यन्त्र है उनको हम बदल देते है और बदलते जा रहे है। उसी तरह से नये राग भी होते जा है। उसमें उस्ताद अलाउद्दीन का बड़ा हाथ रहा है। उसमे उन्होंने जो वाद्य के तरीके निकाले है वह शायद प्राचीन काल मे उतने जोरों मे प्रचलित नही था और उसका प्रचार करने का श्रेय उस्ताद अलाउद्दीन को ही है और इसीलिये आपने उनके नाम पर उनकी सेवा लोगों की सेवा के जरिये करने के लिये इस संस्था का नाम रखा है। मै आशा करता हूं कि आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन और बढ़ेगी और इसमें सब प्रकार की सहायता प्राप्त होती जायगी और आपने जिन अपने कार्यक्रमों का जिक्र किया है उसमें भी आपको सहायता मिलती जायगी और आपका काम होता जायगा।

अब कला के प्रति जनता में रुचि बढ़ रही है और जहा पहले यह चीज चन्द धनीमानी सम्पन्न व्यक्तियों की ही मानी जाती थी, अपने मन बहलाव के लिये वे अपने यहां कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे वहां वह आज चन्द व्यक्तियों की चीज नही रहकर समस्त जनता की चीज बनती जा रही है और इस तरह से उसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र बढ़ने से उसके रूप में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इन सब चीजों पर जब हम ध्यान देते हैं तो भविष्य के लिये आशा होती है कि कलाकारों को किसी चीज के लिये किसी का मुहताज नही होना पड़ेगा। आपका काम सफल होगा यही मै आशा करता हूं और यही मेरी मनोकामना है।

## 22

# चित्रकला प्रदर्शनी

ललित कला अकादमी के निमन्त्रण पर इस तृतीय राष्ट्रीय अकादमी के उद्घाटन के लिये यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आपकी अकादमी में मै दो बार पहले भी आया हूं और मुझे स्मरण है कि उन अवसरों पर आयोजित कला प्रदर्शनियों से मै बहुत प्रभावित हुआ था। ललित कला अकादमी की स्थापना सरकार द्वारा कला को प्रोत्साहन देने के लिये की गई थी और मुझे खुशी है कि देश के विभिन्न भागों में प्रचलित कला-प्रणालियो का एकीकरण करके और कला के विवेचन और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए उन्हें एक स्थान पर जुटा कर अकादमी ने इस दिशा में उपयोगी कार्य किया है।

मैं कला से अनभिज्ञ व्यक्ति हू, जिसे कला का विस्तृत अध्ययन करने, अथवा तूलिका चलाने का सौभाग्य प्राप्त नही हुआ। इसलिए मैं कला की प्रणालियों के सम्बन्ध मे अथवा कला के सिद्धान्तों के बारे मे कुछ नहीं कहूंगा। फिर भी मुझे विश्वास है कि एक अनभिज व्यक्ति को भी आप इस प्रश्न पर कुछ कहने की अनुमति प्रदान करेगे। जहां तक मैं समझता हूं कला वह भाषा है जिसके माध्यम से मानवीय आत्मा अभिव्यक्ति खोजती है। कला हमारी भावपूर्ण प्रबल इच्छाओं तथा युगों के संचित अनुभवो का परिणाम है। कला के सम्बन्ध में सब से असाधारण बात यह है कि यद्यपि एक कलाकृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा होता है, किन्तु वह सभी को भाती है, अर्थात् कला-प्रेम एक सार्वभौमिक गुण है। एक कलाकृति जितनी एक दक्ष कलाकार को भाती है उतनी ही कला से और इसकी पेचीदगियों से अनभिज्ञ व्यक्ति के मन को भी लुभाती है। मैं समझता हूं इसी प्रवृत्ति के कारण कलाकार और जनसाधारण के बीच सद्भावना की स्थापना होती है।

सभी युगों में और सभी देशों में मानव समाज कला के प्रति आकृष्ट हुआ है। समाज मे कला की उन्नति साधारण सामाजिक उन्नति की द्योतक मानी जाती है। इसीलिए हम प्रायः कहते हैं कि कला युग विशेष के गुणों को प्रतिबिंबित करती है। मानव की सौंदर्य पिपासा को संतुष्ट करने और अतीत की परिस्थितियों का दिग्दर्शन कर सकने के कारण भी कला को मानव की सांस्कृतिक बपौती का मूल्यवान अंग माना जाता है।

---

ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित चित्रों तथा वास्तुकला की तृतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाषण, नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1957

स्वाधीनता तथा जन-जागरण की शक्तियों द्वारा उत्पादित हम भारत म आजकल एक नवचेतना के लक्षण देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कला तथा साहित्य ने जो प्रगति की है वह हमारी चहुमुखी भौतिक उन्नति के अनुरूप है। हाल ही में बुद्ध जयन्ती के सम्बन्ध में जो अनेक आयोजन हुए थे उन से इस चेतना को और भी सहायता मिली है। यह एक शुभ लक्षण है क्योंकि मेरा विश्वास है कि किसी भी राष्ट्र का कल्याण एक पक्षीय नहीं हो सकता और सांस्कृतिक उत्थान आर्थिक सम्पन्नता का एक आवश्यक अग है। हमारे दीर्घकालीन इतिहास द्वारा इस तथ्य की पुष्टि होती है। जब-जब भारत में कला ने उन्नति की उसी समय आर्थिक दृष्टि से हमारा समाज भी उन्नत था। अब जबकि हम दरिद्रता का उन्मूलन कर देश मे नवनिर्माण कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में यह चेतना उत्साह-वर्द्धक है।

कलाकृतियो और साहित्य का हमारा भंडार सदियों की अपेक्षा से काफी हानि उठा चुका है। कलाकृतियों का सम्यक् पर्यवेक्षण जिससे कि यथासंभव कला के सभी नमूनों को हम विस्मृति तथा विनाश के गर्त से उभार सकें, हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। मुझे बहुत खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को ललित कला अकादमी ने अपने हाथ में लिया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री का संकलन कर उसे पठनीय रूप में उपलब्ध भी किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, क्योंकि इसी प्रकार गत दो हजार वर्षों का हम भारतीय कला और उसके विकास का सम्पूर्ण इतिहास जान सकते है।

ललित कला अकादमी के प्रकाशन एक बहुत बड़ी माग की पूर्ति करेंगे। अतीत में यह एक बहुत बड़ी कमी रही है कि जनसाधारण का ज्ञान भारतीय कला के सम्बन्ध में और कला-प्रणालियों के बारे में बहुत कम था। अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तिकायें उस अज्ञान को दूर करने और कला के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने में बहुत सहायक होंगी। मै आशा करता हूं कि ललित कला अकादमी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होगी और जनसाधारण कला में अधिकाधिक रुचि लेने लगेंगे।

इन शब्दों के साथ मै इस तृतीय कला प्रदर्शनी का सहर्ष उद्घाटन करता हूं।

## 24

# राष्ट्र से उद्बोधन

भारतीय गणतन्त्र-दिवस की सातवीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों का अभिनन्दन करता हूं और अपनी शुभ कामनाएं उन्हें भेजता हूं। इस दिन खुशियां मनाने की और यह देखने के लिये कि विगत वर्ष में हमने कितनी सफलता प्राप्त की और आगामी वर्ष में संयत आत्म-विश्वास के साथ हम कैसे आगे बढ़ें, अतीत पर विहंगम दृष्टि डालने की परम्परा चली आयी है। हमारे जैसे देश के लिये, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र-निर्माण के कार्य में तत्परता से व्यस्त है, ऐसा अवसर अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे हमें अपनी शक्ति को आंकने का और आगामी वर्ष में किये जानेवाले कार्य को समझने का अवसर मिलता है।

हम सब जानते हैं कि हमारा ध्येय इस देश में कल्याण-राज्य की स्थापना है। आइये, हम देखे कि इस दिशा में हम कहां तक आगे बढ़े है। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद हमने योजना-बद्ध आर्थिक व्यवस्था पर अमल करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद हमने अपनी पहली पचवर्षीय योजना को चालू किया, जिस पर गत वर्ष कार्य समाप्त हो चुका था, और इसके स्थान मे दूसरी पंच वर्षीय योजना चालू की गई है, जिस पर इस समय अमल हो रहा है। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, पहली पंचवर्षीय योजना के कार्य-काल में वे प्राप्त कर लिये गये। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन, लक्ष्यों से भी अधिक रहा। उस योजना के परिणाम अब स्पष्ट दिखाई देने लगे है और जन-साधारण भी यह समझने लगे हैं कि देश उन्नत हो रहा है। कुछ नदी-घाटी योजनाएं जिन पर काम बराबर होता रहा है, अब आंशिक रूप में पूरी हो चुकी हैं। सतलुज, दामोदर, महानदी और तुगभद्रा जैसी विशाल नदियां जिनका नाम विनाशकारी बाढ़ों से जुड़ा हुआ है, अब बांधी जा चुकी हैं। नव निर्मित नहरों में इन नदियों का बढ़ता हुआ जल अब जनता की उभरती हुई आशाओं का प्रतीक है। यही हम जल-विद्युत योजनाओं द्वारा पैदा की गई बिजली के बारे में कह सकते है। जन-साधारण की दृष्टि में, उद्योगों को चलाने वाली और अन्धकारमय देहातों को अपनी ज्योति से जगमगाने वाली यह सस्ती बिजली हमारे राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है और हमारी योजनाओं की क्षमता का प्रमाण है।

किन्तु, वास्तव में शान्ति-पूर्ण सच्ची क्रान्ति हमारे दूरस्थ और अलग-अलग ग्रामों में हो रही है जिनमें आज नव-जागरण की गूज है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर अभिभाषण, 25 जनवरी, 1957

तथा सामुदायिक निर्माण कार्य-क्रम ने देहातियों के मानसिक क्षितिज को अधिक व्यापक बना दिया है और ये लोग इस राष्ट्रीय कार्य में स्वेच्छा से भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जैसे-जैसे यह कार्य प्रगति कर रहा है, हमारे देहाती भाई पुरानी रूढ़ियों को छोड़, नये विचारों और औज़ारों की सहायता से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज भी भारत की तीन-चौथाई आबादी देहातों में रह रही है। इसलिये देहातों की उन्नति से हमें बहुत आशा होती है।

औद्योगीकरण के क्षेत्र में भी हमने पिछले साल काफी प्रगति की है। दो बड़े इस्पात के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं और सभी दिशाओं में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने का कार्य-क्रम जारी है। भारी उद्योगों की स्थापना के अति-रिक्त, हम छोटे घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और प्रोत्साहन देने की दिशा में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इन छोटे उद्योगों की स्थापना और व्यवस्था सहल है, किन्तु, सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक संख्या में लोगों को रोजगार इन्हीं के द्वारा मिल सकता है। यह देखते हुए कि हमारे देश में साधारण जनता में, विशेषकर शिक्षित वर्गों में, बेरोजगारी बढ़ रही है, घरेलू उद्योगों का अत्यधिक महत्व है। बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम बेकार युवको को ऐसे धधो में लगाये जहा मशीनों द्वारा कारीगरों के हटाये जाने का भय नहीं। यही कारण है कि छोटे उद्योगों की आवश्यकता की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और पहली योजना की अपेक्षा दूसरी पंच वर्षीय योजना में इनके लिये कहीं अधिक धन की व्यवस्था की गई है।

गत वर्ष की एक महान् घटना बुद्ध जयन्ती के सम्बन्ध में आयोजित समारोह थे। स्वभावत. भारत इन समारोहों का केन्द्र रहा, क्योंकि बौद्ध मत का यही जन्म हुआ, यहीं भगवान बुद्ध ने उपदेश दिये और इसी देश से भिक्षु सभी दिशाओं में बुद्ध के सन्देश के प्रचारार्थ बाहर निकले। भारतीय स्वाधीनता के कारण कला तथा साहित्य सम्बन्धी जो जागृति पैदा हुई थी, उसे बुद्ध जयन्ती सम्बन्धी सार्वजनिक सभाओं, गोष्ठियों और प्रदर्शनियों से और भी बल मिला। यह हर्ष का विषय है कि आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ हम भारत में सांस्कृतिक चेतना के लक्षण भी देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्राचीन कला और साहित्य के हमारे विशाल भंडार की ओर सभी का ध्यान गया है।

हम यह कह सकते है कि देश के भौतिक साधनों को उन्नत करने, राष्ट्र की आय में वृद्धि करने और परम्परागत कला तथा साहित्य को पुनर्जीवित करने की दिशा में यथासम्भव सभी कुछ किया जा रहा है। इसके साथ ही हम यह भी कह

सकते हैं कि भारत में प्रजातन्त्र शासन प्रणाली अबाध रूप से प्रगति कर रही है। एक विशाल देश को अपने असंख्य नागरिकों का जीवन-स्तर उन्नत करने के लिये जिन अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमने उन सभी का सामना किया और कर रहे हैं, किन्तु फिर भी, पांच वर्ष हुए पहली बार आम चुनाव इस देश में हुए। यह संसार के सब से विशाल प्रजातन्त्र देश का चुनाव था। अपने संविधान के अनुसार अब हम दुहरे चुनाव की तैयारी में लगे हैं। जिस सफलता से हमने पहले चुनाव किये और दूसरे चुनाव करने की हम आशा रखते हैं, वह हमारे लिये श्रेयस्कर है। हमारे कटु से कटु आलोचक भी इस बात से सहमत होंगे कि भारत में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली की नीव गहरी जा चुकी है।

हमें खुशी है कि अपने सिद्धान्तों और दृढ़ धारणाओं के अनुसार विश्व-शान्ति और राष्ट्रों के बीच सद्भावना तथा मैत्री की स्थापना के लिये हमने इन दिनों विनम्र योगदान दिया। अहिंसा, तटस्थता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आश्रित पंच-शील का सिद्धान्त गत वर्ष संसार के अधिक राष्ट्रों को मान्य हुआ। यह सौभाग्य की बात है कि मिस्र की भूमि पर जो युद्ध आरम्भ हुआ था वह सीमित रखा जा सका और संयुक्त राष्ट्र तथा शान्ति-प्रिय राष्ट्रों के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप वहां अब विराम-संधि की सकी है।

इधर कुछ महीनों में इथोपिया के सम्राट, सीरिया के राष्ट्रपति, चीन के प्रधान मंत्री, दलाई लामा तथा पंचन लामा का इस देश में स्वागत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ।

स्वभावतः हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा देश सम्पन्नता के मार्ग पर अग्रसर है किन्तु हम सन्तुष्ट होकर नही बैठ सकते। प्रगति की घाटी से होकर जानेवाला मार्ग आवश्यक रूप से टेढ़ा-मेढ़ा और ऊंचा-नीचा होता है। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लक्ष्य द्वारा एक सूत्र में आबद्ध हमारे राष्ट्र को मजिल की प्राप्ति तक आगे बढ़ते जाना है। राष्ट्र-निर्माण के इस महान् कार्य में प्रत्येक नागरिक का सहयोग सर्वथा अपेक्षित है। आइये, आज के दिन हम यह प्रतिज्ञा करें कि भारत में जन-कल्याण, सुख तथा समृद्धि के नवयुग के उदय के लिये हम कुछ उठा न छोड़ेंगे।

एक बार फिर भारत के नर-नारी को आज के शुभ दिन, मैं अपनी मंगल कामनायें भेजता हूं।

।। जय हिन्द ।।

# प्रवासी भारतीयों से

आज के शुभ दिन जब हम भारतीय गणतन्त्र की सातवीं वर्षगांठ मना रहे हैं, विदेशों में प्रवास करनेवाले भारतीयो से कुछ शब्द कहने के अवसर का मैं स्वागत करता हूं। उन सभी भाइयों को मैं उनकी सुख-समृद्धि के लिए अपनी शुभ कामनायें भेजता हूं।

मैं प्रवासी भारतीयों को बताना चाहता हूं कि हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारी प्रगति भौतिक ही नही सांस्कृतिक भी है। अपने निर्माण-सम्बन्धी कार्यक्रम को पूरा करने मे हम कहा तक सफल हुए है, इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित कर चुके है और दूसरी योजना पर अमल हो रहा है, जिसमें उत्पादन के सभी क्षेत्रों में हमारे निर्धारित लक्ष्य और अधिक ऊंचे है। हमने अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखा है। वह आदर्श है देश में कल्याण राज्य की स्थापना करना, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को जीवन में निर्धारित न्यूनतम सुख-सुविधा प्राप्त हो सके और वह अभाव से मुक्त रह सके। हमारा रास्ता काफी लम्बा है और उस पर चलना सहल नहीं, किन्तु हमारा दृढ़ निश्चय और हमारे संविधान द्वारा दिए गए आदेश इस बात की गारंटी है कि हम कभी विचलित नहीं होंगे। राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि करने, निरक्षरता का उन्मूलन करने और नागरिको के बीच आर्थिक खाई को कम करने की दिशा में हमने जो व्यावहारिक कदम उठाए है, वे हमारी सदाशयता का प्रमाण हैं। हमारे देहात, जो अभी तक पिछड़े रहे है, अब जागृति के केन्द्र बनते जा रहे है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक निर्माण कार्यक्रम धीरे-धीरे हमारे देहातों की काया पलट रहे है।

भारत की परराष्ट्र नीति और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों मे हम जो भाग ले रहे है, उसके सम्बन्ध में मुझे अधिक नही कहना है, विशेषकर आप लोगों से जो भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फल और परिणाम को देश में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जान सकते है। जैसा कि आप जानते है, हमारी नीति तटस्थता की है, अथवा विश्व-शान्ति और मानव समाज की उन्नति के हित में सभी राष्ट्रों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार में हमारा विश्वास है। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि संसार की समस्याओं को सुलझाने का सर्वोत्तम साधन पंचशील का सिद्धान्त है। अपनी परराष्ट्र नीति में हम इन्हीं आदेशों से चालित होते है और इन पर अमल करने का भरसक प्रयत्न करते है। सौभाग्य से एशिया,

---

प्रवासी भारतीयों के लिए संदेश, नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1957।

यूरोप और अफ्रीका के बहुतेरे देश इस बात में हम से सहमत है और पंचशील मे आस्था रखते है ।

मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि विदेशों मे रहने के कारण आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी आती है । अपने प्रवास के देशों में निजी आचार व्यवहार द्वारा आप हमारी कार्यवाही, हमारी नीति और हमारे दावों को बल दे सकते हैं । मुझे विश्वास है कि अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में आप सदा अपनी मातृभूमि के गौरव को ध्यान में रखेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस से उसके गौरव को आंच आए ।

एक बार फिर इस खुशी के दिन मैं आप सब की सफलता की कामना करता हूं ।

# दूसरे आम चुनाव के बाद

संसद् के सदस्यगण,

आज मै पूरे एक वर्ष के बाद आपके सामने अभिभाषण कर रहा हूं। यह वर्ष हमारे देश के लिये और विश्व के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण रहा है। हम ऐसे समय एकत्र हुए हैं जबकि देश भर में आम चुनाव चल रहे हैं। और इनके परिणाम-स्वरूप नई संसद् की स्थापना होने जा रही है। इस संसद् के सम्मुख कुछ कहने का मेरे लिए यह अंतिम अवसर है। अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में आप में से कुछ नई संसद् में भी आयेगे और संभवतः कुछ सदस्यगण नई संसद् में नहीं आयेंगे। आपका कार्यक्षेत्र कहीं भी हो, मुझे इस में संदेह नहीं कि जो कुछ भी आप करेगे वह इस देश के निर्माण-सम्बन्धी महान् कार्य के हित में होगा। मैं आपके कार्य में सफलता और आपकी सम्पन्नता की कामना करता हूं।

2. पिछली बार जब मैंने आपके सामने अभिभाषण दिया था, तब से संसार ने, विशेषकर मध्यपूर्व ने, तनाव की स्थिति का सामना किया है और एक ऐसा संघर्ष भी देखा है जिसका अन्तिम रूप मिस्र पर आक्रमण हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संसार के जनमत के फलस्वरूप आक्रमणकारी सेनाओं को मिस्र से हटा लिया गया, किन्तु इस संघर्ष मे मिस्र को भारी क्षति ही नही उठानी पड़ी बल्कि ऐसे समय जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा था तनाव मे वृद्धि हुई। इन परिस्थितियों के कारण बहुत-सी समस्यायें पैदा हो गई हैं जिन्हे अब सुलझाना होगा। इन समस्याओं से हमारा भी गहरा सम्बन्ध है क्योकि विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में हमारी दिलचस्पी है और हमें अपने हितों की भी रक्षा करनी है। इसलिए इन कठिनाइयों को सुलझाने में हमने योगदान देने की चेष्टा की। इस प्रकार हमारे देश ने अपने ऊपर भारी दायित्व लिए हैं, जिन में संयुक्तराष्ट्र आपत्कालिक सेना में सम्मिलित होना भी शामिल है। यह सेना संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के निर्णय के अनुसार और आक्रमणकारी सेनाओं के वापसी-सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत सगठित की गई थी।

3. मध्य यूरोप में हंगरी में घटने वाली घटनाओं से हमें बहुत घबराहट हुई और दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी हमने विदेशी सेनाओं की वापसी के लिये और राष्ट्रीय आन्दोलनों के दमन के लिए उनके प्रयोग के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके साथ ही विभिन्न अवसरों पर इस समस्या का हल ढूंढ़ने

---

संसद् के समक्ष अभिभाषण, 18 मार्च, 1957

में हमने भरसक सहायता करने की चेष्टा की और हंगरी के लोगों की लाक्षणिक सहायता के रूप में उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की ।

4. विश्व शान्ति और सहयोग की संभावनाओं पर मध्यपूर्व की स्थिति की परछाई पड़ी है । उधर यातायात के लिए स्वेज नहर का खुलना बाकी रहता है । इस क्षेत्र मे सैनिक संधि की नीति ने राष्टों को आपस में बांट दिया है और एशिया में अधिकाधिक युद्ध सामग्री जुटाई जाने लगी है । फिर भी यह देख कर कि इस क्षेत्र में संघर्ष का और अधिक विस्तार नहीं हुआ हमे संतुष्ट होना चाहिये ।

5. भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेश, गोल्ड कोस्ट और इसके साथ अंग्रेजी शासन के अधीन टोगोलैंड का प्रदेश अब घाना नामक स्वतंत्र और सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्र के रूप में और राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में उदित हुआ है, इस बात से भारत सरकार और भारत की जनता को बहुत खुशी हुई है ।

6. हम संयुक्तराष्ट्र में सूडान, मोरक्को, ट्यूनिसिया, जापान तथा घाना के प्रवेश का स्वागत करते हैं । मंगोलिया के बराबर बाहर रहने और चीन क अधिकृत प्रतिनिधियों को संयुक्तराष्ट्र में स्थान न दिये जाने के कारण हमें क्षोभ होता है और इस स्थिति का प्रतिकार करने में हम बराबर प्रयत्नशील हैं ।

7. हम आशा करते है कि मलाया शीघ्र ही एक स्वतन्त्र देश बन जायगा और ऐसा होने से उपनिवेशवाद का प्रभाव और कम हो जायगा और एशिया मे राष्ट्रीय स्वाधीनता की सीमायें विस्तृत हो सकेंगी ।

8. संयुक्तराष्ट्र की साधारण सभा के 11वें सत्र में मध्यपूर्व, अल्जीरिया और साइप्रस-सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर होनेवाले विवादो में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने प्रभावोत्पादक और उपयोगी योगदान दिया है और इन समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल ढूढ़ने और कार्यप्रणाली तय करने में सहायता दी हे । निःशस्त्रीकरण का कार्य आगे नहीं बढ़ा है किन्तु संयुक्तराष्ट्र ने एकमत से अपने प्रयत्न जारी रखने और भारत के सुझाव समेत सभी सुझावों पर विचार करने का निश्चय किया है । भारत सरकार को खुशी है कि वह इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने मे सहायक हो सकी ।

9. हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेन्सी के प्रारम्भिक आयोग का सदस्य था । इसलिए हमें इस बात का संतोष है कि इस एजेसी की अब स्थापना हो गई है । हमारी यह कामना तथा आशा है कि अणुशक्ति का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों में होगा और विध्वंसक कार्यों में इसका प्रयोग बंद हो सकेगा ।

10. अपने पड़ौसी राष्ट्र नेपाल की यात्रा का मुझे सुख और सौभाग्य प्राप्त हुआ। उपराष्ट्रपति ने महामहिम नेपाल नरेश महेन्द्र वीर विक्रम शाह के राज्याभिषेक के अवसर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था। 'आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में नेपाल सरकार तथा वहां की जनता के प्रयत्नों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हमें खुशी है कि हम उनकी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने में टेकनिकल तथा आर्थिक सहायता दे सके।

11. भारत में बुद्ध जयन्ती-सम्बन्धी समारोहों के कारण हमें अपने देश में दलाई लामा तथा पंचन लामा और संसार के विभिन्न भागों के बौद्ध नेताओ के स्वागत का सुअवसर मिला। इस समारोह ने हमें और संसार को भगवान बुद्ध के शान्ति तथा करुणा के संदेश का फिर से स्मरण कराया। आज विश्व को इस संदेश की अत्यधिक आवश्यकता है।

12. अपने देश में अनेक सम्मानित आगन्तुकों का स्वागत करने और उनका परम्परागत आतिथ्य करने का भारत सरकार और इस देश के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे इन सम्मानित अतिथियों में महामहिम ईरान के शहनशाह तथा साम्राज्ञी, महामहिम इथोपिया के सम्राट, सीरिया के राष्ट्रपति, शुक्री-अल-कुवतली, कम्बोदिया के राजकुमार परमश्रेष्ठ नरीदम सिहनूक, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, नेपाल और डेनमार्क के प्रधान मंत्रीगण, जर्मनी के संघीय गणतंत्र के उपचांसलर, सोवियत संघ के उपप्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री, सूडान के उपप्रधान मंत्री और अमरीका, फ्रांस तथा ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री शामिल हैं। 1956 में संयुक्तराष्ट्र की साधारण सभा के अध्यक्ष, डा० जोज़ माज़ा और संयुक्तराष्ट्र के महामंत्री भी हमारे सम्मानित अतिथियों में शामिल थे। बर्मा, चीन, चेकोस्लोवाकिया, डेन्मार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नौर्वे, पोलैंड, स्वीडन, सीरिया, और युगेडा से संसदीय, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा सद्भावना-सम्बन्धी प्रतिनिधिमंडल भी हमारे देश में आए।

13. भारतीय उपराष्ट्रपति ने सोवियत संघ, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, बल्गारिया, पूर्वी अफ्रीका, केन्द्रीय अफ्रीकी संघ, इंडोनेशिया तथा जापान की यात्रा की और सभी देशों में उनका हार्दिक स्वागत हुआ।

14. राष्ट्रपति आइजनहावर के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से तथा अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधान मंत्री में विचार-विनिमय के फलस्वरूप हमारे दोनों देशों के बीच अधिक सद्भावना हुई तथा एक-दूसरे के दृष्टिकोण के समझने में सहायता मिली।

मेरी सरकार को विश्वास है कि इसके द्वारा पारस्परिक सम्मान तथा सद्भावना के आधार पर दोनों देशों में अधिकाधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा।

15. केनेडा के प्रधान मंत्री, श्री लुई सेंट लारां के निमंत्रण पर हमारे प्रधान-मंत्री ने केनेडा की यात्रा की। यह यात्रा केनेडा और हमारे देश के बीच सुखद सम्बन्धों को और दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। हमारे दोनों देशों में सदा निकट के और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं।

16. मेरी सरकार को खेद है कि दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति की समस्या को सुलझाने और अफ्रीकियों तथा भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध भेदभाव की नीति को दूर करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी। मेरी सरकार के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बार फिर इस समस्या पर विचार किया। बातचीत द्वारा इस समस्या का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सम्बद्ध सरकारों से फिर अपील की है। पहले की तरह भारत सरकार ने फिर स्वेच्छा से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

17. मेरी सरकार को हार्दिक खेद है कि गोवा अभी भी पुर्तगाली सरकार की औपनिवेशिक चौकी के रूप में बना है और वहां प्रत्येक प्रकार की स्वाधीनता का दमन किया जा रहा है और आर्थिक उन्नति अवरुद्ध है। मेरी सरकार की यह दृढ़ नीति है कि गोवा को औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्त होना चाहिए और भारत की स्वाधीनता मे साझेदार होना चाहिए।

18. मेरी सरकार को खेद है कि पाकिस्तान से इसके सम्बन्धों में बराबर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और पाकिस्तान मे भारत-विरोधी और जहाद के आन्दोलनों में कुछ भी कमी नहीं आई। भारत सरकार और देश के लोगों का दृष्टिकोण यह है कि हम घृणा का उत्तर घृणा से नही देंगे, किन्तु अपने न्यायोचित हितों तथा देश की रक्षा करते हुए दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने में प्रयत्नशील रहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लोगों की निकासी गत वर्ष बराबर होती रही और इस समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। कुल मिला कर पूर्वी पाकिस्तान से 40 लाख से ऊपर लोग भारत में आ चुके हैं और इन लोगों के आ जाने से हमारे देश पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर, भारी बोझ पड़ा है।

19. पाकिस्तान सरकार के आवेदन पर संयुक्तराष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में काश्मीर के मामले पर विचार किया गया। भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट और निर्विवाद शब्दों में व्यक्त की गई है, अर्थात् अक्तूबर, 1947 से जम्मू और

काश्मीर राज्य भारतीय संघ के दूसरे राज्यों की तरह देश का एक वैधानिक भाग रहा है और अब भी है। काश्मीर में जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण, अन्तर्राष्ट्रीय कानन और संयुक्तराष्ट्र द्वारा पास किये गये प्रस्तावों में निहित समझौतों की अवहेलना करके, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण और भारतीय संघ के भूभाग पर अवैध रूप से अधिकार कर लेना है। सुरक्षा परिषद् ने गत मास अपने तत्कालीन सभापति को भारत और पाकिस्तान की सरकारों से बातचीत करने के लिये इन देशों में भेजने का निश्चय किया। अपनी साधारण नीति के अनुसार भारत सरकार ने स्वीडन निवासी श्री यारिंग का, जिनके शीघ्र ही यहां आने की आशा है, स्वागत तथा उनका आतिथ्य-सत्कार करने की सहमति दी है।

20. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, जिसमें पहले सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे, अब कम आशाजनक दिखाई देती है। फिर भी हमारे देश के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बराबर बने हैं, यद्यपि विश्व की स्थिति में बिगाड़ का पूर्व के देशों के शान्तिपूर्ण सम्बन्धों, परस्पर सहयोग तथा आर्थिक विकास पर दूषित प्रभाव पड़ा है। शक्ति के संतुलन पर आधारित सैनिक गुटों की नीति के कारण विशेषरूप से एशिया में तनाव बढ़ा है, शस्त्रास्त्रों में वृद्धि हुई है और शीत-युद्ध के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मेरी सरकार की बराबर यह दृढ़ धारणा है कि शान्तिपूर्ण बातचीत और पारस्परिक समझौतों द्वारा ही विश्व की समस्याओं को ठीक और आशाजनक ढंग से सुलझाया जा सकता है।

21. गत वर्ष राज्यों के पुनर्गठन का कार्य समाप्त कर लिया गया और यह कार्य, जिसके कारण देश के कुछ भागों में दुर्भाग्यवश भावातिरेक के प्रदर्शन हुए, अब सम्पन्न हो चुका है। गत वर्ष ही पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि सफलतापूर्वक समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना को चालू किया गया। इस योजना में खाद्यों के उत्पादन पर पहले की तरह जोर दिया गया है किन्तु इसके साथ ही देश के औद्योगिक विकास, विशेषकर बड़े उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया है। सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का देहाती इलाकों में आश्चर्यजनक तेज़ी से विस्तार हुआ है। इन सेवाओं के अन्तर्गत अब दो लाख बीस हजार गांव और 12 करोड़ 90 लाख जनसंख्या आती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में छोटे और घरेलू उद्योगों की उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है।

22. खनिज पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप तेल की आशाजनक खोज हुई है और राजस्थान तथा बिहार में यूरेनियम धातु का पता लगा है। थोरियम

श्रौर यूरेनियम की भारी मात्रा में उपलब्धि के कारण इन धातुश्रों के हमारे ज्ञात साधन दुगुने से भी श्रधिक हो गए हैं। हमारे श्रणुशक्ति विभाग ने भी प्रगति की है श्रौर भारत का पहला श्रणु रिएक्टर गत वर्ष चालू हो गया। सोवियत संघ से बाहर एशिया में स्थापित होनेवाला यह पहला श्रणु रिएक्टर है।

23. दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष समाप्त होने वाला है। विगत वर्ष में कुछ कठिनाइयां हमारे सामने श्राई हैं। कुछ चीजों के भाव ऊंचे चढ़े हैं श्रौर विदेशी विनिमय के हमारे साधन संकुचित हो गए हैं। यह गतिविधि देश के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में बढ़ते हुए उत्पादन की परिचायक है। देश में धन लगाने पर जोर श्रौर श्रधिक उपभोक्ता पदार्थों की श्रधिक मांग त्वरित विकास की प्रक्रिया का श्रावश्यक श्रंग है श्रौर एक हद तक इस प्रकार का दबाव इस बात का द्योतक है कि विकास के हित में देश के साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। किन्तु हमें सावधान रहना चाहिए कि वह दबाव बहुत श्रधिक न होने पावे। भावों के चढ़ाव को रोकने के लिए श्रौर विदेशी विनिमय के साधनों के ह्रास की रोकथाम के लिये सरकार श्रावश्यक कार्यवाही करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ है।

24. इस दिशा में सरकार के सामने प्रमुख समस्या विदेशी विनिमय के साधनों की सुरक्षा तथा वृद्धि की है। जिस देश में मशीनें तैयार करने की काफी क्षमता न हो, उसे श्रौद्योगीकरण के लिए श्रावश्यक रूप से विदेशी विनिमय श्रधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। विदेशी विनिमय पूंजी में सहसा श्रधिक वृद्धि संभव नहीं, इसलिए देश के साधनों के विकास के हित में श्रारम्भ में विदेशी सहायता श्रावश्यक होती है। फिर भी श्रधिकाधिक विदेशी विनिमय उपार्जित करना श्रौर श्रायात में मितव्ययता से काम लेना प्रत्येक देश के लिए श्रनिवार्य है। श्रमरीकी सरकार से हाल में ही जो समझौता हम ने किया है श्रौर जिस के श्रनुसार हमें विपुल मात्रा में गेहूं, चावल श्रौर रूई उधार मिल सकेगा, उससे हमें चढ़ते हुए भावों को रोकने श्रौर श्रपनी योजना को श्रागे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हमें श्राशा है कि विश्व बैंक सरीखी श्रन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा मित्र देशों से भी हमें काफी वित्तीय सहायता मिलेगी। फिर भी यह निर्विवाद है कि विकास के कामों के लिये श्रावश्यक साधनों को हमें श्रपने बल पर ही जुटाना होगा श्रौर इसके लिए उत्पादन में श्रधिक से श्रधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से हमें जनता को संगठित करना होगा।

25. दूसरी योजना में श्रौद्योगीकरण श्रौर श्रर्थिक व्यवस्था के विविधी-करण को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिये खाद्य, कपड़ा श्रौर उद्योगों के

विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल-सम्बन्धी आधारभूत पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इस योजना में अधिक धन लगाने पर भी जोर दिया गया है और रोजगार के साधनों का विस्तार इसके प्रमुख उद्देश्यों में एक है। रोजगार के बढ़ाने और धन लगाने से जो आय होगी वह अधिकतर खुराक और कपड़े पर खर्च होगी। इसलिये इन दोनों चीजों के उत्पादन में वृद्धि द्वारा ही योजना को, मुद्राबाहुल्य का संकट उपस्थित किय बिना, आगे बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि विकास के क्षेत्र में हमारे प्रयासों का प्रमुख आधार है। इस काम के लिए जनता के प्रत्येक वर्ग के लोगों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

26. 1957-58 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सम्मुख रखे जायेंगे जिससे कि आप इस पर अपना मत देकर आलोच्य वर्ष के एक भाग के लिए खर्च करने की अनुमति दे सकें। इसके अतिरिक्त केरल राज्य के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के अंक आप का अनुमोदन प्राप्त करने के हेतु आपके सामने रखे जायेंगे।

27. संसद् का यह सत्र स्वल्प होगा और इसमें कोई बड़ा अथवा विवादास्पद विधान हाथ में नही लिया जाएगा। कुछ अध्यादेश जो विगत सत्र के बाद जारी किए गए थे संसद् के समक्ष रखे जायेंगे।

28. पांच वर्ष हुए इस महान् देश के मतदाताओं की प्रतिनिधि स्वरूप यह संसद् चुनी गई थी और इसने देश के कल्याण तथा प्रगति के लिए और विश्व में सहयोग तथा शान्ति स्थापन के लिये यत्न किया है। इस यत्न का सुखद फल हुआ है जिसे हम देश में चारों ओर देखते हैं। जो सफलतायें आपने इस अवधि में प्राप्त की हैं उन पर, संसद् के सदस्यगण, मैं आप को बधाई देना चाहता हूं। परन्तु हम में से कोई भी निश्चित हो कर बैठ नहीं सकता क्योंकि नवीन और सम्पन्न भारत के निर्माण की कहानी सदा घटित होती रहेगी, जिससे इस देश की जनता को सुख प्राप्त होगा और विश्व शान्ति तथा सहयोग के पक्ष को बल मिलेगा।

29. मैं आशा करता हूं कि भगवान बुद्ध का सन्देश, जिनकी जयन्ती हम ने हाल में ही मनाई थी, तथा हमारे राष्ट्रपिता की आत्मा हमें सत्प्रेरणा देती रहेगी।

# स्वर्गीय पं० मोतीलाल

बहनों और भाइयो,

मैं अपने लिये गौरव समझता हूं कि आज आपने मुझे इस चित्र को अनावरण करने का सुअवसर प्रदान किया ।

पंडित मोतीलाल नेहरू के जीवन के अन्तिम 10 वर्षों में उनको बहुत निकट से देखने और जानने का मौका मुझे मिला था । उन दस वर्षों में मैंने उनका वह रूप भी देखा जो उनके जीवन के अधिकांश भाग में व्यतीत हुआ था अर्थात एक अमीर की जिन्दगी, एक ऐसी जिन्दगी जिसमें हर प्रकार के सुख के सामान और हर तरह के वैभव की चीजें उनके चारों तरफ लोटती-पोटती थीं । मैंने वह दिन भी देखा जब उन्होंने एक बारगी अपने सारे जीवन को पलट दिया और अपने जीवन को पलट कर उन फकीरों के गिरोह में आकर मिल गये जिन्होंने उनक नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई में शरीक होने का निश्चय करके सब कुछ त्यागने के लिये अपने को तैयार कर लिया था ।

मुझे याद है कि पंडित जी एक बहुत बड़े मुकदमे में बिहार गये हुए थे । जिस मुकदमे में वह गये थे मै भी उनके नीचे उस मुकदमे में काम करता था और जो थोड़ी बहुत वकालत मैंने की उसके लिए अनुभव मुझे वहां ही मिला था । और जिस तरीक से वह अपना काम करते थे उसको भी मुझे देखने को मिला और जिस तरह से उस समय वह रहा करते थे वह भी मुझे देखने को मिला क्योंकि 10 महीने मैं उनके साथ काम करता रहा । वहां से ही वह कलकत्ते गये जहां कांग्रेस में पहले पहल असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था । पंडित जी का उन दिनों में तरीका था कि वह सिर्फ फस्ट क्लास में ही नहीं चलते थे बल्कि एक समूचा फस्ट क्लास का डिब्बा अपने लिये लेकर एक सीट पर जाकर बैठा करते थे । इसी तरह से वह कलकत्ते गये और फिर वहां से इलाहाबाद आये ।

फिर वह आराम और सुख को छोड़ने लगे । उस समय उस मुकदमे का काम खतम हो गया था । बम्बई में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठक थी जहां पंडित जी गये थे और मै भी गया था । वहां से पंडित जी इलाहाबाद के लिये रवाना हुए और मैं पटने के लिये रवाना हो गया । रास्ते में किसी स्टेशन पर मेरी उनसे मुलाकात हो गयी । मैं इन्टर क्लास में चल रहा था और वह सैकंड क्लास में थे । उन्होंने मुझ से पूछा कि किस क्लास में चल रहे हो । मैंने कहा कि मैं

---

लोक सभा भवन के केन्द्रीय कमरे में स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू के चित्र का अनावरण करते समय भाषण, 30 मार्च, 1957

इण्टर क्लास में हूं। इस पर उन्होंने मुझ से कहा कि अच्छा मैं फस्ट क्लास से नीचे की ओर सैकंड क्लास में आगया तो आप इन्टर से बढ़कर सैकंड में आ जाइये। इस तरह से हमने वह समय भी देखा जब वह सुख और आराम की जिन्दगी बिताते थे और फिर वह समय भी देखा जब उन्होंने सुख व आराम को छोड़ दिया और एक तपस्वी की जिन्दगी बिताने लगे। जो सारे देश के लोगों के लिये एक सुन्दर उदाहरण बन गया।

अभी डाक्टर राधाकृष्णन ने आपसे कहा कि किसी को पंडित जी ने कहा था कि मैं स्वराज्य नहीं ले सकूंगा। यह उनके अन्तिम समय की बात होगी। उसके पहले जब हम लोगों से उनकी बातें हुआ करती थीं, जिस समय असहयोग आन्दोलन का उतना जोर नहीं हुआ था, जिस समय उसका क्या परिणाम होगा दिखाई नहीं देता था, उस समय भी पंडित जी का इतना सख्त इरादा था कि उन्होंने मुझ से कहा था, आप लोग तो जवान हैं, मैं बूढ़ा हूं पर मैं भी प्रेसिडेंट होकर रहूंगा, जब हिन्दुस्तान को आजादी मिलेगी तो मैं पहला प्रेसिडेंट होऊंगा। दुर्भाग्य से उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी नहीं देखी।

उनका तरीका था कि जिस काम में वह लगते थे तो उसमें दृढ़ता से लग जाते थे और अन्त तक उसमें लगे रहते। मेरा यह भी सौभाग्य रहा कि उनका अन्तिम दिन भी देखने को मिला। 1930 में ऐसा इत्तिफाक हुआ कि गवर्नमेंट ने एक-एक करके हमारे सभी नेता पकड़ लिये। सब जेल में चले गये। किसी वजह से सरकार ने पंडित जी को छोड़ दिया और मैं भी बाहर रह गया था। उस समय इलाहाबाद जाकर मैं उनसे मिला और मुझे अकसर उनके साथ रहना पड़ता था क्योंकि वह मुझे बहुत जगहों में भेजा करते थे, बहुत बातों में सलाह मशविरा लिया करते थे। इस प्रकार से मैं 1930 के जून महीने तक बहुत करके इलाहाबाद उनके साथ रहा करता था और उनके गिरफ्तार होने के बाद मैं भी गिरफ्तार हो गया। पंडित जी बीमार हो गये और कुछ दिनों के बाद छोड़ दिये गये और मैं भी चन्द महीनों की सजा काटकर दिसम्बर महीने में बाहर नकला और पंडित जी का साथ फिर हुआ। उस समय हम लोगों का आन्दोलन ढीला पड़ रहा था और पंडित जी बहुत चिन्तित थे और बीमार भी थे। वह उस समय चन्द दिनों के लिये कलकत्ते गये और वहां मैंने देखा कि बीमारी की हालत में भी डाक्टरों के मना करने पर भी, हम लोगों के हाथ जोड़ने पर भी वह रात के 11, 12 बजे तक बैठ कर काम किया करते थे। वही बीमारी उनकी आखिरी बीमारी हुई और अन्त में उनका स्वर्गवास हो गया। वह इलाहाबाद से लखनऊ

ग्राये जहां उनकी हालत बिगड़ गयी। पंडित जवाहरलाल लखनऊ से उनको इलाहाबाद ले गये ग्रौर मैं एक दिन के लिये लखनऊ से पटना चला गया। दूसरे एक दिन के बाद मैं भी इलाहाबाद ग्राया जहां एक दिन के बाद उनका स्वर्गवास हो गया ।

उनका ऐसा जीवन था जिस जीवन से भारतवासी बहुत लाभ उही उठा सके यह दु:ख की बात है। पर जब तक उनकी स्मृति हम कायम रखेंगे वह लोगों को बताती रहेगी कि स्वराज्य के ग्रान्दोलन में इस तरह का त्यागी, इस तरह की तपस्या, इस तरह का परिश्रम उन्होंने किया था। वह यह बहुत बड़ी चीज हम लोगों के लिये छोड़ गये हैं जिससे ग्रानेवाली पीढ़ियां लाभ उठायेंगी। लेकिन सब से बड़ी चीज जो उन्होंने दी है वह है जवाहरलाल नेहरू जो सिर्फ इस देश के लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिये एक विभूति हैं। उनकी मूर्ति के द्वारा जो-जो उन्होंने किया, जीवन में सिखाया, पढ़ाया उसकी याद हमें ग्राती रहेगी ग्रौर उससे लाभ उठाकर ग्राज की नयी परिस्थिति में जो कुछ हम से मांग की जाय, जो त्याग ग्रौर तपस्या करने की ग्रावश्यकता हो वह हम उनके जीवन से सीखेंगे ग्रौर लाभ उठायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस चित्र का ग्रनावरण करता हूं ।

39

# बच्चों का चलचित्र

उन सभी चीजों की तरह जिन्हें हम शिक्षाप्रद कहते हैं, फिल्मों या चलते फिरते चित्रों का भी बच्चों के शिक्षण और विकास से सम्बन्ध है। फिल्मों में हम जो कुछ देखते हैं उसका मन पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। बच्चों पर तो यह प्रभाव और भी गहरा होता है। इसलिए बच्चों के लिए फिल्मों का विशेष महत्व है, परन्तु यह जरूरी नहीं कि बच्चों के लिए वे सभी फिल्में दिलचस्प, उपयोगी और हितकर हों जो बड़े-बूढ़ों को दिखलाई जाती हैं। इस बात को देखते हुए यह आवश्यक जान पड़ता है कि बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनके लिए अलग से फिल्में बनाई जायें। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में इस बात का यत्न किया जा रहा है। इसी काम के लिए बाल चित्र समिति की स्थापना की गई है।

ऐसे समय में जबकि शिक्षा के क्षेत्र में दिनोदिन उन्नति हो रही है और निरक्षरता के निवारण के लिए हमारा राष्ट्र तत्पर है, राष्ट्र-निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य में हमें बच्चों की फिल्मों से पूरी मदद लेनी चाहिए। सभी उन्नत देशों में फिल्मों को शिक्षा का उत्तम माध्यम माना जाता है। इस बात में सभी शिक्षा विशेषज्ञ एकमत हैं कि फिल्मों द्वारा बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास साधारण लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा कहीं अधिक आसानी से हो सकता है। यदि उचित फिल्मों का प्रदर्शन बच्चों की शिक्षा का एक अंग बना दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत लाभ हो सकता है। इस आवश्यकता की ओर फिर उद्योग और सरकार दोनों का ही ध्यान गया है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही हमारे देश में आवश्यक संख्या में बच्चों की फिल्में तैयार होने लगेंगी जिससे कि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से उन्हें स्कूलों और सिनेमाघरों में दिखाया जा सके।

बच्चों की फिल्में कैसी हों, इस बात का निर्णय बड़ों के हाथों में है, क्योंकि वयस्क लोग ही फिल्म बनाते और तैयार करते हैं। किन्तु फिर भी बच्चों की रुचि को जानना जरूरी है। हमें यह जानने का भी यत्न करना चाहिए कि कौनसी फिल्मों का उन पर कैसा प्रभाव पड़ता है।

"जलदीप", जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, बाल चित्र समिति द्वारा बनाया गया बच्चों का पहला मौलिक चित्र है। यह एक सुन्दर चित्र है और

---

बाल चलचित्र "जलदीप" के उद्घाटन के अवसर पर भाषण।

इसमें मनोरंजन, शिक्षा, जानकारी ग्रादि सभी उपयोगी बातों का उचित समन्वय है। मैं ग्राशा करता हूं कि यह चित्र सफल होगा ग्रौर बाल चित्र समिति इसी तरह के चित्र तैयार करती रहेगी।

## कलाकारों को राजकीय पुरस्कार

चीफ जस्टिस राजमन्नार, देवियो तथा सज्जनो,

मैं इस बात का गौरव मानता हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने फिर एक बार मुझे इस बात के लिये आमन्त्रित किया कि मैं यहां हाजिर होऊं और इस वर्ष के कलाकारों को आपकी तरफ से जो कुछ आपने देने का निश्चय किया है उन वस्तुओं को प्रदान करूं। जैसा अभी आपने कहा, मुझे यह सौभाग्य कई वर्षों से मिलता आ रहा है कि इस प्रकार की सभाओं में मैं आता हूं और इस प्रकार के पारितोषिकों को मैं दिया करता हूं।

हमारे देश में कलाओं की कमी नहीं है और जो कुछ थोड़ा भय हो रहा था कि समय के फेर से और देश के अन्दर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही थी जिनसे यह डर होता था कि शायद कलाओं के प्रोत्साहन में कुछ कमी हो जाये। इसलिये गवर्नमेंट के प्रति सबको अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिये कि उसने इन अकादमियों को कायम करके कलाओं को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया और जब से ये स्थापित हुई है विविध कलाओं को प्रोत्साहन देने में ये हर तरह से कामयाब हुई हैं। अब यह कहने की न तो जरूरत रही और न इसका मौका रहा कि" गुण ना हरानों गुणग्राहक ही हरानों हैं। अब गुणग्राहक भी मिल गये है जो गणियों को सारे देश भर से खोज करके निकालते हैं और सिर्फ छोटी-मोटी संस्थाओं की तरफ से नहीं, व्यक्ति विशेष की तरफ से नहीं बल्कि सारे देश की तरफ से उनके गुणों की प्रतिष्ठा की जाती है और उनको पारितोषिक दिए जाते है। यह बहुत ही अच्छा और सुन्दर काम हुआ है और मुझे इस बात का विश्वास है कि इस प्रकार से सभी प्रकार की कलाओं में अब अच्छी वृद्धि होगी, उन्नति होगी और सारे देश भर के लोग पूरी तरह से कलाकारों को जानने और समझने लगेंगे।

मैं जानता हूं कि पहले उत्तर के लोगों की दक्षिण के कलाकारों से न तो मुलाकात होती थी और न एक दूसरे को जानने और समझने का कुछ मौका मिलता था। यों जो बहुत बड़े गुणी हैं, जो बहुत बड़े गुणग्राहक है, वे सारे देश में घूम-घूम करके खोज करके ऐसे लोगों को निकाल लेते थे और उनसे स्वयं लाभ उठाते थे तथा उनको प्रोत्साहन देते थे। पर अब जिस प्रकार से सारे देश के कलाकारों को एक दूसरे से परिचय कराते हैं, एक दूसरे के गुण से लाभ उठाने का मौका देते है,

---

विज्ञान भवन में संगीत नाटक एकादमी की ओर से कलाकारों को पुरुस्कार बांटने के समय भाषण, नई दिल्ली, 31 मार्च, 1957

ऐसा पहले नहीं होता था और यह एक बहुत अच्छी और सुन्दर प्रथा हो गयी है कि हम समझ सकते हैं कि इस वर्ष किसको पदक मिले हैं और किस विशेष कला में कौन कलाकार समझे गए। मुझे आशा है कि इससे कला में खूब वृद्धि होगी और हर प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा।

इसलिये जब कभी मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं उससे लाभ उठाता हू और वहां हाजिर होकर जो कुछ भी मेरे जिम्मे काम दिया जाता है उसको पूरा करने का प्रयत्न करता हूं। साथ ही साथ कुछ लालच भी रहती ही है कि ज्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा कलाकारों के गुण देख लूंगा और कुछ देखकर, सुनकर लाभान्वित होता हूं। इसलिये यह मेरे ऊपर आपका एहसान है, मेरा आपके ऊपर है ऐसा नही समझिये। मैं आशा करता हूं कि यह काम जोरों से चलता रहेगा और हर प्रकार से गवर्नमेंट तथा देश की जनता कलाकारों को प्रोत्साहन देती जाएगी।

कला का भी समय-समय पर रूप बदलता जाता है और बदलता रहता है और आज की परिस्थिति में कोई आश्चर्य की बात नही अगर उसके रूप में कुछ परिवर्तन हो। पर उस परिवर्तन को वे ही लोग समझ सकते है जो स्वयं कला का ज्ञान रखते हों। मैं तो आशा रखता हू कि अब सारे देश की कला केवल रूढ़ीवाद पर ही नही चलेगी बल्कि उनके अपने नये रास्ते निकलेंगे और नये प्रकार से और आगे बढ़ती जायेंगी। इस काम में इन अकादमियों के जरिये से काफी मदद, काफी सहायता मिलेगी ऐसी मेरी आशा है। इसलिये उन कलाकारों को जिन्होंने पारितोषिक पाये है अपनी ओर से तथा आप सब की ओर से मुबारक-बाद देना चाहता हू और आशा करता हूं कि उनकी कला से दूसरे लोग लाभान्वित होंगे। जो अभी नवसिखुए है उनको अपने को वैसे ही कलाकार बनाने में मदद मिलेगी जैसे वे उपाधिधारी है जिनको आज पारितोषिक तथा प्रमाण पत्र मिले है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार और आपको धन्यवाद और उनको बधाई देता हू।

43

# महावीर जयन्ती के अवसर पर

सभापति महोदय, सज्जनो और देवियो,

मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि आपने मुझे इस समारोह में आज शरीक होकर भगवान महावीर के सम्बन्ध में कुछ सुनने और कुछ जानने का सुअवसर दिया। मुझे याद है एक बार और भी मैं ऐसे समारोह में शरीक हुआ था और वहां भी मुझे इसी प्रकार का उपदेश सुनने को मिला था। मैं स्वय इन तत्वों के सम्बन्ध में न तो कुछ जानने और न कहने का दावा कर सकता हूं। एक कर्मठ मामूली आदमी की तरह अपनी सारी जिन्दगी जिस काम में लगा दी है उसकी मूल उसी अहिसा में है जिसे भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने और हमारे देश के दूसरे मुनियो और आचार्यों ने समय-समय पर हमको सब सिखाया था। आज हम संसार के सामने स्वतन्त्र होकर अगर किसी चीज को लेकर जा सकते है और अपना सिर ऊंचा उठाकर दावे के साथ कह सकते है कि आज उन सब मुसीबतों की, उन हर प्रकार की बुरी ताकतो की कुजी हमारे पास है जो सारी दुनियां को सता रही है तो मै समझता हूं कि यह कोई अत्युक्ति नही होगी। यही कारण है कि यद्यपि आज हम ठीक उसी रूप में नही, ठीक उन बंधनों के बीच में नही रह कर जो भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने और दूसरे आचार्यों ने अपने समय में हमे बताये थे, आज भी अहिसा को संसार के सामने रखें जो आज की परिस्थिति के अनुकूल हो तो हमारी बातों को आज दुनियां सुनने को तैयार है और तैयार क्यों न हो। एक ओर विज्ञान ने मानव समाज के हाथ में ऐसे अस्त्र-शस्त्र दे दिये है। जिनका प्रयोग मानव समाज मात्र को एक दिन में खतम कर देने की शक्ति रखता है, साथ ही साथ उसी विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में ऐसे यन्त्र भी दिये है जिन यन्त्रों के द्वारा मनुष्य अपने शरीर द्वारा जो परिश्रम लगाता है या लगा सकता है, उस परिश्रम से मनुष्य अपने को बहुत हद तक बचाकर उन साधनों को जुटा सकता है जिन साधनों के द्वारा शरीर को आराम मिल सकता है। इन दोनों चीजों को विज्ञान ने हमको दिया है, एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा हम ऐहिक सुख अतुलित परिमाण में प्राप्त कर सकते है और ऐसी शक्ति भी दी है कि जिसके द्वारा हम चाहें तो केवल उस सुख के सामान को ही नही बल्कि अपने को भी समाप्त कर सकते है। मनुष्य के सामने आज यही प्रश्न है कि वह इस शक्ति का कैसा उपयोग करेगा। हमारे देश के मुनियों ने,

---

**महावीर जयन्ती के अवसर पर लेडी हार्डिंग कालिज के सामने हाकी ग्राउन्ड में भाषण, 12 अप्रेल, 1957**

आचार्यों ने, अवतारों ने, भगवान ने हमको कई प्रकार से सिखाया है, बताया है और मौलिक चीजें जो उन्होंने हमें बतायी हैं उन सब का आशय यही रहा है कि जब तक मनुष्य अपने सुख के लिये बाहरी साधनों पर भरोसा करता रहेगा, उस सुख को या यों कहे कि उस तत्व को अपने अन्दर नहीं खोज कर बाहरी सामान में खोजता रहेगा तब तक उसको सच्चा सुख नही मिल सकता है। बल्कि हो सकता है कि सच्चे सुख के बदले उसका दु:ख और भी बढ़ जाये। आज यही हुआ है।

हमने, संसार के वैज्ञानिक लोगों ने और विज्ञान को मानने वालों ने सभी लोगों ने ऐहिक सुख को ही अधिक महत्व देकर उसके लिये ऐसे समान जुटाने का प्रबन्ध सोचा और किया है जिनका प्रयोग आज के पहले मानव समाज ने नही किया था और जैसे-जैसे सामान जुटाने की शक्ति बढ़ती गयी है, सामान की भूख भी बढ़ती गयी है। 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई'। जैसे-जैसे लाभ हुआ, वैसे-वैसे लोभ भी बढ़ता गया और आज अगर हम दिल्ली मे हैं तो हमको इतने से सब्र नहीं है कि दिल्ली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैदल चलकर दो घण्टे में अपने पैरों पर पहुंचे तो उसके लिये तांगा बनवाया और दो घण्टे के बदले आधे घण्टे में, ४५ मिनट में पहुंचना सम्भव भी हुआ। और अब तो मोटर-गाड़ी के जरिये से आध घण्टे के बदले दो चार मिनट के अन्दर ही एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचे सकते हैं। यह छोटे दायरे की बात है। इसी चीज को बड़े दायरे पर लें तो दिल्ली से लन्दन हम २४ घण्टे में पहुंच सकते हैं। मोटर-गाड़ी से शायद रेल गाड़ी कुछ तेज चलती है। तो जहां हम दिल्ली से कलकत्ता रेल द्वारा २४ घण्टे में पहुंचते हैं, हावई जहाज से तीन साढ़े तीन घण्टे में ही पहुंच सकते हैं। हम रोज अखबारों में देखते है कि उसकी गति बढ़ती ही जा रही है और जहां आज हवाई जहाज से दिल्ली से कलकत्ता जाने में तीन घण्टे लगते हैं वहां कल शायद एक घण्टा या आधा घण्टा ही लगे। तो जैसे-जैसे हमारी मांग पूरी होती जाती है, हमारी मांग बढ़ती भी जाती है। सुरसा के मुंह की तरह जैसे-जैसे उसको फैलाने का प्रबन्ध किया जाता है वैसे-वैसे वह मुंह और भी चौड़ा होता जाता है। तो अगर हम सच्चा सुख चाहते हैं तो हमें वाह्य वस्तुओं के ऊपर भरोसा नहीं करके अन्तर-मुखी होना चाहिये और हमें सोचना होगा और देखना होगा कि किस हद तक हम उनके द्वारा जिनको हम सुख मानते है हम पा सकते है। और जब हम यह देखते हैं कि उस शक्ति से हमारा सर्वनाश भी हो सकता है तो और भी सोचने की आवश्यकता होती है कि उस शक्ति पर कहां तक हम भरोसा कर सकते हैं।

यहां पर ही अहिंसा का महत्व समझ में आ सकता है। भारत और देशों के मुकाबले में जहां तक अस्त्र-शस्त्र की शक्ति का सवाल है कमजोर है। यह अपनी फौज के बल से, अपने अस्त्र-शस्त्र के बल से किसी भी बड़े देश का मुकाबला नहीं कर सकता है। मगर साथ ही आज हमारी बातें सुनी जाने लगी हैं। उसका कारण यही है कि जिनके पास ये शक्ति हैं वे खुद घबड़ा रहे हैं कि ये शक्तियां उन्हीं पर काबू कर लेंगी और वे नहीं जानते कि कहां तक वे उन शक्तियों पर काबू रख सकेंगे। आज समूचे समाज के सामने, मानव मात्र के सामने बड़ा सवाल यही है कि मनुष्य उन शक्तियों को काबू में रखे नहीं तो ये शक्तियां उन पर हावी हो जायेंगी और वे किसी काम के लायक नहीं रह जायेंगी और उसको अपना विनाश देखने को मिलेगा।

भगवान महावीर, जैसा आपसे कहा गया है, २५०० वर्ष पहले बता गये थे कि सब को अपनी तरह समझो, समझो कि जिस तरह तुमको तकलीफ होती है, कष्ट पहुंचता है उसी तरह से दूसरों को भी तकलीफ होती है और कष्ट पहुंचता है और यह बात केवल मनुष्य मे ही नही हो, मनुष्य तर जानवरों में भी हो, जानवरों मे ही नही, जानवरों से भी आगे बढ़कर जो दूसरे पदार्थ है उनमें भी थोड़ी बहुत चेतना शक्ति होती है, उको भी तकलीफ पहुंच सकती है, उनको भी आराम महसूस हो सकता है। अगर यह विचार हमारे देश में बढ़ जाये और अगर हम यह सोचें कि हमें तकलीफ नही उठानी चाहिए और अपने कष्ट का निवारन करना चाहिये तो यह खयाल आये बिना रह नहीं सकता कि हम दूसरों को कष्ट नही पहुचायें और तकलीफ नहीं दें। अहिंसा का अगर मामूली शब्दों में व्याख्या करना चाहें तो वह यही है कि जो चीज हम अपने लिये पसन्द नहीं करते उसको दूसरों के लिये भी पसन्द न करें और जिस चीज से हम खुद बचना चाहते हैं उससे दूसरों को भी बचायें और समझें कि जिस चीज से हमें सच्चे आनन्द का अनुभव होता है उससे दूसरों को भी आनन्द का अनुभव होता है। इस तरह से संसार भी सोचने लग गया है। अभी यह कहना ठीक नहीं है कि संसार ने इस तत्व को समझ लिया है। पर बहुतेरों के दिमाग में इस तरह की भावना काम नहीं कर रही है और हो सकता है कि समय पाकर ये भावनायें कार्य का रूप धारण कर लें और मानव समाज एक दूसरे रास्ते पर चलना सीख ले। यही सिखाने का प्रयत्न भगवान महावीर ने किया था और अगर आज तक हम ने अथवा मानव समाज ने उसको पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उस सिद्धान्त में कुछ त्रुटि है। उसका अर्थ इतना ही मात्र है कि हम उसको अपने जीवन में नहीं

उतार सके। उसका यह भी अर्थ नहीं है कि जीवन में उतारने की शक्ति हम में नही है। वह शक्ति भी मौजूद है, उसका उपयोग हम ने नहीं किया है।

दूसरी चीज जिसकी कमी अभी संसार में है, सच पूछिए तो इस देश में भी, और देशों की बात तो अलग रहे, वह यही है कि हम जब अहिंसा की बात करते हैं तो उस अहिसा को मनुष्य तक ही सीमित रखना चाहते है और हम यह मानते है कि अगर एक मनुष्य को बचाने के लिये मनुष्येतर अनेकों जानवरों की हिसा भी करनी हो तो उसे एक तरह से वैध समझ लेना चाहिये। आज का जैसा समाज है वह मनुष्य समाज से ऊपर नहीं उठ सकता है और इसलिये अहिंसा की भावना अभी हृदय के अन्तस्थल तक नही पहुंच सकती है। लेकिन इसमे निराश होने की बात नही है। मै समझता हूं कि आज संसार के देशों में, बड़ी-बड़ी फौज वाली देशों में किसी के दिल में ध्यान भी नही आता होगा कि इस प्रकार की फौज के बिना हम संसार में शान्ति रख सकते है, शासन कर सकते है। मगर आज बहुतेरों ने इस बात को समझ लिया है, चाहे हम उसको पूरी तरह से समझे हों या नही समझे हों, अगर समझे भी हो तो उस पर पूरी तरह से अमल कर सकते हों या नहीं कर सकते हों, मगर इसमें कोई शक नही कि वह समय जल्द ही आनेवाला है जब इस प्रकार की शक्ति पर भरोसा छोड़कर आपस के मेल, सद्भावना और मैत्री पर अधिक भरोसा करना होगा और जैसे-जैसे इस तरह का विचार मानव समाज के हृदय में जागृत होता जायगा वैसे-वैसे हम देखेंगे कि उसकी सीमा मनुष्य मात्र तक नहीं रहकर अन्य जन्तुओं तक पहुंचेगी और अहिसा का दायरा बढ़ता ही जायगा। ऐसे आज अहिंसा के सेवक है जिन्होंने उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है, जिनकी तपस्या ने उनको उसके योग्य बना दिया है, उनका धर्म हो जाता है कि जो कुछ उन्होंने पाया है, हासिल किया है उसको दूसरों में बांटें और अहिसा आखिर है तो यही कि अच्छी चीजों को सब लोगों में बांटा जाये। तो अहिसा से और कोई बड़ी चीज हो नहीं सकती। इसलिये उसको सब लोगो में बांटना है। बांटने का अर्थ यह नहीं है व्याख्यान द्वारा बांटें, पुस्तकों में जो कुछ लिखा गया है उसको बांटें। उससे भी अधिक अच्छा उसको बांटने का तरीका यही है कि उसको आप अपने जीवन में मनसा, वाचा, कर्मणा उतारने का प्रयत्न करें और तब आप जानें कि उसकी शक्ति बहुगुणी होकर फैलेगी और एक दिन सारे संसार को आच्छादित करेगी। इसी आशा और अभिलाषा को लेकर सब अहिसाव्रतियों को काम करना है।

आपके जैन साहित्य में न मालूम कितने ग्रन्थ पड़े हैं जिनका प्रकाशन भी नही हो पाया है और जिनका प्रकाशन नहीं होने से वे सब लोगों को सुलभ नही होते।

मैं चाहूंगा कि आप उन ग्रन्थों को जहां तक हो सके शीघ्रतापूर्वक और अगर हो सके तो ऐसी टीका टिप्पणी के साथ, अनुवाद के साथ प्रकाशन का प्रबन्ध करें जो जन साधारण को पढ़ने को मिले और वे जिनका लाभ उठा सकें । यह काम हो रहा है मगर जितनी तेजी से मैं चाहूंगा उतनी तेजी से यह काम नहीं हो रहा है । चूकि यहां बहुतेरे जैन भाई बहन उपस्थित हैं मैंने विचारा कि इस बात को आप सब के सामने रख दूं । आखिर कोई किसी भी सिद्धान्त को अपनायेगा तभी जब वह उसको थोड़ा बहुत समझ सकेगा, जब उसकी बुद्धि उसको थोड़ा बहुत ग्रहण कर सकेगी और अगर सच पूछिये तो जो बुद्धि को ग्राह्य हो तो उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है । इसलिये जहां तक हो सके प्रकाशन के काम के जरिये से, अपने जीवन के द्वारा मनसा, वाचा, कर्मणा लोगों को बताने की जरूरत है । मैं आप सब भाइयों और बहनों का आभारी हूं कि जैसा मैंने आरम्भ मे कहा, आपने मुझे यह अवसर दिया । मैं चाहूंगा कि आप जैन मत के प्रचार का काम और भी जोरों से चलावें ।

मगर इस प्रचार मे एक बात की ओर आप जरूर ध्यान दें । वह यह है कि इसमें कहीं भी वैमनस्य नहीं आने पावे, किसी पर आक्षेप का कोई पता नही लगने पावे । सब को केवल बहस से, तर्क से जीतने का प्रयत्न नहीं करके, उससे भी अधिक अपने प्रेम से जीतने का प्रयत्न करे । मुझे आशा है कि इस काम में आपको सफलता मिलेगी और वह सफलता केवल किसी विशेष समाज के लिये ही नहीं, केवल भारतवर्ष के लिये ही नहीं, मानव मात्र के लिये अत्यन्त आवश्यक है और सच पूछिये तो अनिवार्य है । मगर मानव समाज को रहना है तो इस देश के सामने, विशेष करके अहिंसावादियों के सामने एक चुनौती आ गयी है उनको उठानी चाहिये और ऐसे रूप में अहिंसावाद को रखना चाहये कि संसार उसको समझ सके और ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार सके । मेरी आप सब से यही प्रार्थना है और मैं आपको एक बार और भी धन्यवाद देना चाहता हूं ।

# फिल्मों का समाज पर व्यापक प्रभाव

डाक्टर केस्कर, बहनों और भाइयो,

मुझे आपने एक बार और यह मौका दिया कि मैं इस समारोह में शरीक हो सकूं इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हर साल इसी ख्याल से आया करता हूं कि मैं देख सकूं कि इस काम में कैसी प्रगति हो रही है और किस तरह से आपका काम आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि हर साल कुछ न कुछ उन्नति और तरक्की देखने को मिलती है।

फिल्म का मामला ऐसा है कि उसका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ता है और उसकी लोकप्रियता आज इतनी है कि मैं समझता हूं कि शायद और कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं होगी जो उतनी लोकप्रिय होगी। उसका एक प्रमाण यही है कि आज यहां फिल्मों को पारितोषिक मिलते देखने के लिये अभी इतनी बड़ी तायदाद में लोग इकट्ठे हुए हैं कि इस बड़े भवन को आपने भर दिया है और मैं समझता हूं कि यह बात केवल यहां ही नहीं है, जितनी ऐसी जगहों पर फिल्मों को दिखलाया जाता है, वह चाहे दिन में हो, रात में हो, एक बार तमाशा दिखलाया जाये या दिन रात में चार बार दिखलाया जाये, और कोई ऐसा मौका नहीं होता जब पूरा भवन भरा नहीं रहता हो और उसमें हर तरह के लोग शरीक होते है, उसमें जाकर मन-बहलाव के लिये पहुंचते है। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, अमीर और गरीब, पढ़े लिखे लोग तथा अनपढ़ मजदूर सब तरह के लोग फिल्मों को जाकर देखते हैं और उनसे जो कुछ लाभ या नुकसान उनको मिल सकता है वे लेते है। इस तरह से फिल्मों के बनानेवालों का एक बड़ा दायित्व हो जाता है कि वे ऐसे फिल्मों को तैयार करावें जिनका असर लोगों के दिल पर अच्छा पड़े, जिसकी वजह से लोगों मे सद्भावना जागृत हो जो सद्भावना देश के प्रति हो और एक दूसरे के प्रति हो।

फिल्मों के जरिये से आज सारे संसार में शिक्षा बहुत प्रकार से दी जाती हैं। मगर अभी तक हमारे देश में उसका इतना प्रचार नहीं है जितना शायद और देशों में है। मगर हम दखते है कि शिक्षा के लिये अब फिल्मों पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है और यह भी स्पष्ट है कि उसके जरिये से बहुत लोगों को जो अक्षर ज्ञान नहीं रखते हैं उनको शिक्षा मिलती है। इसलिए फिल्मों को इस तरीके से बनाना चाहिये कि चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अमीर हो चाहे गरीब हो उन पर उसका प्रभाव अच्छा पड़े। यह खुशी की बात है कि हमारे

---

1956 में बन सर्वोत्तम चल चित्र को पुरस्कार देत समय भाषण, नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1957.

देश में यह कारबार बहुत बढ़ गया है और मैं समझता हूं कि तीस पैंतीस करोड़ रुपये की पूंजी इस व्यापार में लग गयी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं और इसमें और पूंजी लगती जाती है ऐसा अनुमान भी है। व्यापार की दृष्टि से भी जो फिल्मों को तैयार करते हैं उनको देखना और सोचना है कि वे उससे लाभ उठा सकें मगर साथ ही उनको यह भी सोचना चाहिये कि केवल अपने काम को नहीं देखकर सारे देश के लाभ को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिये। हो सकता है कि इस तरह के फिल्मों से बनानेवालों को अधिक लाभ नहीं हो जिसका असर देखनेवालों पर अच्छा पड़ता है और ऐसे फिल्मों से लाभ होता हो जिनका असर अच्छा नहीं पड़ता है। पर बनानेवालों का धर्म है कि वे अपने लोभ का संवरण करें और इस काम में अपनी बुद्धि और अनुभव को इस तरह से लगावें कि देश को भी उससे लाभ हो और साथ-साथ उनको भी लाभ हो। मेरा अपना ख्याल है कि अपनी बुद्धि और अनुभव वे इस तरह से लगायेंगे तो उससे उनको भी लाभ होगा और देश का भी कल्याण होगा और गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रबन्ध किया जा रहा है और इस तरह से पारितोषिक देकर अच्छी-अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने का जो प्रबन्ध किया गया है उससे सब लोगों को यह भी पता चलेगा कि किस तरह की फिल्मों को ऐसे लोग जो उस सम्बन्ध में सोच सकते है, विचार सकते हैं, जिनको अनुभव है अच्छा समझते हैं और किन फिल्मों के सम्बन्ध में उनका कैसा विचार है और साथ ही लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

बच्चों को दिखलाने के लिये अभी हमारे यहां काफी फिल्में नहीं बनी है और जो बनी भी है वे ऊंचे दर्जे की नहीं बनी हैं। मुझे आशा है कि जैसे-जैसे यह काम बढ़ता जायेगा फिल्मों की जो कमी होगी वह तेजी से दूर होती जाएगी और उसकी अच्छाई दिन प्रति दिन बढ़ती जाएगी।

जिन लोगों को अभी पारितोषिक मिले हैं...... अभिनेता तथा अभिनेत्री को और जिन्होंने व्यापार के रूप मे यह काम पूरा किया है दोनों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और मै आशा करता हूं कि एक कमी जिसकी ओर डाक्टर केस्कर ने ध्यान दिलाया उस कमी को भी आप अपनी बुद्धि लगाकर दूर कर सकेंगे और आप इस देश में ऐसे फिल्म दिनोंदिन अधिक संख्या में तैयार करते जायेंगे जिससे लोगों का मन बहलाव भी हो और जिससे उनको शिक्षा भी मिले। इन शब्दों के साथ मैं पारितोषिक पानेवालों को बधाई देता हूं और जिन लोगों ने परीक्षा करके फिल्म को चुनने में समय लगाया है, विशेष कर श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख को धन्यवाद देता हूं और साथ ही गवर्नमेंट को भी इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वह इस काम में दिलचस्पी ले रही है और प्रोत्साहन दे रही है।

# बच्चों का विशेष चिकित्सालय

बहनों और भाइयो,

मुझे बच्चों को आपने दिखलाया और किस तरह से उनको शिक्षा मिल रही है और जो उनके शरीर में कमजोरी या कमी है उसको दूर करने का क्या प्रयत्न आप कर रहे हैं यह सब थोड़े समय में मैंने देखा। मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और यह आशा होती है कि इस तरह के बच्चों के लिये भी जिनको ईश्वर ने किसी चीज में कमजोर बना दिया है आशा हो सकती है और वह भी सुधर सकते हैं और बन सकते हैं।

इस तरह की संस्था जो ऐसे बच्चों की सेवा कर रही है और उनको सुधारने और बनाने में मदद कर रही है हर तरह से सहायता के योग्य है और मैं आशा करता हूं कि आप जिस तरह से काम कर रहे हो उसमें आपको सहायता हमेशा मिलती रहेगी सहायता की कमी की वजह से आपके काम में न तो कमी होगी और न काम कभी रुकेगा क्योंकि यह काम ऐसा है जिसमें केवल वे ही लोग नहीं जिनके बच्चों का यह दुर्भाग्य है रस लेंगे बल्कि ऐसे लोग भी जो हृदय से ही दयाशील हैं और जिनको ईश्वर ने कुछ पैसे दिये हैं उनको ऐसे काम में दिलचस्पी लेनी चाहिये और मदद करनी चाहिये।

उनके अलावा और जो संस्थाएं हैं, जैसे गवर्नमेंट की संस्था है या और कोई संस्था हो जैसे सेवक समाज की संस्था है, इस तरह की संस्थाओं के लिये इस तरह के काम में दिलचस्पी लेना सिर्फ मुनासिब ही नहीं है बल्कि एक प्रकार से उनके लिये फर्ज भी है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके इस काम मे चारों तरफ से मदद भी पहुंच रही है और अगर अभी कोई कमी है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उत्साहपूर्वक अपना काम चलाते जाइये और जो आपकी जरूरतें होंगी वे किसी न किसी तरह से पूरी होती जायेंगी।

यह कोई कम बात नहीं है कि यहां आपने 3, 4 साल के अन्दर इतना काम कर लिया है। जितने बच्चों को आप यहां रखते हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं उनमें से कुछ तो अपने घरों से आते हैं पर उनमें से अधिकांश तो आपके यहां ही रहते हैं और रातदिन उनकी देखभाल करना, उनको सम्भालना, उनको खिलाना-पिलाना ही आपका काम नहीं है बल्कि उनको शिक्षा भी देना, कुछ ऐसी चीजे भी सिखा देना कि सयाने होने पर और यहां से निकलने पर वे अपने गुजारे के लिये कुछ

---

भारत सेवक समाज के औक्यूपेशनल थेरैपी इन्स्टीट्यूट, क्वीन्सवे, का निरीक्षण करते समय भाषण, नई दिल्ली 10 मई, 1957

पैदा भी कर सक । यह बहुत बड़ा काम है । इसलिये मुझे इस बात का भरोसा है कि आप ऐसे लोगों तक पहुंचते रहेंगे और उनको अपना काम, दिखलाते रहेंगे तो आपके काम में सब प्रकार के लोगों की दिलचस्पी रहेगी और सभी आपकी मदद करते रहेंगे ।

और मैं दूसरा क्या कहूं । मै इन बच्चों के साथ सहानुभूति रखता हूं । पर जो शिक्षक यहां लगे हुए है उनके साथ मेरी सहानुभूति है क्योंकि वे एक ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमे मनुष्य मामूली तौर से घबड़ा जा सकता है और जिसमें ऐसे बच्चों के साथ दिन रात रहकर अपने को हमेशा खुश रखना और उत्साह से भरा रखना कोई मामूली और आसान काम नही है । यह तो उनके लिये एक बड़ी प्रशंसा की बात है कि वे इतनी दिलचस्पी के साथ, इतने उत्साह के साथ इस काम को करते जा रहे हैं ।

उसके अलावा यह बात भी है कि जहां पर आप इस संस्था को चला रहे हैं यह जगह आपको मिल गयी है मगर मुझे ऐसा मालूम होता है कि ऐसी संस्था के लिये यह जगह हर तरह से मौजूं नहीं है । इसके लिये खुली जगह होनी चाहिये, कुछ मैदान होना चाहिये, बाग, बगीचे अगर हो सकें तो चारों तरफ से होना चाहिये जिससे लड़कों का दिल बहलाव हो और जिसको देखकर वे खुश रहें । तो यह जगह शहर के बीच में है । तो शहर से निकल कर शहर के आस-पास में, शहर के कुछ दूर निकलकर जहां ऐसी जगह मिल सकती है ली जा सके और उसके लिये जरूरी इमारतें भी बनवा लें और बाग, बगीचे भी लगा सकें जहां आप बच्चों को भी रख सकें, ठहरा सकें तब यह काम और भी आगे बढ़ेगा । मैं तो यही कहूंगा कि जिस उत्साह के साथ काम हो रहा है उसी उत्साह के साथ काम होता जायेगा तो आपको हर तरह की सहायता मिलती जायेगी और जब हर तरह की सहायता मिलेगी तो आपके उत्साह बल से काम बढ़ेगा ।

मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना काम कर लिया और जो कुछ आप चाहते हैं उसको आप पूरा कर सकें यही मेरी मनोकामना है और यही मेरी प्रार्थना है

# द्वितीय संसद् का उद्घाटन

संसद् के सदस्यगण,

देश के लगभग 20 करोड निर्वाचकों द्वारा चुने गए आप लोगों ने और राज्यों के विधानमण्डलों के सदस्यों ने, हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार, एक बार फिर इस गणराज्य के राष्ट्रपति के उच्च पद के लिए मुझे चुना है। मैं इस आदर से पूरी तरह अभिज्ञ हूं और आपने जो विश्वास मुझ में प्रकट किया है उसके लिए आपका आभारी हूं। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि जिस विश्वास और प्रेम का इतने समय से मैं पात्र रहा हूं, सदा उसके योग्य बना रहूं।

2. हमारे गणराज्य के इतिहास में यह दूसरी संसद् है और इसके सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कुछ लोग संसद् के किसी एक सदन के सदस्य रहे हैं अथवा राज्यों के विधानमंडलों से बहुमूल्य संसदीय अनुभव अपने साथ लेकर आए हैं। आप लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो संसद् के लिए पहली बार चुने गए हैं। आप सबको अपने जीवन मे तथा संसद् के सदस्य के रूप में इस संसद् के अन्दर और चुनाव क्षेत्रों मे अपने देशवासियों की सेवा के रचनात्मक काम के लिए विभिन्न और व्यापक अवसर मिलेंगे।

3. हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह दूसरा साल है। योजना के पहले वर्ष में हमारी गति अनिवार्य रूप से कुछ मन्द हुई है, जिसका कारण किसी हद तक राज्यों का पुनर्गठन है। इसके कारण हम पर अधिक दबाव पड़ा है और इस बात की आवश्यकता है कि योजना की शेष अवधि में सरकार और जनता द्वारा और अधिक परिश्रम किया जाए। मेरी सरकार इस बात को भली प्रकार जानती है।

4. देश की आर्थिक स्थिति, विशेषकर योजना से सम्बन्ध रखने वाली बातें जो इस समय हमारे सामने हैं, गम्भीर चिन्तन का विषय हैं और मेरे मन्त्रियों का ध्यान उस ओर है, किन्तु इस स्थिति को भयावह कहना गलत होगा। केन्द्रीय और राज्यों के घाटे के बजट, योजना की आवश्यकताएं, विदेशी विनिमय के साधनों का अभाव और कुछ बाहरी मामले उस बात की मांग करते हैं कि हम दृढ़ और योजनाबद्ध प्रयत्न करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम साधनों को सुरक्षित रखें और मितव्ययता द्वारा कुछ चीजों के आयात पर प्रतिबन्ध, निर्यात व्यापार के विस्तार और उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों मे राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता मे वृद्धि द्वारा इन साधनों का विस्तार करे। इस बात की भी जरूरत है कि उत्पादन कार्यों के लिए

---

संसद् के समक्ष अभिभाषण : 13 मई, 1957

धन जुटाया जाय, अनोत्पादक कामों को हाथ में न लिया जाए और अतिसंग्रह और सट्टे की समाज-विरोधी प्रवृत्तियों का दमन किया जाय। केवल सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि जनता द्वारा भी प्रयत्न करने और सावधान रहने से ही इस काम ठोस सफलता प्राप्त हो सकती है।

5. जिन कमियों का मैंने जिक्र किया है उन्हे दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण-सम्बन्धी काम को स्थगित कर दें पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नही है, क्योंकि समस्या को सुलझाने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नहीं है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण-कार्य में सुधार को बनाए रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हे सुरक्षित रखना है। मेरी सरकार इस समस्या और इसके लिए आवश्यक प्रयत्न से पूर्ण रूप से अवगत है। उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहां जैसी जरूरत हो कार्यप्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटा कर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जावे और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जावे।

6. ऐसे प्रयत्न की सफलता में जनमत का बहुत बडा स्थान है, और यह प्राय: निर्णायक सिद्ध होता है। जनसाधारण का दृढ़-निश्चय और जोश, अनु-शासन में रहने के लिए उनकी तत्परता, प्रयत्नो के लिए आवाहन का स्वागत और समाज-विरोधी व्यवहार, जैसे अतिसंचय, फिजूलखर्ची आदि की रोकथाम करने का उनका संकल्प ही देश के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के इस संकटकाल को पार करने में सहायक होगा।

7. संसद् के सदस्यगण, इस सम्बन्ध में मेरी सरकार जो नीति अपनायेगी तथा प्रयास करेगी, जिनके द्वारा कठिनाइयां दूर कर हमे सफलता प्राप्त करनी है, उस नीति के समर्थन के लिए विशेष तथा सतत प्रयत्न की देश आप से बहुत आशा करता है।

8. यद्यपि अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है और दैवी विपत्तियों के कारण जो हानि हुई है, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, उसे छोड़ कर वृद्धि बराबर बनी रही है, हमें खाद्य के सम्बन्ध मे देश को आत्म-भरित बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अनाज की चढ़ी हुई कीमतों के गिरने के कुछ लक्षण दिखाई दिये है और मेरी सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए

बहुत से उपाय किए हैं। भरपूर प्रयत्नों के फलस्वरूप अनाज का उत्पादन बढ़ा है और फसल मे सुधार हुआ है। कुछ मोटे अनाजों को छोड़कर, जिन पर जलवायु का बुरा प्रभाव पड़ा है, अनुमान है कि दूसरे अनाजों का उत्पादन यही नहीं कि कम नहीं हुआ बल्कि पहले से बहुत बढ़ा भी है।

9. अभी जो अभाव है उसे दूर करने और कीमतों में तेजी रोकने के लिए सुरक्षित अन्न भण्डार तैयार करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने विदेशों से अनाज आयात करने की व्यवस्था की है। अनाज भण्डार बनाने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। अनाज की कीमतो में तेजी रोकने के लिए, जो स्थिति अभाव की आशंका और घबराहट तथा अतिसंचय करने की प्रवृत्ति से पैदा होती है, जनता का रुख निर्णायक होता है और उसका बहुत महत्त्व है। सरकार ने जो कदम उठायें हैं उनके परिणामस्वरूप और उत्पादन मे वृद्धि के कारण खाद्य की स्थिति ऐसी नही है कि जनता किसी भी प्रकार के अविश्वास की भावना को स्थान दे। अनाज की उपलब्धि और आवश्यकता के बारे में मेरी सरकार का यह विचार है कि वह समय-समय पर संसद् को खाद्य-स्थिति से अवत करावेगी। आशा है कि अनाज के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त होने से निराधार आशका, कृत्रिम अभाव और कीमतों की तेजी—इन तीनों की रोक-थाम हो सकेगी।

10. मेरी सरकार को यह बताने में खुशी होती है कि सामुदायिक योजना सम्बन्धी कार्यक्रम मे उन्होंने अनाज के उत्पादन पर जो जोर देने का निश्चय किया था, उसके फलस्वरूप बहुत लाभ हुआ है। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। खेती, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्रों मे हमारे जो लक्ष्य थे, सफलता उनमे भी अधिक रही है। राष्ट्रीय निदर्शन अधीक्षण (नैशनल साम्पल सर्वे) के अनुसार पहली पंचवर्षीय योजना के अतिम काल मे, सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा मंडलो के क्षेत्रों में फसलो का उत्पादन सारे देश के मुकाबले में प्रायः 25 प्रतिशत अधिक हुआ। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा के अन्तर्गत इस समय 2,22,000 ग्राम हैं।

11. सरकारी व्यवसायों की उल्लेखनीय उन्नति रही है और प्रायः प्रत्येक क्षेत्र मे उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा। व्यवसाय के निजी क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। एक परिनियत सस्था के रूप में, खादी और ग्रामोद्योग कमिशन की नियुक्ति से, ग्रामीण-उद्योगों तथा खादी का और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

नई बड़ी योजनाओं में, जिस योजना का हाल ही में उद्घाटन होने जा रहा है वह निविली लिग्नाइट योजना है, जिस पर कार्य इसी महीने आरम्भ हो रहा है। मेरी सरकार भारी मशीनों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना को महत्त्वपूर्ण मानती है और इस दिशा में कार्यवाही कर रही है।

12. विदेशी विनिमय के साधनों पर दबाव कम करने के लिये, बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में मेरी सरकार ने बाद में दाम चुकाने की व्यवस्था की है। कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में दीर्घकालीन उधार की व्यवस्था की जा रही है।

13. राज्यों के पुनर्गठन के बाद, संघीय प्रदेशों के लिए परामर्शदात्री समितिया नियुक्त की गई है और हिमाचल प्रदेश, मनिपुर तथा त्रिपुरा के लिए प्रदेशीय परिषदों की स्थापना की गई है। दिल्ली के लिए शीघ्र ही एक निगम स्थापित होगा। लकादीव, मिनिकोय और अमनदीव द्वीपों को मिलाकर एक नवीन संघीय प्रदेश बनाया गया है और अण्डमान द्वीपों के लिये पंचवर्षीय योजना मे 5,92,50,000 रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है, जिससे और कामों के अतिरिक्त इस द्वीप समूह और भारत के बीच यातायात की उचित व्यवस्था की जाएगी।

14. जहाज-घाटो और आधुनिक ढंग के जहाजों के निर्माण के काम में भी विशाखापट्टणम में बहुत प्रगति हुई है और एक दूसरे जहाज-घाट के निर्माण की योजना इस समय हाथ में है।

15. मेरी सरकार ने हाल ही में घरों की कमी दूर करने और निवास-सम्बन्धी स्तर को ऊंचा करने, गन्दी बस्तियों में सुधार करने, बगीचों में घरों की व्यवस्था करने और औद्योगिक क्षेत्रों में तथा कम आमदनी वाले लोगों के लिए घरों की व्यवस्था करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। दिल्ली और भारत के दूसरे बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों में सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता है और इस समस्या पर केन्द्रीय सरकार, राज्यों की सरकारें और सम्बन्धित निगम पूरा ध्यान दे रहे है :—

16. संसद् के पिछले सत्र के बाद दो अध्यादेश जारी किए गए हैं। तत्सम्बन्धी विधेयक संसद् के सामने रखे जायेंगे। वे इस प्रकार हैं :—

(1) जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1957।

(2) औद्योगिक झगड़े (संशोधन) अध्यादेश, 1957।

17. चालू सत्र में मेरी सरकार संसद् के समक्ष कई और विधेयक प्रस्तुत करेगी ।

18. 1957-58 का आय-व्यय सम्बन्धी अन्तरिम विवरण संसद् के पिछले सत्र में पेश किया गया था और मतदान द्वारा वर्ष के एक भाग के लिए खर्च की मंजूरी ली गई थी । आय-व्यय का वह विवरण आवश्यक संशोधन के साथ संसद् के इस सत्र में फिर पेश किया जाएगा, और वर्ष भर के खर्च के लिए संसद् का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

19. विदेशों से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण चले आ रहे हैं । संसद् के समक्ष पिछली बार मैंने जब भाषण दिया था उसके बाद हमें पोलैंड के प्रधान मंत्री श्री जोजेफ सिरेकीविज, संघीय जर्मन गणतन्त्र के विदेश मन्त्री, डा० हेनरीश वान ब्रेन्टानो और चिली के विदेश मन्त्री, श्री ओस्काल्डो सेन्ट मेरी का भारतीय गणराज्य के अभ्यागतों के रूप में स्वागत करने का सौभाग्य हुआ है ।

20. जून के अन्त में लन्दन मे होने वाले राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में मेरे प्रधान मन्त्री, भाग लेंगे । इस विदेश प्रवास के समय वे सीरिया, डेन्मार्क, फिन्लैण्ड, नार्वे, स्वीडन, नैदरलैंड, मिस्र और सूडान की भी यात्रा करेंगे ।

21. मध्यपूर्व मे स्थिति संतोषजनक नहीं और वहां तनाव बराबर बना है, फिर भी यह हर्ष का विषय है कि स्वेज नहर जहाजरानी के लिए फिर से खुल गई है । नहर खोलने से पहले मिस्र की सरकार ने एक घोषणा की थी जो 1888 की संप्रतिज्ञा को पुष्ट करती है और अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा सयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों का मिस्र द्वारा अनुसरण करने का दृढ़-निश्चय प्रकट करती है । मेरी सरकार उस घोषणा का स्वागत करती है । उस घोषणा में यह व्यवस्था की गई है कि संप्रतिज्ञा की व्याख्या अथवा उसके लागू किए जाने के सम्बन्ध में और कुछ जरूरी मामलों के बारे मे जो विवाद पैदा हों उन्हें निर्णय के लिए विश्व न्यायालय के सामने पेश किया जाए और इस न्यायालय के फैसले को बाध्य समझा जाए । मेरी सरकार की राय में उस घोषणा की प्रमुख धाराये युक्तिसंगत है और यदि सभी सम्बन्धित पक्ष पारस्परिक सद्भावना तथा सहयोग की भावना से उन पर अमल करें वे संसार के राष्ट्रों के उचित हितों की रक्षा करने के लिए काफी हैं । इस घोषणा का महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यद्यपि यह एक मिस्र की सरकार द्वारा की गई है, उसने एक यह घोषित किया है कि इस घोषणा का दर्जा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का होगा और यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में दर्ज कर दी गयी है । मेरी

सरकार का विचार है कि इस घोषणा और इसके अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दर्जे ने उस क्षेत्र में तनाव की भावना को कम करने के मार्ग को प्रशस्त क्या है और उसके द्वारा उन सभी समस्याओं को सुलझाने का जो स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद पैदा हुई थीं रास्ता निकल सकेगा ।

22. सुरक्षा-परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० गुनार यारिंग ने, 21 फरवरी को कश्मीर सम्बन्धी विवाद के अन्त में सुरक्षा-परिषद् द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव अनुसार, पाकिस्तान और भारत की यात्रा की । डा० यारिंग दो बार भारत आये और उन्होंने मेरे प्रधान मंत्री से बातचीत की । उन्होने अपनी रिपोर्ट सुरक्षा-परिषद् को दे दी है ।

23. निःशस्त्रीकरण कमिशन की उप-समिति की बैठक कुछ समय से लन्दन में हो रही है, किन्तु, निःशस्त्रीकरण के किसी भी पहलू पर अभी कोई समझौता हुआ नहीं जान पड़ता है । आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के विस्फोट रोकने के सम्बन्ध मे भी कोई समझौता नही हुआ है । निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में मेरी सरकार के प्रस्ताव एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के द्वारा अन्य प्रस्तावों के साथ निशस्त्रीकरण कमिशन के पास भेज दिये गये ।

24. इस बीच मे, अमेरिका और सोवियत संघ और अब ब्रिटेन भी सार्वजनिक विध्वंस के इस शस्त्रों के विस्फोट-सम्बन्धी प्रयोग करते रहे हैं । इन विस्फोटों का विषैला प्रभाव ससार के विभिन्न भागों में अधिकाधिक देखा जाने लगा है और विश्व जनमत इन विस्फोटो द्वारा होनेवाली हिसा से चिन्तित हो उठा है । इन विस्फोटों के बन्द करने की मांग व्यापक है और आणविक शक्तियों को इस से बराबर अवगत किया जा रहा है, किन्तु अभी तक इसका कुछ परिणाम नही निकला ।

25. मेरी सरकार का मत है कि विभिन्न देशो द्वारा इन विस्फोटों को सीमाबद्ध और पूर्वसूचित करने के सम्बन्ध में जो सुझाव किये गये है, उन से यह आशा नहीं होती कि विस्फोटों के हानिकर प्रभावों से वे संसार को सुरक्षित रख सकेंगे अथवा इन विध्वंसक शस्त्रों के बहिष्कार का मार्ग खोज सकेंगे । इसके विपरीत, इन प्रयोगों के किसी भी प्रकार के नियमन का एकमात्र परिणाम यह होगा कि लोग आणविक तथा परमाणविक युद्ध को न्यायोचित और विश्व जनमत द्वारा समर्थित समझने लगेगे । युद्ध के अधिक से अधिक घातक शस्त्रों के प्रयोग की खबरें बराबर आ रही है । संतोष की बात केवल यही है कि संसार का जनमत

इन प्रयोगों का आज पूर्वापेक्षित अधिक विरोधी है। अप्रैल 1954, में मेरे प्रधान मंत्री ने, लोक सभा के सामने एक वक्तव्य में इन विस्फोटों की रोक के सम्बन्ध में "यथा स्थिति" समझौते के रूप में कुछ प्रस्ताव रखे थे। तब से इन प्रस्तावों को विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है और काफी जनमत इनके पक्ष में है। विश्व के दूसरे राष्ट्रों के हाथ, मेरी सरकार इन प्रयोगों की रोक-थाम और आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के बहिष्कार के लिए दूसरे राष्ट्रों और विश्व-परिषदों के समक्ष बराबर अपना प्रभाव डालती रहेगी।

26. आज हम उस महान विद्रोह के पूरे एक सौ वर्ष बाद मिल रहे हैं जो मेरठ में आरम्भ हुआ था और बाद में भारत के अधिकांश भागों में फल गया था। इस देश में विदेशी शासन को वह पहली प्रमुख चुनौती थी और इसके कारण कुछ विभूतियां प्रकाश में आयी जो हमारे देश के इतिहास मे प्रसिद्ध है। इस विद्रोह का नृशंसता के साथ दमन किया गया, किन्तु स्वाधीनता की भावना और विदेशी शासन से मुक्त होने की इच्छा दबाई नहीं जा सकी और बाद में अनेक अवसरों पर वह उभरती रही। अंत में, उसने एक महान राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप लिया, जो अहिंसा और शांति के सिद्धांतो पर चला और जिसके फलस्वरूप हम स्वाधीनता प्राप्त करने और भारतीय गण-राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। उन सब के प्रति, जिन्होंने भारत को स्वतन्त्र बनाने के लिए जीवन की आहुति दी अथवा नाना प्रकार के कष्ट सहे, हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

27. भारत को स्वाधीन हुए आज करीब 10 वर्ष हो चुके हैं और इस अवधि में संसद् देश की जनता की उन्नति तथा कल्याण और विश्व में सहयोग तथा शांति स्थापना के लिए प्रयत्नशील रही है। इन प्रयत्नों का फल काफी ठोस रहा है जो हमें देश इस में चारों ओर दिखाई देता है। इन वर्षों में जो बहुमुखी उन्नति हम ने की है उससे लोगों में आशा और आत्म-विश्वास की भावना पैदा हुई है। भावी निर्माण और विकास की यह सुदृढ़ नींव है।

28. देश के बाहर मेरी सरकार का यह जोरदार प्रयत्न रहा है कि संसार में तनाव की भावना को कम किया जाय और विश्व-शांति के पक्ष को दृढ़ बनाया जाय। इस विचारधारा के परिणाम-स्वरूप, अपनी नीति को स्वाधीन रखने के लिए और कोरिया, इन्डो चाइना और अब मध्यपूर्व में भी शांति की स्थापना में योग-दान देने के लिये, हमारे देश ने भारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली है।

29. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारे सामने जो काम हैं वे बहुत अधिक ही नहीं कभी-कभी बहुत भारी भी दिखाई देते हैं। किन्तु, यदि स्वाधीनता

को देश के लोगों के लिये वरदान बनाना है और यदि सतत तनाव और भावी विभीषिका से संसार को मुक्त कराने में हमें सहायक होना है, तो ये सब काम हमें करने होंगे, कठिनाइयों पर विजय पानी होगी और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं, उन्हें प्राप्त करना होगा।

30. इन सभी दिशाओं में मेरी सरकार बराबर यथा-शक्ति प्रयत्न करती रहेगी। यह धारणा कि उसे देश की जनता का समर्थन प्राप्त है और यह अडिग विश्वास कि युद्ध के उमड़ते हुए बादलों और निराशा के बावजूद भी मानव जाति मे प्रगति करने और जीवित रहने की नैसर्गिक आकांक्षा है, मेरी सरकार का बल है। हमारी क्षमता और साधन सीमित हैं और संसार में हमारी आवाज संभवतः बहुत ऊंची नही है, किन्तु, राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से, हमारे इतिहास और परम्पराओं तथा विश्वासो को देखते हुए हम किसी और रास्ते को नही अपना सकते। यह सौभाग्य का विषय है कि संसार भर के सभी लोगों का यह सामान्य ध्येय और उत्कट इच्छा है।

संसद् के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सब की सफलता की कामना करता हूं।

---

## सबको अपनी-अपनी भाषा से प्यार होना स्वाभाविक

बहनों और भाइयो,

आपने मुझे यहां बुलाया इसके लिये मैं आपका बहुत आभार मानता हूं क्योंकि ऐसे मौके पर बहुत भाइयों से मुलाकात हो जाती है जिनसे किसी दूसरी तरह से कही मुलाकात होना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ सुनने को भी मिल जाता है जो और भी ज्यादा मुश्किल से कहीं दूसरी जगह सुनने को मिलता है ।

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान की यह एक खासियत आज से नही, बहुत जमाने से रही है कि छोटे-छोटे गिरोहों को, जमातों को, बहुत तरह की आजादी हमेशा से दी गई है और केवल जमातों को ही नही, बल्कि एक खानदान के, एक घर के हरेक आदमी को भी बहुत आजादी रही है जैसी आजादी शायद कही दूसरी जगह नहीं रही हो। और इसी वजह से इतने बड़े देश के अन्दर आप पाते हो कि बहुतेरी जुबानें बोली जाती है, लोगों के रस्म-रिवाज, रहन-सहन, तौर-तरीके अलग-अलग है और बहुत बातों में, खाना-पीना, कपड़ा पहनना इसमे भी बहुत तफरकात देखने में आते है। उत्तर से दक्षिण तक आप जाओ, तो बहुत किस्म के लोग देखने को मिलेगे। मगर बावजूद इतने किस्म के आपस के तफरकात के हम यह भी पाते है कि अन्दर-अन्दर एक ऐसी एकता रही है जो इस सारे देश के ऊपर से बादशाहत और राज्य बदलते गये, उथल-पुथल होते गये मगर तो भी वह एकता हमेशा कायम रही है और उस आजादी का ही यह फल है कि इसके अलग-अलग हिस्सों मे अलग-अलग जुबानें आज फैल गई है और बोली जाती है और उन जुबानों के जो बोलने वाले लोग है उनके दिलों मे अपनी जुबानो के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा है और होनी भी चाहिये।

जब हम अपने मुल्क के लिए संविधान बना रहे थे तो यह जुबान का सवाल भी हमारे सामने था और आपस के बहुतेरे जो तफरकात है वे भी सामने थे। यह सोच कर ही यह तय किया गया कि जो सूबे बनाये जाये वह इस तरह से बनाये जायें कि उसमे जितने लोग हो उनमें ज्यादा से ज्यादा एकता नजर आवे और सब अलग-अलग रहते हुए भी एक-दूसरे से इस तरह से मिल-जुलकर काम करे और सारे हिन्दुस्तान को बनावें कि दुनिया के सामने एक नया नमूना पेश कर सके। इसीलिये हमारे सूबे अलग-अलग है मगर तो भी बहुत अख्तियार रखते हुए भी एक शासन के अन्दर है, वे एक शासन को मानते हैं। इस तरह से इतना बड़ा मुल्क

---

सर्व हिन्द पंजाबी कवि सम्मेलन तथा कवि दरबार का उद्घाटन करते समय कन्स्टीट्यूशन क्लब में भाषण, 25 मई, 1957

जो एक शासन के अन्दर चल रहा है आज के पहले उतना बड़ा हिन्दुस्तान नहीं था क्योंकि पहले यहां अलग-अलग सूबे थे और कई सूबे मिलाकर अलग-अलग सलतनतें थीं, अलग-अलग राज्य थे, अलग-अलग जिनके अपने इन्तजाम थे और जिनका एक-दूसरे के साथ राजनीतिक ताल्लुक नहीं था, सब एक-दूसरे से अलग थे। अब हमको ऐसा मौका मिला है जब हम एक रिपब्लिक के अन्दर एक छत्र के नीचे सारे मुल्क को ला सके है और वह तभी हो सका है जब हम ने सबों की अलग-अलग हस्ती मंजूर कर ली है और मान लिया है कि हम सब सूबे अलग होते हुए अपनी खुशी से उत्साह के साथ एक समस्त बड़े मुल्क भारत को एक बनाये रखने का इरादा कर लिया है और इसी वजह से आज इतना बड़ा मुल्क एक शासन क अन्दर है, मातहत है।

इसलिये जहां तक जुबान का सवाल है यह हमको कभी नहीं भूलना चाहिये कि हरेक को अपनी जुबान प्यारी है और उसकी तरक्की के लिये उसको पूरा मौका मिलना चाहिये और हमारे संविधान का भी यही मनशा है। उसमें यह बात साफ-साफ बता दी गई है कि सारे मुल्क के काम के लिये, ऐसा काम जिसमे एक सूबे को दूसरे सूबे के साथ या दूसरे सूबों के साथ ताल्लुक है उसके लिये तो हमारी एक जुबान हिन्दी मानी जाये मगर सूबे के अन्दर अपने-अपने इलाके में अन्दर काम के लिये वहां की जुबान ही मानी जाये और वहां की जुबान से ही काम लिया जाए। जब तक सभी जुबानें काफी तरक्की नहीं करें और इस काबिल अपने को नहीं बना लें जिसमे सारे काम को वे खूबी से अनजाम दे सकें तब तक सारे मुल्क का काम ठीक से नही चल सकता। जैसे हम देखते हैं कि एक सूबा बहुत गरीब है और दूसरा सूबा उससे ज्यादा मालदार है तो जो गरीब सूबा है, पिछड़ा हुआ सूबा है उसको दूसरे के मुकाबले मे हम उठाना चाहते हैं। तो हमको यह समझना चाहिये कि यह बात सम्पत्ति और माल के निस्बत ही सच नहीं है बल्कि सभी बातों मे सब के मुकाबले में जो पिछड़े हुए सूबे है उनको लाकर बैठा देना हमारे संविधान और गवर्नमेंट का काम होना चाहिए।

इसलिये जब कभी मैं यह देखता हूं कि भाषा को लेकर झगड़े होते है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती और मैं समझता हूं कि आज तक जो हमारा तरीक़ा रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है उसके खिलाफ यह है और जो कुछ हम ने किया है उसके विरुद्ध है क्योंकि हम ने आज तक सब के साथ हमदर्दी रखना, सब को फूलने-फलने का मौका देना चाहा है न कि किसी को दबाकर बढ़ना चाहा है। यही हमारे मुआफिक है, आज तक जैसा हमारा धर्म रहा है उसके

मुग्राफिक है ग्रौर ग्रागे जैसा रहना चाहिये उसके मुग्राफिक है। इसलिये इस तरह के झगड़े को नजदीक नहीं ग्राने देना चाहिये ग्रौर हरेक ग्रादमी ग्रपनी जुबान को बढ़ाना चाहता है तो उस काम में जो कुछ सेवा वह कर सकता है, तरक्की कर सकता है वह करे पर यह ख्याल नही करे कि दूसरे को दबाकर ग्रपने को बढ़ावे बल्कि ग्रपने को दूसरे के मुकाबले में ग्रागे लाने की कोशिश करे। ग्रौर सब लोग यदि ग्रपने को ग्रागे लाने की कोशिश करेंगे तो सारा मुल्क ग्रागे बढ़ेगा। यही तरीका होना चाहिये।

इसी ख्याल से जब कभी मुझे मौका मिलता है मै ऐसे समारोहों में शरीक होता हूं ग्रौर ग्रपने विचार लोगों के सामने रखता हूं। मैं ग्राशा करता हूं कि ग्राप सभी भाई इस बात को मानते है ग्रौर इस पर चलना चाहते है कि पंजाबी की तरक्की ग्राप चाहते है तो ग्राप यह नहीं समझते कि दूसरे को ग्राप नीचा दिखाना चाहते है बल्कि ग्राप पंजाबी की तरक्की इसलिये करते हैं कि किसी भी जुबान मे चाहे वह देश की हो चाहे विदेश की हो कोई बात ऐसी है जो ग्रापकी जुबान से नही मिलती है तो उसे ग्राप ग्रपनी जुबान में ला सकें ग्रौर यह ख्याल लेकर ही ग्राप पंजाबी की तरक्की करना चाहते है। मै उम्मीद करता हूं कि सिर्फ शायरी, कविता, फिलौसोफी ग्रौर दर्शन की बात में ही नही बल्कि ग्राजकल की नई दुनिया में जो विज्ञान की बात है, जो टेकनिकल बातें है हम हिन्दुस्तान की सभी भाषाग्रों में पूरी तरह से ला सकेंगे जिसमें हमारे देश के लोग उनको ग्रच्छी तरह से समझ सकें। हमारा पुराना ग्राज तक जो लिटरेचर रहा है उसमें ग्रधिक करके कविता या इस तरह की चीजें या खास करके दर्शन की बातें रही है। ग्राजकल की जो टेकनिकल चीजें हैं, जो साईन्स की चीजें हैं वे पूरी तरह से नहीं ग्रायी हैं। उनको लाना चाहिए ग्रौर वह एक बहुत बड़ा काम है। ग्रगर इस बड़े काम में लोग लग जायेंगे तो दूसरी चीज़ की तरफ, झगड़े की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जायेगा। रचनात्मक काम से सब को लाभ पहुंचेगा, जो विद्वान है उनको भी लाभ पहुंचेगा ग्रौर दूसरों को भी पहुंचेगा।

गरचे हिन्दुस्तान की जुबानें ग्रलग-ग्रलग है पर वे एक-दूसरे से मिली-जुली है। ग्रगर एक जुबान मे कुछ ग्रा जाता है तो दूसरी जुबानवाले उसको ग्रासानी से समझ सकते हैं। मैं तो देखता हूं कि उत्तर भारत की किसी जुबान में ग्रक्षर में ग्रगर कोई चीज़ लिख दी जाये ग्रौर कोई ग्रादमी उसे पढ़ना चाहे तो उसको थोड़े ही प्रयत्न से वह समझ सकता है उसकी ग्रपनी जुबान बंगाली हो, पंजाबी हो, हिन्दी हो चाहे गुजराती हो। ये सब जुबानें एक-दूसरे से करीब-करीब मिलती

जुलती हैं और थोड़ा फेर बदल करके और खास करके व्याकरण में थोड़ा हेर-फेर करके एक जुबान बोलनेवाले दूसरी जुबान की चीज़ समझ सकते हैं। ऐसी हालत में यह कोई माने नहीं रखता कि इस प्रकार के झगड़े में क्यों लगें और रचनात्मक काम में आगे बढ़ने के लिये क्यों नहीं लगें।

मैं आशा करता हूं कि जो काम आपने शुरू किया है वह आपको ही नहीं, पंजाबी को ही नहीं बल्कि सब को लाभ पहुंचायेगा।

# महात्मा गांधी—कुछ संस्मरण

श्रीमान् राज्यपाल जी, श्री मुख्य मन्त्री जी, विधान परिषद् के अध्यक्ष महोदय, बाबू रघुवंशनारायण सिंह जी, बहनों और भाइयो,

मैं इसको अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि आपने मुझे यह आदर सुपुर्द किया कि मैं पूज्य महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करूं। मुझे याद है, आज से दो-तीन साल पहले ठीक इसी प्रकार की और भी यहां सभा हुई थी जहां मैंने पूज्य महात्मा जी के चित्र का अनावरण किया था और आज केवल उस समारोह की ही याद नहीं आ रही है बल्कि महात्मा गाँधी के साथ जो इस प्रान्त का, इस प्रान्त के रहनेवालों का और जो मेरे जैसे व्यक्तियों का घनिष्ट सम्बन्ध और सम्पर्क रहा है वे सब बातें याद आ जाती हैं। इसलिये यह अवसर और भी एक महत्त्व का अवसर है कि मैं एक बार और आप सब बहनों और भाइयों का उन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूं जिनके लिये महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन दिया और जिनकी पूर्ति अभी बहुत अंश में नही हो पायी है।

आज से 40 वर्ष पहले महात्मा गांधी इस सूबे में पहले-पहल पधारे थे और उस समय जब पटना होकर वह चम्पारण पहुंचे और वहां पर जो काम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर बड़े पैमाने पर पहले-पहल भारतवर्ष में आरम्भ किया उसका समारम्भ उस जगह से हुआ और वहां जो जो अनुभव हमको मिले, जो कार्यक्रम और तौर-तरीके उन्होंने दिखाये और जिस तरह से उन्होंने स्वयं काम किया और हजारों से काम कराया वह सब इस प्रान्त के लोगों को अच्छी तरह से देखने को मिला और यही कारण है कि जब उसके तीन वर्षों के बाद उन्होंने सारे देश में असहयोग का आन्दोलन उठाया और असहयोग की भेरी फूंकी तो कम-से-कम इस सूबे के लोगों ने जोरों से उत्साहपूर्वक उसका समर्थन किया और जैसे-जैसे वह काम बढ़ता गया और उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किसी तरह से कही पर बिना किसी प्रकार की हिंसा को आश्रय और प्रश्रय दिये हम अहिंसक रहकर अपने ऊपर हर प्रकार का कष्ट सह सकते है तो उसका नमूना इस प्रान्त के लोगों ने, छोटों ने, बड़ों ने, अमीरों ने, गरीबों ने, सबों ने दिखलाया और केवल इसी प्रान्त में नहीं बल्कि सारे देश भर में एक नवजीवन का संचार हुआ, एक जागृति आयी, आन्दोलन खड़ा हुआ जिसके फलस्वरूप हमको कोई 30 वर्षों के बाद 1947 में अधिकार प्राप्त हुआ।

---

बिहार विधान परिषद् भवन में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करते हुए भाषण. पटना, 10 जून 1957

अधिकार प्राप्त हुए दस वर्ष बीत गए। अब हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, कि इन 10 वर्षों में हम ने क्या किया, क्या हमसे भूलें हुई, किन बातों में सफलता मिली, किन जगहों पर हम असफल रहे और आगे हमको किस तरह से चलना चाहिये जिसमें जो काम अधूरा रह गया है उसको हम पूरा कर सकें। महात्मा गांधी कभी यह नही सोचते थे कि केवल राजनीतिक स्वराज्य पाकर ही हमारा काम पूरा होगा। वह तो समझते थे कि स्वतन्त्रता केवल एक साधन मात्र है जिस साधन से देश की और लोगों की सेवा की जा सकती है और होनी चाहिए और जो असली उद्देश्य है वह तो यही है कि इस देश के लोगों की बहुमुखी उन्नति हो, हर प्रकार से वे ऊपर उठें, शरीर से, मन से तथा चरित्र से ऊपर उठे, सम्पत्ति मे, खाने-पीने के सामान में और सभी चीजों में जिनका जीवन से सम्बन्ध हो सकता है पूरी तरह से वृद्धि हो और इसीलिए उनके सारे रचनात्मक काम ऐसे बने थे कि सभी साथ ही साथ बढ़ सकते है और साथ ही साथ हर प्रकार की उन्नति कर सकते है। मगर महात्मा गांधी ने जो कुछ अपना कार्यक्रम बनाया था उसकी नीव धन, सम्पत्ति, बाहुबल या हिंसा पर अवलम्बित नही थी। उसकी सारी नीव अहिंसा, सच्चाई और भरोसे पर है और इसीलिये इतने कम समय में, इतने कम खर्चे से, इतने कम त्याग से हम इतनेबड़े देश को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र बना सके। मेरा अपना विचार यह है कि जिस समय हम अंग्रेजों से स्वराज्य के लिये लड रहे थे तो जितने त्याग और तपस्या की जरूरत थी उससे अधिक त्याग और तपस्या की जरूरत आज है जब हम अपने हाथ मे अधिकार ले सके है और हम उसका इस तरह से उपयोग करें जिसमे सब का भला हो, देश की उन्नति हो और सब ऊंचे उठे।

स्वतन्त्रता के लिये लड़ाई के जमाने मे हम लोगों के सामने किसी प्रकार का प्रलोभन नही था। अगर महात्मा गांधी किसी प्रकार का पारितोषिक देना चाहते थे तो उस पारितोषिक का रूप, उस इनाम का रूप जेल खाना हुआ करता था, उसका रूप भारी-भारी जुर्माने हुआ करता था, उसका रूप यही हुआ करता था कि घरबार लुटाकर भिखारी बनकर उस काम में लगे रहें। अब वह बात नहीं है। अब हमारे सामने तरह-तरह के प्रलोभन है और बहुत से ऐसे मौके है जहां हम थोड़ी भी गफलत करें, असावधानी करें तो हम उच्च आदर्श से गिर सकते हैं और इसीलिये मैंने कहा कि यह समय अधिक परीक्षा का है, अधिक त्याग का है, अधिक सावधानी का है क्योंकि अभी काम बहुत बाकी है। महात्मा गांधी चाहते थे कि सारे देश भर में ऐसा राज्य स्थापित होना चाहिये कि उसका मुकाबला

हमार ग्रन्थों में लिखित रामराज्य से कर सकें और जिसकी तुलना उस समय की सुख-समृद्धि से हो सके, उस समय के धर्म और चरित्र से हम कर सकें। अभी वह सब काम बाकी हैं और अभी जो कुछ हम ने प्राप्त किया है वह एक साधन मात्र प्राप्त किया है जिसका अगर हम ठीक से उपयोग करेंगे तो वह चीज़ भी हम हासिल कर सकते हैं। इसलिये एक ऐसे मुकाम पर जहां ऐसे लोग दिन-प्रति-दिन काम किया करेंगे जिनके ऊपर इस भारत को चलाने की जिम्मेदारी है, महात्मा गांधी की मूर्ति का रहना एक प्रकार से ऐसा यादगार हो गया जो याद दिलाने का काम करेगा, जो हमको दिन रात उत्साहित करता रहेगा, जो उन लोगों को दिन रात अपने कर्त्तव्य की ओर झुकाता रहेगा और इशारा करता रहेगा कि अगर उनके पैर लडखड़ाने लगे, अगर कहीं उनका जी डोलने लगे तो यह याद दिलाकर सम्भाल ले और वे आगे सोच-समझकर चलें।

इसलिये जब मैंने सुना कि बाबू रघुवंश नारायण सिह ने यह दान देने के लिये निश्चय किया है और मूर्ति तैयार हो गई है और मुझे उसका अनावरण करना चाहिये तो मैंने खुशी से अपना सौभाग्य मानकर इसे मंजूर किया क्योंकि मुझे उस समय यह बात याद आ गई कि जब महात्मा गांधी जी के स्वर्गारोहण के चन्द दिनों के अन्दर ही हमने यह फैसला किया कि महात्मा गांधी के नाम पर एक कोष गांधी स्मारक निधि के नाम से निर्मित किया जाय और इसके लिये जब पहले-पहल अपील छपी तो बाबू रघुवंश नारायण सिंह ने यहां से दिल्ली जाकर मुझे एक अच्छी रकम दी जो मुझे याद है कि पहली रकम थी, पहला दान था जो पीछे चलकर 11 करोड़ के लगभग हो गया। वह रकम 35 हजार रुपये की थी। तो वह बात मुझे याद थी। इसलिये इस मूर्ति का दान देना उनके लिये कोई नयी बात नही है। जब इसका अनावरण करन क सम्बन्ध में उनका पत्र गया तो मैंने यही कहा कि जब पहले-पहल गांधी स्मारक निधि को कायम करने का विचार स्थिर हुआ तो उन्होंने ही पहला दान दिया और जब आपके मुख्य मन्त्री का खत मुझे मिला तो सोने में सुगन्ध आ गयी और मैंने निमन्त्रण खुशी से मंजूर कर लिया। आज उसी आज्ञा का पालन करने के लिये मै यहां आया हूं। मै उनको तथा आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आपको यह मौका मिला कि गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करें और उनके जीवन से हमेशा प्रेरणा लेते रहें। अब मै मूर्ति का अनावरण कर देता हूं।

## 67

# सर्व-धर्म-सम्मेलन

अध्यक्ष महोदय, संत समाज के सदस्यगण, बहिनो और भाइयो,

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक सर्व-धर्म-सम्मेलन करन का विचार किया गया है। भारतवर्ष जैसे देश में इस तरह के सम्मेलन और इस तरह की संस्था की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि इस देश के अन्दर सारे संसार भर में जितने भी धर्म हैं, सभी प्रचलित हैं। सभी धर्म के माननेवाले थोड़ी-बहुत संख्या में यहां मौजूद हैं और सब अपने-अपने प्रकार से, अपने-अपने तौर-तरीके से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और सब की यह इच्छा होनी चाहिये कि एक-दूसरे के साथ सहयोग और शांति के साथ वह रह सकें और रहें। सभी धर्मों का खुलासा अगर पूछा जाय तो यही है कि मनुष्य को मनुष्य के साथ भाई-भाई के रिश्ते में बांधा जाए और सब का, सब को पैदा करनेवाले की ओर झुकाव रहे। मगर कुछ ऐसा दुर्भाग्य मनुष्य का रहा है कि आज तक जितनी खून-खराबियां हुई हैं, उनमें बहुतेरी धर्म के नाम पर की गई हैं और आज भी बहुतेरी खून-खराबियां धर्म के नाम पर सभी जगहों में होती हैं और हो रही हैं। इसलिये ऐसा प्रबन्ध जिसका यह उद्देश्य हो कि सभी धर्मावलम्बी एक-दूसरे के नजदीक लाये जाएं, जोर-जबर्दस्ती से नही बल्कि उनके हृदयों के अन्दर इस भाव को जागृत करके कि वह सब एक साथ रहने वाले हैं, मानव के नाते उनका एक-दूसरे के साथ घनिष्ट संबंध, मित्रता का सम्बन्ध, भाई-चारे का सम्बन्ध होना चाहिये, इस बात को समझ कर और जान-बूझ कर यदि सब धर्म के लोग एक साथ रहने लगें, मिल जाएं तो इससे बढ़कर मानवमात्र के लिये कोई दूसरा बड़ा काम नहीं हो सकता। और इसीलिये भारत जैसे देश में जहां ऐतिहासिक कारणों से या चाहे जिस कारण से हो सभी धर्म के माननेवाल इकट्ठे हुए हैं उनके बीच तो उन विचारों का खूब जोर से सिर्फ प्रचलित ही नहीं होना है बल्कि कार्यान्वित होना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये यहां के विचारशील पुरुषों में, विशेष करके, धर्म के माननेवालों में, धर्म के चलानेवालों में, मुनि, ऋषि और संत-साधुओं में ऐसे विचारों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं बल्कि एक अत्यन्त स्वाभाविक चीज़ है। मैं तो आशा करूंगा कि आपका यह प्रयत्न सफल हो और इस प्रयत्न के द्वारा आप इस देश के ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों में यह चेतना दे सकें

---

राष्ट्रपति भवन में सर्व-धर्म-सम्मेलन प्रबन्ध समिति के सामने भाषण. 24 जून, 1957

कि अनेक धर्मों को इकट्ठा करने के लिये, सब को एक साथ मिलाने के लिये, एक बन्धन में, मानव-मात्र के बन्धन में बांधने का ही है। यदि हम कार्य मे सफल हुए तो यह भारतवर्ष की, संसार के लिये बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरी एक चीज़ यह भी है कि आज का एक ऐसा युग है जिसमें धार्मिक विचारों को कुछ और जोर से लोगों में लाने की जरूरत है। भौतिकवाद का असर हमारे हृदय में यह पड़ा है कि हम उन सभी चीजों को, जिनका संबंध धर्म से रहा है अपने से कुछ अलग मानने लगे है और मानने लगते जा रहे है और उनकी आवश्यकता आज हम इतने जोर से महसूस नही करते जितने जोर से पहले हम किया करते थे या जितना हम को करना चाहिये। मै कभी-कभी सोचता हूं तो मुझे मालूम होता है कि एक बहुत बड़ा संकट का समय हमारे सामने होगा यदि हमारी आस्था उन मौलिक सिद्धान्तो से कम हो गई और उन पर विश्वास हमारा कुछ डिग गया तो फिर हम को संभालने के लिये कोई दूसरा आधार नही रह जायेगा जिसके बल पर हम अपने को उठा सकें और जिसके बल पर हम अपने को दूसरे जानवरो से अलग रख सके। मनुष्य और दूसरे जानवरो मे जहा तक देखने में आता है यही अन्तर होता है कि मनुष्य कुछ सोच सकता है, विचार सकता है। केवल एक उमग से ही काम नही चलता बल्कि उस उमंग के पीछे कुछ विचार रहता है, उसके पीछे कुछ विश्वास भी रहता है, कुछ आगे-पीछे देखने की वृत्ति और इन सब को मिलाकर जब वह अपना कार्यक्रम निर्धारित करता है और अपने पथ को प्रशस्त बनाता है और जब हमारी यह शक्ति कम हो जाए जिस शक्ति के बल पर हम सच और झूठ का भद कर सकते है तो फिर हमारे लिए एक इतनी बड़ी कमजोरी या कमी हो जायेगी कि जिससे हम फिर अपने को कभी उन्नत करने में समर्थ नही हो सकेगे। और इसलिये आज इस चीज़ की और भी जरूरत है कि लोगों मे वह आस्था पैदा की जाए और जहां तक हो उस आस्था को और भी सुदृढ़ बनाया जाय जिस आस्था पर चल कर आज तक रहे है और आज भी है—यह कहना अत्युक्ति है कि वह आस्था हमारी नही है। बात यह है कि उस पर आज तक संसार की अवस्था के कारण एक बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है और कोई जान-बूझकर वह आक्रमण नही कर रहा है जैसा कि मैंने कहा है, भौतिकवाद का वह एक आक्रमण है जिस आक्रमण से हम को अपने को सुरक्षित रखना है और बचाना है। और इसीलिए ऐसा सम्मेलन हो जिस सम्मेलन मे इसी चीज पर जोर दिया जाए और जो बाहर के दिखने-वाले तौर-तरीके और रीति-रिवाज उन पर जोर नही देकर सर्वत्र लोग यह समझें कि एक साथ किस तरह से हम को प्रेम से रहना है, एक-दूसरे के साथ नेकी का

बर्ताव करना है, एक-दूसरे के दु:ख-सुख में भाग ले सके हमारे लिये ऐसे धर्म या सम्मेलन की आवश्यकता है। तब यह एक बहुत बड़ी चीज़ होगी और उसी से बहुत-सी कमजोरियां, बहुत-सी मुसीबतें और तकलीफें जो आज हमें भुगतनी पड़ रही है उनसे हम अपने को बचा सकेंगे। इसलिये जब मुझ से कहा गया है कि इस तरह के सम्मेलन का प्रयत्न किया जा रहा है और पहले इसके और भी सम्मेलन किये जा चुके है पर इसको अब बडे प्रकार से करने का विचार हो रहा है तो मैंने सहर्ष स्वागत किया और मैंने उस वक्त कहा कि इसमे जो कुछ मुझ मे हो सकेगा जो सहयोग दे सकूगा बराबर खुशी मे और उत्साहपूर्वक मै सहयोग दूगा (तालिया)। इसलिये मुझे खुशी है कि आपने यह निश्चय किया है कि जिस पद पर मै हूं उस पद मे सभी कामों में आगे हो जाना या सब का भार उठा लेना बडा कठिन होता है मगर यह मेरे लिये हमेशा संभव है और मेरा कर्त्तव्य भी है जो कोई अच्छा काम या शुभ काम हो उसमें जो कुछ मेरी सहानुभूति से, मेरी सेवा मे, मेरे सहयोग मे हो सकेगा वह हमेशा हम को देते रहना चाहिये। इसलिये मै सब के आगे तो नही, सब के पीछे यदि संभव न तो बगल-बगल चलने के लिये तैयार हूं मै आशा करता हू कि आपका यह प्रयत्न सफल होगा और इसमे आप सभी प्रकार के संप्रदाय के लोगों के, सब धर्मों के लोगों को आप बुला सकेंगे और उनको यह स्पष्ट कहेंगे कि वह यहां आकर किसी अपने धर्म को कमजोर नही कर रहे है बल्कि अपने धर्म को और भी दृढ़ बना लेंगे क्योंकि आप ऐसी नीव बनाना चाहते है जिसमें सब धर्म फूले-फले, एक दूसरे के साथ सहयोग और शांति का भाव रख कर आगे बढ़ें।

मै आप सब को धन्यवाद देना चाहता हू कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मै इस प्रारम्भिक सभा मे शरीक हो सकूं और आइन्दा जो आपका बड़ा सम्मेलन हो रहा है, उसमें मुझे जो कुछ हो सकेगा मै करने के लिये तैयार रहूंगा।

# आदिवासियों की सेवा और सहायता आवश्यक

आदिमजाति के कल्याण कार्य के संबंध म हमारे संविधान में बहुत कुछ कहा गया है । यों तो बहुत दिनों से सोचते आये हैं कि आदिमजातियों में काम करने की जरूरत है और इस जरूरत को महसूस करके ही आदिमजाति संघ की स्थापना हुई थी। हमारे संविधान में आदिमजातियों के लिये और अनुसूचित जातियों के लिये 10 वर्ष तक संरक्षण की व्यवस्था है और इस संरक्षण के अन्तर्गत इन जातियों को कुछ अधिकार दिये गए थे। वे 10 वर्ष अब पूरे होने को आ रहे हैं। आशा तो यह थी कि इन 10 वर्षों में इन जातियों मे इतनी प्रगति होगी कि वे बिल्कुल औरों के जैसे हो जायेंगे और फिर संरक्षण की आवश्यकता नही रहेगी। क्या ऐसी प्रगति हुई है ? क्या ये जातिया औरों के मुकाबले में हो पायी हैं ? हां, यह बात जरूर है कि आदिवासियों में और अनुसूचित जातियों में बहुत कुछ काम हुआ है । लेकिन, जो काम हुआ है उससे बहुत अधिक करने की जरूरत है । कमी आज पैसे की नही, कमी है सच्चे कायकर्ताओ की । आदिवासियों और अनुसूचित जातियों पर सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है और आदिमजाति सेवक संघ को कुछ पैसे गांधी स्मारक निधि से भी मिल रहे हैं । कुछ काम सरकार खुद भी कर रही है। कुछ आदिमजाति और आदिवासी संस्थाओं के द्वारा हो रहा है । इन सब को मिलाकर जब हम देखते है कि कितना काम हुआ है तो लगता है कि प्रगति बहुत संतोषजनक नही है। इस तरह के इलाके, जहां काम की जरूरत है, बहुत हैं और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां काम हुआ ही नहीं और जहां काम हुआ भी हो वहां भी काम के परिमाण को ही नहीं देखना है पर यह देखना है कि आदिवासियों में उस काम का क्या असर पडा, उनके दिल मे क्या यह बात उठती है कि उन्हे औरों के स्तर में लाने का सच्चा प्रयत्न हो रहा है । क्या वे यह मानने लग गये है कि वे औरों के बराबर हो गये या वे शीघ्र ही औरों के बराबर हो जायेंगे ? क्या हम स्वयं आज यह मान सकते हैं कि आदि-वासियों और अनुसूचित जातियों में और दूसरों में अन्तर नही रह गया है ? यही सब से बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने है जिस पर हमें विचार करना है । अभी दो ऐसे क्षेत्र हमारे सामने हैं जहां आदिवासियों के काम करने की नितान्त आवश्यकता है । मगर जहां अब तक बिल्कुल ही नहीं हो पाया है । आसाम में बहुत कुछ करन की आवश्यकता है, लकिन वहां काम करन क लिये हमें योग्य आदमी नहीं मिल रहे हैं इसी तरह हिमालय के इलाके में लद्दाख से लेकर आसाम की

---

आदिमजाति सेवक संघ की साधारण बैठक के सामने भाषण, 29 जून, 1957

सरहद तक, इस इलाके में भी बहुत कम काम हुआ और भी इलाके हैं लेकिन इन इलाकों से वे कुछ बेहतर हैं वहां कुछ काम हुआ है। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए योग्य और सच्चे कार्यकर्ता हमें कैसे प्राप्त हों इस पर विचार करना है। हमें कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात चाहिए। हमें ऐसे आदमी चाहिये जो अपने जीवन को इस कार्य के लिये उत्सर्ग दें और फिर उन्हें यह सोचने की वाध्यता न रह जाए कि उनकी आवश्यकताएं कैसी पूरी हों। खयाल यह है कि एक सर्विस कायम की जाय जो सारे जीवन के लिये आदिमजातियों में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ले लें। इस तरह की बात सोची जा रही है। लगता है कि हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि हमें काम जोर से बढ़ाना ही पड़ेगा। आप इस बात पर विचार करें कि नये कार्यकर्ताओं की संख्या कैसे बढाई जा सकती है। नए लोग इस ओर कैसे खीचे जा सकते हैं। किसी ने यह कहा कि यदि जोनल कोन्सिलस हों तो काम अच्छा हो। सवाल जोनल कौंसिल या अखिल भातीय कौंसिल का नहीं, काम करने वाले हों और काफी हों तो संगठन की बात आसानी से हल हो सकती है। मैं यह भी चाहता हूं कि आप लोग जिन्हें इस प्रश्न का काफी अनुभव है, जिन्होंने इस क्षेत्र मे काम किया है और जो इस प्रश्न के उलझनों से परिचित है इस पर काफी ध्यान दें। आप हमें बतावें कि आपकी कठिनाइयां क्या है और आपको किस तरह की मदद सरकार से या गांधी स्मारक निधि से चाहिए। आप इन सवालों पर विचार करें तो केवल अपने निजी हल्के और सीमित समस्याओं को ध्यान मे रख कर ही नहीं बल्कि इस दायरे के बाहर जो बड़ी तस्वीर है उसे देखें और सोच-समझ कर ऐसे सुझाव पेश करें जिन्हें शीघ्रातिशीघ्र काम में लाया जा सके।

# देवबन्द का दारुल उलूम

हजरत मौलाना मदनी साहब, हजरत हिफिजुर रहमान साहब, दारुल-उलूम के तालिब,

मुझे समझ मे नही आता कि किन लफ्जों मे आप साहबानो का शुक्रिया अदा करूं उन अलफाजों के लिये जो आपने मेरे निस्बत मे कहे। बहुत जमाने से हसरत थी कि इस दारुल-उलूम मे मै एक बार हाजिरी दूं। मगर इत्तफाक आज तक ऐसा नही मिला और जब कुछ दिन हुए मुझे दावत दी गई तो मैंने इस दावत को शुक्रिया के साथ एक खासा मौका समझकर कबूल ही नही किया बल्कि मैंने यह समझा कि यहां आकर उन वाकयातों से आमने सामने मुकाबला हो जायेगा जो हमारे मुल्क की आजादी की जद्दो-जहद मे आज से 100 बरसों से ज्यादा से पेश आते रहे हैं। यह एक तारीख की बात है कि हिन्दुस्तान ने अंग्रेजी सल्तनत को किसी जमाने में खुशी से कबूल नहीं किया और उस वक्त भी, जब ईस्ट-इंडिया कम्पनी की सल्तनत आहिस्ते-आहिस्ते चारों तरफ बढ़ती जा रही थी, हिन्दुस्तान के किसी न किसी कोने में कुछ ऐसे लोग हमेशा मौजूद थे जो उसके खिलाफ मुल्क की आजादी के लिये बगावत करते रहते थे और उसी सिलसिले में बहुत बड़ा वाकया 1857 मे हुआ जब, जैसा कि आपने अपने पासनामे मे फर्माया' इस इलाके मे और हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक साथ लोगो ने सख्त जंग किया और तमाम उन उल्माओ ने आगे चलकर इस दारुल-उलूम को कायम किया, इसमें खुद शरीक रहे और उसके पहले और उसके बाद भी इस जंग को उन्होने जारी रखा और आपने सच ही फर्माया और उसी का एक नतीजा था कि इस दारुल-उलूम को कायम किया गया जहां रूहानी तालीम के साथ इल्मी तालीम भी देने का आपने निजाम किया और एक निहायत छोटा आगाज लेकर जिसमे सिर्फ, जैसा कि आपने फर्माया, एक उस्ताद और एक शागिर्द और जिसका खर्च सिर्फ रु0 400 सालाना था बढ़ते-बढ़ते आज हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया के गैर-मुल्कों मे लेकर भी एक निहायत अजीमुश्शान यह मदरसा यहां कायम किया गया और जिसमें आज 1500 तालिबइल्म तालीम पा रहे है और डेढ़-दो सौ के करीब उस्ताद उनको तालीम दे रहे है जिसका खर्च पाच लाख रुपये से ज्यादा सालाना हो रहा है।

शुरू से बुजुर्ग ने समझ रखा था और मेरे खयाल में बहुत ठीक ही समझ रखा था कि तालीम को आजाद रखना चाहिए। और इसी सिलसिले में जहा तक

---

दारुल-उलूम (देवबन्द) के मानपत्र के उत्तर में भाषण, 13 जुलाई, 1957

मैं समझ सका हूं आपने गवर्नमेंट से कोई इम्दाद नही ली और न शायद आपको कोई इम्दाद ही मिली है। एक तरह से यह इस बात का सबूत है कि जो काम यहां हो रहा है वह मुल्क की आवाम किस तरह से कबूल कर रही है और किस तरह से अपना फर्ज समझ रही है और इसको सिर्फ जारी ही नही रखना है बल्कि इसको जहां तक हो सके और भी आगे तरक्की देना है। मैं वह दिन भूल नही सकता जब हजरत मौलाना के साथ कांग्रेस कमेटियों मे मुझे कभी-कभी बोलने का शर्फ मिलता था और वहां पर मुल्क की खिदमत के लिये जब मुल्क की आजादी के लिये मशविरे हुआ करते थे उनमे आपकी हाजिरी से हम कितने अपने को फायदेमन्द बनाते थे और किस तरह से हम यह समझते थे कि मुल्क की आजादी के लिये अगर किसी एक चीज की जरूरत है तो वह यह है कि मुल्क के सभी रहनेवाले इत्तिफाक से रहे और मिल-जुलकर काम करें। यह एक ऐसा मुल्क है जिसमे मुख्तलिफ मजहब के पैरो, जिसमें मुख्तलिफ जबानो के बोलनेवाले, मुख्तलिफ रस्म-रिवाजों के और तर्ज-जिन्दगी को बरतनेवाले बसते है और ऐसे मुल्क मे सिवाय इसके कि और दूसरा रास्ता नही हो सकता कि हम एक-दूसरे के साथ मुहब्बत, खलिस और रवादारी का बर्ताव रखे और इसी बुनियाद पर इस मुल्क के हरेक रहने वाले को अपनी तरक्की के साथ-साथ मुल्क के सभी दूसरे रहनेवालो की तरक्की मे मददगार हो सकता है और इसी चीज को हमारे मुल्क के कांस्टिट्यूशन बनानेवालों ने अच्छी तरह से समझ लिया है और उसमे साफ-साफ मजहब की आजादी, महजब के फर्ज अदा करने के लिये आजादी, मजहब और दीन की आजादी साथ-साथ दूसरी आजादी को हर तरह से महफूज रखा गया और आज इस मुल्क मे हम यह दावा करते है कि सभी मजहबों के पैरो अपने-अपने तरीके से आराम से रह सकते है और अपने महजब के फर्जो को अदा कर सकते है। जहा इतने लोग रहते है, जिनकी तादाद दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बढ़कर है, जहा तहां कभी-कभी कुछ अनबन हो जाना कोई ताज्जुब की बात नही। मगर हम को देखना यह है कि सभी चीजो को जब हम अपने नजर के सामने रखते है तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि हम सब इस बात को मानते हैं और इस बात पर चलना चाहते है कि हम खुद रहें और दूसरों को रहने दे खुद आजाद रहे और दूसरों की आजादी की उतनी ही कीमत समझे जितनी अपनी आजादी की। और पिछले 40, 50 बरसों का जो भी हमारा तौर-तरीका रहा है और जिस तरीके से हम ने आज तक जंग में मिल-जुल कर काम किया उसका नतीजा यह हुआ था, जरूर होना चाहिए था कि हम एक-दूसरे पर पूरी तरह से इतबार रखें और हर तरह से इस बात के लिये तैयार रहें कि अगर एक पड़ोसी के

ऊपर एक आफत आवे तो हम अपने ऊपर दो आफत बर्दाश्त करने के लिये तैयार रहें मगर उसको उस आफत से बचावें और यही सिलसिला हम को अपनी आजादी को महफूज रखने के लिये आइन्दा भी जारी रखना होगा। हमारे मुल्क की तारीख में हमेशा यह एक कमजोरी रही है कि अक्सर बाहमी फूट और झगड़ों की वजह से हम ने दूसरे को इस बात का मौका दिया कि वह आकर हमार मुल्क पर हावी करे। जहां तक मै हिन्दुस्तान की तारीख को देख सकता हूं किसी मौके पर हिन्दुस्तान के लोग किसी दूसरे मुल्क के मुकाबले में किसी भी बात मे कम नहीं रहे है, और अगर वह लड़ाई मे कहीं हारे भी हों तो किसी दूसरे की वजह से नही बल्कि आपस की फूट और झगड़े की वजह से हारे है। और अगर हम आजादी को हासिल कर पाये है तो इस तरीके से कर पाये है कि हम सब मिल कर एक साथ एक कदम होकर आगे बढ़े थे। मै यही हमेशा प्रार्थना करता हूं कि यह आबहवा जो हम ने उस वक्त कायम की थी यह हमेशा जारी रहे और हमें यह ताकत मिले, हम मे यह मन्सूबा हो कि हम इस मुल्क को हमेशा आजाद रख सकेंगे।

आपके दारुल-उलूम ने सिर्फ इसी मुल्क के लोगों की खिदमत नही की है बल्कि आपने अपनी खिदमतों से यह शौरत हासिल कर ली है कि गैर-मुल्कों के तालिब-इल्म भी आपके यहां आते है और यहां से तालीम पाकर अपने मुल्कों मे जाते है और जो कुछ यहां सीख कर जाते हैं उसकी शाया अपने यहां भी किया करते है। यह इस मुल्क के सब बाशिन्दों के लिये फख्र की बात है और हम यह उम्मीद करते है कि आप खलूस और नेक-नियती के साथ जिस रद्दो-रस्म के साथ इस काम को करते आये है, उसको आप जारी रखेंगे और दिन ब दिन यह दारुल-उलूम और भी तरक्की करता जायेगा और सिर्फ इसी मुल्क की नही बल्कि गैर-मुल्क की भी खिदमत करता रहेगा।

आपने इस पासनामे में चन्द जरूरतों का जिक्र किया। उनमे कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक गैर-मुल्क की गवर्नमेंट से है और वे दूसरे मुल्क से बातचीत करके ही तय की जा सकती हैं जैसे पाकिस्तान से यहां और जगहों से तालिब-इल्मों के आने-जाने का रास्ता खुले, उनको सहूलियतें मिलें, उनके काम के लिये सहूलियतें मिले जैसे गैर-मुल्क से जो आपके लिये रकम है उसके आने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं कि अपने मुल्क में शायद इसकी दिक्कत नहीं है बल्कि जो दिक्कत होती है उन दूसरे मुल्कों के कायदे कानून की वजह से है। यह चीज उनके साथ

बातचीत करके तय की जा सकती है और मैं चाहूंगा कि इस बात को आप गवर्नमेंट के सामने पेश करें और अगर मेरी खिदमत किसी काम की हो सकती है तो मैं हमेशा उसको पेश करूंगा। (तालियां)

दूसरी जरूरत अपने अस्पताल और लाइब्रेरी की इमारत और पानी की निकासी के इन्तजाम। इन तीन चीजों को आपने बतलाया यह ऐसी चीजें हैं जिनमें माली मदद की जरूरत होगी और मैं नहीं समझ सकता कि ऐसे काम के लिए आपको माली मदद के मिलने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नही होनी चाहिए। मै इस चीज़ को आपकी तरफ से पेश करूंगा और जो कुछ हो सकेगा आपकी खिदमत में वह पेश करूंगा ( तालियां) चन्द वजहों से इस वक्त यह मौका मुझ को नहीं मिला कि मैं इन सब बातों को तय करके आपके सामने आऊं और आखिरी चीज़ और फैसला कुछ आपको सुना सकता मगर मुझे उम्मीद है कि इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने जिस खुलुस और मुहब्बत के साथ मेरा स्वागत किया और जिस तरीके से आपने मुझे अपनाया है मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा और तहेदिल से आप सब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं।

# श्री सत्यनारायण की हिन्दी सेवा

देवियो और सज्जनों,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और अपने लिये इसे गौरव का विषय मानता हूं कि आपने मुझे इस समारोह में शरीक होने के लिये आमन्त्रित किया। भारत मे हिन्दी प्रचार का प्रश्न जब कभी दिल मे उठता है तो उसके साथ-साथ सत्य नारायण जी का चित्र आखों के सामने आ जाता है क्योंकि प्रायः इस काम के आरम्भ से ही, ऊपर से ही सही, पर घनिष्ट सम्बन्ध इस काम से मेरा रहा है और मैंने हिन्दी प्रचार का काम आहिस्ता-आहिस्ता बढते हुए और सारे दक्षिण में छा जाते हुए अपनी आंखों से देखा है और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि जो एक नन्हा-सा पौधा महात्मा गांन्धी जी ने अपनी दूरदर्शिता से 1918 साल मे यहां लगाया था वह पौधा आज बढ़कर एक बड़ा सुदृढ वृक्ष हो गया है और उसके फूल और फल प्राप्त होकर सारे देश मे मिल रहे है और पहुंच रहे है। यह काम भी उन्ही कामों मे था जिनके लिये ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओ की आवश्यकता थी जो एकचित होकर और सभी कामों से अपने को हटाकर उसमें लग जाते और जिनके सामने एक ही लक्ष्य होता और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वे सब प्रकार के त्याग करने के लिए तैयार रहते। उसी प्रकार का एक कर्मठ कार्यकर्ता सत्य-नारायण जी के रूप मे हिन्दी प्रचार के काम के लिये मिल गया और उसी का यह फल है कि आज उसका इतना विस्तार हो सका है और इतने लोग हिन्दी सीख सके है और सीख रहे है।

महात्मा गांधी ने आरम्भ में ही देख लिया था कि देश के लिए एक अपनी भाषा आवश्यक है। अंग्रेजी की एक कहावत हम लोग उन दिनों में कहा करते थे कि किसी अंग्रेज को अग्रेजी भाषा मे वाद-विवाद करके कोई गुलाम नही बना सकता अर्थात् उसकी भाषा ऐसी है कि वह गुलाम नही बनने पायेगा और उसी तरह से हम लोग समझते थे कि अगर भारतवर्ष को हमें स्वतन्त्र बनाना है तो विदेशी भाषा मे लोगो को समझा कर स्वतन्त्रता की भावना लोगों के हृदय मे हम उस तरह से जाग्रत नहीं कर सकते है कि हम लोग सचमुच स्वतन्त्र हो जाएं और इसलिये देश के लिए एक भाषा आवश्यक थी जो हमारे हृदय की भावना को अच्छी तरह से, समुचति रूप से व्यक्त कर सके और जो सभी लोगों के लिये सुलभ भी हो। इसमें कठिनाई अवश्य है क्योंकि आज तक हमारी संस्कृति संस्कृत भाषा

---

श्री एम सत्यनारायण, महा मंत्री, दक्षिण भारत, हिन्दी प्रचार सभा, को उनकी हिन्दी सेवा स्मारिका प्रदान करते समय भाषण, हैदराबाद, 29 जुलाई, 1957

के द्वारा ही देश में फैलती रही है और आज भी यदि देश में एक सूत्रता है तो वह बहुत करके संस्कृत से है। पर संस्कृत बहुत दिनों से बोलचाल की भाषा नहीं रही और उसको अगर राष्ट्रभाषा के रूप में हम मानते तो उसमें इस बात की कठिनाई भी पड़ती कि कितने करोड़ लोगों को वह भाषा हमें सिखानी पड़ती। इसलिये प्रचलित भाषाओं में से ही किसी भाषा को लेना आवश्यक था और इसीलिए चूकि हिन्दी सभी प्रचलित हिन्दी भाषाओं में सबसे अधिक प्रचलित थी, स्वभावत: सभी लोगों ने उसे एकमत से मान लिया। इसका अर्थ न तो उस वक्त किसी ने समझा और न आज ही है कि प्रान्तीय भाषाओं को हटाकर हिन्दी उनका स्थान ले लेगी। हम तो आज चाहते है कि हमारी प्रान्तीय भाषाएं खूब समृद्ध हों, उन्नत हों और जिस तरह से रंग-बिरंग के फूलों का एक हार हम बनाते है तो उसकी एक सुन्दर शोभा होती है मगर सब को बाध कर इकट्ठा रखने के लिए एक सूत्र भी चाहिये, उस सूत्र का काम आज सूक्ष्म रूप से संस्कृत कर रही है मगर हम ऊपर से एक ऐसी चीज़ चाहते हैं जो इन अलग-अलग बिखरे हुए फूलो को इकट्ठा करके मारे देश के लिए रखे और इसीलिए एक सूत्र की जरूरत आ पडी है और इसीलिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है।

जब यह काम आरम्भ किया गया था तो कठिनाई जरूर थी मगर में उत्तर भारत का एक रहनेवाला होकर आपके सामने यह स्वीकार करना चाहता हूं कि जिस उत्साह और प्रेम के साथ दक्षिण के लोगों ने हिन्दी को अपनाना आरम्भ किया और जिस तरीके से उन्होने उसका प्रचार किया है वह सब के लिये एक उदाहरण ही नही बल्कि अनुकरण करने की वस्तु है और उसी का यह फल हुआ कि यद्यपि आरम्भ मे इक्के-दुक्के, दो-चार प्रचारक उत्तर से भेजे गये मगर थोड़े ही दिनों के बाद सत्यनारायण जी तथा उनके कार्यकर्ताओ के प्रयत्न और उत्साह से बहुत कम प्रचारक और शिक्षक उत्तर के रह गये और दक्षिण के लोगों ने हिन्दी के प्रचार का भार अपने ऊपर अच्छी तरह से उठा लिया और सम्भाल लिया और आज, जैसा मैंने परसों सुना, पाच हजार कार्यकर्ता दक्षिण भारत में फैले हुए है जो हर जगह हिन्दी की शिक्षा लोगों को देते है। तो जो स्वप्न गांधी जी का था वह तो बहुत कुछ आज पूरा होता हुआ दीख रहा है और हम आशा करते है कि वह दिन बहुत दूर नही है जब सब लोग हिन्दी को अपना लेंगे और इस तरह से अपना लेगे कि वह सारे भारतसर्ष के काम के लिए एक भाषा मान ली जाए। प्रान्तीय कामों के लिये प्रान्तीय भाषाओं की आवश्यकता है और रहेगी और उनकी उन्नति भी होती रहेगी।

सत्यनारायण जी की खूबी यह रही है कि उन्होंने एक ओर हिन्दी प्रचार का इतना बड़ा काम किया और उसका संगठन इतना जबर्दस्त और मजबूत बनाया, उसके इतने ग्रन्थ पूरे कियें, इतनी पत्रिकाएं जारी कीं, साथ ही साथ तेलुगू साहित्य की उन्होंने कम सेवा नहीं की है और तेलुगू भाषा में जो एक सुन्दर शब्द कोष बन रहा है उसको तैयार करने में जहां तक मैं जानता हूं उनका बहुत कुछ हाथ रहा है। यही कारण है कि लोगों का हिन्दी के प्रति अविश्वास नही होकर विश्वास भी बढ़ा है क्योंकि वे देखते है कि जो उसके कर्मठ काम करनेवाले हैं वे प्रान्तीय भाषाओं के प्रति न तो विरोध न उपेक्षा का भाव रखते है बल्कि वे उनके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते है, उनको उन्नत करने के लिए अपना प्रयत्न हमेशा जारी रखते है।

तो यह यहां के लोगों का बड़ा सुन्दर विचार हुआ कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता का आदर किया जाये जिसमे लोगों के सामने दिखला दिया जाए कि सेवा चाहे वह कितनी भी मूक क्यों न हो, चाहे वह ऐसी सेवा क्यों न हो जिसके सम्बन्ध में बहुत प्रचार नहीं हुआ करता, वैसी सेवा का भी लोग आदर करते है यदि वे उस सेवा को देश के लिये आवश्यक और जरूरी समझते है। सत्यनारायण जी को अनुभव बहुत है और वह अनुभव इस प्रकार से हुआ कि यद्यपि हम समझते है कि दक्षिण में उत्तर से एक भिन्न प्रकार के लोग बसते है, उनकी बहुत-सी बातें उत्तर के लोगों से भिन्न है मगर दक्षिण में भी कई भाषाएं चलती हैं और उन भाषाओं के भी अपने अलग-अलग शब्द है, अलग परिपाटी है, लेखन शैली है और लिपि भी अलग-अलग है। इन सब में इस तरह का सामंजस्य हो जिसमें किसी से किसी को विरोध नही हो और हिन्दी प्रचार का काम चारों भागों में अच्छी तरह से और बराबर चलता रहे यह काम मामूली आदमी का काम नही था जो सत्यनारायण जी ने किया। इसलिये आज तामिल क्षेत्र में, कन्नड़ में, मलायालम में तथा जहां के आप लोग रहनेवाले है वहां, सभी जगहों में हिन्दी प्रचार का काम ठीक तरह से चल रहा है। अगर कही पर कमी व बेशी है तो वह अनिवार्य-सा है क्योंकि यह काम लोगों के उत्साह और अन्य अनेक कारणों पर निर्भर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने केवल हिन्दी की ही सेवा नहीं की है बल्कि भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग में एकता को दृढ़ बनाने मे भी उनकी सेवा कम नहीं रही है।

मै चाहता हूं कि जो अनुभव उन्होंने हिन्दी प्रचार कार्य में प्राप्त किया है उस अनुभव से भारतवर्ष लाभ उठाये और केवल दक्षिण में ही नहीं, उत्तर में भी जहां

जहां हिन्दी प्रचार का काम हमको करना है उस काम में जो कुछ सहायता वह कर सकें वह हम लें और उसका लाभ उठायें। इसी विचार से भारत सरकार ने उनको राज्य सभा में स्थान दे दिया और मैं आशा रखता हूं कि अन्य प्रकार की भी जहां-जहां आवश्यकता हो उनकी सेवा हमको मिलती रहेगी। आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र आपके बीच में ही रहा है और यहां उन्होंने बहुत कुछ किया है मगर बाहर भी यदि उनको काम करने का मौका मिले तो आप उदारतापूर्वक उनको अनुमति देंगे। यहां के काम में किसी तरह से कमी नहीं हो बल्कि वह और जोरों से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाये मगर बाहर भी यदि उनके अनुभव से लाभ उठाने का मौका आये तो उसके लिये आप उन्हें अनुमति देंगे। मैं अपनी ओर से उनको क्या कहूं। जिस वक्त से यह काम शुरू हुआ, मुझे याद भी नहीं है कि मेरी पहली मुलकात उनसे कब हुई, तब से हम उनको जानते हैं और हिन्दी प्रचार का काम और उनका नाम एक साथ मेरे दिमाग में जुड़ा हुआ है और हमेशा उनके सम्बन्ध में तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनका उत्साह, प्रेम, कार्यदक्षता और काम करने का तरीका हमारे सामने आता है तो मैं मुग्ध हो जाता हूं। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि वह बहुत दिनों तक हमारे बीच में रहकर इस प्रकार की सेवा सारे देश के लिये करते रहें।

# रचनात्मक कार्यकर्ताओं से भेंट

आन्ध्र प्रदेश बराबर से रचनात्मक काम का एक केन्द्र रहा है और आज से करीब-करीब 35 वर्ष पहले या और भी ज्यादा पहले जब जोरों से यह काम आरम्भ किया गया था तो सब से अधिक आन्ध्र की खादी अन्य-अन्य जगहों में पहुंचती थी और जहां वह जाती थी उसको देखकर लोगों ने खादी के प्रति प्रेम दर्शाया और उसे अपने काम के लिये स्वीकार और ग्रहण किया। उस वक्त से अब तक जब कभी रचनात्मक काम शुरू किया गया तो यहां के लोगों ने बहुत सहायता की और उत्साहपूर्वक उस काम को किया। इस वक्त भूदान यज्ञ का काम बहुत जोरों से चल रहा है। इसका भी आरम्भ आपके इसी इलाके में, भारतवर्ष के इसी भूभाग मे आरम्भ हुआ था जो आज सारे देश मे छाया हुआ है और जिसके सम्बन्ध मे बडी-बडी आशाएं रखी जाती है और जिसमे देश का बहुत बडा हित पूरा हो सकेगा।

तो आप लोग यहा काम कर रहे है, चाहे वह खादी का काम हो, चाहे भूदान का काम हो, चाहे अछूतोद्धार का काम हो, पिछडी जातियों के बीच में काम हो, सब प्रकार के कामों में आपको इस बात मे प्रोत्साहन मिलना चाहिये और इस बात का गौरव मानना चाहिये कि आप एक ऐसे स्थान मे, एक ऐसे प्रान्त मे काम कर रहे है जहा इस प्रकार के काम करने की एक परम्परा-सी हो गई है।

अब पहले के मुकाबले में अधिक सुविधा भी दी जा सकती है क्योंकि इन सब चीजों मे सहायता करने के लिये चाहे यहा की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो सभी वचनबद्ध है और उनकी ओर से काम में सहायता मिल भी रही है उसे अच्छी तरह से काम में लाना, इस तरह से ऐसे काम मे लाना कि लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो सके बहुत करके कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है और इसलिये कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह होना चाहिये, इतनी दृढ़ता होनी चाहिये कि जो उनसे आशा रखी जाती है उस आशा को वे अपने काम से पूरा कर सके। विशेष करके ऐसे स्थान में जहा एक परम्परा-सी हो गई है और जहां पहले इस तरह का काम हुआ है कार्यकर्ताओं से और भी अधिक आशा रखी जाती है। इसलिये जब मैं इधर आता हूं और आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ चर्चा भी हो जाती है तो उससे उत्साह बढ जाता है। मैं समझता हूं कि आप लोग अपने काम मे लगे रहेंगे तो कभी कोई ऐसी बात भी हो जिससे

---

राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद मे स्थानीय रचनात्मक कार्यकर्ताओं को संदेश, 4 अगस्त, 1957

कभी हतोत्साह होने का मौका आ जाये तो उसमें डरने या घबडाने का काम नहीं है बल्कि दुगुने उत्साह से आप आगे बढ़ेंगे। मै तो आशा रखता हूं कि आप सब धैर्य के साथ, उत्साह के साथ अपने काम में लगे रहेंगे, काम चाहे तेजी से आगे बढ़े चाहे सुस्ती से आगे बढ़े, काम में दूसरों की सहायता मिले या नहीं मिले पर आप अपने काम में लगे रहेंगे. जुटे रहेंगे और काम करते जायेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे काम का लाभ सारे देश को पहुंचेगा और सारा देश इसके महत्व को अच्छी तरह से समझ लेगा।

मै समझता हूं कि लोग इसे समझते है। ऐसी बात नहीं है कि लोग इसे नही समझते हैं। तो इसको फैलाने का अब बहुत मौका है। मगर यह चीज़ भी हम नहीं भूलें कि जिस तरह से रचनात्मक काम हम करते है और जिस उद्देश्य से हम करते है वह सब को मंजूर नहीं है। देश का भला हो इस बात को सभी लोग मानते है पर सभी लोग यह नहीं मानते कि महात्मा गान्धी जी का जो बताया रास्ता है उसी पर चलने से देश आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों का दूसरा ही रास्ता है और उसी रास्ते से वे देश को आगे बढ़ाना चाहते है। जो जिस रास्ते से देश के लिए काम करना चाहे उसको उस रास्ते से काम करने का हक है और यदि सभी लोग अपने रास्ते से चलें और सच्चाई से और उत्साह के साथ काम करें तो देश का हित होगा। इसलिये विश्वास के साथ काम को बढ़ाना चाहिये और हतोत्साह नही होना चाहिए। मै इतना ही कहूंगा कि जिनको काम करने का मौका मिला है वे अपना काम उत्साहपूर्वक करते जाएं और सफलता की हमेशा आशा नही रखें यद्यपि कभी कभी आशा पूरी भी होती है ? जिस वक्त हम लोगों ने 1920 में स्वतन्त्रता की लड़ाई शुरू की थी, शायद ही कोई समझता था कि हम स्वतन्त्र हो सकेंगे। मगर वह काम हम लोगों ने अपने हाथ मे लिया और जिस आशा और विश्वास के साथ उसको हमने महात्मा गान्धी जी के नेतृत्व में किया और हम स्वतन्त्र हुए। जो उस वक्त नही चल सके वे रह गये और हम लोग महात्मा गान्धी जी के बताए रास्ते पर चले तो स्वतन्त्र भी हुए। उसी तरह बहुत काम अभी बाकी है उसको विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलकर करना है। मैं आशा रखता हूं कि इस तरह मे आप लोग काम करेंगे तो अन्त में सफल रहेंगे।

82

# पालिटेकनिक का उद्घाटन

राज्यपाल साहब, मुख्य मंत्री जी, बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने, मुझे यह मौका दिया कि इस संस्था के साथ मैं श ीक हो सकूं। जब मुझे इस बात की खबर मिली कि यहां पर इस तरह का पालिटेकनिक इन्स्टीट्यूट खोलने का इरादा है, उसके लिये रुपये बहुत कुछ जमा हो चुके हैं और जो कुछ अगर बाकी है उसका भी इन्तजाम हो जाने की उम्मीद है और जनता के इस जोश को देखकर यहां की गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने भी पूरी मदद करने का इरादा कर लिया है तो मुझे लगा कि और ज्यादा इससे बढ़कर किसी भी इन्स्टीट्यूट के लिये और कुछ नहीं हो सकता है कि जिसको गवर्नमेंट की मदद हो, वहां की जनता की मदद हो और जिसके साथ सब लोगों का आशीर्वाद हो। इसीलिए मैं ने इसको खुशी से मंजूर भी कर लिया और आज मैं यहां हाजिर हुआ हूं।

इस वक्त मुल्क में हम इस कोशिश में लगे हुए है कि यहां सब चीजों की पैदावार बढ़ाई जाए चाहे वह काश्तकारी या खेती से हो, चाहे कारखाने के जरिये से हो चाहे छोटे मोटे धंधो के जरिये से हो, चाहे ग्रामोद्योग से हो, हर तरह से हर किस्म की पैदावार हम किस तरह से बढ़ावें जिसमें यहां के लोगो को कुछ ज्यादा मिले और वह कुछ ज्यादा आराम से रह सकें। अभी भी हजारों किस्म की चीजें ऐसी है जिनके लिये हमको गैर मुल्कों पर भरोसा करना पड़ता है और अपने मुल्क के अन्दर हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हो सके अपनी जरूरतों को हम खुद पूरा कर सकें और इसी कोशिश में गवर्नमेंट भी लगी हुई है। हमारे यहा के लोग, कामगार लोग, रोजगारी लोग, इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स भी इसी काम में लगे हुए हैं और उम्मीद की जाती है कि हम जल्द ही काफी तरक्की कर सकेंगे।

उस तरक्की के लिए और इन सब कामों में पूरी कामयाबी हासिल करने के लिये ो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो उसमें जो कुछ पूंजी लगे, कैपिटल लगे उसकी जरूरत पड़ती है और उससे भी ज्यादा इस चीज़ की जरूरत पड़ती है कि उसके लिये अच्छे से अच्छे काम करनेवाले मिल जायें। वह भी दो किस्म के चाहिये। एक तो वह जो इन्तजाम कर सकें, जो ऊपर से उसको इस तरह से चलावें जिसमें नुक्सान नहीं होन पाव और मुल्क को फायदा हो, और दूसरे ऐसे

---

पालिटेकनिक इन्स्टीट्यूट का उद्घाटन करते समय भाषण, हैदराबाद, 6 अगस्त, 1957

लोगों की जरूरत है जो कारखानों में अपने हाथ से काम करते हैं चाहे वह ऊंचे दर्जे पर हों चाहे महज मामूली मजदूर के दर्जे पर हों, उन सब को काम करना पड़ता है। हमारे मुल्क में आदमियों की कमी नहीं है अगर कमी है तो इस बात की कि उनमें से अभी थोड़े ही लोग ऐसे है जो इस तरह की तालीम पा चुके हैं जो इस तरह के कारखाने ठीक तरह से चलावें और ऐसे कारखाने में काम करें और ऐसे लोगों को तैयार करने के लिये इस तरह का प्रशिक्षण केन्द्र, पौली-टेकनिक इन्स्टीट्यूट खोलना पड़ता है। यह एक खुशी की बात है कि मुल्क के अन्दर इस तरह की चीजें आज खुलती जा रही है और जहां तहां लोगों की मदद से, गवर्नमेंट की मदद से इस तरह के इन्स्टीट्यूट आज कायम हो रहे है और उसी सिलसिले में आपके यहां भी यह निहायत जरूरी और कीमती काम हो रहा है। तो मै उम्मीद करूंगा कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस उम्मीद को लेकर इसको कायम करनेवालों ने काम शुरू किया है वह पूरी हो सकेगी। जहां तक मैं देख सकता हूं इसकी कामयाबी में कोई शुभा या संदेह नजर नहीं आता है। वल्कि जो कुछ हो सकता था आपने सब दूर कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको पूरी कामयाबी होगी।

मैंने देखा कि इसकी जरूरत इससे भी ज्यादा हो जाती है कि जहां आपको 100-125 लड़कों की जरूरत थी, 300-350 दर्खास्तें आपके पास आयीं और उनमें से चुनकर थोड़े ही लोगों को भरती करने का मौका मिला। यही हालत हमारे मुल्क में है। जो हमारे यहां आज तक तालीम रही है उसका आज के जमाने से मेल नहीं बैठता। जिस चीज़ की हमको जरूरत है वह हमारे तालीम याफ्ता लोग नही दे सकते है और जिस चीज़ को लेकर वे कालेज से निकलते है वह काम नही आती। इन दोनों में ताल मेल नही होने से एक ऐसा तबका पैदा हो रहा है जो जिन्दगी से एक तरह से नाउम्मीद होकर कोई काम नहीं मिलने की वजह से बिगड़ जाते हैं और खुराफात करते है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम ऐसा इन्तजाम करें कि जैसे जैसे हमारा कारबार आगे बढ़ता जाए, जैसे जैसे मुल्क में ऐसे आदमियों की जरूरत बढ़ती जाये, वेसे वेसे हम उन आदमियों को तैयार करते जाएं और जहां उनकी जरूरत हो उनको मुहैय्या करते जायें। दोनों में मेल होगा तभी ठीक तरह से काम चलेगा। में उम्मीद करता हूं कि आप इस तरफ ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि जो लड़के ऐसे इन्स्टीट्यूट से तैयार होकर निकलें उनको काम नहीं मिले और दूसरी जगह काम करनेवाले के बगैर काम रुका रहे। जैसी जरूरत हो, जिस तरह के आदमियों की जरूरत हो

उसी तरह के श्रादमियों को तैयार करना चाहिये श्रौर पोलीटेकनिक का मतलब ही यही है कि उसमे इसकी गुंजाइश है कि कई तरह की तालीम दी जा सके। तो श्राज टेकनीशियन तैयार करने हैं, श्राप तैयार करें। श्रगर श्रापको देखने में श्रावे कि श्रब टेकनिशियन की जरूरत नही रह गयी है, श्रब इन्जीनियर या मैकेनिक की जरूरत है तो उनको तैयार कीजिये। इसी तरह जरूरत को ध्यान में रखकर नवजवानो को तैयार करना है श्रौर जो कारखाने वाले हैं या जो इस तरह के काम में दिलचस्पी लेते है चाहे वह गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कम्पनी हो उनको ध्यान रखना चाहिए कि यहां जो लड़के तैयार होकर निकलें उनको राजी खुशी रखें श्रौर उनसे श्रच्छा काम लें। उनका फर्ज यह भी है कि चाहे वे जिस जगह भी हों, जिस काम मे हो उसे खूबी से श्रंजाम दें, श्रपने को खुश रखें श्रौर जो उनके एम्प्लायर है उनको भी खुश रखें श्रौर मुल्क को भी उन्नत करें। मेरी यही खाहिश है श्रौर मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि श्रापकी यह कोशिश हर तरह से कामयाब हो श्रौर यहां के लड़के श्रच्छी से श्रच्छी तालीम पाकर निकलें श्रौर श्रच्छा से श्रच्छा काम कर सकें तथा जहां काम है वहां श्रादमी की कमी न हो श्रौर लड़कों को काम की कमी न हो। मै उम्मीद करता हूं कि श्राप इस प्रयत्न में सफल होगे।

# केरल हिन्दी साहित्य सम्मेलन

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, बहनों तथा भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज हिन्दी साहित्य सम्मलन का आपके केरल प्रदेश में उद्घाटन कर रहा हूं। जैसा आपको अभी बताया गया, हिन्दी प्रचार का काम महात्मा गान्धी ने आज से प्राय: 29 वर्ष पहले 1918 साल में शुरू किया था और उसी वक्त उन्होंने इस बात को देख लिया था कि राष्ट्रीयता के लिए एक भाषा की कितनी बड़ी आवश्यकता थी। वह यह मानते थे और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सारे देश भर में कोई मतभेद नहीं है कि हमारी एकता के लिये एक भाषा का होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जितनी प्रान्तीय भाषाएं हैं उनके स्थान पर कोई एक भाषा आ जाये बल्कि उसका इतना ही अर्थ है कि सार्वदेशिक कामों के लिये, चाहे वह राजनीतिक काम हो, चाहे शासन का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो सब काम एक किसी भाषा में होना चाहिये। जब इस विषय पर विचार किया गया कि भारत भर में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से सब से अधिक संख्या उन लोगों की है जो हिन्दी बोलते हैं तो हिन्दी को यह स्थान देने का निश्चय किया गया। इससे किसी के हृदय में कोई ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए कि किसी प्रान्तीय भाषाको दबाने या निर्मूल कर देने का किसी के दिमाग में किसी वक्त कोई बात आयी हो। बल्कि हम यह चाहते हैं कि जितनी प्रान्तीय भाषाएं हैं सभी समुन्नत हों खूब फैलें और सारे देश में उनके द्वारा जहां तक भला हो सकता हो होवे। इसलिये प्रान्तीय भाषा में और सार्वदेशिक भाषा के रूप में हिन्दी में कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए और न है।

यह भी समझ लेना बिलकुल भूल है कि हिन्दी को जबर्दस्ती लादने का प्रयत्न किया जा रहा है। हिन्दी को संविधान सभा में सर्वसम्मति से, एकमत से राष्ट्र-भाषा स्वीकार किया गया और उसमें यह भी स्वीकार कर लिया गया था कि उसको कार्यरूप में लाने के लिए 15 वर्ष की अवधि दी जाये और वह अवधि दी गई है। मुझे इस बात का विश्वास और भरोसा है कि इस प्रान्त में जहां सब से अधिक शिक्षा का प्रचार है वह संविधान का आदेश पूरी तरह से पूरा हो सकेगा। आप सब के लिये हिन्दी सीख लेना कोई उतना कठिन काम नहीं है जिससे कि आपके दिल में किसी प्रकार का डर हो। अंग्रेजी से आज किसी भी

---

अखिल केरल हिन्दी साहित्य सम्मेलन में भाषण, त्रिवेन्द्रम, 12 अगस्त, 1957

भारतीय भाषा का वैसा सम्बन्ध नहीं है कि समझा जाये कि एक शब्द भी अंग्रेजी भाषा का किसी भी भारतीय भाषा में आया हो अथवा किसी भारतीय भाषा का एक शब्द अंग्रेजी में गया हो। तो भी हमारे देश के लोगों ने और विशेष करके इस प्रान्त के लोगों ने अंग्रेजी को सीखने का जब प्रयत्न आरम्भ किया तो उसको इस तरह से सीखा, ऐसा समझ लिया कि सब बात की बात में अंग्रेजी इस तरह से लिखने और बोलने लग गये और इस तरह से उन्होंने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया कि जिनकी वह मातृ भाषा है वे भी इस बात से चकित हो जाते हैं कि भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा पर इतना काबू किस तरह से कर लिया।

हिन्दी और मलयालम की शब्दावली बहुत करके संस्कृत से ली गई है और व्याकरण तथा कुछ शब्द ऐसे है जो एक दूसरे को समझ मे नहीं आते। उसको समझ लेने का काम आपका है। मै चाहता हू कि उत्तर भारत के रहनेवालों का यह काम है कि दक्षिण भारत की किसी एक भाषा को वे सीख लें जिसमे वे इनके विचार को समझ सकें तथा इनमें जो अच्छी से अच्छी साहित्यिक चीजें मौजूद हैं उनको हिन्दी में अनुवाद करके हिन्दी बोलने वालों के सामने रखें। भारत की सभी भाषाओं मे ऊंचे से ऊंचे साहित्यिक ग्रन्थ है। उनका एक से दूसरी भाषा में और जहा तक हो सके सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाये और उसका सारे देश के अन्दर प्रचार किया जाये। तो इस तरह का काम सारे देश में चल रहा है और मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि इस प्रान्त में भी जब से यह काम शुरू हुआ अच्छी प्रगति हुई है और दिन प्रतिदिन और प्रगति होती जा रही है। जो संख्या पढ़कर आपको सुनायी गई उससे पता चल जाता है कि कितने जोरों से हिन्दी का प्रचार यहां हुआ है और मुझे इस बात का विश्वास है कि आप लोग इस प्रान्त के निवासी इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहेगे। और मेरे जैसे हिन्दी बोलने वाले को जल्द ही मात कर देंगे क्योंकि आप इस भाषा को एक भाषा के रूप मे सीखते है और जो हिन्दी बोलने वाले है वे न तो उसका अध्ययन करते है और न इस बात का प्रयत्न करते है कि उनको इस भाषा के साहित्य के साथ परिचय हो जैसा किसी अन्य भाषाभाषी का परिचय होता है। इसलिये मै तो यह मानता हू कि जब तक आप इस ओर ध्यान नहीं देते है तभी तक कुछ कमी है। जब ध्यान देगे तो इस बात की कमी नहीं रहेगी।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपकी मदद यूनिवर्सिटी कर रही है और गवर्नमेंट से भी पूरी सहायता मिल रही है। जब लोगों में उत्साह है, काम करनेवाले तैयार है, गवर्नमेंट तथा यूनिवर्सिटी की सहायता आपको प्राप्त है

श्रौर मैं श्रापको विश्वास दिलाता हूं कि इस काम में भारत सरकार की भी सहायता श्रापको मिलती रहेगी तो फिर कोई कारण नहीं कि जल्द से जल्द हिन्दी का इतना प्रचार हो कि सभी लोग यहां हिन्दी सीख लें। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि श्राप इस काम में सफल होंगे । मैं मानता हूं कि यह सम्मेलन उसीका प्रतीक है ।

# 1857 का विद्रोह

आज पूरे 100 वर्ष हुए जब जनता के असन्तोष के कारण भारत म एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के विरुद्ध भारत भर में विप्लव हुआ। चाहे हम 1857-59 के उस आन्दोलन को किसी नाम से पुकारे वह एक संयोगिक घटना मात्र नहीं था। भारत के लोगों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन को सहज भाव से कभी स्वीकार नहीं किया।

कम्पनी राज्य की स्थापना आहिस्ता आहिस्ता एक प्रकार से अदृश्य रूप से अनायास ही भारतीयों के आपस के झगड़ों के कारण हो गई थी। पर शीघ्र ही उसके दुष्परिणाम लोगों के देखने में आनेलगे और जहां देश के एक भूभाग में उसका विस्तार फैलता जा रहा था वहां साथ ही साथ किसी दूसरे भूभाग में उसके विरुद्ध विद्रोह भी बराबर होते रहे। यह कहना कठिन है कि 1757 से लेकर 1857 के विद्रोह के समय तक कोई भी समय ऐसा रहा हो जब किसी न किसी प्रकार से और कहीं न कहीं भारतीयों ने कम्पनी राज्य के प्रति अपना विरोध क्रियात्मक रूप से प्रदर्शित न किया हो। इसके कारण भी थे। कम्पनी और उसके कर्मचारियों ने व्यापार अपने हाथ में कर लिया था और देश के व्यापारी या तो उससे वंचित हो गये थे अथवा अंग्रेजों के दलाल मात्र रह गये थे। कम्पनी ने जमीन के सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न भागों में नये नये कारण बना कर और सख्ती से माल वसूल करने की प्रथा अपनाकर जिसमें कर अदा न करने पर सारी जमीन नीलाम कर देने की प्रथा भी शरीक थी, अनेकों को अपनी पुश्तैनी जमीन से वंचित कर दिया था। नये प्रकार की खर्चीली और श्रम व्यय और समय साध्य कचहरियों ने जिनमें इन्साफ मुश्किल से मिल सकता था और नये कानूनों ने बहुतेरों को तबाह कर डाला था। नये प्रकार के कर लगाए गए थे जो कड़ाई से वसूल किए जाते थे। ईसाई पादरियों ने अपने प्रचार से अनेकों को दु:खी और मर्माहत किया था और इनके कारण तथा कुछ कामों व नये कानूनों जैसे सती प्रथा को रोक देना, धर्म परिवर्तन करने पर भी पैतृक और कौटुम्बिक सम्पत्ति पर स्वत्व कायम रहना, फौज में नये प्रकार के टोटा दाखिल करना जिनको दांतों से काटना पड़ता था और जिनकी चिकनाई समझा जाता था कि गाय और सूअर की चरबी के कारण है— इत्यादि के कारण लोगों के हृदयों में यह बात बैठ गई थी कि सब को ईसाई बनाने का ही प्रयत्न हो रहा है। कम्पनी राज्य का ऐसा शासन जिससे देशी रियासतें एक एक करके समाप्त होती

---

राष्ट्र के नाम संदेश, अगस्त 14, 1957

गई और उनके भूभागों को कम्पनी राज्य मे मिला लिया गया और सब से अधिक खुल्लमखुल्ला धन का अपहरण और घरेलू धन्धों और कुटीर उद्योगों का विनाश जिससे अमीर और गरीब कोई भी न बच सका, इन सब से मिल मिलाकर एक ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई कि असन्तुष्ट लोगों की एक बड़ी संख्या सारे देश मे खड़ी हो गई और अनेकों के हृदयों मे कम्पनी राज्य समाप्त करने की इच्छा हो गई चाहे यह उनमें से अनेकों के निजी स्वार्थ पर ठेस लगने के कारण ही क्यों न हुई हो। दूसरी तरफ कम्पनी की शक्ति भी काफी बढ़ गई थी और सम्मिलित और आयोजित विद्रोह भी असम्भव नही तो बहुत कठिन अवश्य जान पड़ता था।

इसीलिये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में और 19वी शताब्दी के आरम्भ में देश के विभिन्न भागों में ऐसे आन्दोलन होते रहे जिन का उद्देश्य इस शासन को समाप्त करना या इसके विस्तार को रोकना था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1857 में होने वाला आन्दोलन विदेशी शासन के विरुद्ध उस समय के सभी आन्दोलनों में अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लेखकों और इतिहासवेत्ताओं ने इस आन्दोलन को हमारी स्वाधीनता का देशव्यापी युद्ध या आन्दोलन माना है।

जो विप्लव मेरठ से आरम्भ हुआ और जिसकी लपेट में सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश तथा बिहार, बंगाल और मध्यप्रदेश तथा पंजाब के कुछ भाग आ गए, उसके विस्तृत घटनाक्रम में न जाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसके मूल में कम्पनी राज्य की धांधली से कोई असन्तोष था और जिन लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया उनमें से अनेकों के हृदय में देशभक्ति की भावना थी। इसके अतिरिक्त धर्म पर आक्षेप और तज्जन्य आशंका भी लोगों को इस विप्लव में जुटा देने में सहायक हुई।

1857-59 के आन्दोलन से जहां यह बात निर्विवाद रूप से सामने आती है कि लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना थी, वहां हम यह भी देखते हैं कि इसके परिणामस्वरूप कुछ ऐसे जननायक प्रकाश में आए जिन्हे जनता देशभक्ति और वीरता का प्रतीक मानने लगी है। तांतिया तोपे, अहमदुल्ला, कुंवरसिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उन्हीं लोगों में गणना है। 1857-59 में जो घटनायें घटीं उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता हिन्दू और मुसलमानों में एकता की भावना थी। आन्दोलन के समय हमें कहीं भी साम्प्रदायिकता की भावना का परिचय नहीं मिलता। विप्लव के आरम्भ हो जाने

के बाद विद्रोही एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये समान रूप से आगे बढ़े। अनेकों ऐतिहासिक उलझनों और संदिग्ध घटनाओं के बीच हमें यह बात साफ दिखाई देती है कि विद्रोही एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना से प्रेरित हुए थे। आन्दोलन के इस महत्वपूर्ण पहलू की अवहेलना नहीं की जा सकती।

हो सकता है कि आज निरपेक्ष भाव मे विचार करने पर हम उन कतिपय बातों और घटनाओं को जिनके कारण घोर असन्तोष पैदा हुआ था आज निर्दोष और निर्विकार समझे। पर प्रश्न यह नही है कि आज हमारा विचार 100 वर्षो के बाद उनके सम्बन्ध में क्या है, किन्तु विचारणीय बात यह है कि उनका असर उस समय के लोगों के दिलों पर बहुत बुरा पड़ा था और उनसे लोग आशंकित हुए थे कि उनके धन, सम्पत्ति, स्वाधीनता और धर्म पर धक्का ही नहीं लगा था बल्कि उनको निर्मूल करने के प्रयत्न किये जा रहे थे। इस विप्लव से आज भी हम यह सीख ले सकते हैं कि स्वाधीनता की प्राप्ति अथवा रक्षा के लिये अमित त्याग अपेक्षित है।

आज के दिन जबकि हम 1857 के आन्दोलन की शताब्दी मना रहे है मै अपने सभी देशवासियों का अभिनन्दन करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश सदा इस स्वाधीनता को भोगता रहे जिसे प्राप्त करने के लिये आज से 100 वर्ष पहले प्रयास किया गया था।

91

## स्वाधीनता दिवस

आज की परेड देख कर और इसमें भाग लेनेवाले सैनिकों, पुलिस कर्मचारियो, स्काउटों और गर्ल गाइड्स की चुस्ती देख कर मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ है। इस प्रशंसनीय कार्य के लिए मै उन सब को बधाई देता हू।

आज हम स्वाधीनता की दसवीं वर्षगांठ मना रहे है और इस अवसर पर मैं केरल राज्य के सब लोगों का हृदय से अभिनन्दन करता हू और उनकी सुख समृद्धि के लिए अपनी शुभ-कामनाये अर्पित करता हू।

इस अवसर पर मै आप लोगों के बीच रहा, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप लोगो ने जो मेरा स्वागत किया और इन दिनों में केरल की जनता ने मेरे प्रति जो स्नेह दर्शाया, उससे मै बहुत प्रभावित हुआ हूं। त्रिवेन्द्रम नगर मे या देहात में मै जहां कही भी गया हू, स्त्री, पुरुषो और बच्चों की भारी भीड ने मेरा स्वागत किया है। इस प्रेम के प्रदर्शन के लिए मै उनका आभारी हू। मै यह जानता हूं कि आपने जो आदर-भाव दर्शाया है, वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नही बल्कि भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के लिए है, जिस पद पर सयोग से इस समय मै आसीन हू। इस कारण इस सार्वजनिक प्रदर्शन तथा उत्साह का महत्व और भी अधिक हो जाता है।

दूसरे राज्यों की तरह, निस्सन्देह आपके राज्य के सामने भी कई एक समस्यायें है जिनका समाधान जनता के हित में शीघ्र से शीघ्र होना आवश्यक है। अपने अल्प प्रवास के समय में मैने जो कुछ देखा और समझा है उससे यह विश्वास होता है कि आपका भविष्य आशामय है। मुझे यह कहने मे प्रसन्नता होती है कि आपकी सरकार इन समस्याओं को उत्साह और लोकसेवा की भावना से सुलझाने में तत्पर है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल भारत का सब से छोटा राज्य है, किन्तु मानवीय तथा भौतिक साधनों की दृष्टि से वह छोटा नही। प्रकृति ने आपके राज्य को बहुमूल्य वरदान दिए है जिनके कारण इसे भौतिक सम्पन्नता ही नही बल्कि असाधारण सौन्दर्य और सुषमा भी मिली है। रही मानवीय साधनों की बात, देश भर में ही नही विदेशों में भी केरल के लोग अपने बुद्धिबल और परिश्रम के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि आपके सामने कठिन समस्यायें हैं, जिनमे सबसे बड़ी समस्या अत्यधिक आबादी की है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि निजी साधनशीलता.

---

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भाषण, त्रिवेन्द्रम, 15 अगस्त, 1957

के बल पर और भारत सरकार द्वारा दी जानेवाली सुलभ सहायता के कारण आप यथासमय इन्हें सुलझा सकेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार की ओर से मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपकी जो समस्यायें हैं उन्हें सुलझाने के लिए जो प्रयत्न आवश्यक है, आपकी सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्र की सहानुभूति तथा सद्भावना पर निर्भर कर सकती है।

केरल के नर नारियों, एक बार फिर मैं आपका अभिनन्दन करता हूं और आपके प्रति शुभ-कामना प्रकट करता हूं। मेरी यह प्रार्थना है कि नववर्ष में जो आज से आरम्भ होता है, आपका जीवन अधिक सुखी और सम्पन्न हो।

"जय हिन्द"

# ग्रामदान परिषद्

मुझे इस बात का अफसोस है और मैं इस बात की माफी चाहता हूं कि जो बहस हुई उसमें न तो कल शरीक हो सका और आज भी करीब करीब आखिर में पहुंच सका। जब से विनोबा जी ने यह भूमिदान का काम शुरु किया है उसमें मेरी दिलचस्पी रही है और मैं दूर से ही सही पर ध्यानपूर्वक इस विचार के विकास को देखता रहा हूं। ग्रामदान की जो व्याख्या विनोबा जी ने विस्तारपूर्वक की उससे इसके सब पहलू और भी स्पष्ट हो गये। यह समाज को एक नये ढांचे में ढालने का अहिंसात्मक प्रयोग और प्रयास है। जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता गया और इसका रूप बदलता गया और कल जो विनोबा जी ने ग्रामदान का रूप बतलाया कि कैसे इसका रूप बन चुका है, इससे मेरी दिलचस्पी बढी और मेरी दृष्टि में इसका महत्व और भी बहुत बढ़ गया।

भूदान और ग्रामदान मे बहुत बड़ा अन्तर है। भूदान में जिसके पास जमीन होती है उससे इसका एक अंश आप मांग लेते थे। वह अपनी संपत्ति का एक भाग दे देता था और बाकी का मालिक बना रहता था। दान की प्रथा हमारे देश मे प्राचीन काल से चली आयी है और सच पूछिए तो सभी देशों और धर्मों में दान देने का बड़ा महत्व रहा है। भूमि का दान तो और भी महत्व रखता है। इसलिये जब विनोबा जी ने भूमि का दान लोगों से मांगा तो उसे लोगों ने हमारे परम्परागत विश्वास के अनुकूल ही समझा और खुशी से बहुतेरों ने दान दिया। अन्तर केवल इतना ही था कि प्राचीन प्रथा में दान किसी व्यक्ति-विशेष को दे दिया जाता था या किसी एक संस्था विशेष को दे दिया जाता था पर विनोबा जी को जो दान मिला वह किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था-विशेष के लिये नहीं पर सभी भूमिहीन गरीबों के लिये मिला। पर वह भी तो दान ही था और सम्पत्ति का दान था। जो जमीन दान देने वाले की बच जाती थी उसका वह मालिक बना रहता था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमिहीन मजदूर को भूमि मिले। मगर ग्रामदान का रूप जो अब हुआ उसमें वह बात नहीं रह जाती है। भूदान में दान की बात थी पर ग्रामदान में मिल्कियत की भावना रह ही नहीं जाती है। इसमें यह बात नहीं है कि भूमिहीन मजदूरों को जमीन मिले। इसमें तो इसके विपरीत जमीनवाले को भी भूमिहीन बनाकर मजदूरों की पंक्ति में बिठा दिया जाता है अर्थात सब मिल करके सबके लिये काम करेंगे। यह क्रांतिकारी परिवर्तन अहिंसात्मक ढंग से ही किया जा रहा है जिसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती

---

ग्रामदान परिषद, येलावल (मैसूर) में भाषण, 22 सितम्बर, 1957

नहीं की जाती और सब लोग अपनी खुशी से जिसको आजतक अपनी संपत्ति मानते आये हैं उसे दूसरों के हित के लिये स्वेच्छा से छोड़ देते हैं और स्वयं भी दूसरों के साथ मिलकर सबके लिये परिश्रम करने लगते हैं। यह हिंसात्मक ढंग है। इसलिये जब मैं कभी सुनता हूं कि यह काम कानून द्वारा कराया जाए तो वह बात मुझे खटकती है, क्योंकि कानून का रास्ता भी अन्ततः अहिंसात्मक नही है। सच पूछिए तो किसी प्रकार की गवर्नमेंट पूरी तरह अहिंसात्मक हो ही नही सकती क्योंकि उसका अतिम आधार ( Ultimate Sanction ) हिंसा ( Violence ) है । प्रतिदिन की कार्रवाई मे अथवा सभी प्रकार की प्रक्रियाओं में हिंसा का रूप स्पष्ट न भी दीखता हो तो भी शासन को जन-साधारण से अपनी बात को मनवाने का एक मात्र साधन अन्ततः उसमें निहित हिंसात्मक बल प्रयोग ही होता है। इसलिये यदि हम ऐसा समाज बनाना चाहते है जो पूर्णरूप से अहिसात्मक होगा तो उसके निर्माण में किसी रूप में हिंसा को नही आने देना चाहिये। जो ऊंचा उद्देश्य और आदर्श आपने सामने रखा है वह इस प्रकार के हिंसात्मक समाज का निर्माण है। इसलिये उस निर्माण में आपने जो अहिंसात्मक तरीका अख्तियार किया है अर्थात् लोगों को स्वेच्छा पूर्वक उस समाज में सम्मिलित होने का—वही ठीक है। यू तो गवर्नमेंट भी जमीन सम्बन्धी कानून में हेरफेर करके भूमिहीनों को भूमि देने और ऐसे लोगों के हाथ से जिनके पास बहुत जमीन है अथवा जो स्वयं जमीन पर परिश्रम नहीं करते उनसे जमीन ले कर भूमिहीनों मे बांटने का प्रयत्न जोरों से कर रही है। इसका एक प्रमाण यह है कि 1952 से 1957 के सितम्बर तक प्रायः पांच वर्षों में मैंने करीब करीब 240 बिलों पर हस्ताक्षर किये है। इनके अलावा 1947 से 1952 तक और कितने बिल (विधेयक) पास हुए और कितने ऐसे दूसरे बिल पास हुए जिन पर मेरा हस्ताक्षर अनावश्यक था। उनकी मुझे जानकारी नहीं है। यह सच है कि इन 240 बिलों में बहुतेरे ऐसे भी थे जिनका उद्देश्य केवल किसी पास हुए बिल में छोटा मोटा संशोधन मात्र था, जैसे किसी कानून की अवधि को बढ़ा देना इत्यादि। पर इसमें भी शक नहीं कि बहुतेरे ऐसे बिल पास हुए जिनका महत्व है। इस तरह सरकारें अपना काम कर रही हैं और करती जायेंगी पर अहिंसात्मक समाज की रचना आपके अहिंसात्मक ढंग से ही हो सकेगी न कि कानूनों से। आपको जैसी सफलता आज तक इस काम में मिलती आयी है उससे आशा होती है कि यह काम बिना गवर्नमेंट के सहारे पूरा किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो मदद करे उसे आप ले लीजिए पर उस भरोसे पर आप रहेंगे तो काम आगे बढ़ने के बजाए पीछे रह जाएगा मुझे विश्वास है कि यह काम पूरा हो सकेगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने जो प्रस्ताव करने का निश्चय किया है उसकी विचारधारा के अनुकूल ही मेरे विचार भी हैं।

अभी इस प्रस्ताव को मैं देख रहा था और सोच रहा था कि सब दल के लोग सभी विचार के लोग जब इस विचार से सहमत हैं कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें अहिंसा से दूर करने का प्रयत्न होना चाहिये और यह भी कि सब लोग मेहनत करके कठिन परिश्रम करके सबके लिये पैदा करें, हासिल करे और मिलजुल करके काफी रुपया भी पैदा करें उनमे से किसी को कानून से किसी तरह की दिक्कत नही आनी चाहिए। इसी विचार से सब लोग इसमें शरीक हुए। भूदान के काम में मुखालिफ्त आज तक कभी किसी ने की नहीं इसलिये मेरा विश्वास है कि यह काम जरूर आगे बढ़ेगा। मगर हां, मैं यह नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा काम बरस 6 महीने में पूरा कर सकेंगे। अगर इसके आदर्श को हम अपने सामने रखते है तो यह सारी समाज-रचना को भी बदलने का आदर्श है। तमाम खयाल को बदलना है, जो पुरानी रीतियां चली आयी हैं, जिन्हें हम मानते आये है उनको बदलना है, जीवन की सारी विचारधारा को ही बदलना है। विनोबा जी जैसे लोग ही ऐसे काम को पूरा कर सकते है और समाज को तथा जीवन की विचारधारा को बदल सकते है ? मुझे तो विश्वास है कि यह परिवर्तन आएगा, मगर इसमें समय लगेगा। एक ही चीज़ है जो सबसे बड़ी है वह यह कि सचाई के साथ पूरे उत्साह के साथ इसे करते जाएं तो इसमें शक नहीं कि यह काम होकर रहेगा।

आप जिस तरह के समाज को चाहते है और जिस तरीके से उसे कायम करना चाहते हैं, जैसा जयप्रकाश बाबू, ने कहा, उसकी तफसीलों पर गौर करना चाहें तो बहुत से मतभेद हो सकते हैं इसलिये जिस तरह से एक हद तक हम मिलजुल करके काम कर रहे है वह करते जाएं और जो दिक्कतें आएं उनका मुकाबला करें। जब तक साथ चल सकते है चलें, आगे देख लेंगे कि क्या दिक्कतें आती हैं। आज हमें इतना ही समझ लेना चाहिये कि, ( one step enough ) जो हम कर रहे है यही काफी है। आज मैं इतना ही कहूंगा।

## 96

# स्वातन्त्र्य-युद्ध शताब्दी

मैं स्वातन्त्र्य सभा शताब्दी समिति, पूना का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह स्मारक पदक भेंट किया है। पिछले कई महीनों में स्वातन्त्र्य शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में देश के विभिन्न भागों में उत्सव मनाए गए हैं। इस दिशा में आपकी समिति का सुझाव मौलिक है और मुझे विश्वास है आपने जो स्मारक पदक जनता में वितरण के लिए तैयार कराया है वह लोकप्रिय सिद्ध होगा। स्मारक चाहे पदक के रूप में हो अथवा विशाल भवन के रूप में, उस से अभिप्राय केवल यही है कि सम्बन्धितजन आन्दोलन की याद लोगों के दिलों में जीवित रहे और इसके फलस्वरूप उनमें उत्साह तथा जाग्रति का संचार हो।

1857 के स्वातन्त्र्य युद्ध के उपलक्ष्य में अभी तक देश के प्राय: सभी भागों में जितने समारोह हुए हैं, उन से जहां यह स्पष्ट होता है कि यह कार्यक्रम सफल रहा है, वहां यह भी प्रमाणित होता है कि उस देश-व्यापी आन्दोलन का आधार बहुत हद तक सार्वजनिक और लोकप्रिय था। आपकी समिति ने जो पदक तैयार किया है वह हमारे स्वातन्त्र्य संग्राम की घटनाओं का ठोस स्मारक है। मैं आशा करता हूं कि इस स्मारक से जनसाधारण को प्रेरणा मिलेगी और उस संग्राम के सेनानियों पर हम गर्व करना सीखेंगे। मैं आपकी समिति को इस काम के लिए बधाई देता हूं और समिति के सभी सदस्यों और उन कलाकारों के प्रति जिनके सहयोग से यह पदक तैयार किया गया है, अपनी शुभ-कामनायें भेंट करता है।

---

1857 शताब्दी समारोह समिति, पूना द्वारा निर्मित कमेमोरेटिव मेडेलियन भेंट किए जाने के अवसर पर भाषण, पूना, 27 सितम्बर, 1957

# स्त्रियाँ और परिवार कल्याण

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं यहां पहुंच सका और जो कुछ आप यहां कर रहे हैं उसका कुछ अंश अपनी आंखों से देख सका। श्रीमती दुर्गाबाई की इस तरह की कार्रवाई और जगहों में भी मुझे कहीं कहीं देखने का अवसर मिला है और इसलिये जब यहां के सम्बन्ध में मुझे कहा गया तो मैं ने खुशी-खुशी यह बात मंजूर कर ली कि मैं यहां आकर जो कुछ यहां हो रहा है देखूं।

हमारे देश में लोगों के पास समय काफी है और अगर सच पूछिए तो जो समय बर्बाद जाता है उस समय को अगर काम में लगाया जाए और ऐसे काम में लगाया जाय जिससे कुछ फायदा हो सके तो बहुत तरह की दिक्कतें और मुसीबतें हम दूर कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सुन्दर कार्य है कि घरों में बैठी-बैठी हमारी औरतें जो समय बिताती हैं अगर उस समय को वे किसी काम में लगा सकें तो उससे अपने बच्चों के लिये, घर वालों के लिये कुछ पैदा करके दे सकती हैं तो उसको पसन्द किया जाये। और इसी विचार से इस तरह की संस्थाएं जहां-तहां सोशल वेलफेयर के ख्याल से आरम्भ की गई है।

मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि यहां 700 स्त्रियां काम कर रही है और उनमें से 80 प्रतिशत अपने घरों में ही काम करती हैं और थोड़ी ही यहां आकर काम करती है और उनको काम सीखने का भी मौका मिलता है और जैसे जैसे वे काम सीखती जाती हैं उनमें काम करने की योग्यता बढ़ती जाती है। इस तरह से बहुत सी गरीब स्त्रियां, बहुत सी ऐसी स्त्रियां जो दूसरी जगह जाकर काम नही कर सकतीं और जिनको कुछ जरूरत है वे यहां कुछ पैदा कर रही हैं। मैं ने सुना कि चौदह आने से लेकर डेढ़ रुपये रोजाना तक वे पैदा कर सकती हैं। यह बहुत अच्छी रकम है और इसके जरिये से मैं समझता हूं कि और कुछ नहीं तो बच्चों को दूध भी दे सकती हैं, उनको एक समय और भी खाना मिल सकता है।

यहां पर जिस तरह से यह काम आरम्भ किया गया और जिस योग्यता से काम किया जाता है उसका थोड़ा सा वर्णन आपने सुना। मेरा विचार है कि यह

---

फेमिली वैलफेयर कोआपरेटिव सोसायटी का निरीक्षण करते समय भाषण, पूना 28 सितम्बर, 1957

काम केवल ऐसी स्त्रियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये जो स्वस्थ हैं बल्कि जिनको किसी न किसी कारणवश अपाहिज हो जाना पड़ा है, जो कानी हैं, बहरी हैं, अन्धी हैं ऐसी स्त्रियों को काम सिखाकर उसके जरिये से कुछ पैदा कराने का इन्तजाम होना चाहिये। इसलिये इस तरह के काम की मैं बहुत कद्र करता हूं। यहां दियासलाई बनाने का काम शुरू किया गया है मगर मुझे विश्वास है कि और भी इस तरह के काम सोच करके निकाले जा सकते हैं जिनसे इसी तरीके से अपने घरों में रहकर स्त्रियां कुछ न कुछ पैदा कर सकती हैं। इसके जरिये से आत्म-सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और दूसरों पर भरोसा नहीं करके अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मैं समझता हूं कि जो काम आरम्भ किया जाए वह सुन्दर तो है ही साथ ही साथ लाभप्रद भी है। जैसा अभी श्रीमती भंडारकर ने बताया यहां इसका ख्याल किया जाता है कि जो माल तैयार होते हैं वे बाजार में बिकते हैं पर इस बात पर विचार किया जाता है कि कारखाने जैसा नहीं बनना चाहिये। सच है, बहुत चीजों पर आपको विचार करना होगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यहां जितनी सिलाई बनती है उसका 80 प्रतिशत तो और दियासलाई के मुकाबले में यहां की बिक जाती है और 20 प्रतिशत और तरीके से बेचने का प्रबन्ध करना पड़ता है। और जगहों में तो जो कुछ माल वहां पैदा होता है उसको बेचने के लिये अन्य जगहों में ले जाना पड़ता है पर आपके यहां की खूबी यह है कि यहां की बनी दिया-सलाई को खपाने के लिये आपको किसी पर भरोसा नहीं करना होता बल्कि आपका माल इतना अच्छा होता है कि वह बिक जाता है। मैं आशा करता हूं कि जैसे-जैसे काम बढ़ता जायगा काम करनेवाली स्त्रियों के हाथ बैठते जायेंगे और माल और भी सस्ता बन सकेगा और उसको आसानी से आप बेच सकेंगी। जो कुछ आप यहां काम बढ़ाना चाहती है उसमें आपको मदद मिलेगी। मैं आप सब का इस बात के लिये धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहां आ सका और देख सका। इस तरह का जितना भी काम बढ़ सके उससे देश को लाभ है।

## 99

# हिंगने स्त्री शिक्षण संस्था

बहनों और भाइयो,

मैं अपने लिये यह सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस संस्था को देखने का मौका मिला। पहले-पहले पूना में आज से प्राय: 40 वर्ष पहले डाक्टर कर्वे आये थे और स्त्रियों के शिक्षण के लिये एक संस्था स्थापित की थी जो केवल आपके स्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में इस प्रकार की पहली संस्था थी। उन्होंने इस प्रकार की संस्था ऐसे समय में स्थापित की जिस समय लोगों का ध्यान इस विषय की ओर नहीं गया था। उस समय बाहर से दूर से आकर इस प्रकार प्रकार की संस्था कायम करना और, उस काम को पूरा करने के लिये खुद यहां आना जाना, एक दो दिन नहीं बल्कि बराबर इस तरह से इस काम को जारी रखना कोई आसान काम नहीं था। उन्ही की उस तपस्या का यह फल है कि जो छोटी सी संस्था आरम्भ हुई थी वह आज इतनी विस्तृत हो गई।

मैंने सुना कि करीब 700 बच्चियां आज शिक्षा पा रही हैं और उनमें छोटी-छोटी बच्चियां भी है जो प्राइमरी कोर्स में है और जो पीछे जाकर शिक्षिका होंगी ऐसी बच्चियों को भी शिक्षा मिल रही है। 11 साल का कोर्स है मगर इसमें बड़ी बात यह है कि यहां खर्च और संस्थाओं के मुकाबले में कम पड़ता है। अभी मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि पढ़ाई, खाने पीने तथा रहने में 55 रुपये मासिक खर्च होते है। उन बच्चियों के अलावा जो खाने का खर्च देती हैं, बहुतेरी ऐसी भी बच्चियां हैं जिनको मुफ्त शिक्षा मिलती है। यह खुशी की बात है कि यहां ऐसी लड़कियां भी पढ़ती हैं जिनको कोई देखनेवाला नहीं है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि उनमें एक ऐसी तेज़ निकली कि वह पूना यूनिवर्सिटी में अव्वल होकर निकली। यह खुशी की बात है कि जैसा आरम्भ में कर्वे साहब ने सोचा था अच्छी से अच्छी शिक्षा की सुविधा यहां है। पढ़ाई-लिखाई के काम के अलावा, रसोई बनाना, घर को साफ-सुथरा रखना, घरों में मेहमान आवें तो कैसे उनकी सेवा करनी और जो चीजें दिन-प्रति-दिन के काम में आती हैं सब बच्चियां सीखती हैं।

अभी जो नृत्य का प्रदर्शन हुआ उसमें किसानों के जीवन का कुछ अभिनय

---

हिंगने स्त्री शिक्षण संस्था का निरीक्षण करने के बाद भाषण, पूना, 29 सितम्बर 1957

था । अभी यहां पहले मैं ने घूमकर देखा कि यहां लड़कियां काम करके जो थोड़ी जमीन है उसमें अपने लिये तरकारी पैदा कर लेती है और यदि काफी जमीन होती तो अपने लिये काफी अन्न भी वे पैदा कर लेतीं । तो यह हर तरह से एक आदर्श विद्यालय है । यहां से लड़कियां पढ़-लिखकर तैयार होकर अपने घरों को सम्भालेंगी । इसलिये जब मुझ से कहा गया तो मैंने खुशी से एक बार यहां आना मंजूर कर लिया और आकर प्रदर्शन भी देखा । इसकी स्थापना को सात साल हो चुके है और यह संस्था ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी यह आगे बढ़ती जाएगी और इसके जरिये से समाज की सेवा होती जायगी ।

मैं आप सब भाइयों और बहनों को जो कुछ यहां हो रहा है उसके लिये बधाई देना चाहता हूं और इस शुभ काम में जो लोग आपकी सहायता करते हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि यह संस्था दिन-प्रति-दिन बराबर समुन्नत होती जायगी ।

# महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा

महामहोपाध्याय जी, बहनों और भाइयो,

हिन्दी भवन के उद्घाटन का आपने अवसर दिया इसके लिये मै आपका आभारी हूं। जैसा अभी कहा गया, मै एक बार पहले यहां आ चुका हूं और उस अवसर पर मैंने लोकमान्य तिलक के चित्र का अनावरण किया था और इस बार हिन्दी भवन के उद्घाटन का अवसर मुझे मिला।

जो रिपोर्ट यहां हिन्दी के प्रचार के सम्बन्ध मे या जो कुछ काम चल रहा है उसका दिया गया उससे यह पता चलता है कि आपका प्रयत्न बहुमुखी है और बहुत ही संगठित रूप से आपका काम कई एक प्रकार से होता आ रहा है और दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। यह कहने की जरूरत नही कि हिन्दी के जानने-वाले और बोलनेवाले इस बात से पूरी तरह से परिचित है कि महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र के लोगों ने, मराठीभाषी लोगों ने हिन्दी की कितनी बड़ी सेवा की है। प्राचीन साहित्य और इतिहास को छोड़ भी दें तो हमारे अपने समय में दादा साहबगद्रे बाबू राव विष्णुराव परारकर, लक्ष्मण राव प्रभृति और इधर से उत्तर भारत मे जाकर, हम लोगों के प्रदेशों में जाकर हिन्दी का प्रचार करते रहे तथा हिन्दी के सम्बन्ध में लिखते रहे वह किसी भी हिन्दी के जानने वाले से छिपा नहीं है। इसलिये,इसमें न तो कोई आश्चर्य की बात है न कोई सराहन की बात है कि यहां पर आपका विचार हिन्दी के सम्बन्ध मे इतना उदार है।

अभी महामहोपाध्याय जी ने एक सुझाव दिया है। वह एक ऐसे सज्जन के मुख से जिसकी अपनी मातृभाषा हिन्दी नही उसका निकलना अत्यन्त शोभनीय है। अभी राष्ट्रभाषा आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमे कई सुझाव भी है और गवर्नमेंट उन पर विचार कर रही है और जब संसद् के सदस्यों की राय मालूम हो जायगी तो गवर्नमेंट का जो अपना निश्चय होगा वह भी प्रकाशित कर दिया जायगा। इसमें शक नहीं कि आज सारे देश में हिन्दी की प्रगति और प्रचार खूब जोरों से हो रहा है और हम सब आशा करते है कि जल्द हमें वह दिन देखने को मिलेगा जब सभी कामों के लिये किसी विदेशी भाषा पर हमको निर्भर नहीं करना पड़ेगा और सब काम अपनी अपनी भाषा द्वारा ही हम कर सकेंगे।

---

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा के नये भवन का उदघाटन भाषण, पूना 29 सितम्बर, 1957

हिन्दी और मराठी की एक लिपि होने से बहुत सुविधा है। भारतवर्ष की और भाषाओं में जो लिपि का भेद है वह दूर हो जाये तो एक भाषा के बोलनेवाले को दूसरी भाषा के सीखने और जानने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी और हिन्दी का प्रचार तो होगा ही, साथ साथ दूसरी भाषाओं का भी हिन्दी भाषियों के बीच प्रचार हो सकेगा। हम तो यह चाहते है कि जितनी प्रान्तीय भाषाएं हैं वे अपने अपने स्थान पर उन्नति करे और उच्च से उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण सभी भाषाओं मे हो। हम यह नही चाहते कि किसी भाषा को दबाकर उसके स्थान पर हिन्दी को बढ़ाया जाये। बल्कि हम यह मानते है कि सभी भाषाएं उन्नत हों, साथ ही हिन्दी की भी उन्नति हो और दोनों की उन्नति इस तरह से जुटी हुई है कि एक के बगैर दूसरे की उन्नति नही हो सकती है। और हम तो यह भी मानते है, यद्यपि हमारे बहुतेरे हिन्दी भाषा के विद्वान् इस बात को नापसन्द भी करते है, कि जब हिन्दी राष्ट्र भाषा का रूप ले रही है तो यह केवल हिन्दी-भाषियों की भाषा नही है, इस पर अन्य भाषा-भाषियों का उतना ही दावा है, उतना ही अधिकार है जितना हिन्दी-भाषियों का हो सकता है। और इसलिये हम यह आशा रखते है कि आप जिनका सम्बन्ध हिन्दी के साथ प्राचीन है और अभी भी कार्यरूप से हर तरह से देखने में आता है हिन्दी को समृद्ध बनाने में काफी मदद कर सकेंगे, केवल ग्रन्थ रचकर ही नही बल्कि हिन्दी भाषा के गठन में, नियम में, उसके व्याकरण में आपकी सहायता से आवश्यक परिवर्तन होगा और होना चाहिये। क्योंकि हिन्दी भाषी लोगों के अलावा जब आप सब हिन्दी को काम में लाने लगेंगे, उन कामों के लिये जिन कामों के लिये हम चाहते है कि हिन्दी को काम में लाया जाये तो आपका यह काम हो जायगा कि आप उसको अपनी इच्छा के अनुकूल और आपका भाषा ज्ञान जैसा होगा उस ज्ञान के अनुकूल आप उसमें परिवर्तन ला सकें।

मैंने कुछ ग्रन्थ देखे हैं और देखा है यह कि जो लोग दूसरी भाषा में ग्रन्थ लिखकर उसका स्वयं हिन्दी में अनुवाद करते है तो उनके अनुवाद में ऐसे मुहावरे, नये शब्द, नयी चीजें ऐसी लाते हैं जो केवल हिन्दी के जाननेवाले व्यवहार में नहीं लाते। उससे हिन्दी में कोई कमी नहीं होती है बल्कि उसकी वृद्धि ही होती है। आज हम अंग्रेजी भाषा को बहुत ही प्रचलित भाषा और जानदार भाषा समझते है। आज से 50,55 वर्ष पहले जब मैं पढ़ता था उस वक्त चेम्बर्स की डिक्शनरी जो मैंने देखी थी उसका मिलान आज की चैम्बर्स की डिक्शनरी से कीजिये। मै तो समझता हूं कि दोनों के आकार में एक और चार का फ़र्क है। 50,55

वर्षों में इतने नये शब्द आये हैं। यह इस तरह से हुआ कि अंग्रेज अपने देश के अलावा और और देशों में गये जहां उन्होंने राज्य किया या दूसरी तरह से अपना प्रभाव बढ़ाया और इसलिये उन देशों के लोगों ने अंग्रेजी बोलना आरम्भ किया। उनके अंग्रेजी के व्यवहार में जो नवीन शब्द आये उनको अंग्रेजी ने अपना लिया और इसलिये उसकी इतनी वृद्धि हुई। हमें आशा है कि हिन्दी बोलनेवाले इसको स्वीकार करेंगे और तब हिन्दी और भी समुन्नत होगी। पर यह तभी हो सकता है जब सब को पूरा मौका रहे, पूरी आजादी रहे कि वे हिन्दी को समुन्नत करने में सहायता करें। यह तभी हो सकता है जब हम उदारता के साथ छोटी-छोटी बातों में नहीं उलझें और परिवर्तनों को स्वीकार करें और यह नही समझें कि आज से 100 वर्ष पहले की लिखी 'की' की जगह 'का' हो जाये तो उससे सारी पुस्तक खराब हो गई बल्कि यह समझें कि इस भाषा में उतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह इन चीजों को पचा ले और पचाकर जिसको हम आज भूल समझते हैं उससे लाभ उठाकर भाषा को उन्नत और समृद्ध बना सकें।

मेरी तो आशा विशेष करके अन्य भाषाभाषियों से बहुत ज्यादा है और विशेष करके महाराष्ट्र प्रदेश वासियों से जिन्होंने आज तक हिन्दी की इतनी सेवा की है और आज भी कर रहे हैं उनसे आशा होना स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि इस भवन के निर्माण से आपने इस बात को साबित कर दिया कि आपको इस काम में कितनी दिलचस्पी है, कितने उत्साह से आप इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका काम दिन-प्रति-दिन बढ़ता जाए।

# बड़ोदा का आर्य कन्या महाविद्यालय

बहनों और भाइयो,

आपकी इस संस्था के सम्बन्ध में बहुत दिनों से बहुत कुछ सुनता आता था और कई वर्ष हो चुके जब यहां की एक मंडली दिल्ली में जाकर राष्ट्रपति भवन में मुझ से मिली थी। उसके बाद से मैंने एक बार से अधिक इरादा किया कि आपकी संस्था को खुद देखूं और जो कुछ यहां बच्चियों को सिखाया जा रहा है उसको अपनी आंखों से देखकर संतोष करूं। मगर आज तक ऐसा अवसर नहीं मिला था, आज यह अवसर मुझे मिला इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है।

जब से मैं यहां आया हूं और जो कुछ बच्चियों ने खेल दिखलाये हैं, कसरत दिखलाए हैं, आसन दिखलाये हैं और लाठी लेकर गदका, धनुष-त्राण वान इत्यादि के कारनामे जो उन्होंने दिखलाये हैं उन सब को देखकर सब को केवल प्रसन्नता ही नहीं गौरव भी होता होगा।

हमारे देश मे बच्चियों की शिक्षा अभी तक ठीक तरह से निर्धारित नही होने पायी है कि किस प्रकार से होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो परम्परा रही है और स्त्रियों का जो स्थान समाज मे रहा है वह अपनी जगह पर बना रहे। साथ ही आज की आधुनिक रीति से हर प्रकार से वे शिक्षित होनी चाहिए, सब बातों से उनका परिचय होना चाहिए और हर तरह से उनको कार्यकुशल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जहां एक तरफ वह अच्छी से अच्छी गृहणी बन सकें वहां पर दूसरी ओर हम यह भी चाहते हैं कि आधुनिक युग के भारत के लिये अच्छे से अच्छे नागरिक भी वे हों जिनसे सब प्रकार की आशाएं पूरी हो सकें। हमारे देश की स्त्रियों को शिक्षा के लिये पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि पुरुषों की शिक्षा सब से पहले तो हमारी माताएं और बहनें घरों में देती है और सयाने होने पर उनको किसी पाठशाला, स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी में जाने का मौका होता है तो और शिक्षा मिलती है। समाज की प्रथा कुछ ऐसी बदलती गई है और बदल रही है कि अब घरों में शिक्षा कम मिलती है। जो परम्परा पहले थी वह परम्परा अब कमजोर हो गई है और विद्यालय, स्कूल, पाठशाला उनकी जगह नही ले सकतीं क्योंकि वहां भी अभी शिक्षाक्रम वैसा

---

आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ोदा में संस्था के स्थापना दिवस के अवसर पर भाषण, 30 सितम्बर, 1957

सुन्दर नहीं बन पाया है जैसा हम चाहते है। इसलिये दिन-प्रति-दिन शिक्षा के सम्बन्ध में गैर-सरकारी तौर से कई प्रयोग होते है उनकी बड़ी कीमत है और सब प्रकार के प्रयोगों के बाद ही कोई ऐसी एक चीज़ हमको मिल जायगी जो हमारे आधुनिक युग की सभी मांगों को पूरी कर सकेगी।

मै ऐसी आशा रखता हूं कि इस प्रकार के शिक्षालय सभी प्रान्तों में, सभी प्रदेशों में हों जहां हमारी बच्चियों को केवल अक्षर का ही ज्ञान नहीं दिया जाये, उनको निर्भीक बनने को भी सिखलाया जाये, उनको हर तरह से इस योग्य बना दिया जाए कि वे दूसरों पर हमेशा निर्भर नही करें और विपत्ति के समय मे अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना गुजारा कर सके और हर हालत में अपने घर की और कुटम्ब की पूरी तरह से मदद कर सके। इस काम में जितनी भी सहायता जितनी संस्थाओं से मिल सके वह कम है और आपको प्रायः 30, 35 वर्षों से जो अनुभव हुआ है वह एक ऐसा अनभव है जिसके बल पर हम सोच सकते है और देख सकते है कि हमें आइन्दा क्या करना चाहिये। इसीलिए इस तरह के प्रयोग को मै बहुत ऊंचा स्थान देता हूं और आपके इस प्रयोग को तो ऊंचा स्थान देता ही हूं।

मुझे आशा है कि आपने जिस खूबी और उत्साह के साथ इस काम को इतने दिनों तक चलाया ह, और भी अधिक उत्साह के साथ इसको चलाते जायेंगे। मै ने सुना है कि यहां पर प्राय. सभी प्रदेशों और सूबों से बच्चियां आकर शिक्षा पाती है। मैने यह भी सुना कि अफ्रीका जैसे सुदूर देश से भी जहां हमारे देश के लोग बसे हुए है लोग अपनी बच्चियों को शिक्षा के लिये भेज रहे है और उनकी संख्या भी काफी है। इस प्रकार से आपके काम का दायरा, क्षेत्र बहुत विस्तृत होता जा रहा है। मुझे आशा है कि जो बच्चिया यहां शिक्षित होकर दूर-दूर पर जाकर काम कर रही है वे वहां जो कुछ यहा से सीखकर ले गयी है उसका प्रचार करती होंगी और दूसरों में उत्साह बढ़ाती होंगी। इसीलिए मै चाहता कि आपका काम जोरों से चले और मेरी यही सद्भावना है और आपको इस काम के लिये बधाई है। मुझे आपने यह अवसर दिया इसके लिये मै बहुत कृतज्ञ हूं।

# शिक्षा-विस्तार और राष्ट्र की ज़रूरतें

श्रीमन्त महाराजा साहब, श्रीमती हंसाबेन मेहता, टेकनोलौजी के डीन महोदय, बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज मै इतने वर्षों के बाद इस एक नये भवन की नीव डालने के लिये यहां पहुच पाया हूं। जैसा अभी आप से कहा गया, आज से तीन साल पहले मैने यहा पुस्तकालय की नीव डाली थी और मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि वह भवन पूरा हुआ है इतना ही नही बल्कि पुस्तकालय का रूप, आकार बहुत बढ़ गया है और उसके जरिये से आज इस यूनिवर्सिटी के सभी विभागों के लोग काफी लाभ उठा रहे हैं।

जिस तरह से उस लाइब्रेरी का एक इतिहास था उसी तरह से इस पौलीटेकनिक का भी बहुत पुराना इतिहास है। अभी आपको बताया गया कि आज से प्रायः 60 वर्ष पहले इसका कितने छोटे रूप मे जन्म हुआ था और 60 वर्ष में मनुष्य तो बूढ़ा हो जाता है पर इस तरह की संस्थाए उतने अर्से में बढ़ती-बढ़ती जवानी की ओर ही जाती हैं, उनके गिरने, नीचे होने का समय नहीं होता। उस कायदे के अनुसार यह संस्था छोटे रूप से बढ़ते-बढ़ते आज यहां तक पहुंच गई है कि आज इसकी जरूरत पड़ी कि इसके लिये एक अलग विभाग कायम कर दिया जाये और एक अलग इमारत बना दी जाये।

इस समय मुल्क में इस बात का बड़ा प्रयत्न हो रहा है कि यहां हम जहां तक हो सके बड़े-बड़े कारखाने तथा छोटे-छोटे कारबार सब को प्रोत्साहन दें और जैसे आज दूसरे देश आगे बढ़े हुए है उसी तरह से हम भी उन सब चीजों में उनके मुकाबले में आ जायें और इसीलिए एक पंच-वर्षीय योजना अभी हाल में पूरी की गई है और दूसरी पंच-वर्षीय योजना तैयार करके उसमें भी काम आरम्भ हो गया है और दूसरी के बाद शायद तीसरी और तीसरी के बाद शायद चौथी की हमें जरूरत पड़ती जाएगी और उसी तरह हमारी योजनाएं बनती जायेंगी।

इन योजनाओं को पूरा करने के लिये दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक चीज तो यह है कि उनमें खर्च बहुत लगता है और खर्च इसलिये लगता है कि हमको बहुत सी चीजें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं जिनके बिना इन योजनाओं का पूरा होना असम्भव है। इन योजनाओं का एक उद्देश्य यह भी है कि हम अपने देश को इस तरह से समुन्नत बनायें कि जो चीजें हमें आज विदेशों से मंगानी पड़ती हैं

---

पौलीटेकनिक का शिलान्यास करते समय भाषण, बड़ोदा, 30 सितम्बर, 1957

उनकी जरूरत हम खुद पूरी कर सकें और हमको विदेशों पर किसी चीज़ के लिये भरोसा नहीं करना पड़े । और दूसरी चीज़ जिसकी जरूरत पड़ती है वह आदमी है । इस देश में आदमी की कमी नहीं है मगर आदमी ऐसे होने चाहियें जो उस काम को पूरा कर सकें जो काम उनको सुपुर्द किया जाए और यह काम कुछ ऐसे नहीं होते जिनको बिना प्रशिक्षण के, बिना पहले से तालीम पाये कोई पूरा कर सकता है और इसीलिए इस प्रकार की संस्था की जरूरत पडती है जहां इस तरह के लोग तैयार किये जाये जो इन योजनाओ को पूरा करने में और दूसरे प्रकार से देश को स्वतन्त्र बनाने मे मददगार हो सकें । इसीलिए ऐसे पौलीटेकनिक की जरूरत भारत सरकार ने, बम्बई की सरकार ने और सारे देश ने महसूस की है और निश्चय किया कि इस तरह के पौलीटेकनिक जहां-तहां जितने सूबों में जरूरत हो कायम किये जायें और उसी निश्चय के अनुसार आपका यह कला भवन एक पौली-टेकनिक के रूप में बनने जा रहा है ।

पिछले 50-60 वर्षो में भारत वर्ष में शिक्षा की बहुत प्रगति हुई है । जिस समय आज से 50-55 वर्ष पहले मै कालेज मे दाखिल हुआ था उस समय जितने कालेजों की तायदाद थी और जितनी यूनिवर्सिटियां थीं उनको यदि आज के कालेजों की तायदाद और यूनिवर्सिटियों से तुलना की जाये तो आसमान और जमीन का फर्क मालूम होगा । मै समझता हूं कि जिस इलाके में मै रहता हू और जहां उस समय सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी आज वहा 20 यूनिवर्सिटियां होंगी और शायद कालेजों की संख्या भी प्राय. उसी अनुपात में बढ़ी है । इस तरीके से स्कूलो, कालेजों और यूनिवर्सिटियों की संख्या बहुत बढ़ी है और उन संस्थाओं में जो लोग जाकर शिक्षा पा रहे हैं उनकी संख्या तो इतनी बढ़ी है कि आज कालेजों और संस्थाओं की संख्या बढ़ने पर भी सब को आसानी से जगह नहीं मिल सकती और बहुतेरों को महरूम रहना पड़ता है क्योंकि उनको कालेजों में जगह नही मिलती । अगर एक तरफ इतनी प्रगति देखकर हम खुश होते है तो दूसरी तरफ हमको यह भी सोचना पड़ता है कि यहां से जितने लोग बी० ए०, एम० ए०, बी० एस०, सी० आदि पास करके निकलते हैं वे किस काम के लिये तैयार होते हैं । मालूम होता है कि सारे देश के अन्दर एक ऐसी हवा फैली हुई है कि बिना सोचे-विचारे लोग पढ़ते जाते है । नतीजा यह होता है कि जिस काम के लिये हमें आदमी की जरूरत है उसके लिये आदमी नहीं मिलते और जिस काम के योग्य हमें आदमी मिलते है वह काम हमारे पास नहीं । तो इस बेमेल की चिन्ता सभी संस्थाओं में पैदा की जायें कि जो हमारे काम के नहीं है उनकी बड़ी संख्या हमारे देश के अन्दर पैदा हो रही है । इसलिये जरूरत इस बात की है कि हमारी सारी शिक्षा पद्धति पर ध्यान दिया

जाये और सोचकर रास्ता निकाला जाये कि जो लोग विद्या पढ़ना चाहते हैं, जो लोग शास्त्रीय ढंग से अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं उनके लिये एक तरह की संस्थाएं हों और जो लोग विद्या चाहते हैं, पढ़ लिखकर उसके जरिये से कमाना खाना चाहते हैं उनके लिये अलग संस्थाएं कायम की जायें और जब तक ऐसा नही होगा तब तक यह बेमेल जारी रहेगा और मुल्क के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आती रहेंगी। और हमारे सामने बहुत समस्याएं आती है जिनको अगर गौर से हम देखें तो मालूम होगा कि उनकी जड़ में यह चीज़ है कि लोग पढ़ने लिखने में बहुत खर्च करते है, जिनके मा-बाप ने कालेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर तैयार किया और जितना माहवार उन की पढ़ाई पर ख़र्च किया उतना मासिक पास होने पर उनको नहीं मिलते और इस वजह से एक प्रकार से असंतोष और जीवन में निराशा यूनिवर्सिटी और कालेज से पैदा होती है। अभी पूरी तरह से इस बात पर ध्यान देकर मौलिक रूप से शिक्षा को सुधारने का बड़ा काम हम ने नही किया है। मगर साथ ही साथ इस प्रकार के पौलीटेकनिक, इन्जीनियरिंग कालेज या और दूसरी संस्थाएं जहां पर ऐसे लोग तैयार किये जाते हैं उनकी जरूरत मुल्क को होना उस दिशा में कदम है जिस दिशा में हमें जाना है और जाना चाहिए। इसलिए मैं जब इस प्रकार की संस्थाओं के सम्बन्ध में कुछ सुनता हूं, पढ़ता हूं या किसी जगह पर मुझे आमन्त्रित किया जाता है कि ऐसी संस्था के साथ मेरा सम्बन्ध हो या उसकी नींव डालने के लिये या खुद जाकर देखने के लिये मुझे बुलाया जाता है तो मैं खुशी से उस निमन्त्रण को मंजूर करता हूं और वहां जाता हूं। मैं आशा करता हूं कि जिस उत्साह के साथ और जिन उच्च आदर्शों को सामने रखकर आपने इस पौलीटेकनिक की स्थापना करने का निश्चय किया है, जिस ऊंचे आदर्श को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने और बम्बई सरकार ने आपको मदद दी है उन आदर्शों को यह संस्था पूरा कर सकेगी और मुल्क की जो आज जरूरत है, निर्धन लोगों को हम किसी तरह से छोड़ नही सकते, उस जरूरत को यह संस्था पूरा कर सकेगी।

मैं आशा करता हूं कि इसमें जितने विद्यार्थी पढ़ेंगे, इसमें जितने अध्यापक लोग पढ़ायेंगे, सिखायेंगे वे इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि केवल ज्ञान काफी नहीं है। केवल कर्म भी काफी नहीं है, केवल साइंस जान लेना काफी नहीं है, केवल सायन्टिफ़िक एप्लीकेशन जान लेना भी काफी नहीं है। उसके साथ-साथ जरूरी यह है कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि इतनी सद्बुद्धि हम में आये कि

उस ज्ञान और कर्म से हम ठीक काम निकाल सकें, अच्छा काम निकाल सकें जिसमें हमारी विद्या बुरे काम में नहीं लगने पावे, हमारे विद्वान किसी तरह से ऐसे काम में नहीं लगें कि जिससे किसी व्यक्ति या देश की उपकार के बदले हानि हो। लेकिन आपको यह भी ख्याल करना होगा कि जहां हम टेकनिकल आदमी को तैयार करते हैं वहां अच्छे आदमी को भी तैयार करें। केवल टेकनिकल आदमी तैयार करने से काम ठीक से नहीं होगा। उसके साथ-साथ अच्छे और सच्चे आदमी होने चाहिएं तभी उससे समाज और देश का भला हो सकता है।

मैं आशा करता हूं कि आपके यहां से जो लोग तैयार होकर निकलेंगे वे देश के हित को सामने रखकर अपने स्वार्थ को उस हद तक नहीं जाने देंगे कि उससे देश को नुक्सान पहुंचे बल्कि उसको अपनी मर्यादा के अन्दर रखकर काम करेंगे जिसमें हिसाब लगाकर देखा जाये तो देश और मनुष्य मात्र की तरफ ज्यादा रकम निकले और दूसरी तरफ कम निकले। यदि आपने इन दोनों को पूरा किया तो आपका काम सफल होगा और मुझे आशा और विश्वास है और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको बल दे कि आप उसको पूरा कर सकें।

# रेडियो संगीत सम्मेलन

आकाशवाणी द्वारा आयोजित रेडियो संगीत सम्मेलन के अन्तिम समारोह में एक बार फिर भाग ले सकने की मुझे खुशी है। संगीत सम्मेलन के सिलसिले में की जाने वाली प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार भेंट करने के लिए प्रायः प्रतिवर्ष आप मुझे आमन्त्रित करते हैं। मैं इस अवसर की कद्र करता हूं और इसके लिए आपका आभारी हूं।

बहुत वर्षों से हम भारत में सांस्कृतिक अभ्युदय के लक्षण देखते आ रहे हैं। इस अभ्युदय के पीछे अनेक शक्तियां और ऐतिहासिक घटनायें थीं, जिन में से एक पश्चिमी राष्ट्रों से हमारा सम्पर्क था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारे देश के साथ सम्पर्क में आने के बाद पाश्चात्य राष्ट्रों ने भारतीय साहित्य तथा संस्कृति में इतनी अधिक दिलचस्पी दिखाई कि उसके फलस्वरूप निजी साहित्य में हमारी सोई हुई रुचि जागृत हो उठी। यह ठीक है कि भारतीय संगीत तथा अन्य ललित कलाओं को उन्नत करने के लिए पश्चिमी देशों ने कोई प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किया, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि निजी जीवन में उन लोगों ने इन कालाओं को जो ऊंचा स्थान दे रखा था, उसे देखकर परोक्ष रूप से कला के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने जो सफलतायें प्राप्त की थीं उनका हमें स्मरण हो आया।

यह प्रक्रिया शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में शुरू हुई और 10 वर्ष हुए भारत के स्वतन्त्र होने पर इसे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। भारतीय संगीत को और इसकी विभिन्न शैलियों को अधिक सरल तथा लोकप्रिय बनाने के सम्वन्ध में आकाशवाणी ने जो कुछ किया है और उसके द्वारा अभी भी जो कुछ किया जा रहा है, वह निस्सन्देह उल्लेखनीय है। ऐसा कहते समय मैं उन कठिनाइयों की उपेक्षा नहीं करूंगा। जिनका उसे सामना करना पड़ा था संभवतः जिनके साथ उसे अभी भी जूझना पड़ रहा है। अतीत की अवहेलना के कारण हमारा परम्परागत संगीत एक सीमित जनसमुदाय का एकाधिकार हो कर रह गया था। जनसाधारण उसकी अवहेलना करने लगे थे और उस से प्रेरित नहीं हो पाते थे। प्राचीन काल से संगीत हमारे पूजा, पाठ धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक जीवन की आधारशिला रहा है, और ऐसा होते हुए भी गत शताब्दी में संगीत की अवहेलना हुई। मैं नहीं समझता ऐसे देश बहुत हो सकते हैं जहां लोगों के दैनिक जीवन में

---

आकाशवाणी द्वारा आयोजित रेडियो संगीत सम्मेलन के अवसर पर उद्घाटन भाषण, 20 अक्तूबर, 1957

संगीत को इतना ऊंचा स्थान दिया गया हो जितना हमारे देश में सदा से दिया गया है। इसलिए उपेक्षा के धरातल से संगीत को उठा कर आकाशवाणी ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रसेवा की है।

किसी भी देश को राष्ट्रीय जीवन में संगीत का क्या महत्व है, इस सम्बन्ध में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। यह एक ऐसे सुख का साधन है जो भाषा अथवा भूगोल की सीमाओं को स्वीकार नहीं करता और न राष्ट्रीय भेदभाव को ही मानता है। मानवीय भावों की अभिव्यक्ति का यह एक सार्वभौम माध्यम है। इसके अतिरिक्त, संगीत में मनुष्य की आत्मा को ऊपर उठाने और विविधता में समन्वय तथा एकता की भावना पैदा करने की क्षमता है। चाहे हम इसकी एकीकरण की शक्ति को लें, चाहे आत्मा की ब्रह्म की ओर ले जाने की क्षमता को लें, प्रत्येक अवस्था में संगीत का मूल्य अत्यधिक है और इसका प्रभाव अचूक है। यदि इस बात पर हम गम्भीरता से विचार करें तो यह सहज ही समझ जायेंगे कि प्राचीन भारत की विचारधारा में संगीत को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया था।

मुझे खुशी है कि आकाशवाणी की देख-रेख में संगीत को जनसाधारण के लिए सुलभ करने और लोगों की रुचि में सुधार करने की दिशा में यह सुव्यवस्थित समारोह आयोजित किया गया है। ऐसा करते समय आकाशवाणी ने संगीत के मनोरंजन सम्बन्धी पहलू की अवहेलना नहीं की है और हलके संगीत की रचना तथा उसके प्रसार की विशेष व्यवस्था की है। आकाशवाणी की नीति यह रही है कि भारत के शास्त्रीय संगीत को सुरक्षित रखा जाए और उसके कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही आपने लोक संगीत और प्रसार संगीत को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से एक नए संगठन की व्यवस्था की है।

आपका जो उद्देश्य है, यह वार्षिक प्रतियोगिता उसकी प्राप्ति का उत्तम साधना है। कला को और प्रतियोगिता द्वारा कलाकारों को मान्यता देने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है और कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है।

यह जानकर मुझे बहुत संतोष हुआ कि हिन्दुस्तानी और कर्नाटक शैलियां तथा वाद्य वादन और मौखिक संगीत की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। उन सब कलाकारों का जिन्हें अभी पुरस्कार मिले हैं मैं अभिनन्दन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।

# संसार की आशा—संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र का 12 वां वार्षिकोत्सव ऐसे समय आया है जब संघ का कार्यक्षेत्र और गतिविधियां संसार भर में व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस संघ के वार्षिकोत्सव के महत्व को देखते हुए यह उचित है कि हम पूर्वनिश्चित विचारों को छोड़कर निर्लिप्त भाव से इसकी सफलताओं अथवा असफलताओं पर विचर करें। संयुक्त राष्ट्र के सामने आने वाले विषयों के सम्बन्ध म विभिन्न सदस्य राष्ट्रों का चाहे कुछ भी महत्व हो, इस वर्ष संघ के सामने रखे गये सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में अधिक सक्रिय भाग लेकर राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। मैं जानता हूं कि सदा प्रगति इतनी तीव्र नही हो सकी जितनी संभव है, कुछ लोग आशा करते हों, किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में जब मतभेद को दूर करने में कभी-कभी परस्पर-विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित करना होता है, शान्ति और सद्भावना के वातावरण में बातचीत और विचार-विनिमय करना तीव्र गति की अपेक्षा कही अधिक महत्वपूर्ण होता है।

विज्ञान की उन्नति ने मानवीय दृष्टिकोण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को एकदम बदल डाला है। यह परिवर्तन आश्चर्यजनक ही नही, चकाचौंद कर देने वाला भी है। विज्ञान तथा टैक्नोलोजी के द्वारा प्राकृतिक साधनों को उन्नत करने और दृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन करने की दिशा में मानव की सूझबूझ इस युग में उच्चतम शिखर को पहुंच गई जान पड़ती है। हम केवल यह आशा ही कर सकते है कि इन अनुसन्धानों तथा आविष्कारों का उपयोग मानव समाज के कल्याण के लिए किया जाएगा। विज्ञान की यह आशातीत उन्नति हमें एक सबक भी सिखाती है। इसका स्वागत करते हुए हमें यह समझ लेना चाहिए कि इन आविष्कारों के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रों में पारस्पारिक सद्भावना बनी रहे। ईश्वर ऐसा न करे, यदि संसार के राष्ट्रों के बीच सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध न रह सके तो वे सदा घोर संकट का सामना करते रहेंगे। वही आविष्कार जो मानव के सतत प्रयास का सुफल है प्राणीमात्र के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकते है।

मेरा विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशस्त्रीकरण की समस्याओं और न्यूक्लियर अस्त्रों के विस्फोट को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए यह घटनाचक्र एक उपयुक्त पृष्ठिभूमि प्रस्तुत करता है। कुछ राष्ट्रों ने, जिन में

संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर ब्राडकास्ट भाषण, 23 अक्तूबर, 1957

भारत भी शामिल है, इस सम्बन्ध में प्रस्ताव संघ के सामने रखे हैं। हमें यह आशा करनी चाहिए कि इन प्रस्तावों पर विचार करते समय सभी राष्ट्र मानव जाति के कल्याण और जीवित रहने को सर्वोपरि समझेंगे। निस्संदेह सयक्त राष्ट्र संघ के संस्थापकों के प्रति यह सब से बड़ी श्रद्धांजलि होगी और इस संघ के अधिकार-पत्र में जो सुन्दर भाव व्यक्त किए गए हैं उनका आदर करने का भी यही सर्वोत्तम तरीका है।

इस अवसर पर मैं घाना और मलाया संघ के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पर भी हर्ष प्रकट करना चाहूंगा। ये दोनों राष्ट्र हाल ही में स्वाधीन राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल हुए हैं।

मैं आज संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और संसार भर के उन लोगों के प्रति अपनी शुभ-कामनायें प्रकट करता हूं जिनका कल्याण और हित-रक्षा संयुक्त राष्ट्र का कर्त्तव्य तथा श्रेय है।

# अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास सम्मेलन

आज आप लोगों के मध्य आकर विदेशों से आये हुए गण्यमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह देखकर मुझे हर्ष हुआ कि यहां 82 देशों की राष्ट्रीय रैडक्रास सोसाइटियों अथवा सरकारों द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि और कई एक अन्तर्राश्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद है। निःसन्देह यह बात इस सम्मेलन के महत्व की द्योतक है। विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए भारत में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए है, किन्तु इस सम्मेलन का महत्व विशेष है। गत 100 वर्षों से मानवीय कल्याण और दुख-दर्द को दूर करने की दिशा में रैडक्रास अमूल्य कार्य करता रहा है, और यह सम्मेलन रैडक्रास आन्दोलन की उन प्रवृतियों का परिचायक है। युद्ध के समय बीमारों और घायलों को सहायता पहुचाने, खोये हुए लोगों की खोज करने और हर प्रकार से लड़ाई की भीषणता को कम करने के लिए रैडक्रोस जो कुछ करता रहा है उसमे आप लोग भली भांति परिचित है।

शाति के ऊंचे आदर्शों के प्रचार द्वारा और भ्रातृत्व के सिद्धान्तों को अपनाकर रैडक्रास मानव समाज को शांति की ओर प्रेरित करता रहा है। उसकी अपील अधिकतर मानव की बुद्धि से नही बल्कि उसकी आत्मा मे रहती है, क्योंकि आत्मा की मौलिक प्रवृत्ति नैतिक तथा आध्यात्मिक होती है। भारत जैसे देश मे, जिसे प्राचीन ऋषियों तथा भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित, सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित और महात्मा गांधी द्वारा प्रयुक्त सत्य और अहिसा के सिद्धांतों से प्रेरणा मिली है, रैडक्रास आन्दोलन विशेष महत्व रखता है।

हमारे देश में रडक्रास का काम पिछले 40 वर्षों से चल रहा है। इसका कार्यक्षेत्र बराबर बढ़ता रहा है और इसने बाढ़, भूकम्प और अकाल जैसी आपत्कालिक स्थितियों में सेवा का कार्य किया है। कुछ अप्रत्याशित मानव-समाज-जन्य आपत्तियों में भी रैडक्रास को सेवा करने का अवसर मिला है। भारत के स्वाधीन होने पर देश के विभाजन के बाद होने वाले उपद्रवों के समय, कश्मीर पर कबाइलियों के हमले के समय, भारी संख्या में लोगों के स्थानान्तरण के समय और इसी प्रकार की दूसरी स्थितियों में, रैडक्रास को काम करना पड़ा है। भारतीय रडक्रास अभी तक जो कुछ कर पाया है वह शायद इस विशाल देश के लिये काफी नही, किन्तु कठिनाइयों के रहते हुए भी जिस भावना के साथ और सुव्यवस्थित ढंग से ये काम हुए, वह प्रशंसनीय है। विशेष परिस्थितियों में

अन्तर्राष्ट्रीय रैडक्रास के सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1957

भारतीय रैडक्रास को अन्तर्राष्ट्रीय रडक्रास संगठन के कृपापूर्ण सहयोग से अन्य देशों की ओर से आवश्यक सामान और पदार्थों की उदार सहायता मिलती रही है। दुःख-दर्द बटाने की यह नैसर्गिक प्रवृत्ति पारस्परिक सद्भावना का लक्षण, है, और इसके लिये हम सदा आभारी रहेंगे।

विश्वशान्ति के हित में 1953 में कोरिया में काम करने का जो भार भारतीय रैडक्रास को सौपा गया था, वह ऐसा है जिसे स्मरण करके कोई भी देश सन्तोष और गर्व का अनुभव किये बिना नही रह सकता। भारतीय रैडक्रास सभी समितियों और सम्मेलनों में विश्वशान्ति के पक्ष का समर्थक रहा है।

यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऐसे क्रान्तिकारी समय में हो रहा है जब संसार विज्ञान की प्रगति और आणविक तथा न्यूकलीयर शक्ति के विकास और अन्तरिक्ष पर विजय पाने के प्रयास के बीच से गुजर रहा है। इन सभी सफलताओं और मानव जाति के लिये विज्ञान के वरदानों का एक स्वर से स्वागत किया गया होता यदि कही इन आविष्कारों की असीम क्षमता ऐसे संशय पैदा नही करती कि ये सभी ध्वंसात्मक युद्धों के अस्त्र बन सकते है और मानव समाज के विनाश का कारण हो सकते है। इन सम्भावनाओं के अतिरिक्त, रास्ट्रों में पारस्परिक संदेह, भय, भ्रम और निराशा के कारण विश्वशान्ति के लिये बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसे समय जबकि मानवता आपने भाग्य के चौराहे पर खड़ी है और अन्धकार मे मार्ग की खोज कर रही है, उसे यह पता नहीं कि मानव विज्ञान के इन चमत्कारों पर प्रभुत्व पा सकेगा या इसके कारण विनाश की ओर अग्रसर होगा। मै समझता हूं कि इस सम्मेलन द्वारा मानव जाति की रक्षा के लिए न्यूकलीयर प्रयोगों पर रोक लगाने की माग करने का यही कारण है।

अपने रेडियो-मिश्रित रजकणों और अज्ञात दूषित प्रभावों के कारण ये न्यूकलीयर प्रयोग हवा और पानी को गन्दा कर रहे है और इस क्रिया के अभवितव्य दुष्परिणाम हो सकते है। यह कह देने मात्र से कि इन प्रयोगों के परिणाम संकटजनक नही होंगे किसी को सन्तोष नही हो सकता। जो बात सिद्धान्त रूप से गलत है वह व्यवहार में ठीक नहीं हो सकती।

यह स्पष्ट है कि इन प्रश्नों का सम्बन्ध मानव कल्याण से ही नहीं बल्कि मानव के जीवन-मरण से है। इसलिये मेरा विश्वास है कि आप जो भी विचार विनिमय करेंगे वह व्यावहारिक यथार्थता और रैडक्रास की उच्च मानवीय परम्पराओं को ध्यान में रख कर करेंगे। इस सम्बन्ध में इस सम्मेलन के जो विचार होंगे उन्हें विश्व के जनसाधारण की अव्यक्त भावनाओं की गूंज

समझना चाहिये। मेरा विश्वास है कि संसार इस सम्मेलन की कार्यवाही को आशा तथा उत्सुकता की दृष्टि से देखेगा।

मै इस बात से अनभिज्ञ नही कि कल्याणकारी संगठनों की कुछ सीमायें होती है, किन्तु मै यह भी समझता हूं कि आरम्भ से ही रैड-क्रास ने जो प्रशंसनीय कार्य किए है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम, विश्व भर में युद्ध तथा शान्ति के समय कष्टों के निवारण आदि के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की है और जिस प्रकार इसने नैतिक दल के आधार पर शान्ति के पक्ष को अपनाया है, उसमे आप लोगों के प्रयासों के प्रति आशा की भावना और दृढ़ होती है।

अध्ययन के लिए भ्रमण के जिस कार्यक्रम का राजकुमारी जी ने जिक्र किया है मुझे आशा है कि आपकी उसमें दिलचस्पी होगी। आशा है ये यात्राएं आनन्दप्रद होंगी और इस परिश्रमपूण कार्य में इससे आपका मनोरंजन भी हो सकेगा। आप यह देख सकेंगे कि भारत किस प्रकार रैडक्रास के आदर्शो तथा उद्देश्यों का प्रचार कर रहा है। हमारे लोगों के सामाजिक, सास्कृतिक और आर्थिक जीवन यापन के सम्बन्ध में जान सकने का भी आपको अवसर मिलेगा। यह भी मेरी आशा है कि आप यह देख सकेंगे कि जनता के आर्थिक स्तर को उठाने के लिये और पिछड़ेपन की स्थिति से उनको उन्नत करने के लिये हमने जो योजनाएं बनाई हैं उनपर किस प्रकार अमल हो रहा है। अपने आधारभूत आध्यात्मिक तथा भौतिक आदर्शों को भूले बिना अपनी प्राचीन विचारधारा और संस्कृति का हम खुशी से आधुनिक काल की आवश्यकताओं के साथ समन्वय करने को तयार है। यह काम बहुत गम्भीर है। हम साहस और दृढ़ता के साथ इसको सम्पन्न करने पर जुटे है।

मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से महानुभाव दूर-दूर की यात्रा करके व्यक्तिगत असुविधाये सहन करके यहां आये है। भारतीय रैडक्रास सोसाइटी ने, जो आपकी आतिथ्यकार है, आपकी सुख सुविधाओं के लिए भरसक यत्न किया है। यदि उसमें त्रुटियां होंगी तो मेरा विश्वास है कि आप उदारतापूर्वक उनकी अवहेलना करेंगे।

मै हृदय से इस सम्मेलन की कार्यवाई की सफलता के लिए कामना करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे मध्य आप लोगों का प्रवास उपयोगी और स्मरणीय सिद्ध होगा।

अब मै सहर्ष इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ।

# गाँव में गाँधी घर

श्री दिवाकर जी, मुख्य मन्त्री श्री प्रतापसिंह जी, बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं यहां पहुंच सका और गान्धी घर के उद्‌घाटन मे भाग ले सका। जैसा अभी श्री दिवाकर जी ने बताया, आज सवेरे मेरे दिल में शक हो गया था कि मैं यहां आ सकूगा या नही पर ईश्वर की ऐसी दया हुई कि मैं यहां पहुंच सका और आप सब बहनों और भाइयो से मिल सका।

आपने सुना होगा कि महात्मा गाधी जी बहुत दिनों तक दक्षिण अफ़्रीका में काम करके हिन्दुस्तान 1915, 16 में लौटे थे और यहां लौटकर कितना बड़ा काम किसानों के बीच में जाकर किसानो के हित के लिये सब से पहले चम्पारण में शुरू किया था। चम्पारण के पहले एक-दो दिनों के लिये उनको रास्ते में मुजफ्फरपुर एक शहर है वहां ठहरना पड़ा था और उस शहर से निकल कर आसपाव के गांवों में वह गये और जाकर वहां के किसानों को, वहां के रहने वाले गरीबों को, स्त्रियों और पुरुषों को उन्होंने देखा और देखते ही उनके साथ प्रेम से उन्होंने कहा कि जब तक इन गरीबों की हालत नहीं सुधरती तब तक हिन्दुस्तान की हालत सुधारने के लिये मैं कुछ नही कर सकूगा। यह 1917 की बात है। आज हम 1957 में है। हम आजाद हो चुके है पर आज भी हम गांवों मे जाये और वहां की हालत देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि उनकी हालत इतनी सुधर गयी है कि जिस पर भरोसा करके हम कह सकें कि भारत की हालत सुधरी है। महात्मा जी हमेशा सब बातों में सब कामों के लिये गांवों के लोगों की तरफ देखा करते थे। उनकी किस तरह से सेवा हो, किस तरह से लाभ पहुंचाया जाये, उनको किस तरह से गरीबी की हालत से उठाया जाये, उनको किस तरह की शिक्षा दी जाये जिससे अपना तथा देश का काम अच्छी तरह से कर सके, उनके बीच में बीमारी को फैलने से किस तरह से रोका जाये और जो बीमार पड जाये उनको किस तरह से अगर बगैर खर्च के नहीं तो कम से कम खर्च करके आराम किया जाये, उनके भोजन के लिये कौन सी अच्छी से अच्छी पुष्टकर चीजें हो सकती है जो वह देहातों में ही पैदा कर सकें और जिनको खाकर वह रह सके उन सब चीजों का उनकी आंखों के सामने हमेशा चित्र रहा करता था और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक एक चीज को लेकर वह प्रयोग किया करते थे और जानना चाहते थे और

---

आशावटी नामक ग्राम में गांधी घर का उद्‌घाटन करते समय भाषण, गुड़गांव 30 अक्तूबर, 1957

खास करके अपने ऊपर ही प्रयोग करके वह देखा करते थे कि किस चीज से कितना लाभ है, किस चीज से कितना नुकसान है। प्रयोग से यदि वह समझ जाते थे कि लाभ की चीजें है तो उनको लोगों में फैलाने का प्रयत्न किया करते थे।

मेरा अपना अनुमान है और जिन लोगों ने इस समस्या पर गहराई से सोचा है वे सब इस बात को मानते हैं कि हमारे देहातों की गरीबी तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक गांवों में होनेवाले छोटे मोटे धंधों को पूरी तरह से प्रोत्साहन देकर आगे नही बढ़ाया जाये। वहां किसान जो खेती करते हैं वह खेती के काम से बचे हुए समय को उन धंधों मे लगाकर बचे समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकें और साथ ही अपनी आमदनी में थोड़ी सी वृद्धि कर सकें। इसी दृष्टि से उन्होंने ग्रामोद्योग का विकास, प्राकृतिक चिकित्सा का विकास, ताजा भोजन और सच्चे जीवन का कार्य क्रम लोगों के सामने रखा और कुछ हद तक देश के लोगों ने उनके बताये रास्ते पर चलकर स्वराज्य भी प्राप्त किया। अब हमारा कर्तव्य यह है कि जो उनका ध्येय था, जिस हद व मकसद तक वह पहुचना चाहते थे वहां तक पहुंचे और सारे देश को पहुंचायें और इसके लिये जो कुछ भी हम से सेवा हो सके हमको देनी चाहिये। गाधी घरो का निर्माण इसीलिये जगह-जगह पर किया जा रहा है।

जिस तरह से एक बत्ती जलायी जाती है तो उसकी रोशनी की किरणें दूर-दूर नक पहुंचती है, दूर-दूर तक रोशनी भी जाती है। वह बत्ती जितनी तेज हुई उतनी ही दूरी तक उसकी रोशनी फैलेगी। अगर वह बत्ती कमजोर हुई, उसकी रोशनी धुधली हुई तो रोशनी दूर तक क्या आस-पास मे भी नहीं पहुंचेगी और जहां पहुंचेगी भी वहां सब चीजों को हम रोशनी में नहीं देख सकेंगे। तो यह खुशी की बात है कि आपके इस गांव मे और इस इलाके मे गांधी घर का निर्माण हुआ है और मुझे आशा है कि यह एक अच्छी तेज बत्ती का काम करेगा और यहां से रोशनी चारों तरफ गांवों में पहुंचायेगा और सब लोग गांधी जी के रास्ते को पहचानने लगेंगे, उस पर चलने का प्रयत्न करने लगेंगे।

मै जब से यहां आया हूं या यों कहूं कि रास्ते से मै देखता आया हूं कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना प्रेम है। मगर देश के हित के लिये और अगर सचमुच गांधी घर के काम को करना है तो क्षणिक उत्साह से काम पूरा नहीं होगा। हम चाहते है कि यह उत्साह आपके दिलों में घर कर ले और आप बराबर गांधी जी के बताये रास्ते को ध्यान मे रखकर ग्रामोद्योग का विकास करते जायें, जिस तरह

की शिक्षा वह चाहते थे उस तरह की शिक्षा को फैलाये श्रौर सब लोग एक-दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के मेलजोल से रहकर, प्रेम श्रौर मोहब्बत के साथ रहकर एक दूसरे की सहायता करके सिर्फ श्रपना ही नही देश का भी कल्याण करते जायें ।

गांधी घर का होना किसी भी गांव के लिये सौभाग्य की बात है, उनके लिये एक फ़क्र की भी बात है । मगर साथ ही साथ उस गांव श्रौर गांव के श्रास-पास के रहने वालों पर जवाबदेही भी श्रा जाती है, श्रौर जैसा मैंने कहा, जवाबदेहीबत्ती को प्रज्जवलित रखने की जवाबदेही है, देश को उठाने की जवाबदेही है जिससे गांधी जी की सीख, उनकी शिक्षा हमारे दिलों तक पहुंच जाये, घर कर ले श्रौर हमारे हाथ पांव उस रास्ते पर चलें जो गांधी जी ने बताया । इससे सिर्फ देश का ही नहीं मानव मात्र का कल्याण होगा । मैं श्राशा करता हूं श्रौर यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह श्राप में ऐसी शक्ति दे कि जो श्राशा श्रापसे की जाती है उसको श्राप पूरा करे। मैं श्रापको बधाई देता हुं श्रौर धन्यवाद भी देता हूं ।

# राष्ट्र विकास के लिए चरित्र निर्माण आवश्यक

इस अन्तर-विश्वविद्यालय युवक समारोह का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले चार वर्षों से जब से हमारे शिक्षा मन्त्रालय ने इस समारोह का आयोजन किया, मैं किसी न किसी रूप में इससे थोड़ा-बहुत सम्बन्धित रहा हूं, किन्तु आप लोगों से कुछ शब्द कह सकने का भी आज सौभाग्य से मुझे अवसर मिला है। युवक आन्दोलन के महत्व को आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। यह सभी जानते हैं कि नौजवान राष्ट्र की रीढ़ के समान होते हैं। उनका पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा राष्ट्र का पहला कर्तव्य है। इसलिये शिक्षा को उन्नत करने और स्वाधीन भारत की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी व्यवस्था करने के लिये जब नए कार्यक्रम लाने का समय आया, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के समारोह की भी व्यवस्था की गई, जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित विश्वविद्यालयों से युवक और युवतियां भाग ले सकें और कुछ दिन मिलजुल कर एक ही जगह रह सकें। इस प्रकार एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की विचार-धारा और रहन-सहन को समझना और अनेक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिये शिक्षा ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे भी इस समारोह का मूल्य बहुत अधिक है।

हमारे विद्यार्थी समाज में यह युवक समारोह लोकप्रिय हो रहा है और इसमें हिस्सा लेने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। युवक स्वभावतः नई प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं और नई स्थितियों तथा इस तरह के अवसरों का स्वागत करते हैं। इस प्रकार उनका मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि उनकी जानकारी में वृद्धि भी होती है और वे बहुत सी नई बातें सीखते हैं। आप लोगों का ध्यान उन नाटकों, लोक-गीतों और सामूहिक आयोजनों की तरफ होगा जिनमें आपको आगामी दिनों में भाग लेना है। ऐसे अवसर पर आप से एक गम्भीर विषय पर बात करनी कहां तक उचित होगी, मैं इस दुविधा में पड़ा हूं। फिर सोचता हूं कि आपने जिस स्नेह और आदर भावना से मेरा स्वागत किया है, हो सकता है आप मुझ से कुछ सुनने की भी आशा रखते हों। ऐसा अवसर मेरे लिये भी शायद बार बार न आए। इसलिये इस समय आपसे दो शब्द कहने के लोभ का मैं संवरण नही कर सकता।

मैं आपको यह परामर्श देना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप उदात्त दृष्टिकोण को अपनायें, अर्थात् मन से और विचार से उदार होने की चेष्टा करें। ऐसा करना

---

अन्तर-विश्वविद्यालय युवक समारोह के अवसर पर उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1957

हमारे देश की परम्परागत विचारधारा के अनुकूल तो है ही, आज की परिस्थितियों और इस राष्ट्र की भावी उन्नति का भी यही तकाजा है। आप सब जानते है कि भारत एक प्राचीन देश है। अपने हजारों साल के इतिहास मे उसने अनेकों उतार चढ़ाव देखे है, संस्कृतियों के उत्थान पतन देखे है, छोटी-बड़ी सल्तनतों को बनते-बिगड़ते देखा है और स्वयं देश की भौगोलिक सीमाओं को फैलते और सिकुड़ते हुए भी देखा है। फिर भी ईश्वर की कृपा से भारत राष्ट्र आज भी जीवित है, जबकि बहुत से प्राचीन देशों का अस्तित्व केवल इतिहास की पुस्तकों में ही रह गया है। इसका प्रमुख कारण यही जान पड़ता है कि हमारी विचारधारा में एक विशेष बल था और जितने भी परिवर्तन यहां घटे है उनमें एक सामान्य सूत्र था। वह सूत्र उदारता और सहिष्णुता की भावना थी। इस भावना के बल पर ही हम अपनी विचारधारा मे नए विचार खपा पाए है और नवीन तत्वो को अपनाने में समर्थ हो सके हैं। उसी ने हमें जीवित रखा और उसी के कारण इस राष्ट्र को एकता का आधार मिल सका है।

कुछ भी हो, बहुत सी मंजिले तय करके भारत अब तक एक स्वतन्त्र गणराज्य बन चुका है। अपने हजारो साल के इतिहास में शायद पहली बार यह देश एक शासन, एक विधान और एक झण्डे तले आया है। हम लोगों ने, जो देश के बड़े-बूढ़े अथवा नेता कहे जा सकते हैं, भारतीय एकता को संविधान और विधि के सांचे में ढाल दिया है। अब इस एकता को व्यवहार की कुठाली में ढालना बहुत हद तक आप नौजवानों का काम है। इस कार्य को आप कैसे सम्पन्त करें, इसकी ओर मैंने पहले ही संकत कर दिया है। हमारें परम्परागत उदात्त दृष्टिकोण को अपना कर ही आप ऐसा करसकते है। संकीर्ण विचारो को छोड़, समता क सिद्धान्त को जीवन में उतार, जाति-पाति के भेदभाव से ऊपर उठ और प्रान्तीयता की दूषित भावना का परित्याग कर आप इस दृष्टिकोण को अपना सकते है। आपका यह सौभाग्य है कि आप स्वाधीन भारत मे शिक्षण पा रहे है। हम लोग, जिन्होंने विदेशियों द्वारा संचालित संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की थी, आप से ईर्ष्या कर सकते हैं।

आप देख रहे है कि देश मे चारों तरफ निर्माण-सम्बन्धी काम हो रहे है। बांध बन रहे है। नहरें खुद रही है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे है, छोटे उद्योगो को फिर से जीवित किया जा रहा है, देहात में रहने वाल लोगों को नई सुविधाये दी जा रही है और आर्थिक दृष्टि से देश को उन्नत करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। इस महान प्रयास में निश्चय ही आप भी हाथ बटा सकते है। यदि प्रत्यक्ष रूप स शहरों या देहातों में कुछ काम करके आप ऐसा कर सकें तो

बहुत अच्छा है । नही तो कम से कम स्वय उदार बन कर और उदारता के वातावरण को प्रोत्साहन देकर भी आप अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकते हैं । आप इस बात को न भूले कि देर-सवेर सभी जिम्मेदारियां आपको संभालनी हैं । आप ही भावी राष्ट्र हैं और देश के निर्माण का भार आप ही को वहन करना है । जो अवसर हम लोगों को मिला उसमें हम ने भारत को समृद्धिशाली बनाने का यत्न किया है, किन्तु निःसन्देह हमारी दृष्टि में राष्ट्र की सब से मूल्यवान सम्पत्ति आप है । इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूगा कि आप इस प्राचीन राष्ट्र की चिरसंचित आस्थाओं पर दृढ़ रहते हुए आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करें । आपके सामने सद्भावना, समानता, सहिष्णुता, देशभक्ति के आदर्श हैं । इन आदर्शों को चरितार्थ करना और इन्हे अपने जीवन में उतारना आप लोगों का काम है ।

जो कुछ आप से मैंने कहा, व्यापक अर्थों मे उसका अभिप्राय चरित्र-निर्माण से है । कोई भी काम मनुष्य चरित्र के बिना सम्पन्न नहीं कर सकता, चाहे वह निजी हो अथवा राष्ट्र का हो । इस चरित्र का निर्माण केवल पुस्तको के पढ़ने से या अच्छे शब्दों को सुनने से नहीं होता । उसके लिए एक ही उपाय है और वह है त्याग और निष्ठा के साथ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को अंजाम देना और सचाई के साथ उसे पूरा करना । जहां कही भी आवश्यक हो निजी स्वार्थ को दबाकर सेवा भावना से तत्पर होकर समाज कल्याण के काम में लग जाना चाहिए । यह तभी हो सकता है जब आपके जीवन में मनसा, वचसा और कर्मणा सचाई हो, अर्थात् आपके विचार, व्यवहार और आचार भीतर से और बाहर से समान हो ।

कठिनाइयों के रहते हुए भी हमारा देश शिक्षा पर जो धन खर्च कर रहा है और विद्यार्थियों को नई नई सुविधायें देने की बात जो सरकार सोच रही है, यदि उन से पूरा लाभ उठाकर आप चरित्रवान बनें और जीवन में उदार तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनायें, तो मै समझूंगा कि हमारा युवक समाज उन सब सुविधाओं का अधिकारी है । इस महान कार्य में आपको ऐसे समारोहों से बहुत सहायता मिलेगी । जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है । ऐसे अवसरों पर आपको दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों को जानने और समझने का यत्न करना चाहिए और पारस्परिक सद्भावना और मैत्री को दृढ़ बनाना चाहिए । ऐसे ही समारोहों में आप वे संस्कार ग्रहण कर सकते हैं जिन पर भावी राष्ट्र की महानता की नींव रखी जाने वाली है ।

मैं इस समारोह की सफलता चाहता हूं और मेरी यह कामना है कि आप इससे पूर्ण लाभ उठाएं और भावी जीवन में सुख-समृद्धि के भागी बनें।

अब मैं सहर्ष इस समारोह का उद्घाटन करता हूं।

# अ० भा० साधु सम्मेलन का उद्‌घाटन

अखिल भारतीय साधु सम्मेलन के इस अधिवेशन में शामिल होने और आप साधुजनों के दर्शन कर सकने की मुझे बहुत खुशी है। आपके संगठन को स्थापित हुए अभी मुश्किल से दो ही वर्ष हुए हैं। यह सन्तोष का विषय है कि इस थोड़े से समय में आपके समाज की शाखाएं कई राज्यों मे स्थापित हो चुकी हैं और मुझे आशा है कुछ दिनों में अन्य राज्यों मे भी स्थापित हो जाएंगी।

जिन उद्देश्यों को सामने रखकर साधु समाज की स्थापना की गई है व इतने ऊंचे और आवश्यक है कि उनकी पूर्ति के लिये राष्ट्र प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति से पूर्ण सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा करता है। राष्ट्र-निर्माण के हमारे प्रयत्न सच्चे अर्थो में सामूहिक है, बल्कि मुझे कहना चाहिए सार्वजनिक हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में जब देश के साधु समुदाय से बातचीत की गई और उन्होंने उत्साह के साथ इस सुझाव को स्वीकार किया और निर्माण कार्य में भरसक सहयोग देने की उत्सुकता प्रकट की, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।

आप लोग विचारशील हैं और विद्वज्जन है। आप से मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इहलोक और परलोक में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इहलोक की चिन्ता किए बिना और प्राणीमात्र की सुख-सुविधा तथा शान्ति के हेतु ऐहिक परिस्थितियो मे यथासंभव सुधार किए बिना परोलोक की सिद्धि भी दुस्तर है। जहां तक मै जानता हूं, हमारे धर्म ग्रन्थों में इहलोक की उपेक्षा नही की गई है। सांसारिक जीवन को यथार्थ मानकर, हमारे तत्वदर्शियों ने निर्लिप्त भाव तथा निष्काम दृष्टिकोण से जीवन-यापन का मार्ग हमे सुझाया था। उस मार्गदर्शन और सत्परामर्श की आवश्यकता आज उतनी ही है जितनी जीवन मे कभी भी हो सकती है। वही नहीं, आज इस बात की भी आवश्यकता है कि आप लोग जिन्होंने व्यावहारिक रूप से तथा मन और कर्म से उस सन्त परम्परा का अनसरण करने का विचार किया है, ऐहिक मामलों मे भी आगे आये और जनगण का नेतृत्व करे।

भौतिक दृष्टि से संसार काफी प्रगति कर चुका है, इतनी प्रगति कि अब स्वयं भौतिकवाद से मानव ऊब उठा है। विज्ञान की प्रगति ने मानव को ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां से वास्तविक सुख तथा पूर्ण विनाश को मार्ग जाते हैं। भौतिकवाद के मद के कारण मानव भ्रान्त है और यह नही समझ पा रहा है कि सुख का मार्ग कौन सा है। इस मार्ग को वह तभी देख सकता है जब जीवन मे आध्यात्मिक तत्वों को फिर से प्रस्थापित करे और भौतिक मूल्यों को ही

---

साधु सम्मेलन के अवसर पर उद्‌घाटन भाषण, अहमदाबाद, 2 नवम्बर, 1957

जीवन का आदि अन्त न समझे। इस पुण्य कार्य मे साधु जनों से बढ़ कर भारतीय समाज की सेवा कौन कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अवलम्बन आप लोगों के लिये सहज स्वाभाविक होना चाहिये। निजी जीवन के उदाहरण से आप लोग निश्चय ही समाज के दूसरे वर्गो को इसके महत्व से अवगत करा सकते है। अब समय आ गया है कि आप लोग यथापूर्व चिन्तन और ध्यान करते हुए भारतीय समाज को नैतिकता के मार्ग पर चलाने में सहायक हों। भारत का ही नही बल्कि समस्त संसार का इसी में कल्याण है। हमारे पूर्वज अपनी समदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। सांसारिक वैभव और समृद्धि को देख कर उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की कभी अवहेलना नही की और इसी प्रकार उनके आध्यात्मिकवाद की यह मांग कभी नहीं हुई कि सांसारिक जीवन की उपेक्षा की जाए अथवा उसमें सुधार के प्रति ध्यान नही दिया जाए। इन दोनो विचारधाराओं में पूर्ण समन्वय ही उनका लक्ष्य था, और इस प्रयास मे उन्हे काफी सफलता भी मिली। उसी समन्वय की भावना को हमें फिर से आगे लाना है, जिस से यह महान राष्ट्र सुखसमृद्धि तथा भौतिक सम्पन्नता को भोगते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऊपर उठ जीवन के नैतिक पक्ष को बल प्रदान कर सके। आज स्वयं भौतिकवाद अपने अस्तित्व के लिये आध्यात्मिकवाद के सहारे का मोहताज है। इस शुभ कार्य में योगदान देकर हमारे देश का साधु समाज अपने लिये, इस देश की मर्यादा के लिये तथा संसार के लिये बहुत कुछ कर सकता है।

जहां आप सब लोगों के अभिनन्दन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है वहां मै अनौपचारिक रूप से आपको एक परामर्श भी देना चाहूंगा। आजकल परिस्थितियां ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति अथवा समाज का वर्ग जनमत के प्रति उदासीन नही रह सकता। इसीलिये आलोचना को आजकल इतना बुरा नही समझा जाता। समाज के अन्य वर्गों की तरह हम प्राय: साधु समुदाय की आलोचना भी सुनते है। सौभाग्य से आप लोग अब संगठित हो रहे है। मरे विचार से आपका यह कर्तव्य है कि आप उस आलोचना से क्षुब्ध न हों और निष्पक्ष रूप से उस पर विचार करें और यदि उसमें कुछ सचाई हो तो निर्दिष्ट दोषों को दूर करने का यत्न करें और यदि आलोचना निराधार है तो आलोचकों को वस्तु स्थिति से अवगत करने का प्रयास करें। इस प्रकार विचारविनिमय और सूझबूझ द्वारा ही साधु समुदाय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है और समाज का एक उपयोगी अंग बन सकता है।

आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि किन्हीं सार्वजनिक क्षत्रों में साधु समुदाय के सम्बन्ध में ऐसे विचार हैं कि इस से राष्ट्र को कोई लाभ नहीं

पहुंचता। इसलिए उनका मत है कि कानून द्वारा अथवा सामाजिक व्यवस्था द्वारा साधु समुदाय को समाप्त करना ही उचित होगा। इन विचारों के सम्बन्ध में मेरे लिए कुछ भी कहना सम्भव नहीं। हां, इतनी बात मैं अवश्य कहुंगा कि समाज का कोई अंग यदि अनुपयोगी हो जाय और उसकी हैसियत केवल पराश्रयी की रह जाय, तो उसका लुप्त हो जाना निश्चित है। प्रश्न केवल इतना ही रहता है कि यह कब और किस प्रकार लुप्त हो। साधुओं के सम्बन्ध मे लोगों के दिलों में ऐसे प्रश्नों का उठना आप लोगों के लिए एक चेतावनी है, जिसकी अवहेलना नही की जा सकती।

सौभाग्य से आपको अवसर मिला है जिससे लाभ उठा कर आप अपनी उपादेयता का प्रमाण ही नही दे सकते बल्कि अपने आलोचकों की शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं। स्वाधीनता के बाद से हमारे देश मे अभ्युदय के लक्षण दिखाई दे रहे है। सैकड़ो वर्षों के बाद भारत मे नवयुग का उदय हुआ है। इस से पूर्ण लाभ उठाने के कार्य मे आप लोगो की सहायता अपेक्षित है। देश के जन-साधारण पर आपका काफी प्रभाव है। उपदेश तथा अपने सम्पर्क द्वारा आप उनमें उन सभी प्रवृत्तियों को जागृत कर सकते है जिनसे इस नव चेतना का निर्माण होने जा रहा है। इसी कार्य के लिये विशेष रूप से साधु समाज का संगठन किया गया था, और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस रचनात्मक और समाज सेवा के कार्य को गम्भीरतापूर्वक तथा उत्साह से अपने हाथ में लिया है। मै चाहता हू कि साधु समाज का संगठन इतना व्यापक और कुशल हो कि समाज सुधार और नैतिकता खे धरातल पर आप का राष्ट्र क जीवन मे बही स्थान बन जाय जो बांध निर्माण अथवा उद्योगों के संस्थापन मे इन्जीनियरों का है। यह बात ऐसी नहीं जिसे कोई भी अव्यावहारिक कहे। विचारों की शक्ति और जनमत की क्षमता से कोई इन्कार नहीं कर सकता। ये दोनों बाते ऐसी हैं जिन्हे सम्पन्न करने के लिए आप हर प्रकार से उपयुक्त है। इसलिए आप साधु जनों से मेरा यह सादर अनुरोध है कि आप अपने-अपने कार्यक्षेत्र में समाज को सुधारें और अपने सम्पर्क में आने वाली जनता को नव युग के उदय का सन्देश दे।

कुछ समय से मठों, मन्दिरों तथा तीर्थ स्थानों की सम्पत्ति को लेकर भी साधु समुदाय की कुछ आलोचना सुनने में आई है। यह सम्पत्ति एक धार्मिक ट्रस्ट के रूप में साधु लोगों के सुपुर्द की जाती है। लोग यह आशा रखते हैं कि इस सम्पत्ति का उपयोग धार्मिक कामों के लिए और जन सेवा के लिए किया जायगा और किसी भी अवस्था में उसका दुरुपयोग न होगा और न ही निजी स्वार्थ के लिए वह

खर्च किया जायगा। मैं समझता हूं कि इस धार्मिक सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना स्वत्व या अधिकार नहीं मानना चाहिये। आप लोग इस तरह की व्यवस्था आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करने से आलोचना का आधार भी जाता रहेगा और धार्मिक सम्पत्ति का सदुपयोग ही नहीं होगा बल्कि जहां कहीं अपव्यय होता होगा वह भी बन्द हो जायगा।

पर चाहे जिस प्रकार से आप सेवा करना चाहें यह तो आवश्यक और अनिवार्य है कि आपका निजी जीवन और दिनचर्या ऐसी हो जिससे उन लोगों के मन में आपके प्रति मान और श्रद्धा जाग्रत हो जाय जो आज आपके आलोचक हैं, और जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा आपके प्रति दृढ़ विश्वास का रूप धारण करे। इसी में प्रत्येक साधु की साधु समाज की और इस संस्था की सफलता है।

मेरी यह आशा है कि यह संस्था और इसके सदस्यगण इस कसौटी में खरे और इसके द्वारा देश और समाज का कल्याण होगा।

आपके सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए, मैं सहर्ष इस समारोह का उद्घाटन करता हूं।

# गुजरात विद्यापीठ का पद्वीदान समारोह

उपकुलपति जी, महामात्र जी, विद्यार्थीयों, बहनों और भाइयो,

बहुत दिनों से मै इस इन्तजार में था कि ऐसा समय निकाल सकूं इस विद्यापीठ में आकर पदवीदान समारोह में शरीक होऊं पर किसी न किसी कारणवश यह इच्छा आज के पहले पूरी नही हो सकी और आज भी मै आया तो बहुत थोड़े समय के लिये जिसमे आप सब भाइयो और बहनों, से न, तो अधिक मिलने का अवसर होगा और न यहा कुछ देर तक रहकर आपकी प्रवृत्तियों को ही देखने का मौका मिलेगा तो भी जो कुछ आह्वान सुनाया गया, जो कुछ मै समय-समय पर यहां की रिपोर्ट पाता रहता हूं उनसे मुझे संतोष रहता है कि विद्यापीठ का काम सुचारू रूप से चलता जा रहा है ।

जब इस प्रकार की विद्यापीठ की स्थापना आज से 36 वर्ष पहले की गयी थी समय बिल्कुल दूसरा था उस समय देश के सामने प्रश्न भी दूसरे थे । जनता की अवस्था भी दूसरी थी, विशेष करके शिक्षालयों का रंग ढंग, रूप रेखा बिल्कुल अलग थी । उस वक्त महात्मा जी ने इस प्रकार की गैर-सरकारी सस्था की स्थापना विशेष करके इसलिये की थी कि जिसमें उसके जरिये से देश के नवयुवकों में स्वतन्त्र बुद्धि का विकास हो, वे अपने देश की परिस्थिति से अबाध रूप से परिचित हो सकें और साथ-साथ उनको आधुनिक जगत की भी पूरी वाकफियत रहे और इसलिए प्रारम्भ से ही मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने का निश्चय हुआ था । साथ ही इसलिए प्रारम्भ से ही मातृ भाषा द्वारा शिक्षा देने का निश्चय हुआ था । साथ ही साथ महात्मा जी ने इस चीज पर भी जोर डाला था कि हमारे देश की उन्नति के लिये हाथों की कारीगरी द्वारा लोगों में अपने जीवन निर्वाह के लिये कुछ पैदा कर लेने की शक्ति शिक्षालयों में ही मिलनी चाहिये और चूकि देश की गुलामी के आरम्भ में बहुत कुछ हमारे यहां की उस जमाने की चली हुई खादी की प्रवृत्तियों में रुकावट पड़ी थी उन्होंने चर्खे को पुनर्जीवित कर देश में कपड़ों के सम्बन्ध में कम से कम स्वदेशी ही नही बल्कि लोगों को स्वाश्रय भी बनाने का विचार किया था और इसीलिये इस विद्यापीठ मे इसबात पर जोर दिया गया था कि सभी लोग चर्खा चलाना सीखें, खादी का व्यवहार करें और हर प्रकार से लोगों में उसका प्रचार करें। कई प्रातों में विद्यापीठ स्थापित हुई । अब प्राय: सभी जगहों में बन्द सी हो गयी है । कहीं-कही अगर नाम से जीवित भी है तो उनका कोई महत्वपूर्ण काम सामने नही आता और लोग देख नहीं सकते ।

---

गुजरात विद्यापीठके पद्वीदान समारोह मे भाषण, अहमदाबाद, 3 नवम्बर, 1957

मगर गुजरात विद्यापीठ आज भी जीवित जागृत है और अपने कार्यक्रम को समय-समय पर समयानुकूल इस तरह से बनाती गयी है कि आज की परिस्थिति मे भी उससे देश की बड़ी सेवा हो रही है। इसका मुख्य कारण सरकार से अलग होकर और सरकार से एक प्रकार से स्वतन्त्र रहकर शिक्षा का प्रचार है जिसमें वह अपने तरीके से नयी पद्धतियो के सम्बन्ध मे नये विचारों को लेकर प्रयोग कर सके और अगर प्रयोग का फल अच्छा मिले तो देश के सामने और लोगों के सामने उस प्रयोग को रखा जाये और बताया जाये तो उसके अनुसार काम होना चाहिये और इसीलिये मैं समझता हूं कि आज भी जब हम स्वतन्त्र हो गये हैं इस प्रकार की प्रयोगशाला की जरूरत है जो अभी भी प्रयोग करें और दिखलायें कि जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है उसमें कौन सी खामियां हैं, कौन सी त्रुटियां हैं तथा कहां कहां परिवर्तन आवश्यक है। और अपने इसी ख्याल से आज की जरूरतों के अनुकूल अपने पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और अपनी प्रवृत्तियों को बनाना है कि जो स्नातक और जो दूसरे लोग यहां से शिक्षा पाकर निकलें वे इस वक्त देश की जो हवा है उसमें अच्छी तरह से घुलमिलकर देश की सेवा कर सकें।

यह एक बड़ा काम हो रहा है। मै आशा करता हूं कि यह काम जारी रहेगा और स्वतन्त्र रूप से जारी रहेगा। जब ब्रिटिश सरकार थी तो हमको ब्रिटिश सरकार से मदद लेने में हिचकिचाहट थी और हम लेना नहीं चाहते थे क्योंकि हम समझते थे कि उस मदद का नतीजा यह होगा कि हमारी स्वतन्त्रता में विघ्न पड़ेगा, कुछ थोड़ी-बहुत रुकावट भी पड़ेगी और हम अपनी इच्छा के अनकूल पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर सकेंगे। आज वह परिस्थिति नहीं होनी चाहिये। मै तो यह आशा करूंगा कि सरकार से आप मदद लेनी भी चाहें तो सरकार मदद दे पर न तो उसे किसी प्रकार का बंधन रखना चहिये और न शर्त रखनी चाहिये। जब तक आप बिल्कुल स्वतन्त्र रूप से अपना प्रयोग नही चला सकते, आपकी उपादेयता, आपकी आवश्यकता और आपकी शक्ति बहुत कम हो जायगी। इसलिये मै चाहूंगा कि आप स्वतन्त्र रहकर चाहे तो सरकार से मदद लें। दूसरी जो कुछ भी मदद आपको जहां कहीं से मिल सके आप लें पर अपनी स्वतन्त्रता किसी बात में आप छोड़ें नहीं, और तभी विद्यापीठ का जो ध्येय था वह पूरा हो सकेगा क्योंकि उन दिनों में जब कोई नही सोच सकता था कि चर्खा चलाने से भी कोई शिक्षा मिल सकती है, शायद स्वयं महात्मा जी ने भी आरम्भ में नहीं सोचा था मगर पीछे चलकर उन्होंने देखा कि जब तक किसी उद्योग और धंधे के द्वारा शिक्षा नहीं दी जाये तब तक या तो हम सारे देश में शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकते और अगर कर भी लें तो

हम ऐसे ही लोगों को अधिकतर पैदा करेंगे जो देश के लिये उतने मददगार नही हो सकेंगे जितना उनको होना चाहिये ।

हम देख रहे हैं कि जहां महात्मा जी की अन्तिम शिक्षा पद्धति को गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया है वहां आज हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर चल रही है और यही कारण है कि आज न मालूम कितने नये स्कूल, कितने नये कालेज, कितनी यूनिवर्सिटियां खुल गयी हैं और खुलती जा रही हैं मगर एक तरफ तो यह शिकायत की जाती है कि जो छात्र इन कालेजों और यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं वे पुराने जमाने के छात्रों के मुकाबले मे दब निकलते हैं और दूसरी तरफ यह भी शिकायत निकलती है कि जितने आदमी पढ़कर निकलते हैं वे बेकार हैं, उनको कोई धंधा नहीं मिलता और सारे देश में असंतोष फैल रहा है । तो जो महात्मा जी ने चर्खे द्वारा शिक्षा-प्रचार का विचार किया था उसका मतलब यह था कि चर्खा तो एक निमित्त मात्र है, कोई भी धंधा हो सब लोग हाथ से करें तो एक तरफ तो धंधा करते जायें और दूसरी तरफ सीखते जाये । ऐसा करने मे पढ़ाई पर, विशेष करके प्रारम्भिक शिक्षा या माध्यमिक कक्षा की शिक्षा पर बहुत कम खर्च करना पड़ेगा और जहा बेसिक एडूकेशन का ठीक तरह से प्रयोग किया गया वहा देखा भी गया कि खर्च का एक अच्छा अंश तो जरूर विद्यार्थी अपने परिश्रम से कमा लेते हैं और मेरा विश्वास है कि अगर वह ठीक तरह से चलाया जाता और उसके लिये योग्य शिक्षक मिल गये होते या आज भी मिल जायें तो अगर सब नही तो कम से कम रुपये में बारह आने याने सौ में पचहत्तर खर्च तो निकल ही सकता है और जो विद्यार्थी निकलेंगे वे भी ऐसे निकलेगे जो अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और केवल दफ्तर में जाकर नौकरी के लिये दर्खास्तें देने में ही अपनी इतिश्री नहीं समझेंगे ।

मैं चाहूंगा कि यह विद्यापीठ जिस तरीके से चलती जा रही है और आगे के लिये नयी-नयी प्रवृत्तियों का यहा प्रयोग हो रहा है, यह एक प्रकार से प्रयोगशाला बनकर सारे देश की सेवा करे । जो विद्यार्थी यहां आते हैं उनकी सेवा तो होती ही है, उनको लाभ तो होता ही है, इसके जरिये से आपके प्रयोग का जो फल होगा सारे देश के लिये लाभदायक होगा । मैं आशा करता हूं कि आप अपने काम को उत्साहपूर्वक चलाते जायेंगे और चाहे जितनी भी दिक्कते आपके सामने आवें उन दिक्तों को ठीक तरह से, सहिष्णुता और सहानुभूति के साथ बिना किसी गुस्से या रंज के बर्दाश्त करते जायेंगे और अपने काम को नहीं छोड़ेंगे ।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि आप अपने काम को इतनी अच्छी तरह से चलाते जा रहे हैं । मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं इतने दिनों के बाद यहां आया । अब आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द-जल्द आऊ । पर यह तो ईश्वर के हाथ की बात है ।

जितने विद्यार्थियों को पदवी मिली है उनको मैं बधाई देता हूं तथा विद्यापीठ के संचालकों, शिक्षकों तथा आचार्यों को भी बधाई देता हूं ।

# वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत

भारत सरकार और इस देश के लोगों की तरफ से मैं महामहिम का हार्दिक स्वागत करता हू । हमे बहुत खुशी है कि हमारे निमन्त्रण को स्वीकार कर आपने भारत यात्रा का कष्ट उठाया । इसके लिए हम आपके आभारी है ।

वियतनाम की स्वाधीनता तथा उन्नति मे भारत के जनगण की गहरी दिलचस्पी है । इस दिलचस्पी का आधार जहां एक ओर हमारे देशों के प्राचीनकालीन सम्बन्ध है, वहां दूसरी तरफ आधुनिक युग में हमारी सामान्य महत्वाकांक्षा है कि संसार के सभी राष्ट्र स्वाधीन हों और आपसी सद्भावना के साथ सभी देश निजी प्रवृत्तियों के अनुकूल अपने नागरिकों की भौतिक और नैतिक उन्नति में संलग्न हों ।

महामहिम को आज अपने मध्य देख हमें हर्ष हो रहा है और इस यात्रा के लिए एक बार फिर मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

---

पालम हवाई अड्डे पर वियतनाम के राष्ट्रपति के आगमन पर स्वागत भाषण, नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1957

# गुरु नानकदेव का दिव्य सन्देश

सरदार गुरुमुखसिंह मुसाफिर, बहनों और भाइयो,

मैं इस साल भी इस सभा में शरीक हो सका इसकी मुझे बड़ी खुशी है। शायद पिछले वर्ष मैं कहीं बाहर गया था या किसी दूसरे कारण से हाजिर नहीं हो सका था जिसका मुझे अफसोस रहा था और इस बार हाजिर हो सका इसकी इसीलिये और खुशी दोबारा हो गयी।

हम लोग इस दिन को खास करके इसलिये इकट्ठे हुआ करते हैं कि गुरु नानकदेव की याद करके हम अपनी जिन्दगी में कुछ सुधार ला सकें और जो कुछ उन्होंने हमको शिक्षा दी थी, जो कुछ सीख दी थी उस पर अमल करके हम अपनी ख्वाहिश को और मजबूत बना सकें।

सारी दुनियां में और खास करके हमारे हिन्दुस्तान में आज इस चीज की जरूरत है कि हम सब ऐसी चीजों को छोड़ जो एक दूसरे से बिलगाती हैं, ऐसी सभी चीजों को अपनावें जो एक दूसरे को जोड़ती हैं। गुरु नानकदेव जी का यही एक बड़ा काम था जिसको लेकर उन्होंने ईश्वर के नाम पर सब को मिलाने और इकट्ठे करने का प्रयत्न किया था और चाहे आज हम भूले-भटके इधर उधर फिरते हैं, जाते हैं मगर अगर उनकी सीख को हम याद करेंगे तो उसमें सब से कीमती बात यही थी कि ईश्वर की हम सभी संतान हैं, हम सब बराबर हैं और सब एक साथ मिल-जुल कर रहें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और यह सिर्फ किसी एक मज़हब के लोगों के लिये नहीं बल्कि उन दिनों में जितने मजहब हिन्दुस्तान में फैले हुए थे उन सबों के लिये उन्होंने यह सीख दी थी। यह सीख जितने आज तक बड़े लोग गुजरे हैं सबों ने दी है मगर हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि इसके बावजूद हम मज़हब को, उस सीख को एक दूसरे से विलग होने का ज़रिया बना लेते हैं या बनने देते हैं। जो लोगों को मिलाने की, लोगों को जोडने की चीजें हैं वे बिलगाने की चीजें बन जाती हैं। हिन्दु मुसलमान उस जमाने में चूंकि एक दूसरे से अलग थे, दोनों के बीच में एक कड़ी जोड़ने के लिये गुरु नानकदेव ने अवतार लिया और हमको बताया और सिखाया। और आज भी हिन्दुस्तान में इस चीज की जरूरत है कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी धर्म के पैरवीकार हैं सब एक दूसरे से मिल-जुल कर इस तरह से रहें कि जिसमें सब अपने अपने रास्ते से चलते रहें,

---

चेम्मफ़ोर्ड क्लब में गुरु नानकदेव के जन्मदिन पर भाषण, नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1957

सब अपने तरीके से ईश्वर को मानते रहें, अपने तरीके से ईश्वर की पूजा करते रहें लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत का बर्ताव करते रहें।

सिर्फ मजहब की ही बात नही है। भाषा के सम्बन्ध में, जबान के सम्बन्ध में भी झगडे उठते है और मै देखता हूं कि हिन्दू के घरों में गुरु नानकदेव के भजन आज ठीक उसी तरह से, उसी तरीके से गाये जाते है जिस तरीके से तुलसीदास के बनाए हुए, सूरदास के बनाये हुए भजन गाये जाते है। मै अपने घर की ही बात लेता हूं। मेरी छोटी छोटी पोतियां है और जिनकी उम्र दस बारह वर्ष की है। वे शाम सुबह जब मुझे भजन सुनाया करती है तो उनमे गुरु नानकदेव के भी भजन होते है। जब कभी तुलसीदास के, कभी सूरदास के, कभी मीराबाई के भजन सुनाती हैं तो साथ ही साथ गुरु नानक देव के भजन भी वे गाती है। यह कोई बनावटी बात नही है। उनके दिल में यह कभी फर्क ही नही मालूम हुआ कि भाषा या धर्म का दोनों में कोई फर्क है और उनको वे अलग समझें और उनको अलग समझें। यहा आने के पहले मै एक भजन की किताब देख रहा था जिसमे बहुत तरह के भजनो का एक संग्रह है। उसमे बहुतेरे भजन सूरदास के, तुलसीदास के, कबीर के, मीरावाई के है। उसी तरह से गुरु नानक देव के भी भजन है। मै समझता हूं कि हमारे घर की लड़कियों ने इसी तरह के ग्रन्थों से सीखा है और मै देखता हूं कि उनके दिल मे कभी कोई फर्क नही मालूम पड़ता। नही मालूम कि जब वह और बड़ी हो जायेगी, और सयानी हो जायेंगी और दुनियां के लोगों से उनका ताल्लुक होगा तो उस वक्त यह भावना रहेगी या नही। मै तो चाहूंगा कि यह हमेशा कायम रहे और इसे रहना चाहिये। मगर आज उनका दिल साफ है और उनके दिल में किसी तरह का मैल अभी नही पहुंचा है और मै देखता हूं कि उनके दिल में कोई फर्क नही आया है।

मै चाहता हूं कि सारे देश के लोगों के दिलों में इसी तरह की सफाई के साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा हो जिसमे हम अपनी तरक्की कर सके, दूसरों की भलाई कर सके और सारे देश की उन्नति कर सकें। और आज के दिन जब हम गुरु नानक देव की याद करते है तो हम सोचें, विचारें कि जो चीजें जितने हमारे साधु-सन्त हुए है, हमारे बुजुर्ग हुए है उन्होंने हमें सिखायी, पढ़ायी क्या वे सब बेकार हैं, क्या उनका कोई मतलब नही, और क्या उनसे आइन्दे कोई लाभ होने वाला नहीं? हम तो मानते हैं कि चाहे हम मौके बेमौके ठुकरा जाते है मगर उनकी सीख में सचाई है और चूंकि उनमें सचाई है, वे चीजें आखिर में कायम रहकर रहेंगी और हम सब एक साथ होकर प्रेम के साथ इस मुल्क में रहेंगे और सारी दुनियां में अपना प्रेम फैलायेंगे और उनका प्रेम लेंगे। आज दुनियां के सामने यही सवाल है। मनुष्य अपनी बुद्धि से

केवल काम नही ले सकता है। बुद्धि के साथ साथ ज्ञान का भी उतना ही दायरा है बल्कि उससे ज्यादा दायरा है, उसकी उतनी ही जरूरत है बल्कि उससे उसकी ज्यादा जरूरत है ।

हम देखते है कि बुद्धि का विकास इतना हो गया है कि जिस चीज को हमने ख्वाब में भी नही सोचा था, जिसके सम्बन्ध में कथा-कहानिया भी नही बनी कि आज मनुष्य की बुद्धि से उन चीजों तक जा रही है। मगर आवश्यकता यह है कि बुद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी उतनी ही हो, सिर्फ अक्ल ही नही दिमागी शक्ति भी साथ हो, उसके साथ साथ इस प्रकार की सचाई भी आयी हो और सच्चा धर्म भी आया हो, जिसमें मनुष्य अपनी अक्ल को प्राणीमात्र के कल्याण के लिये लगावे न कि उनके विनाश के लिये, बर्बाद करने के लिये। जब तक हम दोनों को साथ नही ले चलेंगे काम नही चलेगा और दुनिया इसको समझ रही है। रास्ते अपने-अपने है। मनुष्य अपना रास्ता भूल जाय और अपना रास्ता ही नहीं देख सके तो कही न कही वह गिरेगा जरूर। ऐसा ही हुआ है।

हम लोगों के यहां शास्त्रों में भस्मासुर की कथा है। उसने ईश्वर की बडी पूजा की, शिवजी की पूजा की। शिवजी प्रसन्न होकर उससे बोले कि जो वर मागो में दूं। उसने कहा कि मुझे वर दीजिये कि जिसके शिर पर मै हाथ रख दूं वह जलकर खाक हो जाये। शिवजो जबान हार गये थे, उन्होने कहा यही सही, जिसके शिर पर तुम हाथ रखोगे वह जलकर राख हो जायगा। अब भस्मासुर ने सोचा कि क्यों नहीं शिव जी के शिर पर ही हाथ रख दूं जिसमें पार्वती जी मुझे मिल जायें। अब वह शिवजी के पीछे पड़ा। अब शिवजी परेशान। उनका दिया वर झूठा भी नही हो सकता था, इसलिये उनको अब भागना पड़ा, दूसरा कोई रास्ता नही था। शिवजी जहां कही जायें वह उनका वहां पीछा करने लगा। शिवजी भागते-भागते परेशान हो गए। भगवान ने देखा कि यह बड़ा जुल्म हो गया। वह पार्वती जी का रूप बनाकर उसके सामने आ गये। उन्होंने भस्मासुर से पूछा क्यों शिवजी का पीछा कर रहे हो। उसने कहा कि मै इसलिये उनका पीछा कर रहा हूं जिसमें तुम हमारे साथ रहो। पार्वती जी ने कहा इसके लिये इसकी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे सामने नाच करके दिखला दो, जब मै खुश हो जाऊंगी तो तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। एक गरथइया नाच होता है जिसमें एक हाथ अपने शिर पर रखकर नाचना होता है। भस्मासुर ने गरथइया का नाच किया और शिर पर हाथ पड़ते ही वह खुद जलकर खाक हो गया। तो अब हम ऐसे मौके पर हैं कि भस्मासुर हमारा पीछा कर रहा है। अगर हम समझ गये, संसार के

लोग समझ गये और ईश्वर की दया हो गयी और वह पार्वती का रूप बनकर आ गये और हम समझ गये कि हम ठीक तरह से चलें नहीं तो बर्बाद हो जायेंगे तभी हम बचेंगे नही तो न मालूम क्या होगा ।

ऐसे बुजुर्गों की, हस्तियों की, विभूतियों की याद करने के लिये जब हम उनकी जन्म तिथियां मनाते हैं तो हमको सोचना चाहिये कि हम अपने को बर्बाद नहीं कर डालें बल्कि हमारी समझदारी के साथ-साथ हम में एतबार भी रहे, नैतिकता भी रहे, स्पीरीचुअलिस्म होना चाहिये जिसमें हम अपनी अक्ल को सुधार सकें और उससे काम ले सकें । मै समझता हूं कि ऐसे मौके पर जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम ईश्वर की याद करें और ऐसे महान पुरुषों का स्मरण करें, ऐसे सन्तो और विभूतियों का स्मरण करें जिसमें केवल हमारी बुद्धि वृद्धि ही नहीं रहे बल्कि उसके साथ ज्ञान भी हो, चरित्र भी हो और नैतिकता भी हो । मै समझता हूं कि हमारे दिलों में ऐसी बातों की याद दिलाने के लिये यह समारोह अवश्य ही सफल होगा ।

# राजकीय भोज के अवसर पर

महामहिम, देवियो तथा सज्जनो,

मैं आज बहुत हर्ष के साथ वियेतनाम गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री नों डिन ज़ियम का, जो इस समय हमारे बीच विराजमान हैं, स्वागत करता हूं। हम उनका ऐसे राज्य के अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हैं, जिसने हमारी तरह हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हो स्वाधीनता प्राप्त की है। यदि हम अतीत पर दृष्टिपात करें तो दोनों देशों के इतिहास में हमें मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और पारस्परिक आदान-प्रदान का परिचय मिलेगा। इसलिये बीते हुए युग के सुखद सम्बन्धों की स्मृति के रूप में वियेतनाम गणराज्य के राष्ट्रपति का हम स्वागत करते हैं। इससे भी अधिक, उनका आगमन द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद एशिया में जागरण का प्रतीक है।

आज के युग में जब विज्ञान की प्रगति के कारण फ़ासला नहीं के बराबर रह गया है, कोई भी दो देश एक दूसरे से अत्यधिक दूर नही कहे जा सकते, किन्तु दक्षिण-पूर्वी एशिया-स्थित वियेतनाम और भारत सरीखे देशों में निकटता की भावना को हमारी सामान्य महत्वाकाक्षा से और दोनों देशों के सामने लगभग एक जैसी समस्याओं के होने से और भी बल मिलता है। वियेतनाम गणराज्य देश के आर्थिक विकास में संलग्न है, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो और जन-साधारण का जीवन-स्तर ऊपर उठ सके। भारत की तरह वियेतनाम भी कृषि-प्रधान देश है और वहां भी अधिकांश लोग भूमि पर ही जीविका के लिये निर्भर करते हैं। हमारी ही तरह वियेतनाम को भी अपनी पुरानी आर्थिक व्यवस्था और उद्योगों सम्बन्धी आधुनिक आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना पड़ रहा है। हम भी औद्योगिक विकास और कृषि उत्पादन में वृद्धि के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे हर्ष है कि महामहिम इस प्रवास की अवधि में कम से कम एक नदी घाटी योजना और कुछ अनुसन्धान संस्थाओं को देख सकेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी नीति का आधार विश्व के सभी देशों से मत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने की हमारी उत्कट इच्छा है, और इस सम्बन्ध मे हम सह अस्तित्व अथवा पचशील के सिद्धान्त से प्रेरणा लेते हैं। संसार में शान्ति की स्थापना और पिछड़े हुए देशों के विकास द्वारा मानव समाज के कल्याण की भावना सभी राष्ट्रों के सामान्य उद्देश्य हैं। ऐसी सूरत में बुद्धिमत्ता और तात्कालिक आवश्यकता दोनों ही हमारी नीति के पक्ष में हैं।

---

वियेतनाम गणराज्य के राष्ट्रपति के सम्मान में राजकीय भोज के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1957

हाल के वर्षों मे जिनेवा समझौते के अनुसार वियेतनाम में विराम सन्धि के निरीक्षण के लिये जो अन्तर्राष्ट्रीय आयोग नियुक्त हुआ था, उसमें भारत भी शामिल है। इस सिलसिले मे अभी भी हमारे बहुत से कर्मचारी उस देश में काम कर रहे हैं और शान्ति स्थापना के लिये प्रयत्नशील हैं।

मेरे लिये यह कहना अनावश्यक होगा कि वियेतनाम के लोगों के प्रति हमारे दिल में पूर्ण सदाशयता और मैत्री की भावना है, और यदि हमने आयोग में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो वह इसलिये कि युद्ध से त्रस्त वियेतनाम के लोगो की सहायता करना तथा वहा शान्ति स्थापना करना हमें अभीष्ट था।

हमारे दोनों देशो के बीच आज मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है। मुझे विश्वास है महामहिम की इस यात्रा के फलस्वरूप वे और भी दृढ़ हो जायेंगे। हमारा निमन्त्रण स्वीकार करने के लिये एक बार फिर मै महामहिम के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि इस देश में महामहिम का प्रवास सुखद होगा।

# भारतीय विद्या भवन में

अपने सार्वजनिक जीवन में और उसके बाद कुछ दिनो खाद्य मन्त्री की हैसियत से और इधर कुछ वर्षो मे राष्ट्रपति के रूप मे मुझे अनेकों विद्यालयों और शिक्षण सस्थाओं को देखने का अवसर मिला है। शिक्षा और शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों की ओर मेरी कुछ रुचि भी रही है। आज जब कि मै विद्या भवन के इस दीक्षान्त समारोह मे भाग ले रहा हू, मेरे विचार स्वभावतः इस दिशा में और भी जा रहे हैं। किसी भी विद्यालय की अपनी मीमाए होती है और निर्धारित कार्यक्रम होता है जिसके अनुसार उसमें पठन-पाठन का काम चलता है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय भी अपने शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी कार्यक्रम के अनुसार काम करते हैं। दूसरी तरफ प्रकाशन सस्थाए और साहित्य परिषदें भी हमारे देश मे है जिनका काम सभी प्रकार के पाठको के लिये सुन्दर पुस्तके उपलब्ध करना है। अपने अपने क्षेत्र में सभी विद्यालय तथा साहित्य परिषदे उपयोगी काम कर रही है।

फिर मै सोचता हू कि भारतीय विद्या भवन अपनी तरह की निराली संस्था है क्योंकि इसके उद्देश्यो में केवल आधुनिक ढग का शिक्षण ही शामिल नही है बल्कि पुस्तकों का प्रकाशन, बहूमूल्य अनुसन्धान कार्य, ललित कलाओं का प्रसार, सास्कृतिक उत्थान, हिन्दी और सस्कृत भाषाओ तथा साहित्य का प्रचार आदि भी भवन के उद्देश्यों मे शामिल है। इसलिये विद्या भवन हमारे सामने ऐसे सास्कृतिक अनुष्ठान का नमूना पेश करता है जिसके लिये शिक्षा और सस्कृति-सम्बन्धी मानव समाज के कल्याण का कोई भी काम असंगत नही। सौभाग्य से इस संस्था मे मेरा परिचय ही नही बल्कि घनिष्ठ सम्बन्ध आरम्भ मे ही रहा है। जिस समय विद्या भवन की नीव डाली गई और उसका काम शुरू हुआ, बहुत से लोगों को, हो सकता है भवन का कार्यक्रम अत्यधिक व्यापक अथवा अव्यावहारिक दिखाई दिया हो, किन्तु इन 20 वर्षों मे भवन ने वास्तव में जो काम किया है और सभी क्षेत्रो मे जो सफलता प्राप्त की है, उसे देख कर सभी संशयों का समाधान हो जाता है।

आप लोगों ने अभी श्री कन्हैयालाल मुन्शी जी का भाषण सुना और भवन के मन्त्री महोदय द्वारा भवन के काम-काज का विवरण भी आपके सामने रखा गया। सभी दिशाओं में भवन ने जो प्रगति की है और विशेषकर नयी पुस्तकों के प्रकाशन में उसे जो सफलता मिली है, उसका कुछ आभास आप सब को मिल गया होगा रोचक, शिक्षाप्रद, और सस्ते ग्रन्थ तैयार करने की दिशा में विद्या भवन ने जो काम

---

भारतीय विद्या भवन के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर भाषण, 11 नवम्बर, 1957

किया है उससे इस प्रकार की दूसरी संस्थाओं का पथ-प्रदर्शन होगा। जिस बात का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं वह भवन के कार्य की विविधता तथा व्यापकता है। विविधता के बारे में अभी मैं ने कुछ कहा भी है। उसके कार्य की व्यापकता के सम्बन्ध में यह कह देना और आवश्यक होगा कि विद्या भवन का लक्ष्य एक देश-व्यापक संस्था का रूप धारण करना है, और इस उद्देश्य से भवन यथासम्भव देश के अन्य भागों में शाखाए स्थापित करने का यत्न करता रहा है। कुछ महीने हुए भवन की एक शाखा नई दिल्ली मे खोली गयी थी और उससे कुछ पहले कानपुर और इलाहाबाद में भी शाखाओं का उद्घाटन हुआ था। आशा है कि कालान्तर में देश के दक्षिण और पूर्वी भागों में भी भवन की शाखाए खोली जायेंगी। इस प्रकार भारतीय विद्या भवन सच्चे अर्थों में अखिल भारतीय शैक्षिक तथा सास्कृतिक संस्था बन जायगी।

मैं विशेष रूप से संस्कृति विश्व परिषद और भारतीय इतिहास विभाग के कार्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा संस्कृत विश्व परिषद् ने पिछले 6, 7 वर्षों में ही संस्कृत भाषा और इसके समृद्ध साहित्य के सम्बन्ध मे देश भर मे काफी रुचि पैदा की है। संस्कृत हमारे प्राचीन साहित्य की कुंजी है जिसके अध्ययन के बिना हम अपनी बहुमूल्य सास्कृतिक विरासत से अवगत नही हो सकते। संस्कृत विश्व परिषद् के उद्यम के फलस्वरूप ही इस भाषा के महत्व को देशके सभी भागों मे मान्यता मिली है और संस्कृत के पठन-पाठन के बारे में व्यावहारिक तथा लोकप्रिय कार्यक्रम निर्धारित होने की भी आशा है। विश्वविद्यालयो और पाठशालाओं में संस्कृत के अध्ययन को भी इधर काफी प्रोत्साहन मिला है।

भारतीय इतिहास विभाग के कार्य को विद्या भवन ने आरम्भ से ही अपने कार्यक्रम मे ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि प्रामाणिक इतिहास का ज्ञान राष्ट्र के हित मे आवश्यक है। इस दिशा में एक दो और गैरसरकारी संस्थाओं ने भी कुछ प्रयत्न किये किन्तु उन्हें अधिक सफलता नही मिल सकी। यह सौभाग्य का विषय है कि भारतीय इतिहास विभाग को सफलता ही नही बल्कि व्यापक मान्यता भी मिली है। वैदिक काल के इतिहास से सम्बन्धित और उसके बाद अन्य ग्रन्थों का जो अभी तक प्रकाशित हुये हैं, सभी जगह स्वागत किया गया है। यह कार्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि परिश्रमपूर्ण खोज और अनुसन्धान के बिना प्रामाणिक तथ्यों तथा घटनाओ की जनकारी दुर्लभ है। इस कार्य में भवन के संचालकों तथा विद्वज्जनों के परिश्रम से यह कार्य सन्तोषजनक रीति से सम्पन्न हो रहा है। प्राचीन इतिहास केवल घटनाओं का ही संकलन नहीं, उसमें विश्व के

एक प्राचीन देश की सस्कृति और विचारों तथा कला के क्षेत्र में उन लोगों की सफलता प्रतिबिम्बित होती है ।

मैं जानता हूं कि विद्या भवन का अभी तक का इतिहास कुछ व्यक्तियों की लगन का इतिहास है । इन महानुभावों में श्री कन्हैयालाल मुन्शी सर्वप्रथम है । अनेकों दूसरे कामों तथा व्यस्तता के बावजूद भी श्री मुन्शी भवन के कार्य मे सदा दिलचस्पी लेते रहे हैं और उन्ही के चिन्तन तथा आयोजन का यह परिणाम है कि विद्या भवन आज हमारे सामने इतनी बड़ी संस्था के रूप में विद्यमान है मैं उन्हे और उनके साथियो को इस सफल प्रयास पर बधाई देता हूं । विद्या भवन जैसी व्यापक और सर्वांगीण सस्था की स्थापना कर उन्होंने भारतीय शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है । शिक्षा प्रसार के साथ-साथ भवन, के कार्य द्वारा उन सभी प्रवृत्तियों और तत्वों को बल मिला है जो हमारी संस्कृति का सच्चा रूप है और जिन पर भारत की परम्परागत विचारधारा आधारित है ।

मै आशा करता हू कि भवन को जो सफलता अभी तक मिली है वह उस महान प्रयास का आधार है जो अभी हमें करना है । इस सफलता से अनुप्राणित हो भवन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी मेरी कामना है ।

# बाल दिवस के अवसर पर

आज जब कि हम सारे देश में बाल दिवस मना रहे हैं, मैं संसार भर के सभी बच्चों को स्नेह और शुभकामना का सन्देश भेजता हू । आमतौर पर हमारा अधिक समय ऐसे प्रश्नों पर विचार करने में और समस्याओं को सुलझाने मे खर्च होता है जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध बड़ों या वयस्कों से होता है, और उन समस्याओं का सम्बन्ध यदि बच्चों से होता भी है तो वह बहुत ही कम । बच्चों के कल्याण के महत्व को देखते हुए, यह मानना पड़ेगा कि उनकी समस्याओं को हम उतना समय नही दे पाते जितना उन्हे मिलना चाहिये । इसलिये वर्ष मे एक दिन बाल दिवस मनाने के निश्चय का हमे स्वागत करना चाहिये । उस दिन हम बच्चों के बारे मे और उनके कल्याण से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार कर सकते है ।

बच्चों की देखभाल मे सुधार करने और उन्हे अधिक से अधिक सुविधाये देने की हमारी उत्कट इच्छा का आधार मानवोचित विचार या सहानुभूति की भावना ही नही, इसका आधार वयस्क लोगों का निजी हित भी है । बच्चे वास्तव मे भावी राष्ट्र का रूप होते हैं, और उनके सुधार के सम्बन्ध मे जो भी समय अथवा धन खर्च किया जाय वह धन और समय का सदुपयोग समझना चाहिये । दुर्भाग्य से ससार में, विशेषकर पिछड़े हुए और अर्ध-विकसित देशों मे, लाखों, करोड़ों बच्चों को भर-पेट खाना नही मिलता । बच्चों के पूर्ण विकास के लिये यही काफी नही कि उन्हे भर-पेट भोजन मिले बल्कि यह भी आवश्यक है कि उस भोजन में पौष्टिक तत्व ठीक मात्रा में हों । इसी प्रकार बच्चों की शारीरिक और बौद्धिक उन्नति की ओर भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिये । चाहे धन का अभाव हो या और भी कोई कठिनाई हो, किन्तु यह समस्या ऐसी है जिसके समाधानके लिये कुछ न कुछ करना अत्यन्त आवश्यक है । दूसरी योजनाओं का कार्यरूप देने में यदि कुछ देर हो जाय तो उससे इतनी हानि होने की संभावना नही जितनी बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर न कर सकने में होगी ।

मुझे विश्वास है कि यह बाल दिवस सम्बन्धी समारोह बाल कल्याण के क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति और प्रेरणा का संचार करेगा । मैं आशा करता हूं कि इससे कल्याण सम्बन्धी कार्य और कार्यप्रणाली में सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा ।

मुझे यह जान कर खुशी हुई कि इस वर्ष बाल दिवस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ ने जो आदर्श शब्द चुने है वह है—"भूखे बच्चों को भोजन अवश्य

---

बाल दिवस के अवसर पर ब्राडकास्ट भाषण, नई दिल्ली 12 नवम्बर, 1957

मिलना चाहिये ।" इन आदर्श शब्दों का व्यापक अर्थ यह लगता है कि बच्चों की सभी भूखों का ध्यान रखना चाहिये, चाहे वह भूख खुराक की हो, या खेल-कूद की, या प्यार की, या उचित देखभाल की । इन सब चीजों का महत्व पौष्टिक भोजन से कम नही । इस दिशा में भारतीय बाल कल्याण परिषद् के प्रयत्नों की सफलता की मै कामना करता हूं और यह आशा करता हूं कि बाल कल्याण के कार्य में उन्हे जनमत का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा ।

## बाल कल्याण बोर्ड का केन्द्रीय भवन

समाज कल्याण का कोई भी कार्य क्रम बाल कल्याण को उचित स्थान दिये बिना अधूरा समझना चाहिये। समाज में और भी कई ऐसे समुदाय हैं जिन्हें सहायता या निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु बाल कल्याण की बात बिल्कुल अलग है और इसके लिये विशेष प्रयत्न अपेक्षित हैं। इसका सर्वप्रथम कारण तो बच्चों की भारी संख्या है जो सहायता की अधिकारी दूसरी सभी संस्थाओं की अपेक्षा अधिक है। दूसरा कारण यह है कि बाल कल्याण का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसका प्रभाव भी बहुत अधिक है। जिन बच्चों के लिये कुछ किया जाता है वह उनके जीवन-भर काम आता है। इसलिये बच्चों की सहायता करना ठोस रचनात्मक कार्य है, क्योंकि इस प्रकार उन्हे स्वस्थ और श्रेष्ठतर जीवन बिताने में मदद मिलती है।

एक और दृष्टिकोण से भी हम बाल कल्याण के कार्य का मूल्य आंक सकते हैं। जो समय और साधन इस कार्य मे लगाये जाते हैं उनसे भविष्य मे श्रेष्ठतर राष्ट्र का निर्माण होता है। यही नही, इससे समाज के दूसरे समुदायों को दी जाने वाली सहायता की आवश्यकता भी कम हो जाती है। बच्चों का सुधार करना पौधों को जड़ से सीचने के बराबर है। यदि हम बच्चों की ठीक से देखभाल करे तो कोई कारण नही कि उनके भावी जीवन में प्रकट होने वाली सामाजिक बुराइयों मे कमी न हो। इसलिये मेरे विचार में राष्ट्रीय नीति की दृष्टि से भी बाल कल्याण को समाज कल्याण के दूसरे कामों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

हमारे सविधान में जो आदेश दिये गये हैं उनमें भारत मे कल्याण राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जब से हमारा संविधान बना है तभी से कल्याण राज्य की चर्चा बराबर सुनने मे आ रही है। बहुत से पिछड़े हुए क्षेत्र और समाज के अनुन्नत अंगों ने इस आदेश मे आशा की किरण देखी और इसका स्वागत किया है और उसे जनसाधारण के जीवन सुधार का अधिकार पत्र माना गया है। इसलिये धीरे-धीरे जन कल्याण सम्बन्धी संस्थाओं का देश मे जाल-सा बिछा रहा है। सरकार और जनता द्वारा इस काम की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हमारी पचवर्षीय योजनायें, हमारी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था और समस्त प्रशासन को इस बात के लिये तैयार किया जा रहा है कि ये सब उस आदेश तथा लोगों की उभरी हुई आशाओं के अनुकूल हो सके।

---

भारतीय बाल कल्याण परिषद् के केन्द्रीय कार्यालय की नींव रखते समय भाषण, नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1957

कल्याण राज्य की स्थापना के लिये हम चहुंमुखी प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु यह सभी यत्न निष्फल रहेंगे यदि बाल कल्याण के काम की ओर विशेष ध्यान नही दिया गया। मेरे कहने का यह अभिप्राय न हो कि यह कार्य सहल है, इसके लिये भारी परिश्रम और भौतिक साधनों की जरूरत है। इन सब कठिनाइयों को जानते हुए ही हमने अपना कार्यक्रम निर्धारित किया है और उसमें बाल कल्याण के काम को ऊंचा स्थान दिया है। कुछ वर्षों में ही प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिये स्कूल होगा और बच्चों की शारीरिक देखभाल हमारी बढ़ती हुई स्वास्थ्य सेवायें कर सकेंगी। शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए कमजोर बच्चों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की गई है। यह भी स्वीकार किया गया है कि युवकों और बच्चों को मनोरंजन का पूर्ण अवसर मिलना चाहिये। इस दिशा में यह प्रारम्भ बुरा नही, किन्तु यह नही भूलना चाहिये कि यह प्रारम्भ मात्र है। यह आवश्यक है कि इस काम को हम इस तरह संगठित करें जिस से परिश्रम विफल न जाय और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचे। यह कर्तव्य सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, चाहे वे सार्वजनिक कायकर्ता हों, या सरकारी कर्मचारी, और या स्कूल के अध्यापक। अपने उद्देश्य को हम कहां तक प्राप्त कर सकेंगे यह उन्ही लोगों के प्रयत्नों और उनकी कर्तव्यपरायणता पर निर्भर करेगा।

यह मानना होगा कि इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम आवश्यकता एक केन्द्रीय संस्था की है जो बाल कल्याण के काम को अपने हाथ में ले। इन्ही उद्देश्यों से भारतीय बाल कल्याण परिषद् की स्थापना की गई है। देश के विभिन्न भागों में अलग अलग काम करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को एक सूत्र में बांधने का काम परिषद् का है। इन संस्थाओं तथा व्यक्तियों को पृथकता छोड़ निजी साधन एक जगह इकट्ठे करने चाहिये और बच्चों के सुधार के हित में एक दूसरे के निकट आ परिस्परिक अनुभवों से लाभ उठाना चाहिये। मै समझता हू भारतीय बाल कल्याण परिषद् की यह सब से बड़ी जिम्मेदारी है।

कुशल कार्य के लिये यह आवश्यक है कि परिषद् का अपना केन्द्रीय कार्यालय भी हो, और इस काम के लिये आज कार्यालय भवन की नींव रखने के लिये परिषद् ने मुझ को आमन्त्रित करने की कृपा की है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि नई दिल्ली में अत्यधिक दफ्तरों के कारण बहुत भीड़-भड़क्का है और इसलिये यदि भारतीय बाल कल्याण परिषद् का प्रमुख कार्यालय केन्द्र में स्थित किसी और नगर में हो तो अधिक अच्छा होता। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। परिषद् की कार्य-कारिणी इस सम्बन्ध में अधिक जानती है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने नई

दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय करने से पहले सभी सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार कर लिया होगा ।

भारतीय बाल कल्याण परिषद् की स्थापना १९५२ में हुई थी । मुझे खुशी है कि इस थोड़े समय में इसने राज्यों में काम करनेवाले सभी बाल परिषदों से सम्पर्क स्थापित कर लिया है । मुझे परिषद् की गतिविधियों और उसके भावी कार्यक्रम को देख कर बहुत सन्तोष हुआ । परिषद् का यह निश्चय प्रशंसनीय है कि केन्द्र मे और राज्यों में बाल विभाग खोले जाये जिनमें बाल साहित्य, बाल कल्याण और विदेशी बाल परिषदों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रहे । मै आशा करता हू कि इस प्रकार का बाल विभाग जहां बाल सम्बन्धी समस्त साहित्य प्राप्त हो सके जल्द ही स्थापित हो सकेगा ।

भारतीय बाल कल्याण परिषद् के साथ मेरी शुभकामनाएं है और मुझे आशा है कि बाल सुधार के कार्य द्वारा परिषद् भावी भारतीय राष्ट्र के निर्माण में हाथ बटा सकेगी ।

# दिवंगत सैनिकों की स्मृति में

हम यहां आज उन पच्चीस हजार सैनिकों और हवाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये एकत्रित हुए हैं जिन्होंने दूसरे विश्व-युद्ध में जीवन बलिदान किया। जो लोग देश से बाहर लड़ाई में गए और जिन की मृत्य वहीं हुई, उनके नाम विदेशों मे स्थापित स्मारकों पर लिखे गए हैं। इन पच्चीस हजार सैनिकों के नाम, जिन की मृत्यु भारत में हुई, इस पुस्तक में दिए गए हैं।

जिस पक्ष के लिये ये लोग लड़े उसे इन्होंने जान से अधिक जाना और वह इसलिये जिससे कि दूसरे लोग सुख से रह सकें और स्वाधीनता-रूपी वरदान का उपभोग कर सके।

यह स्मारक दूसरे स्मारकों जैसा ही है जो संसार के अन्य देशों मे स्थापित किये गये हैं। यह स्मारक सैनिक और गैर-सैनिकों को इस बात की याद दिलाता है कि इन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। इनका उदाहरण हम सब को और आने वाली पीढ़ियों को साहस और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इन्ही गुणों को अपना कर मानव किसी पक्ष विशेष के लिये जान पर खेलने को तैयार हो सकता है।

इन वीरों को स्मरण कर आज हम उनका सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि जिस आदर्श तथा आशा से वे अनुप्राणित हुए उसकी संसार में विजय हो और विश्व के सभी देशों को, रंग, जाति, धर्म आदि के भेदभाव के बिना, स्वतन्त्रता प्राप्त हों। इन वीर पुरुषों के प्रति यह श्रद्धाजलि भेंट करते हुए हम यह आशा करते हैं कि वे लोग जिनके लिये इन्होंने आत्म बलिदान किया इस महान त्याग के अधिकारी सिद्ध होंगे।

---

युद्ध स्मारक के अनावरण के अवसर पर भाषण, दिल्ली छावनी, 14 नवम्बर, 1957।

# विश्व धर्म सम्मेलन

आज विश्व धर्म सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मैं इस अवसर का स्वागत करता हूं कि जहां मुझे इस गंभीर विषय पर विद्वानों और साधुजनों के विचार सुनने को मिलेंगे वहां इस सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने का अवसर भी मिला है।

मूल में सब धर्म एक रूप है और सब का एक ही ध्येय है, वह है मानव की आत्मा का पूर्ण विकास जिससे वह सच्ची शान्ति अथवा मोक्ष या निर्वाण प्राप्त कर सके दूसरे शब्दों में जिससे वह परमात्मा को प्राप्त कर सके अथवा उसमें लीन हो सके। मनुष्य की यह महात्वाकांक्षा इतनी प्रबल और सारगर्भित है कि दैनिक जीवन में इससे बढ़कर हमारा पथ-प्रदर्शन और कोई भावना नही कर सकती। सच्चे धर्म के धरातल पर पहुंचते ही आपसी मतभेद, सभी प्रकार के कलह और वैमनस्य सहसा लुप्त हो जाते है और मानव ऐसी व्यापकता के दर्शन करता है कि उसे सब एक समान दिखाई देने लगते है। इस भावना का ही दूसरा नाम जीवन का आध्यात्मिक पक्ष है। यह स्पष्ट है कि इस आध्यात्मिक पक्ष का मानव के विकास और उसकी सच्ची सुख शान्ति से घनिष्ट सम्बन्ध है। अध्यात्मवाद का अर्थ यह नही कि मनुष्य भौतिक सम्पन्नता और शारीरिक सुख से एक दम मुह मोड़ ले। इसका अर्थ केवल इतना मात्र है कि इस सुख को ही सर्वोपरि स्थान न दिया जाय और मानव जीवन के ध्येय और आदर्श की प्राप्ति भौतिक सम्पन्नता में ही न मान ली जाय। भौतिक उन्नति को भी अध्यात्म का एक साधन मानना चाहिये।

संसार में विभिन्न धर्म तथा मत-मतांतर प्रचलित है, क्योंकि देश और कालांतर के कारण धर्म का रूप अलग अलग हो गया है और मानव विभिन्न संप्रदायों में बट गया है। आडंबरों के कारण यह विभिन्नता इतनी दूर तक पहुंच गई है कि इतिहास मे मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध, जाति जाति के विरुद्ध देश और राष्ट्र, देश और राष्ट्र के विरुद्ध हो गये है और समय समय पर धर्म के नाम पर एक दूसरे के विनाश के इच्छुक हो गये हैं। धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के युद्ध हुए है और इसके कारण अनेकों को अकथनीय कष्ट पहुंचा है। जहां धर्म के नाम पर एक पक्ष को दूसरों के प्रति अन्याय, अनाचार और क्रूरता का दृश्य देखने में आता है

---

विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1957

वहां दूसरी ओर धर्म के नाम पर अपने विश्वास और श्रद्धा को प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को कठिन से कठिन वेदनाओं को सहने और प्राण तक की आहुति देने के आदर्श भी आंखों के सामने आये हैं। आज भी यह कहना कठिन है कि मनुष्य इस पाशविक प्रवृत्ति से ऊपर उठ सका है जो उसे दूसरों को दबाकर जबरदस्ती अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को एकमात्र सत्य का रूप स्वीकार करने की प्रेरणा देती रही है।

आज विज्ञान की प्रगति ने एक दूसरी और अधिक जटिल समस्या उपस्थित कर दी है। प्रकृति और प्रकृति के साधनों पर मनुष्य इतना अधिकार पा चुका है और पाता जा रहा है कि वह अपने को केवल सर्वज्ञ ही नहीं सर्वशक्तिमान भी मानने लगे और भौतिक प्रगति और भौतिक सुख को ही सर्वश्रेष्ठ ध्येय मानने लग जाय तो उसमें आश्चर्य नहीं। धर्म का मूल तत्व भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं बल्कि अध्यात्म पर आधारित है। आज की परिस्थिति में मनुष्य उस मूल आधार को ही खोता जा रहा है और इसके परिणाम-स्वरूप मनुष्य समाज भौतिक पदार्थों के लिए धातक होड़ में लग गया है और इस लिए परस्पर सहिष्णुता और उदारता की भावना कमजोर होती जा रही है।

भौतिक साधनों पर जोर ही शायद इसके लिए जिम्मेदार है। प्रकृति की शक्तियों का विश्लेषण कर मानव ने विज्ञान की सहायता से बहुत हद तक उन पर नियन्त्रण कर लिया है। आश्चर्य में डाल देने वाली इस प्रगति के कारण मनुष्य कुछ विचलित सा हो गया है और भ्रम में पड़ा जान पड़ता है। यद्यपि उन्नति करते करते स्वयं विज्ञान आध्यात्मिक तत्वों की ओर अग्रसर है, फिर भी दुर्भाग्य से मानव अभी भी भौतिकवाद के प्रभाव से अपने को मुक्त नही कर सका है। कुछ समय से ध्वंसात्मक अस्त्रों के आविष्कार के कारण स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आत्म-रक्षा के हित में मनुष्य अध्यात्मवाद की बात करने लगा है। इस ध्वंसात्मक विज्ञान की प्रगति में मानव विनाश का भय देखने लग गया है और उससे भयभीत होकर अब दूसरा मार्ग ढूढ़ना चाहता है। यह मार्ग सत्य और अहिंसा के अतिरिक्त दूसरा नही हो सकता है। इसी में मानव के लिये सच्ची शांति और सच्चा सुख है।

कुछ भी हो, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि धर्म अथवा अध्यात्मवाद का सहारा लिये बिना मानव न तो विज्ञान की उन्नति से लाभ उठा सकता है और नही सर्वनाश के अभिशाप से बच सकता है। मानव समझने लगा है कि अहिंसा, शांति, विश्वबन्धुत्व ही उसे निश्चित विनाश से बचा सकते हैं। यही वे

ग्राध्यात्मिक तत्व है जिन्हें जागृत करना विश्व धर्म सम्मेलन का उद्देश्य है। इन सिद्धान्तो के ग्राधार पर ही ग्राप नव समाज की रचना करना चाहते हैं।

मानव के जीवन में कुछ बातें ऐसी है जो बहुत ही सरल ग्रौर सीधी होने के ग्रतिरिक्त बड़ी साधारण भी जान पड़ती हैं। हम एक चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते है, उसकी यथार्थता को समझते है, किन्तु फिर भी किसी न किसी कारण उसके ग्रस्तित्व से मुह मोड़ लेते है या निजी जीवन में उसे स्वीकार करने में संकोच करते है। इसका कारण परिस्थितियों का दोष है या स्वयं मानव की प्रकृति का दोष, यह कहना कठिन है। किन्तु यह ध्रुव सत्य है कि इन साधारण तथ्यों को समझ लेना ग्रौर ग्रपने जीवन मे उतारना इतना बड़ा वरदान है कि मनुष्य की कल्पना ग्रथवा महत्वाकाक्षा उससे ग्रागे नही जाती।

धर्म इन तथ्यो में सर्वप्रथम है। यदि हम दर्शनशास्त्र की गहराइयों में जायें तो धर्म की परिभाषा क्लिष्ट हो जाती है ग्रौर उसे जीवन में उतारना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम निजी ग्रान्तरिक ग्रनुभव ग्रौर चिन्तन की दृष्टि से इसे समझना चाहें तो धर्म की परिभाषा करना सहल होगा। धर्म का सूक्ष्म रूप मानव की ग्रनुभूतियों ग्रौर उन्ही से उत्पन्न होने वाले विचार है, ग्रौर इसका स्थूल रूप मानव का कर्म ग्रौर दैनिक जीवन में व्यवहार है। व्यापक ग्रर्थो में धर्म उन विचारों, उन ग्रनुभूतियों का समन्वित रूप है जिसमें जीवन की उत्पत्ति ग्रौर विलय का तथा ब्रह्म से मानव के सम्बन्ध का रहस्य छिपा है। जीवन में शान्ति का मूल कारण, जीवन का लक्ष्य, साहित्य का ध्येय; साधना का मोल ग्रौर महात्माग्रों का ज्ञान धर्म ही है। इस तरह मानव के लिए, चाहे हम उसे व्यक्ति के रूप में देखें ग्रथवा समाज या समष्टि के रूप में, धर्म ग्रत्यन्त ग्रावश्यक ही नही एक प्रकार से ग्रनिवार्य ग्रौर साथ ही सार्थक ग्रौर उन्नायक साधन हो जाता है।

यह उचित ही है कि विश्व धर्म सम्मेलन भारत मे हो जहां संसार के प्रायः सभी प्रचलित धर्म ग्रौर संप्रदायों के लोग विद्यमान है ग्रौर पारस्परिक सद्भावना के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यदि इस ग्रापस की सद्भावना ग्रौर सहिष्णुता का ग्रभाव होता तो यहां जीवन ही दूभर हो गया होता ग्रौर जीना कठिन हो जाता। इस का श्रेय हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों, संतो, ग्रौर फकीरों तथा धर्मप्रवर्तकों को है जिन्होंने ग्रादिकाल मे ही सब धर्मों के प्रति श्रद्धा, सहिष्णुता, ग्रादर ग्रौर सम-दृष्टि रखने के ग्रादर्श को चलाया। ग्राज हमने ग्रपने देश के संविधान में भी सभी धर्मों के ग्रनुयायियों को ग्रपने सिद्धान्तों को मानने का ग्रौर प्रचार करने का मौलिक ग्रधिकार दिया है--ग्रर्थात् दूसरों का ग्रहित चाहे बिना सभी को ग्रपने-

अपने तरीके से विकास का पूर्ण अवसर दिया है। बहुतेरे ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे धर्म-तटस्थ अथवा सेक्युलर शासन का अर्थ अर्धम-मूलक या अनाध्यात्मिक शासन अर्थात् सब धर्मों के सिद्धान्तों की अपेक्षा अथवा अवहेलना है। मेरे विचार मे इसका अर्थ सभी धर्मों के अपने विकास का अथवा फलने-फूलने का पूरा सुअवसर देना और किसी एक का दूसरों पर प्रभुत्व और अनादर की भावन को प्रोत्साहन नही देना है।

इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति अपने को उन बन्धनों और नियन्त्रणों से मुक्त समझे जो चिरकाल से समाज को संगठित रखने, व्यक्तियों के बीच नियन्त्रित जीवन बिताने और व्यक्तित्व के उभरने और विकास पाने के लिए अनिवार्य माने गए हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अथवा समूह अपने को सर्वोपरि बना कर दूसरों की भावनाओं और विश्वासों को अपने अधीन न कर ले और सभी व्यक्यिों और धर्मानुयायियों को प्रगति का समान अवसर मिले। यह तभी हो सकता है जब सभी व्यक्ति और समूह एक दूसरे के प्रति आदर की भावना रखें और किसी को दबाना केवल सिद्धान्त के ही विरुद्ध न समझें बल्कि निजी स्वार्थ के भी प्रतिकूल मानें। सच्चे प्रेम में ही उदारता निहित है। इसके बिना व्यक्ति और समूह को शान्ति प्राप्त नही हो सकती।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन कुछ हजार वर्षों में मानव ने अपने अनुभव और इतिहास के घटनाचक्र से जो कुछ सीखा है, उसका यह तकाज़ा है कि कम से कम परीक्षण के रूप में वह हिसा का परित्याग कर अहिसा और पारस्परिक सहिष्णुता का आश्रय ले। संसार सैकड़ों हजारों युद्ध देख चुका है। युद्ध के अस्त्रों और लड़ाई की प्रणाली में भी कल्पनातीत उन्नति हो चुकी है, परन्तु इन सब के परिणामस्वरूप हम ऐसे भयंकर संकट में पड़े हैं जैसा शायद पहले मानव समाज के सामने कभी नही आया। क्या बुद्धिमत्ता इसी में नहीं है कि अब हम पुराने रास्ते को छोड़ें और अहिसा तथा प्रेम की शक्ति को आज़मा कर देखें। यह बात न अव्यावहारिक है और न मानव की प्रकृति के प्रतिकूल है। इस ओर मानव समाज को ले जाने में ही सब का कल्याण है और यही इस धर्म सम्मेलन का वास्तविक ध्येय है।

मेरी यह कामना है कि भारत में होने वाला यह सर्व धर्म सम्मेलन इस भावना को जागृत करने में और उसे मूर्त रूप देने में प्रयत्नशील हो और विश्वशांति का मार्ग प्रशस्त करने मे सफल हो।

# रामकृष्ण मंदिर का उद्घाटन

स्वामी रंगनाथानन्द जी, देवियो और सज्जनो,

मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि आज के इस समारोह में आपने मुझे भाग लेने के सुअवसर दिया। रामकृष्ण परमहंस का नाम आज सारे संसार में विख्यात है। ऐसे समय में जब एक प्रकार से हम अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को भूले जा रहे थे और एक नवीन धारा में विवश हो कर बहते जा रहे थे एक ऐसे महापुरुष का अवतार हुआ जिसने हमको धारा से केवल खींच कर ही नहीं हटा लिया बल्कि सारे देश के सामने उस धारा की ही पलट करके एक नई जागृति, नई रोशनी दिखला दी। और उस वक्त से आज तक जितने भी उस दैवी-पुरुष के सिद्धान्तों को मानने वाले, उन पर चलनेवाले विद्वान, तपस्वी, साधुजन हुये हैं सबों ने अपने जीवन को जन-समूह की सेवा में ईश्वर के नाम पर लगा दिया और आज भारतवर्ष के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में और अनेकों छोटे-छोटे स्थानों में आप जहां जाएं स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ की शाखा कही न कहीं आपको देखने को मिलेगी। जहां-जहां भी उस संप्रदाय के स्वामी देखने में आते हैं वहां सेवा का केन्द्र दुख दूर करने का सहारा आप मौजूद पाएंगे। चाहे प्राकृतिक विपत्तियों के कारण दुख पहुंचा हो चाहे मनुष्य की अपनी भूलों के कारण विपत्ति आई हो सभी जगहों पर स्वामी मौजूद हैं जो दुखियो के दुख को बटाने के लिये हमेशा तत्पर हैं;

मेरा यह सौभाग्य रहा है कि जब कभी जहां कही मुझे इस प्रकार के सेवा-कार्य में कुछ भाग लेने का सुअवसर और सौभाग्य मिला वहा पर मुझे स्वामियों के केवल दर्शन ही नहीं हुए बल्कि सहयोग का भी लाभ मिला है और इसी वजह से मै रामकृष्ण मिशन का एक भक्त बन गया हूं। यह नही कि मैं उनकी योगसाधना को जानता हूं या जो उच्च कोटि की विचारधारा और दर्शन वे बता सकते हैं और पढ़ा सकते हैं उसके सम्बन्ध मे मै कुछ जानता हूं। यह नहीं कि जिस तरह से उनका त्याग और संयम का जीवन बीतता है उस तरह से मेरा भी बीतता हो। पर मै मुग्ध इस बात पर हूं कि इन सब चीजों को रखते हुये और करते हुये भी साथ साथ उन्होंने लोकसेवा को भी धर्म का एक बड़ा या यों कहें कि सबसे बड़ा अंग मान लिया, तो वह भी भूल नहीं होगी। आज भारत जैसे देश में ऐसे लोगों की सबसे अधिक आवश्यकता है जो सेवाभाव से सबकी सहायता, सब के लिये

---

रामकृष्ण मिशन, मंदिर के उद्घाटन के समय भाषण, नई दिल्ली, 30 नवम्बर. 1957।

उपकार करने में हमेशा लगे रहें। यह सब परमहंस रामकृष्ण जैसी दैवीपुरुष की प्रेरणा और सीख से ही हम और संसार को आज उपलब्ध हुआ।

जैसा मैंने कहा परमहंस रामकृष्ण कुछ उस तरह के लोगों में नहीं थे जिन्होंने बरसों तक शास्त्रों का या दर्शनों का बहुत अध्ययन किया हो अथवा जिन्होंने अपनी ज़िन्दगी का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में लगाया हो जैसे काम मे दूसरे लोग अक्सर लगाया करते हैं। वे तो एक दैवी, अवतारी पुरुष थे जिनके हृदय मे एक ओर तो ईश्वर के प्रति भक्ति भरपूर थी और दूसरी ओर मनुष्य-मात्र के लिए प्रेम था, सबकी तरफ सद्भावना और सब के लिये आदर मौजूद था। इसी वजह से केवल धार्मिक लोग ही नहीं, ऐसे लोग भी जिनको सच्चे अर्थ में धार्मिक नही कहा जा सकता, उनके असर के बाहर नहीं रह सके और जो उस समय के तोलमाप से बड़े विद्वान समझे जाते थे वे भी ऐसे महापुरुष की बातों को सिर्फ सुनने ही नहीं लगे बल्कि एक प्रकार से खिंच कर विवश होकर उन पर चलने भी लगे।

यह काम, जैसा मै समझता हूं, पूर्व संस्कार का ही फल हो सकता है और परमहंस रामकृष्ण का पूर्व संस्कार ही उनको इस जीवन में ऐसा बना सका जो दूसरों के जीवन को भी एक नये तरीके मे ढाल सका। यह दिल्ली का बड़ा सौभाग्य है कि यहां पर भी एक ऐसा मंदिर आज डावर जी की कृपा से और प्रेम और श्रद्धा से हम पा सके है जहा यहा के हजारों नरनारी दिन प्रति दिन आकर दर्शन ही नही कर सकेंगे बल्कि उपदेश का अमृत भी पान कर सकेंगे। मैंने सुना है कि जब कभी भी प्रवचन हुआ करते है हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। और अब मंदिर के बन जाने पर यहा परमहंस रामकृष्ण की प्रतिमा का दर्शन भी लोगों को मिल सकेगा और अधिकाधिक लोग आया करेंगे और यहां के प्रवचनों और उपदेशामृत मे वे अपना जीवन सफल बना सकेंगे।

मै समझता हूं मेरा यह सौभाग्य था कि ऐसे सुअवसर पर ऐसे समागम मे आपने मुझे भाग लेने का सुअवसर दिया, इसके लिये मै आप सबका कृतज्ञ हू और बाज़ाब्ता तरीके से मंदिर का उद्घाटन करता हू।

## पं० मदनमोहन मालवीय के चित्र का अनावरण

अध्यक्ष महोदय, देवियो और सज्जनो,

यह एक अत्यन्त शुभ अवसर है जब हम महामना मदनमोहन मालवीय जी की स्मृति ताजा करने केलिये यहां इकट्ठे हुए हैं। उनकी सारी जिन्दगी उस समय से जब उन्होंने काम शुरू किया और उस वक्त तक जब तक उनकी सांस चलती रही, देश के लोगों के हित में ही लगी और जिन लोगों को यह सौभाग्य मिला कि उनके साथ रहकर कुछ काम करें अथवा कम से कम उनको काम करते हुए देखें, वे ही इस बात को समझ सकते है और जान सकते है कि उनका देशप्रेम, उनकी देशभक्ति, उनकी सच्चाई, उनकी त्याग की शक्ति, ये सब गुण कितनी दूर तक और किस हद तक पहुंचे हुए थे। यहा पर बहुत ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिनको यह सौभाग्य मिला था और अभी देश में बहुतेरे ऐसे लोग है जिन्होने उनके मधुर भाषणो को सुनकर, उनकी बहती हुई गंगा जैसी वाणी को समझकर प्रेरणा प्राप्त की थी और आज भी देश मे ऐसे बहुतेरे लोग मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से उनको चलते-फिरते देखा था, अपने कानों से उनकी वाणी सुनी थी और जिन्होने इस बात का भी अपने जीवन में प्रयत्न किया था कि उनके पदचिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। पर इस तरह के लोगों की अब दिन-प्रति-दिन कमी होती जा रही है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक एक करके उस समय के लोग उठते जा रहे है, हटते जा रहे है। संसार का यही तरीका है। पर मालवीय जी ने अपने जीवन में इतना काम कर दिया और इतना मसाला वह छोड गये है कि अगर थोड़ी बहुत भी देश के लोग उनकी याद रखेंगे तो बहुत दिनों के लिये वह पूरा सम्बल होगा और इसीलिये आज यह सोचा गया कि उनका चित्र एक ऐसे स्थान में रखा जाये जहां उन्होंने बहुत कुछ काम किया था, जिसके निर्माण में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा और जिसके निर्माण के पहले उन्होंने इसकी जगह जो जगह लेनी थी बहुत दिनों तक काम किया उनका चित्र रखा जाये जिसमें आइन्दा जो हमारे संसद् के सदस्य होगे वे उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके और अपने जीवन को उस ढांचे में ढालकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें।

मुझे भी थोड़ा बहुत सौभाग्य हुआ कि पूज्य मालवीय जी के चरणों में काम करूं और इस समय कुछ ज्यादा कहना शायद मेरे लिये उचित नहीं हो, मैं केवल एक

---

संसद् भवन के केन्द्रीय हाल में पंडित मदनमोहन मालवीय के चित्र का अनावरण करते समय, दिसम्बर 19, 1957

दो घटनाओं का ही जिक्र कर दूंगा। कुछ ऐसा इत्तिफाक हुआ कि जब-जब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुठभेड़ हुई और हम में से बहुतेरे गिरफ्तार होकर एक-एक करके जेलखाने मे चले गये, इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि पूज्य मालवीय जी बाहर रह गये और काम करने वालो मे से, उनके पीछे चलने वालो में से मैं भी एक बाहर रह गया था और ऐसे दो तीन मौके हुए जो कांग्रेस के लिये कठिन मौके समझे जाते थे, जब दमन चक्र खूब जोरो से चल रहा था और सख्ती के साथ जहा तहा कांग्रेस कमेटिया दबायी जा रही थी ऐसे मौके पर मैंने देखा कि सब की गैर-हाजिरी में सब की जगह मालवीय जी ने खुद आकर ले ली और अपने को आगे करके सब काम को सम्भाला। 1922 का जमाना था। महात्मा गाधी जेल चले गये थे। हमारे सभी नेता और जवाहरलाल जी भी उस समय जेल में थे, सरदार पटेल जेल चले गये थे मगर उस समय मालवीय जी बाहर रह गये थे। आसाम से खबर आयी कि वहां गवर्नमेंट की सख्ती इतनी हो रही है कि जहां-जहा कांग्रेस कमेटिया है और उनके अपने मकान थे एक-एक करके जला दिये गये है और जहां कही भी कोई कांग्रेस का नाम लेता है उसको गिरफ्तार करके उस गांव को ही जिसमें वह रहता था बर्बाद करने की गवर्नमेंट की कोशिश रहती है। हमको यह खबर मिली। मालवीय जी से मैंने कहा कि ऐसी खबर मिली है। उन्होंने कहा कि वहां चलना चाहिये और मालवीय जी और हम दोनों गये। जितनी खबर हमको मिली थी वह बिल्कुल सच्ची निकली। बहुत जगहों पर जाकर हम ने देखा कि कांग्रेस कमेटियो के मकान, आसाम मे आप जानते है बहुत बड़े पक्के मकान तो होते नही, वहां टट्टी के ही मकान अकसर हुआ करते हैं, जला दिये गये थे और किसी गाव मे पहुचना आसान नही था। भाडे की कोई गाडी नहीं मिल सकती थी। साथ जाने वाले आदमी तक नही मिल सकते थे। हा, कांग्रेस के स्वयसेवक जहां-तहां मिल जाते थे जो साथ जाते थे। ऐसी जगहों में हम गये और जहां-जहा हम गये लोगों में जान आयी, जागृति आयी। वह एक ऐसा मौका था कि उस वक्त सब तरफ अन्धकार मालूम होता था और वहा जाकर उन्होने ऐसा काम शुरू किया कि जिसका असर गवर्नमेंट पर बहुत जोरो से पड़ा।

आसाम में उस वक्त अफीम की खपत बहुत होती थी। महात्मा गान्धी के कार्यक्रम मे नशीली चीजों का निषेध शामिल था। आसाम में अफीम की खपत खूब होती थी और गवर्नमेंट को काफी उससे आमदनी थी। मालवीय जी ने अफीम का बायकाट वहा शुरू करवाया और घूम-घूम करके उन्होंने उसके विरुद्ध प्रचार किया और नतीजा यह हुआ कि कम से कम थोड़े दिनों के लिये अफीम की दूकानों मे

अफीम का बिकना बन्द हो गया और गवर्नमेंट को काफी घाटा उठाना पड़ा। इस तरह के और भी मौके आये जब कांग्रेस दिक्कत में पड़ी। मालवीय जी आगे आये।

मालवीय जी पुराने लोगों और नये लोगों के बीच में किस प्रकार के पुल का काम करते थे। जैसा अभी जवाहरलाल जी ने कहा, नये लोग समझते थे कि हम लोग अच्छे एक्सट्रीमिस्ट है और पुराने लोग मोडरेट है। मालवीय जी दोनों के बीच में मेल कराने में बहुत कारगर होते थे। उनमें सब से बड़ी सिफ़त यह थी कि बहुत बातों में कांग्रेस के साथ उनका मतभेद होता था पर उन्होंने कभी कांग्रेस को छोड़ा नहीं, कभी उन्होने यह नही कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा मतभेद है इसलिये उसके साथ हम नही चल सकते है। वह अपना तरीका अख्तियार करते रहे, अपने तरीके से चलते रहे मगर कांग्रेस को उन्होंने कभी कमजोर नही होने दिया और न कमजोर होने देना चाहते थे। यह एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से कांग्रेस के लोग चाहे उनके साथ जितना भी मतभेद रखते हो मगर उनकी इज्जत किये बिना, उनके प्रति श्रद्धा रखे बिना, उनके प्रति प्रेम रखे बिना रह नही सकते थे और इसका श्रेय मालवीय जी को था जो लोगों से जबरदस्ती श्रद्धा और प्रेम दोनो ले लिया करते थे।

तो इस तरह का एक महान पुरुष हम में पैदा हुआ, हम में से बहुतेरों को उसके दर्शन, उसके सम्पर्क का सौभाग्य मिला। यह बड़ी बात हुई। स्वराज्य पाकर हम चाहे जो कुछ करे या सोचें मगर यह चीज हमको हरगिज नही भूलनी चाहिये कि मालवीय जी देश के एक महान पुरुष थे और उसके निर्माण में उनका कितना बड़ा हाथ रहा है और जो चीज आज हमे मिली है उसको लाने मे उनका कितना परिश्रम, कितना त्याग रहा है।

यह तस्वीर जिसका मैंने अभी अनावरण किया केवल जो लोग इस समय संसद के सदस्य है उनको ही नहीं बल्कि आगे जो आनेवाले होंगे उनको भी उनकी सदा याद दिलाती रहेगी और प्रेरणा देती रहेगी कि देश के लिये किस तरह से जीना चाहिये और परिश्रम करके देश के लिये किस तरह से मरना चाहिये।

# कला, साहित्य और समन्वय

श्रद्धेय डाक्टर नीलकंठ दास जी, डाक्टर मेहताब, बहनों और भाइयो,

मझे इस बात की विशेष खुशी है कि आपने साहित्य ऐकेडमी का उद्‌घाटन भी आज मेरे हाथों कराया। जैसा आपने कहा है भारत सरकार की यह नीति है कि इस प्रकार की ऐकेडमी प्रत्येक प्रान्त में जहां विशेष भाषा बोली जाती है वहां कायम की जाये और उसका उद्देश्य यही है कि वहां की भाषा की जितने प्रकार से उन्नति हो सकती है उन्नति करने मे ऐकेडमी सहायक बने और इसीलिये अन्य भाषाओं से अच्छे-अच्छे ग्रन्थों का अनुवाद करके उड़िया भाषा में लाना, उड़िया भाषा की भी अच्छी कृतियों को भारत की दूसरी भाषाओं के बोलनेवालों के लिये उपलब्ध कर देना और हो सके तो विदेशी भाषा-भाषियों के लिए भी उनको उपलब्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य है और मैं इस बात को मानता हूं कि इस प्रकार की ऐके-डमी के द्वारा बहुत बड़ी सेवा हो सकती है।

आजकल भाषा को लेकर कुछ वादविवाद उठ खड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वादविवाद का कोई कारण नही होना चाहिये। किसी के हृदय में ऐसी भावना नही उठनी चाहिये कि उसकी भाषा और दूसरी भाषाओं से कुछ ज्यादा ऊंचा दर्जा रखती है या अधिक समुन्नत है और इसलिये उसका प्रभुत्व दूसरों पर किसी न किसी तरह से जमाना है बल्कि उद्देश्य हमारे संविधान का तो यही है कि इतने बड़े देश मे जहा कई प्रकार की भाषाए बोली और समझी जाती है उनमें से किसी एक को सार्वदेशिक काम के लिये मान लेना है। और यह एक इत्तिफ़ाक की बात है कि हिन्दी के बोलनेवालों की संख्या, हिन्दी के समझनेवालों की संख्या औरों की संख्या से अधिक है और इसीलिये सविधान ने यह समझकर कि यदि उसको ही मान लिया तो देश के बहुत बड़े हिस्से में उसको सिखाने की जरूरत नही पड़ेगी और काम असान हो सकेगा, उसको मान लिया है। इसका अर्थ यह नहीं है और न किसी ने दावा ही किया है कि इस तरह से हिन्दीवालों के दिलों में इस प्रकार का गर्व हो कि उनकी भाषा और सब भाषाओं से अधिक उन्नत है, उसका साहित्य ज्यादा ऊंचा है इसलिये उसको माना गया है। नही, वह तो एक ऐसी भाषा को चुनना था, केवल उपादेयता देखकर कि जिससे काम आसानी से चल सकता हो। और इस बात को जानकर और मान कर उसे स्वीकार कर लिया गया है। और मैं तो यह भी मानता हूं कि यदि देश ने उसको मान लिया

---

उड़िया साहित्य अकादमी का उद्‌घाटन करते समय, 29 दिसम्बर, 1957

है तो वह उस क्षेत्र मे जिस क्षेत्र के लिये उसको माना गया है अर्थात् मार्वदेशिक कामों के क्षेत्र में वह केवल हिन्दी बोलनेवालों की भाषा नही बल्कि सारे देश की भाषा होगी और यदि वह सारे देश की भाषा हो गयी तो उस पर दूसरी भाषाओं के बोलनेवालों का उतना ही अधिकार है जितना हिन्दी बोलनेवालों का और इसका अर्थ यह हो सकता है और मै मानता हूं कि यह अर्थ हुए बिना रहेगा नही कि इस भाषा की आगे कैसी प्रणाली होगी, उसकी कैसी शैली होगी, कैसी शब्दावली होगी इन सब को निर्धारित करने में दूसरी भाषाओं के बोलने वालों का पूरा हाथ रहेगा और पूरा अधिकार रहेगा।

मैंने देखा है, चूंकि लोग समझते हैं कि मै इस चीज में दिलचस्पी रखता हू, दूसरी भाषाओं से जो हिन्दी में उन भाषाओं के जाननेवाले अनुवाद करते हैं तो मुझे अपनी पुस्तक दिखलाते हैं और मैं देखता हू कि उनमें बहुत सी ऐसी बाते आती हैं, बहुत से ऐसे शब्द आते हैं, बहुत सी ऐसी शैली आती है, वाक्य रचना ऐसी देखने मे आती है जो मामूली तौर से हिन्दी में नही आती है और मै इस बात को मानता हूं कि इन सब को अगर हिन्दी ले तो वह बहुत घनी भाषा बन जायगी और सचमुच वह सब की भाषा हो जायगी और अगर हिन्दीवाले यह कहने लगे कि वह हमारी भाषा है और इसलिये सब को उस पर हमारे हुक्म के मुताबिक चलना होगा तब हिन्दी कभी राष्ट्रभाषा के रूप में सारे देश में स्वीकृत हो या नही हो इसमें भी शक रह जाता है। तो मै यह मानता हूं कि हिन्दी का जो व्याकरण है, उसमें जो कठिनाइया है, उसकी जो शैली है इन सब में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन कोई बैठकर नही करेगा और न जहां तक मै देख और समझ सकता हूं कोई ऐकेडमी बैठकर तय करेगी बल्कि प्रतिभाशाली लिखनेवाले चाहे वे किसी भी भाषा के हों अपनी प्रतिभा से अपनी वाक्य रचना, अपनी शैली, सबसे मंजूर करा लेगें और जो चीज इस तरह मंजूर होती है वही चीज हमेशा के लिये मंजूर होती है। जबरदस्ती लादी हुयी कोई चीज हमेशा के लिये मंजूर नही हो सकती। इसीलिये इसके सम्बन्ध में मुझे जहां कही कोई मौका मिलता है मै कहता हूं कि जो हिन्दी के नहीं बोलनेवाले मैं, अधिक करके हिन्दी को उन पर छोड़ना है कि वे उसकी जिस तरह से उन्नति करना चाहे करें क्योंकि उनको उससे एक सीमित क्षेत्र में ही सही, एक क्षेत्र में काम लेना है। तो उनको अपनी मर्जी के मुताबिक जिससे उनका काम ठीक तरह से चल सकता हो उस तरीके से उसको बनने देना चाहिये और बनाने देना चाहिये और हिन्दीवालों को स्वयं दूसरी भाषाओं का भी अध्ययन करना चाहिये जिसमें वे इस बात को समझ सकें कि जो हिन्दी

नहीं जानते उनको हिन्दी सीखने में कैसी कैसी कठिनाईयां आती होंगी और दूसरी भाषाओं में कौन कौन सी ऐसी खूबियां और अच्छाइयां हैं जिनको हिन्दी को लेना चाहिये उनको भी वह समझ सकेंगे और साथ ही साथ दूसरों की दी हुई चीजों को वह ग्रहण कर सकेंगे और पचा सकेंगे। तो इस तरह से काम होगा तो जैसा मैं ने शुरू में कहा हमारे इस देश में विचित्रता के नीचे, विचित्रता की तह मे, विचित्रता में सन्निहित जो एकता है वह एकता और भी दृढ़ होगी जिसको हम चाहेंगे।

यह कोई नयी चीज नही होगी क्योंकि एक जमाना था जब इस प्रकार का संस्कृत ने काम किया था और वह काम आज भी संस्कृत के जरिये से अभी भी बहुत हद तक हो रहा है। मगर आज संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूपमें लोग स्वीकार करने के लिये तैयार नही होंगे क्योंकि वह किसी की आज प्रतिनिधि बोलचाल की भाषा नही है। तो इसीलिये सब को मिलजुल कर इस उद्देश्य को सामने रखकर, इस ध्येय को सामने रखकर आगे बढ़ना है जिसमें सारे देश की उन्नति हो, सभी भाषाओं की उन्नति हो।

मैं आशा करता हूं कि यह ऐकेडमी इस महान यज्ञ में पूरा साथ दे सकेगी और इसकी उसमे पूरी आहूति होगी।

मैं अब प्रधान मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस म्यूज़ियम की नीव डालने के समय जिस कर्णी से मैंने काम लिया उसको यदि इस म्यूजियम में रखें तो आइन्दा के लिये अच्छा रहेगा।

# भुवनेश्वर में संग्रहालय का शिलान्यास

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्री मेहताब जी, देवियो और सज्जनो,

आज कई वर्षों के बाद फिर एक बार मैं उड़ीसा आ सका और आप सब बहनों और भाइयों से मिल सका इससे स्वाभाविक रीति से बड़ी प्रसन्नता हो रही है और विशेष करके आज जिस समारोह में शरीक हो रहा हूं उसका अपना ही एक महत्व है।

अभी डाक्टर मेहताब ने ठीक ही बताया है कि भारतवर्ष का इतिहास विचित्रता रखता आया है और वह विचित्रता आज से नही, हजारों वर्षों से इस देश के इतिहास में रही है। यह देश इतना लम्बा-चौड़ा होते हुए भी, इस देश के अन्दर भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलनेवाले, भिन्न-भिन्न धर्मों के माननेवाले, भिन्न-भिन्न रीति रिवाज पर चलनेवाले करोड़ों की संख्या में लोग बहुत दिनों से बसते आये है पर हमारे पूर्वजों ने न मालूम किस तरह से इस विभिन्नता के भीतर एक ऐसी एकता लाकर के सन्निहित कर दी थी जो सब की नजरों में हमेशा ऊपर ही रहती थी और जिसकी वजह से हजारों-हजार प्रकार की आफतों और मुसीबतों, और विदेश के लोगों के आक्रमण हमारे उपर होते थे मगर भारतवर्ष की वह एकता उत्तर मे हिमालय से लेकर दक्षिण मे कन्याकुमारी तक और पूर्व में आपके जगन्नाथ पुरी से लेकर पश्चिम में द्वारकापुरी तक बराबर बनी रही। यह एकता भाषा की नही थी क्योंकि देश में भिन्न-भिन्न भाषाए बहुत दिनों से प्रचलित रही है मगर एक विचार की एकता, सिद्धान्तों की एकता, जीवन की एकता हमेशा ऐसी रही है कि जिसको सब ने माना है और इस वजह से वह कायम रही कि सबों ने इस बात को हमेशा मान लिया कि चाहे दूसरों का कुछ दूसरा ही विचार हो दूसरा ही कुछ धर्म हो, रहने का तौर-तरीका दूसरा ही हो पर उन सब को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिये कि प्रत्येक इस देश के अन्दर बसनेवाला अपनी रीति से चले, अपनी इच्छा के अनुसार बरते और इस विचार स्वातन्त्र्य का सब से बड़ा प्रमाण तो यही होता है कि यहां धर्मों की आपस में लड़ाई नही हुई और धर्मों में विचारों की विभिन्नता पनपी, बढ़ती गयी और आज तक अभी भी कायम रही है और इस स्वतन्त्रता की भावना ने हम सब को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने दिया है, उन्नत होने दिया है। यह स्वतन्त्रता केवल दूर दूर देश-प्रदेश के रहनेवालों में ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे हल्कों में भी, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर भी, इस विभिन्नता को हम ने माना। यहां तक कि रस्म

---

अजायबघर का शिलान्यास करते समय भाषण, भुवनेश्वर, 29 दिसम्बर, 1957

रिवाज के सम्बन्ध मे यदि एक परिवार की कोई अपनी विशेष रीति है तो उसको भी हम ने मान लिया और हिन्दू धर्म के स्रोतों में यह माना जाता है कि जहां वेद एक तरफ है, जहां स्मृतियां दूसरी तरफ है, वहा प्रचलित रिवाज जो हो वह भी धर्म का कारण हो सकता है और इसी वजह से जहां इतनी विभिन्नताएं हम इस देश में पाते है और चूंकि हम ने जान बूझ कर इन विभिन्नताओं को माना है, समझा है, इनकी वजह से हमारी एकता में कभी त्रुटि नही आयी, कभी कमजोरी नहीं आयी। यद्यपि राजनीति के द्वारा हम हमेशा एक दूसरे से विलग रखे गये, एक दूसरे से झगड़ा भी होता रहा है और खास करके जब विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ तो और भी हम एक दूसरे से अलग हुए, रखे गये और किये गये।

तो आज एक तरफ तो हमारी प्राचीन विचित्रता या विभिन्नता के बीच में एकता दीखती है और मानती है और पाते हैं और दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि जो चीज आज तक हमको नहीं थी वह भी हमको प्राप्त हो गई है। वह है राजनीति एकता, शासनिक एकता। भारतवर्ष के इतिहास में चाहे हिन्दू राजकाल का चक्रवर्ती राजाओं का समय ले लीजिये, मुसलमान बादशाहों की सलतनत व मुगल बादशाहों की शहशाहियत का समय लीजिये या ब्रिटिश राज्य का समय लीजिये, आज तक कभी ऐसा समय नहीं था जब सारा हिन्दुस्तान एक छत्र के अन्दर राज-नीतिक दृष्टि से पूरी तरह से आया हो और एक कानून, एक नियम एक संविधान के मातहत उसका सब काम होता हो और एक जगह से जो हुक्म निकलता है जो सारे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक सर्वमान्य हो। इस वक्त वह हमको गांधी जी के युग में पहले पहले मिली है। तो एक तरफ और विचित्रताओं के बीच जो एकता थी वह तो थी ही, दूसरी चीज जो घट रही थी वह भी हमारे हाथों मे आ गयी। अब हमारा रास्ता और भी प्रशस्त है और खुला हुआ है और संसार के सामने जितनी भी उन्नति कोई भी देश या जाति कर सकती है उसके लिये हमारे पास साधन भी मौजूद हैं। आदमी की कमी नहीं है, प्राचीन इतिहास की कमी नही है। प्रोत्साहन देनेवाला और प्रेरणा देनेवाला हमारे यहा के प्राचीन काल से जो इतिहास रहा है वह भी मौजूद है जो आज भी हमें प्रेरणा दे सकता है और दे रहा है। ये सब चीजें हमारे पास हैं और यदि इनसे हम पूरी तरह से लाभ उठाएंगे तो हम सिर्फ इस देश की ही नही बल्कि हम इस देश को ऐसा बना सकते हैं कि जिससे सारे संसार की सेवा कर सकें और अच्छी तरह से सेवा कर सकें।

आज जहां एक ओर यह सुविधाएं हमें मिली हैं, दूसरी ओर हमारे ऊपर एक बड़ा दायित्व भी आ गया है कि इन सुविधाओं से लाभ उठाकर हम अपना कल्याण

करें और साथ ही साथ संसार की सेवा में भी अपने को अर्पित करें और इसलिये जब कभी यह प्रश्न उठता है कि भारतवर्ष में किसी एक बात को लेकर, किसी एक विषय को लेकर कुछ मतभेद देखने में आता है तो हमें हमेशा यह सोचना चाहिये कि मतभेद होना, विभिन्नता होना स्वाभाविक है, मगर उसके साथ ही साथ कम से कम हमारे देश में यह भी स्वाभाविक है कि उसकी वजह से किसी तरह से आपस के बर्ताव में एक दूसरे के सहानुभूति और सहिष्णुता रखने मे, एक दूसरे की समझदारी के साथ मदद करने मे बाधा नहीं पड़नी चाहिये। यही हमारा इतिहास है, यही हमारा स्वभाव रहा है। और आज भी है हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने अलग-अलग प्रान्त है, अलग-अलग जितने राज्य है, सब अपनी-अपनी रीति से अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ें, उन्नत हों और उनकी जो भाषा है, उनकी अपनी जो कला है, उनकी अपनी जो विशेषता है उसको जहां तक ऊपर ले जा सकते हैं, जहां तक ऊपर पहुंचा सकते है कितनी दूर तक ले जा सकते है ले जायें और पहुंचायें और इस काम में जितनी भी प्रेरणा हम अतीत से ले सकते है लें और भविष्य के लिये हम ऐसे सामान तैयार करें जो दूसरों को प्रेरणा दे सके और इस तरीके से सारे देश को उन्नत करे जिसमें वह हजारों दल का एक कमल बन जाये जिसके अलग अलग प्रत्येक पटल के रंग हों पर सब मिलकर एक ऐसा कमल तैयार करें जिसके मुकाबले में कोई दूसरा कमल संसार में न हुआ हो आज जरूरत इसी चीज की है। अगर हम आज इस चीज को समझ लेंगे तो न कभी विरोध पैदा होगा, न झगड़ा पैदा होगा बल्कि सब की यह कोशिश होगी कि वे किस तरह एक दूसरे की सेवा कर सकेंगे। यह कोशिश नहीं होगी कि हम दूसरे से क्या ले सकते हैं बल्कि दूसरों की सेवा हम अपनी तरफ से अर्पित कर सकते हैं यह हमारी कोशिश होगी। यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के सामने, प्रत्येक स्त्री, पुरुष के सामने होना चाहिये। हमारा विश्वास, हमारा इतिहास, हमारा अतीत इस चीज के लिये हमें तैयार कर रहा है, इस ओर हमें इशारा कर रहा है कि इस रास्ते पर हम चलेंगे तो खुद आगे बढ़ेंगे और दूसरों को बढ़ा सकेंगे--प्रत्येक प्रान्त के सामने होना चाहिये।

यहां पर आपने जो म्यूजियम का जो विचार सोचा है ठीक ही सोचा है। ठीक ही आपने कहा कि यहां इस भुवनेश्वर में दो-ढाई हजार वर्षों का इतिहास पत्थर में हम पढ़ सकते है और अब जो इतिहास बन रहा है उसको पत्थर के अलावा लोगों के चेहरे में पढ़ सकते है लोगों के जीवन में पढ़ सकते है और जो कीर्ति वह करेंगे उन कीर्तियों में पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यह म्यूजियम सचमुच उनका प्रतीक हो। हमने अतीत में कितना कुछ किया उससे आगे के लिये हमको प्रेरणा मिलेगी

कि हमको क्या करना है क्योंकि जो-जो चीजें ग्राज उत्कल प्रान्त के ग्रन्दर मौजूद है उनको देखकर कोई भी ग्रादमी चाहे वह किसी भी देश का क्यो नही हो ग्राश्चर्य किये बिना नही रह सकता कि किस तरह से ये चीजें बनी, कब बनी, कैसी बनीं ग्रौर ग्राज के इंजीनियरिंग के जमाने में भी जिन चीजों का बनाना बहुत ही श्रमसाध्य ग्रौर समयसाध्य नही होता है उन चीजों को कैसे उन दिनों में बनाया गया जब ग्राज के विज्ञान के ये साधन उपलब्ध नही थे ग्रौर ऐसा बनाया कि वे ग्राज भी कायम है। यह हमारे लिये ग्रध्ययन का विषय होना चाहिये।

ग्रापने ठीक सोचा है कि यहां केवल पुरानी चीजें ही नही रखेंगे बल्कि जो भवन ग्राप इस म्यूजियम के लिये बनाने जा रहे है उसमें यहा की कला का एक नमूना भी देखने को मिलेगा। मैं देखता हूं कि ग्राजकल बहुत सी इमारते हिन्दुस्तान भर में बन रही है। हो सकता है कि उनके ग्रन्दर ग्राराम का ग्रच्छा प्रबन्ध होता हो मगर उनमें बहुतेरी देखने में बिल्कुल भयकर मालूम होती है, बहुत तो ऐसी मालूम होती है कि उनको देखकर ग्रादमी घबड़ा जाता है कि यह कोई कला की चीज है कि क्या चीज़ है। इस तरह की चीजें क्यों बनें। हमारे यहा के लोगों का ख्याल भी है कि सुन्दरता के साथ उपादेयता भी किस तरह से मिलायी जाय जिसमें वे कला ग्रौर काम दोनों की वस्तु हों ग्रौर इस मुल्क की सभी चीजों को यदि हम देखेंगे तो हम पायेंगे कि उस समय के ग्रनुसार, उस वक्त की जरूरतों के लिये जो चीजे बनती थी वे देखने में सुन्दर होती थी, कलात्मक भी होती थी ग्रौर साथ ही साथ काम की चीजे भी होती थीं। इस मामले में ग्राभूषणों ग्रौर जेवरों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों की कला ऐसी ही होती है ग्रौर सब पर ग्राप विचार करेंगे तो ग्रापको इस प्रकार का सम्मिश्रण उपादेयता ग्रौर सुन्दरता; तथा कला एवं कारीगरी दोनों का सम्मिश्रण सभी चीजों मे मिलेगा। मै चाहूंगा कि इसमें भी ग्रौर जितनी भी इमारतें बनें सब में इस बात का ध्यान रखा जाय कि कलात्मक चीजें तैयार की जाये। यह विचार कि इमारतें इस तरह से बनायी जायें कि गर्मी के कमरों के ग्रन्दर ठंडी का इन्तजाम कर दिया जाये तो हम समझ जायेगे कि सब से बड़ा काम हो गया ठीक नही है। गर्मी में ठडी का इन्तजाम करने से शरीर को भले ही ग्राराम पहुंचे पर ग्राखों को तृप्ति नही होती, ग्रात्मा को तृप्ति नहीं होती। इसलिये हमे ऐसी चीजें बनानी चाहिये जिसमें हम सुखी भी रहे ग्रौर हमारी कला ग्रौर भी उन्नत हो तो ग्रच्छा है।

मुझे इस बात की खुशी है कि ग्रापने ऐसा ही निश्चय किया है। मै ग्राशा रखूगा कि ग्रापका भवन जब तैयार हो जाय ग्रौर जो सामान ग्राप इसके ग्रन्दर रखना

चाहते हैं या जो इसके बाहर रखना चाहे वे पूरे रखे जाये तो मै एक बार फिर आकर इसे देखूं ।

आपने उत्कल की कला का एक नमूना मुझे भेट किया। यह अपना महत्व रखता है क्योंकि यह सिर्फ कला का ही नमूना नही है बल्कि एक ऐसी चीज है, एक इतने बड़े मन्दिर का भी नमूना है जहा आज भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ आदमी आकर दर्शन करना अपना सौभाग्य मानते हैं और जहां का प्रसाद पाकर अपने को धन्य मानते हैं। मै आप सब को हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आपका यह प्रयत्न सफल होगा और उत्कल प्रदेश की भाषा प्रत्येक प्रदेश का इतिहास, आंध्रप्रदेश की कला बहुत ऊंचाई तक पहुंच जायगी जो फिर भी एक बार भारतवर्ष के और प्रदेशों के मुकाबले मे सब से आगे मानी जायगी ।

# पुरी की प्राचीन नगरी

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्री जी, नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यगण, बहनों और भाइयो,

मेरा सम्बन्ध उड़ीसा के साथ कुछ नया नहीं है। बहुत दिनों से मै यहा आता जाता रहा हूं और आपके बीच में जो अच्छे २ काम करनेवाले गुजर गये हैं या आज भी मौजूद हैं उनमे बहुतेरों से परिचय और घनिष्टता का गौरव मुझे मिला है। और इसलिये जब कभी मै यहा आता हू तो मधुसूदन दास, गोपबन्धु दास जैसे आपके नेताओं और सेवकों का स्मरण स्वाभाविक रीति से सामने आ जाता है। जब कभी मै इधर आता हूं तो मुझे वह समय भी स्मरण आ जाता है जब महात्मा गान्धी जी के साथ मै आपकी इस नगरी मे आया था और जिस वक्त यहा पर अकाल पीड़ितों को देखकर महात्मा जी के हृदय में बहुत करुणा उमड पड़ी थी और उन्होने यह लिखा था कि जहा जगत के नाम की पुरी है। वहा पर इस बार अकाल क्यो कर हो और उन्होंने सोचा था कि इस दुर्घटना को फिर से नही होने देना मनुष्य के पुरुषार्थ का काम है।

उस समय से आज तक देश के लोगो मे पहले स्वराज्य की प्राप्ति से बहुत परिवर्तन हुआ। हमे स्वराज्य प्राप्त हुआ और जब से स्वराज्य हमारे हाथों मे आ गया तब से हम इस देश को उन्नत, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। आज कुछ फिर उसी तरह की दुर्घटना का हम भय कर रहे हैं। देश इतना बड़ा है कि इसमे कही किसी कोने मे, किसी एक प्रान्त मे अतिवृष्टि, अनावृष्टि या और किसी दूसरे किस्म का देवी प्रकोप का होना कोई आश्चर्य की बात नही है और अगर ऐसे कभी किसी एक-दो स्थानों मे हो जाता है तो उससे सारा देश पीड़ित नही होता और वहा की स्थिति को सम्भाल लेने मे बहुत अधिक कठिनाई नही होती। क्योंकि सारे देश से, भारत सरकार की ओर से वहा की स्थानीय सरकार की ओर से सब सामान जुटाये जाते हैं और इस प्रकार की सदयता मिल जाती है। मगर जब कभी ऐसा होता है कि एक-दो जगहों में नही, थोड़े इलाके में नहीं बल्कि देश के एक बडे भूभाग में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प, आदि से नुकसान होता है और विपत्ति आती है तब एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। इस साल इत्तिफाक से कुछ ऐसा ही हुआ है। देश के एक बहुत बड़े भूभाग म वृष्टि कम होने या न होने के कारण और कहीं २ शायद कुछ अधिक वृष्टि होने के कारण

---

पुरी नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत अभिनन्दन पत्र के उत्तर में भाषण, 30 दिसम्बर, 1957

जो खेती होनी चाहिये थी, जो फसल होनी चाहिये थी उसम बहुत कमी हो गयी और इसलिये ऐसा डर हो रहा है कि सारे देश में अन्न की कमी हो जाय और कहीं कही इसका भी डर हो रहा है कि पानी का भी कष्ट लोगों को सहना पड़े। इन सब चीजों के सम्बन्ध में जहां तक हो सकता है जहा पर प्रदेशीय सरकारों मे प्रांतीय सरकारें और भारत सरकार दोनों साथ-साथ जानकारी प्राप्त कर रही ह और जहां तक सहायता हो सकती है सहायता का प्रबन्ध सोच रही हैं और जहां जरूरत पड़ी है वहा सहायता आरम्भ कर दी गयी है। मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि म स्वयं थोड़ा-बहुत आपका हाल देख लू। और जिस तरह से आप हाडी में से एक चावल निकाल कर देख लेते हो और समझ लेते हो कि पूरी हाडी के चावल सिद्ध हुए है या नहीं सिद्ध हुए है उस तरह सी दो-चार जगहों को देख कर जहा तक हो सके यहा की स्थिति मे खुद भी कुछ परिचय लेना चाहता हूं जिसमें भारत सरकार को अपना अनुभव पहुंचा दू। पर मै कुछ दू या नही दू, भारत सरकार के खाद्य मन्त्री, आपके अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री, और दूसरे मन्त्रीगण, यहा के राज्यपाल को दिनरात इसकी चिन्ता है ही और वे सब चीजों का पूरा पता लगा रहे हैं और जहां ऐसी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता को पूरा करनेका प्रयत्न और प्रबन्ध आज से ही सोच रहे है। यह दु:ख की बात है कि आपके प्रान्त मे कई जिलों में जल की कमी की वजह से वृष्टि की कमी की वजह से फसल मारी गयी है, जहा पूरी मारी नही गयी है, वहा बहुत हिस्सा मारा गया है और उसका फल यह हो रहा है कि उड़ीसा प्रान्त मे जहा पहले दूसरे प्रान्तों को जहा अन्न की कमी होती थी अन्न मिला करता था आज उस प्रान्त मे अगर अपने काम के लिये अन्न काफी हो जाये तो आप समझेंगे कि यह ईश्वर की बड़ी दया हुई और इसका बहुत प्रयत्न किया जा रहा है। तो मै यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से हर तरह का प्रयत्न किया जायगा जिससे अन्न का कष्ट लोगों को न होने पावे, जल का कष्ट न होने पावे और जानवरों को चारा भी मिल सके।

मगर साथ ही मै आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी विपत्ति के समय में केवल सरकार पर भरोसा करना यथेष्ट नही है। उससे सब काम शायद पूरे भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि आखिर सरकार के पास जो साधन है वह देश के लोगों के दिये हुए ही साधन हैं और जब तक देश के लोग और विशेष करके उन जगहों के लोग जहां कष्ट आया है कमर बांधकर तैयार नही हो जाते कि हम विपत्ति का सामना कर लेंगे तब तक केवल सरकार के भरोसे पर काम पूरा नही हो सकता। तो मै आपसे यही कहने आया हूं कि जितना सरकार का हिस्सा है वह सरकार अपनी ओर से पूरा करने में कोई कसर नही रखेगी मगर साथ ही आपको भी

अपनी ओर से इस कष्ट को दूर करने में, बर्दाश्त कर लेने में, जहां जरूरी हो उसको सह करके काट लेने में मदद करनी है। एक फारसी में कहावत है और मैं समझता हूं कि इस तरह की कहावत सभी भाषाओं में प्रचलित है कि 'हिम्मते मर्दां मददे खुदा।" मनुष्य पहले अपनी मदद करता है, फिर ईश्वर भी उसकी मदद करता है। अंग्रेजी भाषा में उसका भाषान्तर है "गौड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्स"। तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपनी मदद करें और करने के लिये तैयार हो जायें तो ईश्वर की भी मदद मिलेगी और जब मैं यह कहता हूं कि आप अपनी मदद करें तो उसका अर्थ यह नही कि सरकार मदद नहीं करेगी बल्कि उसका अर्थ यह है कि आप में और सरकार में अन्तर न रह जाय। आपकी मदद और सरकारी मदद में कोई अन्तर नही रह जाये, दोनों मिलकर प्रयत्न करें जिसमें विपत्ति का समय कटता चला जाये और तब हम ईश्वर से आशा करेंगे कि जब अगली बरसात का समय आवे तो ऐसा जल दें और समय पर ऐसा जल दें जितना चाहिये और फसल इतनी अच्छी हो और पैदावार इतनी अधिक हो कि इस विपत्ति को भूल जायें। एक साल में हम दो साल के बराबर पैदा कर लें।

सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्वराज्य सरकार का यह भी धर्म है और वह इस बात को मानती है और इस प्रयत्न में लगी रहती है कि ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि यदि किसी कारण से पूरा पानी नही बरसे तो भी हमारी फसलें जिस तरह से इस साल में बहुत जगहों मे बिल्कुल बर्बाद हो रही हैं उस तरह से और इस हद तक कम-से-कम वर्बाद न हो और इसके लिये बड़ी-बड़ी योजनायें भी बनायी गयी हैं जिनकी वजह से लाखों लाख बीघे जमीन पानी से पटायी जा सकेंगी। छोटी-मोटी योजनाएं भी सभी प्रान्तों में लागू की गयी हैं जिनके द्वारा हजारों हजार बीघे खेत पानी से पट सकते हैं और पानी के कुएं भी बनवाये जा रहे हैं। इनसे भी सौ-दो सौ बीघे खेत पट सकते हैं। ये सब प्रयत्न सरकार की ओर से हो रहे हैं और इसके लिये भी आप लोगों की सहायता वांछनीय है, आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि वह सहायता भी आपकी ओर से हमेशा गवर्नमेंट के इस प्रयत्न में मदद मिलती रहेगी।

केवल अन्न का ही प्रश्न हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने और भी प्रश्न हैं। हमारे सामने निरक्षरता का प्रश्न है कि किस तरह से हम निरक्षरता को देश से दूर करें, किस तरह से हम बीमारों को जहां आवश्यक हो दवा पहुंचा सकें, किस तरह से सभी लोगों को हम यह महसूस नहीं होने देवें कि अन्न के दिनों, दवा के बिना उसको कष्ट हो रहा है। यह एक लम्बा कार्यक्रम है जिसमें समय लगेगा, जिसमें

श्रम लगेगा, और जिसमे हम में से सब को अपना-अपना समय और अपना-अपना श्रम देना पड़ेगा। इसके लिये आज भी अभी त्याग की आवश्यकता है और जिन लोगों से जो बन पड़े करने का प्रयत्न करें, इस भावना से नही कि इससे हमको तुरन्त लाभ होता है बल्कि इस भावना से कि इससे देश को लाभ पहुंचेगा। आनेवाली पीढियों को लाभ पहुंचेगा सब लोग मिल-जुल कर काम करें।

जिस समय स्वराज्य के लिये महात्मा गाधी जी ने आवाज़ उठायी या देश के दूसरे नेताओं ने इस बात को चलाया कि हम स्वराज्य लेंगे उस वक्त मै तो अपने बारे में कह सकता हूं कि मै नही जानता था कि यह चीज कब आयेगी, हमारे समय में आयेगी या नही आयेगी और इसका फल हमको मिलेगा या नही मिलेगा और इसकी ओर बहुतेरे लोगों का ध्यान ही नही था। हम तो समझते थे स्वराज्य एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए हम सब को सर्वस्व त्याग करना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो प्राणों को भी देना है और यह समझकर जब हमारे देश मे इतने लोग आये और सबों ने मिलकर काम आरम्भ किया, सबों ने अपना कंधा लगाया तो उसका फल भी हमको मिला। मगर बहुतेरे हम में से ऐसे लोग रहे जिनकी सेवा, त्याग और तपस्या किसी से कम नही थी पर वे फल नही देख सके। ऐसा इस संसार में होता है और होता रहेगा। मगर आज हमको यह समझ लेना चाहिये कि भारतवर्ष के सामने अभी भी उसी प्रकार से परिश्रम करने की, इसी प्रकार के त्याग करने की, उसी प्रकार से अपने सारे समय को लगाने की ज़रूरत है जिस प्रकार से स्वराज्य आन्दोलन के समय हम कूद पड़े थे और हम ने काम किया था। यह नही समझना चाहिये कि स्वराज्य हो गया और काम पूरा हो गया। स्वराज्य भी आखिर मनुष्य के एक ध्येय को लेकर है। स्वराज्य के माने यह नही है कि मेरे जैसा एक आदमी प्रेसीडेन्ट बन जाये या कोई मन्त्री बन जाये। उसका अर्थ यह है कि सारे देश की स्थिति इस तरह से सुधरे किस तरह सुधरे कितनी सुधरे कि कहीं किसी को जीवन की आवश्यक चीजों की कमी न रह जाये और एक नही सभी उस सतह तक पहुंच जायें। यद्यपि शासन हमारे हाथ में आ गया है मगर यह काम अभी हुआ नही। अब हम यह नही कह सकते कि इसमें कोई बाधक है जो हमे और उन्नत होने में रुकावट डाल सकता है। अगर रुकावट इसमें कोई है तो उसको हमें हटाना है, उसका व्यतिक्रम करके हमें आगे बढना चाहिये। मगर, जहां तक मै समझता हूं अब कोई बाधक नहीं है। अगर कोई बाधक नही है तो वह हमारे दिलो के अन्दर ही है, हमारे समाज के अन्दर हो सकता है, कोई विदेश का, बाहर के देश का नहीं हो सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि यह जो बहुमूल्य स्वराज्य या

स्वाधीनता प्राप्त हो गयी है उसको सुरक्षित रखकर उसके द्वारा देश की समृद्धि बढ़ावें, उससे लाभ लेकर लोगों को सुखी बनावें, जो गौरव प्राचीन काल में हमें प्राप्त हो गया था उससे भी अधिक गौरव प्राप्त करें।

उड़ीसा में कोई आवे और यहां की प्राचीन चीजों को देखे, मन्दिरों को देखे, मन्दिरो के खंडहरो को देखे, उस समय के लिखित ग्रन्थों को देखे तो वह समझ सकता है कि कितनी समृद्धि इस उड़ीसा में थी और समृद्धि केवल धन और वैभव की नही बल्कि हर प्रकार की समृद्धि थी धन की, तपस्या की, विद्या की, कला की। तो क्या हम फिर जो गौरव हम ने प्राप्त किया था उसको हम फिर से नही प्राप्त कर सकते। हमारे पूर्वजों ने उसको ऐसे समय मे प्राप्त किया था जब आज के साधन उपलब्ध नही थे। आज के संसार मे विज्ञान के द्वारा एसे साधन आगये है जो उस समय नही थे। इसलिये हमारा काम तो यह होना चाहिये कि जो प्राचीन काल में जितना हम प्राप्त कर चुके है उससे कहीं अधिक हमे उन्नत करना चाहिये और जब इस ध्येय को हम अपने सामने रखेगे तभी हम आगे बढ़ सकते है।

आज भारतवर्ष के लिये दो चीजें आवश्यक है। सब से बड़ी चीज़ तो यह है कि हमें कोई बात ऐसी नही करनी चाहिये, कोई ऐसा काम नही करे जिससे इस स्वतन्त्रता पर किसी तरह आंच लगे या किसी तरह का जोखिम आवे और इस स्वतन्त्रता को हमेशा हम सुरक्षित रख सकें इसकी योग्यता हमें प्राप्त करनी चाहिये। इसके लिये सब से पहली चीज आवश्यक यह है कि सारे देश को हम अपना देश समझें। हम यह नही समझें कि जितनी दूरी में हम बैठे हुए है वही सारा देश है या जितनी दूर तक हमारे परिवार के लोग बैठे है उतना ही देश है, या जितनी दूरी में हमारी भाषा बोलने वाले बैठे है उतना ही देश है, जितनी दूरी में हमारे धर्म के माननेवाले बैठे है उतना ही हमारा देश है। सारे भारत को, समुद्र से हिमालय प्रभृति तक है। भारतवर्ष मानकर उसको सुरक्षित रखें, उसकी एकता में कभी-कभी नही हो तभी हम चैन लें हमें सोचना चाहिये। तो पहली चीज जो आवश्यक है वह यही है कि सारे देश के एकत्व की भावना हमारे हृदय में पैदा होनी चाहिये और इससे और बढ़कर दूसरा प्रमाण भारतवर्ष का क्या हो सकता है जिसे आप जगन्नाथपुरी मे रहकर हमेशा देखते हैं। यहां भारतवर्ष का कोई हिस्सा ऐसा नही है जहां से लोग नहीं आते हों, ऐसा कोई हिस्सा नही जहां के लोग इस स्थान को पुण्य तीर्थ स्थान नही मानते हों। हमारे पूर्वजों ने सारे देश को एक सूत्र में बांधने के लिये जगन्नाथपुरी और पुरी स्थान मे जगन्नाथ को यहां लाकर स्थापित किया जिसमें लोग भूलें नहीं कि पूर्वी समुद्र तट तक हमारा देश है और उसी तरह

पश्चिम तट पर, द्वारिका में तीर्थ स्थान कायम किया और उसी तरह से दक्षिण में रामेश्वर और उत्तर में हिमालय के अन्दर बद्रिकाश्रम थे। चार तीर्थ स्थानों को कायम करके एक तरह सीमाबन्दी का काम किया।

उन दिनों मे जब कही जाना-आना कठिन था, सभी प्रदेश के लोग अपना कर्त्तव्य मानते थे, अपना आदर्श मानते थे कि इन चारों स्थानों का भ्रमण करे, दर्शन करें। जिसे पूरा करना पवित्र माना जाता था आज रेल से, हवाई जहाज से एक-दो ही दिन के अन्दर सभी जगहों मे हम पहुंच सकते है, उससे भी जल्दी पहुंच सकते हैं क्योंकि आवागमन बहुत आसान हो गया है। तो आज कोई हिस्सा भारतवर्ष मे अलग है ऐसी भावना आवे तो यह एक ऐसा बुद्धि का भ्रम होगा, मतिभ्रम होगा जिसका कोई दूसरा भ्रम मुकाबला नही कर सकता। आज जब विज्ञान ने जो एक देश नही था। उनको भी यातायात के साधनों से एक कर दिया तो जहां पहले से ही एकता मौजूद है और एकता की भावना मौजूद है वहां पर उस एकता को कायम रखना तो और भी आसान होना चाहिये और हम नालायक साबित होंगे और बहुत अकल्याणकारी काम होगा अगर हम किसी संकुचित भावना के कारण उसमे कमजोरी आने देंगे। तरीका उसका यही है कि सबमें एक-दूसरे के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिये भरोसा होना चाहिये और सब को यह समझना चाहिये कि हम सब उसी भारत माता के दिये अन्न खाते है, उसके दिये जल को पीते हैं, उसके ऊपर बहती हवा की सांस लेते है, और इसलिये हम सब एक है। और सिर्फ यही नही, उस एकता को और भी दृढ़ करके ऐसा बना लेना है जिसमें हम दूसरों को भी अपने आप में मिला सके, दूसरों के साथ भी हम बैठ सकें और सारी दुनियां को एक सूत्र मे बाधने का काम पूरा कर सकें। और दूसरे इस स्वतन्त्रता का ऐसा उपयोग होना चाहिये जिसमें लोगों का जीवन सुधरे। इसके लिये हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है।

इन दोनों में आप सब का धर्म है कि आपसे जो हो सकता है सहायता दें, भावना की सहायता दें, शरीर से, धन से, देश प्रेम दें और सब से जरूरी यह है कि जब विपत्ति का काल आ जाये तो उस प्रेम का सहायता का एक मूर्तरूप भी हो जाता है उसमें आप सहायता दें जिसमें कोई आदमी अन्न के बिना कष्ट नहीं पाने पावे। जल के बिना कष्ट पायें। अगर सब लोग एक-दूसरे का ख्याल रखेंगे और सब को अपना समझेंगे तो सुखी रहेंगे। अगर दो आदमी हों और दोनों के पास थोड़ा-थोड़ा अन्नहो और यदि दोनों अन्न को मिलाकर खायेंगे और अपना-अपना हिस्सा बांटें तो नतीजा एक ही रहेगा, दोनों को एक हिस्सा मिलेगा मगर एक भावना दृढ़ हो

जायेगी। मगर यदि अपना-अपना हिस्सा खायें तो शायद बुरी भावना आ जाय। तो मिल-जुलकर प्रेम भावना से काम करने से लाभ ही होता है और भावना भी दृढ होती है। हम चाहते हैं कि उड़ीसा में काम करनेवालों से जो दूसरी जगहों के रहनेवाले हैं उनको प्रेरणा लेनी है और आपको प्रेरणा देनी चाहिये। हम यह आशा रखेंगे कि आपके इस प्रान्त में कोई भी कष्ट किसी को नहीं होने पायेगा और जो आयेगा उसका मुकाबला आप अपनी ओर से करेंगे और हिम्मत के साथ करेंगे।

जब से मैं आया हूं आपने मेरा बहुत ही स्वागत किया, सुन्दर उपहार दिये। मेरे लिये इस प्रकार का स्वागत कोई नयी चीज़ नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका प्रेम मेरे जैसे आदमी पर रहा है और आज भी है और उसका आपने प्रदर्शन किया है। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ।

# कटक में सार्वजनिक समारोह

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्री जी, डाक्टर परियार, बहनों तथा भाइयो,

मैं जब से उड़ीसा मे पहुंचा हूं ग्राप लोगों ने जहा-जहां मै गया हूं इतना प्रेम दर्शाया है ग्रौर इतनी सद्भावना ग्रौर स्वागत किया है कि मै उसके लिये शब्द नही पा सकता हूं कि मै ग्रापका धन्यवाद करू ग्रौर जो हृदय से भावना निकलती है उसके लिये शब्दों मे उत्तर देना भी कठिन हो जाता है। इसलिये मै केवल इतना ही कहूंगा कि उडीसा को मै कुछ ग्रपने से ग्रलग नही मानता हूं ग्रौर मेरी सद्भावना ग्रौर मेरी शुभ कामना उडीसा के ग्रौर यहां के लोगों के साथ हमेशा वैमी ही बनी रहेगी जैसी ग्राज तक रही है। ग्राने-जाने का हमेशा सुग्रवसर नही मिलता, इसलिये बहुत सम्पर्क नही हो सकता पर दूरी की वजह से ग्राप यह नही समझो कि दिल मे कुछ दूरी है। हमारा हृदय ग्रापके साथ हमेशा है ग्रौर रहेगा।

इस समय मै विशेष करके यह सुनकर यहा ग्राया हूं कि उडीसा मे भी सूखा पड़ जाने की वजह से, ग्रनावृष्टि के कारण, लोगों को कष्ट है ग्रौर ग्रधिक कष्ट की सम्भावना है। भारतवर्ष में इतने लोग बसते है ग्रौर इतने प्रदेश बने हुए है कि कही न कही कुछ न कुछ लोगों को ग्रनावृष्टि से, ग्रतिवृष्टि से, जलप्लावन से या इसी प्रकार के ग्रौर किसी दैवी प्रकोप के कारण कष्ट प्रत्येक वर्ष मे ही कही न कहीं पहुंचता है। पर जब कभी एक साथ एक बहुत बड़े क्षेत्र मे इस तरह की कोई दैवी विपत्ति ग्रा जाती है तब देश के लिये ग्रौर वहा के लोगों के लिये उसके सहन करने मे, उनका निवारण करने मे कठिनाई ग्रा जाती है। इस वर्ष कुछ ऐसा ही उत्कल प्रान्त में, मध्य प्रान्त के एक बड़े हिस्से मे, बिहार मे, बंगाल के कुछ हिस्से मे ग्रौर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ग्रनावृष्टि के कारण धान की फसल बहुत करके मारी गयी है ग्रौर जो रब्बी की सदियों मे फसल होती है उस रब्बी की फसल को हानि पहुंचने का भय है। इसी वजह से जनता में ग्रौर सरकार मे इस बात की चिन्ता हो रही है। इस बात का सामना करने के लिये जो कुछ हम कर सकते है हमको करना चाहिये। मैंने सोचा कि यद्यपि सरकार ग्रपनी ग्रोर से सब कुछ कर रही है ग्रौर करेगी, मै जाकर लोगों से एक बार मिल जाऊं, ग्रपनी ग्रांखों से स्थिति देख ग्राऊ ग्रौर ग्रपने कानों से उनकी बातों को सुन ग्राऊं तो मुमकिन है कि शायद ग्रपने हृदय में वे ग्राश्वासन हो ग्रौर प्रसन्न हो जायें ग्रौर इस निमित्त मै ने पहली यात्रा उत्कल की ग्रारम्भ की है ग्रौर यहां पहुंचा हूं। पिछले तीन दिनों से यही काम करता ग्रा रहा हूं ग्रौर ग्राज ही यह काम एक प्रकार से समाप्त हो

---

सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाषण; कटक, 1 जनवरी, 1958

जायगा श्रौर जो कुछ थोडा-बहुत बाकी रह जायगा उसको पूरा करके मै कल दिल्ली वापस जाऊंगा ।

मै श्रापसे इतना ही कह सकता हू कि सब बाते मैंने देख ली है, मै ने समझ ली हैं श्रौर यह भी मै समझ गया हूं कि किस तरह से श्रापकी सहायता करने का विचार गवर्नमेंट कर रही है । दो चीजे है । एक तो हम ऐसा उपाय करें जो दीर्घ काल के लिये हम को इस तरह की विपत्तियो से श्रगर पूरी-पूरी मुक्ति नहीं दे सके तो कम-से-कम इन विपत्तियो की सख्ती को, जोर को कुछ कम कर सके श्रौर इसके लिए तरह-तरह की योजनाए बनी है श्रौर बनेगी भी जिसमे सूखा पड़ने से पानी को कही न कहीं से किसी न किसी जरियें से लाने का इन्तजाम किया जाय, बाढ़ हो जाने पर सब कुछ दह बह नही जाय बल्कि उससे भी फसल को, लोगों की तथा जानवरों की रक्षा कर सके । यह दीर्घ कालीन बड़ी योजनाश्रों का काम है । योजनाश्रो में इसके लिये बड़ी श्रौर छोटी योजनाएं बहुतेरी सोची गयी है श्रौर की जायेगी ।

इसके श्रलावा जो श्राज तत्काल मे कष्ट श्रा पहुंचा है उसको दूर करने के लिये भी हमें दो बातों की श्रौर ध्यान देना है । एक तो जहा-तहां श्रन्न का जो काम करना है उसको किसी न किसी तरह से पूरा करना चाहिये । हम तो श्राशा करते है कि उड़ीसा में श्रभी जो प्रयत्न नयी फसल उगाकर थोड़े दिनों में श्रन्न पैदा करने का किया जा रहा है वह सफल होगा श्रौर श्रगर ईश्वर चाहेगे तो श्रापको कहीं दूसरी जगह से श्रन्न मंगाने की जरूरत नही पड़ेगी । मगर श्रगर कही ऐसी जरूरत पड़ी तो श्राप इसका विश्वास रखे कि भारतवर्ष श्रौर भारत सरकार श्रापको श्रकेले नहीं छोड़ेगी । वह हर तरह से श्रापकी मदद करेगी जिसमें श्रापको श्रन्न का कष्ट नहीं होने पावे श्रौर श्रन्न के बिना एक श्रादमी भी कहीं मरने नही पावे ।

दूसरी चीज जो विशेष करके मैं समझता हूं कि उड़ीसा मे हम को करनी है वह यह है कि यहां यह भय होता है कि श्रनेकों जगहो मे पीने के लिये पानी की भी कमी हो जायेगी । श्रब यह सोचना श्रौर देखना है कि कौन उपाय किये जायें जिनसे पीने के लिये पानी लोगों को पहुंचाया जा सके । एक कहावत हम लोगों में है कि श्राग लगने पर कुश्रां खोदना बेकार होता है । कुश्रां पहले से खोदकर रखते हैं तो श्राग यदि लगती तो उसमें से पानी भरकर उस श्राग को बुझा सकते हैं । उसी तरह से लोगों की प्यास बुझाने के लिये जहां-जहां इस प्रकार का श्रंदेशा हो श्रौर भय हो वहां पर पीने के पानी की कमी हो सकती है वहां पर श्राज से ही जिस

जगह के लिये जो चीज उपयुक्त हो ग्रौर ग्रासानी से हो सकती हो जैसे पुराने तालाबों की मरम्मत करके पानी को इकट्ठा करना या उसके लिये स्थान बनाकर किसी न किसी तरह से पानी को जुटाया जा सकता है। हो सकता है कि कही पर कुग्रां खोदने से, मामूली कुग्रां खोदने से पानी पैदा किया जा सकता है। हो सकता है, कही पर जैसा मैंने सुना है समुद्र के तट पर थोडी दूरी पर जो पानी निकलता है वह खारा निकलता होगा ग्रौर ऐसी जगहों पर गहराई से पानी निकले ग्रौर वह इस तरीके से निकलना होगा जिसमे ऊपर का खारा पानी हो पर गहराई पर मीठा पानी मिले। मुमकिन है कि कुछ जगहों पर थोड़ी दूरी पर जैसे पानी मिला करता है नही मिले। ऐसी जगहों पर गहराई तक ट्यूब वेल लगाना होगा। कही-कही पर कुग्रां खोदकर ट्यूब वेल लगाकर उसका प्रबन्ध करना होगा। यह काम इन्जीनियरों का है जो सब चीजों को देखकर गवर्नमेंट को मशविरा दें ग्रौर बताये कि कही पर कौन तरीके से सब से ग्रच्छा, सुलभ ग्रौर सफल हो सकता है ग्रौर उसके बाद गवर्नमेट का यह काम होगा कि वहा पर उस तरीक बहते ग्रौर लोगों के पानी का कष्ट मिटावे।

मुझ इस बात की खुशी है कि जो कुछ मेरी बातें ग्रापके मुख्य मन्त्री जी से, गवर्नर साहब से हुयी है वे इस बात को ग्रच्छी तरह से समझ रहे है ग्रौर सचेष्ट है कि इसके लिये जो कुछ करना होगा वह पहले से ही किया जाये जिसमें वक्त ग्राने पर ऐसा नहीं हो कि हम को मालूम हो कि हमने गफलत की है। तो इस वक्त जो तत्काल का कष्ट है उसको दूर करने के लिए गवर्नमेट की तरफ से इस तरह की बाते हो रही हैं। मगर मैं तो चाहता हूं कि देश के लोग भी जो गैर-सरकारी लोग हैं, जिनका गवर्नमेंट से सीधा कोई सम्पर्क नही पड़ता है वे भी इस काम में जहां जिन से बन पड़े मदद करे।

मै जानता हूं कि हमारे देश में ऐसे कष्ट में, ऐसी विपत्ति के समय बहुत सी गैर-सरकारी संस्थाएं उठ खड़ी होती है जो ग्रपने-ग्रपने तरीके से लोगों की सहायता किया करती हैं। इस तरह की संस्थाएं ग्रगर यहां कायम हों तो उनको एक बात का ध्यान रखना होगा। एक दूसरे का काम एक दूसरे से टकराये नहीं। ऐसा नही हो कि एक जगह पर चार संस्थाएं एक काम को चार तरफ से करने लगे ग्रौर दूसरी जगह कोई काम ही नहीं हो। जो संस्था हो जिसे जो काम करना हो उसे पूरी तरह से संगठित होकर करे ग्रौर गवर्नमेंट की राय लेकर इस तरह से करे कि जहां हो सकता है उस काम को उस स्थान पर ग्रपने हाथ में ले ग्रौर उसको पूरा करे।

मगर इसके अलावे भी यह जरूरी है कि लोग घबड़ायें नही। छोटी-सी भी बात हो और उसमें लोग घबड़ा जायें, चिन्ता में पड़ जायें तो उसका नतीजा यह होता है कि कोई काम करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। हम चाहते है कि लोग अपनी हिम्मत से, अपने साहस से इस विपत्ति पर काबू करने का प्रयत्न करें और हम समझते है कि जिन लोगों ने हमारे स्वराज्य की लड़ाई देखी है और आप लोगों ने तो देखा ही है, आप लोग तो उसमें शरीक भी हुए है, वे जानते है कि जब हर तरह से हम नाउम्मीद होते थे उस समय भी हम अपने काम में जुटे रहते थे और अपने उत्साह से उस अंधकार को पार करके रोशनी मे निकल आते थे और ऐसा करते-करते हम ने स्वराज्य भी प्राप्त कर ही लिया। उसके मुकाबले में इस तरह की तात्कालिक विपत्तियां कोई उतना महत्व नही रखती और जब हम उसको पार कर सके तो इन विपत्तियां पर काबू पाना हमारे लिये कोई बहुत मुश्किल काम नही होना चाहिये। विशेष करके हमको यह याद रखना चाहिये कि उस वक्त की जो सरकार थी वह हमारे खिलाफ रहा करती थी और हमारे विरुद्ध काम किया करती थी और तो भी हम जनता के बल पर आगे बढे थे। इस वक्त जब जनता का बल और सरकार का बल दोनों एक साथ मिल गया है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरी तक आप जा सकते है, कितनी बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकते है और जो आज मुसीबत आ पड़ी है उससे लोगों को मुक्त कर सकते हैं।

इसलिये मै चाहूंगा कि उड़ीसा के सभी लोग यह समझकर कटिबद्ध हो जाये कि यह उनका धर्म है कि इस विपत्ति से इस प्रान्त को मुक्त करें और उस प्रान्त को मुक्त करके आप एक उदाहरण बन जायें और जल्द से जल्द बन जाये जिसमे आप दूसरे प्रान्तों को अपना अनुभव दे सके। यह आपके लिये असम्भव नही। मै समझता हूं कि कठिन भी नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो यह हो सकता है। इतना तो मै ने इस वक्त जो तत्काल विपत्ति आ गयी है उसके सम्बन्ध मे कहा।

पर मै आपको यह बात दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि आज 10 वर्ष हो गये जब हम ने स्वराज्य प्राप्त किया और इन 10 वर्षों में हम ने बड़े-बड़े काम भी किये है, देश में और विदेशों में यह कहने की जरूरत नहीं है कि विदेशों में हमारे देश का नाम कितना ऊंचा है और हमारे प्रति अन्य देशों के लोगों की कितनी श्रद्धा है। इसे तो प्रत्येक भारतवासी अपना गौरव मानता है कि आज भारतवर्ष, यद्यपि उसके पास कोई जबर्दस्त ऐसी सेना नहीं कि दूसरे बड़े-बड़े देशों को अपने सैन्य बल मे दबा सके, तो भी जो गांधी जी ने हमको आध्यात्मिक बल दिया उस

बल से हम श्रद्धा के भाजन हो रहे है श्रौर बहुतेरों की श्रद्धा के भाजन हो गये हैं जो हमारी तरफ ऊंची निगाह से, इज्जत की निगाह से देखते है । देश के श्रन्दर भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयों को हम पार कर सके है ।

देश बटवारे के पीछे या यों कहे कि उसके साथ ही साथ एक बहुत भारी विपत्ति श्रायी । 50, 60 लाख लोगों को जो घर-बार छोड़कर, धन सम्पत्ति छोड़कर श्रौर बहुतेरों को श्रपने घर के लोगों को भी मरा हुश्रा छोड़कर इस देश मे भागकर श्राये उनको बसाना पड़ा श्रौर श्राज भी वह काम श्रभी एक तरफ पूरा नही हो सका । यह काम संसार के इतिहास के बड़े कामो मे समझा जा सकता है । उसके साथ-साथ हमने देश को उन्नत करने के लिये, धनी बनाने के लिये, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई बड़ी-बडी योजनाश्रों मे हाथ लगा दिया श्रौर उनमे से कुछ तो तैयार हो गयी श्रौर तैयार होती जा रही है श्रौर जैसे-जैसे वे तैयार होती जायेगी उनका फल भी लोगों को मिलता जायगा । यह शुरू से ही हम ने समझ रखा था कि देश मे यातायात के साधन बढें । इसलिये रेल की जो लड़ाई के कारण बहुत बर्बाद हो चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी उसकी हमने फिर से मरम्मत इत्यादि करके काम चलाने लायक बनाया । वे बन गयीं है । नयी लाइनें भी बन गयी है श्रौर बराबर बनती जा रही है । नयी सड़कें भी बहुत बन गयी है श्रौर बहुत बनती जा रही है । तो श्राप यह समझे कि इन 10 वर्षो मे जितनी पक्की सड़कें बन गयी है उतनी 100 वर्षो मे पहले नही बनी थी । जितना खर्च लोगो के कल्याण के काम मे इन 10 वर्षो मे गवर्नमेट ने किया है उतना शायद ब्रिटिश राज्य भर मे लोक कल्याण के काम में नही किया था । चाहे श्राप शिक्षा को लें, स्वास्थ्य विभाग को ले, लोगो के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये जो गांवों मे काम किया जा रहा है उसको लें, बड़ी-बड़ी नदियों को बाधने की योजनाश्रों को लें, छोटी-छोटी पानी की योजनाश्रों को लें चाहें जिस तरह से श्राप देखे, श्रापको मालूम होगा कि बहुत बडा काम हो रहा है श्रौर होता जा रहा है । श्रभी उसका फल पूरा-पूरा नही देखने मे श्रा रहा है श्रौर यही कारण है कि जो काम हुश्रा है उसके महत्व को हम ठीक तरह से श्रांक नहीं पाते है । जब पूरा फल श्रा जायगा तभी श्राक सकेंगे । किसान खेत मे बीज बोता है तो महीनों तक उसको फूलते-फलते देखता है, उसमे दाना लगते देखता है । जब तक दाना पक करके इस योग्य नही हो जाता है कि वह काटकर घर में ले जाकर भोजन के काम में ला सके तब तक वह श्रपने परिश्रम को पूरी तरह से सफल नहीं समझता है । तो क्या जो लोग बीच में इन्तजार करते है उसको काम नहीं कहेंगे ? इन्तजार करना भी एक काम ही है । उसी

तरह से जो काम अभी तक हुआ है, उसके फल के लिए इन्तजार करना जरूरी है क्योंकि फल तो निश्चित है ही, फल मिलेगा और जैसे-जैसे काम पूरा होता जायेगा अधिक उसका फल सामने आता जायेगा ।

इस विषय में मै आपको विश्वास दिलाना चाहता हू कि आप कभी ऐसा नही समझे कि उड़ीसा की तरफ किसी तरह से लोग उपेक्षा की आख से देखेगे । नही, सरकार की यह नीति है और अटल नीति है कि सभी प्रान्तो को इस योग्य बना दिया जाये कि वे बराबरी मे आ जाये । इसलिये खास करके ऐसे प्रान्त को जो औरो के मुकाबले मे पिछड़ा हुआ है उसकी जो-जो जरूरत हो पूरी होनी चाहिये और जो कुछ काम आपके इस सूबे मे हो रहा है और होता जा रहा है जैसे कि एक बहुत बड़े लोहे के कारखाने का काम और दूसरे प्रकार के काम उससे हम समझ सकते है और कह सकते है कि आपकी उपेक्षा नही हुई है और आपको आगे से जो जरूरत हो उसको भारत सरकार के पास आप बताते रहे । मै समझता हू कि आपकी गवर्नमेंट इस पर तत्पर है और पहुचाती रहती है और पहुचाती रहेगी और मै कह सकता हू कि अपनी शक्ति के अन्दर जो कुछ भारत सरकार कर सकती है आपके लिये करने के लिये वह हमेशा तैयार रहेगी । आप सारे देश को अपना देश समझें, सारे देश की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझे । न तो आप शब्दो से और न किसी काम से इस प्रकार की भावना पैदा होने दे कि भारतवर्ष की एकता मे कोई भी भारतवासी जरा भी कमजोरी आने देगा और इसमे हमेशा आप आगे रहे यह मेरी कामना है । मै विश्वास करता हू कि जिस तरह से गाधी जी के नेतृत्व मे आप स्वराज्य की लड़ाई मे किसी से पीछे नही रहे उसी तरह से अब जो निर्माण का काम देश मे हो रहे है और सब से बड़ा निर्माण देश की एकता कायम रखनी है उस काम मे भी आप किसी से पीछे नही रहेंगे ।

इस सभा मे मुझे कुछ दुखद बाते भी याद आ गयी है । अभी चन्द दिन हुए मैंने दिल्ली में अखबारों मे पढा और रेडियो पर मैंने सुना कि पडित लिगराज मिश्र का स्वर्गवास हो गया । इधर कुछ दिनों से यहा के मित्रों से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी और इसलिये पूछना पडा कि कौन कहां पर है और दरियाफ्त करने पर पूरा पता लगा । यहां पर श्री राधानाथ जी ने उनकी लिखी पुस्तकें भेट कीं और उससे मेरी स्मृति ताजा हो गयी जो बहुत दिनों तक और बहुतेरे एक साथ रहकर जेलखाना मे कमाई थी और ये ग्रन्थ भी, मै समझता हू कि अगर सब नही तो इनमें से कुछ जेलखाने की कमाई है । तो जहां एक तरफ उनकी स्मृति से दुःख होता है, दूसरी ओर यह भी एक संतोष का विषय होता है कि अपनी कृतियो द्वारा, अपनी

साहित्यिक कृतियों द्वारा वह अपना स्मारक बना गये हैं जिसका एक नमूना आपने मुझे भेंट किया। मै उसके लिये आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी सहानुभूति उनके परिवार तक पहुंचा देंगे। आपने जो मेरे प्रति प्रेम दर्शाया है, जो मेरा सम्मान किया है सब के लिये मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं ।

# उत्कल विश्वविद्यालय का शिलान्यास

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्री जी, वायस चान्सलर महोदय, देवियो और सज्जनो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज उत्कल यूनिवर्सिटी के सीनेट हाउस की नीव डालने का आपने मुझे सुअवसर दिया।

अभी जिस तरह से वायस चान्सलर महोदय ने हम लोगों को बताया, इस यूनिवर्सिटी के बनने में काफी विलम्ब हुआ है और खास करके इसके लिये एक ऐसा स्थान जहां यह आराम से अपना काम कर सके और जहां सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन अध्यापन खूबी के साथ कर सके मिलने में काफी देर हुई है। मगर जब मैंने यह देखा कि यह एक ऐसा सुन्दर स्थान आपको मिल गया जो बड़े शहर की आबोहवा से दूर, जिसकी अपनी जलवायु इतनी सुन्दर, सुखद और स्वास्थ्य-प्रद है और जो एक ऐसे शुभ प्राचीन स्थान का एक भाग है जैसा कि यह भुवनेश्वर स्थान है तो मैं सोचता हूं कि वह कहावत सच निकली कि जो काम देर करके होता है वह अच्छा होता है और इसीलिये आपको जो कुछ देरी की वजह से अफसोस है उसको आप भूल जायें यह देखकर कि कैसा सुन्दर और अच्छा स्थान आपको मिल गया।

पर यूनिवर्सिटी न तो केवल स्थान की चीज है और न बड़ी इमारतों की चीज है। वहां पर अच्छे से अच्छे अध्ययन और अध्यापन की जरूरत होती है और वही यूनिवर्सिटी सब से अच्छी कही जा सकती है जहां सब प्रकार की विद्या के सीखने-सिखाने का सुअवसर मिलता हो। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि यहां अनेक प्रकार की विद्या के पठन-पाठन का प्रबन्ध है और होगा और उसके लिये जो आजकल इस तरह की चीजों की जरूरत होती है जैसे लैबोरेटरी, प्रयोगशाला इत्यादि वह सब भी आज के विज्ञान के लिये आपके यहां प्रस्तुत किये जायेंगे। साथ ही साथ दूसरे विषयों को पढ़ने-पढ़ाने के लिये अच्छा पुस्तकागार भी आपके यहां होगा। जो लोग अध्यापक यहां रहेंगे वे भी इस यूनिवर्सिटी में अपने ही स्थान पर रहकर उनका विद्यार्थियों के साथ बहुत ही नजदीकी सम्पर्क रहेगा। इससे मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी में जैसी आबोहवा होनी चाहिये वे पैदा कर सकेंगे और मेरी यह आशा और ईश्वर से प्रार्थना है कि यहा के विद्यार्थी सच्चे और अच्छे विद्यार्थी निकलें, विद्या का अध्ययन करें और जहां तक हो सके अपने मस्तिष्क और दिमाग

---

उत्कल यूनिवर्सिटी के सीनेट भवन में शिलान्यास के समय भाषण, भुवनेश्वर, 1 जनवरी, 1958

को उन्नत बनावे, साथ ही साथ अपने शरीर को भी कमजोर, दुर्बल नही होने दें और दिमाग और शरीर के साथ-साथ चरित्र का भी ऐसा गठन रहे कि जो बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां आज भारतवर्ष पर आ पड़ रही है और जो बड़े-बड़े काम हमको करने है उनको करने के लिये योग्यता तथा बल शरीर, मस्तिष्क और चरित्र से वे पूरी तरह से पा सके और दे सके। इसीलिए एक ऐसे स्थान की जरूरत पड़ती है जहां निश्चिन्त होकर और सब तरह के प्रलोभनो से दूर रहकर विद्या की तरफ ध्यान अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही दे सके।

आजकल मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विद्या के केन्द्रो मे, अनेको केन्द्रो मे कुछ ऐसी आबोहवा बन जाती है जिसका फल यह होता है कि विद्यार्थियों का ध्यान जो उनका अपना वास्तविक काम है उससे हटकर दूसरी चीजो की तरफ चला जाता है। यह हमको समझ कर रखना चाहिये कि प्राचीन काल मे भी जो जीवन के चार विभाग चार आश्रमो के नाम से किये गये थे उनको आज उस नाम से हम पुकारे या नही पुकारे मगर आज भी इस चीज की जरूरत है कि प्रत्येक हम मे से अपने जीवन को इस तरीके से बाट ले कि जो जिस समय पर काम हो और सब से अच्छा काम हो सकता हो उस समय वही काम करे और ठीक तरह से करे। ऐसे जीवन का पहला चतुर्थांश विद्यार्थी अथवा ब्रह्मचर्य का जीवन हुआ करता था और वह समय होता था जब मनुष्य अपने बाकी जीवन के कामो को पूरा करने के लिये तैयारी करता था, जब वह चरित्र से, मस्तिष्क मे और शरीर से, हर तरह से अपने को इस योग्य बनाता था कि अपने ऊपर आनेवाली जवाबदारियो को वह पूरी तरह से निभा सके। आज भी यह जरूरी है कि हमारे विद्यार्थीगण इस चीज को समझे कि उन पर जिम्मेदारी आने वाली है ही, उनको सब कुछ करना है ही, आखिर जो लोग इस वक्त काम कर रहे है वे हमेशा के लिये रहने वाले है नही, वे चन्द दिनों के मेहमान है, वे जैसे-जैसे हटते जायेंगे, नये लोगों को आना पड़ेगा। जो आनेवाले है वे तैयार हो जायें तो अपने काम को वे खूबी के साथ और अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगर वे अपने जीवन के कार्यक्रम में व्यतितक्रम डाल देगे तो नतीजा यह होगा कि उनका समय पूरी तरह से और ठीक तरह से उपयोग में नही आ सकेगा। विद्यार्थी जीवन का समय जो तैयार होने का समय है काम करने मे लगे तो काम करने के समय आदमी से विद्यार्थी नही हो सकेगा, वह सीख नहीं सकेगा और बिना सीखे ही अपने सारे जीवन को उसे बिताना होगा।

दूसरा काम होता है जिस वक्त मनुष्य गृहस्थी के जीवन में प्रवेश करके अपने लिये, अपने कुटुम्ब के लिये, अपने परिवार के लिये, अपने घर के लिये, अपने

लोगो के लिये और जो दूसरे है जिनके साथ उसका घनिष्ट सम्बन्ध है उनके लिये जो कुछ वह कर सके पैदा करे, सब को सुखी बनावे, स्वयं सुखी रहे और दूसरों को सुखी बनावे। और तीसरा समय आता है जब वह अपने छोटे परिवार को बहुत बड़ा परिवार बनाकर सारे देश के लिये काम मे लग जाये और उस वक्त जो कुछ भी हो सकता है वह अपने लिये नही, न अपने परिवार के लिये बल्कि सब के लिये करे और वही वाणप्रस्थ है। वाणप्रस्थ का यह अर्थ नही है कि जगल मे जाकर आदमी बस जाये जहा किसी से मुलाकात नही हो। उसका अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य के जो छोटे-छोटे बधन उसके जीवन मे होते है उन बधनो से अपने को मुक्त करके एक बडे परिवार का अपने को सदस्य माने और उस परिवार की सेवा मे लग जाये। वह परिवार जिसकी जहां तक पहुच हो सकती है उतना बडा परिवार हो सकता है। अगर किसी की पहुच गाव तक ही हो तो वह गांव का काम करे, किसी की पहुंच देश तक हो तो देश का काम करे, किसी की पहुच संसार तक हो तो वह मनुष्य मात्र को अपनी सेवा दे सकता है। उस सेवा मे कही अह भाव अथवा स्वार्थ का भाव नही रहता, वह तो सेवा ही सेवा है। जो चौथा आश्रम है वहा तक तो बहुत पहुचेंगे ही नही, बहुत पहुचते नही। वह समय अपने को अर्पण करने के लिये है। इसको लोग चाहे आज नहीं माने लेकिन पहले तीन आश्रमो को तो आज भी मानना पड़गा और तभी यह मुमकिन है कि जीवन को ऐसा बना ले जिसमे जो काम जिस समय करना हो उसको करे।

यह सिद्धान्त आवश्यक है और उतना ही यह प्राचीन है। लेकिन प्राचीन होने से ही कोई चीज अच्छी हो ऐसी बात नही लेकिन प्राचीन होने से ही कोई चीज खराब हो ऐसी बात भी नही है : हमको विवेक से देखना चाहिये चाहे वह प्राचीन हो या नवीन हो कि कौन-सी ऐसी चीज है जो हमारे लिये अधिक लाभदायक है, ससार के लिये अधिक लाभदायक है, उसको स्वीकार करना चाहिये चाहे वह प्राचीन हो चाहे नवीन हो। बिना समझे-बूझे न तो किसी चीज का त्याग करना चाहिये और न उसका संग्रह करना चाहिये। तुलसीदास जी की एक लाइन है "संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने"। अर्थात् पहचान कर ही संग्रह करो अथवा त्याग करो, पहचानने के बाद ही किसी चीज को अपनाओ या छोड़ो। जिस चीज को लेना हो पहले अपनी बुद्धि लगाकर अपने विवेक से उसे देख लो। अगर प्राचीन चीज कोई लेनी है तो अपने विवेक से देख लो कि उसको संग्रह करना है या नही। नयी चीज हो तो भी देख लो कि कौन सी ऐसी चीज है जो अच्छी है और जो अच्छी लगे उसको अपना लो उसका संग्रह करो।

तो मै चाहूंगा कि एक ऐसे स्थान में जहां बहुत प्राचीन चीजों का जमाव जुटा हुआ है वहां पर आप बैठकर उसी विवेक से अपने काम में लगें और उन प्राचीन चीजों में जो कुछ अच्छाई है उसको निकालें और उससे प्रेरणा लें। मै तो यह भी कहूंगा कि जो भवन बनेगा उसमें भी इसी तरह के विवेक से आप काम ले। केवल यही नहीं कि आजकल के मकान जो एक प्रकार के हुआ करते हैं उनकी नकल करना हमारे लिये आवश्यक है या पुराने जमाने के जैसे कि यहां के मन्दिर जो एक प्रकार के हुआ करते थे ठीक उसी तरह से आप बनावे। हम तो चाहेंगे कि प्राचीन तथा नवीन दोनों का सम्मिश्रण करके सुन्दर से सुन्दर, अच्छा से अच्छा आराम देनेवाला भवन बने जहां सब बातें मिल सकें जो देखने में बढ़िया से बढ़िया हो, जहां रोशनी, हवा आदि का प्रबन्ध हो और जहां आप अच्छी तरह से काम कर सकें और साथ ही खूबसूरती भी चाहिये जिनको देखकर सब का मन, अध्यापको तथा विद्यार्थियों का मन प्रफुल्लित हो जाये। इन सब चीजों का सम्मिश्रण होगा तो वह एक ऐसा शानदार भवन बनेगा जिसकी ख्याति केवल आपके ही सारे प्रान्त में नही, मै तो आशा करूंगा कि और दूर तक फैलेगी। आपके प्रान्त को अपने अधिकार मे तो ले ही लेगा।

मैं आशा करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी में आप इस प्रकार के छात्र तैयार करेंगे जो ऊंचे से ऊंचे विज्ञान को सीखें पढ़ें, उससे जो कुछ लाभ उठा सकते हों लाभ उठायें और लोगों को भी तैयार करें जिसमें जो कुछ अच्छाई हो जो थोड़ा भी आध्यात्मिक तरह से ऊंचा ले जा सकती हो उसको सीखें और अपनावें और मिला-जुलाकर एक ऐसी हवा तैयार करें जिसमें सब लोग सुखी और उन्नत हो सकें।

जैसा मैंने पहले कहा मै आपका आभारी हूं कि मुझे आपने मौका दिया कि इस भवन के निर्माण में कुछ हाथ लगा दू। मेरा काम कुछ बड़ा तो नहीं है मगर जरूरी है। जिस तरह से नीव का पत्थर नीचे रहेगा लेकिन काम देता रहेगा उसी प्रकार से मेरी भी सेवा की अगर ज़रूरत हो तो वह आपको मिलती रहेगी।

# मैत्री दिवस और विश्व शान्ति

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गत वर्ष की तरह इस बार भी अणुव्रत समिति द्वारा आयोजित समारोह में मैं भाग ले रहा हूं। मैत्री दिवस के आयोजन का विचार करते ही कुछ आश्चर्य-सा होता है कि मानव सामाज की स्थिति ऐसी डांवाडोल क्यों हो कि मैत्री जैसे सहज और स्वाभाविक भाव पर जोर देने की जरूरत पड़े। किन्तु इस सुखद और कटु सत्य से हम आंख नही मीच सकते कि समाज और संसार की स्थिति वास्तव मे ऐसी है कि समाज के विभिन्न अंगों और राष्ट्रों के बीच मैत्री का नारा लगाना आवश्यक जान पड़ता है। इस बात को देखकर और भी खेद होता है कि यद्यपि कई शताब्दियों से मानव समाज विज्ञान की उन्नति और भौतिक साधनों के विकास के कारण काफी आगे बढ़ चुका है, दुर्भाग्य से यह भौतिक प्रगति एकांगी रही, क्योंकि मानव उसी गति से जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की उन्नति नहीं कर पाया है। यही नही, हम यह भी कह सकते है कि कुछ समय से आध्यात्मिक तत्त्वों की अवहेलना हुई है।

वैज्ञानिक आविष्कारों के बहुत आगे बढ़ जाने से मानव में प्रकृति के साधनों पर इतना अधिकार कर लिया है कि विभिन्न प्रकार के विनाशकारी शस्त्रास्त्र उसके हाथ लग गये है। चिन्ता का तात्कालिक कारण यही है कि यदि राष्ट्रों में पारस्परिक मनमुटाव बना रहा और युद्ध के कारणों को दूर कर स्थायी शान्ति की स्थापना नहीं की जा सकी तो भावी युद्ध इतना भयंकर होगा कि उससे मानव समाज का अस्तित्व और आधुनिक सभ्यता दोनों ही संकट मे पड जायेंगे।

यही कारण है कि विचारशील लोग अब जीवन के आध्यात्मिक पहलू पर विचार करने का आग्रह कर रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ मानव आध्यात्मिक तत्वों को भी अपने दैनिक जीवन और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार मे ग्रहण करने का यत्न करे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अणुव्रत संघ के तत्वावधान में मैत्री दिवस का आयोजन किया गया है। अणुव्रत संघ इस दिशा मे कई वर्षों से प्रशंसनीय कार्य कर रहा है और इसके लिये सघ के नेता आचार्य तुलसी जी तथा दूसरे सदस्यगण बधाई के पात्र है अणुव्रत सघ भगवान महावीर और अन्य जैन मुनियों तथा भारतीय सन्तों के आदर्शों से अनुप्राणित हुआ है, इसलिये संघ के प्रयास तथा उसके आदर्श भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के सर्वथा अनुकूल है और उसे समझने अथवा उसके पालन करने मे हमारे लिये अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

---

मैत्री दिवस समारोह में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1958

यह सौभाग्य का विषय है कि इस विचारधारा को बहुतेरे विदेशी लोग भी स्वीकार करने लगे हैं। सभी लोग यह स्वीकार करते है कि संसार की सब से बडी ग्रावश्यकता स्थायी शान्ति की स्थापना है। यह उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है कि जबकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो ग्रौर किसी भी धर्म का ग्रनुयायी हो, ग्रपने मन मे दूसरे के प्रति मैत्री की भावना का संचार करे ग्रौर उसके ग्रनुसार दैनिक जीवन मे ग्राचरण करे। इस दृष्टि से देखा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि इस महान् प्रयास मे प्रत्येक व्यक्ति का, छोटे से छोट ग्रौर बडे से बड व्यक्ति का, सहयोग मूल्यवान है। हम सब लोग मानव समाज क सदस्य हैं ग्रौर इस समय हमे दूसरों की चिन्ता न कर ग्रपने-ग्रपने ग्राचार तथा व्यवहार को उन्नत करने की ग्रोर ध्यान देना चाहिये। इसी मे व्यक्ति ग्रौर समष्टि दोनो का हित सन्निहित है।

मैं मैत्री दिवस ग्रायोजन का स्वागत करता हू ग्रौर यह ग्राशा करता हू कि यह प्रयास ग्रब व्यक्ति की शुभ कामनाग्रो ग्रौर मैत्रीपूर्ण भावनाग्रो से पुष्ट होकर मानव समाज के लिए कल्याणकारी प्रभाव का रूप धारण करेगा। इस ग्रवसर पर मैं ग्रौर ग्रधिक कहने की ग्रावश्यकता नही समझता, क्योकि बात बहुत सरल है ग्रौर कहने सुनने की ग्रपेक्षा विश्वास करने ग्रौर जीवन मे उतारने की ग्रधिक है।

मैं इस ग्रायोजन की सफलता की कामना करता हूं ग्रौर मेरी यह प्रार्थना है कि ससार भर के सभी राष्ट्र ग्रौर मानव समाज के सभी ग्रग इस सद्भावना से प्रेरित हों ग्रौर शान्ति स्थापना मे योग दान दे।

# काशीराज ट्रस्ट का उद्घाटन

महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम महाराजा बहादुर,
बहिनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बडी प्रसन्नता है कि आपने मुझे यह सुअवसर दिया कि मै इस अखिल भारतीय काशी राज ट्रस्ट का उद्घाटन कर सकू । जैसा कि अभी महाराजा साहब ने बताया है, आरम्भ से मेरी कुछ दिलचस्पी इस ट्रस्ट मे रही है और वह इसलिये कि मै चाहता था और आज और भी चाहता हू कि काशी नगरी मे जो अनन्त काल से हमारी सभ्यता और सस्कृति की प्रतीक बनी रही है उस सस्कृति को जीवित और जागृत रखने के लिए एक ऐसी सस्था स्थापित हो जाय जो हमारे प्राचीन ग्रथो का फिर प्रकाशन करके उन ग्रथो मे जो कुछ हमने अपना लिया और दूसरो के लिये लाभप्रद सामग्री मिलती है उसका प्रकाशन करती रहे और सारे देश को एक प्रकार से एक नया जीवन देने मे अग्रसर होती रहे ।

इसी विचार से इस ट्रस्ट का जन्म हुआ है । इस ट्रस्ट ने जो पहला काम अपने हाथ मे लिया है वह स्वय एक अत्यन्त महत्व का काम है । और सस्थाए देश में आज है जो इस प्रकार काम किसी न किसी अंश मे करती रहती है, जो हमारे प्राचीन ग्रथो मे सकलन करके, सशोधन करके उनको फिर प्रकाशन करने मे लगी हुई है । पूना से महाभारत का एक ऐसा सशोधित सस्करण निकल रहा है, बड़ौदा से रामायण का निकल रहा है और सरबश कही से निकल रहा है । इस प्रकार अनेक स्थानो से अनेक ग्रंथो का प्रकाशन किया जा रहा है । यहा से ट्रस्ट की ओर से जो पहला काम हाथ मे लिया जा रहा है वह पुराने सस्करणो का प्रकाशन है । हमारे पुराणो मे इतनी सामग्री भरी पड़ी है कि जिसका अध्ययन इस नवयुग मे नई दृष्टि से किये जाने पर भी हमे बहुत कुछ उनसे मिलेगा, ऐसा मै मानता हूं । इसलिये, उनका अध्ययन और ज्ञापन तभी सहज और सुगम हो सकता है जब उनके सुन्दर, सुलभ सस्करण लोगो को मिल सके । इसलिये पहला काम जो ट्रस्ट ने उठाया है वह पुराणो के सस्करणों का निकालना है और मैंने सुना है कि इस काम को आरम्भ किये कुछ दिन बीत चुके है और एक पुराण प्राय: छापेखाने मे भेजे जाने के लिए तैयार है और वह शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेगा । मै मानता हूं कि प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों को इकट्ठा कर, सब को मिलान करके ऐसा फल निकालना जो सब से शुद्ध और संशोधित और प्रामाणिक

---

वाराणसी मे अखिल भारतीय काशी राज ट्रस्ट के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, 12 जनवरी, 1958

समझा जाय, सहज काम नही है । इसमें विद्वानों की जरूरत है और ऐसे विद्वान जो प्राय: समालोचना की दृष्टि से इन सब का अध्ययन करके इस बात का निश्चय कर सके कि सब से प्रामाणिक बात कौन है । इसलिये इस स्थान में जो हमेशा से विद्वानों का स्थान रहा है और अब भी है इस प्रकार की संस्थाओ का होना एक प्रकार से सुगम भी है क्योंकि यहां हमेशा प्राचीन काल से भारत वर्ष के विद्वान किसी न किसी रूप मे आ जाते है, एक प्रकार से बस जाते है और अपने जीवन के काम को समाप्त यहां पर किया करते है । तो ऐसे स्थान मे, इस प्रकार के संशोधन के काम को पूरी सहायता मिल सकती है, बहुत सुविधा हो सकती है, इस ख्याल से इस ट्रस्ट का होना और इस प्रकार की संस्थाओं का होना आवश्यक ही नहीं एक प्रकार से अनिवार्य है । इसलिये जब यह विचार हुआ कि इस प्रकार की संस्था होनी चाहिये तब से मेरी दिलचस्पी उसमें रही और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो वादा मैंने महाराजा साहब को किया था उस समय कि स्वयं हाजिर होऊंगा उस वादे को आज मै पूरा कर सका हूं और इस ट्रस्ट के उद्घाटन के इस समारोह में मै आज शरीक हो सकां हूं ।

ट्रस्ट ने और भी कई प्रकार के काम करने के लिये सोच रखा है । उनमें से जैसा कि मैंने देखा है एक काम यह है कि जो अनेकानेक यात्री दूर-दूर से यहां आते हैं उनको आज तरह-तरह के कष्ट हुआ करते है क्योंकि जो पुरानी पद्धति इस तरह के यात्रियों के रहन-सहन की सुविधा के लिये थी वह पद्धति अब ढीली और कमजोर पड़ गई है और पड़ती जा रही है, उसके लिये भी साधन सामान जमा करना और उनको सुविधा देना भी ट्रस्ट ने सोचा है । मगर ये दोनों काम दो प्रकार के काम है । एक में विद्वान की सहायता आवश्यकीय है और दूसरे में ऐसे लोगों की सहायता जरूरी है जो अच्छा प्रबन्ध कर सकते है । मै आशा करता हूं कि दोनों प्रकार के लोग ट्रस्ट को मिल जायेंगे और इस काम को चलायेंगे ।

काशी एक ऐसी नगरी है जहां पर सारे भारत वर्ष के धनी-मान्य लोग, राजा-रजवाड़े, सेठ-साहूकार कुछ न कुछ कृति करना अपना धर्म समझा करते थे । उनकी कृतिया आज भी इस नगरी में चारों तरफ फैली हुई है और मौजूद है । उनमें से बहुतेरों की स्थिति आज बदल गई है और बदलती जा रही है । यहां के घाटों को ही ले लीजिये । कितनी सहृदयता और भक्ति से, कितने खर्च से कितने लोगों ने उनका निर्माण कराया था । आज उन में बहुतेरों की हालत बहुत रद्दी हो रही है । प्राचीन चीजों को पुनर्जीवित करना, उनकी रक्षा का प्रबन्ध करना जो

यहां की विशेषताएं हे वह हमेशा कायम हो जायं, आवश्यक है। हमारी संस्कृति की रक्षा का एक उपाय और रास्ता यह भी है कि हमारे प्राचीन स्थानों की रक्षा की जाय और उनमें काशी से बढ़कर शायद ही दूसरी जगह भारतवर्ष में है जिसका इतना मान हो और जो इतने प्राचीन काल से आज तक एक प्रकार से सर्वमान्य रही हो। इसलिये, जो कुछ भी इस दिशा में किया जाय वह केवल वांछनीय ही नही आवश्यक भी है और मै आशा करता हूं कि जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ट्रस्ट को २५,०००) रु० वार्षिक सहायता का प्रबन्ध किया है, उस तरह की और भी सहायता इतनी मिलेगी कि वह अपने इस महान् कार्य को ठीक तरह से संपादित कर सके और केवल अपने लिये ही नहीं, ज्ञान के लिये, और देश के लिये यहां से काम कर सके। मै आशा करता हूं कि जो उद्देश्य ट्रस्ट ने अपने सामने रखे हे उन ऊंचे उद्देश्यों की पूर्ति होगी और काशी, जिस तरह से प्राचीन काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक बनी रही है, उसी तरह से आगे भी बनी रहेगी।

मै इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि हम सब मिल कर विश्वनाथ जी से इस बात की प्रार्थना करें कि वे इस पवित्र कार्य को अच्छी तरह से अपनी कृपा का पात्र बनाकर इसकी सहायता करते रहें।

# जनता के प्रतिनिधियों से

राज्यपाल महोदय, चौधरी चरण सिह जी, बहनो और भाइयो,

मै इस बार विशेष करके इस काम के लिये निकला था कि खुद जाकर इन इलाकों के उन हिस्सों को देख लू और वहा का हाल सुन लू जहा से यह खबर पहुंची थी कि वहा सूखा की वजह से खास करके लोगो को तकलीफ पहुंची है। जैसा आपने कहा, इन कई जिलाओ में इसी साल नही पहले कई वर्षों से फसल की नुकसानी होती रही है और कभी १६ आने फसल इधर कई वर्षों से नही हो पायी है। उसका असर साल ब साल कुछ न कुछ जमता गया है और इस साल जो बहुत हिस्सों में सूखा पड़ा उसका नतीजा यह हुआ है कि इस मरतब तकलीफ मालूम हुई है और लोग महसूस कर रहे है। ऐसे मौकों पर गवर्नमेंट का हमेशा फर्ज हुआ करता है और मै जानता हूं कि यहां की गवर्नमेंट और केन्द्र की गवर्नमेंट दोनों इस बात को महसूस कर रही है कि बडे पैमाने पर उनको कुछ न कुछ करना पडेगा क्योकि यह सूखा एक बहुत बडे क्षेत्र पर पडा है।

आपने इस प्रान्त के पूर्वी हिस्से के १५ जिलाओं के नाम बताये। बिहार मे १६ या १७ जिले है और कोई भी जिला वहा ऐसा नही है जिसकी हालत खराब नही हो। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्से है जहा की हालत अच्छी नही है। उडीसा की हालत भी जहा चन्द दिनों पहले मै गया था अच्छी नही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलाओं से जो रिपोर्ट मुझे मिली है उससे मालूम हुआ है कि वहा सूखा की वजह से लोगों को कष्ट है। तो भारतवर्ष के एक-तिहाई हिस्से में या मुमकिन है कि उससे भी ज्यादा हिस्से मे सूखा की वजह से लोगो को कष्ट हुआ है और हो रहा है। इसमें पहली बात तो यह सामने आयी है कि अगर अन्न की देश के अन्दर कमी हो जाये तो फिर लोगों को क्या खिलाया जाये और क्या दिया जाये। अभी बराबर से हम कुछ न कुछ अन्न विदेशो से मंगाते रहे है और पहले से मंगाए हुए अन्न मे से कुछ बचा हुआ है उसको हम इस वक्त खर्च कर रहे है और जो हर जिले की माग है उससे ज्यादा और भी अन्न विदेशों से मंगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। आज यह कहना जरा मुश्किल है कि कितना हमको मिलेगा और कितना हम ले सकेंगे क्योंकि उसमें दो प्रकार की दिक्कतें है और उन दोनो दिक्कतों को हम महसूस कर रहे है। एक दिक्कत तो यह है कि सभी जगहो मे अन्न हमको नही मिल सकता, जो अन्न आज हमको चाहिये, जिसको यहां के

---

काशी तथा गोरखपुर मे जनता के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अफसरो की बैठक मे भाषण, 12 जनवरी, 1958

लोग खाने के ग्रादी रहे है, खास करके चावल। उन हिस्सों के लोग जहा कष्ट ग्राया है ग्रधिक करके चावल खानेवाले है। बिहार के लोग खास करके चावल खाते है। उड़ीसा में चावल के ग्रलावा ग्रौर कुछ खाते नही ग्रौर बंगाल के लोग, वहां जो बाहर के लोग गये हुए है वे गेहूं भी खाते है, ज्यादा चावल ही खाते है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के लोग चावल ही खाते है। तो चावल जितना हमको चाहिए उतना ग्राज संसार के देशों से हमको नहीं मिल सकता है। तो खामखाह हमको दूसरे ग्रन्न पर भरोसा करना पडता है ग्रौर यही सोच करके गेहूं ग्रौर ग्रगर जरूरत पड़ी तो बाजरी, मक्की ये चीजें भी बाहर से लेनी पडेंगी ग्रौर लेकर के देश में रखी जायेंगी।

ग्रभी इस वक्त तक खैरियत है कि जो ग्रन्न हमारे पास है वह जहां-जहा दुकाने गवर्नमेंट की तरफ से खोली गयी है या जहां खोलने की जरूरत समझी जाये उनके लिये ग्रन्न हमारे पास है ग्रौर उन दुकानों की मार्फत हम लोगों को ग्रन्न पहुंचा देंगे ग्रौर ग्रागे के लिये ऐसा कहा जाता है कि चावल को छोड़कर दूसरे प्रकार के ग्रन्न जरूरत के मुताबिक लिये गये है। मगर ग्राज इतमिनान के साथ हम नही कह सकते कि जितना चाहिये हम ले सकेंगे।

इसमें दूसरी दिक्कत भी होती है। ग्रन्न का दाम भी देना पड़ता है ग्रौर उसके लिये विदेशी मुद्रा चाहिये। विदेशी मुद्रा हमारे पास नही है। हम विदेशो को कोई चीज बेचते है उसके बदले मे जो दाम हमको मिलता है उस दाम को देकर जो माल हम लेना चाहते है जिसमें ग्रन्न भी है हम लेते है। तो हमारे पास इतना निर्यात करने के लिये दूसरे माल नही है कि जितनी हमको जरूरत है उतना हम पा सकें ग्रौर ग्रपनी जरूरत की चीजें खरीद सकें। इसीलिए गवर्नमेंट मजबूर होकर विदेशों से ग्रन्य चीजें मंगाने में रोक थाम कर रही है ग्रौर कोशिश इस बात की हो रही है कि जहां तक हो सके जो निहायत जरूरी चीजें है, जिनके बिना काम रुक जायेगा उनको छोडकर ग्रौर चीजों की विदेशों से खरीद जहा तक हो कम कर सकें करे। ग्रन्न लेन में भी दिक्कत होगी क्योंकि जो ग्रन्न ग्रायेगा उसका दाम हमको देना पड़ेगा। तो इतनी दिक्कतें सामने है तो भी ग्राशा तो यह जरूर है ग्रौर गवर्नमेंट का प्रयत्न भी हो रहा है कि चाह जो हो मगर इस सूखे के कारण भूखमरी से किसी को वह नही मरने देगी ग्रौर उसको इतना विश्वास है कि सब के लिये वह ग्रन्न पहुंचा सकेगी ग्रौर दे सकेगी।

यह मैने ग्रापको इसलिये बताया कि जो गवर्नमेंट के सामने दिक्कतें है उन पर भी ग्रापको हमेशा ध्यान रखना चाहिये क्योंकि ग्राज मुझ से कई भाइयों ने कहा

ग्रौर कल काशी में जो बातचीत हुई थी वहां भी कहा था कि लगान वसूली जो हो रही है उसको बन्द कर देना चाहिये। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि जो स्कूलों ग्रौर कालेजों में लड़कों से फीस ली जाती है वह भी माफ होनी चाहिये। जो तक्कावी की वसूली हो रही है वह भी बन्द होनी चाहिये। जो लोग दे नहीं सकते हैं उनसे गवर्नमेंट लेना भी चाहे तो क्या ले सकती है? मगर ग्रगर ग्राज भी कुछ लोगों के पास ग्रपनी शक्ति है ग्रौर जो दे सकते हैं, पूरा नहीं दे सकते हों, कम दे सकते हों तो इसमें सब का प्रयत्न यह होना चाहिये कि जहां वसूली हो सकती है उसमें मदद करें। ग्राखिर गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिये कोई दूसरा जरिया तो है नहीं; ग्राप से लेकर दूसरे रूप में वह लोगों में बांटती है। गवर्नमेंट के पास ग्रपना कोई ऐसा जरिया है नही कि वह कही पैदा करती हो। जनता पैदा करती है, गवर्नमेंट उसी का एक हिस्सा लेती है ग्रौर उसे दूसरे तरीके से बांट देती है।

यह एक बड़ा देश है। ऐसा जरूर होता है कि उसके एक हिस्से में कुछ कमी हो जाती है ग्रौर दूसरे हिस्से में काफी रहता है तो दूसरे हिस्से की ग्रामदनी पूरे हिस्से में वह देता है ग्रौर इस तरह से दुखको भी ग्रापस में बांट करके गुजर कर लेता है। तो इत्तिफाक से इस बार उसी हिस्से की बारी है जिसकी जरूरत है। तो गवर्नमेंट भी मदद करेगी तो ग्राप समझें कि दूसरी जगहों से लेगी तो ग्रापकी मदद करेगी। ग्रौर यहां उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो ग्रापकी मदद करेगी वह जो कुछ यहां ग्रापसे उसको मिलेगा या जो कुछ प्रान्त के ग्रौर हिस्सों से यहां के जैसा दुर्भिक्ष नहीं है वहां से निकाल सकेगी उसी से मदद करेगी। मदद करने का जो साधन ग्रौर जरिया उसको है उसी के ग्रन्दर वह मदद कर सकती है। सब से पहला काम तो यह है कि कोई भूख मरने न पावे। जिसमें कष्ट जहां तक कम हो सके काम किया जाये ग्रौर मुझे तो विश्वास है ग्रौर मैं ग्रापसे कहूंगा कि ग्राप भी विश्वास रखें कि गवर्नमेंट कोई दूसरी नहीं है, ग्रापकी ही गवर्नमेंट है। ग्रापने ही उसको बनाया है। चन्द ग्रादमियों को काम के लिये उसने मुकरर कर दिया है। इसलिये वह जनता से ग्रलग नहीं है। इसलिये सब को मिलजुल कर एक साथ होकर काम करना चाहिये। बहुत जमाने के बाद हमको काम करना पड़ा है ग्रौर हम ग्रपनी ग्रक्ल के मुताबिक जहां तक हो सकता है कोशिश कर रहे हैं ग्रौर ग्रापको इतना विश्वास रखना चाहिये कि ऐसे मामले में जहां लोगों के जीवन का सवाल होता है, जहां लोगों को कष्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट की नियत नहीं होती ग्रौर ग्रपने देश की गवर्नमेंट की नियत नहीं हो सकती कि जान-बूझकर उनको कष्ट पहुंचावे। हां इन्तजाम में गलती होना सम्भव है ग्रौर गवर्नमेंट से भी गलती हो सकती है। हो सकता है कि जितना गवर्नमेंट कर रही है वह काफी नही है, हो सकता है कि

आप समझते हों कि जहां मदद होनी चाहिये वहां नही पहुंचकर दूसरी जगह मदद पहुंच रही है। इस तरह की गलती हो सकती है। इस गलती को उनको बताना चाहिये, समझाना और दिखलाना चाहिये कि यहां पर काम ठीक नही चल रहा है और उसमें आप अपनी तरफ से सहयोग दें जिसमें काम सम्भल जाये, बन जाये। जो गलती हो रही है वह ठीक होनी चाहिये और यह नही कि सिर्फ हमने बता दिया और उसके बाद हमारा हाथ नही रहा। गलती को सुधारने में जहां तक हो आपका हाथ रहना चाहिये और जहां गवर्नमेंट समझे कि आपकी मदद आवश्यक है वहां आपको मदद देनी चाहिये।

मैं तो आया था कि अपनी आंखों से देख लूं, अपने कानों से सुन लूं। सभी जगहों में जाना तो सम्भव नही हुआ पर वहा के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, थोड़ा बहुत देखने का भी मौका मिला। जिन लोगों से मुलाकात हुई उन लोगों ने सब बात मुझे बता दी और मैंने सुन ली और मुझे इस बात की बड़ी खुशी रही कि सिर्फ मैंने ही नही सुनी बल्कि आपके राज्यपाल भी वहां मौजूद रहे और आपके मन्त्री भी मौजूद थे। कल कमलापति जी त्रिपाठी थे और यहां चरणसिह जी मौजूद रहे और उन्होंने सारी बातें सुनी और मैं आशा करता हूं कि जो गलती होगी उसको सुधारेंगे। जो कर रहे हैं उससे उनको भी संतोष नहीं होगा कि वे पूरा कर रहे हैं क्योंकि यह काम ऐसा गवर्नमेंट इतना कर भी नहीं सकती। इसलिये संतोष तो पूरा कभी न किसी को हुआ है और न होगा। जितना हो सका है उसका अंजाम उन्होंने दिया है और मदद भी दी है। उनको आश्वासन देने की जरूरत नही है। मेरा विश्वास है कि साधन के अनुसार स्थिति को देखकर उनके पास जो जरिया है सब लोगों तक पहुंचायेगे, सब चीजो को ध्यान में रखते हुए जहां तक हो सकता है वह जरूर कोशिश करेंगी।

अब दो प्रकार की चीजें है। कुछ तो ऐसी चीजें है कि हम दीर्घकाल तक कुछ ऐसा इन्तजाम करें कि हमेशा के लिये मुसीबत टल जाये या लोगों में इतनी शक्ति हो कि वह मुकाबला कर सके और तात्कालिक तकलीफ हो रही है उसको दूर करें। तात्कालिक तकलीफ जो हो रही है उसके लिये जहां तहां कुछ काम हो रहा है और जहां जरूरत होगी, और काम फैलेगा जिसमे लोगों को मौका मिल जाये, कुछ पैदा करके अन्न जुटाने का मौका मिल जाये और इसके अलावे जहां-जहां जरूरत होगी अन्न बांटेंगे, ऐसे लोग जो काम नही कर सकते उनके पास भी देंगे। सभी जगहों में दुकानें खोलकर मुनासिब दाम पर अन्न मिल जाये ऐसा भी इन्तजाम होगा। अभी फसल के लिये जो काम जल्दी से हो सकेगा उसका भी प्रबन्ध हो रहा

है जैसे कुएं खोदवाना, छोटे-छोटे बाध बधवाना, नहर खोदवाना और इसी तरह के जो और काम हो सकते है जिनको तत्काल इसी साल के अन्दर में बना सकते है इस तरह के काम भी सोचे गये है और मैंने सुना है कि हो रहा है।

जो पंचवर्षीय योजना सोची गयी थी उसका अधिकतर काम पूरा किया गया और अभी काम हो रहा है। एक साल के अन्दर दूसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होगी। जो कुछ हो रहा है उसको आप जानते है। जो योजना है वह भी आपके सामने है। उसमे कोई त्रुटि हो तो उसे आप उनके सामने लावे। ऐसी बात नही है कि वे आपकी बात नही सुनेगे। उनका भी धर्म है कि आपकी बात सुने और सब काम करे।

बड़ी-बडी योजनाओं के बारे मे मैंने कहा। उसमे राप्ति और घाघरा नदियो को बांधने की बात भी आती है। जब तक इन नदियों को बांधा नही जायेगा तब तक इन कई जिलाओ का दु:ख दूर नही होगा। उसमें समय लगता है। उसके लिये गवर्नमेट और तरह की योजनाए हाथ मे ले ही रही है। कुछ पहली पचवर्षीय योजना मे काम हुआ है। दूसरी पचवर्षीय योजना मे भी इसी तरह का काम लेने को सोचा गया है। आइन्दे भी इस तरह का काम करते ही जाना है। तो मै यही कहूंगा कि दोनो प्रकार के काम में जो कुछ आपसे सहायता हो सके दें और लोगों को इस बात को समझाये और बताये कि क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है और अभी क्या होना चाहिये। इसमे शक नही कि जो भी काम हो वह पूरा हो। लेकिन सवाल यह है कि आज कौन होना चाहिये। इन चीजों को ध्यान मे रखते हुए सलाह दीजिये और हाथ बटाइये और जनता को भी बतलाइये कि इस वक्त जितना हो सकता है उतना करने का प्रबन्ध सोचा गया है जिसमे उनको भी घुला-मिला सके क्योंकि कोई भी काम जनता की मदद के बिना नही हो सकता है। तो जनता को और आपको जो जनता के नुमाइन्दे है समझना चाहिये कि आपका और गवर्नमेट के कर्मचारियों का सहयोग होगा तो जो सकट है वह कट जायेगा। सब चीजो के लिये एक तरह से स्वाभाविक समय हुआ करता है और जब वह समय आ जायेगा तो बड़ी-बड़ी योजनाएं भी आगे बढ़ जायेगी।

# कुष्ठरोग की रोकथाम के उपाय

राज्यपाल महोदय, मन्त्री महोदय, इस आश्रम के अधिकारीगण तथा दूसरे भाइयो,

मुझे इस बात की खुशी है कि आज मै आपके इस आश्रम में आ सका । मैं पहले ही आनेवाला था । जिस वक्त आपका सम्मेलन हुआ था उस वक्त मुझ से आग्रह किया गया था कि मै यहा आऊ और मेरी अपनी इच्छा भी थी मगर काम का कुछ ऐसा अवसर रहा जिससे मै उस वक्त नही आ सका । अब जब मै इधर आया तो मै ने समझा कि यह मौका है कि इस आश्रम से होकर जाऊ । यों तो यहां की सब खबर थोड़ी बहुत मिलती रहती है कि किस तरह से आपका काम हो रहा है और चारों तरफ फैलता जा रहा है । मेरवा मे भी इस तरह का काम चल रहा है । उसे देखने का एक दो मरतबे मुझे मौका मिला है क्योंकि वह मेरे घर के पास ही है, किसी न किसी तरह से वहां जाने का मौका मिल जाता है । इसलिये मै समझ सकता हू कि आपका काम बहुत ही अच्छा होता होगा । मगर काम बहुत बड़ा है ।

कोई भी काम हो, अगर काम करनेवाले अच्छे हो तो बड़ा से बड़ा काम पूरा हो जाता है और यदि काम करनेवाले ठीक नही हों तो छोटा काम भी बिगड़ जाता है । सौभाग्य से आपको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो अपना सारा समय इस काम मे देते है और उनको सहारा देनेवाले लोग भी काफी मिल गये है जिनकी वजह से यह काम बढ रहा है । मै आशा करता हूं कि जिस तरीके से आप काम बढाना चाहते है उसमे आपको जो कठिनाई हो रही है वह दूर होगी । मै आशा करता हूं कि हर तरह की सहायता आपको गवर्नमेंट से तथा दूसरे लोगों से मिलती रहेगी ।

वही चीज है कुष्ठ निवारण का काम । यह इतना फैला हुआ रोग है, इतना खराब रोग है कि इसकी वजह से जो तकलीफ होती है वह तो होती ही है मगर मनुष्य का सारा जीवन एक प्रकार से बेकार हो जाता है । तो उससे बढ़ कर रोगी के लिये दूसरी सेवा और नहीं हो सकती है और इसलिये जो काम आपने किया है वह बहुत ही शुभ सेवा का काम है और इसमें जो समय लगे उससे बढ़कर समय का सदुपयोग नहीं हो सकता । मै इतना ही कहना चाहता हूं ।

---

कुष्ठाश्रम में भाषण; गोरखपुर, 13 जनवरी, 1958

बात यह है कि यह रोग सारे भारतवर्ष में फैला है। इस वक्त इस बात पर विचार-विमर्श हो रहा है कि किस तरह से इसको रोका जाये और किस तरह से जो रोगग्रस्त हो जाते हैं उनको स्वस्थ बना सकें। इसका जो तौर-तरीका है, इसकी जो चिकित्सा होती है वह इधर मैंने देखा है कि कई वर्षो के अन्दर बदली है। तो जैसे-जैसे विज्ञान की वृद्धि होगी, जैसे-जैसे वह बढ़ेगा, इसमें भी फर्क होता जायगा। इससे लाभ उठा कर जो सब से अच्छी चिकित्सा हो वह रोगियों को मिलनी चाहिये। अब एक चिकित्सा निकल गयी है जो बहुत आसान है। डाक्टर लोग पहले इस रोग के लिय इन्जेक्शन दिया करते थे जो मुश्किल काम पड़ता था क्योंकि उसमें डाक्टर लोग ही इन्जेक्शन दे सकते थे दूसरा कोई नहीं दे सकता था। एक डाक्टर कहां तक क्या कर सकता था। मैंने देखा है कि अस्पताल में जहां सैकड़ों रोगी आये हैं डाक्टर इन्जेक्शन लगाते जा रहे हैं। वह काम पूरा भी नहीं हो सकता था। कभी-कभी इन्जेक्शन नहीं लग पाता था क्योंकि कभी डाक्टर नही होते तो कभी रोगी नहीं आ सकते क्योंकि उनको दूर से आना पड़ता। जब से गोली खिलाने की बात हो गयी है यह काम सहज हो गया है क्योंकि गोली खिलाने मे डाक्टर की देखरेख की ज्यादा जरूरत नहीं होती होगी। तो अब मै समझता हूं कि यह काम बहुत सहज हो गया है।

इसके अलावा यह भी मैंने देखा है कि जो रोगी घर से निकल जाते है उनकी दशा और खराब हो जाती है। उनको घर में रखने से दूसरों को रोग लगने का डर रहता है। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिये। इस बारे में भी मैंने सुना है कि लोग ऐसा इन्तजाम करने की सोच रहे है जिसमें न तो घर बिल्कुल छूटे और न रोगी घर में ही रहे। घर से दूर रोगी को अस्पताल में ले जाने से उसका घर से सम्पर्क छूट जाता है। अगर रोगी के संख्या बहुत कम हो तो गांव में ही ऐसे स्थान होते है जहां रोगी के रहने से लोगों से ज्यादा सम्पर्क नहीं रहेगा और वे भी समझेंगे कि उनका वहां रहना जरूरी है, अपने लिये जरूरी है, अपने बाल बच्चों के लिये जरूरी है और दूसरे लोगों के लिये भी उनका वहां रहना आवश्यक है। इस तरीके से यह काम हो सकता है। मै नहीं जानता हूं कि इस आश्रम में भी आपने कुछ काम शुरू किया है या नहीं। मगर वह काम करना पड़ेगा तभी आप रोग को काबू में ला सकेंगे। नहीं तो कुछ आदमी को आप आराम करते जायेंगे और दूसरे आदमी बीमार पड़ते जायेंगे। खेत में जैसे बथान होता है, वहां पर दो-चार झोंपड़े बन जायें और वहां के रोगी उस जगह जाकर रहने लगें और वहां ही उनको खाना-पीना दिया जाये तो इसमें खर्च भी कम पड़ेगा, गांव से सम्पर्क भी नही

छूटेगा और रोगी घर का काम भी कर सकेगा। मै आशा करता हूं कि इस तरह का इन्तजाम आप कर सकेंगे : अब ऐसी चिकित्सा निकल गयी है कि रोगी को दवा दे दी जाये और 10 दिन में भी दाक्टर देख आवे तो आपका काम पूरा हो जायगा ।

आपसे मै यह जानना चाहता हूं कि आपकी जो दवा इस वक्त हो रही है वह कहा से आपको मिल रही है ।

जिस तरह से आप लोग काम करते आ रहे है उसी तरह से करते रहेंगे ऐसी मेरी आशा है ।

# गोरखपुर में स्वागत समारोह

गोरखपुर जिला बोर्ड के अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण, तथा गोरखपुर नगरपालिका के अध्यक्ष तथा सदस्यगण,

आपने जिस उत्साह और सम्मान के साथ मुझे बुलाया है, यहा बैठाया है उसके लिये मैं आपका बहुत आभार मानता हूं।

आपने जो दिक्कते बतायी है और जिन दिक्कतों का आपको सामना, मुकाबला करना पड रहा है वे कुछ ऐसी चीजें है जो केवल यहा के लिये ही नही, सारे देश भर में किसी न किसी रूप में वे ही बाते पेश है और यह भी आपको मालूम होगा कि इस वक्त प्रान्तीय गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट दोनों का यही प्रयत्न है कि हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर किसी न किसी रूप में उठाया जाय, लोगों को जो कष्ट और तकलीफें है उनको किसी न किसी तरह से दूर किया जाय, लोगों को शिक्षा का अभाव है, जो बीमारी है, गरीबी है उनको कैसे रोका जाय। इसके अलावा जो दैवी प्रकोप बाढ़ के रूप मे, अनावृष्टि के रूप मे, अतिवृष्टि के रूप में आया करता है तथा इसी तरह की अन्य आपत्तियों से जहां तक लोगों की हिफाजत हम कर सकते है वह भी किया जा रहा है और आपने देखा है कि इन जिलों मे भी बहुतेरी नहरें बन रही है और बन गयी है और दूसरे तरीके भी आज काम में लाये जा रहे है जिनके जरिये से अनावृष्टि और अतिवृष्टि के प्रकोप को कम किया जा सके और लोग सफल हो सकें।

यह एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न भी हो रहा है जिसका प्रमाण आपके सामने जो नयी यूनिवर्सिटी है वह मौजूद है। इस तरह से स्कूलों और कालेजों की संख्या भी बढती जा रही है। यह ठीक है कि जितनी दूर और तेजी से हम चलना चाहते है वह नही हो सकता है। लेकिन वह स्वाभाविक है क्योंकि जो चीजें वर्षों में हो सकती है उनको वर्ष दो वर्ष के अन्दर कर देना न तो सम्भव है और न हम लोगों के काबू के अन्दर है। इसलिये जो समय लगता है तो समय के लिये आपको तैयार रहना चाहिये और गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ काम किया जा रहा है और किया जायगा उसमें जनता की तरफ से हमेशा यह ध्यान रहना चाहिये कि आज गवर्नमेंट उनसे कोई दूसरी चीज नही है। जितनी शक्ति आप उसे देंगे, जितनी शक्ति उसको मिल सकती है, जितना

---

गोरखपुर जिला बोर्ड तथा नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्र के उत्तर में भाषण, 13 जनवरी, 1958

काम ग्राप उनसे करा सकते हैं उतना ही काम वह कर सकती है। क्योंकि उसके साधन आपके ही हाथों में है। जन का साधन और धन का साधन दोनों जनता से उसको मिल सकते हैं और जन और धन जनता के पास है और उसी को लेकर वह काम कर सकती है। गवर्नमेंट के पास न तो कोई जरिया ग्रादमी पैदा करने का है और न दूसरा जरिया धन पैदा करने का है। उसका काम इतना ही है कि इन दोनों को जो जनता से मिलते हैं लेकर इकट्ठा कर देना और इकट्ठा करके ऐसी हालत मे रखना कि उससे अच्छा से अच्छा काम कर के लोगों को लाभ पहुंचा सके। यह काम जहां तक हो सकता है, जहां तक उसकी बुद्धि जाती है वह कर रही है और करना चाहती है। इसमें अगर कही कमी होती है उसको बताना आपका धर्म है और आपकी बतायी बातों को सुनना उसका धर्म है। साथ ही साथ हम यह भी चाहते है कि आप यह नहीं समझें कि एक दूसरे आदमी से काम कराना है। जिनको काम करना है वे आपके ही ग्रादमी हैं और उनसे ही इसको करना-कराना है, उनसे क्या आपको ही करना है और उसमें आपको भी योगदान देना है और आपको अपना हिस्सा बटाना है। अगर आप काम करते जायेंगे तो काम तेजी के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। मै ऐसी आशा रखता हूं कि जिस तरह से अब तक काम हुआ है उसी तरह से आगे भी काम होता जायगा तो ये सब दिक्कते कुछ दिनो में दूर हो जायेंगी।

स्वराज्य हाथ में आये 10 वर्ष हो गये। मगर उसके साथ ही जो मुसीबतें आयी, जो दिक्कतें आयी उनके सामने, उनके मुकाबले में, उनके बीच में इस तरह से काम हुआ है। केवल हम ही नही कहते, दूसरे देशों के लोग जो यहा आते हैं वे भी देखकर प्रभावित होते हैं। ऐसी हालत में न तो घबड़ाना चाहिये और न उसकी वजह से किसी पर दोषारोपण करना चाहिये बल्कि यह समझना चाहिये कि जो हो सकता है किया जा रहा है। उसमें त्रुटि हो तो उसको बताना चाहिये।

मै और दूसरा आपसे क्या कहूं। मैं तो आया हूं यह देखने और जानने के लिये कि इन इलाकों में सूखा की वजह से जो कष्ट है उसको अपनी आंखों से देख आऊं, लोगों से सुन आऊं जिसमें मुझे भी पता रहे क्योंकि कागजी रिपोर्ट से उतना पता नही लगता जितना आंखों से देखने और कानों से सुनने से। आज दो दिनों से इन इलाकों में फिरता रहा हूं और जितने लोगों से मिला हू उनसे जो कुछ में ने सुना है उसको गवर्नमेंट के पास रख दूंगा। शायद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके गवर्नर और मन्त्री सब जगह मौजूद रहे हैं मगर तो भी जो कुछ गवर्नमेंट को करना होगा उसके लिये उनके पास पहुंचा दूगा। जो जरूरत होती

है और गवर्नमेंट सहायता दे सकती है करती रहती है और आप इसका विश्वास रखें कि वह हमेशा सहायता करती जायगी। जहां पर जो कुछ करना होगा किसी बात में कुछ उठा नहीं रखेगी।

मैं आप सब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा सम्मान किया और मैं यहां आ सका। मुझे इस बात का अफसोस है कि बहुत से लोग यहां हाजिर नहीं हो सके, बड़ी सभा का आयोजन नहीं हो सका। मगर मैंने कह दिया है कि कल सवेरे यूनिवर्सिटी के अहाते में एक बड़ी सभा होगी जहां सभी लोग जो अर्ज करना होगा करें।

आपने जो मानपत्र दिया, मेहरबानी की, प्रेम दिखलाया सब के लिये धन्यवाद।

# गोरखपुर विश्वविद्यालय में

चान्सलर, वायस चान्सलर, देवियो और सज्जनो,

मुझे इस बात की खुशी है कि मै आपके इस यूनिवर्सिटी भवन में आ सका और जो कुछ काम अब तक हो चुका है या जो आप करना चाहते है उसका कुछ अन्दाज मुझे मिल गया। जैसा आपने कहा, कई वर्षों के प्रयत्न के बाद आपका यह काम आरम्भ हुआ है और दिन प्रति दिन इसमें तरक्की होती जा रही है। मै आशा करूंगा कि जो कुछ कार्यक्रम आप बनायेंगे उसमे गवर्नमेंट की मदद रहेगी और जनता की मदद मे आप उसको पूरा कर सकेंगे। मेरा आशीर्वाद हो कोई ऐसी बात नही है क्योंकि मैं समझता हू कि इस प्रकार के कालेजों की जरूरत है। इस देश के अन्दर जितना शिक्षा का प्रचार हम कर सकेंगे उतना ही देश को उन्नत कर सकेंगे।

मगर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध मे मुझे कभी-कभी ऐसा ख्याल भी होता है कि केवल पुराने ढर्रे पर चलने से हमारा काम नही चलेगा। इस वक्त अभी कालेजो और यूनिवर्सिटियों की संख्या पिछले 50 वर्षों मे बहुत ही बढ गई है। जब आज से 50 वर्ष पहले मैं पढ़ता था उस वक्त जितने कालेज थे आज शायद उतनी युनिवर्सिटियां कायम हो गयी है और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। जितने उस वक्त विद्यार्थी पढते थे न मालूम उससे कितने गुना उनकी संख्या बढ़ गयी है। कालेजों के विद्यार्थियों की भी संख्या बढी है। यह तो संतोष का विषय है। साथ ही हमको यह भी सोचना है कि शिक्षा पद्धति को हम ऐसे ढर्रे पर ले आवें जिसमें जो देश की जरूरत है, जो देश की माग है वैसे लोगों को हम इन संस्थाओं के जरिये पैदा कर सकें। बहुत करके जो कुछ काम अभी हम कर रहे हैं वह पुराना जो तरीका बन गया है जिसे अंग्रेजी सलतनत ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिये कायम किया था हम उसी रास्ते से चल रहे है। मै यह नही कहता कि वह रास्ता गलत है मगर हम को सोचना चाहिये कि उसमें हम किस तरह का परिवर्तन लावें कि उनके जरिये से हम देश की जरूरत को पूरा करा सकें। अभी कहना मुश्किल है, मैं नहीं कह सकता, यह तो विशेषज्ञों का काम है कि दोनों चीजों को मिलाकर सब से अच्छा रास्ता बता सकते हैं, कोई चीज ऐसी निकालें जिससे लाभ हो सके।

जो प्राथमिक शिक्षा है वह भी देश में काफी नही फैल सकी है और जो देश

---

विश्वविद्यालय भवन का निरीक्षण करने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्रिन्सिपल तथा प्राध्यापकों के सम्मुख भाषण; गोरखपुर, 14 जनवरी, 1958

का संविधान बनाने के समय हमने सोचा था कि 10, 15 साल क अन्दर प्राथमिक शिक्षा हम लोगों को दे सकेंगे वह भी पूरा होते नजर नही आता । उसमें आज कठिनाई खर्च की हो जाती है क्योकि जितनी जरूरतें हमारी हे उनको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन तथा सम्पत्ति नहीं कि हम सब को इकट्ठे पूरा कर सके । इसी वजह से बहुत कामों में हमको आहिस्ते चलना पड़ता है । इन सब को सोचकर हमारी जरूरत के अनुसार हमारी शिक्षा की पद्धति बनावे, चलावे जिसमें केवल हम ऐसे लोगो को ही पैदा नही करें जो यूनिवर्सिटी से निकल कर असंतुष्ट होकर संसार में रहें और असंतोष को फैलावे और बढ़ावें बल्कि जो कुछ असतोष है उसको दूर करने मे मददगार हो सके, उसको दबाकर दूर करने में नही बल्कि जिन कारणों से असंतोष है उसको दूर करने मे मददगार हो सके । मै उम्मीद करता हूं कि आप जब एक नयी यूनिवर्सिटी कायम कर रहे है और यहां बहुत मेदान खाली है, कोरे कागज पर लिखने का मौका है तो आपका ध्यान इन चीजों की ओर मेरा पूरा विश्वास है कि जरूर गया होगा और और भी ज्यादा ध्यान जाय जिसमें इस काम को आप पूरा कर सके यह मेरी मनोकामना है । में चाहता हूं कि इसमें आप पूरी तरह से सफल हो सके । सौभाग्य मे इसके लिये जब आपको एक स्थान मिल गया है तो अब आप प्रयोग करें । एक बार गोखले ने कहा था कि देश को मौका मिले तो जमीन पर अंगुली से लिखकर हम लोगों को शिक्षित कर लेंगे । तो आपको तो अब पूरा मौका है ।

महात्मा जी ने जो तालीमी संघ देश मे चलाया था उसका मुख्य अंग यही था कि प्राथमिक शिक्षा ऐसी हो जिसमें खर्च नही होना चाहिये और बच्चे बढ़े वे खुद पढ करके सीख करके इतनी चीजें पैदा करते जायं कि उन चीजों से उनकी पढाई का खर्च निकल जाये । तो हमारे यहा के शिक्षा विशारदों ने उस चीज को उस समय नापसन्द किया । उन्होंने कहा यह नही हो सकता है । कुछ ने धीमे शब्दों में मंजूर भी किया । पर अभी तक उसका पूरा इम्तिहान नही किया गया, प्रयोग करके नही देखा गया कि वह कहां तक चल सकता है । जहां प्रयोग हुआ उसका आशाजनक फल निकला । बिहार में प्रयोग हुआ है । थोड़े से प्रयोग से देखा गया कि 60 प्रतिशत तक खर्च निकल आता है । अगर ठीक से इस काम को चलाया जाये तो मुमकिन है कि और भी ज्यादा खर्च निकल आवे । अगर 50 प्रतिशत भी उससे खर्च निकल जाय तो गवर्नमेंट का बोझ हलका हो जाता है । इसी तरह से हमको सब जगहों के लिये सोचना है कि हम खर्च मे किस तरह से लोगो को शिक्षित और उन्नत कर सकें और उनके लिये किस तरह से रास्ता साफ कर सकें । यह तमाम जनता और जो शिक्षा विशारद है उनके लिये चुनौती है कि इस

गरीवी की हालत मे किस तरह से इस देश मे शिक्षा का प्रचार हो सकता है। और अगर हमे इन्तजार करते रहना पडे और अगर साथ-साथ जैसा मैंने कहा, असंतोष बढ़ता जायगा तो आगे क्या रूप होगा, कैसे चलेगा यह कहना मुश्किल है ।

इसलिये मै चाहता हू कि नये केन्द्र जो खुले उनमे ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि इन चीजो पर ध्यान जाये और हमेशा जाय । आज हम सायन्स का विशेष महत्व मानते है, उसकी ओर ध्यान जाये । उसके जरिये से बहुत उन्नति की गुंजाइश है । हम सोचे कि किस तरह से उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके और किस तरह से उसका प्रयोग करने से देश की गरीबी दूर करने मे मदद मिल सकती है । आपका ध्यान कृषि की ओर गया है । मै जानता हूं कि यहां के लोगों के पास छोटे-छोटे खेत है और उनके जरिये वह बहुत कुछ पैदा कर सकते है । यह विशारदो का काम है कि किस तरह से छोटी जमीन मे कम खर्च मे लोग ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकते है उनको बतावे । लोगो को अनुभव कुछ कम नही है । हजारो वर्षों से उन्होने खेत जोता है और आबाद किया है पर अभी भी जमीन उर्वरी बनी हुई है यह कम बुद्धिमानी का काम नही है । अमेरिका मे 100, 150 वर्षो से ही खेती होती है । पर वहा जमीन की उर्वरी शक्ति घटती जा रही है । हमारे यहां हजारो वर्षो के बाद भी वह कायम रही है । यह जाच करने लायक विषय है । मै आशा करूंगा कि यहां जो यूनिवर्सिटी होगी वह ऐसी चीजों को जाच करके उनके कारणो का पता लगायगी जो हमेशा के लिये लाभदायक हो । मुझे आशा और विश्वास है कि आपका ध्यान इस ओर गया होगा ।

मैं और दूसरा क्या कहू । मै आपसे क्षमा चाहता हू कि मैने कुछ ऐसी बाते कह दी जिनको कहने के लिये मै आया भी नही था । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

# जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार करना सबका कर्तव्य

राज्यपाल महोदय, श्री मन्त्रीजी, सभापति जी, बहनो तथा भाइयो,

मैं जब से आपके इस शहर मे पहुंचा हूं और जिधर-जिधर मुझे जाने का मौका मिला है, आपके प्रेम और उत्साह ने मुझे आकर्षित किया है। यों तो मै रहनेवाला भी ऐसी जगह का हूं कि जो यहा से ज्यादा दूर नहीं है और हर तरह से मेरा सम्पर्क और सम्बन्ध आपके इस जिले से आपके इस प्रान्त के और जिलो और जगहो के मुकाबले मे कही घनिष्ट रहा है और इसलिये जब मैंने यह सोचा कि जहा-जहां सूखा की वजह से या बाढ की वजह से लोगों को कष्ट पहुंचा है वहा जाकर लोगों मे मिलू और वहा का हाल-चाल कुछ देखू और सुनू तो स्वाभाविक रीति से आपके इस इलाके पर भी मेरा ध्यान गया।

अभी मैं हाल मे ही उड़ीसा गया था और इसके बाद आपके यहा आया हू और इसके बाद और प्रान्तों मे जाने का विचार है। इसलिये किसी एक जगह पर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं, जो थोड़ा बहुत समय दिल्ली के और कामो मे निकाल कर बचा सकता हूं और उतने समय में जहा बाहर मैं जा सकता हूं मैं जाने का प्रयत्न करता हूं। तो मुझे यहा आकर यद्यपि बहुत दूर जाकर बहुत जगहो को, गांवों को, इलाकों को देखने का मौका तो नही मिला मगर सब जगहो से जो आपके प्रतिनिधि लोग हैं उन लोगो से मेरी मुलाकात हुई और उनके जरिये से, गवर्नमेंट के कर्मचारियों के जरिये से, मिनिस्टर लोगों के जरिये से हालत बहुत मुझे मालूम हो गयी और इसलिये मैं जो जानकारी चाहता था वह जानकारी बहुत हद तक प्रत्यक्ष रूप से मिल गयी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर जब कोई ऐसी भारी विपत्ति सामने आ जाती है तो सब लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिये और गवर्नमेंट का भी यह धर्म है कि जहां तक हो सके लोगों को मदद पहुंचाकर उनको मुसीबत से बचाने का वह प्रयत्न करे। मुझे इस बात का विश्वास है और आपको भी इस बात का विश्वास रखना चाहिये कि गवर्नमेंट चाहे वह आपके प्रान्त की हो चाहे वह अखिल भारत की गवर्नमेंट हो दोनों का प्रयत्न और सदिच्छा यही है कि जहां तक हो सके लोगों की सहायता करें, सेवा करें जिसमें जो कष्ट आ गया है उस कष्ट से आपका निवारण हो सके और मुझे यह विश्वास होता है कि आपके धैर्य से और आपके अपने पुरुषार्थ से और साथ ही गवर्नमेंट की मदद से जो भी कष्ट आया है वह दूर होगा और फिर बहुत अच्छे

---

गोरखपुर में एक सार्वजनिक सभा में भाषण; 14 जनवरी, 1958

दिन आपको और हम सब को मिल जायेगे । एक फारसी का पुराना मिसाल है कि मरने में भी एक साथ बहुत लोग मरने लग जायें तो उसमें भी रौनक होती है । तो जब विपत्ति भी आती है और बहुत लोगो पर एक साथ आती है तो उसका सामना करने मे भी जो पुरुषार्थ सब मिलकर दिखाते है उसमे भी रौनक और मै आशा करता हू कि जहां तक जनता का सवाल है जनता की ओर से इस किस्म का साहस और पुरुषार्थ दिखलाया जायगा जिसमें आज तो जो भी हो, आइन्दे के लोगों को एक मिसाल मिले कि किस तरह से विपत्ति के समय धैर्य से काम लेना चाहिये । मै बहुत दिनो से आप लोगो की सेवा करता आया हूं और मुझे इसका भी सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विपत्ति काल में विशेष करके मै लोगो की सेवा करूं और मैने देखा है कि जब-जब ऐसा मौका आया है तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे दूसरी गैर-सरकारी सस्थाए हो वह जनता की मदद करती है तो उस मदद से भी अगर पूरा लाभ हम उठाना चाहे तो वह तभी हो सकता है जब जनता की ओर से भी सहयोग और पुरुषार्थ मिले । तो मै अपने अनुभव से इस बात को आपसे कह सकता हू कि जहाँ अपना पुरुषार्थ तैयार रहता है वहाँ बाहरी मदद भी चौगुनी हो जाती है, एक की कीमत चार हो जाती है और मै चाहूंगा कि इसी तरीके से आप भी काम करे और उसमे अपनी ओर से कोई कमी या कोताही नहीं करें । गवर्नमेंट से जहा तक हो सकता है अपने साधन के अनुसार वह सब कुछ करने को तैयार है और करेगी चाहे वह उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो चाहे भारत की गवर्नमेंट हो । मगर मै कह रहा हू इसलिये कि जो गवर्नमेंट से उम्मीद करते है उससे भी चौगुना काम हो यदि आप सहयोग करे और आपस मे एक दूसरे से मिल-जुल कर एक दूसरे को उठाने का प्रयत्न करे तो बहुत कुछ हो सकता है ।

अभी 10 वर्ष हुए है जब हमारे हाथों मे राज शक्ति आयी और इन 10 वर्षों में विपत्तिया भी काफी आयी । आरम्भ में तो इतनी बड़ी विपत्ति आयी कि शायद दूसरे लोग इस बात का डर रखते थे, कि शायद कुछ के दिल मे ऐसी आशा भी हो कि हम पाश-पाश हो जायेंगे, टुकड़े-टुकड़े होकर गिर जायेंगे । मगर ईश्वर की दया से, लोगों के साहस से, गवर्नमेंट मे जो काम करनेवाले थे उनकी चातुरता और बुद्धिमत्ता से हम उस मुसीबत से पार निकले और पिछले 5, 6 वर्षों से इस काम में लगे हुए है कि किस तरह से जनता की स्थिति, जनता का जीवन स्तर हम ऊपर उठा सकें । इस तरह काम तो एक बड़े पैमाने पर सारे देश में हो रहा है और जो लोग बाहर के आते है वह जो कुछ हम आज कर रहे है उसको देख करके केवल खुश ही नहीं होते, बहुतेरे उनमें से चकित भी होते है कि इतनी जल्दी और इस

तरीके से लोकतन्त्र के जरिये से हम इतनी प्रगति और काम कर रहे हैं। हो सकता है कि दूसरे देशों की तरह हम जबर्दस्ती करना-कराना चाहते तो किसी न किसी चीज मे ज्यादा प्रगति होती मगर उसका अन्त अच्छा नही होता। इस चीज को हम मानते हैं कि जो जनता की राय और मर्जी से, जनता को साथ में लेकर जितना काम किया जा सके उसका जितना अच्छा और स्थायी फल होता है, उसमे जबर्दस्ती करने-कराने से उसना स्थायी फल नहीं हो सकता इसलिये जो कुछ लोकतन्त्र के जरिये से हम करते हैं वह ज्यादा अच्छा काम है बनिस्बत उसके जो दूसरे जरिये से हम करते और कराते। तो अभी तक जो सब की राय और मर्जी से, सब को खुशी और राजी करके हम ने प्रयत्न किया है और हम कर रहे हैं उसमे सफलता मिल रही है। यह चीज जरूर है कि सब चीजो का फल पूरा-पूरा देखने में नही आ रहा है। पर ऐसी जगहों के रहनेवाले जहां खेती का काम बहुत करके चल रहा है व जानते है कि जब किसान खेत मे बीज डालता है तो बीज डालने के बाद भी कितने प्रकार से वह उसकी सेवा करता है। बीज फूटता है, पौधा होता है और फिर कई महीने की इन्तजारी के बाद वह तैयार होता है और इस बीच मे कितने प्रकार की विघ्न वाधा आती है जिनकी वजह से तैयारी की इन्तजारी भी जरूरी हो जाती है जैसा आप लोगो मे से सब का अनुभव और खास करके इस साल का अनुभव तो है ही। जब एक आदमी को एक छोट धंधे मे काम करने के लिये इतना करना पड़ता है तो आप समझे कि इतने बडे देश को ऊपर उठाने और आगे बढाने मे कितना प्रयत्न लगेगा और इसके लिये जो फल हम चाहते है उसके मिलने में भी हमको कितना इन्तजार करना पड़ेगा इसका अनुमान आप कर सकत है। तो भी जो फल देखने मे आ रहा है वह कम नही है। हम देख रहे है कि चीजे सब तैयार हो रही हैं। देखने मे फल लगने लग गया है। अभी तक फल हमारे हाथों में नही आये है। मगर वह दिन भी दूर नही जब फल आने लग जायेगे और तब हम देखेंगे कि देश की उन्नति कितनी हो रही है। एक-एक चीज को लेकर हम देखें तो मालूम होगा कि कितनी उन्नति हुई है।

खेती के काम के लिये, खेती की उन्नति के लिये कितना काम किया गया है इसका पूरा अन्दाज लोगो को नही मिलता क्योंकि उस काम का पूरा फल अभी देखने में नही आ रहा है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आवपाशी का प्रबन्ध जितना हमने गत 10 वर्ष में किया है उतना सारे अंग्रेजी राजकाल में नही हुआ था। अंग्रेजों के जमाने में पंजाब में कुछ आवपाशी का इन्तजाम था पर और जगहों पर नही के बराबर था। मगर पंजाब में जितनी आवपाशी थी वह पाकिस्तान

में चली गयी । हमारे हिस्से में जो पजाब पड़ा वहां ग्रावपाशी का इन्तजाम नहीं था । वहां ग्रब देखें कि कितना प्रबन्ध किया गया है । ग्रापके इस प्रान्त में भी जितना ग्रावपाशी का पहले इन्तजाम था उससे दूना चौगुना ग्रावपाशी का प्रबन्ध ग्रब हो गया है । क्योंकि ग्राज से 3, 4 वर्ष पहले मै हरिद्वार गया था जहां ग्रावपाशी की 100 वी वर्षगांठ मनायी जा रही थी । वहां पर जितना बताया गया उससे मैंने देखा कि 30 लाख एकड़ जमीन मे स्वराज्य के बाद सिचाई होने लगी है ग्रौर उसमें पूरी प्रगति हो रही है । इसमें ग्रौर भी जरूरत है, इसे ग्रौर भी बढ़ाना है ग्रौर बढायेंगे ग्रौर यह गवर्नमेंट का काम है । मगर सभी जगहों पर एक साथ काम नही हो सकता है । पूरा काम कही भी एक-दो वर्ष के ग्रन्दर नही हो सकता है । उसमें समय लगता है ग्रौर जैसे-जैसे साधन हमारे पास ग्राते-जाते है वैसे-वैसे काम ग्रागे बढ़ता है ।

ग्रगर ग्राप खाद की बात ले तो 1946 में मै खाद्य मन्त्री था । उस वक्त कृत्रिम खाद का कारखाना हिन्दुस्तान में नही था । बीस हजार टन ऐसे खाद की देश में उस वक्त जरूरत पडती थी ग्रौर न मालूम कितने करोड़ रुपये लगाकर हमको विदेशों से मंगाना पडता था । उसके बाद से यहां कारखाना बनना शुरू हुग्रा ग्रौर बन कर तैयार हुग्रा ग्रौर ग्राज सिन्दरी के कारखाने में करीब-करीब साढ़े तीन लाख टन खाद तैयार हो रहा है या उससे भी ज्यादा तैयार हो रहा है । सिन्दरी के कारखाने के ग्रलावा दो-चार कारखाने खुलने जा रहे है । इसके ग्रलावा रेल का कारखाना लीजिये । ग्रंग्रेजों के जमाने में जब से यहां रेल का काम हुग्रा इस बात पर सोच विचार होता रहा कि यहा रेल के इन्जिन तैयार किये जायें । मगर किसी न किसी बहाने से वह बात टलती गयी । जब से स्वराज्य हुग्रा है हमने इन्जिन बनाने का कारखाना भी खोला है ग्रौर ग्रब शायद बाहर से इन्जिन मंगाने की जरूरत नही पड़े ग्रौर मुमकिन है कि यहां से हम इन्जिन बाहर भेजें भी । रेल के डिब्बे बनाने का भी वैसा ही काम था । माल के थोड़े डब्बे बन रहे हैं ग्रौर जितनी जरूरत होगी बनते जायेंगे । मुसाफिरों के लिये जो डब्बे होते हैं उनको बनाने का कारखाना भी तैयार हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा तैयार हो गया है ।

सब से बड़ी जरूरत लोहे की पड़ती है । बिना लोहे के ग्राजकल के जमाने में कोई काम नही हो सकता । किसानों को खेती के लिये ग्रौजार बनाने में लोहे की जरूरत होती है, रेल के लिये लोहे की जरूरत पड़ती है, बड़े-बड़े जहाज के लिये लोहे की जरूरत पड़ती है । हमारे यहां लोहे के बिना कोई काम नहीं हो

सकता है। मगर इस देश मे 9, 10 लाख टन लोहा तैयार होता रहा है। अब जो कारखाने बन रहे हैं उनके तैयार हो जाने पर 5, 6 वर्षो मे 60 लाख टन लोहा तैयार होने लग जायगा और जो हमारी जरूरत है उसको बहुत हद तक हम पूरा कर सकेंगे और मुमकिन है कि हम बाहर भी भेज सकेंगे।

इसी तरह से कपड़ा भी हम इतना पहले कम तैयार करते थे कि देश की जरूरत को पूरा करने के लिये 60, 70 करोड़ रुपये का कपडा बाहर से आया करता था। पर अब कपडे के इतने ज्यादा कारखाने हमने तैयार कर लिये हैं कि यद्यपि हमारी जरूरत पहले से बहुत बढ़ गयी है क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जाती है फिर भी हम अपनी जरूरत को पूरा करके कपड़े बाहर भी भेजते हैं। इसी तरह से प्रत्येक चीज की पैदाइश देश में बढ़ती जा रही है। कीमत भी बढ़ती जा रही है। मगर वह हमारे काबू के बाहर की चीज है क्योंकि कीमत सिर्फ इसी देश के निश्चय करने की चीज नहीं। अगर लोहा हम को अमेरिका से मगाना है तो वहां जो लोहे का दाम होगा वह हमको देना होगा और लोहे की कीमत बढ़ती जाती है। उसी तरह से जितनी चीजें होती हैं जिनको हम इस देश में पैदा करते हैं उनकी कीमत भी हम मुकर्रर नही कर सकते। सब चीजों की कीमत दुनियां में चले उतनी कीमत रखनी पड़ती है। गल्ले की कीमत भी आज बढ़ गयी है क्योंकि अगर लोहे का दाम बढ़ गया और सब चीजों का दाम बढ़ गया तो गल्ले का दाम कैसे नहीं बढ़े क्योंकि सब चीजों का एक दूसरे के साथ ऐसा सम्बन्ध है कि एक चीज का दाम बढ़ने से उसका असर दूसरी चीज पर पड़ता है और जब तक दुनियां भर में एक रास्ता नहीं हो जाय तब तक दाम पर नियन्त्रण नही हो सकता है। इसलिये मजबूरी है और हम अपने तरीके से नही कर पाते है, अगर हम करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते है। जो कुछ हमारे ध्येय के अन्दर हम कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इन बातों की जानकारी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसके लिये किताबें छपी है, परचे छपे है, मासिक पत्रिकाएं छपी हैं। आप उनसे पता लगा सकते है कि कितना क्या हुआ है। यह कोई नहीं कहता कि जो किया जा रहा है वह काफी है।

अभी मै यूनिवर्सिटी में गया था। वहां पर मैने कहा कि शिक्षा का प्रचार बहुत जरूरी है। मगर शिक्षा प्रचार से हमको लाभ उठाना चाहिये, केवल असंतोष को पैदा करने के लिये शिक्षा नही होनी चाहिये। उसको दूर करने के लिये जो शिक्षा विशारद लोग हैं उनका काम है कि वे सोचें कि वह कैसे दूर हो सकता है।

मैं आप लोगों से यह कहने आया हू कि आप इस बात का विश्वास रखें,कि जो कुछ भी हो सकता है गवर्नमेंट कर रही है। चाहे वह यहा की गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली की हो। न तो वह अपनी तरफ से किसी बात को उठा रखेगी और न कोताही करेगी। वह आपके कष्ट का भी अनुभव करती है। चहा तक हो सकता है वह भी जानती है और इस बात को भी महसूस करना चाहती है कि कहां तक नहीं हो सकता है। जितना हो सकता है कि वह कर रही है इस बात से आपको संतोष होना चाहिये और आपको मदद के लिये जो वह कर रही है उसमे अपना सहयोग करें।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस सभा में आने का मुझे मौका मिल मका और मुझे संतोष है कि मैं कुछ कह सका।

# राष्ट्रीय कवि सम्मेलन

गणतन्त्र दिवस समारोह के सम्बन्ध मे निर्धारित कार्यक्रम के एक अंग के रूप मे होनेवाला यह तीसरा राष्ट्रीय कवि-सम्मेलन है। पिछले दो कवि सम्मेलनों की लोकप्रियता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस आयोजन का व्यापक स्वागत हुआ है। आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से एक-भाषीय कवि सम्मेलन तो कई वर्षो से प्रसारित होते आ रहे हैं, किन्तु ऐसा कवि सम्मेलन यही है जिसमें हमारे सविधान मे स्वीकृत सभी भाषाओं के कविगण भाग लेते हैं। मै समझता हू यह नवीन आयोजन हर दृष्टि से प्रोत्साहन का अधिकारी है।

अपनी विशिष्ट प्रतिभा और स्थानीय परिस्थितियों तथा जनसाधारण की आवश्यकताओ के परिणामस्वरूप ही विभिन्न भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। समस्त देश मे बोली जानेवाली इन भाषाओं का प्रेरणा स्रोत आरम्भ में एक ही था। वह स्रोत हमारा वदिक और पौराणिक साहित्य है। कोई भी भारतीय भाषा ऐसी नही जिसमे उसके आरम्भ काल मे ही रामायण और महाभारत का अनुवाद न हुआ हो। इसी प्रकार धार्मिक तथा लौकिक विषयो पर सस्कृत की अनेको कृतियों को भी इन भाषाओ मे स्थान मिला, और आज भी सस्कृत साहित्य का प्रभाव उनके लिये वैसा ही बना है। सस्कृत से इन भाषाओ ने प्रेरणा और विचार ही नही लिये, बल्कि शब्दावलि के रूप मे निजी कलेवर का निर्माण भी सस्कृत शब्द भण्डार के आधार पर ही किया। ये दो बाते सभी भारतीय भाषाओं पर लागू होती है और इनका प्रभाव सभी भाषाओं पर गहरा पडता है। यद्यपि अधिकाश भाषाओं की अपनी-अपनी लिपि है फिर भी वर्णमाला एक ही है। इस सामान्य प्रभाव के कारण सभी भारतीय भाषायें एक परिवार की तरह बन गई हैं।

इसके अतिरिक्त समय पाकर फारसी, तुरकी आदि भाषाओ का भी प्रभाव हमारी भाषाओं पर पड़ा और हमे यह मानना पड़ेगा कि अग्रेजी राज्यकाल में पश्चिमी विचारधारा से भी भारतीय भाषायें बहुत कुछ प्रभावित हुई। इन सामान्य प्रभावों के कारण भी हमारी भाषाओं मे किसी हद तक एकरूपता का संचार हुआ। जिस प्रकार प्राचीन काल मे तथा मध्यकाल में संस्कृत और अपभ्रश आदि ने इन भाषाओं को प्रभावित कर इनका मार्गदर्शन किया, उसी तरह फारसी, तुरकी, अग्रेजी आदि ने भी इन पर अपना असर डाला।

---

आकाशवाणी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कवि-सम्मेलन के अवसर पर उद्घाटन भाषण; नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1958।

प्रत्येक भारतीय भाषा का निजी प्रभाव-क्षेत्र है और उस क्षेत्र में सम्बन्धित भाषा के विकास और समृद्धि के लिये आज पूर्ण स्वतन्त्रता ही नही बल्कि आवश्यक सुविधायें भी उपलब्ध हैं। इसीलिये किसी एक भाषा के द्वारा किसी दूसरी भाषा के दबाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझता हूं कि पारस्परिक आदान-प्रदान और विचार-विनिमय द्वारा सभी भाषायें पूर्ण लाभ उठा सकती हैं और इसलिये इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। सामान्य शब्दावलि और प्रेरणा स्रोत पर बल देकर ही हम यह कार्य कर सकते हैं।

इस प्रकार का कवि सम्मेलन जिसका आयोजन आकाशवाणी ने किया है, उक्त उद्देश्य की प्राप्ति का उत्तम साधन बन सकता है। इसका प्रधान कारण यह है कि गद्य की अपेक्षा पद्य मे व्यक्त किये गये विचार मानव हृदय पर अधिक गहरा प्रभाव डालते हैं। यह कवि-सम्मेलन विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए एक संगम के समान बन सकता है। आपने विभिन्न भाषाओं की कविताओं का हिन्दी में अनुवाद करने की भी व्यवस्था की है। इस कारण इस समारोह का महत्व और भी बढ़ जायगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इस प्रकार हिन्दी भाषी लोगों को दूसरी भाषाओं के विद्यमान साहित्यक प्रतिभा और श्रेष्ठता से अवगत होने की आवश्यक सुविधा मिलेगी।

मैं इस अवसर पर और अधिक कुछ नही कहुंगा। मैं नही चाहता कि ऐसे समय जबकि आप मधुर काव्य सुनने के लिये उत्सुक हैं, आपके ऊपर नीरस गद्य लादा जाय। मैं इस कवि-सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं और सहर्ष इस समारोह का उद्घाटन करता हूं।

## गणतन्त्र दिवस के अवसर पर

आज जबकि हम भारतीय गणतन्त्र की आठवीं वर्षगाठ मनाने जा रहे हैं, मै अपने सब देशवासियों का अभिनन्दन करता हू । हमारा सर्वप्रभुता सम्पन्न भारतीय गणतन्त्र अपने जीवन के आठ वर्ष पूरे कर चुका है और अब हम नयी आशाओं और नये उत्साह के साथ नौवे वर्ष मे प्रवेश करने जा रहे हैं । यह दिन राष्ट्र भर के लिये खुशी मनाने का है और सभी को हंसी-खशी विनोद की भावना से इसमें भाग लेना चाहिये । इसके साथ ही प्रत्येक भारतीय के लिये यह दिन आत्म-समर्पण का भी है जब उसे राष्ट्र की सेवा और हमारे स्वप्नों के भारत के निर्माण में पूर्ण योगदान देने का व्रत लेना चाहिये । यह ऐसा समय है जब दो वर्ष मिलते हैं और ऐसे अवसर पर यह स्वाभाविक है कि हम बीते वर्ष की घटनाओं का सिहावलोकन करें और नव वर्ष का आशा के साथ पूरी तैयारी से स्वागत करें।

जैसा कि आप सब जानते है कि इन दस वर्षों मे हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिये आर्थिक क्षेत्र मे पुर्ननिर्माण, समाज सुधार और अपने सास्कृतिक जोवन को अधिक समृद्ध बनाना रहा है । यद्यपि जीवन स्तर को अधिक ऊंचा बनाने के लिये हर दिशा मे प्रगति आवश्यक है, इसके लिये हमने आर्थिक उन्नति को ही प्रथम स्थान देना आवश्यक समझा है । दरिद्रता निवारण, शिक्षा के विस्तार अज्ञान और निरक्षरता के उन्मूलन तथा कम से कम जीवन के रहन-सहन और घरेलू सुख-सुविधाओं की व्यवस्था आदि के लिये भौतिक साधनों की परम आवश्यकता है। इसके बिना प्रगति की प्रेरणा कुठित हो जा सकती है और देशव्यापी उत्साह पर तुषारापात हो सकता है । इसलिये, हमारे राष्ट्र के कर्णधारों और योजना बनानेवाले विधायकों ने राष्ट्र निर्माण के लिये हमारी योजनाओ में भौतिक साधनों के विकास को समुचित स्थान दिया है । भारत की श्रीसमृद्धि और जीवन-स्तर के उन्नयन के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हमने आधुनिक आयोजन पद्धति को अपनाया है ।

प्रथम पचवर्षीय योजना की सफलता और उससे प्राप्त फल से हमें प्रोत्साहन मिला है । प्रायः सभी क्षेत्रों में हमने न केवल निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है बल्कि कुछ बातों मे वास्तविक उत्पादन लक्ष्यबिन्दु से भी अधिक बढ़ गया है । इस प्रकार दुगुने विश्वास और नव शक्ति के साथ हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को चालू किया है । विकास के मार्ग में कुछ कठिनाइयो का आना स्वाभाविक है । इसलिये जिस विकास मार्ग से हम गुजर रहे हैं उसमें कहीं-कही कठिनाइयां आ सकती

---

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ब्राडकास्ट भाषण; 25 जनवरी, 1958

हैं और आई हैं। किन्तु इन कठिनाइयों में हतोत्साह होने की बजाय, इनसे हमें अपने प्रयास में और अधिक शक्ति, साहस और उत्साह मिलना चाहिये। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अभिलक्षित योजना और उपलब्ध साधनों के बीच अन्तर होने के कारण पैदा होनेवाली कठिनाइयों के बावजूद भी, सारे देश ने भारत सरकार के आवाहन पर अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया है। इस कार्यक्रम की सफलता का रास्ता खोज निकालने के लिये हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम इस योजना को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने में सफल होंगे।

इस अवसर पर अनावृष्टि के कारण अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में अन्न की कमी से जो दयनीय स्थिति पैदा हो गयी है, उसके सम्बन्ध में भी जिक्र कर देना चाहता हू। यद्यपि हम यह चानते हैं कि हमारी खेती संयोग पर बहुत कुछ निर्भर करती है और दैवी विपत्ति के कारण जो भारी हानि होती है वह हमेशा अप्रत्याशित नहीं होती, फिर भी हमारे देश में आजकल खाद्य की जो गंभीर स्थिति है उसकी मैं एकदम उपेक्षा करने के पक्ष में नही हूं। विदेशों से इतनी अधिक मात्रा में अनाज के आयात का विचार मात्र हमारे लिये क्षोभ का कारण है और इससे हमारी समस्त योजना को धक्का पहुंचता है। इसके अतिरिक्त इस आयात के कारण हमारे विदेशी मुद्रा के जो अल्प साधन हैं उन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। आवश्यक खाद्यों का उत्पादन और इस सम्बन्ध में हमारी आत्मनिर्भरता आयोजन के दूसरे क्षेत्रों में सफलता के लिये हमारी आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि आत्मनिर्भरता के बना हमारी योजनाएं जनसाधारण में विश्वास की भावना पैदा नहीं कर सकती। यह ऐसा कार्य है जिसमें प्रत्येक भारतीय को हाथ बटाना चाहिये। जो खेती के काम में नियोजित हैं उन्हें जमीन से अधिक से अधिक पैदावार करने का यत्न करना चाहिये और मेरा विश्वास है यदि उत्साह तथा विवेक से काम लिया जाय और उपलब्ध साधनों का भी ठीक उपयोग किया जाय तो कृषि उत्पादन बहुत बढ सकता है, क्योंकि हमारी जमीन उर्वर है और पानी, नये बीज और खाद पहुंचाने का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसान इनका ठीक उपयोग करें और अपनी परम्परागत बुद्धि और अनुभव से काम लें तो अन्न की कमी आसानी से दूर की जा सकती है। जो लोग दूसरे धन्धों में लगे हैं उन्हें खाद्यान्न के उपयोग में सावधानी और मितव्ययता बरतनी चाहिये। जहां-कही आवश्यक हो, लोगों को अपनी खानपान की आदतों को बदलना चाहिये जिससे कि भारत के सभी प्रदेशों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें और उपलब्ध अनाज मे सब का निर्वाह हो जाये। हमारा लक्ष्य गल्ले के सुरक्षित भंडार का संचय होना चाहिये जिससे

किसी भी कारण से फसल अच्छी न होने की दशा में अन्य देशों से अन्न का आयात किये वगैर हम हर प्रकार की परिस्थिति का मुकाबला कर सकें।

अनेक कठिनाइयों और जटिल समस्याओं के बावजूद हम अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति कर सके हैं। यह वास्तव में संतोष का विषय है कि हमारे देश में द्वितीय आम चुनाव सफलतापूर्वक हो सका और संसार के सब देशों के मुकाबले में सर्वाधिक निर्वाचकों ने मतदान में भाग लिया। जिस तरीके से यह चुनाव हुआ और देश में जिस रीति से केन्द्र तथा राज्यों में शासन यंत्र चल हा है, विश्व में लोकतत्र की प्रगति में रुचि रखनेवाल सभी व्यक्तियों को उससे प्रसन्नता होगी। हमारे देश या हमारी किन्ही समस्याओं के बारे में कोई कुछ भी सोचे, किन्तु एक बात निस्सन्देह है। यह एक तथ्य है कि हमने जीवन मे लोकतंत्रात्मक पद्धति का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा की है। कोई भी बाधा हमें इस दृढ संकल्प से डिगा नहीं सकती। हम अपने समाज के पुनर्गठन के निश्चय को पूर्ण करने के लिये कटिबद्ध हैं, और वह भी इस तरीके से कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता और गौरव को कम से कम आंच लगे। इसमें सन्देह नही कि सारे समाज की भलाई सर्वोपरि है, किन्तु व्यक्ति को भी जो समाज का अविभाज्य अंश है, जिसे हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिये गये है और जिसे हमारी प्राचीन परम्पराओ द्वारा मान्यता मिली है, लोकतंत्र में बड़ा स्थान प्राप्त है।

मै अपने देशवासियों से यह कहना चाहता हूं कि वे संसार की घटनाओं से अपने को अवगत रक्खें और तदनुसार अपने को उनके अनुरूप बनायें। आज संसार में ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी-बडी घटनायें घट रही हैं। मनष्य के सामने महान् सुअवसर प्रस्तुत हुए है और ज्ञान-विज्ञान के ऐसे साधन मानव के हाथ में आये है जिनका उपयोग वह यदि मानव समाज के सीमित क्षेत्रों के लिए न करके सही तरीके से समस्त विश्व क कल्याण के लिये करे, तो वह संसार के सभी देशों के लोगों के लिय असीम भौतिक साधन जुटा सकता है। इसी स्थिति में सद्भावना की आवश्यकता है और उन नैतिक और आध्यात्मिक तत्वों को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है, जिनके द्वारा ही हम अविश्वास, स्वार्थ और भय पर विजय पा सकते हैं। उसी प्रकार शाति के युग का उदय हो सकता है। उन्मुक्त हृदय से और वैज्ञानिक भावना से इन परिस्थितियों को ग्रहण न करनेवाला कोई भी व्यक्ति निजी हित अथवा समाज का कल्याण नहीं कर सकता इसलिये हमें सोचना चाहिये और पुरानी दकियानूसी विचारधाराओं से निलल कर विशाल और विस्तृत जगत की इन घटनाओं से अनुप्राणित होना चाहिये। आधुनिक

घटनाचक्र का अनिवार्य परिणाम यह होगा कि विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के निकट आएंगे और बरबस मानव का दष्टिकोण व्यापक बन सकेगा, क्योंकि ऐसा न होने की स्थिति में अर्वाचीन वैज्ञानिक खोजों के कारण समूचे मानव समाज का सर्वनाश हो जाएगा। हम शान्ति के इच्छुक है और यथाशक्ति संसार मे शान्ति की स्थापना के लिये यत्नशील है। हम चाहते है कि इन प्राप्त साधनों का उपयोग रचनात्मक कार्यों में, मानवता के हित के लिये, हो। वास्तव में हमारी यह आशा और अभिलाषा हमारी वैदेशिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। हमारी उस नीति का आधार शान्ति और अनाक्रमण है। हमारा विश्वास है कि यह उद्देश्य सह-अस्तित्व के सिद्धान्त द्वारा प्राप्त हो सकता है।

एक बार फिर, मै आप सब के लिये शुभकामना प्रगट करता हूं और प्रार्थना करता हुं कि आपके लिये आगामी वर्ष अधिक सुखद और सम्पन्नता का वर्ष हो और प्रत्येक व्यक्ति देश की प्रगति और कल्याण-कार्य में अपना योगदान दे सके।

जय भारत।

# प्रवासी भारतीयों को संदेश

भारतीय गणतन्त्र की आठवी वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपने प्रवासी भाइयो का अभिनन्दन करता हूं और उन्हे शुभकामनाये भेजता हूं । हमारे राष्ट्रीय पचांग मे गणतन्त्र दिवस दूसरे बड़े त्यौहारों की तरह एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है । आज के दिन हमारा ध्यान उन प्रवासी भाइयो की ओर जाना जो हमारे बीच नही है, स्वाभाविक है । इसलिये प्रवासी भारतीयों को कुछ शब्द कहने और आज के समारोह मे उनके साथ शामिल होने के इस अवसर का मैं स्वागत करता हूं ।

मुझे विश्वास है कि आप लोग भारतवासियो के इस संकल्प से परिचित होगे कि उन्हे राष्ट्र का पुर्ननिर्माण करना है और किसी भी प्रकार की विध्न बाधाओ की चिन्ता न कर विकास के कार्य को आगे बढाना है । कठिनाइयां हमे विचलित नही कर सकती क्योंकि हम जानते है कि हमारा कार्य इतना विशाल और महान है कि उसमें कठिनाइयों का होना स्वाभाविक है ।

अस्थायी विफलताओं से भी हम हताश नही हो सकते क्योकि अपने साधनो पर और अपने लोगो की क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है । राष्ट्र निर्माण के इस पुण्य कार्य मे हमारा सब से बड़ा सहारा जनता की आगे बढने की उत्कट इच्छा, उनके स्वेच्छा से किये जानेवाले प्रयन्न और पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये उनका सहयोग है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमे पूरी कोशिश करनी है और हम जानते है कि नव निर्माण की दिशा मे हमारे प्रयत्न फलीभूत होंगे ।

जहा तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिय साधनो का प्रश्न है, यह कह देना काफी होगा कि जनतन्त्र के सिद्धान्तों मे हमारी आस्था है । हमारा यह विश्वास है कि विधि तथा कानून के आगे सब समान है और जाति, धर्म आदि किसी भी प्रकार के भेद-भाव के बिना सभी लोगों को आगे बढने के लिये एक समान अवसर मिलना चाहिये । हम इस पथ को अपना चुके है और समाज के पिछड़े हुए अंगो को आगे बढा कर उन्नत वर्गों के साथ मिला देने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है । हमारा आदर्श ऐसे समाज का विकास है, जिसका आधार समानता और एकरसता हो

---

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयों के लिये संदेश; 25 जनवरी, 1958

ग्रौर इस ग्रादर्श की प्राप्ति में हम व्यक्ति की स्वतन्त्रता मे यथासम्भव कम से कम हस्तक्षेप करना चाहते है ।

यह लक्ष्य नि:सन्देह बहुत ऊंचा है ग्रौर इसे प्राप्त करते समय हम ग्राशावादी होकर ग्रौर ग्रपनी महत्वाकांक्षा से ही सन्तुष्ट हो बैठ नही सकते । हम केवल इतना ही दावा कर सकते है कि हमने धर्मनिरपेक्ष जनतन्त्रवाद की नीव रख दी है । ग्रपने संविधान के ग्रनुसार ग्रभी तक हम दो ग्राम चुनावों की व्यवस्था कर चुके है । ग्रब यह नवयुवकों का कर्तव्य है कि भारतीय संविधान की ग्रन्तरभावना को ग्रपना वे ग्रागे ग्रायें ग्रौर राष्ट्र निर्माण के महान कार्यभार को संभालें । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नौजवान इस दायित्व को ग्रच्छी तरह निभायेंगे ।

एक बार फिर मै ग्राप सब लोगों का ग्रभिवादन करता हूं ग्रौर इस शुभ ग्रवसर पर ग्रापकी सुख-समृद्धि के लिये ग्रपनी शुभ-कामनायें भेजता हूं ।

जयहिंद ।

# हमारा समाज और उसकी आधुनिक आवश्यकताएं

राज्यपाल महोदय, डाक्टर श्री कृष्ण सिंह, बहनों और भाइयो,

आप अच्छी तरह से समझ सकते है क्योंकि आपको श्री बाबू ने पहले ही बहुत सी बातें बता दी है कि मेरे दिल में कौन सी भावना इस वक्त उठ रही है और उठ सकती है । अनुग्रह बाबू का और मेरा साथ 50 वर्षों का था और इन 50 वर्षों में हम दोनों ने एक साथ मिल जुल कर कितना काम किया, कितने प्रकार से बहुत कामों मे सफल हुए, बिफल हुए, एक साथ लड़े, जूझे, एक साथ दूसरों से जो कुछ करना था किया मगर एक भी मौका इतने दिनों के अन्दर नहीं आया जब उनसे मेरा मतभेद हुआ हो या उनका मुझ से मतभेद हुआ हो । सिर्फ यह केवल नीति की बात नही थी, सिर्फ यही नही था कि हम लोगों के विचार में कभी फर्क नही आया । बात यह थी कि जो कुछ करना था उसको हम दोनों ने कंधा लगाकर एक साथ किया और इसी वजह से जब मैं पिछली बार पटने मे आया और चन्द मिनटों के लिये ही यहां ठहरा तो इसलिये यहां आया कि मेरे दिल में एक प्रकार से यह दुर्भावना उठी कि मुमकिन है कि शायद यदि उस वक्त नही आ सकता तो फिर अनुग्रह बाबू से भेंट हो या नही और यही सोचकर मैं यहां आया और जब मैंने उनको देखा तो जो मेरी दुर्भावना थी वह और भी मजबूत हुई । मैं मिला और यद्यपि जिस वक्त मै जाने लगा उस वक्त आशा की झलक मुझे लगी और वह आशा की झलक यहां से कानपुर रेलवे स्टेशन तक रही जब वह आशा एक दुराशा में परिणत हो गई और दिल्ली पहुंचते 2 तो चन्द मिनटों के अन्दर मुझे पूरी खबर मिल गई । तो जो साथ संगत 50 वर्ष पहले शुरू हुआ उसकी अचानक उस दिन समाप्ति हो गई । इसलिये यदि आज भी मैं इन 50 वर्षों के किस्से कहने लगू और बताने लगू तो न तो उतना समय है और न मै ही यदि एक-एक बात को अलग-अलग कहने में समर्थ होऊंगा क्योंकि उसमें बहुत-सी बातें हो सकतीं जिनकी वजह से मेरे लिये आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए । इसलिये मै उस बात को छोड़ देता हूं ।

जिस उद्देश्य से आपने स्मारक बनाने को सोचा है उस सम्बन्ध में दो शब्द कहना मैं ज्यादा उचित समझता हूं । आपने स्मारक को यह रूप दिया है कि यहां पर सामाजिक विषयों को लेकर लोग अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, लेख लिखेंगे, व्याख्यान

---

डाक्टर अनुग्रहनारायण सिह सोशल स्टडीज नामक संस्था का उद्घाटन करते समय भाषण; पटना, 31 जनवरी, 1958

देंगे और एक दूसरे से बातचीत किया करेंगे और अपने विचारों को प्रकाशित किया करेंगे। मै समझता हूं कि यह एक बहुत जरूरी और अच्छा विचार है। हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि उसका एक टुकड़ा हर दूसरे टुकड़ों से बहुत अलग है और इसलिये जबतक हरेक टुकड़े की हालत पर खूब बारीकी के साथ अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया जाये तब तक सब बातें मालूम नहीं हो सकतीं और जब तक सब चीजों की पूरी जानकारी नहीं हो जाए तब तक कोई भी काम जिससे वहां के लोगों को पूरा लाभ पहुंचे उतना अच्छा नही हो सकता है, उतनी अच्छी रीति से नहीं किया जा सकता है जितना हम चाहते है कि हम करें। इसीलिये आपने एक अध्ययन संस्था कायम करके उस सस्था के जिम्मे यह काम लगाने का निश्चय किया है वह बहुत ही सुन्दर है।

इस समय सारे देश के अन्दर और विशेष करके बिहार के अन्दर कई बाते हो रही हैं और मै यह जानना चाहूंगा और आप लोगों के लिये भी लाभकर होगा यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि अभी इस सूबे में खास करके अन्न की पैदावार बहुत कम है। बहुत कम इस माने में कि एक बीघे में, एक एकड़ में जितना और देशों में लोग पैदा कर सकते है उसके मुकाबले में तो बहुत कम है ही, इस देश के दूसरे सूबों में भी जितना पैदा होता है, कई सूबों से यहां बहुत कम होता है। क्या कारण है, किस वजह से यह बात है यह जानने लायक चीज है क्योंकि जब तक आप उस कारण को जांच कर उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक अन्न की हमारी कमी बराबर बनी रहेगी क्योंकि हमारी आबादी भी साथ-साथ बढ़ती जा रही है। तो यह एक ऐसा विषय है जिस पर कई पहलुओं से विचार किया जा सकता है। क्या यह हमारे किसानों के खेत बहुत छोटे-छोटे हैं इस वजह से है, क्या बहुत खेतों को इकट्ठा करके उनको कलों के जरिये से अबाद करने को सोचा जाये तो उसकी पैदावार बढ़ जायगी, क्या इसका कारण यह है कि हमारे किसानों को जितनी मेहनत करनी चाहिये उतनी वे मेहनत नहीं करते, क्या इसका कारण यह है कि वह मेहनत करते हैं लेकिन जिस तरीके से वह काम करते हैं वह तरीका उतना कारगर नहीं है? क्या जो खेती की विद्या उनको मिलनी चाहिये वह विद्या उनको नहीं है, जो अभ्यास होना चाहिये वह अभ्यास उनको नहीं मिला यह कारण है? क्या यह कारण है कि समय पर पानी नहीं मिलता, परिमाण से पानी नहीं मिलता, आबपाशी से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है? क्या जो बीज खेत में बोते है वह उपयुक्त नहीं है? इस प्रकार के बहुत से प्रश्न खेती के सम्बन्ध हो सकते हैं।

उसी तरह से आप यह भी जाच सकते है कि इस सूबे मे दो हिस्से है, एक हिस्सा तो वह है जिसमें खेती ही ज्यादा करके होती है और दूसरा हिस्सा वह है जिसमे खनिज पदार्थ बन्द पड़े हुए है और उसको हम ठीक तरह से काम मे लगावें तो सिर्फ यही प्रान्त नही सारा देश मालोमाल हो सकता है। हमको जांचना है कि इन दोनों हिस्सों के लिये दो प्रकार का प्रबन्ध करने की आवश्यकता है या नही और अगर है, तो सम्भव है या नही और सम्भव है, तो किस तरह से हम दोनों को चला सकते हैं। मैंने आपसे वतौर मिसाल के एक बात कही। आपको तो मालूम ही है कि भारत सरकार ने निश्चय किया है कि राची के नजदीक एक बड़ा कारखाना ऐसा बनाया जायगा जहां और कारखानों के लिये कल पुर्जे जुटाने के लिये कल पुर्जे तैयार किये जाये। यह एक बड़ा कारखाना होगा जिसको तैयार करने में कई साल लग जायेंगे और एक कारखाना नही बल्कि चार पाच कारखाने मिलकर इस काम को पूरा कर सकेंगे। यह कारखाना सिर्फ बड़ा करखाना ही रह जायगा या इसके इर्द-गिर्द और छोटे-मोटे सैकडों कारखाने खुल सकते है यह आपको विचार करना है। अगर खुल सकते है तो उसके लिये आज से हमको क्या तैयारी करनी है और आज किस तरह से उसके लिये प्रान्त को, देश को और सब लोगों को तैयार कर सकते है। मै आपको मिसाल के तौर पर बताता हू कि जिस समय जमशेदपुर के लोहे का कारखाना आज से 80 वर्ष पहले खोला गया था तो उस वक्त दूसरे कारखाने नही खोले गये मगर आज आप जाकर देखे तो ताता के अलावे, ताता के लोहे के कारखाने के अलावे न मालूम कितने कारखाने उसके इर्द-गिर्द मे खुल गए है। जमशेदपुर को आप छोड़ दे, उसके 100,200 मील के अन्दर कितने ही कारखाने खुल गये है। तो जो रांची का कारखाना होगा उसके इर्द-गिर्द मे कितने कारखाने खुल सकते है और खुलने चाहिये। यह विचार करने की बात है कि कौन-कौन कारखाने खोलने की वहां सुविधा हो सकती है और उस सुविधा का किस तरह से हम उपयोग कर सकते है और किस तरह से यहां के लोग उससे लाभ उठा सकते है। दूसरी बात आपको यह भी सोचनी है कि जितने कारखाने खुल रहे है और खुलते जायेंगे उनसे यहां के नवजवान कितना लाभ उठा सकते है, जो खुल गए है उनसे कितना लाभ उठाया है, उनमें कितना उनको मौका मिल रहा है, कितना काम वे सीख रहे है और कितने सीखे हुए लोग उनमें काम कर रहे है। मगर यह बड़ा कारखाना जो खुलनेवाला है उसमें जो काम करेंगे उनको तैयार होना चाहिए। उसके लिये आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं यह भी आपके सोचने की बात है। मैंने एक तो खेती और दूसरे कारखाने

के उदाहरण आपके सामने रखे और उसीसे आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के कितने और प्रश्न है जिन पर विचार करना जरूरी है, जिनके संम्बन्ध मे जानकारी हासिल करना जरूरी है और अगर जानकारी हो जायगी तो आपको यह भी मौका रहेगा कि उसको काम मे लगाकर उसके लिये प्रान्त में सब को तैयार करें ।

उसके अलावा यह भी सोचने की चीज है, जानने की चीज़ है कि जो आज समाज है उसके लिये कौन-कौन चीज जरूरी है, क्या कमी है, क्या चीज़ आवश्यक है जिसका आज हम अनुभव करते है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। यह भी देखने की बात है। मे समझता हू कि जब से स्वराज्य मिला और हम स्वतन्त्र हो गए और अपने मुल्क का काम सम्भालने लग गये तब से हमारी जिम्मेदारिया भी बढ़ गई हैं। उन जिम्मेदारियो को कहा तक हम समझ पाये हैं और उनको समझकर कहा तक हम जनता को तैयार कर सके है कि वह अपने हिस्से को अदा करे, कितने दूसरे लोग अपने हिस्से को अदा कर रहे हैं यह भी एक अध्ययन की बात है। अगर इसमें कहीं त्रुटि हो, कमी हो तो उसका क्या कारण है? अक्सर लोग कह देते हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है और काम मे विघ्न बाधा पड़ रही है तो मै जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है। खास करके इस प्रान्त के लोगो मे और देश के लोगों मे कोई ऐसा ऐब है जिस की वजह से वह फैला हुआ है या उनमें आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक रिवाज ऐसी है जिम की वजह से भ्रष्टाचार फैल रहा है। यह तो विचार करने की बात है।

इस प्रकार का अध्ययन चाहे आप जिस दिशा मे काम करना चाहे आपको लाभ पहुचायेगा और इसलिये मै आपके निश्चय का बहुत स्वागत करता हूं। अनुग्रह बाबू ऐसे कामों मे दिलचस्पी रखते थे और अगर उनकी जिन्दगी मे एक बात अगर जाची जाये कि कौन ऐसी है जिसके लिये हम उनको याद रखेंगे तो वह यही है कि देश की सेवा में एक चीज़ को लेना और उसका संगठन करना। देश का संगठन, समाज का संगठन, छोटी-छोटी सस्थाओं का संगठन, बड़ी-बड़ी संस्थाओं का संगठन करना यही उनकी जिन्दगी में रहा और इसीमें दत्तचित रहकर मेहनत करते रहे और सफल भी हुए। इसलिये यह सोचने की बात है कि इस चीज़ को और किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। संगठन की जरूरत हर मौके पर हर काम के लिये होती है और हमे अपने समाज का भी संगठन बनाना चाहिये और जो दिक्कतें आती है उस संगठन के द्वारा आसानी से दूर की जा सकती हैं। उसकी हमें जरूरत है। उसमें किस चीज़ को आगे बढ़ावें यह भी सोचने की

चीज़ है। जैसा श्री बाबू ने कहा, जो विषय ग्राप लेंगे वह अनुग्रह बाबू के अपने विचारों, अपने कामों के अनुकूल ही होगा। इसलिये यह विचार कि इस प्रकार की संस्था कायम की जाये एक सुन्दर और अच्छा विचार है। स्मारक ऐसा ही होना चाहिए कि उसके जरिये बराबर देश की सेवा होती रहे न कि कोई मकान बन जाये या मूर्ति खड़ी कर दी जाये और मैं आशा करता हूं कि इस संस्था के द्वारा देश की सेवा होती रहेगी। इसलिये मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे यह सुअवसर दिया कि मैं इसमें शरीक हुआ। 30 तारीख को महात्मा जी के निधन दिन के समारोह में शरीक होने का मौका मुझे मिला और आज यहां आ सका और इस समारोह में शरीक हुआ। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

# ग्रामीणों की सहायता

मुख्य मन्त्रीजी, बहनों तथा भाइयो,

मुझे यह अवसर मिला कि मैं आपके इस कष्ट के समय में आया और आपसे थोड़ा बहुत मिल सका इससे मुझे प्रसन्नता है। मैं कल से इस प्रान्त में सूखा पड़ने से जो विपत्ति आयी है या बाढ़ की वजह से जो कष्ट हुआ है उसका हाल सुनता आ रहा हूं। यहां से जो लिखित रिपोर्ट जाती थी उससे मैं परिचित था हां पर जितना अपनी आंखों से देखने से, अपने कानों से सुनने से पता चलता है उतना लिखित रिपोर्ट से साक्षात नहीं होता। इसलिये मैंने सोचा कि थोड़े ही समय के लिये सही, जहां-जहां इस तरह की विपत्ति आयी है थोड़ा घूम आऊं। पहले उड़ीसा में गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में गया और कल यहां आया हूं और इसके बाद मध्य प्रदेश में जाना है। तो जब इतने बड़े क्षेत्र में यह विपत्ति फैली हुई है तो स्वाभाविक रीति से मेरे लिये बहुत समय किसी एक जगह पर देना सम्भव नहीं होता। मगर समय दे सकूं या नहीं दे सकूं, यहां की स्थिति से अपने को हमेशा अवगत रखने का प्रयत्न करता ही रहता हूं और इसका मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि प्रान्तीय सरकार और भारत सरकार उनसे जो कुछ भी लोगों की सहायता के लिये सम्भव हो सकता है वह किसी काम से बाज नहीं आयगी और जहां तक हो सकेगा वह आपकी सेवा और रक्षा करने का यत्न करेगी।

जिन-जिन तरीकों से सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है वह मुझे बताया गया है और सबेरे से ही मैं बहुत कुछ नमूने अपनी आंखों से देखता आ रहा हूं। यहां आकर मुझे यह देखकर और प्रसन्नता हुई कि आप लोग जो पुराना तरीका था जिससे जब तक अपने हाथों में अधिकार नहीं आया था उस वक्त हम लोग काम लेते थे उस चर्खे के द्वारा लोगों को सहायता पहुंचाने का काम लिया जा रहा है जिसका यह सदेह उदाहरण हमारी आंखों के सामने देखने को मिला। जो काम चर्खे के जरिये से होता है उससे खास करके ऐसे लोगों को अधिक लाभ होता है जो जाकर खेतों में, सड़कों पर या दूसरी जगह अधिक परिश्रम का काम नहीं कर सकते हैं। विशेष करके स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को

---

पूर्णियां जिले में कृत्यानन्द नगर, गोकुलपुर ग्राम पंचायत तथा अम्बर चर्खा केन्द्र, सरसी में भाषण; 1 फरवरी, 1958

लाभ पहुंचाता है और मेरा विश्वास है कि यदि यह काम काफी बड़े पैमाने पर फैलाया जाये तो वह कष्ट निवारण का एक बहुत बड़ा साधन हो सकेगा। इसके अलावा मैंने यह भी देखा कि जो शरीर से मेहनत कर सकते है उनके लिये मिट्टी खोदकर तालाब, बनवाने, रास्ता बनाने का काम भी लिया जा रहा है तथा और काम भी लोगों के पेट भरने लायक पैदा कराने के लिये किया जा रहा है। मै सभी जगहो में रास्ते-रास्ते देखता आ रहा हू कि लोग शरीर से काम कर रहे है। और मै पूछ रहा था कि उनको दिन भर मे क्या मजदूरी मिलती है। मेरी अधिकारियों से बातें हुई है और वे लोग हमेशा इस बात का खयाल रखते है और जांच-पडताल भी करते रहते है कि उनको कितना काम करने पर कितना औसतन बचता है और इसका खयाल रखते है कि मिट्टी काटकर दूर ले जाना पडे तो अधिक मजदूरी देकर जो अधिक परिश्रम और समय लगता ह उसको भी पूरा कर देते है। तो इस तरह मे लोगों से काम लेकर सहायता देने का काम हो रहा है और सच पूछिए तो असली सहायता इसी तरीके से हो सकती है क्योंकि किसी को मुफ्त देना, किसी को भिक्षा रूप मे देना, किसी को यों ही खिलाना न तो जो देता है उसके लिये लाभकर होता और विशेष करके जब गवर्नमेंट देती हो और न जो लेता है उसके लिये लाभकर होता है वल्कि उसके लिये तो बहुत ही हानिकर होता है, उसका स्वाभिमान जाता है, उसकी परिश्रम करने की आदत छूटती है और दूसरो के सामने हाथ जोड़ने और मुह ताकने की आदत खुल जाती है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आपके जिले मे मुफ्त खाना पाने-वालों की संख्या बहुत कम है और जो पा रहे है उन लोगों ने माग की है कि जो मजदूरी मिलती है उसको जहा तक सम्भव हो सके बढ़ा दिया जाये। इस पर गवर्नमेंट के लोग विचार करते रहते है और जहां जरूरी समझेगे करेंगे।

जो पिछली मालगुजारी बाकी रह गई है उसके सम्बन्ध मे गवर्नमेंट ने कोई कोर्ट की कार्रवाई इस वक्त नही करने का इरादा कर लिया है। जो दे सकते है उनसे वसूल किया जाये पर जो नही दे सकते है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यह भी ठीक है, जो अदा हो सके वह अच्छा ही है नही तो एक बार जमा हो जाने के बाद बोझ बड़ा हो जा सकता है। मगर जो बिल्कुल मजबूर हो गये है उनके खिलाफ कोई सख्ती भी नही होने वाली है। तो इन तरीकों से लोगों को मदद पहुचाने का इन्तजाम किया गया है और मदद की जा रही है। मगर मै तो यह चाहता हू कि यहा जो अन्न का कष्ट सारे देश में है वह हमेशा के लिये दूर हो जाये और उसको दूर करने के कई साधन है। अगर कोई

दूर करनेवाला है तो न तो वह गवर्नमेंट है और न कोई बाहरी शक्ति। इस देश के किसान ही अपने परिश्रम और उत्साह से उसको दूर कर सकते हैं। किसानों की संख्या करोड़ों में है। इन करोड़ो आदमियों में किस तरह से उत्साह पैदा किया जाये कि वे एक मन के बदले डेढ़ मन पैदा कर सके, दो मन पैदा कर सकें यह काम है। ग्रार मुल्कों के मुकाबले मे यहा खेतों की पैदावार बहुत कम है। जहा वे लोग 4,5 मन पैदा करते हैं हम एक सवा मन से अधिक पैदा नही करते। अगर दूसरे सूबाओं से भी मुकाबला किया जाये तो बिहार मे पैदावार कम है। इसलिये आज का हरेक किसान यह नही सोचे कि उसकी अपनी जरूरत इतने मन की है, अगर इतने मन वह पैदा कर ले तो उससे उसको संतोष हो जाये बल्कि उसको यह सोचना चाहिए कि अपनी जरूरत के अलावा देश की जरूरत के लिए ज्यादा से ज्यादा पैदा किया जाय। अधिक पैदा करने से अपने लाभ के अलावा देश का भी लाभ होगा। तो थोडा पैदा करके सतोष नही करके जितना पैदा कर सकते हों उतना पैदा करना चाहिये।

खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये पानी की जरूरत है। इसके लिये नहरें बनाने का इन्तजाम हो ही रहा है मगर वह इतना बड़ा काम है कि एक दो महीने में नही हो सकता है। आपके पड़ोस मे जो कोशी को काबू में करने का काम हो रहा है उसमें समय लगेगा। मगर जब नहरें बन जायंगी, बाध बंध जायगा तो आप देखेगे कि कितना बड़ा लाभ लोगों को पहुच रहा है। इसी तरीके से छोटे-मोटे और भी पानी बढ़ाने के बहुत से काम किये जा रहे हैं। अभी मैंने देखा कई जगहों पर तालाब खोदे जा रहे हैं या पुराने तालावों को गहरा बनाया जा रहा है जिसमें लोगों को और खास करके मवेशियों को पीने के लिए पानी मिले और वह कष्ट दूर हो। मै चाहता हूं कि इस विपत्ति से भी थोड़ा-सा ऐसा लाभ उठाना चाहिये जो स्थायी हो।

अभी वैद्यनाथ बाबू ने भूकम्प का जिक्र किया। मुझे याद आया कि इस जिले में सीमेंट का रिंग देकर कुछ कुएं तैयार किए गये थे। उसमें खर्च भी ज्यादा नही पड़ता है और एक प्रकार से स्थायी कुआं बन जाता है। अभी लोगों ने कहा कि गरचे 24,25 वर्ष बीत चुके मगर उस वक्त के कुए आज भी काम दे रहे हैं। तो अगर उस विपत्ति के समय के बने कुओं से आज भी पानी निकालने का काम हो रहा है तो इस विपत्ति के समय भी ऐसे कुएं बनने चाहिये जो खेत पटाने के लिए आगे काम दे सकें। मनुष्य का सबसे बड़ा अभिमान इसी बात का होता है कि प्रकृति की शक्तियों से भी लड़ सकता है और वह आज आसमान से लड़ना

चाहता है। यदि आसमान से समय पर पानी नही होता है तो उसका भरोसा नही करके पृथ्वी के गर्भ से पानी निकालकर वह अपना काम चलाना चाहता है। तो यह भी प्रकृति से मुकाबला करना है और मनुष्य बुद्धि से प्रकृति का मुकाबला करके उस पर काबू कर सकता है। तो इस विपत्ति से ऐसा लाभ उठाना चाहिये कि कुएं से काम लें, तालाव से ऐसा काम लें कि उनसे खेत पटाने का काम हो सके।

इसके अलावा जल कुम्भिया सड़ाकर बहुत सुन्दर खाद बन सकती है और जो चीज़ आज मलेरिया का कारण है उसके बदले उससे अधिक अन्न पैदा हम कर सकते है। मै चाहूंगा कि गृहस्थ लोग जो इन चीजों को अच्छी तरह से जानते और समझते है अपनी बुद्धि लगाकर, अनुभव लगाकर, परिश्रम लगाकर जितना अधिक अन्न पैदा कर सकते हों करें और सिर्फ इसी साल इस कष्ट को दूर नही करके हमेशा के लिये अपने को सुखी बनाने का प्रयत्न करें। मै यही संदेशा लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है कि आपके उत्साह का असर होगा जिससे इस साल का कष्ट दूर होगा और आगे के लिये भी आप इस कष्ट से मुक्त हो जाएं।

# भारत सेवक समाज का प्रशंसनीय कार्य

सभापति जी, मुख्य मंत्रीजी, भारत सेवक समाज के सदस्यगण, बहनों और भाइयो,

मैं आज सवेरे से पूर्णिया जिले में और उसके बाद आपके इस जिले में पहुंचा हूं और जब से आया हूं लोगों से मिलता रहा हूं और यह जानने का प्रयत्न करता रहा हूं कि यहां पर जो सूखा पड़ा, जो बाढ़ का प्रकोप हुआ उसका क्या फल हुआ और उसके कारण लोगों को क्या कष्ट है, मुझे यह भी मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या सुविधाएं दी गयी या पहुंचायी जा रही हैं और किस तरह से आपके इस कष्ट का निवारण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सब कुछ जान सुनकर जहां एक तरफ मेरे हृदय को चोट पहुंचती है कि हमारे इस प्रान्त में इतना लोगों को सूखा के कारण कष्ट है वहां यह देखकर खुशी भी होती है कि लोग इस विपत्ति का सामना करने के लिये कटिबद्ध हैं। जहां तक हो सकता है भारत सरकार और प्रान्त की सरकार सहायता करने पर कटिबद्ध है और साथ ही लोग भी इसके लिये तैयार हैं कि चाहे जिस तरह से हो, इस विपत्ति का मुकाबला करेंगे और उससे निपट लेंगे। सच पूछिए तो ऐसे मौके पर जब इतने बड़े क्षेत्र पर कोई विपत्ति आजाती है तो उसका मुकाबला लोगों की हिम्मत ही कर सकती है। लोग साहस, हिम्मत, उत्साह से भारी से भारी विपत्ति को बात की बात मे काट सकते ह और यदि आदमी दिल से हार गया, हृदय का कमजोर रहा और अगर उसमे साहस नही रहा, हिम्मत नहीं रही तो छोटी चीजों से हम दब सकते हैं, गिर सकते हैं। तो हम आपसे यही कहने आये हैं और विशेष करके इस इलाके के लोगो से, कि आपने जिस तरह से आज तक कोशी की दी हुई विपत्ति का सामना किया है, जिस साहस के साथ, जिस धैर्य के साथ आप उसस लड़ते आये हैं उसी साहस, उसी धैर्य को काम में लाकर इस दूसरी विपत्ति का भी आप सामना करें।

मुझे इस बात की खुशी है कि कोशी का काम आगे बढ़ा है। आज से दो या शायद तीन साल हुए होंगे पहले जब मैं आया था तो बांध का काम जोरों से चल रहा था। उस काम में काफी प्रगति हुई है और जो काम उसमें बाकी रह गया है वह पूरा हो जायगा और मुझे आशा है कि जो विपन्नता उसके कारण से इस इलाके में आज तक रही है और लोगों को कष्ट होता रहा है वह दूर

---

सहरसा में एक सार्वजनिक सभा में तथा भारत सेवक समाज की एक शाखा का उदघाटन करते समय भाषण; 1 फरवरी, 1958

M2President(62)—15

हो सकेगी । दोनों तरह की विपत्ति कोशी के कारण आती रही है । एक तरफ बाढ़ का प्रकोप केवल खेत को ही नही बल्कि घर-बार को भी बहाता रहा है । मुझे याद है वह दिन जब मैं मधोपुर में आया था । बाढ़ के कारण उसके आस-पास के गांव बह गये थे और मैं कोशी पार करके मधोपुर गांव में गया था । आज न मालूम कितनी मील वहां से कोशी चली गयी है । कोशी का यह तरीका रहा है कि 100 मील की चौड़ाई में वह रास्ता बदलती रही है और एक कोने से दूसरे कोने तक आहिस्ता-आहिस्ता चलती रहेगी और फिर वापस आती है । अब जो प्रयत्न हो रहा है उसमें दो बांधों के बीच में उसको एक प्रकार से काबू में रखा जाये जिसमें वह बाहर नही जाये और बाहर के लोगों के लिये वह अभिशाप नही बने । आशा की जाती है कि मनष्य की शक्ति, बुद्धि, इन्जीनियरिंग ताकत जहा तक इस काम को कर सकती है वह सब इसमें लगायी जायगी और लगायी जा रही है । हम तो आशा करते है कि इसको हम काबू कर लेंगे और अगर यह एक बार काबू में आगयी तो फिर आप समझें, जमीन यहां की उर्वरी है ही, थोड़े ही दिनों के बाद यहां सब कुछ हरा-भरा देखने में आने लग जायगा और सब लोग आनन्द से, खशी से रहने लग जायेंगे । इसमे सब के सहयोग की जरूरत है, सब की मदद की जरूरत है ।

उस समय जब मै यहां आया था तो मैंने देखा था कि हजारो हजार की तायदाद मे लोग कोशी बांध के काम मे लगे थे । वे लोग पंचों द्वारा बुलाये जाते थे और काम करते थे । जो ठेकेदार लोग काम कराते थे वह अलग काम था । मगर इस इलाके के आस पास के गांवों से दूर-दूर से लोगों को पंचायतो द्वारा बुलाकर काम कराया जाता था । यह भारत के इतिहास में एक नया प्रयोग है । एक जगह के लोगों के लाभ के लिये दूसरी जगह के लोग काम करें यह एक मिसाल है जिससे दूसरी जगहों के लोगों को लाभ उठाना चाहिये । आपने साहस का भी परिचय दिया कि किस तरह से सहयोग करके मिल-जुल कर लोग गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं । मैं यहां के लिए बाहरी नहीं हूं और समझता हूं कि इस विपत्ति का आप अच्छी तरह से मुकाबला कर लेंगे । यह चन्द दिनों की बात है । इस साल किसी कारण से सूखा पड गया तो अगले साल भी ऐसा ही होगा ऐसी बात नहीं है । हम तो यह उम्मीद रखते हैं कि अगले वर्ष के दिन अच्छे होंगे । बरसात अच्छी होगी और नयी फसल अच्छी होगी । तो यह चन्द महीने का ही झगड़ा है । मगर हम यह भी चाहते है कि संयोग से यह विपत्ति जो आ गयी है लोग उसका ही मुकाबला नहीं करें बल्कि ऐसा प्रबन्ध हो कि हमेशा के लिये लोग अपने को

उससे बचाने में समर्थ हो सकें। इसके लिये कोशी की योजना आवश्यक है और जब वह तैयार हो जायगी तो केवल बाढ़ से ही लोगों की रक्षा नही होंगी बल्कि जहां पानी की जरूरत है खेत पटाने के लिये पानी भी आपको मिल सकेगा। तो इस तरह से दोनों काम, एक बाढ़ से रक्षा और दूसरा सूखी जगहों पर पानी पहुचाना, हो रहे है। जो पानी बर्बादी मे लगा है वह खुशहाली में लगे यही योजना का उद्देश्य है।

इसके अलावा बहुत सी जगहों में जहा यह योजना काम नहीं कर सके वहां के लिये और-और तरीके हो सकते है। मै समझता हू कि इस इलाके में वे काम में लाये जायेंगे। जहां कोशी का पानी नही जा सकता है, वहां कुएं खोदकर, तालाब खोदकर, नलकूप बनाकर तथा दूसरे तरीके मे पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा सकता है और किया जायगा।

इसी तरह से अगर खेत की उपज बढ़ानी है और हमारे देश मे इसकी जरूरत है क्योंकि हम ने देखा है कि एक बीघे मे जितना हम पैदा करते है उसके मुकाबले मे दूसरे मुल्क एक बीघे मे उससे कई गुना पैदा करते है। अगर हम 5 मन पैदा करते है तो दूसरे मुल्को मे लोग 20 मन पैदा करते है, अगर हम 15 मन पैदा करते है तो वे लोग 60, 70 मन पैदा कर लेते है। तो कोई कारण नही कि हम अपने मुल्क मे उतना क्यो नही पैदा कर सकते है। इसके लिये पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, अच्छे बीज की जरूरत है और जोतने, बोने तथा दूसरी चीजे जो उसमें लगती है उनकी जरूरत है। यह सब आपको करना है। अगर किसी देश मे सब से आवश्यक चीज है तो वह अन्न है। अन्न के बिना कोई आदमी जी नही सकता है। कोई चीज़ होगी जब अन्न खाने को मिलेगा तभी हम उससे लाभ उठा सकते हैं। इस देश में अन्न की कमी है। उसको पूरा करना किसानों का ही काम है। वे ही इसको पूरा कर सकते है। इसीलिये जो करोड़ों करोड़ की तायदाद मे किसान लोग बसते है उनके पास छोटी-छोटी जमीन, थोड़ी जमीन होती है। वे लोग अपने-अपने खेत मे थोड़ा अधिक पैदा कर लें तो केवल उनका ही जीवन सुखमय नहीं होगा बल्कि दूसरे लोगों को जो अन्न की कमी रहती है वह दूर होगी। इसलिये प्रत्येक आदमी को अपनी बुद्धि से काफी परिश्रम से काम करना है, समय पर खेत को बोना है, पानी पहुंचाना है। ये चीजें किसानों को मिलें यह भारत सेवक समाज का काम है। यह काम भारत सेवक समाज है कि जिस चीज़ की जरूरत हो उसको जुटाने में वह लग जाये और मैं आशा

करता हूं कि उसके द्वारा यहां के लोगों को इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि वे लोग किस तरह से खेत में अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं।

प्रत्येक किसान को यह समझना चाहिए कि केवल अपने खाने के लिये ही अन्न नहीं पैदा करना है बल्कि देश के लिये अन्न पैदा करना है। उसको अपने खाने के लिए 10 मन से काम चले तो उसको उतने से ही संतोष नहीं होना चाहिए और जितना वह पैदा कर सकता हो उतना उसको पैदा करना चाहिए क्योंकि उसके अलावा बहुत से लोग इस देश में हैं जिनको जमीन नहीं हैं। या जिनके पास जमीन है पर उसमें वे उतना पैदा नहीं हो सकता है। इतने करोड़ लोगों को खिलाना और सारे देश को खिलाना किसानों का ही काम है। अगर किसान मेहनत करेंगे तभी वे दूसरे लोगों को अन्न पहुंचा सकते हैं। आप जानते हैं कि देश में बड़े-बड़े कारखाने खोलने की बात सोची जा रही है जिसमें जो चीजे कारखाने से बनती है अपने देश में ही पैदा कर सकें। तो जो लोग कारखाने में काम करेंगे वे खेत में नही काम कर सकते हैं। उनको खिलाने का काम आप लोगों का ही है। जैसे कारखाने में काम करनेवाले यह नहीं कह सकते कि हम उतना ही पैदा करेंगे जितने से हमारा काम चलेगा वैसे ही खेतवालों को समझना चाहिए। दोनों केवल अपने ही लिये नही सारे देश के लिये पैदा करें जिसमें देश की सम्पत्ति बढ़े, देश का धन बढे तो सभी लोग सुखी और सम्पन्न हों। तो आप लोग जो खेती के करनेवाले हैं उनको इस काम को करना है। यह जरूरी है।

यहां चीनी का भी कल है और दूसरे कल जिसमें काम लोगो को मिले। जहां-जहां जरूरत होगी और भी कल स्थापित करने के लिए लोग मुस्तैद है और गवर्नमेंट मदद करने के लिए मुस्तैद है। मगर आप चीनी का कल चाहते हैं, क्यों नहीं अपने घर-घर में चीनी और गुड़ पहले के जैसे बना लेते हैं? उसमें आप को कम पैसे नही मिलेंगे। जितने लोग उसमें खपते हैं उससे कम लोग नहीं लगेंगे। कारखाने में उतने लोगों को काम नहीं मिलेगा जितने लोगों को घरों में काम मिलेगा। आपको इस चीज को करना चाहिये जैसे गन्ने की खेती कर सकते हैं, अपने गांव में रहकर कर सकते है। इस काम को दूसरों से या दूसरी जगहों के लोगों को बुलाकर करवाना न तो आवश्यक है और न लाभायक हो सकता है। इसलिये मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि सभी टुकड़ी के लोग अपना काम सम्भाल लें।

महात्मा जी कहा करते थे कि जितना समय हम घर में बैठ कर गप में बिता देते हैं उतने समय तक बैठकर चर्खा चला लें तो घर के लिये कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं होगी। मगर उनकी बात न सुनने का फल हमको यह मिला कि करोड़ों रुपये का कपड़ा हमको बाहर से मंगाना पड़ता था। उसके बाद अपने देश के अन्दर भी कपडे के कारखाने खुले और अब बाहर से कपड़ा मंगाने की जरूरत हमें नही है। मगर मै आप से कहना चाहता हूं कि एक कारखाने में जहां पाच हजार आदमी काम करते है वहां जितना कपड़ा बनता है उतना कपड़ा हाथ से तैयार करने पर उसमें एक लाख आदमी लगेगे। मै आपसे यह कहना चाहता हू कि जो छोटे-मोटे धंधे है उनको छोड़ना नही है। खास करके वह काम ऐसे समय मे हो सकता है जो बर्बाद जाता है। समय का ठीक उपयोग किया जाये तो उससे लाभ अवश्य ही रहता है। मै चाहता हूं कि यह होना चाहिए। मै एक गाव में गया था। वहां पर हम ने देखा कि हजारों चर्खे चल रहे है और उससे उन लोगों को जो पीड़ित है लाभ पहुच रहा है। वहां जितने चर्खे की जरूरत है उतने चर्खे पहुचाये नहीं जा सकते। वहा लोगों को कष्ट है, सूखा की वजह से कष्ट है। उनका अपना कपड़ा हो ही जाता है और साथ ही पैसे भी मिल जाते है जिससे वे अपना कष्ट काट रहे है। तो हम यही कहना चाहते है कि जो छोटी चीज़ है वे भी कारगर होती है। उनको छोटी समझकर छोड़ना नही चाहिए बल्कि उनसे भी जहां तक लाभ हो सकता हो लाभ उठाने का प्रबन्ध करना चाहिए।

आपने इस इलाके के मनुष्य का परिश्रम देख लिया है। मै आपको बतलाना चाहता हूं कि मै ने दरियापत किया था कि जो लोग कांशी के काम में लगे है उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है। मुझे यह पता चला है कि जिन लोगों को काम मिला है उनकी हालत सुधर गई है, तो कोई भी काम हो जिससे रोजी मिल जाये तो न तो उससे हटना चाहिए और न शर्माना चाहिये। मै चाहता हूं कि किसान लोग खेती का काम खूब अच्छी तरह से सम्भालें। अगर कपास पैदा होती तो उससे सूत कातकर कपड़ा बना लें। अगर गन्ना पैदा करते हो तो उससे गुड़ या चीनी बना लें। अगर धान पैदा करते हों तो धान कूटकर चावल बना लें। हम यह नहीं चाहेंगे कि आप धान पैदा करें और सौ दो सौ मील पर वह किसी कारखाने में कूटा जाये। कूटने का जो काम होगा उसको भी यहां के लोगों को कर लेना चाहिए जिसमें सारा का सारा लाभ उनको ही मिले और साथ ही चावल भी मिले। मैं केवल धान की ही बात नहीं कहता हूं, गेहूं के साथ भी ऐसा ही हो, अन्य किसी खाद्य पदार्थ के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मै आशा करूंगा कि जो इस इलाके के लोग है,

जो देख चुके है, जो इस चीज़ को समझ गये है दत्तचित्त होकर उनको काम करना चाहिये और मुझे आशा है कि वह करेंगे ।

मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपने भारत सेवक समाज का समारोह किया । मुझे आशा है कि आप जगह-जगह पर समाज को कायम करेंगे और आपको जो कष्ट है उससे बचाने के लिये उससे आपको मदद मिलेगी ।

आपने जो मेरा स्वागत किया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

# दरभंगा में

बहनो और भाइयो,

कपसिया मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है । जगहें कुछ नयी बन गई है और काम अब काफी बढ़ गया है पर चर्खे का काम यहां बहुत पहले से होता आ रहा है और खादी के काम के सम्बन्ध में मैं पहले यहां आया करता था । इसलिये जो कताई का प्रदर्शन मैंने यहां देखा, सूत की बारीकी देखी उससे मुझे आश्चर्य नही हुआ, खुशी जरूर हुई । आश्चर्य इसलिये नहीं हुआ क्योंकि मैं समझता हूं कि इस काम में यह इलाका शुरू से योग्य है और जब कताई की हर तरह से और सभी जगहों में प्रगति हुई है तो यहा सब से अधिक और सब से पहले प्रगति होना अनिवार्य था और वैसा ही हुआ है । इसलिये जब मुझे यह बतलाया गया कि अम्बर चर्खे पर कातकर उसके जरिये से 40, 45 रुपये मासिक लोग यहां पैदा कर सकते हैं और जो महीन सूत कातते है वे 70, 75 रुपये मासिक तक बना सकते है तो मुझे और भी प्रसन्नता हुई । इस वक्त अम्बर चर्खे पर बहुत जोर दिया जा रहा है और उसमे बहुत आशा की जा रही है । जो लोग प्रयोग करके देखते है उनका कहना है कि इसमें और तरक्की हो सकती है तो आगे के लिये और भी आशा बंध जाती है । मेरी तो यही आशा है कि इस केन्द्र का काम और भी आगे बढ़ेगा और जैसे खादी के काम में यह आगे रहा है उसी तरह से अम्बर चर्खे के मामले में भी, इस प्रान्त के लिये तो है ही, शायद भारतवर्ष के और प्रान्तों के लिये भी पथप्रदर्शक बनेगा । जो कुछ मैंने देखा उससे मझे संतोष हुआ और आशा हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो आशा है उसको अच्छी तरह से आप निभायेंगे और पूरा करेंगे ।

और अधिक मैं क्या कहूं । कुछ पुराने मित्र मिले और उनसे मिलकर खुशी हुई । बहुत दिनो के बाद उनसे मिलने का मौका मिला इसलिए उनसे मिलकर में प्रसन्न हुआ । पुराने चेहरे तो देखने को मिले ही पर वे जिस पुराने काम में लगे हुए थे उसी मे आज भी वे लगे हुए है इससे और भी मैं खुश हुआ । मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से वे काम को निभाते जायेंगे ।

---

दरभंगा जिले में कपसिया ग्रामोद्योग भंडार में भाषण; 2 फरवरी, 1958

# अधिक अन्न उपजाना आवश्यक

मुख्य मन्त्रीजी, बहनों तथा भाइयो,

मै तीन दिनो से उन इलाकों में दौरा कर रहा हूं जहा सूखा के कारण लोगों को कष्ट पहुचा है। और यह सुनकर और जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ कि आपका यह हरा-भरा इलाका आज उस विपत्ति में फंसा हुआ है और इसलिये मैंने सोचा कि यहा भी थोड़ी देर के लिये कम से कम आ जाऊ और आप सब से मुलाकात हो जाये तो कुछ हालचाल भी मालूम हो जाये और आप लोगों को सहायता देने के लिये क्या क्या किया जा रहा है इसका भी पता लग जाये। इसलिए रास्ते-रास्ते जहा-जहा पर उन लोगों को आज दूसरा कोई धंधा नही मिलता और धंधा न मिलने की वजह से जो अन्न खरीद नही सकते उनके लिये जो काम दिया जा रहा है और उस काम से पुराने तालाबों को साफ करके और गहरा बनाकर इस योग्य बन जाने का काम किया जा रहा है जिसमे अन्त में पानी पीने के काम में और जरूरत पड़े तो खेत पाटने के काम में लाया जाये यह काम हो रहा है उसको मै देखता आया हूं। जहा-जहा लोग मुझ से मिले उनसे यह भी दरियाफ्त करता आया हू कि उनको क्या मजदूरी मिलती है, वह कितनी होती है, कितना परिश्रम करके वे कितना कमा सकते है और यह भी मैंने सुना कि ऐसे लोग जिनमें इतनी शक्ति नहीं रही कि वे खुद हाथ-पैर चलाकर परिश्रम का काम कर सकें उनमे से बहुतेरे ऐसे है जो हल्का काम कर सकते है उनके लिये चर्खे इत्यादि का प्रबन्ध किया गया है जिसमें हल्के काम के द्वारा अपने निर्वाह के लिये कुछ पैदा कर सकें और जो बिल्कुल बेकार हो गये हैं और इतने कमजोर हो गये है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते है उनके लिये सोचा गया है कि उनको रिलीफ दिया जाये जब तक यहां की दशा सुधर नहीं जाये। गवर्नमेंठ की तरफ से, भारत सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, यह सब प्रबन्ध किया जा रहा है और मुझे आशा होती है कि लोगों को कष्ट बर्दाश्त करना पड़े तो पड़े मगर कोई भी आदमी खाने के बगैर मरने नहीं पावेगा और इसके लिये पूरा प्रबन्ध किया गया है। और जहां-तहां से अन्न पहुंचाने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

---

दरभंगा जिलान्तर्गत कपसिया ग्राम में एक सार्वजनिक सभा में भाषण; 2 फरवरी, 1958

अन्न में दिक्कत यह होती ह कि चावल उन्हीं प्रदेशों में हुआ करता था जहां सूखा पड़ गया है। इसलिये चावल दूसरी जगहों से आवे तभी हो सकता है और दूसरी जगहों और विदेशों से भी चावल मिलना मुश्किल है और इसलिये चावल के बदले गेहूं जो ज्यादा मिल सकता है हम अधिकतर मंगा रहे हैं जिससे लोगों को पहुंचाया जाये। आपके जिले मे भी गेहूं सरकारी दूकानों में मिलता होगा, बंटता होगा और शायद गेहू ही बंटता होगा। मैं समझता हूं कि गेहूं खाने से किसी को शिकायत नही होनी चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा अन्न है। चावल से भी उसमे अधिक ताकत है। कम गेहू से भी उतना ही बल मिल सकता है जितना ज्यादा चावल से। मैं भी आप में से ही हूं, चावल खानेवाला हू। दिल्ली में ऐसा कायदा बना दिया गया है कि आप लोगों के लिये हमको भी चावल छोड़ना पड़ता है। आप ऐसा समझें कि जो यहा तकलीफ है, कष्ट है उसका अनुभव सारे देश के लोग कर रहे हैं, विशेष करके गवर्नमेंट तो कर ही रही है। इसके लिये जो कुछ करना चाहिये कर रही है। मैं आपको यही नही कहने आया हूं कि जो विपत्ति आयी है उसको किस तरह से टाला जाए। यह तो दो चार महीने की बात है, किसी न किसी तरह टल जायगी। मगर एक चीज है जो हमारे सामने हमेशा रहती है और वह यही है कि इस देश में आदमी बहुत है। विशेष करके आपके जिले मे आदमी बहुत है और उनकी सख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। जमीन तो बढ़ नही सकती है। जितनी जमीन है उसमें कोई एक बित्ता भी नही जोड सकता। अगर सारे देश की दशा भी बदल जाये मगर उसकी जमीन को हम नही बढा सकते हैं। फिर हमारा पेट भरेगा किस तरह से? अन्न की कमी बराबर होती रहेगी। सिर्फ इस साल सूखा पड़ने की वजह से ही नही, हर साल हमको विदेशों से अन्न मंगाना पड़ेगा। तो अब यह सोचना है कि इस अन्न की कमी को हमेशा के लिये हम किस तरह से दूर करें। जमीन अधिक हो सकती नही। एक ही रास्ता है। वह रास्ता यह है कि जो जमीन है उसी में हम अधिक पैदा करें। जैसे एक बीघे में जहां हम 10, 12 मन पैदा कर रहे हैं वहां 15, 20 मन पैदा करें तो वह कमी दूर हो सकती है। हम देखते हैं कि दूसरे देशों में जितनी जमीन में हम 1 मन पैद करते हैं उतनी जमीन में वे 4, 5 मन पैदा करते हैं। तो मालूम होता है कि हमारी खेती के तरीके में गलती है। इसलिये अब हम को यही सोचना है कि हम किस तरीके से अन्न की पैदावार बढ़ा सकते है।

मेरा ख्याल है कि उसे बढ़ाना सहज है। आप जो किसान हैं जानते हैं। आपको हजारों-हजार वर्ष का अनुभव है कि अन्न की उपज किस तरह से

बढ़ायी जा सकती है। उसके लिये पानी चाहिये, अच्छा बीज चाहिये, खाद चाहिए। पानी के के लिए प्रबन्ध गवर्नमेंट की ओर से हो रहा है और यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि लोगों ने भी सूखा पड़ने के वक्त उत्साह दिखलाया और जो भी वक्त मिला उसका इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूं कि वह उत्साह सिर्फ एक साल के लिये नहीं रखकर हमेशा के लिये कायम रहे और पानी के लिये जो प्रबन्ध किया जा रहा है उसमें आप जो कुछ मदद कर सकते है मदद करें। पानी पहुंचाने के लिये नहरें बनायी जा रही है, तालाब तथा कुएं खोदे जा रहे है याने जहां जिस तरीके से पानी मिल सकता है वह काम किया जा रहा है और उसमें आपकी मदद होनी चाहिए।

इसी तरह से सुन्दर बीज भी बाटने का प्रबन्ध किया जा रहा है। अच्छे बीज से भी उत्पत्ति बढ़ जाती है। मगर सब से जरूरी चीज़ जो करनी है वह खेत मे खाद डालना है। जमीन से जब अन्न निकलता है तो जो पौष्टिक पदार्थ जमीन मे रहता है वह निकल जाता है। अगर हम जमीन में खाद नही डाले तो जमीन जल जाती है और पैदावार कम हो जाती है। उसको बढाने का यही तरीका है कि जो हम जमीन से लेते है उसको वापस करें। वापस करने का रास्ता है खाद देना। गोबर वगैरह से खाद होता है इसको आप जानते है। नया तरीका यों है कि किस तरह से गोबर को सड़ा कर खाद बनाया जाता है वह बात आप लोगों को मालूम है। मगर उसके साथ साथ एक तीसरा तरीका जो इससे भी आसान होगा वह है सब्जियों को पैदा करके उसकी जोत देना और सड़ा देना जैसे सनई तथा और कई चीजें ऐसी है जिसको खेत मे बो देते है और जब उसका पौधा थोड़ा बढ़ जाता है तो उसको जोत देते है और वह सड़कर खाद बन जाता है। आपके जिले में जलकुम्भी बहुत होती है। यदि जलकुम्भी को सड़ा दिया जाये तो उसका खाद अच्छा बन जाता है। अगर यह सब आप सीख लें, और यह कोई नयी चीज तो है नहीं जिसको आप नहीं कर सकते हो और खाद का इन्तजाम हो जाये तो कोई कारण नही कि जहा आप एक मन पैदा करते है वहां दो मन, ढाई मन क्यों नहीं पैदा करें। अगर ऐसा होगा तो अन्न का कष्ट दूर हो जायगा। जो विपति आयी है उससे भी लाभ उठाया जाये कि हमेशा के लिये विपत्ति दूर हो जाये। जो छोटे किसान हैं जिनके पास एक दो बीघा जमीन है वह समझते हैं कि हमारे खाने लायक हो गया तो क्यों अधिक पैदा करें। ऐसा नही सोचना चाहिए। उनके अलावा बहुत ऐसे है जिनको खाने लायक भी नही होता है। तो दूसरों के लिये बल्कि सारे देश के लिये अन्न पैदा करना जरूरी है और यह समझकर जितना अधिक अन्न पैदा

कर सकते हों करे। इसमें एक साथ दोनों काम हैं।। अपना फायदा भी होता है क्योंकि ज्यादा खाने को मिलता है और ज्यादा पैसे मिलते हैं और देश का भी लाभ होता है क्योंकि देश को अन्न मिल जाता है जो विदेशों से मंगाना पडता है। किसानों के लिए यह काम आसान है। मगर उनकी संख्या इतनी बड़ीहै कि सब लोगों तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। मगर हम आशा रखते है कि आप लोगों में से थोडे लोग निकल कर इस काम को हाथ मे ले लें और लोगों को यह उदाहरण दिखला दें कि किस तरह से वे पैदा कर सकते है तो बडा लाभ होगा। तो इस विपत्ति से यह लाभ उठाना चाहिए ।

एक काम दूसरे प्रकार का है वह भी जरूर होना चाहिए। अभी जो कष्ट का समय बीतता है उसको दूसरे प्रकार से इस्तेमाल कर ले तो वह भी काम होना चाहिए। चर्खे का रिवाज यहा बहुत दिनों से है। आज से 30, 35 वर्ष पहले यहा मै आया था और चर्खे का काम मैंने देखा था। आज भी यह देखकर मुझे खुशी हुई कि जैसी हम आशा रखते थे जो भाई उस वक्त इस काम को कर रहे थे अभी भी इसकी प्रगति वे कर रहे है। मै ने देखा कि कि चर्खे के काम मे बहुत प्रगति हुई है और वह काम बहुत आगे निकल चुका है। दूसरे छोटे-मोटे काम है जैसे कसीदा बुनने का काम या इस तरह के दूसरे छोटे-मोटे काम जो घरों में लोग कर सकते है लोगों को करना चाहिये जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाय। स्वराज्य का अर्थ तो यही है कि सब लोगों को सुख हो, लोगों को खाने का कष्ट है वह दूर हो, पढ़ाई-लिखाई की कमी है उसको दूर कर सके, दवा-इलाज का कष्ट दूर करें और जिसमें लोगों का स्तर ऊंचा हो और इसके अलावा शरीर और मन की उन्नति होनी चाहिए तब स्वराज्य का काम पूरा होगा।

इसके लिए गवर्नमेंट की नीति बन रही है और काम हो रहा है। उसका नतीजा अभी शायद देखने मे नहीं आता है और लोगों को मालूम नही कि इतना काम हो रहा है। मगर थोड़े ही दिनों के बाद नतीजा सामने आ जायगा जो लोगों को चकित करेगा। मै यही कहने के लिये आया हूं कि जब कोई विपत्ति आती है तो उसमें लोगों की मदद करना जरूरी है। मगर सब से अधिक मदद आदमी स्वयं कर सकता है। विपत्ति दूसरा कोई बांट नहीं सकता है। दूसरे लोग हिम्मत देकर, मदद देकर अपनी सहानुभूति दिखला सकते है मगर विपत्ति बांटने का काम मनुष्य का खुद ही है और वह तभी हो सकता है जब उसका हृदय प्रफुल्लित रहे, जब उसका विश्वास बना रहे और वह श्रद्धापूर्वक काम करता जाये। इसलिए हम चाहते हैं कि आप विपत्ति से घबड़ाएं नहीं।

इस इलाके मे मैंने बाढ़ के जमाने में देखा है कि गांव टापू बन जाते थे और एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो तो नाव पर ही लोग जा सकते थे। गांवों में कोई रहता नहीं था। कुत्ते भी भूखे मर रहे थे। और हम ने यह दिन भी देखा है। हम सूखे का दिन भी देख रहे है। दोनों प्रकार की विपत्ति है। मगर उनको ऊपर उठाने का आपका ही काम है और अपने में हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तो आप सब कर सकते है। गवर्नमेंट की जो मदद मिल रही है उसको आप ले मगर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें और अपने पुरुषार्थ से जो विपत्ति आवे उसका मुकाबला करने का प्रयत्न करे। यह सब से अच्छा तरीका है और मैं आशा करता हू कि इसको सीख करके आप और आगे वढ़ते जायेंगे।

# संकट-ग्रस्त स्थिति का निराकरण

भाइयो और बहनों,

जैसा आपने समझा होगा, मैं इस यात्रा में इस काम के लिये आया हूं कि यहां इस वक्त सूखा पड़ने की वजह से लोगों को जो कष्ट पहुंचा है उसके लिए क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है उसको देखूं और उनको जो दुख-सुख है उसे उनके मुंह से सुनूं। पिछले चार दिनों से मैं इस काम मे लगा हूं और कई जिलों में घूमता-फिरता आपके जिले में भी पहुंच गया हूं। समय कम होने के कारण आधा दिन से ज्यादा किसी एक जिले में नहीं दे सका हूं और इसी आधा दिन में जितना घूम सकता था, देख सकता था उतना देख सुनकर आया हूं और जो कुछ मुझे कहना था उसे आपसे कह भी देता हूं।

यहां की भी हालत कुछ यहां के नेताओं ने कही और डिप्टी कमिश्नर ने भी कही है। बात यह है कि एक विपत्ति इस समय आ गयी है और उस विपत्ति को हमको किसी न किसी तरह से काटना चाहिये। मैं जानता हूं कि खास करके इस इलाके में गरीबी है और वह आज से नहीं है बहुत दिनों से है, बराबर से है। ईश्वर ने इस इलाके को धनी बनाया है क्योंकि जितना धन उन्होंने यहां की जमीन के अन्दर दिया है उतना शायद कहीं नहीं दिया है। मगर वह पूरा आप लोगों के हाथ में नहीं था इसलिए गरीबी है। अब आप लोग जो इस जिले के हैं आपको सोचना और करना है। इस भूगर्भ के अन्दर जो खनिज धातु है उनको निकालने का जो काम है उस पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। आप समझें कि छोटानागपुर में जितने बडे बड़े कारखाने खुल रहे हैं उतने बिहार के अन्य इलाकों में क्या, हिन्दुस्तान के किसी इलाके में नहीं खुले हैं। इसलिए छोटा-नागपुर को इस बात की शिकायत नही हो सकती है कि वहा कारखाने कायम नहीं किये गये है या नहीं किये जा रहे हैं। यहां पर जो कोयले की खानें हैं उनका भी काम जोरों से चल रहा है और चलेगा। अबरख के मामले में, जैसा आपको बताबा गया है, उसका भाव आधा हो गया है। मगर वह अपने अख्तियार से बाहर की बात है। क्योंकि उसका भाव दूसरे देशों पर भी निर्भर करता है। मगर तो भी यहां के लोग ठीक तरह से अबरख का काम करें तो उससे काफी मदद मिल सकती है। गवर्नमेंट जितनी मदद दे सकती है वह दे रही है और आगे

---

चतरा में अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों की सभा में भाषण; हजारीबाग, 3 फरवरी, 1958

भी देगी। उसी तरह से लोहा एक एसी चीज है जो सब से ज्यादा इसी इलाके मे होता है मगर वह भी एक ऐसी चीज है जिसका दाम यहां के लोगों के हाथ मे नहीं है, विदेशों और सारी दुनियां के हाथ मे है। हां उसमें तरक्की करनी हो तो दूसरी बात है। यहां रिसर्च इन्स्टीट्यूट भी खोल दिया गया है जो कई वर्ष से काम कर रहा है। उसमें जो त्रुटि हो, जो आदमी समझ सकता हो वह गवर्नमेंट को बतावे तो गवर्नमेंट ध्यान देगी। दूसरे और खनिज पदार्थ भी आपके इस इलाके मे है और अभी तुरन्त वर्ष-दो-वर्ष के अन्दर रांची के इलाके में कल बनाने का कारखाना खोला जायगा। वह हिन्दुस्तान मे ही सब से बड़ा कारखाना नहीं, दुनियां के बड़े बड़े कारखानों मे से होगा जिसमें लाखो आदमी काम करेंगे। उसके साथ साथ जहा कोई कारखाना होता है वहा छोटे-मोटे कारबार पैदा हो जाते है। इसकी भी गुजाइश है। हमारे लोगों में उत्साह होना चाहिये, बुद्धि होनी चाहिए, उसमें कर्मठता होनी चाहिए, इसके लिये उनको ज्ञान की विद्या होनी चाहिए। तभी वे लोग इस सभी चीजों से लाभ उठा सकते है। अभी जो कारखाना राची मे खुलेगा उसके लिए आज से तैयारी करके लोग उस कारखाने के मातहत जो छोटे-छोटे कारबार हो सकते हैं उनको वनाना शुरू करे तो जब वह कारखाना तैयार होगा तब ये भी तैयार हो जायेंगे। मैंने कहा कि ईश्वर ने ये सभी चीजें आपको दी हैं। मगर हम लोगों मे ऐसी कमी है जिससे हम लोग जितना लाभ उठाना चाहिये उतना नही उठा सकते है। अभी जो कारखाने काम कर रहे है उनसे यहां के लोगों को जितना लाभ उठाना चाहिये उतना वे नही उठा रहे है। इसमें अब दूसरे का वश नही है, यह तो अब अपने वश की बात है। क्यो जरूरी हो कि बम्बई का आदमी आकर यहां बडा-बड़ा कारखाना खोले, क्यों दूसरे सूबे के लोग यहां कारखाने खोले और यहा के लोग देखते रहे और कुछ नही करे। यहां जो बहुत से ऐसे काम है वे और लोगों के हाथ में है, उनके मालिक, उनको चलानेवाले दूसरी जगहों से आये है। इसमे उन लोगो का दोष है यह हम नही कहेगे, इसमें तो हम लोगो का ही दोष है। अगर अच्छी तरह से इन सब कामों को हम चलाते तो हम सब से अधिक धनी हो जाते, सिर्फ खुद ही धनी नही होते बल्कि सारे देश को धनी बना देते।

खेती के बारे में अलबत्ता यहां की जमीन कमजोर है। वह सख्त है, ऊबड़-खाबड़ है जिसकी वजह से जो पानी बरसता है वह बह जाता है। यह सोचने की बात है कि कहां कहां हम पानी जमा कर सकते है और उससे काम ले सकते है। और जगहों पर ट्यूब-वेल्स खोदे जा रहे है। वहां चार सौ, पांच सौ फीट नीचे जाकर

बहुत पानी निकलता है। इस इलाके में नीचे पत्थर है और नल कूप नीचे ले जाना मुश्किल है। 30,40 फीट तक तो पानी मिल जाये। पर बड़े नल कूपों की यहां गुंजाइश कम है। हो सकता है कि कहीं मिल जाये, सौ जगहों में से दो चार जगहों पर मिल जाये मगर यह मुश्किल काम है। किसी के लिये भी मुश्किल है और गवर्नमेंट के लिये और भी मुश्किल है क्योंकि उसको रुपये खर्च करना पड़ता है। और जहां कहीं पानी का बन्दोबस्त हो सकता है, मैं रास्ते में देखता आया हूं कि बहुत जगहों पर अपनी हिम्मत से और गवर्नमेंट की मदद से कुएं खोदे जा रहे है। तो लोगों में हिम्मत और उत्साह है और हमारे यहां के लोग न मालूम कितने हजार वर्ष से खेती करते आये है, इसलिये उनको अनुभव भी है। तो जहां तक हो सकता है लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट का यह काम है कि जहां पानी की दिक्कत हो उसमें वह लोगों की मदद करे और मैं समझता हूं कि वह मदद कर रही है।

कई भाइयों ने अभी कहा कि इस इलाके को फेमीन एरिया डिक्लेअर किया जाये। फेमीन एक्ट बना था और अंग्रेजों ने अपने जमाने में बनाया था जिसमे दुर्भिक्ष पड़ने पर उस इलाके के लोग जो फेमीन एरिया डिक्लेअर होता था अन्न के बिना मरने न पावें क्योंकि इस कानून के अन्दर सरकार वहां की जनता को खिलाने की जबावदेही अपने ऊपर ले लेती थी। यहां बिना फेमीन एरिया डिक्लेअर किये सरकार ने लोगों को खिलाने की जवाबदेही अपने ऊपर ले ली है। हमारे केन्द्र के मन्त्री सब जगह घूम-घाम कर कह चुके है कि एक आदमी भी अन्न के बिना मरने नही पावेगा और इस राज्य के खाद्य मन्त्री भी कह चुके है। ऐसी हालत मे इस इलाके को फेमीन एरिया डिक्लेअर करने से कोई खास लाभ नही हो सकता है। अगर कोई खास लाभ होता हो तो बताइए तो उस पर जरूर विचार किया जायगा। मेरी समझ में नही आता कि कौन सा लाभ वह है, कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट आपको अभी देने के लिए तैयार नहीं जो उस वक्त गवर्नमेंट देगी। सभी जगहों पर छोटे-मोटे काम हो रहे है। लोगों को काम देकर उनसे परिश्रम लेकर उनको खाना देने के लिये हजारों की तादाद में काम हो रहे है। कहीं बांध बन रहे हैं, कहीं कुएं खोदे जा रहे हैं, कहीं नहरें खोदी जा रही हैं। इसका ध्यान रखा गया है कि ऐसा काम हो जो केवल इसी वर्ष के लिये नहीं बल्कि जिसका फल स्थायी रह जाये। ऐसा काम होना चाहिए जिससे कई वर्षों तक खेती के काम में मदद मिलती रहे। इसी तरह का काम सभी जगहों में हो रहा है। आपके इस जिले में भी हो रहा है।

उसमें कोई त्रुटि मालूम हो तो आप अधिकारी लोगों को बताइए और उनका फर्ज है कि वे उस पर ध्यान दें।

मगर मैं चाहूंगा कि जहां तक हो सके दो चीज़ों पर ध्यान रखा जाये। एक तो यह है कि कोई भी गवर्नमेंट या व्यक्ति न दूसर की विपत्ति बांट सकती है न ले सकती है। वह थोड़ी सहायता ही कर सकती है। विपत्ति को टालने की शक्ति लोगों में ही है। गवर्नमेंट जो मदद कर सकती हो वह करे मगर वह विपत्ति को नही ले सकती है। मैं चाहूंगा कि आप जो प्रतिनिधि वर्ग के लोग है जो लोगों मे जाते है आप लोगों को समझायें कि उनको क्या करना है। उनसे सिर्फ यही नही कहे कि गवर्नमेंट यह नही कर रही है, वह नहीं कर रही है। जो आप समझते है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए और नहीं हो रहा है तो आप गवर्नमेट से कहे तो वह जरूर करेगी। अगर किसी जगह पर किसी गवर्नमेंट के अफसर की वजह से सहयोग नही मिला हो उसकी शिकायत आप ज़रूर करें कि फ़लानी जगह पर फ़लाने कारण से यह काम हो रहा है, यह काम नहीं हो रहा है।

तो मैं यही कहने आया हूं, कि इन सब चीज़ो पर इस तरीके से ध्यान दें। मैं यहां आया हूं, जैसा मैं ने कहा, खास करके एक काम के लिये। वह काम था कि इस वक्त सूखा की वजह है जो विपत्ति आयी है उसको देखने और सुनने के लिये। इस वक्त ऐसी चीज़े कही गई है जिनका विपत्ति से सम्बन्ध नही है। अभी जगल कानून की बुराई की गई है। वह सूखे के कारण नही बना है। उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसका सूखे से सम्बन्ध नहीं है। उसी तरह से रेलवे के सम्बन्ध मे कहा गया है। उसका भी इस सूखे से ताल्लुक नही है। अगर आपकी यह मांग है तो आप जरूर पेश कीजिए लेकिन जिनसे इन चीज़ो का ताल्लुक हो उनके पास। सब चीज़ों के लिये मौका होता है, सब चीज़ों के लिये सुयोग होता है। मौके से कहने से वह काम हो जाता है और बेमौके कहने से काम नही हो सकता है।। मैंने सुना कि पहले सर्वे भी हुआ था मगर किसी कारण से वह नहीं हो सका। हिन्दुस्तान में बहुत जगहों पर रेल बनाने की ज़रूरत है, सड़कें बनाने की ज़रूरत है, बहुत जगहों पर बड़ी-बड़ी नदियों को बांधना ज़रूरी है। गवर्नमेंट उतना ही काम अपने हाथ में ले सकती है जितना एक समय में वह कर सकती है। जितना वह कर सकती है उतना काम उसने हाथ में लिया है। उसने जितना हाथ में ले लिया है वह किया जा रहा है। कहा नहीं जा सकता है कि इतना कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। हाथ में ले लेने से ही नहीं होता है,

उसको कर देना चाहिये । पंचवर्षीय योजनाएं, बनी है, सोच-विचार करके बनी है देश को कितनी ज़रूरत है । इसमें सोचना पड़ता है कि पहले कितना करना चाहिए । जब एक साथ सभी नहीं हो सकते तो किसी को आगे और किसी को पीछे करना पड़ता है । मगर इसका मतलब यह नही कि आपकी तरफ किसी का ध्यान नही है । खास करके जब सर्वे भी हुआ है । मैंने दरियाफ्त नहीं किया है कि किस कारण से वह रुक गया है । मै अनुमान करता हूं कि इस वक्त शायद सरकार उसे हाथ में नही ले सकती है क्योंकि दूसरी जगहों पर उसने काम हाथ मे ले रखे है । सभी जगहों मे सरकार एक ही समय में काम हाथ में नहीं ले सकती । जरूरत पड़ेगी तो यहां भी करेगी । आप लोग सरकार को याद दिलाते रहियेगा मगर मौके से याद दिलाइए ।

गवर्नमेंट ने बड़ी-बड़ी नदियों को बांधने की कई योजनाए अपने हाथ में ले रखी है । उन पर काम हो रहा है और करोडो-करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे है । आप समझे कि 10 वर्ष हुए जब हमारे हाथों मे अधिकार आया । इन दस वर्षों मे जितना काम हुआ है उतना काम ब्रिटिश शासन काल भर मे नही हुआ और खास करके इस तरीके का काम जो लोगो ने मिल-जुलकर किया है । हमारा तरीका यह रहा है कि सब की राय से, बगैर किसी पर जबर्दस्ती किये हम सब काम करते जा रहे है । इस तरह से हमारे काम का एक गणतन्त्रात्मक तरीका है । जितना इस तरीके से इस देश मे हमने काम किया है उतना और किसी देश मे नही हुआ है ।

तो हम चाहेगे कि तत्काल जो कप्ट है, जो स्थिति है उससे घबड़ा कर आप निराश न होवें और किसी पर दोषारोपण नही करें, हां, जहां पर गलती हो ज़रूर कहें । जैसे दुकान के सम्बन्ध में बताया । जितना हो गया है उसको तो नहीं कह सकते है । हम जहां जाते है लोगों से यही कहते है । हम आप लोगों से भी कहते है कि आप लोगो को समझायें । गवर्नमेंट से हम कहते है कि यह आपका काम है आप इसे कीजिये । लोगों से कहते है कि यह आपका काम है इसे आप कीजिए । अगर गवर्नमेट की गलती हो तो गवर्नमेट के अधिकारियों से बताइए । अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो यह विपत्ति आसानी से कट जायेगी । यही कहने के लिये मै आया हूं और मै आशा करता हूं कि आप सब इस पर ध्यान देंगे ।

मुझे यह देखकर खुशी हुई कि जहां-जहां पानी नहीं पहुंच सकता है लोग कुएं खोद रहे है । गवर्नमेंट से भी उन्हें मदद मिल रही है । मैंने कल गया ज़िले

में देखा कि लोगों ने अपने परिश्रम और सरकारी मदद से एक नदी में बांध बांध डाला। उसी तरह से यहा भी हिम्मत की आवश्यकता है। जो मनुष्य अपनी मदद करता है उसकी मदद ईश्वर भी करते है और गवर्नमेंट भी मदद करती है। आप मे हिम्मत होगी तो यह विपत्ति कट जायेगी। विपत्ति किसी दैवी प्रकोप से आ जाये तो उसका आप अच्छी तरह से मुकाबला कर लेंगे और उसमें सफल हो जायेंगे।

आपको हम से दूर रखने की बात कही गई। इसमे भी गवर्नमेंट की बात है। सरकार का सरक्यूलर निकला है और उसका कारण आप जानते है। हमको डर नही है, राष्ट्रपति होने पर भी मुझे किसी का डर नही है, मै किसी भीड़ मे जा सकता हू। जवाहरलाल जी को भी डर नही है। मगर ऐसा मौका हो गया है, गाँधी जी पर गोली चलायी गई। जवाहरलाल जी पर भी प्रयत्न किया गया। वह प्रयत्न कामयाब नही हुआ। पर गवर्नमेंट के अधिकारियो को इसका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उनकी जवाबदेही आ जाती है। इसलिये उनकी तरफ से हुक्मनामा निकल गया है। इसमे अधिकारियों का दोष नही है। मै जहां जाता हूं लोगों को नजदीक बुला लेता हूं। तो सरकारी हुक्म भी रह जाता है और वह काम भी हो जाता है। मैने इसलिये आपको यह बताया कि आप यह नही समझें कि यहां के अधिकारियों ने आपको हमसे अलग रखने का प्रयत्न किया है। (जनता की भीड़ जहां राष्ट्रपति जी थे उस स्थान से कुछ दूर रखी गई थी।)

# गया में सार्वजनिक सभा

मन्त्री महोदय, जिला परिषद् के अध्यक्षजी, गया के बहनो और भाइयो,

मैं इधर कई दिनों से इस सूबे का 'दौरा करता रहा हूं और कई जगहों पर भाषण देने पड़े हैं जिसके कारण से मेरी आवाज़ भी बुझ गई है और जो कुछ मैं आप से कहना चाहता हूं वह यदि आप शान्ति से सुनेंगे तो आप तक वह पहुंच सकेगा।

इस समय इस प्रान्त के भीतर प्रायः सभी जिलो मे सूखा पड जाने की वजह से अन्न की कमी है और केवल इसी प्रान्त में नहीं बल्कि आस-पास के और कई प्रान्तों में भी वैसी ही दशा है। मै अब तक उडीसा, उत्तर प्रदेश जहां सूखा पड़ा हुआ है होकर यहां आया हूं और इसके बाद मै समझता हू कि कि मध्य प्रान्त में भी चन्द दिनों के अन्दर ही जाऊंगा क्योंकि इस सभी जगहों में लोगों को कष्ट हो रहा है और मै जाकर और कुछ तो नही, अपनी आंखो से देख लेता हूं "और दो-चार शब्द कह देता हू तो अपने दिल को संतोष होता है और मुमकिन है कि लोगो को भी सांत्वना मिलती हो।

बात यह है कि इस तरह की विपत्ति जब तब आया करती है। आज हिन्दुस्तान की यह हालत है कि उसके पास खाने के लिए पूरा अन्न जब अच्छी फसल होती है, समय पर वर्षा होती है तब भी हम पैदा नही कर सकते और इसलिए हमको लाखों-लाख टन अन्न विदेशों से हर साल मगाना पडता है जिससे देश के लोगों के लिए खाना खरीदने के लिये करोड़ो रुपये विदेशो मे भेजने पड़ते है। जो लोग आजकल तकलीफ मे है और सरकारी दुकानो से गेहूं खरीद रहे है वह अक्सर विदेशों से ही आया हुआ गेहूं है और अब दिन-ब-दिन ऐसी हालत होती जा रही है कि यदि इसी तरह से चलता रहा तो आगे बहुत बुरा समय आ सकता है। इसलिये यह ज़रूरी है कि देश के लोग इस बात को समझ लें कि देश में काफी अन्न पैदा करना उनका धर्म है जिसमें देश को विदेशो से अन्न मंगाने की ज़रूरत नही रह जाये।

इस समय जो अन्न कष्ट के निवारण के लिये प्रबन्ध किया गया है उसमें इसका ध्यान रखा गया है कि जिन लोगों से काम कराकर मज़दूरी देकर अन्न खरीदने की शक्ति उनको दी जा रही है उन लोगो को ऐसे कामों में लगाया जाय

---

गया में एक सार्वजनिक सभा में भाषण; 3 फरवरी, 1958

जिससे ज्यादा अन्न पैदा करने मे हमेशा के लिये हमको फायदा पहुंचता रहे। किसान लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते है कि अन्न की पैंदावार के लिये सब से अधिक ज़रूरी चीज़ पानी है। अगर पानी समय पर मिले तो अन्न हम आसानी से पैदा कर सकते है और ज्यादा भी पैदा कर सकते हैं। इसलिये मैं जहां-जहां गया हूं मैंने देखा है कि जिन लोगो से मेहनत का काम लिया जाता है उनको अन्न दिया जाता है। नहर, पोखरे बनाने, बांध बनानें, नहर, नाले खोदने तथा कुएं खोदने का काम ज्यादा करके दिया जाता है और गवर्नमेंट की ओर से यह राय भी है कि इस तरह के काम मे सबसे पहले पानी पहुंचाने का काम हाथ मे लिया जाये। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई और इससे भविष्य के लिए भी आशा होती है कि सभी जगहों पर लोग अपने उत्साह से गवर्नमेंट की मदद लेकर कुएं खोदने, बाध बाधने, तालाब खोदने में बहुत परिश्रम कर रहे है। तो इस तरह से एक पंथ दो काज साथ-साथ हो रहा है। इस समय जो तकलीफ है वह भी कुछ हद तक दूर हो रही है और आइन्दे के लिये कुछ ऐसे सामान तैयार करते जा रहे है जिनमे अन्न उपजाने में सुविधा हो।

अन्न उपजाने के लिये पानी के अलावा जमीन मे खाद देना भी ज़रूरी है। क्योंकि ज़मीन से जो हम अन्न के रूप में ले लेते है उसका फिर से किसी न किसी रूप मे खाद के रूप मे वापस नही करें तो जमीन दिन-प्रति-दिन कमज़ोर होती जायगी और उसकी पैदावार कम होती जाएगी। इसलिए खाद देने से केवल यही नही कि पैदावार बढ़ जाती है बल्कि आगे के लिये भी ज़मीन अच्छी और उपजाऊ बन जाती है। इसलिये पानी खाद दोनो आवश्यक चीज़े है। हमारे देश में खेती का काम तो न मालूम कितने दिनों से लोग करते आ रहे है और इसलिए यहा के किसान इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते और समझते है। आजकल विज्ञान के द्वारा बहुत-सी नई-नई बाते भी निकल गई है। उससे भी लाभ उठाना चाहिए और जो लोग कृषि विभाग के अफसर है उनका भी यह काम है कि खेतों की हालत देखकर कहां किस तरह से कृषि की तरक्की हो सकती है, खेतों मे अधिक अन्न पैदा किया जा सकता है उस तरीके को लोगों को बतावें और लोग इस तरह से काम करके अन्न अधिक पैदा करें।

हमारे देश के लोगों की एक आदत है और वह एक तरह से एक बड़ा गुण भी है कि हम लोग थोड़े में संतुष्ट हो जाते है। इसलिये कोई गृहस्थ अगर थोड़ा भी अपने खेत में पैदा कर लेता है और वह उसके लिये काफी होता है तो वह समझता है कि उसका काम पूरा हो गया और उससे ज्यादा पैदा करने की जरूरत

नहीं है। मगर बात ऐसी नही है। अन्न हमें केवल अपने ही लिये नही पैदा करना है। अन्न देश के लिये भी पैदा करना है क्योकि एक बहुत बड़ी तायदाद ऐसे लोगों की है जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं उनके लिये भी अन्न पैदा करके उनको देना है नही तो इस देश के करोड़ों आदमी या तो अन्न के बिना रह जाये या उनके लिये विदेशों से अन्न मंगाना पड़े जिसका अर्थ यह है कि अपने देश के करोड़ों करोड़ रुपये अन्न के दाम मे बाहर भेजना पड़े। तो कोई भी किसान जब अपने लिये जोतने बोने लगे तो उसका यह प्रयत्न रहना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा अपने लिये वह अन्न पैदा कर लें और यह करना सम्भव है। अगर यह कहा जाये कि आसान है तो वह भी ठीक है क्योकि इस देश की उपज बहुतेरे देशो से बहुत ही कम है या हम जितना पैदा करते है बहुतेरे देशो में उसकी जगह पर हमसे चार-पांच गुणा ज्यादा पैदा कर लेते है। जितनी जमीन मे हम 10 मन पैदा करते है उतनी ही जमीन में कई देश के लोग 40,50 मन पैदा कर सकते है और कर लेते है, विदेशों में ही नही, हिन्दुस्तान मे भी दूसरे प्रान्तों में बिहार के मुकाबले में लोग अधिक पैदा करते हैं। तो हम जो बिहार के रहनेवाले है हमारा यह काम है कि हम यहां की पैदावार बढ़ावें, जमीन यहां की खराब नही है। यहा की जमीन उतनी ही अच्छी है जैसी दूसरे प्रान्तों की है और जैसी जमीन विदेशों में होती है। इसमें अपना परिश्रम, अपना उत्साह, अपनी बुद्धि लगाने की बात है। अगर समझदारी से अपने अनुभव को काम में लाकर नये तरीके को काम में लाया जाये और पानी और खाद का ठीक इन्तजाम किया जाये, अच्छा सुन्दर बीज लगाया जाए, ठीक समय से खेत को जोता बोया जाये और अन्य जो प्रक्रियाएं उसमें लगती है वह सब किया जाये तो इसमें संदेह नहीं कि हम काफी अन्न पैदा कर सकते है और पैदा करना दिन-प्रतिदिन अधिक आवश्यक होता जा रहा है। यह समझकर हर आदमी को इसमें पड़ना चाहिए क्योकि इसके जरिये से अपने ही लिये नही बल्कि देश के लिए अधिकाधिक अन्न पैदा कर सकते है। इसमें भी एक पंथ और दो काम होगा। अपने लिये हम अधिक पैदा करेगे तो अधिक मुनाफा करेंगे ही, चाहेंगे तो हम अधिक खायेंगे, बच्चे भी अधिक खायेंगे और साथ-साथ देश को भी उसके द्वारा बड़ा कल्याण और भलाई हो सकती है। यह समझ कर हम चाहते है कि सभी किसान इसमें पडें, परिश्रम करें और बुद्धि लगावें जिसमे जहा 1 मन पैदा होता है वहां अधिक डेढ़ मन दो मन भी पैदा कर लें। इससे अन्न की पैदावार बढ़ जायेगी। हम समझते है कि उससे भी और अधिक वे पैदा कर सकते है कम-से-कम एक के बदले डेढ़-दो मन पैदा करने का प्रयत्न अवश्य करें।

यह विपत्ति का समय है। विपत्ति को काटने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से कई तरह के उपाय सोचे गये है। एक तो मैंने कहा कि जहां तक हो सके सब को धंधा मिले और जो धंधा नही करने की वजह से अन्न खरीद कर नही खा सकते उनके लिये दो प्रकार के काम गवर्नमेंट की ओर से दिये जा रहे है। एक तो वह काम है जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है और जो हट्टे-कट्टे लोग है, जो मजदूरी का काम करते आये है और जो शरीर से अच्छे है उनके लिये वह परिश्रम का काम है। दूसरा काम जो हल्का काम है उसको घर में हमारी बहनें, स्त्रियां कर सकती है या जो मर्द लोग किसी कारण से कमजोर हो गये है वे भी उसे कर सकते है। जैसा मैंने कहा, सख्त कामों में जैसे मिट्टी काटकर तालाब खोदना, कुएं खोदना, बांध-बांधना, मरम्मत करना यह काम हो रहा है। हल्के कामो में चर्खे का काम है, चटाई बुनने का काम है, बास का काम है या इस तरह के और जो हल्के काम हो सकते है और किए जा सकते है। अगर आपको कोई ऐसा काम नजर आवे जो बड़े पैमाने पर किया जा सकता हो तो यहां के अधिकारियों को बतावें, वे लोग उस पर विचार करेंगे और लोग चाहे कठिन काम हो चाहे हल्का काम हो जिसको जरूरत हो वह उसको जाकर करे और इस तरह से इस कठिन समय को काट ले। यों तो जो मामूली तौर से काम करते है, मजदूरी करते है वे अपना काम करेंगे और जिनको काम नही मिल सकता है उन लोगों के लिये यह सब प्रबन्ध किया गया है। हम तो आशा करते है कि जो बहुत तकलीफ में है और जो अपने पैरो पर खड़ा होकर अपना काम कर सकते है उनको तक्कावी कर्ज देने का प्रबन्ध होना चाहिये। जिनको जरूरत हो वे अधिकारियो के पास पहुंच सकते है और उनको इस तरह की मदद मिल सकती है। मगर इन सब के अलावा कुछ गरीब ऐसे भी है जो न काम कर सकते है और न जिनकी जमीन है और न जिनको कोई काम करने का मौका है। वैसे लोगों को मुफ्त खाना भी देने का इन्तजाम है और होगा। मगर यह आप समझें कि यह वैसे ही आदमियों के लिये है जो किसी तरह से अपना पेट पाल नही सकते है। कोई आदमी जिसको आत्म सम्मान है इस तरह का खाना लेना भी नहीं चाहेगा और गवर्नमेंट देना भी नही चाहती। यह तो वैसे ही लोगों के लिये है जो बिल्कुल मजबूर है, अपाहिज है और जो कुछ नहीं कर सकते है, उनको किसी तरह से खिलाकर जिन्दा रखना जरूरी है। जो लोग आज तक हमको खिलाते थे वे आज खुद तकलीफ में है। अपने को ही पालना उनके लिये कठिन हो गया है। इसलिये यह भार गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया है। यह सब काम किया गया है और किया जा रहा है।

मगर कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है तो उस विपत्ति का मुकाबला लोग खुद ही कर सकते है। दूसरा कोई नही विपत्ति से उनको निकाल कर बाहर ले आ सकता है। अपने में हिम्मत होनी चाहिए, अपने दिल के अन्दर इतना भरोसा होना चाहिये कि इस समय को हम किसी न किसी तरह से अपने बल से, पुरुषार्थ से काट लेंगे और इसी तरह अगर गवर्नमेंट की मदद मिल जायेगी तो खुशी से हम उस मदद को लेंगे, उसमें जो कुछ हमको सहयोग करना होगा, सहायता देनी होगी वह भी हम करेंगे और देंगे और अपने पैरों पर ही खड़ा रहना पसन्द करेंगे। जो लोग इस तरह से हिम्मत बांधकर अपन पैरों पर बड़े रहना चाहेंगे उनकी मदद गवर्नमेंट भी करेगी और ईश्वर भी करेगा। मेरा विश्वास है और जो कुछ मैने तीन-चार दिनों के अन्दर घूमकर कई जिलों में दखा है उससे मेरा यह विश्वास दृढ़तर हुआ है कि लोग इसके लिये तैयार हैं कि वे अपने बल से, पुरुषार्थ से, अपने भरोसे पर अपने पैरों पर खड़े होकर इस विपत्ति का मुकाबला करेंगे। सब से बड़ी और कीमती चीज यही है कि विपत्ति में दबकर लड़खड़ा नही जाना, गिर नहीं जाना, मुश्किल से मुश्किल मुसीबत के सामने भी सिर नही झुकाना बल्कि ईश्वर पर भरोसा करके अपना बल लगाकर उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना ही मर्दानगी का काम है और यही बहादुरों का काम है। हमारे देश के लोग इस तरह की विपत्ति आज तक सहते आये हैं और आज भी जो विपत्ति आ गयी है उसको काट लेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

हमको स्वराज्य मिले अभी केवल 10 वर्ष हुए है। इन 10 वर्षों के अन्दर बहुत बड़े-बडे काम हाथ में लिये गये है। अभी उनका पूरा फल हमको देखने में नही आ रहा है क्योंकि वे काम इतने बड़े-बड़े हैं कि उनके बनने में, तैयार होने मे भी कुछ समय लगा है और अभी और भी समय लग रहा है। इससे घबड़ाना नही चाहिए और यह नही सोचना चाहिये कि कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते है कि कहां पर क्या और कितना काम हो रहा है। मै आपसे यही कहना चाहता हूं कि किसी एक सूबे या जिले में नही, हिन्दुस्तान भर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक आज बहुत जोरों से कितने प्रकार के काम किये जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी नदियों को बांधकर, नहरें खोद कर पानी ले जाना, नदियों से जल बिजली पैदा करके और बिजली के कारखाने चलाकर बिजली पैदा करने के लिये बड़े-बड़े कारखाने खोलने के जो प्रयत्न हम ने किये हैं और हो रहे हैं उनको देखकर अपने देश के लोग ही नहीं विदेशों के लोग भी चकित हो जाते

है कि इतने कम समय में इतना काम कैसे हाथ में लिया गया है। सभी यह जानते है कि हमको जितना काम करना है उसके मुकाबले में जो हुआ है और जो हो रहा है वह कम है, अभी और भी हमें बहुत करना है। मगर उसमें समय लगता है। आपको अगर एक कोस चलना हो तो समय से उतना चलियेगा, कदम-कदम चलियेगा। आपका एक डग के बाद दूसरा डग पड़ेगा और इसी तरह से डग उठाते जायेंगे तो 100,1000 डग मे एक मील पार करेंगे। अगर कोई कहे कि एक छलाग में हम एक मील चलेगे तो यह सम्भव बात नही है। वह नही हो सकता है। तो आप यह सोचें कि हम रास्ते पर है और एक-एक करके कदम उठाते जिधर हम को जाना है जा रहे हैं और समय पाकर जहां तक हमको पहुंचना है वहां पहुंच जायेंगे। अगर कोई कहे कि छलांग क्यों नहीं मारते तो मैं कहना चाहूंगा कि हम उतना ही बड़ा डग डाल सकते है और जितने लम्बे हमारे पैर हैं उसके मुकाबले में हम डग से चल रहे है और जितनी तेजी से हम डग चला सकते हैं उतनी तेजी से चला रहे है। उससे ज्यादा छलाग मारेंगे तो हम गिर पड़ेंगे और हमारे लिये उठना मुश्किल होगा। तो समझदारी इसी में है कि अपनी शक्ति को माप तौल कर जितना हम कर सकते हैं करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

एक तरफ जहां किसानों की उन्नति के लिये पानी का इन्तजाम बड़े पैमाने पर और छोटे पैमाने पर किया जा रहा है, दूसरी तरफ अन्न के अलावा दूसरी चीजों की पैदावार बढ़ाने के लिये कारखाने खोले जा रहे है। बड़े-बड़े कारखाने जिसमें जगह-जगह 10, 20, 25 हजार आदमी काम करेंगे इस तरह के कारखाने खोले जायेंगे। बहुत खुले भी है। दूसरी तरफ हम ऐसे काम करना चाहते हैं जो घर-घर में रहनेवाले लोग अपना समय कोई धंधा नही होने के कारण बिता देते हैं उसको भी काम में लगावें, छोटे-छोटे घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर उस समय को भी काम में लगावें और उससे लोग कुछ कमायें। तो दोनों मिसाल बड़े-बड़े कारखानों की और चर्खा जैसे छोटे धंधों का हम ने बताया।

बडे-बड़े कारखानों में आपको सुनकर आश्चर्य नही होना चाहिए कि स्वराज्य होने के बाद हम इस योग्य हो गये है कि यदि जो रेल चल रही है उसी को ले ले तो उसके इंजिन, रेल गाड़ी के मुसाफिरी डब्बे, माल ढोने के डिब्बे अपने देश में बन रहे है और आज ऐसी हालत है कि अपनी जरूरत के मुताबिक ये सब चीजें हम बनाने लग गये है और अब थोड़े ही दिनों के अन्दर उनमें से एक चीज़ भी हमको विदेशों से मांगने की जरूरत नहीं होगी बल्कि दूसरे देशों मे हम

बेचकर कुछ पैसे भी ला सकते हैं। इसी तरह से एक जमाना था जब हम चर्खे को भूल गये थे और नये कारखाने हम अभी नही खोल पाये थे। सैकड़ों करोड़ रुपये का कपड़ा हमको विदेशों से मंगाना पड़ता था। आज एक तरफ चर्खे बढ़ रहे हैं और चर्खे के सूत के कपड़े मे काफी तरक्की हो रही है, दूसरी तरफ कपड़े के कारखाने का कपड़ा इतना काफी हो गया है कि देश के लिये जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा कपड़ा तैयार हो रहा है। अब हमको विदेशों से कपड़ा मंगाने की जरूरत नही होती है। अब हम बाहर भी कपड़ा भेज रहे हैं। मामूली चीज नमक है जिसके बिना एक आदमी भी नही रहेगा। नमक भी हमको विदेशों से मंगाना पड़ता था यद्यपि हमारे देश की तीन तरफ समुद्र है। देश के अन्दर भी झीलें है जिनमें नमक है, पहाड़ भी ऐसे है जिनमें नमक है। तो भी हमको नमक विदेशों से मंगाना पड़ता था। लेकिन इन्ही, 8, 10 वर्षों के अन्दर अब देश में इतना नमक पैदा होने लग गया है कि हम जहाजों पर भर-भर कर विदेशों मे भी नमक भेज रहे हैं, अपने देश की जरूरत पूरी तो कर ही रहे है।

जो लोग खेत में कृत्रिम खाद का इस्तेमाल करते है वे जानते है कि आज से ५–७ वर्ष पहले उस खाद का मिलना इस देश में कितना मुश्किल था। वह खाद करोड़ों रुपये का विदेशों से मंगाना पड़ता था। आज हम अपने देश में ही उसे पैदा कर रहे है और लोगों में उसका प्रचार हो रहा है। यहां उसकी खपत हो रही है और उसकी पैदावार बढ़ रही है। तो मैंने ये दो-चार उदाहरण आपको दिए। आपको सुनकर आश्चर्य नही होना चाहिये कि ये मोटर कार जो इतनी चलती है जिनको करोड़ों रुपये खर्च करके हम विदेशों से मंगाते रहे हैं अब देश मे बनने लग गयी है। अभी उतना उसका कारबार नही बढ़ा है कि हम विदेशों से नहीं मंगावें। उसमें जो कल पुर्जे लगते है उनको विदेशों से ही मंगाना पड़ता है। मगर कई चीजें है जो यहां की है और उनको मिलाकर मोटर कारें यहां बनने लगी है और बहुतेरी ऐसी मोटर कारें है जो इसी देश में बनती है। आपको यह सुनकर आश्चर्य नही होना चाहिये कि थोड़े ही दिनो के अन्दर हवाई जहाज भी इस देश के अन्दर बनने लगेगे।

कोयले की खान, लोहे की खान तथा दूसरे प्रकार के खनिज-पदार्थ की खाने चारों तरफ खोदी जा रही है और निकाली जा रही है और अधिकाधिक निकाली जा रही है। आप ऐसे स्थान पर है जो खनिज-पदार्थों के एक प्रकार से दरवाजे पर है। तो ये सब जब अच्छी तरह से, पूरी तरह से काम में आने लग जायेंगे तो देश की हालत सुधर जायेगी। मै यही चाहता हूं कि देश के लोग उत्साह के

साथ सब काम मे पड़े और सहयोग दें। जो ग्राम विकास का काम किया जा रहा है और ग्राम विकास के जरिये गांवों की हालत सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसमें जब तक गांव के लोग पूरी तरह से सहयोग नहीं देंगे तब तक वह काम पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि उसमें भी आप लोग पूरी दिलचस्पी लें और उत्साहपूर्वक उस काम में लगे जिसमें अधिक तरक्की हो, और तरक्की किसानों की हो, सब लोगों की हो, गांव में रहनेवालों की हो, शहर में रहनेवालों की हो। यह करना हम लोगों का धर्म है और यही हमारा काम है। यद्यपि जो विपत्ति आयी है उसको काट सकते है मगर विपत्ति से ज्यादा पैदा करने का पीछे का काम है। इसलिये जो विपत्ति आयी है उसका ऐसा प्रबन्ध कर रहे है, ऐसे साधन तैयार कर रहे है जो हमेशा के लिये अन्न के कष्ट को दूर कर दे तो हम समझेंगे कि भगवान ने इस विपत्ति को सम्पत्ति के रूप में ही भेजा था और मेरे दिल में कोई संदेह नहीं कि अगर आप लोग सहायता करेंगे तो यह काम पूरा हो जायेगा।

और मै क्या कहूं। मै लोगों का दु:ख देखने आया था और खुश होकर जा रहा हूं। लोगों का दु:ख देखकर दुखी हुआ पर लोगों की सहायता का जो प्रबन्ध किया जा रहा है उसको देखकर खुश होकर जा रहा हूं। मै आशा करता हूं कि आप सब को खुश करेंगे और देश का कल्याण करेंगे।

# बिहार के दौरे के संस्मरण : पटना में भाषण

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्री जी, बहनो तथा भाइयो,

मै पिछले चार दिनों से इस सूबे मे ६ जिलो मे फिर कर आज फिर यहां पहुंच सका हूं और इस दौरे का जो खास मकसद था वह यही था कि यहां जो सूखा पडने की वजह से लोगो को दु:ख और तकलीफ पहुंच रही है उसका हाल कुछ अपनी आंखो से देख लू और अपने कानो से सुन लूं और उसके निवारण के लिये जो कुछ किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से उनको मदद दी जा रही है उसका भी कुछ पता लगा लू । और मै इन ६ जिलाओं में जो कुछ देख सुनकर आया हूं उसके बल पर आपसे यह कह सकता हूं कि कि मुझे इस बात का इतमिनान हुआ है कि यद्यपि यह बड़ी विपत्ति है और सारे सूबे मे फैली हुई है तो भी लोग अपने उत्साह से और गवर्नमेंट की मदद से उसको पार कर जायेंगे ।

मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि बहुत जगहों पर लोगो ने कुछ न कुछ जब सूखा पड़ने लगा तो जहाँ से और जिस तरह से हो सका पानी का बन्दोबस्त करके अपने खेतो को पटाया और कुछ थोड़ा पैदा कर लिया । और इसी तरह से इस रब्बी की फसल में भी अपनी ओर से जी जान लगाकर काम कर रहे है । इस बार तो ईश्वर की भी थोड़ी दया हुई है ? पिछले 5, 6 दिनों के अन्दर थोड़ा पानी बरस भी गया है जिससे रब्बी की फसल को काफी लाभ पहुंचेगा । बात यह है कि गरचे इस साल सूखा की वजह से अन्न की कमी हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्से मे जैसे उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश मे, बिहार में, मध्य प्रदेश में तथा बंगाल में महसूस हो रही है मगर यह अन्न की कमी कोई खास इसी साल की बात नहीं है । हमारे मुल्क की आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । जमीन को हम बढा नही सकते और अन्न जो आजकल हम पैदा कर रहे है वह देश भर के लोगो के लिये काफी नहीं होती । इसलिये हर साल करोड़ों रुपये खर्च करके विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता है और इस साल इस विपत्ति के पड़ जाने की वजह से जितना हम मामूली तौर पर मंगाते थे उससे कहीं अधिक अन्न हमको मंगाना पड़ेगा । इसका प्रबन्ध अभी से किया गया है और उम्मीद है कि जितनी अन्न की कमी हुई है उसको दूर करने के लिये हम काफी अन्न विदेशों से मंगा लेंगे और सभी जगहों में इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि या तो कोई जल्द

---

पटना के गांधी मैदान में एक सार्वजनिक सभा में भाषण; 3 फरवरी, 1958

से जल्द तैयार हो जाने वाला अन्न पैदा कर लें या कोई दूसरी चीज़ जिसको लोग खा सकते है जैसे शकरकन्द, आलू पैदा कर लें जिसमे इस अन्न की कमी को किसी न किसी तरह से दूर करके लोग अपने को जिन्दा रख सकें।

तो इस विपत्ति में गरच जहा तक हो सके बाहर से मंगा कर उसको टालना है मगर हमको यह भी सोचना है कि जो अन्न की कमी हो रही है उसको किस तरह से हम दूर करें और उसको दूर करने का एक ही तरीका है और वह तरीका यही है कि हम बहुत ज्यादा अन्न पैदा करें। ज्यादा अन्न अगर बहुत ज्यादा जमीन होती तो मामूली तौर पर हम पैदा कर सकते थे और पैदा कर लें मगर जमीन तो बढ़ नहीं सकती है। आबादी बढ़ती जा रही है। इसलिए जितनी जमीन है उसमे ही ज्यादा पैदा करने की जरूरत हो गई है और वह पैदा करना न तो गैरमुमकिन होना चाहिए और न मुश्किल है। दूसरे देशो मे जहां लोग खेती करते हैं हमारे देश के मुकाबले मे तीन गुणा, चार गुणा, पांच गुणा ज्यादा अन्न पैदा कर लेते है। जहां हम एक बीघे मे 7, 8 मन पैदा करते है वहां वे लोग ३०, ३५ ४० मन पैदा कर लेते है। दूसरे मुल्कों की बात छोड़ भी दीजिये तो इस देश में भी कई सूबों मे यहां से कही ज्यादा अन्न बीघा पीछे लोग पैदा कर लेते है। तो अगर हम जिस जमीन को आज जोत रहे है उसमें ही ज्यादा अन्न पैदा करे तो भी हम इस अन्न की कमी को दूर कर सकते है और वह किया जा सकता है। इसके लिये और पानी की जरूरत है। जहां आवपाशी का, पानी पटाने का कोई बन्दोवस्त नही है। वहां उसके लिये इन्तजाम होना चाहिये।

इसको सोचकर भारत सरकार ने अपनी पंच वर्षीय योजना मे सब से पहले नदियो में बांध बाधकर नहर निकालने का निश्चय किया और इस तरह से कई नदियों पर बहुत बडे-बड़े बाध-बांधे जा चुके है या बांधे जा रहे है और सभी जगहों पर नहरे भी खोदी जा रही है। ये तो बड़ी-बड़ी योजनाएं है। उनके अलावा छोटी-मोटी नदियों, छोटे-मोटे नालाओं को इसी प्रकार की योजनाएं लगाकर उनसे भी जो पानी खेत को पटाने के काम में मिल सकता है उसको लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैंने अभी गया जिले में देखा। वहा नहरों की मरम्मत करके, बाध की मरम्मत करके जो पहले के पुराने आवपाशी का प्रबन्ध था और जो मरम्मत नही होने की वजह से आज बेकार हो रहा था उसको फिर से जगाने का पूरा इन्तजाम लोग कर रहे है और गवर्नमेंट भी कर रही है और इस तरीके से इन नहरों से बहुत जमीन आबाद कर सकेंगे और पानी मिल सकेगा। जहां जहां मौका है वहा कच्चे और पक्के कुएं भी खोदे जायें और नल कूप जहा

लग सकते हैं वहां नल कूप, ट्यूब वेल्स भी लगाये जा रहे हैं। हजारों की तायदाद में इस तरह के नल कूप गया जिले में बन चुके है और कुछ जगहों पर बिजली भी पहुंचायी गई है जहां पम्प इन नल कूपों से पानी निकालेगे और खेत आबाद करने मे मदद करेंगे। तो पानी के लिये जहा पर बन्दोबस्त हो सकता है उस पर ध्यान है।

यह कहना आज मुमकिन नहीं है जितना हो सकता है हम सब कर रहे है। यह करना भी इतने कम समय मे मुमकिन नही था। जहा तक हो सकता था उतना किया गया है और जो नही हुआ है उसके लिये आगे कार्रवाई हो रही है और जो पहली योजना में पूरा नही हुआ उसको दूसरी योजना में और उसके बाद तीसरी योजना में भी, चौथी योजना मे भी पूरा करके सारे देश भर में नहरों का जल, कुओं का जल, पोखरों का जल आबपाशी के लिये देने का सोचा गया है जिसमें इस देश के अन्दर सभी जगहो पर जरूरत के मुताबिक खेतों मे पानी पहुचाया जा सके और खेतों को अच्छी तरह से आबाद किया जा सके।

पानी के बाद खाद की ज़रूरत होती है। खाद भी कितने ही प्रकार के होते है और जिस तरह से जहां पर जो कुछ भी खाद को हम काम में ला सकते हैं हमको उसको काम में लाना चाहिये। चीन मे हमारे देश के जैसे छोटे-छोटे खेत के टुकड़े होते है। मगर वहा पर पैदावार यहां के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसका कारण यह है कि वे किसी चीज को बर्बाद नही होने देते और न फेक देते है जो यो ही सड़ जाती है। जिन चीज़ो को हम फेक देते है, बर्बाद कर देते हैं, सड़ा देते है और सड़ाकर हवा को गन्दा कर देते है और अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देते है वहा इन चीजों से वे खाद बना लेते है और उसी खाद से अन्न पैदा करते है। तो हमारे देश मे यद्यपि कुछ हद तक गोबर का इस्तेमाल हम करते है या और दूसरी चीज़ो का इस्तेमाल करते है मगर सभी चीज़ो को हम ठीक तरह से उपयोग नहीं करते। खाद की मिकदार बढ़ाने के लिये ज़रूरी है कि कोई चीज फेंकनी नही चाहिए, कोई चीज सडने नही दिया जाये बल्कि उसका खाद बना कर बीमारी फैलाने के बदले उससे स्वास्थ्यकर अन्न पैदा किया जाये और किसान लोग अगर चाहेगे तो इस तरह से बिगड़ी हुई चीजों से जिनसे गन्दगी मिलती है अन्न पैदा कर सकते है।

मगर इनके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें है जिनको गृहस्थी लोग जानते हैं जिनको खेत में बो देने से जब उसमें पौधा लगे तो फिर उसको जोत देते हैं तो वह चीज़ उस खेत में खाद बन जाती है। इस तरह की चीज़ों में सनई है,

कवाछ हैं और बहुत तरह की चीज़ें है जिनको खेत में जोत देने से वह खाद का काम देती है। तो इस तरह से खेती का काम बढ़ाया जाए और पानी सिंचाई के लिये हासिल किया जाये और ठीक वक्त पर खेत जोते-बोये जाये तो कोई कारण नही कि जितनी पैदावार आज है उससे ज्यादा हम न कर ले और जो कमी आज देश में अन्न की महसूस होती है वह कमी हमेशा के लिये दूर न हो जाये। विपत्ति में भी हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमको हमेशा के लिये लाभ पहुंचे।

अब जैसे इस विपत्ति में जो गवर्नमेंट की तरफ से जिन लोगों को काम नहीं और जो काम न होने के कारण कुछ काम नही कर सकते और पैदा नहीं कर सकते जिससे खाना खरीद सकें ऐसे लोगों को धंधा दिया जा रहा है। उनमें भी दो किस्म के काम है। जो मेहनत कर सकते है उनको सख्त मेहनत का काम और जिनसे मेहनत नही हो सकती है उनके लिये हल्का काम है। जो मेहनत का काम है उसमें सोचा गया है कि अब से पहले मिट्टी का काम किया गया है और वह मिट्टी का काम ऐसा है जिससे हमेशा के लिये अन्न की पैदावार में मदद मिलती रहे। तो जो इस वक्त ऐसे बांध बाधने, मे ऐसी नहरें खोदने मे, ऐसे आहरो की मरम्मत में, ऐसे कुओं के खोदने मे रुपये लगाये जा रहे है जो हमेशा के लिये हमको अन्न पैदा करने में मदद करती रहेगी। तो इस विपत्ति को भी अगर हम चाहें तो एक फायदे की चीज बना सकते है और इसी मे दूरदर्शिता है। जो आदमी विपत्ति को भो सुन्दर रूप दे सकता है वही सब से समझदार और दूरंदेश कहा जा सकता है और जो काम आज हाथ मे लिये गये है वे ऐसे ही काम है।

मैंने यह भी देखा है कि इस काम में लोगों की तरफ से काफी उत्साह और सहयोग और मदद है। मैने सभी जगहों पर लोगों को यही बताया है कि लोग हिम्मत न हारें। जब कोई विपत्ति आती है तो उसका मुकाबला लोग ही कर सकते हैं, गवर्नमेट केवल मदद कर सकती है, गवर्नमेंट अपने ऊपर इस विपत्ति को नहीं ले सकती है। वह तो जनता के सिर पर ही आती है। तो जनता की हिम्मत बढ़ाने के लिये, जनता की हिम्मत को कायम रखने के लिये गवर्नमेंट अपनी ओर से मदद और सहायता कर सकती है और उसको करनी चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि इस काम में पूरी मुस्तैदी के साथ और सोच-विचार के साथ जहां-जहां मैं गया हूं मैंने देखा है कि काम हो रहा है। तो अगर लोगों ने अपनी हिम्मत कायम रखी तो मेरा यह विश्वास है और मैं यह विश्वास लेकर वापस जा रहा हूं कि आप इस विपत्ति को भी काट ले जायेंगे।

कई जगहों पर लोगों ने मझ से यह फरमाइश की कि उस इलाके को फैमिन एरिया अर्थात् जहां कहत पड़ गया हो ऐसा इलाका जाहिर कर दिया जायें। मैंने लोगों से कहा कि वह करने का क्या अर्थ है उनको समझना चाहिए । जो फैमिन एक्ट अंग्रेजी के जमाने मे बना था वह खास मतलब से बना था। उसमे जिन-जिन कामों की गवर्नमेंट अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती थी उन सब की जिम्मेदारियां गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले ली है। जैसे हमारे भारत सरकार के खाद्य मन्त्री ने एक बार नही बार-बार कहा है कि वह ऐसा इन्तजाम कर रहे हैं कि एक आदमी भी अब खाने के बगैर नही मरने पाएगा। यहां पर आपके मन्त्री ने इस बात को दुहरा करके लोगों को इतमिनान दिलाया है कि वह ऐसा प्रबन्ध कर रहे है कि खाने के बगैर कोई मरने नही पावेगा। तो इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। जिनको काम नही है उनको काम दिया जा रहा है । जो जिस काम के लायक है उनको उसी तरह का काम दिया जा रहा है और जो काम नही कर सकते है उनको मुफ्त खिलाने का भी इरादा है और जहा ज़रूरत होती है वहां मुफ्त खिलाने का भी इन्तजाम हो रहा है और कुछ लोगों को खिलाया भी जा रहा है। मगर खुशी की बात यह है कि इस तरह मुफ्त खिलाये जानेवालों की तायदाद बहुत कम है क्योंकि लोग अपनी इज्जत के खिलाफ समझते है कि वह किसी से मुफ्त खाना ले। जो हाथ-पैर चलाकर खुद खाना पैदा कर सकते है वे दूसरे किसी से मुफ्त खाना नही ले यह अच्छी चीज़ है और आइन्दे के लिये उम्मीद देनेवाली चीज़ है। यह सुनकर मुझे खुशी हुई । गवर्नमेट की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उसमें सबका सहयोग ज़रूरी है। उसमे अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो जो अधिकारी है उनके पास आपको सूचना देनी चाहिए। अगर ऐसे लोग जिनकी दूसरों तक पहुंच है और जिनकी बात जनता सुनती है चाहे बड़े दायरे मे चाहे थोड़े दायरे मे, उनका धर्म हो जाता है कि वे लोगों को समझायें कि वे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार होवें और अपने पैरों पर खड़े होने में गवर्नमेंट से जो मदद मिले उसको खुशी से लें मगर यदि गवर्नमेंट की मदद नही मिले तो भी अपने में इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि अपना काम खुद सम्भाल ले। मै यह नही कहता कि गवर्नमेंट मदद नहीं करे। गवर्नमेंट का जो काम है वह कर रही है और जो ज़रूरत होगी उसको करेगी और उसको करना उसका फर्ज है मगर साथ ही लोगों को अपने कर्त्तव्य को समझना चाहिए कि किसी का मुंह देखना, किसी के सहारे पर खड़े होने का यत्न करना यह हमारे पुरुषार्थ, बहादुरी के खिलाफ बात है और हमारी इज्जत का तकाजा है, स्वाभिमान का तकाजा है कि हम अपने पैरों पर खड़े होने का यत्न करें। जहां

में एक तरफ लोगो को यह समझाता हूं कि अपने पैरों पर खड़े होने का यत्न करें वहां दूसरी तरफ गवर्नमेंट से भी कहता हूं कि जो कुछ भी मदद जरूरी है और उसकी शक्ति के अन्दर है वह लोगों को मदद पहुंचाने और मुझे इस बात का विश्वास है कि उसमे किसी तरह की कोताही नही हो रही है। और न होने पावेगी ।

पटना इस सूबे की राजधानी है। राजधानी की बात बहुत दूर तक पहुंचती है । मै चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से इस संदेश को सारे सूबे मे पहुंचावें कि यद्यपि यह विपत्ति इस वक्त आ गई है मगर इस विपति को काटने के लिये हमने अपने मे हिम्मत होनी चाहिये और हम उसको किसी न किसी तरह से ऊपर ईश्वर की दया और नीचे गवर्नमेंट की मदद से और सब से ज्यादा अपनी हिम्मत से काटकर निकल जायेगे। हम लोग थोडे मे सब्र कर लेते है। कोई किसान अगर इतना अन्न पैदा कर लेता है जो उसके अपने काम के लिये काफी हो तो वह समझ बैठता है कि अब अधिक की क्या जरूरत है। मैंने मज़दूरो को देखा कि जो कारखाने में मज़दूरी का काम करते है, कई जगहों मे उनकी मज़दूरी बढ़ा दी जाती है तो हफ्ते में जहां वे 6 दिन काम किया करते थे वे 5 दिन ही काम करते थे क्योंकि 5 दिन मे ही उनको इतनी मजदूरी मिल जाती है जितनी पहले 6 दिनो में मिलती थी। वह समझता है कि जितना हमको चाहिए था उतना मिलता है तो 6 दिन हम क्यों काम करे। तो किसानों को भी यही सोचना चाहिये कि जो कुछ वे पैदा करते है सिर्फ अपने लिये ही नहीं पैदा करते है, वे सारे देश के लाखों लोगों के लिये पैदा करते है। जितना वे खुद खाते है उतना ही वे पैदा करे तो जो लाखों करोड़ों आदमी जो दूसरे काम मे लगे है, बैठे नही है मगर दूसर ज़रूरी कामो मे लगे है और जो खेती नही करते वे कहा से खायेगे। और आज जो हम अन्न की कमी महसूस करते है वह हमेशा बनी रह जायेगी और उनको बाहर से लाकर हमको खिलाना पड़ेगा और बाहर से अन्न लावेगे तो उसका दाम देश को ही देना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट ही दे पर उसमें उनका भी हिस्सा होगा। जो किसान अपने लिये पैदा करके बैठ जाता है उसको समझना चाहिये कि वह दो नुक्सान करता है। एक तो उसको उससे जो लाभ होता है उसका नुक्सान करता है और दूसरे विदेशों से जो आता है उसका दाम उसको चुकाना होता है। जो दाम लगता है उसमें कुछ हिस्सा उसको भी देना पड़ता है। अगर वह जितना पैदा कर सकता है उतना पैदा करे तो उसका अपना फायदा होगा ही, उसके अपने लिये ज्यादा अन्न होगा ही, वह खुद

ज्यादा खा सकता है, बाल-बच्चों को ज्यादा खिला सकता है, अपना फायदा कर सकता है और साथ-साथ देश का भला कर सकता है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जिससे अपना भी लाभ हो और देश का भी लाभ हो। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से सब बातों को सोचा जाये कि किस तरह से अपना भी लाभ हो और देश का भी लाभ हो और इसी तरह से काम करें। जो विपत्ति आ गयी है उसको काटने में इसी तरह से दूरदर्शिता से काम लें जिसमें हमेशा के लिये वह कमी दूर हो सके।

मैं इस वक्त ज्यादा कहना नही चाहता। इसलिये नहीं कि आपसे कहने के लिये कुछ नही है। बहुत दिनों के बाद मै यहां आया हूं और बहुत दिनों के बाद आपसे कुछ कह रहा हूं। इसलिये आपसे बहुत कुछ कहना था। मगर आपने महसूस किया होगा कि हमारा गला बैठ गया है। कई जगहों पर कहने का अवसर हुआ। यों ही हमारा गला हमेशा कमजोर रहता है और इस वक्त अधिक बोलने से और ज्यादा कमजोर हो गया है। इसलिये मै आपसे माफी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस संदेश को आप गांव-गांव में जाकर पहुंचायेंगे और लोगों को देंगे। कोई यह रोना नहीं रोवे कि हम खाने बगैर मर रहे हैं। नहीं, हिम्मत के साथ अगर दु:ख भी हो तो उसको सह लें और जो कुछ हो उसको सब लोग मिलकर बांटकर खा लें। अगर एक गांव में 100 आदमी रहते है और उस गांव मे 10 आदमी ऐसे हैं जिनको खाना नहीं है तो बांट कर खाने से और लोगों को एक-एक कौर कम मिलेगा और उन 10 आदमियों को खाना मिल जायेगा। इस तरह से देश में जो कुछ पैदा होता है वह सब को मिल जायेगा। लेकिन इस वक्त सब से बड़ा सब की हिम्मत बढ़ाना है। उससे इस समय जो विपत्ति आयी है वही नहीं कटेगी बल्कि हमेशा के लिये विपत्ति टल जायेगी।

# संसद् के उद्घाटन के समय अभिभाषण

संसद् के सदस्यगण,

संसद् के नये सत्र का भार संभालने के समय आपका पुन: स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है ।

2. दूसरी पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है । जैसा कि आप जानते हैं इस योजना के द्वितीय वर्ष के आरम्भ से ही हमारी आर्थिक व्यवस्था पर काफी दबाव रहा है । अपने गत मई के अभिभाषण में मैंने आप से कहा था :

> "जिन कमियों का मैंने जिक्र किया है उन्हे दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण सम्बन्धी काम को स्थगित कर दे, पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नही है, क्योंकि समस्या को सुलझाने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नही है । हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण कार्य में सुधार को बनाए रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है मेरी सरकार इस समस्या से और इसके लिए आवश्यक प्रयत्न से पूर्णरूप से अवगत है । उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयो के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहां जैसी ज़रूरत हो कार्यप्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटा कर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जाए और किसी भी अवस्था मे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जावे" ।

3. आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मेरी सरकार ने ऐसे कड़े उपाय अपनाए है जो योजना-बद्ध रचनात्मक कार्यक्रम की कठिनाइयों को दूर कर सकें, जो मुद्रा स्फीति-सम्बन्धी प्रवृतियों का नियन्त्रण कर सकें, जो विदेशी मुद्रा विनिमय की स्फीति से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें और जो योजना के अन्तर्गत सभी कामों को पूरा करने में सहायक हो सकें । इस दिशा में मेरी सरकार ने अभी तक जो कदम उठाये हैं उनका फल अच्छा हुआ है और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले महीनों में हमारी स्थिति में सुधार भी हुआ है । आयात कम करने के लिए और विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने के लिये सरकार ने

---

संसद् के समक्ष अभिभाषण; 10 फरवरी, 1958

जो कार्यवाही की है उसके कारण विदेशी पावने के ह्रास की गति कम हो गयी है। ऋण द्वारा और कुछ योजनाओं के सम्बन्ध मे विशेष व्यवस्था द्वारा आवश्यक पूंजीगत सामान के लिए स्थगित अदायगी की व्यवस्था से और अत्यन्त आवश्यक कामों को छोड़ कर सभी मदों के लिए विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर रोक लगा कर, सरकार ने स्थिति में सुधार करने का यत्न किया है। और बहुत हद तक वह इसमें सफल भी हुई है। इस सम्बन्ध में मै उन देशों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनमें हमे इस सम्बन्ध में सहायता मिली है। मै यहा सोवियत संघ, कनेडा, जर्मनी, जापान और विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जिक्र करना चाहूंगा।

4. उत्पादन में वृद्धि और घरेलू बचत हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। अधिक उत्पादन से विदेशी विनिमय की हमारी आवश्यकताये कम रहेगी और विनिमय के उपार्जन में सहायता मिलेगी। बचत द्वारा मुद्रा स्फीति की रोकथाम होगी और हमारे आन्तरिक साधनों को बल मिलेगा। इन दोनो कामों के लिए यह आवश्यक है कि जन-साधारण इन समस्याओं को समझें और कुरबानी के लिए तैयार रहे, सतर्क रहे, मितव्ययिता को अपनावे और जनमत द्वारा समर्थन करे।

5. विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी और वित्तीय मामलो के बारे मे मेरी सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे हमारी अर्थ-व्यवस्था के स्थायी रहने मे मदद मिली है। 1956 मे और 1957 के आरम्भ में चीजो के दाम ऊंचे चढते जा रहे थे, किन्तु इस कार्यवाही के फलस्वरूप कीमतों का बढ़ना रुक ही नही गया बल्कि गत वर्ष के अन्तिम महीने में उनमें कुछ कमी भी हुई, जो अभी जारी है। हमारे देनदारी के खाते के घाटे में भी काफी कमी हुई है। पिछले साल की अपेक्षा साख-सम्बन्धी स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार हुआ है। हमारे बैंक-सम्बन्धी साधनो में वृद्धि हुई है और बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋण भी अन्दाजे के अन्दर रहे है। सट्टे की प्रवृति को दबाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखेगा।

6. देश के भीतर मूल्य-स्तर और विदेशों में अदायगी की हमारी क्षमता से खाद्य अनाजों की उपलब्धि और उनकी कीमत का गहरा सम्बन्ध है। सूखा के कारण देश के कुछ भागों में फसलों की बरबादी हमारे लिए घोर चिन्ता का विषय है। सरकार के पास अनाज का भंडार है और आयात द्वारा इस संचय को उचित स्तर पर स्थिर रखा जाएगा। इसके साथ ही अन्न के परिवहन पर सीमित किन्तु अनिवार्य नियन्त्रण भी किया गया है। अनाज के व्यापार के लिए बैंकों द्वारा उधार दिए जाने का भी मेरी सरकार ने नियमन किया है ताकि अनुचित

संग्रह न किया जा सके । सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता में अन्न के वितरण की व्यवस्था भी की है । इन उपायों से महंगाई की प्रवृत्ति की काफी रोकथाम हुई है ।

7. फसलों के खराब हो जाने के बावजूद, 1956-57 में उत्पादन अधिकतम हुआ है जो 1953-54 में हुआ था । कुल खाद्य उत्पादन 6 करोड़ 87 लाख टन हुआ जो 1955-56 की अपेक्षा 5 प्रतिशत अधिक था । कृषि उत्पादन की अखिल भारतीय देशना के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । व्यापारी फसलो के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो कपास के उत्पादन में 18 प्रतिशत तथा गन्ने और तिलहन के उत्पादन मे क्रमश: 13 और 6 प्रतिशत रही है । अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपूर्व प्रयास किया जा रहा है । अन्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है ।

8. औद्योगिक उत्पादन मे काफी सुधार हुआ है । विदेशी विनमय की कमी के कारण आयात में काट-छांट का एक सुपरिणाम यह हुआ है कि इससे देश के साधनों तथा क्षमता को अधिक उपयोग और विकास का अवसर मिला । सरकारी और गैर-सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इस दिशा में प्रगति अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसी प्रकार हम अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को उन्नत कर सकते है, और इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति भी है । यद्यपि इस नीति की सफलता का आधार आवश्यकता है, फिर भी इसके कारण विदेशी साधनों पर हमारे उद्योग की निर्भरता कम हो सकेगी ।

9. 1957 में कोयले का उत्पादन 4 करोड़ 30 लाख टन हुआ, जो उत्पादन की नयी सीमा थी, जबकि 1956 में यह उत्पादन 3 करोड़ 90 लाख टन था । बहुत से नये क्षेत्रों में कोयले की खोज के लिए खुदाई और पूर्वेक्षण किये गये हैं और आशा की जाती है कि कुछ ही महीनों में बहुत-सी नयी खानों में काम चालू किया जा सकेगा ।

10. अभी हाल में आसाम ऑयल कम्पनी के साथ समझौता किया गया है जिसके अनुसार रुपया कम्पनी स्थापित की जाएगी और इसमें $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत हिस्सा सरकार का होगा । इस कम्पनी का काम नाहरकटिया के कूपों से तेल का उत्पादन और वहां से तेल का परिवहन होगा । तेल की सफाई के लिए आसाम और बिहार में दो कारखाने स्थापित होंगे । तेल के लिये देश के दूसरे भागों में भी पूर्वेक्षण और ढूंढ़खोज की जा रही है ।

11. भारतीय जहाजों के अविलम्ब निर्माण और विकास के लिये एक जहाज-निर्माण कोष की स्थापना की गई है । इस कोष का आधार भारतीय मुद्रा होगा । जिससे कि इस काम के लिये आर्थिक साधन निश्चित रूप से उपलब्ध हों । यह कोष स्थायी होगा और इसकी प्रतिवर्ष मंजूरी नही लेनी पड़ेगी ।

12. बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रगति हो रही है । दामोदर घाटी में माइथोन बाध का उद्घाटन गत सितम्बर में हो गया था । भाखरा योजना के सम्बन्ध में कार्यक्रम के अनुसार ही नहीं बल्कि उससे बढ़ कर प्रगति हो रही है । नागार्जुन सागर मे निर्माण का काम गत जुलाई मास में आरम्भ किया गया । दूसरी बहुमुखी योजनाओं पर भी संतोषजनक रूप से कार्य जारी है ।

13. भारी उद्योगों की दिशा मे काफी प्रगति हुई है । सार्वजनिक क्षेत्र में एक भारी मशीन बनाने का कारखाना और कई एक अन्य योजनायें सोवियत संघ की सरकार द्वारा दी गई विशेष ऋण की सहायता से चालू की जायेंगी । लोहा ढालने का एक बड़ा कारखाना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया जाएगा । नंगल में वैज्ञानिक खाद का एक बड़ा कारखाना इंग्लैंड, फ्रांस और इटली की आर्थिक सहायता से बन रहा है । नेवेलो में भी खाद का एक कारखाना बनाने की योजना है । बिजली का सामान तैयार करने के लिए एक बड़ा कारखाना ब्रिटिश सहायता से भोपाल मे बनाया जाएगा । रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर मे इस्पात के बड़े कारखानों के निर्माण की दिशा में काफी प्रगति की जा चुकी है ।

14. मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन 1953 मे किया गया था, अब काफी आगे बढ़ चुका है और इसके कारण मलेरिया की बहुत कुछ रोक-थाम हुई है । अब हमारा ध्येय इस बीमारी का पूर्ण उन्मूलन है । फाइलेरिया नियंत्रण के कार्य में भी अच्छी प्रगति हुई है । गंदी और पुरानी बस्तियों के सुधार का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

15. विज्ञान और टेक्नालोजो के क्षेत्र मे हम बराबर उन्नति कर रहे है और हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाए औद्योगिक और राष्ट्र विकास सम्बन्धी समस्याओं के सुलझाने की दिशा में प्रयत्नशील है । टेकनिकल जनशक्ति के साधनों के विस्तार के लिये विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ।

16. पिछले वर्ष मे आणविक शक्ति विभाग का काफी विस्तार किया गया। दो नए रियेक्टर और कई नये यन्त्र इस समय बनाये जा रहे हैं। मौजूदा वर्ष के समाप्त होने तक आणविक शक्ति के लिये और रियेक्टरों के लिये ईंधन के रूप मे उपयुक्त युरेनियम धातु का उत्पादन शुरू हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में एक या अधिक आणविक शक्ति केन्द्र स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है।

17. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका करीब ढाई साल पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर्याप्त उन्नति की है। राज्यों की सरकारों के प्रबन्ध मे मध्यम बैंक, जिन्हे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के रूप मे चलाया जायेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिक निकट लाये जा सकें, इसके लिये कई सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

18. योजना आयोग केन्द्र और राज्यों के लिए वार्षिक योजनाए बनाने में और उपलब्ध साधनों की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यक संशोधन करने में व्यस्त है। इसके साथ ही आयोग को इस बात का ध्यान रखना है कि देश के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम को किसी प्रकार का धक्का न लगे। इस सम्बन्ध में योजना के मूल तत्त्वों के बारे में आयोग के प्रयत्नों के परिणाम मेरी सरकार इस सत्र में आपके सामने रखेगी।

19. सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। सामुदायिक विकास केन्द्रों की संख्या इस समय 2,152 है जिनमें 2,76,000 ग्राम आते हैं। इन ग्रामों की जनसंख्या 15 करोड़ है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय किया है कि प्रत्येक केन्द्र को ही आयोजन और विकास की इकाई और सब विकास विभागों को सामान्य एजेंसी माना जाए। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि विभागीय विकास बजटों को केन्द्र के बजट से समन्वित किया जाए। विकास केन्द्र अधिकारी को इस बजट के संचालन का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने प्रशासन के क्षेत्र में अधिक विकेन्द्रीकरण का फैसला भी किया है और यह निश्चय किया है कि ग्रामों में और जिलों में सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक अधिकार दिये जायें। विकेन्द्रीकरण की योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सरकारें ही स्वयं तैयार करेंगी। सुधरी हुई खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषक नेताओं की ट्रेनिंग की एक योजना चालू की गई है।

20. राज भाषा आयोग की सिफारिशें इस समय विचाराधीन है। संसद् के 30 सदस्यों की एक समिति उनका अध्ययन कर रही है। संसद् के सदस्यगण, इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये जाने से पहले, आपको आयोग के प्रतिवेदन पर और संसद् की समिति के विचारों पर अपना मत प्रकट करने का अवसर अविलम्ब दिया जाएगा ।

21. दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम, 1957 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है ।

22. कपडा और चीनी उद्योगों के लिये त्रिदलीय वेतन बोर्ड स्थापित किये गये हैं। दूसरे बड़े उद्योगों के लिये भी। यथासमय ऐसे बोर्ड स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है। फिलहाल कुछ चुने हुए उद्योग-धन्धों में ऐसी योजनाएं चालू की गई हैं जिनमे उद्योगों के संचालन में मजदूर अधिकाधिक भाग ले सकें। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया जा रहा है और 1952 के कर्मचारी प्राविडेन्ट फन्ड अधिनियम को अब 19 उद्योगों पर लागू कर दिया गया है। और इस अधिनियम के अन्तर्गत अब 6215 कारखाने आ गये हैं। चन्दे की कुल रकम प्राय: 100 करोड़ रुपये जमा हो चकी है ।

23. नागा पहाड़ी इलाके की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है । अगस्त 1957 में कोहिमा में आयोजित नागा लोगों के सम्मेलन के नेताओं ने जो मांगें पेश की थी उन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है इसके फलस्वरूप नागा पहाड़ी क्षेत्र और त्यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन को मिलाकर गत नवम्बर में संसद् के अधिनियम के द्वारा एक नई इकाई बना दी गई है ।

24. 1957 में संसद् ने 68 विधेयकों को पारित किया और इस समय ८ विधेयक आपके विचाराधीन हैं। चालू सत्र में वाणिज्य जहाजी बेड़ा, (मर्चेंट शिपिग) व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) और वाणिज्य चिन्हों (मर्चेंडाइस मार्क) के सम्बन्ध में विधान प्रस्तुत करने का मेरी सरकार का विचार है । विभिन्न मामलों से सम्बन्धित संशोधन विधान भी आपके समक्ष रखे जायेंगे ।

25. आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़ों का विवरण आपके समक्ष रखा जायेगा ।

26. विदेशों से हमारे सम्बन्ध बराबर मैत्रीपूर्ण बने रहे । पिछली बार जब मैंने संसद् के समक्ष अभिभाषण दिया था उस समय से अब तक गणराज्य क

सम्मानित अतिथियों के रूप में इण्डोनेशिया, वियेतनाम गणराज्य और वियेतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपतियो का, युगोस्लाव संघ प्रशासनिक परिषद् के उपराष्ट्रपति का, बर्मा, श्रीलंका, चेकोस्लोवाकिया, जापान और इग्लैंड के प्रधान मंत्रियों का, फ्रांस और मोरक्को के विदेश मंत्रियों का, घाना के वित्तमंत्री का, घाना और मौरिशस के शिक्षा मंत्रियों का और कई देशो से आने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करने का हमे श्रेय मिला ।

27. गत जून के अन्त में मेरे प्रधान मंत्री ने लन्दन मे होने वाले राष्ट्र-मंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन मे भाग लिया । उन्हों ने सीरिया, डेन्मार्क, फिनलैण्ड, नार्वे, मिस्र, सूडान, जापान, बर्मा और श्रीलंका की भी यात्रा की । उपराष्ट्रपति ने भी चीन, मंगोलिया, वियेतनाम, कम्बोडिया, लाओस और श्रीलका की सद्भावना यात्रा की ।

28. यद्यपि कोई तात्कालिक संकट विद्यमान नहीं, फिर भी संसार की स्थिति संकटपूर्ण है । यह आशंका बराबर बनी है कि यदि गतिरोध और तनाव की भावना को रोका नही गया और विशेषकर बड़े राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीव नहीं रखी गई, तो किसी भी समय स्थिति बिगड़ कर विश्वव्यापी संघर्ष का रूप ले सकती है ।

29. सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा उपग्रहों का सफल प्रयोग मानव का देश और काल की विजय की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है । यह विज्ञान की महान उन्नति का प्रतीक है किन्तु विश्व की तनावपूर्ण स्थिति को और अन्तर महाद्वीपीय प्रक्षेपण अस्त्रों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक आविष्कार विश्वशान्ति के लिए एक नया संकट पैदा कर सकते है ।

30. निःशस्त्रीकरण की दिशा मे राष्ट्रों के प्रयत्नों मे गतिरोध पैदा हो गया है । इस समस्या के सफलतापूर्ण हल के लिए यह आवश्यक है कि अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा सम्मिलित प्रयत्न किया जाए, और जो भी निर्णय किए जाएं उनसे ये दोनों राष्ट्र सहमत हों । संयुक्त राष्ट्रों की पिछली साधारण सभा में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई थी, किन्तु गतिरोध बराबर बना है । फिर भी साधारण सभा ने सर्वसम्मति से शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया । यह प्रस्ताव निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर गतिरोध के बाद पास किया गया,

इसलिए यह आशा होती है कि इस मामले पर नवीन दृष्टिकोण से फिर विचार किया जाएगा ।

31. मेरी सरकार का यह मत है कि बड़े राष्ट्रों की ऊंचे स्तर पर बातचीत, जिसमें वे ऐसे राष्ट्रों को भी साथ ले सकें जिनके बारे में वे सहमत हों, तनाव को दूर करने में, संयुक्त राष्ट्र के 14 दिसम्बर 1957 के प्रस्ताव के अनुसार शान्तिपूर्ण सहिष्णुता का वातावरण पैदा करनेमें और निःशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगी ।

32. संयुक्त राष्ट्र में मेरी सरकार बराबर तनाव दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करती रही है । मेरी सरकार का यह मत है कि सह-अस्तित्व और एक-दूसरे के प्रति आदर की भावना द्वारा ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है ।

33. भारत को निःशस्त्रीकरण आयोग का सदस्य निर्वाचित किया गया है । यह आयोग सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकता है जब समस्त सम्बंधित देश इस में भाग लेने को तैयार हों । मेरी सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी ।

34. संयुक्त राष्ट्र में और उसके बाहर भी मेरी सरकार आणविक विस्फोट पर रोक लगाने के लिए बराबर जोर देती आ रही है । इन विस्फोटों के संकट से विज्ञानवेत्ता और संसार के जनसाधारण अधिकाधिक चिन्तित होते जा रहे हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ के सर्वोच अधिकारियों से निःशस्त्रीकरण की ओर प्रथम पग के रूप में इन विस्फोटों को स्थगित करने की अपील की है । इस दिशा मे मेरी सरकार अपनी कोशिश जारी रखेगी ।

35. इंडोचाइना मे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोग, जिनका भारत अध्यक्ष है, कठिनाइओं के बावजूद सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और वहां शान्ति स्थिर रखी जा सकी है । लाओस में लाओस की सरकार और पाथेट लाओ के नेताओं के बीच समझौता एक शुभ घटना है और अब उस देश में राजनैतिक समझौते का मार्ग प्रशस्त समझना चाहिए ।

36. मेरी सरकार ने यह खबर आश्चर्य और दुःख के साथ सुनी कि बगदाद संधि के हाल में होने वाले अधिवेशन मे कुछ देशों ने आणविक शस्त्रों से सज्जित होने की मांग की । हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र इस प्रकार के दृष्टिकोण और ऐसी इच्छाओं को प्रोत्साहन नहीं देगा ।

37. अपने बारे में मेरी सरकार इस बात को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देना चाहती है कि यद्यपि हमें आज वैज्ञानिक ज्ञान और साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा यदि हम अपनी नासमझी में चाहें तो आणविक शस्त्र तैयार कर सकते हैं, तो भी यह हमारी कदापि इच्छा नहीं कि हम ऐसे शस्त्रों को प्राप्त करें अथवा तैयार करें अथवा उनका कभी प्रयोग करें या किसी अन्य देश द्वारा उनके प्रयोग को क्षमणीय समझें। इस क्षेत्र में हमारे प्रयत्न शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए अणुशक्ति के उत्पादन तक ही सीमित रहेंगे।

38. संसद् के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सबकी सफलता की कामना करता हूं और मेरा विश्वास है कि आपके प्रयत्न हमारे लोगों को अधिक सम्पन्न और सन्तुष्ट बनाने में और विश्व मे शान्ति तथा सहयोग का संचार करने में सहायक होंगे।

# अफगानिस्तान के बादशाह का आगमन

पहली बार हमारे गणराज्य मे उनके शुभागमन के अवसर पर, अफगानिस्तान के महाराजाधिराज महामहिम जाहिरशाह का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत एक प्राचीन देश है, जिसका इतिहास बहुत लम्बा और अतीत गौरवपूर्ण है। अफगानिस्तान के सम्बन्ध मे भी हम यही कह सकते है। वास्तव में, बहुत हद तक, उस प्राचीनता और गौरव में हमारे दोनों देशों का साझा है। मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि आधुनिक समय में अफगानिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण है, और मुझे आशा है कि महामहिम की इस यात्रा के फलस्वरूप यह मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, हमारे दोनों देशों के लोगों के हित मे, और विश्व शांति के हित में और भी दृढ़ हो जायेगे।

एक बार फिर मै भारत के लोगों और भारत सरकार की ओर से तथा अपनी तरफ से महामहिम का भारत भूमि पर स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है, महामहिम का इस देश मे प्रवास सुखद और रोचक सिद्ध होगा।

---

स्वागत भाषण; नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1958

# अफगान हिंद प्राचीन सम्बन्ध

अफगानिस्तान के बादशाह महामहिम मोहम्मद ज़ाहिरशाह का आज अपने बीच ख़ैरमक्दम करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आपने हमारे निमन्त्रण के उत्तर में यहां पधारने का कष्ट किया, इसके लिये हम शुक्रगुज़ार है। मै हिन्दुस्तान के लोगों और उन सब की तरफ से जो अब यहां मौजूद है आला हज़रत को दिल से खुशामदीद कहता हूं।

अफगानिस्तान और हिन्दुस्तान के आपसी सम्बन्ध सुखद और मैत्रीपूर्ण है और इन दोनों देशों के लोगों के दरमियान दोस्ती का यह रिश्ता सदियों पुराना है। जैसा कि प्राचीन इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है, हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच चिरकाल से निकट का सम्पर्क रहा है। कालान्तर में इस सम्पर्क के फलस्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर विचारों और संस्कृति के क्षेत्र मे पारस्परिक आदान-प्रदान आरम्भ हुआ, जिसके चिन्ह आज भी दोनों राष्ट्रों के लोगों की जीवन धारा पर दिखाई देते है।

मै हिन्दुस्तान के बारे मे कह सकता हूं कि अफगानिस्तान के साथ सम्पर्क के कारण प्राचीन काल से हमारा सास्कृतिक जीवन उन्नत हुआ। साहित्य और कला के क्षेत्र में गान्धर शैली को भारतीय साहित्य और ललित कलाओं के इतिहास मे आज भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और यह स्वीकार किया जाता है कि इसके कारण भारतीय विचार और संस्कृति को यथेष्ट बल मिला।

स्वाधीन होने के बाद से हम हिन्दुस्तान के लोगों के रहन-सहन के मान को ऊंचा करने के उद्देश्य से देश के साधनों को उन्नत करने में लगे है। हम देश की अर्थ-व्यवस्था का पुनर्गठन करना चाहते है जिससे कि यहा की खेती में सुधार हो और देहातों मे रहने वाले लोगों का जीवन सुखी हो।। हम यह भी चाहते है कि भारी उद्योगों और छोटे घरेलू उद्योगो के विकास द्वारा साधारण उत्पादन का स्तर ऊंचा किया जाय। मुझे यह जान कर खुशी हुई कि महामहिम की सरकार ने भी अफगानिस्तान मे लगभग इन्ही उद्देश्यों से करीब २ साल हुए एक योजना चालू की है। हिन्दुस्तान की तरह अफगानिस्तान का प्रधान व्यवसाय भी खेती है। क्या मै यह कह सकता हूं कि हम इस कार्य में अफगान

---

अफगानिस्तान के महाराजाधिराज के सम्मान में दिये गये राज-भोज के अवसर पर भाषण; 12 फरवरी, 1958

सरकार की सफलता की कामना करते हैं और हमारी यह आशा है कि योजना में निर्धारित लक्ष्यों को वह प्राप्त कर सकेगी।

यह देखकर हमें बहुत संतोष होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में अफगानिस्तान का वही दृष्टिकोण है जो हमारा है। हमारे दोनों देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और तटस्थता की नीति में दृढ़-विश्वास रखते हैं। हमारी यह धारणा है कि मानवता के हित मे प्रत्येक राष्ट्र के साधनों का विकास और विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी मैत्री और सद्भावना संसार की सर्वोपरि आवश्यकता है और सैद्धांतिक मतभेदों का स्थान इसकी तुलना में गौण है।

एक बार फिर मैं हिन्दुस्तान में तशरीफ आवरी पर आला हज़रत का इस्तकबाल करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि हिन्दुस्तान और अफगा-निस्तान के बीच जो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आज हैं आपकी यात्रा के फलस्वरूप वे और भी दृढ़ हो जायेंगे। मुझे यक़ीन है कि हिन्दुस्तान में आला हज़रत का क़याम सुखद होगा और इस यात्रा के दौरान में हमारी कुछ योजनायें और रचनात्मक काम देखने का आप को मौका मिलेगा।

# मित्रोचित उद्गार

हिन्दुस्तान के लोगों के प्रति उनके सद्भावनापूर्ण और मित्रोचित उद्गार के लिये और अपने देश के आर्थिक विकास के लिये हम जो कुछ अभी तक कर पाये हैं उसके सहानुभूति पूर्ण मूल्यांकन के लिये मैं महामहिम का आभारी हूं। जैसा कि महामहिम ने कहा इसमें संदेह नही कि किन्ही कारणों से भौतिक निर्माण के क्षेत्र में एशिया के देश पिछड़े रहे है और उन्हें उस कमी को पूरा करना है। हम किसी भी देश को हानि पहुचा कर निजी सम्पन्नता का निर्माण नहीं करना चाहते। हम सभी राष्ट्रों के शुभ और कल्याण की कामना करते है और यह चाहते हैं कि हम वैज्ञानिक ज्ञान और टैकनिकल सहायता के बल पर निजी साधनों का विकास करें।

इसलिये विश्व में शाति स्थापना में एशियाई देशों की गहरी दिलचस्पी है। जनसाधारण के हित में रचनात्मक कार्य और युद्ध दो परस्पर विरोधी बातें है। हमारी आवश्यकतायें और यह विचार, अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री, शांति और पडोसीपन की भावना मे हमारे विश्वास को और भी दृढ़ करते है। एशिया वह भूखण्ड है जहां समय-समय पर आस्था और श्रद्धा का प्रकाश चारों ओर फैला है। इसलिये स्वभावत: उसका झुकाव शांति की ओर है। हमें आशा है कि प्रबुद्ध एशिया खोये हुए गौरव को फिर प्राप्त कर संसार में स्थिरता के पक्ष को बल दे सकेगा। हो सकता है एशिया के उस ध्येय की पूर्ति का यही मार्ग हो जिसे उन पैगम्बरों की वाणी ने प्रसारित किया जिनके पगों से एशिया की भूमि पवित्र हुई।

महामहिम की कृपापूर्ण शुभकामनाओं के लिये फिर आभार प्रगट करते हुए मैं भारत सरकार और हिन्दुस्तान के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण और सुख समृद्धि के लिये अपनी शुभकाम-नायें अर्पित करता हूं। एक बार फिर मै महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे निमन्त्रण को स्वीकार कर इस देश की यात्रा की और अपने भाषणों में हिन्दुस्तान के लोगों के प्रति ऐसे मैत्रीपूर्ण उद्गार प्रकट किये।

---

राष्ट्रपति का भाषण; 13 फरवरी, 1958

# चलचित्र उद्योग और सामाजिक उद्धार

डाक्टर केस्कर, देवियो और सज्जनों,

एक बार और इस समारोह में शरीक होने का मुझे आपने मौका दिया इसके लिये मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से पुरस्कार देने का तरीका अख्तियार किया गया है फिल्मों के बनने और बनाने में दिन-प्रति-दिन काफी उन्नति होती जा रही है और यह बात किसी एक भाषा या एक प्रान्त की नही है बल्कि सभी भाषाओं मे तरह-तरह की नयी फिल्में तैयार होती जा रही है और लोगों की रुचि फिल्मों के प्रति बढ़ती जा रही है। फिल्म ऐसी एक चीज है जो सारे देश में बहुत जोरों से प्रचलित हो रही है और उनके द्वारा लोगों को बहुत कुछ जानने और सीखने तथा मन बहलाव करने का जरिया मिलता है। इसलिये इन फिल्मों में जितने प्रकार की नयी-नयी फिल्म बन सकें, जितनी नयी चीजे उनमें लायी जा सकें उतना ही उनका क्षेत्र और बढ़ेगा और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। केवल मनुष्य समाज में ही नही बल्कि मनुष्य समाज से बाहर और प्रकार की फिल्मे भी बहुत बन गयी हैं और बनती भी है—"जिनसे हम बहुत सीख सकते है। जंगलों मे जंगली जानवरो की फिल्म भी सुना गया है कि कुछ-कुछ बनी भी है, यहां भी इस तरह की कुछ फिल्म देखने को मिलती है। हमारे देश के लोगों की जो सारी शक्ति है उसमें बहुत ऐसे स्थान आते है, बहुत ऐसी चीजे देखने को मिलती है जिन्हे फिल्म बड़ी बारीकी के साथ उनको दिखला सकती है और लोग उनसे बहुत कुछ जान और सीख सकते हैं। इस तरह की फिल्म के विषयों की कोई हद नहीं है, जितने विषय हम चाहेगे फिल्म के लिये मिल सकते हैं। जो फिल्म के बनाने वाले है वे लोग इस बात को जानते है और वे लोग अच्छे-अच्छे विषयों को लेकर बढ़ते जा रहे है।

मनुष्य समाज के अन्दर ही फिल्म के प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसमें भी सामाजिक फिल्म हो सकती है, कई इस तरह की फिल्म हो सकती है जो उनकी रहन-सहन पर बनायी गयी हों तथा बच्चों के लिये, जवानों के लिये, बूढ़ों के लिये अलग-अलग जितने लोग बसते हैं और जिस तरह का जीवन बिताते है उनको ध्यान में रखकर भी अलग-अलग फिल्में तैयार हो सकती है। वही

---

विज्ञान भवन, दिल्ली में 1957 में बने सब से अच्छे चल-चित्र को राष्ट्रपति का तमगा प्रदान करते समय भाषण; 16 अप्रैल, 1958

फिल्म जो गांव के लोगों के लिये बहुत अच्छी हो सकती है, जिसे वे लोग अच्छा समझ सकते हैं वह शहर के लोगों के लिये फीका पड़ सकती हैं। कुछ फिल्में जो शिक्षितों के लिये बहुत अच्छी हो सकती हैं हो सकता है कि वह अनपढ़ की समझ में नही आवे। ऐसा हो सकता है कि जो फिल्म एक वर्ग के लिये बहुत अच्छी हो दूसरा वर्ग उससे कोई लाभ नही उठा सके। तो इस तरह से फिल्मों का वर्गीकरण किया जाये तो न मालूम कितने प्रकार की फिल्में तैयार हो सकती हैं और कितने विषयों पर फिल्म तैयार हो सकती हैं कि उसकी कोई हद नहीं है।

जब से यह पुरस्कार देने का तरीका निकाला गया है फिल्मो को अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है और मैं आशा करूंगा कि हर प्रकार की फिल्म जिससे हम कुछ सीख सकें, जिनसे हम अपना इल्म बढ़ा सके ऐसी फिल्मे और तैयार होंगी और गाँव के लिये, शहर के लिये, अनपढ़ के लिये, शिक्षित वर्ग के लिये, हर प्रकार के लोगों के लिये जैसी जरूरत समझी जाये वैसी फिल्म होनी चाहिये। मगर चाहे फिल्म के विषय जो हों और उसके प्रकार जो हों पर दो चीजें सभी प्रकार की फिल्मों में आवश्यक है। एक तो यह कि उनमे ऐसी बातें होनी चाहियें जिनसे लोगों का मन बहलाव हो, लोगों का मन लगे और दूसरी चीज यह कि इन फिल्मों में ऐसी चीजें नही हों कि जिनका असर लोगों के हृदय पर, उनके चरित्र पर बुरा पडे। उसके बदले में ऐसी चीजें हों जिनसे हम कुछ सीख सकें और अपने को उन्नत कर सकें। अगर इस सब को ध्यान में रखकर हमारे फिल्मों के बनानेवाले काम करेंगे तो जहां तक मैं देख सकता हूं उनका काम और कितना बढ़ाया जा सकता है उसकी कोई हद नहीं और अभी थोड़े ही दिनों में जब से फिल्म का काम जारी हुआ है इतनी दूर तक फिल्म फैल चुकी है उसी से आप यह भी समझ सकते हैं कि और कितनी दूर तक उसका फैलाव हो सकता है। और मैं समझता हूं कि अभी यद्यपि कुछ, बड़े-बड़े गांवों तक फिल्म पहुंची हुई है मगर हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा बाकी है जहां फिल्म नहीं पहुंची हैं। इसमें यह फिल्म बनाने वालों का काम है कि ऐसी फिल्म उसके लिये तैयार करें जो उसके लिये लाभप्रद हो, जिनसे उनके ऊपर बुरा असर नहीं पड़े।

कभी-कभी शिकायत सुनने में आती है कि कुछ ऐसी फिल्म बनती हैं, फिल्म में कुछ ऐसे हिस्से आ जाते हैं जिनका असर मनुष्य के चरित्र पर ठीक नहीं पड़ता, विशेष करके युवकों और युवतियों पर। तो फिल्मों में जो आवश्यक

ग्रौर जरूरी चीजे है उनको रखकर ग्रौर जो ऐसी चीजें है जिनका ग्रसर ठीक नहीं पड़ता उनको हटाकर फिल्म बनायें जिनसे उनको लाभ पहुंच सके ग्रौर जिनसे देश के सभी प्रकार के लोग लाभ उठा सकें। ऐसी फिल्में बनाना जरूरी ग्रौर ग्रावश्यक है।

फिल्म ग्राज के जमाने में शिक्षा प्रचार का एक बहुत बड़ा साधन बन सकती है ग्रौर वह शिक्षा देश के ग्रन्दर जो केवल स्कूलो ग्रौर कालेजों में पुस्तकों के द्वारा दी जाती है वह नही बल्कि ऐसी शिक्षा जो ग्रांखो से देखकर ग्रौर कानों से सुनकर लोग ग्रहण कर सकते है इस तरह की शिक्षा हम फिल्म के द्वारा दे सकते हैं ग्रौर वह शिक्षा सब के लिये हो सकती है। उससे जो ग्रंधे या बहरे हों उनको लाभ नही पहुंचे तो नही पहुचे पर जिनके पास ग्राख ग्रौर कान मौजूद है उनके लिये तो इन फिल्मों के द्वारा शिक्षा का रास्ता इतना सहज ग्रौर विस्तृत हो जाता है कि उससे सारे देश भर में शिक्षा का प्रचार हम ग्रासानी से कर सकते है।

इसलिये जो गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया कि फिल्म को प्रोत्साहन देना चाहिये ग्रौर उसके लिये पुरस्कार देना मंजूर किया यह उसकी दूरदर्शिता की बात थी। मै ग्राशा करता हूं कि जो लोग फिल्म के बनाने या फिल्म के बनने में हिस्सा ले रहे हैं वे लोग ग्रपने काम के महत्व को, उसकी गम्भीरता को, ग्रगर मै कहूं, तो उसकी पवित्रता को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो देश का भारी कल्याण ग्रौर बड़ा उपकार होगा। मै ग्राशा करूंगा कि जो प्रोत्साहन जनता की ग्रोर से ग्रौर गवर्नमेंट की ग्रोर से फिल्म बनाने वालों को मिल रहा है, क्योंकि उनका काम इतना ग्रच्छा है, उसका फल यह होगा कि फिल्म का काम ग्रौर ग्रागे बढ़ेगा।

जिन लोगों ने पुरस्कार पाये है उनको मै मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिन लोगों ने फिल्मों का परीक्षण करने में परिश्रम किया, गरचे फिल्मों के देखने से जो ग्रानन्द हो सकता है वह उनको मिला, मगर उस काम में उनको परिश्रम हुग्रा उनको धन्यवाद ग्रौर बधाई मिलनी चाहिये ग्रौर उनको बधाई ग्रौर धन्यवाद देता हूं। मैं गवर्नमट को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुरस्कार दिया है। मैं ग्राशा करता हूं कि ग्रापका यह काम दिन प्रति दिन बढ़ता जायगा।

## "जीवेम शरदः शतम्"

जस्टिस गजेन्द्र गड़कर, बहनों और भाइयो,

आज हम लोग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम में भाग लेने के लिये यहां इकट्ठे हुए है। महर्षि कर्वे जैसा आदमी बराबर नही हुआ करता और बड़े सौभाग्य से ऐसे लोगों का दर्शन हम लोगों को मिलता है। अभी उनके जीवन का थोड़ा सा वृत्तान्त आपको दिखाया गया। यह स्पष्ट है कि ऐसे मौके पर जो कुछ भी कहा जा सकता है वह थोडा ही हो सकता है और यदि उनके जीवन की एक-एक बात को लेकर, एक-एक घटना को लेकर अगर हम कहना चाहें तो बहुत कुछ कहने को रह जाता है। मै केवल उस समय की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा जिस समय वह एक छोटे लड़के की तरह पढ़ने के लिये घर से निकले थे और किस परिश्रम के साथ, किस उत्साह के साथ, कितने कष्ट के साथ उन्होंने विद्या प्राप्त की यह उनकी जीवनी पढने से ही मालूम हो सकता है। ऐसे समय में जब आना-जाना कठिन था, जब खास ऐसी जगह पर जहां न कोई रेल या न दूसरी कोई सवारी आसानी से जा-आ सकती थी वहां से 100,125 मील दूर जगल पहाड़ होते हुए चलकर रास्ते में बावजूद खतरे के आगे बढ़ते जाना, ऐसे स्थान पर पहुंचना आसान काम नही था पर अपनी छोटी उम्र में ही यह बहादुरी उन्होंने दिखलायी और उसके बाद उनकी सारी शिक्षा इस प्रकार से हुयी जिस में खर्च कम और परिश्रम बहुत और जो कुछ परिश्रम का काम हो उस कठिनाई में खुद दूसरों को पढ़ाकर थोड़ा सा पैदा कर लेना या दूसरे जरिये से पैदा कर लेना और इस तरीके से पढ़कर परीक्षाएं पास करके पूरी तरह से योग्यता प्राप्त करना और साथ ही साथ जो काम आगे करना हो उसका भी चित्र अपनी आंखों के सामने बना लेना, केवल चित्र ही नही बल्कि उसको मूर्तरूप देकर उसको अपने जीवन में दिखलाना यह सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को होता है। उस समय अपनी आंखों के सामने जो उस समय की हमारी बहनों की स्थिति थी उन्होंने उसको देखा और साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी कठिनाई रास्ते में क्यों नहीं हो मगर उनकी दशा वह सुधारेंगे और केवल समाज सुधार से ही नहीं बल्कि उनके दर्म्यान शिक्षा का प्रचार करके उनकी हालत को

---

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में डाक्टर कर्वे की 100 की वर्षगांठ समारोह में भाषण; 18 अप्रैल, 1958

बढ़िया बना देंगे, और इन दोनों कामों में उनको कठिनाइयों और बाधाओं का मुकाबला करना पड़ा और उन्होंने बहादुरी के साथ उत्साह के साथ, उत्साह के साथ उनका मुकाबला किया और विजय भी पायी।

समाज सुधार के काम म शुरू से ही उनको जाति वहिष्कार बर्दाश्त करना पड़ा, जो और तरह की कठिनाइया जाति बहिष्कार से हो सकती हैं, कुछ एक-दो दिन नही वर्षो तक उनको बर्दाश्त करनी पड़ी और सब को खुशी-खुशी उन्होंने बर्दाश्त किया। उनका विश्वास था कि विधवा विवाह होना चाहिये और केवल उस विश्वास को ही नही रखकर उसके अनुसार उन्होंने काम भी किया और एक विधवा से उन्होंने विवाह किया। एक संस्था उन्होंने विधवा विवाह के प्रचार के लिये कायम की तो दूसरी संस्था उनके शिक्षण के लिये कायम की। इन दोनों संस्थाओं ने अलग-अलग अपना काम बराबर किया और जो विद्यालय विधवाओं की शिक्षा के लिये उन्होंने खोला वह पीछे चलकर यूनिवर्सिटी बन गया और पिछले प्राय: 30 वर्षों से या उस से भी अधिक समय से वह यनिवर्सिटी चल रही है और दिन प्रति दिन तरक्की करती जा रही है।

केवल संस्था ही उन्होंने कायम नहीं की बल्कि स्त्री शिक्षा का क्या रूप होना चाहिये और जो रूप उसका है उसमे क्या परिवर्तन करना चाहिये इसको भी उन्होंने सोचा और उस परिवर्तन को अपनी शिक्षा संस्था में दाखिल किया और जारी किया। अपने देश के लोगों ने शुरू में नहीं, आहिस्त-आहिस्ते उनके काम को पहचाना, उसके महत्व को पहचाना और अपने देश के अलावा विदेश के लोगों ने उनके काम को पहचाना और उनकी मदद की, पैसे से मदद की।

एक चीज जो आजकल हम लोग भूल जाते है कि गवर्नमेंट की मदद के बगैर और छोटी-छोटी रकमों को जमा करके पैसे की तकलीफ रहते हुए इतनी संस्थाओं को कायम रखना और चलाना, जैसा हम, आज समझते हैं कि पैसे के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है महर्षि कर्वे का जीवन मूर्तरूप मे उसका खंडन है। वह इस बात को बताते हैं कि यदि मनुष्य के जीवन में विश्वास हो, श्रद्धा हो और उत्साह हो और वह लगन से किसी काम में लग जाये तो कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती और कोई भी काम चाहे वह कितना भी कठिन काम क्यों नहीं हो और जिसके लिये कितनी भी धन की आवश्यकता क्यों नहीं हो वह काम पूरा किया जा सकता है। जिस आदमी के पास पैसे

की कमी हो, जो किसी जमाने में मेहनत करक, प्राइवेट ट्यूशन करक अपना गुजर करता हो वह आदमी एक यूनिवर्सिटी कायम कर ले, वही नहीं उसके साथ-साथ बहुतेरी शिक्षण संस्थाएं कायम कर ले यह आश्चर्य की बात है और इसको हम देख सकते हैं और हम ने देखा है जो उनकी बहादुरी, उनके उत्साह और त्याग का फल है। इसलिये जो संस्थाएं उन्होंने कायम की है, उनको और भी उन्नत करना, बढाना, उनको कायम रखना जो लोग है उनका कर्त्तव्य हो जाता है और मेरा विश्वास है कि आज जब वह 100 वर्ष पूरा कर रहे है और सारे देश के लोग महोत्सव मना रहे है उनको बधाई देने के लिये, हम उनकी संस्थाओ को भूलेंगे नहीं और वे संस्थाएं धन के अभाव से कमजोर नही पड़ेंगी और दिन प्रति दिन बढ़ती जायेंगी।

मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली मे भी आपने यह समारोह किया और यहा के लोगो को मौका दिया कि उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित कर सकें और जो कुछ उन्होंने किया है उससे वे कुछ ग्रहण कर सके और सीख सके। मैं आशा करता हूं कि इस समारोह का यह फल होगा कि स्त्रियों में शिक्षा और दूसरे प्रकार के सामाजिक सुधार जो हम चाहते है और जिन्हें महर्षि ने संस्थाएं स्थापित करके किया है वे सब के सामने रहेंगे और जो उनका उद्देश्य रहा है उसको पूरा करने मे सब लोग सहायता देंगे। और मैं समझता हूं कि आप सब की ओर से ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको और भी जीवित रखें जिसमे लोगों को और भी उदाहरण मिले। इस अवस्था मे भी, जिस अवस्था में मामूली तौर पर पहले कोई रहता ही नही, जो कोई रह जाता है उसके लिये हजारों प्रबन्ध की जरूरत पड़ती है महर्षि को उसी तरह से देश की सेवा, समाज की सेवा कर रहे है जैसे आज तक करते आये हैं। यह उदाहरण लोगों के सामने बराबर बना रह।

मैं गवर्नमेंट की ओर से हिगने में उनकी कायम की हुई जो स्त्री संस्था है उसके लिये पचास हजार रुपये के अनुदान की घोषणा करता हूं।

# सरदार पटेल के चित्र का अनावरण

अध्यक्ष महोदय, संसद् के सदस्यगण, बहनों और भाइयो,

मै अपने लिये इसे बहुत फख्र की बात समझता हूं कि आज आपने मुझे इस मूर्त्ति का अनावरण करने के लिये आमन्त्रित किया ।

सरदार वल्लभ भाई पटेल का और मेरा साथ 1918 मे शुरू हुआ और आखिरी दिन तक वह साथ बना रहा जिसमें हर तरह के काम मे मुझे यह सुअवसर मिला कि मै उनके पीछे-पीछे चलकर काम कर सकू और उनको यह मौका मिला कि वह मेरी मदद कर सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के सम्बन्ध मे अगर मै कुछ कहना चाहू तो एक लम्बा भाषण हो सकता है। इसलिये मै कवल एक-दो चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूगा।

महात्मा गाधी के आन्दोलन मे जो सारे भारतवर्ष में चला और जिसका आरम्भ 1917, 1918 में चम्पारण और खेड़ा मे हुआ जो बात आप सबो को मालूम है शायद ही कोई मौका इस लम्बे अर्से मे आया होगा जब कोई भी बड़ा काम गान्धी जी ने शुरू किया हो और उसमे सरदार पटेल का बड़ा हाथ नहीं रहा हो । 1918 में जब खेड़ा मे पहले पहल सत्याग्रह का काम शुरू हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आयी, महात्मा गान्धी ने उनकी नेतृत्व शक्ति, उनकी सगठन शक्ति पहचानी और उसके बाद जितने सत्याग्रह बडे पैमाने पर देश में हुए सबों में सरदार का बहुत बड़ा हाथ रहा। 1923 मे नागपुर में जब झंडा सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उसमें उनको सफलता मिली। गुजरात में छोटे-मोटे कई सत्याग्रह हुए उन सब में उनका हाथ रहा और बड़े पैमाने पर जो सत्याग्रह सारे देश के लिये बारडोली में हुआ उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई ने किया। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने उसका नेतृत्व किया बल्कि सारे देश के सामने उन्होंने एक नमूना पेश किया कि किस तरह से जनता अपने त्याग के बल पर सरकार को झुका सकती है और किस तरह से हर तरह की दिक्कतों के रहते हुए वह कामयाब हो सकती है । और सच पूछिये तो देश-व्यापी सत्याग्रह जो 1930 में हुआ उसके नमूने का आरम्भ बारडोली के सत्याग्रह से ही हुआ । 1930 के बाद के सत्याग्रह से आप वाकिफ है और

---

पार्लियामेंट के सेन्ट्रल हाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र का अनावरण करते समय भाषण; 23 अप्रैल, 1958

हमेशा जब-जब मौका आया, सरदार आगे रहे और बारडोली की वजह से ही वह सरदार बन गये। उस सत्याग्रह का नेतृत्व उन्होंने इतनी खूबी से किया था कि सब लोग उससे मुग्ध हो गये और महात्मा जी ने उनको सरदार की उपाधि दी और अन्त तक वह सरदार कहलाते रहे और आज भी लोग अधिकतर उनको सरदार के नाम से जानते हैं और अगर यह कहा जाये कि सरदार ने यह किया, वह किया और उसका स्वराज्य आन्दोलन से सम्बन्ध हो तो अधिकतर ख्याल उनकी तरफ ही जाता है।

जब स्वराज्य मिल गया और हम इस बडे महल मे बैठकर अपना सविधान बनाने लगे तो उस वक्त सरदार पटेल ने हर मौके पर जब कोई गुत्थिया आयी उनको सुलझाने मे बहुत काम किया और उन मौको पर के जो उनके भाषण है उनको जिनको सुनने का मौका मिला हो और जो आज भी सुन सकते है उनकी दूरदर्शिता और गहराई का पता उनको उन भाषणो से मिल सकता है। कोई ऐसा मौका सविधान सभा के सामने नही आया जिसमे मुश्किल स मुश्किल गुत्थियों को सुलझाने मे वह कामयाब नही हुए हो। मगर जो सब से बड़ा काम उनके जीवन का रहा वह यह रहा कि सविधान के पूरा होते-होते सारे देश को उन्होने एक बना दिया "और जिस चीज से हम डर रहे थे वह नहीं होने पायी।

जब 1946 के सितम्बर मास मे पहले पहल सविधान सभा बैठी उस समय हमारे सामने यह साफ नही था कि 500 से ऊपर जो रजवाडे इस देश में फैले हुए थे वे किस तरह से हमारी संविधान सभा मे शरीक होंगे और किस तरह का बर्ताव उनका देश के दूसरे हिस्सों के साथ होगा। आरम्भ में कुछ समझौता करके दो-तीन बातो मे भारत सरकार को उन्होंने अधिकार दे दिया था। और सब चीजों मे वे अपने-अपने राज्य मे स्वतन्त्र संविधान बना सकते थे। उस वक्त यह साफ नही था कि क्या होगा। एक तरफ तो मुस्लिम लीग की तरफ से देश के बटवारे के लिये जोर था, दूसरी तरफ देश के अन्दर इतने रजवाड़े थे और मालूम नही होता था वे क्या रुख लेंगे और देश का क्या हाल होगा। वह सारे देश के लिये चिन्ता का विषय था और जो हमारे देश के मित्र नही थे शायद वे ऐसी उम्मीद करके बैठे हुए थे कि जब ब्रिटिश राज्य यहां से हटेगा या उनकी शक्ति कम होगी तो इस देश के अन्दर केवल अराजकता ही नही फैलेगी बल्कि देश का टुकड़ा-टुकड़ा हो जायगा और भारतवर्ष एक देश नहीं रह जायगा। यह सरदार की दूरदर्शिता थी, बुद्धिमत्ता

थी और कार्यकुशलता थी जिस ने देश को उस खतरे से दूर ही नही रखा बल्कि सारे देश को एक सूत्र में बांध डाला। 1946 के दिसम्बर महीने से 1949 के नवम्बर महीने तक इन तीन वर्षों मे जब 1949 के नवम्बर महीने में संविधान पास हुआ उस वक्त सारा भारतवर्ष एक हो चुका था और संविधान मे जो पहले ब्रिटिश राज्य के मातहत सूबे थे और जो रजवाडो को मिलाकर नये सूबे तैयार हुए थे दोनों करीब-करीब एक दर्जे मे आ गये और केवल यही नहीं कि एक दर्जे मे आ गये बल्कि रजवाडे भी एक दूसरे से मिलकर ऐसे एक हो गये कि अलग उनका नामोनिशान नही रह गया जहा तक देश के शासन का ताल्लुक था। यह काम इतना बड़ा था कि यदि वह उस वक्त नही होता तो न मालूम आज हमारे देश के सामने कितने ऐसे मसले होते जिनको हल करना हमारे लिये कठिन होता। थोडे दिनों के अन्दर सिर्फ यही नही हुआ कि बड़े-बडे महाराजे और नवाबों को इस देश के शासन के अन्दर मिला लिया गया, उन्होंने खुशी-खुशी अपने अधिकार भारत सरकार को सौप दिये बल्कि इस पर भी वे राजी हो गये कि उनके राज्य क्षेत्रो को दूसरे राज्य के क्षेत्रो के साथ मिलाकर एक-एक नये सूबे तैयार हो जायें और जब संविधान तैयार हुआ तो उस वक्त हम कह सके कि संविधान में लिखे गये हिन्दुस्तान मे केवल वे ही हिस्से शरीक नहीं है जो पहले अंग्रेजी राज्य के अन्दर थे बल्कि वे हिस्से भी आ गये है जो रजवाडे के अन्दर थे, वे भी उसी तरह भारतवर्ष के हिस्से हो गये शासन के लिहाज से। यह काम इतनी आसानी मे हुआ, इतना जल्द हुआ कि आज हम इस बात को नही समझते है कि यह इतना जल्द और आसानी से कैसे हुआ। मगर यह सरदार की बुद्धिमत्ता थी, दूरदर्शिता थी, कार्य-कुशलता थी। इतनी बुद्धिमानी से उन्होंने इतनी बड़ी चीज को किया कि जिन लोगो के राज्य ले लिये गये वे भी खुश हो गये जिस खुशी को आज आपने सुना, महाराजा साहब के खुद अपनी जबान से बताया और एक खास उसका सबूत हमेशा के लिये इस भवन मे इस चित्र के रूप में वर्तमान रहेगा।

उनका देश प्रेम, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी दूरदर्शिता, उनकी सेवा ये सब चीजें तो थी ही। मगर सरदार वल्लभ भाई बड़े होकर एक किसान भी बने रहे और उसकी एक छोटी सी मिसाल भी मैं आपको देता हूं। बारडोली में जो आश्रम है उस आश्रम में 8 एकड़ जमीन थी। उस आश्रम की जमीन में वह केले की खेती करके इतना पैदा कर लेते थे कि वे 15, 16 हजार रुपये सालाना की बचत कर लिया करते थे। एक साल जब वह जेल में चले गये और उस साल केले से आमदनी दस हजार रुपये की ही रही। वह मुझ से

कह रहे थे कि मेरी गैरहाजरी में लोगों ने ठीक से खेती का इन्तजाम नहीं किया और इस कारण से पांच-छै: हजार रुपये की आमदनी कम हो गयी। मैं यह कहना चाहता हू कि वह बड़ा होकर भी इन छोटी चीज़ों की तरफ भी उतना ही ध्यान रखते थे और इस तरह से चतुराई से काम करते थे कि कोई भी काम हो उसमे वह सफल होते थे। मैं चाहूंगा कि हमारे देश के नवयुवक, आगे आनेवाली पीढ़ियां उनकी जीवनी का अध्ययन करें और हम लोगों में से जिनको ऐसा मौका रहा, सौभाग्य रहा कि उनके साथ या उनके नेतृत्व मे काम किया उन्होने बहुत कुछ देखा है मगर अब हम बहुत बातें भूलते जा रहे हैं। एक दिन आयगा जब हमारे देश के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुन्दर स्वर्णक्षरों मे लिखा जायगा क्योकि उन्होने ऐसा भारतवर्ष हमको दिया जैसा आज तक इतिहास में कोई नही मिला था, ऐसा भारतवर्ष जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम मे काठियावाड से लेकर पूर्व मे आसाम तक एक छत्र भारतवर्ष लेकर उन्होंने हमें दिया और यदि उनकी चतुराई नही होती तो हो सकता था कि हमको भारतवर्ष मिलता मगर कह नही सकते कि वह कितना छोटा होता और आज किस तरह से एक छत्र के नीचे जो भारत मिला है वह शायद ही मिलता।

जब तक हम इस चीज की याद रखेंगे तब तक उनकी सेवा को समझ सकेंगे और उसकी कीमत लगा सकेंगे। यूरोप में जर्मनी को एक करने का एक समय आया था और इस चीज को वहां के लोगों ने बहुत याद रखा और इसको कायम रखा और उन दिनो का एक बनाया हुआ जर्मनी गत लड़ाई तक एक रहा। अब फिर दो जर्मनी हो गये हैं।

मैं आशा करता हू कि सारा भारतववर्ष जो एक हुआ है अनन्त काल तक एक रहेगा और उसकी उन्नति दिन प्रति दिन होती जायगी और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेगे। केवल राजनीतिक उन्नति लेकर हम संतुष्ट नही हो जायेगे बल्कि लोगों की आर्थिक, सामाजिक और हर प्रकार की उन्नति आवश्यक है जिसमे सारा संसार कह सके कि भारतवर्ष एक देश था, एक देश है और एक देश बना रहेगा!

मै महाराजा साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह सुन्दर चित्र दिया। मै उस चित्रकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर चित्र बनाया। मैं अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंन मुझे यह मौका दिया कि मै अपनी श्रद्धांजली सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति अर्पित कर सका।

# दिल्ली निगम का उद्घाटन

दिल्ली निगम की अध्यक्षा महोदया, दूसरे सदस्यगण, बहनों और भाइयो,

मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इस निगम की स्थापना के इतना जल्द बाद आप सब से मिलने का मुझे मौका दिया। आपने जैसा मानपत्र मे बतलाया है, मैं पहले दो बार इस स्थान पर आकर आपसे सम्मानित हो चुका हूं और तीसरे मरतबे फिर इस बार आपका सम्मान पाने के लिये यहा आया हू और इसे अपना बड़ा सौभाग्य समझता हू।

दिल्ली का शहर एक बहुत ही पुराना शहर है जिसके लम्बे इतिहास में सारे हिन्दुस्तान का इतिहास बहुत हद तक छिपा हुआ है। और सिर्फ दिल्ली के शहर मे ही नही बल्कि दिल्ली के आस-पास चारो तरफ फैली हुयी जो बस्तियां हैं उनका जर्रा-जर्रा, उनकी ईट-ईट इतिहास के गौरव का इशारा दे रही है और आज जब फिर एक बार दिल्ली आजाद भारत की राजधानी बनी है तो हम आशा रखते हैं कि दिल्ली का गौरव और भी अधिक गौरवान्वित होकर अपने देश के इतिहास को और भी उज्ज्वल बना सकेगा।

इस निगम की स्थापना मे जो काम किया गया है उसका एक बहुत महत्व होता है। जैसा आपने बताया, देहात के इलाके और शहर के इलाके दोनों को इस निगम के मातहत एक करने का प्रयत्न किया गया है। यह सारे भारत के लिये एक प्रकार मे नमूना हो सकता है क्योंकि भारत में जो आज फैली हुयी जनता है वह बहुत करके देहातों में बहती है मगर उसका एक बहुत बड़ा अंश शहरों में भी बसता है और जब तक इन दोनों का एक दूसरे की सहायता के लिये, एक दूसरे से सहानुभूति के साथ बर्ताव करने के लिये हमेशा तैयार नहीं हो तब तक सारे मुल्क की उन्नति पूरी तरह से नही हो सकती। इसलिये यह जरूरी है कि जो मुकाबले का भाव कभी शहर और गांव के बीच देखा जाता है उसके बदले में सहयोग का भाव सभी जगहों पर कायम हो जाये और फसाद के बदले मेल जोल और हमदर्दी कायम हो जाये। जब यह होगा तभी भारत अपनी उन्नति पूरी तरह से कर सकेगा और इसलिये जब यहा देहातों और शहर दोनो के लोगों को फिर एक दूसरे के साथ मिलाने को ही ही नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने और एक दूसरे की सेवा करने

---

दिल्ली कारपोरेशन का उद्घाटन करते समय भाषण; 30 अप्रैल, 1958

का मौका मिलेगा तो यह सारे हिन्दुस्तान के लिये एक सबक हो सकता है। इसलिये मै उम्मीद रखता हू कि और बातों को अगर नजरअन्दाज भी कर दिया जाये तो सिर्फ यही एक चीज़ जो इस निगम ने किया है उसके बल पर इस को हर प्रकार की सहायता और मदद सेन्टर से मिलनी चाहिये।

जैसा आपने कहा, प्राचीनकाल से दिल्ली मे बहुत चढ़ाव और उतराव देखे है और अब एक जमाना आया है जब हम उम्मीद रखते है कि चढ़ाव ही चढ़ाव होगा और सारे हिन्दुस्तान के साथ फिर आगे दिल्ली अपने को रख सकेगी। आपके इस शहर पर बडी जिम्मेदारी इसलिये भी आ जाती है। और खास करके भारत जब-जब दुनिया के और देशों के मुकाबले मे साथ-साथ आगे बढ़ता जा रहा है उसकी प्रतिष्ठा चारों तरफ होने लग गयी है और देश विदेश के लोग भारत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हासिल करने की ख्वाहिश और इच्छा रखते है तो यह एक तरह से लाजिमी हो जाता है कि विदेश के बहुतेरे लोग इस देश मे आवे और कोई भी इस देश मे आयगा तो वह अपनी यात्रा तब तक पूरी तरह से सफल नही समझेगा जब तक वह आपके इस नगर में नही आ जाये। इसलिये जो मुसाफिर सारे देश को देखने के लिये आते है उनकी संख्या बढती जा रही है और मुझे उम्मीद है कि और भी बढेगी।

उनके अलावा ऐसे लोग भी है जिनका गवर्नमेट के साथ ताल्लुक होता है। उनकी तायदाद भी कम नही नही है। और जो दूसरे देशो के नेता है वे भी अकसर तकलीफ करके हमारे मुल्क को देखने के लिये आते है और जब यहा आते है तो दिल्ली में भी जरूर आते है। यह जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप दिल्ली को एक ऐसा नमूने का शहर बना दें जिसको देखकर भारत की प्रतिष्ठा, इज्जत सब लोग रखें और देख सके। इसके लिये सिर्फ बड़ी-बडी इमारते काफी नही है। इमारतों की जरूरत जरूर है। अच्छी सड़के और हर तरह से शहर के लिये जो इन्तजाम जरूरी समझा जाता है वह सब रहना चाहिये। लडकों के पढ़ने-पढ़ाने का इन्तजाम भी जहां तक हो सके किया जाये और यहां पर हमारे देश की कारीगरी भी जरूर जारी हो। मगर केवल इन सब से ही देश की इज्जत नहीं बढ़ सकती है। ये चीजें एक हद तक जरूर इज्जत बढ़ाती है। मगर किसी भी देश की प्रतिष्ठा उस देश के रहने वालों की रहन-सहन, तौर तरीका, चाल चलन, चरित्र और भावना पर बहुत कुछ निर्भर करती है। इसलिये मै चाहूंगा कि इस शहर की हर तरह से तरक्की हो जिसमें लोग इसको एक नमूने का शहर समझ सकें। दूसरी तरह से यहां के रहने

वाले लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझकर सारे भारतवर्ष को एक नमूना पेश करें जिसमें लोगों के दिलों में यहां की सस्थाओं की प्रतिष्ठा से ही नहीं बल्कि लोगों से भी श्रद्धा बढ़े, उनको देखने से लोग समझें कि भारत एक उन्नत देश है।

मै उम्मीद रखता हूं कि इस नये दौरे अहद में आप अपना काम पूरा करेंगे और यह भी मै विश्वास रखता हूं कि आपके इस काम में जो कुछ भी सहायता और मदद भारत सरकार दे सकती है वह हमेशा आपको मिलती रहेगी क्योंकि इस निगम को कायम करके यह जवाबदारी भी उन्होंने वाजाप्ता कानूनी तौर पर अपने ऊपर ले ली है और कोई कारण नही कि उस जिम्मेदारी को वे नही निभायें। मै आपके साथ प्रार्थना मे शरीक हू कि ईश्वर आपको बल दे कि इस जिम्मेदारी को आप निभा सके, विशेष करके निगम के लिये हम प्रार्थना करते है कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी-पूरी तरह से समझ कर इस शहर की, निगम की कार्यवाई की, निगम से सम्बन्ध रखनेवाली सभी संस्थाओ और प्रतिष्ठानो को सुन्दर बनावे जिसको देखकर सभी लोग खुश हों और हमेशा के लिये दिल्ली का जो पुराना गौरव रहा है उसको और भी बढ़ाकर बनाये रखे। जो आपने मेरा सम्मान किया और मान पत्र दिया सब के लिये आपको हृदय से धन्यवाद देता हू।

# एक बाल-चित्र

गवर्नर साहब, लेफ्टीनैन्ट गवर्नर साहब, बाल चल चित्र समिति के सदस्यगण, बच्चो, बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे आज थोड़ी देर के लिये ही सही इस चल चित्र को देखने का मौका मिलेगा। जब मुझ से आग्रह किया गया कि मैं यहां जरूर आऊं तो मैं ने उसको खुशी-खुशी इसलिये मंजूर कर लिया कि उससे बच्चों में शायद कुछ उत्साह बढ़ सके और मेरा उनके साथ सम्पर्क हो सके और उनसे मेरी कुछ बातचीत हो सके क्योंकि बूढ़े और बच्चे बहुत माने में एक हो जाते हैं। मैं ने देखा कि बहुत बातों में उनको दूसरों की जरूरत पड़ती है। मैं ने यह भी देखा है कि मेरे घर मे जो बच्चे हैं बहुत सी बातों मे उनको दूसरों की जरूरत पडती है और जब हम दोनों एक साथ हो जायेंगे तो हमारे पास जिन्दगी का अनुभव है और उनको अनुभव जिन्दगी में आगे लेना है तो मुमकिन है कि वे अपने जीवन में हमारे अनुभव से लाभ उठा सकें।

उसके अलावा आजकल के जमाने में चित्र द्वारा शिक्षा का काम बहुत खूबी के साथ हो सकता है और हो भी रहा है। सभी चीजो में एक अच्छा पहलू और दूसरा बुरा पहलू होता है। तो चल चित्र में भी ये दोनों पहलू मौजूद हैं। हम यह चाहते हैं कि उनके बुरे पहलू से बच्चों को दूर रखें और उनके अच्छे पहलू को बच्चो के सामने लावें। पर यह तभी हो सकता है जब बच्चों के लिये विशेष चित्र बनाये जाये। इस ओर भारत सरकार का ध्यान गया है और विशेष करके हमारे प्रधान मन्त्री का ख्याल है कि इस तरह के चित्र बनें। इसीलिये इनाम देने का निश्चय किया गया है और दिया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस सूबे में भी इस तरह के चित्र का प्रदर्शन करें 'जहा तहा करने का निश्चय किया गया है और काम शुरू हो गया है। इसमें सिनेमावालों का साथ मिल रहा है यह खुशी की बात है। मुझे आशा है कि बच्चे इससे कुछ सीखेंगे। उसमें बहादुरी देखने को मिलेगा और साथ-साथ कठिन और मुश्किल समय में फंस जाने पर किस तरह से बहादुरी के साथ उस कठिनाई का हम सामना कर सकते हैं यह भी देखने को मिलेगा। मुझे आशा है कि बच्चे इससे पूरा लाभ उठायेंगे।

इन शब्दों के साथ मै इस चित्र का उद्घाटन करता हूं और कुछ देखने के लिये साथ बैठ जाता हूं।

---

रीगल सिनेमा, शिमला, में बाल चल चित्र का उद्घाटन करते समय भाषण; 15 मई, 1958

# शिमला के नागरिकों से

गवर्नर महोदय, लेफ्टीनैन्ट गवर्नर महोदय, शिमला के रहनेवाले भाइयो और बहनों,

मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे प्रति इतना प्रेम दिखलाया है कि जब से मैं यहा आया हूं और जिधर शहर में या शहर के बाहर निकला हूं चारों तरफ से आपने मेहरबानी और स्वागत की वर्षा कर दी है ।

मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहा है कि शिमले जैसे एक ख़ूबसूरत और सुहाबनी जगह पर और ज्यादा क्यों नहीं आ सका और यहां ज्यादा क्यों नहीं ठहर सका । आपकी यह शिकायत ठीक है कि चार वर्षों के बाद मैं यहां आ सका हूं और वह भी महज चन्द दिनों के लिए, जितना मै चाहता हूं या आप चाहते होंगे उतना मैं नही ठहर सकता । आगे की बात ईश्वर जाने कि मैं फिर कब यहां आऊंगा और आप सब से मिल सकूगा । पर इच्छा हमेशा रही है और अब भी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपसे मिलने का मौका मिले ।

आपने शहर की बात मानपत्र में कही है कि जब से भारत सरकार और पंजाब सरकार के दफ्तर का बड़ा हिस्सा दूसरी जगहों में बदल कर चला गया तब से इस शहर की रौनक कम हो गई है और सिर्फ यही नही, सरकारी इमारतें बहुत खाली पड़ी हुई हैं बल्कि जो गैर-सरकारी लोग यहां आया जाया करते थे उनकी तायदाद भी कम हो गई है । मै आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी स्थान अगर तरक्की करना चाहता है तो सारे देश का मुख्य स्थान या सलतनत का मुख्य स्थान ही बन कर नहीं कर सकता । उसकी सच्ची तरक्की और उन्नति तो तब होगी कि चाहे वहां सरकारी दफ्तर हो या नहीं हो पर वहां के लोग इतने खुशहाल हों या जो सारे देश के लोग वहां आया-जाया करते थे वे इतने खुशहाल हों कि सरकार रहे या नही रहे उनका आना-जाना बना रहे और शहर की खुशहाली बनी रहे । मैं ने सुना है कि सिर्फ शिमला ही नहीं बल्कि और भी जो पहाड़ी शहर पिछले 100 वर्षों के अन्दर जहां तहां बन गए थे और जिनकी रौनक बहुत हो गई थी, जहां बहुतेरे लोग आया-जाया करते थे उनकी हालत आज उतनी अच्छी नहीं रही । हो सकता है कि यह हालत कुछ ज्यादातर दिनों तक रहे । यह भी

---

शिमला नगर निवासियों की ओर से दिए गए मान पत्र के उत्तर में भाषण; 15 मई, 1958

हो सकता है कि यह हालत बदल कर पहले से ज्यादा रौनक थोड़े ही दिनों के अन्दर हो जाए। अब मुल्क की यह कोशिश है कि उसकी इतनी तरक्की हो कि यहां के सभी लोग खुशहाल हो जाएं, सभी जगहों की उन्नति हो जाए और सब लोगों को खाना ही सिर्फ नही, रहना ही सिर्फ नही बल्कि और प्रकार के जितने भी सुभीते हो सकते है सब मिले और सब लोग सुख से रहें। इसी काम में आज की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और जिन योजनाओं के नाम आप सुनते हैं उन सब का अर्थ यही है कि सारा देश खुशहाल बने और सारे देश की खुशहाली बढ़े। तो शिमला भी खुशहाल हो सकेगा और सिर्फ शिमला ही नही बल्कि इसके इर्द-गिर्द के जितने पहाड़ी गांव हैं सब खुशहाल होंगे और एक शिमले के बदले मे प्रत्येक गांव मे शिमला आपको देखने को मिलेगा।

हम उसी दिन की कोशिश में हैं। मगर कोई काम एक दिन मे नही होता है और जितना बड़ा काम होता है उसमे उतना ही अधिक समय लगता है, उसके करने में उतने ही परिश्रम और मदद की जरूरत होती है, उतनी ही कोशिश और त्याग की जरूरत होती है, इन्तजार करने की भी जरूरत होती है। इसलिए मैं आप सब को यह आश्वासन दे सकता हूं कि आप सारे देश के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के काम में लगें और वह दिन जल्द से जल्द लाने में सफल हो जब सारा देश उन्नत हो और शिमला भी उन्नत हो कर अपनी पुरानी जगह पर पहुंच जाए या उससे भी ज्यादा तरक्की करके और बड़ा हो जाए। यह कोई गैर-मुमकिन बात नहीं है। अभी भी जो थोड़ा बहुत काम हुआ है उससे इसका थोड़ा अन्दाज मिल जाता है।

आपने कहा कि शिमला शहर के अन्दर हर प्रकार की सहूलियतें मौजूद हैं जो दूसरे बड़े शहरों मे मौजूद है। बिजली की बात आपने कही है। अब कोशिश यह है कि बिजली सिर्फ शिमले ही में नहीं बल्कि शिमले के पहाड़ी गांवों में और सारे भारत के गांव-गांव में पहुंच जाए। इस बात की कोशिश है कि पानी सिर्फ शिमले में ही नहीं रहकर गांव-गांव में पहुंच जाए जिसमें लोगों को सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि खेत आबाद करने के लिए भी पूरा पानी मिले। इस बात की कोशिश है कि सभी जगहों में हर तरह की तरक्की हो और जब तरक्की होगी तो सब चीजें मुहैय्या हो सकेंगी।

मुल्क बहुत बड़े काम में लगा हुआ है। वह काम भारत के प्रत्येक निवासी का काम है। यह नहीं है कि उस काम के लिए अलग चन्द लोग रखे गए हैं और

उनको ही उसे पूरा करना है। जब सभी उसको अपना काम समझकर उसी दिलचस्पी के साथ, उसी तरह से दिल लगाकर पड़ेंगे जैसे वे अपने काम में पड़ते हैं, उसको करते हैं तो वह पूरा हो सकेगा और मैं यही कहूंगा कि आप उसी तरह से उसमें पड़ें और उसको पूरा करें।

शहर की तरफ से आपने कई मांगें पेश की हैं। उन सब को मैं सरकार के पास भेज दूंगा। इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि आप यह नहीं समझे कि आपकी तरफ कोई गफलत है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई गफलत नही है और न वह गाफिल हो सकती है। हां, यह जरूर होता है कि सब काम एक साथ नही होते और इसलिए कोई काम आगे करना होता है और कोई पीछे।

इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज इत्यादि बड़ी तायदाद मे मुल्क में खुल गए हैं। इसलिए यह कोई दूर की बात नहीं है कि यहां भी हो जाए। मैं कोई वादा तो नही करता पर इतना जरूर कहूंगा कि जब इतने बड़े पैमाने पर इतनी जगहों में कालेज खुलते जा रहे हैं तो कोई वजह नहीं कि इस पहाड़ी इलाके में भी उस तरह का कालेज क्यों नही हो और कोई वजह नही कि आपके भी उन सब चीजों को देखने और इस्तेमाल करने का मौका क्यों नही मिले जो और सबों को मिल रही हैं।

मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा स्वागत किया और मेरे प्रति प्रेम दर्शाया।

# हिमाचल के आंचल में

हिमाचल प्रदेश के लेफ्टीनैन्ट गवर्नर, टेरीटोरियल कौंउन्सिल के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, बहनों और भाइयो,

मैं कई वर्षो के बाद आपके इस सुन्दर सूबे में फिर एक बार आ सका हूं इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मेरी ख्वाहिश तो हमेशा रही है कि यहां अधिक आऊं और उससे भी अधिक चारों तरफ जाऊं और आप लोगों से प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करूं। पर बहुत कारणों के फलस्वरूप मेरी यह इच्छा अभी तक पूरी नही हो पाती रही है और इस बार यद्यपि मै यहां आया हूं तो जितना ठहरना चाहता था और जितना फिरना चाहता था उतना न तो ठहर सका और न उतना फिर सका। मगर तौ भी मुझे इस बात की खुशी है कि आपके इस इलाके मे तत्ता पानी मे मै जा सका और आज नालदेरा के मुकाम में आप सब बहनों और भाइयों के दर्शन मिले।

भारत बहुत दिनों के बाद स्वतन्त्र हुआ और उसको स्वतन्त्र बनाने में सारे दश के लोगों ने बहुत कष्ट उठाया, हर प्रकार का त्याग किया और परिश्रम से बहुत दिनों तक उसमें लगे रहकर उसको प्राप्त किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अभी 10 ही साल हुए हे और यह ग्यारहवां साल चल रहा है। जब कभी हम देश के प्रश्न पर विचार करते हे और अपनी आखों के सामने कुछ त्रुटिया नजर आती है तो दस वर्ष पहले की बात या तो हम में से बहुतरों को मालूम नहीं या जिनको मालूम भी है उनमें से बहुतेरे उसे भूल जाया करते है। जब कभी ऐसा मौका आवे और किसी चीज़ से असंतोष मालूम हो तो उसको देखना चाहिए कि इन दस वर्षों के अन्दर हमारे देश में हम क्या कर पाए हे। और इसलिए जो कुछ हुआ है उससे कवल संतोष नही रखना चाहिए बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम उतना भी कर पाए है। यह काम जो देश को सम्भालने और बनाने का आरम्भ हुआ है उससे और अधिक तेजी के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और सभी स्थानों में स्वराज्य की भावना को हम मूर्तरूप दे सकेंगे।

इस वक्त मैं देख रहा हूं कि मै तो छत्र के नीचे बैठा हुआ हूं और कुछ बोल रहा हूं पर आप भाई, बहन ही सिर्फ शान्ति से वर्षा में बैठे नहीं है बल्कि बच्चे भी शान्ति के साथ मेरी बातें सुन रहे है। मगर मैं इससे अधिक और ज्यादा आपको

---

हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से दिए गए मानपत्र के उत्तर में नालदेरा में भाषण; 17 मई, 1958

कष्ट देना मुनासिब नही समझता । मै यही कहूंगा कि अभी स्वराज्य का काम पूरा नही हुआ है । अभी बहुत कुछ करना बाकी है और इसलिए ज्यादा त्याग, ज्यादा देश प्रेम और हर तरह की देश सेवा की अत्यन्त आवश्यकता है । इसलिए आप केवल अपने प्रान्त का ही नही ख्याल करके जो कुछ करें सारे देश को ध्यान मे रखकर करें और यह विश्वास रखें कि भारत सरकार और देश के दूसरे हिस्से के लोग आपकी ओर पूरा ध्यान रखते है और जो कुछ भी सेवा सहायता की जरूरत आपको महसूस होगी वह हमेशा पहुंचाने के लिए तैयार रहेंगे ।

मै जब से यहां आया हूं आप बड़े उत्साह के साथ प्रेम दर्शा रहे है और मेरा स्वागत कर रहे है । सब क लिए मै आपको बहुत धन्यवाद देता हूं ।

आपका नृत्य देखकर और आपके दवता के दर्शन करके मुझे बडी प्रसन्नता हुई । मै उस वक्त कह रहा था कि अभी 10 साल हुए है जब हमारे हाथों में अधिकार आया और पूर्ण स्वतन्त्र अधिकार पाकर हम ने देश का भार सम्भाला । उस समय से आज तक देश में बहुत काम हुए है पर अभी बहुत कुछ बाकी है । 10 साल पहले जो देश की हालत थी उसमें और आज की हालत मे बहुत अन्तर पड़ा है । मै यह भी कहना चाहता हूं कि जो आज की हालत है उससे हमे संतोष नही है । दोनोशाम हम चाहते है कि यह हालत और भी बदले और लोग सुखी हों, जहा लोगों को खाना नही मिलता हो वहा उनको भर-पेट सुन्दर स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन मिले । कपड़े के लिए लोगों को कष्ट नही हो । पहाड़ी इलाकों में काफी सर्दी पडती है जहा कपड़े की बहुत ज़रूरत पड़ती है । देश के अन्दर काफी कपड़ा तैयार हो जिसमे सब लोगो को कपड़ा पहुंच सके । जहाँ बीमारी फैली हो वहा दवा का प्रबन्ध हो सके जिसमे कोई बीमार पड़ा व्यक्ति दवा के बगैर मरने नही पावे । पढ़ने के लिए हमारे यहां के बच्चो को पूरा साधन मिलना चाहिए जिसमें वे योग्यता के अनुसार पढ़कर तैयार हों और देश का तथा अपना काम करने मे सफल हो सकें ।

मगर यह सब करने के लिए जो कुछ सरकार की ओर से किया जा रहा है या जो कुछ आगे किया जायेगा उसमें देश की जनता का भी हाथ हो, आप में से हरेक का चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे वह गरीब हो या धनी, सब का उसमें हिस्सा है और सब को उसमें सहयोग और सहायता करनी है। जब तक इस प्रकार से सब लोगों की सहानुभूति और सहायता देश के काम में नहीं मिलेगी तब तक उसका कोई फल नही हो सकता है । तो आप यह समझें कि आपका यह कर्त्तव्य है कि आप हर तरह के देश के काम में सहायता करें ।

मैं एक मिसाल देता हूं । आप सब किसान है और आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं । जब कोई किसान गाछ लगाता है तो उसको फल मिलता है । मगर गाछ लगाते ही उसको फल नही मिलता पर गाछ अगर रहेगा तो एक न एक दिन फल उसको मिलेगा ही । जितना ही गाछ को वह सीचता जायेगा उतना ही अच्छा और सुन्दर फल उससे निकलेगा । तो हम ने इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की सम्पन्नता के लिए गाछ लगा दिया है । देश की उन्नति रूपी गाछ के लिए स्वराज्य ज़मीन है । ज़मीन हमारे हाथ में आ गई है । उसका प्रबन्ध हम कर रहे है और चला रहे हैं । मै समझता हूं कि आप मे से जो नवजवान है वे फल भी पाएंग और हमारे जैसे जो बृद्ध है उनको इस बात की खुशी है कि हमारे बोए हुए गाछ को आप फूलते-फलते देखेंगे । मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो काम किया जा रहा है उसमें जो कष्ट हो उसे आप कष्ट नहीं समझें । इस परिश्रम का फल तो आपको मिलेगा । मैं ईश्वर, से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको बल दे और आप देश-कल्याण कार्य में सहयोग दे सकें ।

# क्षय रोग की रोक-थाम

मुख्य मन्त्री जी, सेठ योधामल जी, बहनों तथा भाइयो,

कई महीने गुजरे जब गोस्वामी गणेशदत्त जी ने आग्रह किया कि मैं इस सैनेटोरियम क उद्घाटन में भाग लू तो मैंने खुशी से उसको मंजूर तो कर लिया मगर उसके साथ यह भी प्रश्न मेरे सामने था कि किसी एक काम के लिए ही सफर करना मेरे लिए जरा मुश्किल है। इसलिए मैंने एक तरह से शर्त कर दी कि जब और भी काम होंगे और मैं इस तरफ आऊंगा तो यह उद्घाटन का काम कर लूगा। संयोग ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि इस मौके पर और भी दो-तीन जगहें देख लूगा और इस काम को भी कर लेना है। फिर दूसरा संयोग ऐसा हुआ कि और कामों को इस वक्त स्थगित कर देना पड़ा। तो मेरे सामने सवाल यह आया कि मेरी जो शर्त है उस पर टिका रहूं या नही। सेठ योधामल का आग्रह हुआ कि इस काम के रुके रहने से रोगियों को कष्ट होता रहता है और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उनको रोक रखना ठीक नहीं है। मैं भी उनसे सहमत हुआ और मैं ने सोचा कि चाहे एक ही काम सही मुझे आकर इसे कर देना चाहिए और इसके लिए शिमले से दिल्ली जाकर फिर यहां आना भी पड़े तो इसको कर लू और इस काम को करके उस पुण्य का थोड़ा भागी बन जाऊं जो इतने रोगियों की दवा-दारू से यहां के दूसरे लोगों या गवर्नमेंट को सैनेटोरियम के संचालन से मिलेगा। इसलिए मैं यहां आज सवर हाजिर हुआ।

भारत एक बहुत बड़ा देश है और ईश्वर की दया से यहा की जलवायु और देशों के मुकाबले में कुछ खराब नहीं है, अच्छी है। सारे देश मे काफी धूप मिलती है, हवा भी साफ रहती है। कही-कही छोड़कर जल भी सभी जगहों पर अच्छा और पुष्टकर मिलता है। पर तो भी यह बीमारी यहां फैली हुई है। यहा के लोग अपने जीवन का करीब तीन-चौथाई या उससे भी ज्यादा खुश्क हवा में, मकान में या बरामदे पर बिताते हैं। फिर यह बीमारी यहां क्यों फैले यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर अच्छे समझदार डाक्टर ही दे सकते हैं, और जैसा अभी कहा गया, इसका उत्तर यह मिलता है कि और सब सुविधाओं के रहते हुए भी अगर इस तरह की बीमारी मुल्क में फैली हुई है जिसका कोई ठिकाना नही तो उसका कारण यह है कि यहां के लोगों को जलवायु तो ठीक मिलती है पर भर-पेट खाना,

---

**टांडा नामक स्थान पर टी० बी० सैनेटोरियम का उद्घाटन करते समय भाषण; कांगड़ा, 21 मई, 1958**

पुष्टकर भोजन नहीं मिलता। यहां गरीबी फैली हुई है इस कारण से ईश्वर के अच्छी जलवायु देने के बाद भी हम अपने को इस रोग से मुक्त नहीं कर सकते हैं और बच नही सकते हैं ।

तो बात यह है कि जब तक इस देश से पूरी तरह से गरीबी दूर नही होगी और देशवासियो को अन्य कष्ट होता रहेगा तब तक जड़-मूल स इस बीमारी को उखाड़ फेंकना मुश्किल है । मगर जब तक वह दिन नही आता तब तक लोगों को इस बीमारी का शिकार होने देना ठीक नहीं है । इसलिए जो इसका उपचार हो सकता है वह सारे देश में किया जा रहा है । गवर्नमेंट इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि इस रोग को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए जो जो उपाय किए जा सकते है उनको करना उसका कर्त्तव्य और धर्म है और जहां उससे बन पड़ता है और हो सकता है वह इस काम में लगी हुई है ।

साथ ही जो धनी-मानी लोग है, जिनको ईश्वर ने पैसे दिए है और पैसे से भी अधिक, जिनको सद्बुद्धि दी है, गरीबों के प्रति जिनके हृदय में दया की भावना दी है उन लोगों से जगह-जगह पर काफी मदद मिलती है। मैंने कहा जगह-जगह पर क्योंकि मुझे सुअवसर मिला है, धनी लोगों के बनाए इस तरह के भवनों का उद्घाटन करने का मौका अन्य जगहों पर मिला है । मै आप सब भाई-बहनों को बधाई देना चाहता हूं कि आपके बीच में सेठ योधामल ऐसे निकले कि उन्होंने गरीब लोगों का आर्तनाद सुनकर इस अस्पताल के काम को आगे बढ़ाने के लिए सुन्दर और यथेष्ट दान दिया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उनके आग्रह को पूरा कर सका और यहां आकर इस अस्पताल का उद्घाटन कर सका ।

इसके साथ साथ एक दूसरी बात जिसको सब जगह के लोग महसूस नहीं करते वह यह है कि जो रोगी आते हैं वे तो अस्पताल में भरती हो सकते है मगर उनके साथ आनेवाले लोगों के ठहरने का, रहने का कोई बन्दोबस्त नहीं होता और इसलिए आपने यह भी शुभेच्छा प्रकट की है कि यहां एक धर्मशाला भी बना दें जहां जो लोग रोगी के साथ आवें, उनकी देखभाल के लिए ठहरना चाहें वे धर्मशाला में आराम से रह सकें । उसकी भी नींव डालने के लिए आपने मुझ से आग्रह किया है और उसकी नींव भी मै खुशी से डाल दूंगा । मै आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का पुण्य काम जहां भी बन पड़े करना चाहिए । यों सब काम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना ठीक नहीं है । मै जानता हूं कि आप कहेंगे कि औरों के पास पैसे नहीं बचते, उनके पास सरकार पैसे रहने नहीं देती या उनके पैसे कमाने का रास्ता बन्द कर देती है । तो भी यह काम ऐसा है कि थोड़ा भी जो कुछ बचे उससे इस काम

को करना चाहिए । मुझे विश्वास है कि जैसी धार्मिक प्रवृत्ति इस देश में रही है वह लोगों को अनुप्रणित करती रहेगी और लोग पैसे ऐसे कामों मे लगाते रहेंगे और जिनके पास पैसे नही है वे अपने शरीर से काम करते रहेंगे ।

मैं जानता हूं कि दूसरे प्रकार के रोग भी देश में फैले हुए है जो रोगियों को दूसरों का मुहताज बना देते है । कुष्ट रोग फैला हुआ है । उसके लिए भी न केवल पैसे की जरूरत है, न केवल अस्पताल की जरूरत है बल्कि सेवा करने वाले लोगों की भी उतनी ही जरूरत है जो इस काम में अपना जीवन दें और हर तरह का खतरा उठाकर रोगी लोगों की सेवा में लगे रहे । और इस काम के लिए पैसे भी मिल रहे है और सेवा का काम भी देश भर में फैल रहा है । यह रोग ऐसा है जो संक्रामक है । एक जगह पर एक आदमी के होने से दूसरी जगह पर दूसरे आदमी तक फैल जाता है । इसीलिए यह जरूरी समझा जाता है कि जहा रोगी रहे उनसे दूसरे लोगों का घनिष्ट सम्बन्ध नही रहे । मगर हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा है कि घर में किसी को बीमारी हो तो चाहे वह कैसी भी संक्रामक क्यों न हो हम उसको छोड़ना नही चाहते और इसीलिए ऐसे अस्पताल की जरूरत पड़ती है जहा रोगी से उसके लोगो का सम्पर्क भी बना रहे और साथ ही कम से कम सम्पर्क रहे । इस तरह के सैनेटोरियम से दोनो तरह का काम होता है । इसके कारण न तो रोगी समझते हैं कि उनको घर से निकाल दिया गया और न उसके घरवाले समझते है कि उन्होंने उसको हटा दिया ।

मगर अभी, जिस तरह से कहा गया, इस तरह की चिकित्सा भी निकली है । जो लोग घर में रहकर ले सकते है उसमे खर्च कम है । मैं समझता हू कि अपने देश के विशेषज्ञों ने इसको कबूल नही किया है, अपनी योजनाओं में उसे जगह नहीं दी है उसका कारण यह है कि अभी उस पर पूरा प्रयोग होकर उसकी सफलता पर पूरा विश्वास नही पैदा हुआ है । मुमकिन है, मैं समझता हूं कि दूसरा कारण यह भी हो कि दवा जो दी जाती है जब तक पुष्टकर खाना नही मिले तब तक दवा से फायदा नही होता है । घर में रहकर पूरा इन्तजाम नही किया जा सकता है, जो खाना रोगी को मिलना चाहिए, जो समय पर दवा मिलनी चाहिए उसका प्रबन्ध शायद घर में रहकर नही हो सकता है । इसलिए इसकी तरफ पूरा ध्यान नही दिया जा रहा है । मगर जैसा हो रहा है वह बड़े पैमाने पर किया जा रहा है । सारे देश में रोग को रोकने के लिए टीका लगाने का काम जोरों से चला है ।

यह तो सब मानते है कि बीमार पड़ जाने पर इलाज कराकर अच्छा होने से बेहतर है कि आदमी बीमार न पड़े । जो बीमार पड़ते है वे बहुत कीमती दवा

से अपने को बचा सकते हैं । खूबी तो इस बात में है कि अपने को बीमार ही न पड़ने दें और इसका इन्तजार नहीं किया जाए कि बीमार पडेंगे तो दवा से अच्छे हो सकते हैं । मगर हम लोगों का जीवन ऐसा है कि हम लोग बीमार पड़ते ही हैं । हमारे जैसा आदमी इसका का भी अनुभव रखता है जो हमेशा बीमार ही रहता हो । मगर साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हू कि बीमार पड़ने पर भी अपना काम नही छोड़ना चाहिए । मैं तो सारी जिन्दगी बीमार रहा हूं और तौ भी आप लोगों की सेवा करता रहा हूं । मगर हमारी बीमारी ऐसी नही रही है जिसमे आदमी मर जाता है । मगर यह बीमारी भी कम तकलीफ नही देती है । मगर ईश्वर पर भरोसा रखे तभी इस तरह का काम होता है ।

टी० बी० की बीमारी ऐसी है, मैं आप से कहू, कि हो जाने पर एक मनुष्य की आयु सिर्फ 1,000 दिन की रह जाती है अर्थात् पूरे तीन वर्ष मे उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए । मगर देखा गया है कि जो नए नए इलाज निकले है उसकी वजह से रोगी तीन साल से ज्यादा बच गए हैं और बहुतों के बारे मे कहा जाता है कि उनको हमेशा के लिए आराम हो गया है । तो जो तरक्की हो रही है उससे आशा करता हूं कि यह देश इस रोग से मुक्त हो सकता है और जिनमे जो कुछ सेवा बन पडे वे दे तो वह दिन नजदीक आ गया है और मैं आशा करूंगा कि वह दिन नजदीक आता जायगा ।

देश के सामने बड़े बड़े काम हैं और बड़ी बड़ी मुश्किले हैं । मैं उनका जिक्र क्या करूं । मैं ने एक रोग को लेकर ही उसका जिक्र कर दिया है । मलेरिया पहले बहुत इस देश मे फैला हुआ था । उसको दूर करने के लिए बहुत काम किया गया है । चूंकि उस बीमारी से लोगों को बचाया जा सकता था, लोगों को बचाया गया है । पहले हैजे की बीमारी बहुत जोरों से हुआ करती थी । उसके लिए इस तरह तरीका निकाला गया है कि उससे लोगों को बचाया जा सकता है और देश मे कामयाबी हुई भी है । तो जो इस तरह के महारोग हैं जिनमें से टी०बी० भी एक है, उनके सम्बन्ध मे यह समझाया जाता था कि वे इतने बड़े रोग हैं कि उनसे रोगी को बचाना मुश्किल है उनको दूर करने या उनसे रोगी को बचाने की दिशा मे बहुत काम हुआ है ।

मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी काम हुआ है वह आप लोग समझें कि अभी कम ही है । हम में से हरेक को चाहे वह गवर्नमेंट से सम्बन्ध रखता हो या नही, चाहे सरकारी नौकर हो चाहे गाव का किसान, चाहे दूसरे पेशे में काम करता

हो हरेक आदमी का कर्तव्य है कि अपनी सहायता दे, सहयोग दे, तभी देश आगे बढ सकता है। इसकी आशा बहुत हद तक होती जा रही है। जो 10 वर्ष में काम हुए हैं उसके फल को देखकर हम आशा कर सकते हैं कि काम आगे बढ़ेगा। जो बडा काम होता है तो उसमें चढाव उतराव होता ही है। कहीं लोगों को निराशा मिलती है, कही आशा हो जाती है। तो हम लोग इस बात को भूल जाते हैं और निराश होते ही दब जाना चाहते हैं। हमको सीधे रास्ते से स्वस्थचित हो काम करना चाहिए। आशा और निराशा तो जीवन की सघी है और हमेशा आती रहती हैं। तो ऐसी बड़ी चीज मे ईश्वर पर विश्वास और अपनी हिम्मत बहुत काम देती है।

मैं आप सब भाइयों और बहनों का धन्यवाद करता हू और विशेष करके राधामलजी का कि उन्होंने इस पुण्य काम मे हाथ बटाया और मै आशा करता हू कि यह काम आगे बढ़ता जायगा और फूलता-फलता जायगा।

# होम्योपैथिक अस्पताल का शिलान्यास

गवर्नर साहेब, श्री बैजनाथ प्रसाद जी, बहनों और भाइयो,

बहुत दिनो से मुझ पर यह तकाजा किया जा रहा था कि मै यहां आऊं और टुनकी शाह जी ने जो होम्योपैथिक कालेज के लिए दान दिया था उसकी नीव डालू पर संयोग कोई ऐसा नही बनता था कि मै यहा आऊ और इसलिए इसमे काफी देर भी हुई । अन्त मे यह एक मौका मिला कि मुझे तीन दिनों के लिए पटने मे आना पडा तो मैने सोचा कि इस मौके को हाथ से नही जाने देना चाहिए और आकर इस काम को इसी सिलसिले में कर जाऊ और इस लिए आज मै यहा आ गया हू ।

यह खुशी की बात है कि टुनकी शाह जैसे एक दानी पुरुष ने यहा होम्योपैथिक कालेज के लिए पैसे दिए । हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है और यहा इतनी तरह की बीमारिया फैली हुई है कि सबको किसी एक किस्म की दवा से या इलाज से राहत पहुचाना एक तरह से गैरमुमकिन है । इसलिए सारे देश मे जहा जो सुविधा हो जहा आसानी से जिस तरह से लोगो को आराम पहुचाया जा सकता हो उस प्रकार के इलाज का सहारा लेना अक्लमन्दी और हुशियारी है । आप यह जानते है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से लोगो के स्वास्थ्य और बीमारी के इलाज के लिए बहुत बडे पैमाने पर काम किया जा रहा है और हमारी पाचसाला योजना के अन्दर भी इसके लिए काफी इन्तजाम सोचा गया है । जो एलोपैथी के इलावा और दूसरे इलाज है उनको उतनी मदद नही दी जा सकी और न दी जाती है जितनी कि एलो-पैथो को मिलती है । तो भी हम तो यह समझते है कि देश में जिस-जिस तरीके से लोगों को आराम पहुच सके, जहा कोई भी दवा नही मिल सकती हो वहा दूसरे तरीके से दवा पहुच सकती हो तो यह भी कोई कम बात नही है । और यह भी हम जानते है कि आज मुल्क के अन्दर हजारों-लाखों ऐसे आदमी है जो सिर्फ होम्योपैथी पर विश्वास ही नही रखते है बल्कि जो उस तरीके से लाभ उठा रहे है तो कोई वजह नही कि उनको ज्यादा मौका क्यों नही दिया जाय, अधिक से अधिक लाभ वह उससे उठा सकें । और यह भी खयाल करने की बात है कि यह मुल्क एक गरीब मुल्क है और इस मुल्क में दवा-इलाज का खर्च जहा तक

---

श्री टुनकी शाह होम्योपैथिक कालेज तथा हास्पीटल के भवन की नींव डालते हुए मुजफ्फरपुर मे भाषण; 26 मई, 1958

कम हो सके हमको करना चाहिए जिसमें गरीबों को भी उसमे फायदा पहुंच सके । अच्छे से अच्छा इलाज हो, अच्छी से अच्छी दवा हो मगर वह हमारे लोगों की औकात से बाहर हो तो वह उससे लाभ नहीं उठा सकते और जबतक इसका पूरा इन्तजाम नही हो जाय कि हरेक आदमी उस तक उस तरीके (एलोपैथी) को पहुंचा सके चाहे वह गवर्नमेन्ट के जरिए से हो चाहे दानी लोगों के जरिए से हो तब तक और भी जो तरीके इस देश मे या दूसरे मुल्कों में प्रचलित है उनसे लाभ उठाना जरूरी है और मै समझता हूं कि वाजिब और मुनासिब भी है । इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको यह मानना पड़ेगा कि होम्योपैथिक में खर्च और तरीकों के मुकाबले में बहुत कम है और अब आजकल तो इलाज का सिलसिला ऐसा बढता जा रहा है कि कोई बीमार हो तो उसकी पचास किस्म की जाच, पचास तरह के यत्रों से देखभाल की जरूरत हो जाती है और नतीजा यह होता है कि बहुतेरे गरीब उस मे लाभ नही उठा सकते, उनको उसका मौका नही मिलता ।

हमारे यहा आयुर्वेद में एलोपैथी मे जितनी प्रकार की जाच की जरूरत होती है उतने प्रकार की जाच की जरूरत नही हुआ करती थी । पुराने वैद्य नब्ज देखकर, पुराने हकीम नब्ज से बीमारी के रोग को पहचान लिया करते थे और उनके इलाज से उनको आराम मिला करता था । होम्योपैथी की जो दवा निकली है उससे बहुतेरों को आराम पहुंचा है । मै मानता हू कि आजकल की वैज्ञानिक उन्नति के कारण बहुत बीमारियों का ऐसा इलाज निकला है जो शायद पहले मयस्सर नही था और इसकी भी आशा की जा रही है कि और नए प्रकार के इलाज निकलते जाएगे, नई दवाएं सोची जाएगी जिनके जरिए से हम बहुत बीमारियों से लोगों को मुक्त कर सकेंगे । यह सब होता है पर इसमें बहुत खर्च हो रहा है । गवर्नमेंट भी इसकी तरफ काफी दिलचस्पी लेती है मगर इन दूसरों को भी छोड़ देना या उनसे अपने को तटस्थ रखना अच्छा नही मालूम पड़ता है । इसलिए मैं समझता हूं कि टुनकी शाह होम्योपैथिक कालेज कायम करने के लिए दान दे कर अच्छा काम किया गया है और उससे बहुत लोगों को लाभ होगा ।

मै तो यह आशा रखूगा कि जो लोग यहा से तालीम पाने के लिए आएंगे वे एक दो किताब पढ़कर ही अपना काम नही शुरू नही कर देगे बल्कि पूरी तरह से उनको पढ़कर, समझ कर सब चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे जिसमें यह कहने का किसी को मौका नही मिले कि इसमे वैज्ञानिक तरीके से काम नही होता है, यों ही मनमाना काम होता है और दवा इत्तेफाक से लग जाती है, यह कहने का मौका किसी को नही देना चाहिये कि इसमे न कोई शक्ति है और ताकत है । अगर

ठीक तरह से पूरी तालीम पा कर लोग काम करेंगे तो किसी को यह कहने का मौका नहीं रहेगा। आजकल आयुर्वेद के बारे मे, हिकमत के बारे में, होम्योपैथी के बारे में यही शिकायत रहती हैं कि उनकी तालीम का पूरा और अच्छा सिलसिला नहीं है जिसमे हरेक आदमी की जांच करके इलाज करने का मौका हो, यों ही कुछ पढ़कर, सुन कर लोग काम शुरु कर देते हैं। अब इस देश की गवर्नमेन्ट भी कुछ न कुछ अपने हाथ मे ले रही है और पढ़ने पढाने का तरीका गवर्नमेन्ट की तरफ़ से भी बन रहा है, इसके लिए करीक्युलम गवर्नमेट मुकर्रर कर रही है। मै तो आशा करूंगा कि जो काम आप यहां आरम्भ कर रहे हैं उसका फल यही नही मिलेगा कि बहुतेरों को आप आराम कर सकेंगे बल्कि आप बहुतेरे ऐसे लोगो को तैयार कर सकेंगे जो बहुतेरो को आराम कर सकेंगे यही काम है। मै आशा करूंगा कि यह जो सुन्दर काम आरम्भ हुआ है यह सफल होगा।

इसके लिए मै वैद्यनाथ शाह को बधाई देना चाहता हूं और उनकी जो पूज्या माता है उनको बधाई देना चाहता हू कि वह इस काम मे अपने पिता और पति की इच्छा का पालन करके यह शुभ काम कर रही है। मै मुजफ्फरपुर शहर के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके शहर में यह काम हो रहा है और उनके जरिए से और और जगहों में यह काम फैलेगा। मै इस होम्योपैथिक कालेज की नींव डाल कर बहुत खुशी मानता हू।

# हमारी नागरिक समस्याएं

राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, निगम के संचालक महोदय, बहनो और भाइयो। आपने बहुत प्रेम के साथ मेरा सम्मान किया इसके लिए मै आपका आभार मानता हूं। आपने ठीक ही बतलाया कि मै पटना म्युनिस्पल्टी का अध्यक्ष कुछ दिनो तक रहा था पर वह जमाना आज से 34 वर्ष पहले था और जो समस्यायें उस वक्त हमारे सामने आई थी उसी प्रकार की समस्याए आपके सामने भी आज मौजूद है। उस वक्त भी म्युनिस्पल्टी के खर्च के लिए हम लोग जो टैक्स लगाया करते थे उससे वह पूरा नही हो पाता था और कोई भी शहर की तरक्की का काम हम करना चाहते थे तो हमारे सामने वही दिक्कते आया करती थी जो आज आपके सामने मौजूद है। इसलिए हमने बहुत कुछ बदनामी लेकर थोड़ा सा टैक्स बढाया था और कई जगहो मे कुछ खर्च कम करके उसका सामना करना हम चाहते थे। मगर वह काम पूरा नही हो सका और हम बाद में एक-डेढ साल के बाद उस काम से अलग हो गए क्योंकि हमने देखा कि दूसरे काम में हमारी जरूरत ज्यादा थी या हम यहा अधिक सेवा नही कर पाते थे।

आपने ड्रेनेज का जिक्र किया है। उस वक्त कागज पर हमने देखा था तो मालूम हुआ था कि यह सवाल 60 बरसों या 100 बरसों से म्युनिस्पल्टी के सामने था जो अभी तक हल नही हो पाया। 60,65 लाख का उसमे खर्च आता था और इतना म्युनिस्पल्टी दे नही सकती थी और न गवर्नमेन्ट दे सकती थी। अब तो मै समझता हूं कि उससे कई गुना अधिक खर्च पड़ेगा क्योंकि अब आपका शहर बहुत बढ़ गया है और उसकी वजह से काम भी बहुत बडा हो गया है। पहले जो दिक्कतें थी वे तो है ही। यह सब पटना म्युनिस्पल्टी की दिक्कतें नहीं है यह सब सारे भारतवर्ष की दिक्कतें है।

हमारे सामने बहुतेरे ऐसे सवाल है जिनमें बहुत खर्च की जरूरत है जितना हम अभी जुटा नहीं सकते है तो भी हमने हिम्मत करके कई प्रकार की योजनाएं सारे देश में जारी की है जिनसे बहुत आशा रक्खी जाती है। हम सब उम्मीद रखते है कि इस प्रकार से इस शहर के अन्दर भी जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम तरक्की करते जाएंगे और जो स्थिति है उसमें बड़े पैमाने पर कोई काम नहीं उठाना चाहें पर छोटे-छोटे काम पूरा कर सकते है और उनसे आशा कर सकते हैं।

---

नगर निगम द्वारा दिए गए अभिनन्दन पत्र के उत्तर में भाषण, पटना, 27 मई, 1958

मुझसे जितना बताया गया है उससे आप ज्यादा वाकिफ है और आप समझ सकते है। आपके मुख्यमंत्री जी और दूसरे जो मंत्री लोग यहां पर मौजूद है। तो जो लोकल गवर्नमेंट से आपको सहायता मिलनी चाहिए और जो मांग आप कर रहे है वह सब मिलती ही रही हैं। मेरा विश्वास है कि उनका ध्यान उस ओर रहेगा और जब निगम को कायम किया गया तो सोचा गया होगा कि इस शहर की किस तरह से तरक्की हो जिसमें इस सूबे के सामने वह नमूना बन जाय जिसको देखकर सिर्फ यहा के लोग ही नहीं बल्कि सारे भारत के लोग खुश हो। मैं तो आशा रखूगा कि जैसे-जैसे सारे देश की तरक्की होगी, जैसे-जैसे इस सूबे की आर्थिक स्थिति सुधरेगी वैसे वैसे आपके शहर की तरक्की होती जायगी और यह शहर इस सूबे का एक नमूना निगम रहेगा।

इस वक्त हमारे सामने एक प्रकार का नही बल्कि कई प्रकार के सवाल है और वे इस सूबे के अन्दर भी है। तो इस वक्त हमको यह देखना है और इसमें जोर लगाना है कि किस तरह से, किस तरीके से हमारी सुलझें और किस सुलझे तरह से देश को जिस रास्ते पर चलाना चाहते है चलाएं। सिर्फ इस मुल्क मे नही बल्कि ऐसा समय आ गया है कि दुनिया के सभी मुल्को मे तरह तरह की दिक्कतें दरपेश है और कितनी जगहों पर आपस की लडाइया भी चल रही है और एक प्रकार से असन्तोष सभी जगहों पर जोरों से मौजूद है। हम भी इससे बचे नही है तो भी हमको जब देश के मसलों की तरफ ध्यान देना चाहते है तो इसमें कोई शक नही कि जबसे हमको आजादी मिली तबसे बहुत कोशिश की गई है और बहुत बड़े-बडे काम हाथ ने लिए गए है। इसमें भी कोई शक नही कि इन कामों में कुछ हद तक सफलता भी मिली है। मगर तो भी यह सोचने की बात है कि इतना करने के बाद भी लोगों मे जितना उत्साह हम पैदा करना चाहते है और लोगो की जितनी इन कामों के जरिए से भलाई और सेवा का काम करना चाहते है और हम जितना चाहते है कि वह हमारी सेवा को समझें और मुल्क की तरक्की को समझें, इसमें हमको पूरी कामयाबी नही मिली है। इसका एक कारण तो शायद यह है कि जो काम हम कर रहे है वह इस तरह का काम है जिनका नतीजा बहुत दिनों के बाद मालूम होगा। अभी सोलह आने वह सामने नही है। उसका थोड़ा बहुत नतीजा तो मिल गया है मगर लोग नतीजा पूरा पूरा और जल्द देखना चाहते है। यह भी सही है कि हमारे देश और देशों के मुकाबिले में कुछ कम नही है। वह इंतजार करना जानते है। अगर कोई किसान खेत में बीज डालता है तो उसको चार छः महीने में फसल प्राप्त होगी। इस चार छः महीनों में बीज बोने के बाद उसे सींचता है

ग्रौर उसमें बर्बादी भी हो सकती हैं, तरह तरह की ग्राफतें भी ग्रा सकती है मगर यह सब जानते हुए भी छ: महीनों के लिए फल का इंतजार वह करता है ग्रौर तब उसे वह फल मिलता है ग्रौर कभी कभी नही भी मिलता है । तो ग्राप लोग इसे समझें कि जो काम हो रहा है वह बहुत बड़े पैमाने पर है । इसमें बहुत खर्च, मेहनत ग्रौर त्याग की जरूरत है मगर इनका फल उसी मुकाबिले में बहुत देर के बाद ही मिलेगा । तो मेरा विश्वास है कि हम लोगों को समझा सकते है, बता सकते हैं, यह उनके लिए कोई नई चीज नहीं होगी । मगर ग्रगर उनको हम नहीं समझाएं ग्रौर बताएं ग्रौर इसमें कोई ग्राश्चर्य न होना चाहिए कि वह जल्द से जल्द फल देखना चाहते है । मै कहूंगा कि हम उनको समझाएं ग्रौर बताएं क्योकि हमारा ग्रपना विश्वास है कि जो काम ग्राज तक किया गया है वह कम नही है । ग्रगर एक एक चीज को लीजिए ग्रौर दूसरे देशो की जनता के साथ हमारा मुकाबला किया जाय तो मालूम होगा, ग्राज ऐशिया में ही ले लीजिए कि हिन्दुस्तान में जो कुछ हमने किया है उसका मुकाबिला नहीं मिल सकता है । ग्रभी ज्यादातर मुल्कों में हलचल रही है । वहां पूरी तरह से शान्ति नही है । वहां ग्रभी हर तरह से झगडा चल रहा है, जंग चल रहा है ग्रौर ग्रशान्ति सभी जगहों पर है : हमने उस ग्रशान्ति को बहुत हद तक काबू मे रक्खा है ग्रौर जो बडे-बड़े काम हाथ में लिए है जिनका मुकाबिला ग्रौर देशों में नही किया जा सकता । हमने एक एक चीज में तरक्की की है । कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें हमने ग्रागे बढ़ने की कोशिश नही की है ग्रौर बहुत हद तक हम ग्रागे नही बढ़े है ।

शिक्षा में ही देखिए कि उन दिनों जितने स्कूल ग्रौर कालेज थे उनसे ग्राज कई गुने ग्रधिक स्कूल ग्रौर कालेज बन गए है । इसके इलावे पढ़ने-पढ़ाने का तरीका भी बदल गया है । दूसरी चीजों को लीजिए । जैसे हमारे देश में कपड़ा है, ग्रगर हम खयाल करें तो दस बरस पहले जितना कपडा तैयार होता था उससे कई गुना ग्रधिक ग्रब तैयार होता है, कारखाने को लीजिए तो उसकी तायदाद बढ़ गई है ग्रौर बढ़ती जा रही है । इसी तरह से छोटी चीजों में ले तो चर्खे का काम । वह भी जितना पहले था उससे कहीं ग्रधिक बढ़ गया है ग्रौर ग्रब करोड़ों का काम हो रहा है । तो ग्रगर इस तरह से देखा जाय तो हर तरह के काम में हम ग्रागे बढ़े है ग्रौर बढ़ते जा रहे हैं मगर यह लोगों को समझाने की बात है, दिखलाने की बात है ग्रौर हर जगह पर जहां प्रजातंत्र का काम शुरु होता है तो लोगों के दिलों में ग्रसन्तोष पैदा होता है तो उसको दूर करना होता है ग्रौर लोगों के सामने सब बातें रखकर ग्रौर उनको बता कर उनके दिलों में ग्रहसास पैदा करने का उनका काम

हो रहा है और उनके कहने के मुताबिक काम हो रहा है इसकी जरूरत होती है। यह चीज हमारे देश में होनी चाहिए। अभी जो काम हमने लिया है वह ऐसा काम नही है जो केवल गवर्नमेन्ट की एजेन्सी की मार्फत किया जा सके। गवर्नमेन्ट का काम बहुत फैला हुआ है मगर तो भी देश का कोई बडा काम देश के सब लोग मिल कर करेंगे तभी वह हम पूरा कर सकेंगे। एक तो उनके दिलो में उत्साह पैदा करना, जोश पैदा करना और दूसरे उस काम को करके उसे दिखाना और जानना होता है यह हम को करना है। हम आशा रखते हैं कि सभी लोगों में इस तरह का उत्साह पैदा होगा। शहर की तरक्की का काम हो, शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, जिस तरह से आप अपने निजी काम को करते है उसी तरह से गवर्नमेन्ट के काम को अपनी चीज समझ कर के उसको किस तरह से नफा पहुंचे और नुकसान नही होने पावे आप सहयोग करें तो देश की हालत सुधर सकती है। गवर्नमेन्ट का भी काम है कि वह देश के लोगों के खर्च न बढ़ाए मगर उसको दूर करने का तरीका यही है कि सभी जगहों पर जो कुछ खर्च होता वह कम किया जाय और आमदनी बढ़ाई जाय। हम यही आशा रखते है कि इस सूबे के लोग इस सूबे को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा सूबा, सन्तुष्ट सूबा तैयार कर सकें कि सब लोग देखकर कहें कि यह सूबा अच्छा है।

ईश्वर ने इस सूबे को अच्छा बनाया है। यह हर तरह से अच्छा है। इसके आधे हिस्से में खेती का काम बहुत जोरो से हो सकता है। आधा हिस्सा ऐसा है जहा धनराशि पृथ्वी के गर्भ में बहुत पड़ी है। यह हमारा काम है कि अन्न भी उपजाएं और दूसरी चीजें भी तैयार करे। यह हम लोगों का ही खयाल नहीं है भारत सरकार की भी आपके सूबे पर मेहरबानी तो जरूर है और वह भी चाहती है कि यहां अच्छी तरह से काम हो और सब चीजों की तरक्की हो। तो यही देखना है कि किस तरह से उन चीजों को, जो धन छिपा हुआ है उसको किस तरह से काम मे लावें और गरीब सूबे को धनी बनावें। वह सवाल हमारे सामने है। जब सारा सूबा आगे बढेगा तभी आपकी तरक्की हो सकती है, वह जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा आपकी तरक्की होगी यह मेरी विश्वास है।

मै आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी इज्जत बढ़ायी है, मुझे मान दिया और बहुत सी पुरानी बातों का स्मरण कराया। मैं दस-बारह वर्षों से आप लोगों से अलग हो गया हूं, इस माने में नही कि मै आपमें से एक नहीं हूं, काम का क्षेत्र दूसरा हो गया है। जो काम यहां पर हो रहा है उससे सीधा सम्पर्क मेरा नहीं रह गया है मगर मेरी दिलचस्पी तो है ही और जो कुछ सेवा आप मुझ से लेना चाहें उसके लिए मै तैयार हूं।

# पंढरपुर की पुण्य-नगरी में

राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्रीजी, नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण बहिनो और भाइयो,

आज मेरे लिए यह भाग्य की बात है कि मै इस पुण्य नगर में भगवान के दर्शन कर पाया और यहां मेरा आना भी खास एक काम से हुआ और वह जैसा कि आप लोगों ने अपने मानपत्र में लिखा है, विनोबाजी के दर्शन और उनसे परामर्श के लिए यहां आया हूं। आपने ठीक ही याद दिलाया कि 23, 24 बरस पहले मैं आपके नगर में आया था, पर उस समय दर्शन का सुअवसर नही मिला था। यह दुख की बात थी।

यहां आज मै केवल राजनैतिक काम के लिए नहीं आया हूं बल्कि एक प्रकार से राजनीति से अलग रह कर भगवान के दर्शन और विनोबाजी के दर्शन के लिए आया हूं।

आपका इतिहास केवल राजनैतिक मामलों में नही बल्कि इससे भी अधिक इस सम्बन्ध में बहुत महत्व रखता था। इस परम्परा को कायम रखना है। इस देश के अन्दर आज 36, 37 करोड लोग बसते है जिनमें प्राय: 20 करोड़ लोग एक प्रकार की सभ्यता, एक ही धर्म और एक ही संस्कृति के रहनेवाले है। इन सब की संस्कृति और धर्म की अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें याद दिलाती है वह यही हमारी संत परम्परा है। इसी ढंग पर चाहे वह आपके महाराष्ट्र में तुकाराम और रामदास जो संत महात्मा हुए, उत्तर में तुलसीदास, कबीर, सूरदास और नानक आदि चला गए और बंगाल में चंडीदास और अन्य भक्तों ने जो परम्परा कायम रखी और जिसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार और प्रसार किया वह एक ही परम्परा जो सदा जीवत रहेगी। सब संस्कृतियों का आधार एक ही है यद्यपि अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसी परम्परा का एक स्थान पंढरपुर है। इसलिए यहां की नगरपालिका का यह कर्तव्य हो जाता है कि जो लोग दर्शन के लिए आते है उनको आराम से रखना है। नगर की सफाई की व्यवस्था ऐसी हो कि लोग यहां आ सकें, रह सकें और आराम से दर्शन कर सकें। यह सब जिम्मेदारी आपकी है और यह आपका काम है कि इस काम को अच्छी तरह से आप निभावें। मै समझता हूं और मुझे विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएंगे।

---

नगरपालिका के मानपत्र के उत्तर में भाषण; पंढरपुर, 1 जून, 1958

केवल यह एक शहर तक की जिम्मेदारी ही नही है, भारत वर्ष की सब जनता की जिम्मेदारी है। कुछ हम से भी भूलें होती हैं और यदि हम अच्छा करते हैं तो उसका श्रेय हम को मिलता है। यदि हमारे देश में कोई भी गल्ती करता है तो उसका दोष सारे देश को है और यदि कोई अच्छा करता है तो उसका श्रेय भी सारे देश को मिलता है। जो कुछ यहा हो रहा है वह सब हम आशा करते हैं सब की भलाई का काम करते हैं। मेरी कामना है कि यह भावना देश के नर-नारी के दिल में जागृत हो जायगी और इसी भावना के साथ सारे देश को एक मानकर काम करते जाएंगे तो उसका उद्धार होगा। सदियों से हमारे देशकी यही परम्परा रही है। यह परम्परा न मालूम कितनी शताब्दियों से हमारे सत-ऋषियो ने हम को सिखाया, उसी पर हम को आज हमें कायम रखना है। यही हमारे सामने बड़ा काम है। जब आपस मे मन-मुटाव नही रहेगा आपस में विरोधभाव नही रहेगा, एक दूसरे को ढकेलने की इच्छा नही रहेगी, इसका अर्थ यह नही होना चाहिए कि जिस हालत में पहले थे उसी हालत मे हमे रहना है, पर इसका अर्थ इतना ही है कि हमे सोच-समझ कर काम करना है, हमारी सस्कृति और शिक्षा की यही प्रेरणा है और हमे उसी तरह काम करना है।

इन शब्दों के साथ आप नगरपालिका के सदस्यों को मै धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद तो आपके लिए मै क्या दू ?

# मानव समाज और सर्वोदय

पूज्य रमादेवी जी, पूज्य विनोबाजी, बहनों और भाइयो,

मैं इस बात का प्रयत्न किया करता हूं कि सर्वोदय सम्मेलन में प्रति वर्ष आकर शरीक हो सकू और वह इसलिए नही कि मुझे कुछ आपको कहना रहता है बल्कि इसलिए कि अपने लिए ही कुछ प्रेरणा ले जाऊं। तो भी जब आपका आग्रह होता है कि मुझे भी कहना चाहिए तो मै उस आग्रह को टाल भी नही सकता।

आप तीन दिन से विचार-विमर्श कर रहे है और अनेकानेक विषयो पर, अपने दृष्टिकोण से आपने विचार किया। मुझे वह सब सुनने व जानने का मौका नहीं मिला है तो भी मैं इतना समझ सकता हू कि आप जिन भावनाओ को लेकर प्रेरित हो रहे है और जिस कार्यक्रम को सामने रख कर बढना चाहते है और संसार को बढ़ाना चाहते है वे भावनाएं ऐसी है जो किसी भी मनुष्य को, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, असर किए बगैर रह नही सकता। और इसलिए जब तब मै भी विचार करता रहता हूं और खास करके जो आज की स्थिति है उस स्थिति को जब देखता हूं तो इस पर विचार और भी आवश्यक हो जाता है। विदेश की स्थिति मैं ज्यादा नही जानता न उस सम्बन्ध मे ज्यादा आप से कहना चाहता हू। केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि सभी जगहो मे आज अविश्वास है, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना और देश-देश के अन्दर, आपस मे भी, गृहयुद्ध लगे हुए है और ऐसा मालूम होता है कि यद्यपि आज विज्ञान ने प्रगति की है तो भी उस प्रगति के दो ही नतीजे हो सकते है और कोई नतीजा नही हो सकता। एक नतीजा तो यह हो सकता है कि जितने भौतिक साधन है, जितने भौतिक पदार्थ है और उनके द्वारा जितना सुख हम प्राप्त करना चाहते है तो वह सब सुख, जब उन साधनों का ठीक प्रयोग करे, तो हम को मिल सकता है। पर अभी यह स्पष्ट नहीं कि हम इस बात को पूरी तरह से समझ गए है और इन साधनों का उपयोग किस काम के लिए होना चाहिए और किस काम के लिए नही। इसलिए जो दूसरा उसका फल हो सकता है वह यह है कि वे साधन हमारे विनाश का कारण बन जावे और सारे मानवसमाज का एक प्रकार से नाश हो जाय। अब तक जो प्रवृत्ति देखने में आ रही है और जो कुछ प्रयत्न इस दिशा में किया जा रहा है उन सब का नतीजा विनाश की ही ओर हम को ले जा

---

पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन में भाषण; 1 जून, 1958

रहा है, मृष्टि की ओर नही। यह तो विदेश की हालत है। हमारे इस देश के ही नहीं और सभी देशों के विचारशील लोग इस बत से अवगत हो गए ह और सोचने लग गए है कि आज मानव ममाज एक ऐसे खतरे के मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसको बहुत समझ कर, मंभालकर कदम उठाना है। अगर गलत कदम उठाया तो वह एक ऐसे गढे मे गिरेगा जिससे वह उठ नही सकता, अगर जिन्दा बचा भी तो। अगर सही कदम उठाया तो हो मकता है कि वह सुख के रास्ते पर चल सके। जो समझदार लोग है उनके अन्दर इस तरह की भावना पैदा हो गई है कि वे विनाश से मुह मोडे और मृष्टि की तरफ चले। मगर यह भी है कि जो लोग यह सोच रहे है उनको भी यह रास्ता स्पष्ट नही दीखता कि किस तरह से चलें। यह बात नही है कि उस रास्ते को आज तक किमी ने नही दिखाया हो। जितने संसार में ऋषि, मुनि, धर्मप्रवर्तक और विचारप्रवर्तक पैदा हुए है सब ने कुछ-न-कुछ बतलाया है और इम रास्ते पर चलने का प्रयत्न भी किया है। तो भी आज की जैसी विकट स्थिति हो गई है उस विकट स्थिति का किसी को सामना नही करना पड़ा तो इमलिए किमी ने इस विकट स्थिति का मुकाबला करने का कोई रास्ता पूरी तरह मे नही दिखाया, नही बताया।

हम, भारतवामी आज से नही, अनादिकाल मे कुछ अपनी ही रीति मे सोचते आए है, चलते आए है और यद्यपि हम ने भौतिक पदार्थो की उपेक्षा नही की है, हमेशा इस बात पर ध्यान रखते आए है कि जीवन भौतिक रूप से भी सुखी रहे, आनन्दमय रहे मगर तो भी हम ने कभी भी भौतिक पदार्थो को प्रथम स्थान नही दिया और यही कारण है कि इस देश मे इतनी गरीबी रहते हुए भी इतना दुख रहते हुए भी अगर आप जाकर लोगों से पूछे और लोगों के विचार समझने का प्रयत्न करें तो आपको मालूम होगा कि वे सुख का अनुभव करते है। चीथड पहने हुए, मिट्टी में मोए हुए, गदे कपडे पहने हुए आदमी भी भारतवर्ष में जितना सुख अनुभव करता है उतना शायद अच्छे-से-अच्छे भौतिक पदार्थो को भोगनेवाला भी दूसरी जगहों में शायद ही अनुभव करता हो। इसका कारण यह है कि भारतीय मानस ऐसा बना हुआ है कि वह अपने सुख का अनुभव अन्दर से करता है, बाहर से नही करता। अन्तर्मुखी होकर हम मुख का अनुभव करते है और यही कारण है कि आज तक हम जीवित रहे है नहीं तो, जितने प्रकार की विपत्तियां हमारे देश पर आयी है और हमारी जनता को बर्दाश्त करनी पड़ी है उतनी विपत्ति शायद ही किसी और देश को और किसी जनता को सहनी पड़ी हो। जो और थे वे एक प्रकार से वे नही रह गए जो पहले थे और उनका रूप, उनका जीवन,

उनका सब कुछ इस प्रकार से बदल गया है कि वे एक नई चीज बन गए, भला या बुरा, उनके साथ होकर वे खुद नही रहे है, वे कुछ दूसरे बन गए है ।

हम अभी तक वैसे ही बने हुए और यदि उस जीवन को हम ने कायम रखा तो मै आशा रखता हूं कि आइन्दा भी हम बने रहेंगे । यह समझना गलत है कि हम चाहते है कि लोग जिस तरह से भूखे थे उसी तरह से हमेशा भूखे बने रहे जिनके पास कपडा नही है वे हमेशा के लए वस्त्रहीन बने रहे, हम चाहते है कि उनके पास भी सुख के जितने भौतिक साधन हो सकते है वे उनको मिले, सब को मिलें पर यदि किसी कारण से उनमें से कुछ चीज नहीं मिले तो उसके लिए हमे उतना दुख नही होना चाहिए । जितना मिले उतने में संतोष रहने की भावना को हमे जागृत रखना है । आजकल मुझे कभी-कभी ऐसा डर लगता है कि हम जितना जोर भौतिक साधनो पर दे रहे है क्या कही उसका ही असर यह नही हो रहा है कि जो हमारे हृदयों के अन्दर दुख और मुसीबत को सहने की शक्ति और त्याग की वृत्ति है उसको तो हम कमजोर नही बना रहे है । हमारा जो कुछ प्रयत्न साधनों को बढाने का हो रहा है वह देखने मे बहुत ही अच्छा और सुन्दर है क्योंकि जहा किसी को खाने को कम मिलता था, उसको पर्याप्त खाना मिलने लग गया, जिसको रहने के लिए अच्छा मकान नही था उसको अच्छा मकान मिला उसको देख कर खुश नही होना चाहिए क्योंकि मकान के मिलने के बाद भी अगर वह वैसा ही अपने दिल से दुखी रहे, असन्तुष्ट रहे तो उसकी बहुत भलाई हम ने नही की । मै यह देख रहा हू कि जैसे-जैसे हम साधन बढ़ाते जा रहे है वैसे-वैसे असंतोष भी कम होने के बदले बढता जा रहा है । हम जिस वक्त स्वाधीनता के संग्राम मे लगे हुए थे अक्सर यह सुना करते थे कि असंतोष पैदा करना जरूरी है और असंतोष के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते है । हो सकता है कि कुछ अशों मे यह बात सच हो मगर मै मानता हू कि असंतोष के बल पर बढ़ना हमेशा श्रेयस्कर नही होगा और हो सकता है कि इसका नतीजा यह होगा कि असंतोष ज्यों का त्यों बना रहेगा और सब कुछ हमे प्राप्त हो तो भी हम खुश नही होंगे, तो भी हमे आनन्द नही मिलेगा । इसलिए हम को आज एक मध्यम मार्ग निकालना है और वह मध्यम मार्ग यही हो सकता है कि हम साधनों को बढावे मगर मनोवृत्ति अपनी जगह पर, जैसी की वैसी बनी रह गई । स्थूल रूप से अगर देखा जाय तो एक चीज तो सब जगह देखने मे आती है, इसकी शिकायत सब जगह सुनने में आती है, लोग कहते है कि आजकल सभी जगह कर्तव्यपरायणता कम हो रही है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा

है। सब का कारण मै समझ सकता हू, जो उनकी स्थिति थी उससे असतुष्ट हो कर उसको बदलने के लिए जल्दी से जल्दी जो कुछ भी साधन हाथ में आ सकते हैं उनका उपयोग करता है और इस चीज का ध्यान नहीं रखता कि साधन शुद्ध या अशुद्ध है। अगर आज हम को मकान चाहिए, मकान के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए इसलिए जिस तरह से मिले प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और अगर इसमें भ्रष्टाचार वगैरह हो जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नही है। उच्चता प्राप्त करने की ख्वाहिश या लालसा होना कोई बुरी बात नही है। मगर वह ख्वाहिश इस हद तक की नहीं होनी चाहिए कि उसको पूरा करने में हम भ्रष्टाचार का सहारा ले। यहां उसका स्थूल रूप आ जाता है। मै यह जानता हू कि सर्वोदय सम्मेलन मे जो लोग शरीक हो जाते हैं वे बहुत-बहुत गहराई से इन चीजों पर विचार करते हैं और इन चीजों को ध्यान में रख कर वे अपने काम मे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ने लोगों में त्याग की प्रवृत्ति को बहुत जोर से जागृत किया है। पहले विनोबाजी ने थोड़ी-बहुत जमीन मागना शुरू किया था, पाच में से एक हिस्सा और उसके बाद से कुछ और ज्यादा मागा। अब तो तमाम गाव माग रहे हैं और लोग दे भी रहे हैं जिससे यह मालूम होता है कि वह प्रवृत्ति जो त्याग की थी उसको जागृत करने में बहुत हद तक वे सफल हो गए हैं। खासकर के ज़मीन एक ऐसी वस्तु है जिसको हम सब से कीमती वस्तु मानते हैं और इसलिए आज तक इस ज़मीन के लिए ही कितनी ही लड़ाइयां हुई है चाहे व्यक्ति के लिए, समाज के लिए या सारे देश के लिए हो। अगर किसी जगह पर कही कोई युद्ध छिड़ा तो आप समझ लेंगे कि उसकी तह मे ज़मीन की मांग होगी। वह मांग कुछ बीघा, एकड़ की नही होगी बल्कि देश की होगी। एक देश दूसरे देश को अपने कब्जे में करना चाहेगा। जितने झगड़े हुए हैं आज तक वे इस ज़मीन के लिए ही। उस ज़मीन के प्रति आज लोगों की ऐसी उपेक्षा है कि उसको अपनी इच्छा से, सर्वस्व दान करने के लिए तैयार हो जाय यह एक करिश्मा और आश्चर्यजनक घटना है जिसका इतिहास में कम नमूना मिलेगा। इससे आशा होती है मगर साथ ही आप इसके फलस्वरूप इस भावना को जागृत करें कि जहां तक भौतिक पदार्थों का सुख प्राप्त हो सकता है वह सुख हम लेते रहें मगर तो भी उसका इतना गुलाम हमें नहीं बनना चाहिए कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जायें और अच्छे-बुरे का विचार ही छोड़ दें। देश में इस भावना को जागृत करना आवश्यक है क्योंकि इस वक्त हमारा देश एक विचित्र अवस्था में है। विचित्र अवस्था यह है कि बहुत दिनों के बाद स्वतंत्र होकर अपनी रीति से चलाने का हमको मौका मिला। मगर अगर अपनी रीति को छोड़ कर

पराई रीति पर चलने का मौका भी हम को पूरा-पूरा है और यह हम को आज फैसला करना है कि जो अपनी प्राचीन संस्कृति और पद्धति रही है मानसिक संतोष—' संतोष का कारण भौतिक पदार्थ ही नही—उस चीज़ को सामने रख कर आगे बढ़े अथवा भौतिक सुख को ही सर्वोत्कृष्ट मानकर, साध्य मानकर हम आगे बढ़े। और अगर हम ठीक फैसला करेंगे तो हो सकता है कि हमारे फैसले का असर दूसरों पर भी पड़े। इसलिए यद्यपि आज हम उन साधनों को अपना रहे है तो जो बड़े-बड़े राष्ट्रों के हाथ में आज मौजूद है, उनके मुकाबले में हम अभी बहुत पीछे है, पिछड़ा हुआ राष्ट्र समझा जायेगा मगर अगर हम यह सोचें कि औरों के पास जो साधन है वे किस प्रकार मे आए है और उनका वे क्या महत्व देते है और उनकी वजह से वे अपनी स्थिति से संतुष्ट है या नही इस पर ध्यान दे तो हमको मालूम होगा कि हमारा जो स्थान है वह बहुत नीचे नही है, उनके मुकाबले में करीब-करीब आ सकते है। अपने देश के निर्माण के लिए और उसके साथ-साथ जो एक भयंकर स्थिति संसार में खडी हुई है उस स्थिति को संभालने में जो थोड़ी-बहुत सेवा हम कर सकते है, जो थोडी-बहुत सहायता दे सकते है उसके लिए भी हमारे पास खास समय है। और अगर हम चाहेंगे तो उसकी योग्यता भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी मिसाल को ले लीजिए आज हमको बड़े-बड़े कारखानों की जरूरत होती है लोहे के लिए और लोहे की जरूरत होती है दूसरे कारखानों के बनाने के लिए, कारखानों की जरूरत हथियार बनाने के लिए और हथियारों की ज़रूरत होती है दूसरे देशो से मुकाबले करने के लिए, इस तरह से अब बिजली, वाष्प चालित यन्त्रों आदि से संतुष्ट न होकर अगर हम अणुशक्ति के द्वारा संचालित यन्त्रों की बात करते है, उनकी खोज करते है तो हम को उसी रास्ते में अभी बहुत दूर तक चलना होगा तब दूसरों के मुकाबले में आ सकते है। मगर अगर इन चीज़ो को गौण स्थान दे देते है और हम लोक मानस को ऐसा तैयार करते है तो बगैर उनके कर सकेंगे और तब न तो इतना इन्तजार करना पड़ेगा और हम बहुत कुछ कर सकते है। आज हम शान्ति चाहते हैं और सभी जगह शांति चाहते है। एक तो उसका यह उपाय है कि दूसरों के पास जो साधन हैं उनसे जबर्दस्त साधनों को प्राप्त करना चाहिए तब हम शांति स्थापित कर सकेंगे। अगर हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो बहुत ज़माने के बाद औरों के मुकाबले में आ सकेंगे, मगर वह भरोसा छोड़कर जैसा महात्माजी ने बताया था उसी रास्ते पर हम चलना

चाहें तो खर्च बच जायेगा और हम आगे भी बढ सकेंगे और दूसरों के सामने एक नमूना भी पेश कर सकेंगे । इन सब चीज़ों पर मौलिक रीति से विचार करना है अन्यथा एक बढ़ती हुई लहर में बह जाएंगे। मगर उसके खिलाफ तैरना भी बहुत कठिन है। आज का जो धारा-प्रवाह है वह एक तरफ सारे देश को खीचे ले जा रहा है । हमको उस प्रवाह के विरुद्ध चलना है। उस प्रवाह के विरुद्ध हम कैसे चल सकते हैं ? एक तो सीधा मुकाबला है, उसमें बड़ी शक्ति लगती है। मगर इधर-उधर से जहां तहां जो तैराक लोग हैं वे जानते हैं और प्रवाह से बचते हैं । यदि हम सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो कम-से-कम प्रवाह से बचकर रुख दूसरी ओर कर लें तो काम चलेगा। रुख बदलने की बात है। रुख बदलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो सर्वोदय का यह सब से बड़ा काम समझता हूं कि संसार के जनमानस को बदलना, विचार-शैली को बदलना और इसमें तभी हम सफल हो सकेंगे जब हम अपने मानस के विचारों को, अपनी इच्छाओं को बदलेंगे और तदनुसार चलना हमारा सब से बड़ा ध्येय होना चाहिए। आप इसी पर चलने के प्रयत्न में लगे हुए हैं और विनोबाजी जैसे तपस्वी की शुभकामनाएं आपको प्राप्त हैं। मुझे आशा है कि आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे, महात्माजी की भी यही तपस्या थी और ये दोनों मिलकर देश को और संसार को आगे बढ़ाएंगे।

# छत्रपति शिवाजी का अनुकरणीय आदर्श

राज्यपाल महोदय, नगरपालिका के और लोकल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, महा-महोपाध्याय पोतदार जी एवं बहनों और भाइयो,

बाईस-तेईस बरसों के बाद, एक बार और आपके इस नगर में आने का मुझे यह सुअवसर मिला है। इन 22, 23 बरसों के अन्दर भारतवर्ष की अवस्था बहुत कुछ बदल गई। जब मैं उस समय आया था, उसके थोड़े ही दिन के पहले, आपके इस शहर के, इस जिले के कुछ भाइयों को फांसी की सजा मिल चुकी थी और जब मैं इस शहर में आने वाला था, कांग्रेस प्रेसिडेण्ट के रूप में, तो गवर्नमेंट ने जुलूस निकालना मना कर दिया था। और बिना जुलूस के ही "मै आपके इस शहर में फिरा था और आपने बहुत प्रेम से एक अद्भुत प्रकार का स्वागत किया था। आज इसी शहर में मैं आया हूं तो सब से पहले उन चार भाइयों की मूर्तियों के दर्शन करूंगा जिनको फांसी मिली थी। इस शहर के अन्दर नगरपालिका और लोकल बोर्ड की ओर से सिर्फ स्वागत ही नहीं मिला है बल्कि मुझे यह भी अभिमान मिला है कि मै छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करूं। भारतवर्ष का इतिहास प्राचीन इतिहास है और जैसे सभी देशों में चढ़ाई-उतराई हुई है, हमारे देश ने भी बहुत प्रकार की चढ़ाई-उतराई देखी है। आज हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं, जो बहुत दिनों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। मुझे इस मौके पर, आपके यहां आकर इस मूर्ति का अनावरण करते समय, उस सारे इतिहास का स्मरण हो आना जो शिवाजी महाराज के समय से आरम्भ हुआ है और अब एक प्रकार से जाकर उसका एक अध्याय समाप्त हुआ है, स्वाभाविक है।

मै शिवाजी महाराज के सम्बन्ध में, आपके इस नगर मे, विशेष करके महाराष्ट्र के निवासियों के बीच में क्या कहूं? और खासकर के जब महा महोपाध्याय पोतदार महोदय ने आपको कुछ थोड़ी-सी झलक उस चरित्र की दे दी है और पहले से बहुत कुछ आप जानते हैं। मै तो इतना ही कहूंगा कि भारतवर्ष का इतिहास और ही कुछ होता और उसका रूप एक-दूसरे प्रकार का होता यदि शिवाजी का अवतार उस समय नहीं हुआ होता। आज हमारा यह सौभाग्य है कि हम उस योग्य अपने को बना चुके है, हम फिर उनके नाम को

---

छत्रपति महाराज की मूर्ति के अनावरण करते समय भाषण; शोलापुर, 2 जून, 1958

श्रद्धापूर्वक और अधिकारपूर्वक अपनी जिह्वा पर ला सकते है और श्रद्धा और अधिकारपूर्वक अपने सिर को उनकी मूर्ति के सामने नवा सकते है। जब तक हम इस देश को स्वतन्त्र नही कर पाए थे हमारी इच्छा होती थी और हम सब चाहते थे कि अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा हम करें, उनके नाम पर हम यादगार बनावें। पर न हमें उस समय यह अधिकार था और न हमें उसकी योग्यता थी। आज ईश्वर की दया से इतना हमारे हाथ में आ गया है। अब हमे यह देखना है कि फिर इस भारतवर्ष को हम किस तरह वैसा फला-फूला बना दें जिसको देखकर संसार के लोग चकित हो और समझें कि हां इस देश में ऐसे रहनेवाले है जो अपने देश के अलावा सारे संसार की सेवा मे भी अपना बड़ा मान मनाते है और केवल अपने लिए ही नही बल्कि मानवजाति के लिए जीते है और सेवा करने के लिए तैयार रहते है। इस प्रकार के उदाहरण संसार में बहुत कम मिलते हैं और आज हमारे सामने यह मैदान खुला है और हम अपने को उस योग्य बनावें कि सारे संसार के सामने हम भारतवर्ष की उस संस्कृति को, भारत-वर्ष के उस इतिहास को पूरी तरह से रख सकें जिससे संसार प्रेरणा ले सके। हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में इस तरह की चीजें मौजूद है कि उन्हें हमें स्वय समझ लेना है और जान लेना है और उनको जानकर और समझ कर अपने को उस योग्य बना लेना है तब हम उसको दूसरो के सामने रख सकेंगे। आज हम इस महान कार्य में लग हुए है कि इस देश की गरीबी को हम किस तरह से दूर करें और इस देश से भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों और बीमारियों को हम किस तरह से दूर करें और किस तरह से लोगों के भौतिक सुख-साधन हम कर सकें। जब तक हम इस चीज़ को करते रहेंगे और हम इसके साथ-साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास करेंगे तभी हम अपना संदेश दूसरों को दे सकेंगे और इन दोनो का सम्मिश्रण आवश्यक है देश की उन्नति के लिए। शिवाजी महाराज इतने बड़े हुए तो कैसे। उन्होंने इन दोनों चीज़ों का समन्वय व सम्मिश्रण कर दिया था, आध्यात्मिकता और भौतिकता का और जब तक अध्यात्म के प्रति श्रद्धा न हो पूरी तरह से, तब तक भौतिक सुख और भौतिक उन्नति हम ठीक तरह से नही कर सकते और अगर कुछ करते भी है तो उसके साथ-साथ अपन विनाश के साधन भी लाकर खड़ा कर देते है और यदि हमारे पास वह अध्यात्म शक्ति नही रहेगी तो वह भौतिक शक्ति हमारे विनाश का कारण बन सकती है। आज संसार एक ऐसी संध्या में उलझा हुआ है कि उसके पास भौतिक साधन विज्ञान के द्वारा ऐसे आ गए हैं कि अगर उनका सदुपयोग हो तो हर प्रकार का भौतिक सुख और सब की भलाई हो सकती है और अगर

उनका दुरुपयोग हो सब का विनाश भी हो सकता है । यह काम समझदारों का है कि उस शक्ति का उपयोग और सदुपयोग हो, उस शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई और उन्नति के लिए हो, विनाश के लिए नहीं हो । शिवाजी के जीवन से यह एक बड़ी चीज़ हम सीख सकते हैं कि अपने कठिन-से-कठिन समय में भी उन्हों ने धर्म की मर्यादा नहीं छोड़ी । उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको लेकर के हिन्दुस्तानियों को कभी भी शर्मिन्दा होने की ज़रूरत पड़े और जो कुछ भी किया अपनी उन्नति के साथ-साथ, जो दुश्मन थे उनको भी आगे बढ़ाने में मदद की थी । तो उस प्रकार का जीवन आज हमारे लिए आदर्श जीवन है और यद्यपि आज का काम कुछ दूसरे प्रकार का है मगर अगर सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाय तो इसमें कोई अन्तर नहीं है । और वह सिद्धान्त यही है कि हम आध्यात्म-वाद और भौतिकवाद दोनों को मिलाकर चलें और जहां धन, संपत्ति और हर प्रकार की भौतिक उन्नति हम करें वहां साथ-साथ हम भौतिक सत्ता रखें, चरित्र की सत्ता रखें और लोगों में सेवा-भाव बढ़ाना अपना आदर्श मानकर हम चलें । इसलिए जब मुझ से कहा गया कि मैं आकर इस शुभ काम में भाग लूं तो मैंने यह अपना सौभाग्य माना और खुशी-खुशी उसको स्वीकार किया ।

मैं आप सब का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया और साथ ही जिस उत्साह के साथ आपने मेरा स्वागत किया और जो प्रेम आपने दर्शाया और जो मान-पत्र यहां की नगरपालिका और लोकल बोर्ड की ओर से मुझे दिया गया उस सब के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

# कालिदास समारोह

राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्रीजी, देवियो और सज्जनो,

कल जब मुझसे डा० काटजू साहब ने कहा कि आज के इस कालिदास समारोह में शरीक होऊं, मैं इसको बड़ी ख़ुशी के साथ कबूल कर सका क्योंकि जैसा आपने कहा उज्जैन में जो यूनिवर्सिटी कायम हुई है उसके शिलान्यास के समय में भी मुझे वहां जाना पड़ा था और उससे थोड़ा सम्बन्ध हो गया है। कालिदास का महत्त्व इस बात का मोहताज नही कि कोई हम मे से उसके सम्बन्ध में कुछ कहे क्योंकि आज सारी दुनिया के विद्वान कालिदास के महत्त्व को जानते हैं, पहिचानते हैं और न मालूम कितनी ही भाषाओं में कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद भी हो चुका है इसलिए कालिदास के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक नही है। मै तो अवश्य कहना चाहूंगा कि आज जो एक बहुत बड़ी कमी हमारे देश मे आज से नहीं बहुत दिनों से बनी रही है वह कमी अगर इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा जल्द ही दूर कर सके तो बड़ा काम हो। वह कमी यह कि हमारे यहा जितने बड़े-बडे लोग हो गए है और बडे लोगों की संख्या तो बहुत अधिक है जिन्होंने बडे-बड़े काम किए है, बडे-बड़े दर्शन लिखे, बड़े-बडे काव्य लिखे, बड़े-बड़े महाकाव्य लिखे और दूसरे तरीके के बहुत काम किए है परन्तु उनका किसी को कुछ पता ही नही। कालिदास के सम्बन्ध में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि उनका जन्म कहां हुआ, कालिदास ने अपने जीवन के अधिकांश भाग को कहां बिताया। किस तरह बिताया यह सब उनके ग्रंथों से पढ़कर आजकल के विद्वान लोग इसका कुछ अंदाजा लगाते है कि वे कहां रहे, कहां गए। कहां का वर्णन किया। मगर ये कोई निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता क्योंकि हमारे यहां के लोगों ने इस प्रकार के इतिहास को कायम रखना या इस तरह के इतिहास को लिखना, घटनाओं का वर्णन, इस प्रकार से करना कि जिससे मालूम हो सके कि किस स्थान पर किस समय पर कौन-सी घटना हुई है उन्होंने इसको अनावश्यक समझा। मगर आजकल, खास करके जहा तक कि पश्चिमी देशों का सम्बन्ध है कि हम यह समझ बैठे है, इतिहास का अर्थ यही है कि सब चीज के लिए ठीक स्थान को निर्धारित कर सके। जब हम यह नही कर सकते है कि इतिहास है या नहीं तब भी हमारे लोगों ने इतिहास का यह रूप न समझा था। जिसमें यदि कोई बात ऐसी हो जो हमेशा के लिए कायम रखना

---

कालिदास समारोह समिति के उद्घाटन के समय भाषण; पचमढ़ी, 13 जून, 1958

हो, उस बात को इस संसार के सामने रख दें, दुनिया के सामने रख दे जिसमें वे घटनाएं सब कायम रही हों जिससे मालूम हो सके कि किसने लिखा, किस समय पर लिखा, किसने और कब कहा आदि। जो सच बात है वह हमेशा के लिए सच ही रखना चाहिए जिससे लोगो की, मनुष्यों की उन्नति हो। उनका उल्लेख मात्र ही काफी नहीं है। यह बताना ज़रूरी है कि किसने कहा, किसने लिखा, किस जगह पर कहा और कब कहा, आदि रूप है इतिहास का। इसी वजह से बडे-बड़े ग्रंथ अच्छे-से-अच्छे दर्शन जितनी भी चीज़े हमारे यहां की है उनसे हमें बहुत कम का ठीक पता लगता है, यहां तक कि बौद्धकालीन समय से जब से कि बहुत कुछ पता लगाया गया है हम नहीं जानते थे बल्कि पश्चिम के विद्वानों ने ऐसी चीज़ों को ढूंढकर, जमाकर पता लगाया है और विदेशी लेखकों के उस समय के समकालीन लोगों के लेखों से जो उन्होने कुछ शिलालेख छोड़ा है या और उन सब चीज़ो का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि यह यहां हुआ वहां हुआ। बहुत-सी चीज़ बौद्धकालीन जो कि आज हम समझते है कि यहां हुई थी वहां हुई थी, ह्योनसांग, फाहियान की यात्रा के वर्णन से हमको उनका पता चला। उसी तरह से जैन साहित्य के ग्रंथों के अध्ययन से बहुत-सी और बड़ी-बड़ी बातों का पता लगता है। तो यदि इस तरह कि संस्थाएं हों कि जो इस प्रकार की खोज करें और अध्ययन करें जिससे कि इन सब चीज़ों का ठीक तरह से पता लग सके। और जो विद्या आज हमें उपलब्ध है उसको और बढ़ा सकें उसके दायरे को हम और बढ़ा सके। उसके अध्ययन से यह बहुत बड़ी चीज़ होगी, तो मै चाहूंगा कि आप उत्सव तो जरूर मनाएं और इस प्रकार अवश्य मनाए जाएं जिसमे लोगों को दिलचस्पी हो। दिलचस्पी एसी होनी चाहिए, कुछ गहराई के साथ हो, जिसमे अधिक से अधिक लोग इसमें अध्ययन करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करें और इस तरीक से अध्ययन शुरू कर सकें जिसमे सब बातो का ठीक-ठीक पता लग सके और जो उसका असली मूल्य है, वो चीज तो कायम रखनी ही चाहिए, उसको नहीं भुलाना है। तारीखों के झगड़ों में न पड़ करके ही क्या उसमें तथ्य है, उस तथ्य को हमें नहीं भलना है और न उसे कमजोर होने देना है।

मै आशा करता हूं कि यह संस्था एक ऐसी संस्था होगी जिसके द्वारा इस प्रकार के काम को प्रोत्साहन मिलेगा और जन-साधारण को इसमे रुचि पैदा होगी, उसमें रस मिलेगा जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जो विद्वान है उनके साहित्य का ठीक तरह से अध्ययन कर सके। आज आपके उज्जैन के वाईस

चांसलर डा० माताप्रसाद से कल मेरी बातें हो रही थीं उन्होंने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय मे इस चीज़ का विचार किया जा रहा है और इस तरीके की समितियां मुकर्रर की गई है । विशेष-विशेष विषयों को लेकर अध्ययन किया जाएगा । उनके सम्बन्ध से पर गोष्ठी होगी और लेख पढ़े जाएंगे, लेख प्रकाशित किए जाएंगे, ग्रंथ प्रकाशित किए जाएंगे । इस प्रकार का प्रबन्ध हो रहा है । तो यह आवश्यक ही नहीं है बल्कि बहुत ठीक चीज़ है जिसको होना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि आपकी इस संस्था का इस उत्सव का भी यही नतीजा निकलेगा जिससे कालिदास के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बढे और कालिदास के सम्बन्ध में लोगों की रुचि बढ़े । आप जानते है कि यूरोप, इंग्लैण्ड मे खासकर के शेक्सपीयर सोसायटी, इंग्लैण्ड में नही अमेरिका में भी और और मुल्कों में जर्मनी मे भी । जो लोग जैसे शेक्सपीयर का ही अध्ययन करते थे एक प्रकार से औरो का भी करते होंगे, पर चूकि शेक्सपीयर से हम ज्यादा वाकिफ है हमने ज्यादा सुना है, मै शेक्सपीयर का नाम ले रहा हूं । उनके यहां बडे-बड़े नामी कवि हुए है। दार्शनिक हुए है, उनके नामों पर भी कई सस्थाए कायम हुई है जो उन संस्थाओं के द्वारा अध्ययन किया करती है । तो मै आशा करूंगा कि आप की जिस संस्था का आरम्भ हुआ है । खास करके जब इसको शासन द्वारा दिनदिन प्रोत्सहान मिल रहा है और मिलेगा । शासन द्वारा सहायता मिलने वाली है तब कोई कारण नहीं कि यह संस्था एक बड़ी संस्था न हो जाए ? और अन्य प्रान्तों के लिए यह एक नमूना क्यों न बन जाए । वहां जो इस प्रकार के लोग हो गए है उनके सम्बन्ध मे अध्ययन किया जाए । मै जानता हूं कि बिहार में उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने एक अनुसधान केन्द्र कायम किया है जहां केवल बौध्यकालीन ग्रंथों का अध्ययन या उस विषय का पूरा शोध कार्य किया जाता है उसी तरह एक प्राकृत के (प्राकृति क्या कहते है) अध्ययन के लिए भी, दूसरा जैन केन्द्र बनाया है, तीसरा संस्कृत केन्द्र बनाया है, काम शुरू हुआ है अभी तो आरम्भ ही है । मगर इस तरह के केन्द्र जहा-जहा कायम हो रहे है वहां-वहां अधिक मसाला मिल रहा है । नालंदा मे बौद्ध काम के लिए और प्राकृतिक और जैन साहित्य के लिए वैशाली में और संस्कृत के लिए मिथिला में उन्होंने केन्द्र कायम किए हैं । संस्कृत के अध्ययन के लिए इस तरह के केन्द्र यहां भी आपने कालिदास के लिए जो कायम किया वह एक बड़ी चीज़ है । मैं आशा करता हूं कि इस तरह की चीज़ें और भी होंगी । प्रान्तीय भाषाओं के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए । जैसा मैंने सुना है कि कहीं-कहीं तुलसी जयन्ती मनाने के लिए भी तुलसी-

दास के ग्रंथों के अध्ययन के लिए, इसी प्रकार से मराठी भाषा के ज्ञानेश्वरी के सम्बन्ध में भी, इस तरह की सभी जगहों पर संस्थाएं हो सकती है। रविन्द्र गोष्ठी तो आप जानते ही है बहुत जगहों में कायम हो गई है जहां-जहा बंगला के जाननेवाले कुछ लोग हैं थोड़े बहुत बंगाली भी है, शुरू किया है। दूसरे लोगों को भी दिलचस्पी हो रही है। तो यह बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे यहां आमंत्रित किया गया मैंने समझा कि ये मौका अच्छा ही है।

## पचमढ़ी की सुषमा श्रौर वहां के लोगों की समस्याएं

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, पचमढ़ी के भाइयो तथा बहनो

मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस बार चन्द दिनों के लिए ही सही यहां आ सका। पिछले वर्ष कुछ ऐसा कारण पड़ गया कि मेरा यहां आना नही हो सका। यहा आने के लिए आपकी तरफ से खास निमन्त्रण की ज़रूरत भी नही क्योंकि इस स्थान का प्रलोभन ही ऐसा है कि मैं खुशी व खुशी स्वय यहां आना चाहता हूं पर काम ही इस तरह का पड जाता है और इधर-उधर भटकने का मौका ऐसा आ जाता है कि हमेशा यह ख्वाहिश होते हुए भी मैं नहीं आ पाता। मगर इस बात की मुझे खुशी है कि इस बार मैं यहां आ सका।

मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आपके इस छोटे कसबे की उन्नति अच्छी हो रही है। दो एक संस्थाओं के साथ कुछ मेरा सम्बन्ध इस तरह का हो गया कि मेरे हाथो से उनके मकानों की नींव डलवायी गयी। वह काम आगे बढ़ रहा है और मुझ यह जानकर खुशी हुई कि मुख्य मन्त्रीजी का यह विचार है कि यहां एक अच्छा उच्चकोटि का विद्यालय कायम किया जाए और उसके लिए उन्होंने एक प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित भी कर लिया है और शायद कुछ काम शुरू भी हो गया है। लेकिन बाहर के लोगो का भी ध्यान मैं समझता हूं कि इसकी ओर गया है और वे इस जगह को पसन्द करने लगे है और कुछ लोग अपने रहने के लिए मकान भी बनवाने या खरीदने लगे हैं। यह सब इस बात का चिन्ह और सुबूत है कि आपकी पचमढी अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है और आपको इससे सतोष होना चाहिए और खुश होना चाहिए कि जैसे-जैसे लोगों की दिलचस्पी इसकी ओर बढेगी, इसकी और भी उन्नति होती जायगी।

बात तो असल यह है कि किसी भी स्थान की उन्नति वहा के लोग ही कर सकते है। बाहर के लोग थोडी-बहुत मदद ही कर सकते है या वहा आकर वहां के लोगों से मिलजुलकर वहां के कारबार बढ़ाने मे सहायता पहुंचाकर या कारबार बढ़ाने के लिए सुविधा देकर कुछ मदद दे सकते है पर असल मे अगर लोग तरक्की चाहते है तो वहां के लोगों को ही यह तरक्की करनी होगी और उनक करन से ही सच्ची तरक्की हो सकेगी। मैं तो यह आशा

---

पचमढ़ी निवासियों की ओर से दिए गए मानपत्र के उत्तर में भाषण; 14 जून, 1958

रखूगा कि यहां के लोग इस सम्बन्ध मे कुछ अपना विचार रखते होंगे और जो आपका कर्तव्य है उसका भी पालन करने के लिए तैयार रहेंगे।

आपने एक विशेष विद्यालय का जिक्र किया। तो आपके राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, और दूसरे मन्त्री लोग यहा मौजूद है। उनका ध्यान इस स्थान की ओर है और जैसा मैंने कहा, यहां एक अच्छा शिक्षा केन्द्र कायम करने का काटजू साहब ने निश्चय कर लिया है। तो इसमे कोई शक नही कि यहां का भविष्य अच्छा मालूम होता है। शुक्ल जी ने जैसा काम शुरू किया था वह काम आगे बढ़ता जा रहा है और यदि इसी तरह से बढता गया तो जो आपकी दूसरी इच्छा है कि भारत सरकार के कुछ दफ्तर यहां हो तो कोई कारण नही कि समझा जाय कि वह काम होनेवाला नही है। मगर भारत सरकार के दफ्तरों के लिए तो सारे भारत को देखना पड़ता है और उसमे कई बातो को देखकर सब से अच्छी जगह जो मालूम होती है, जहां सब प्रकार की सुविधाओ के अलावा सरकार का खर्च भी कम होता है तथा और जो सरकार के विचार करने लायक बाते होती है सब पर विचार करने के बाद ही वहां सरकारी दफ्तर लाए जाते हैं। दूसरी कमजोरी यह भी होती है कि जो दफ्तर एक जगह पर बैठ गया तो वहां से वह उठना नहीं चाहता है इसको भी मानना पडेगा। सभी दफ्तर कहीं-न-कही बैठ गए हैं और उनको एक जगह से उठाने मे खर्च भी बैठता है। और खासकरके आपक शहर में लाने क लिए खर्च बैटेगा क्योकि सभी चीजे नए सिरे से यहां करनी होंगी कारण कि सब चीजें यहा पहले से है नहीं। यही सब दिक्कते है। इसका अर्थ यह नही कि उन दिक्कतों पर ध्यान नही दिया जायगा या उन दिक्कतो की वजह से यहां दफ्तर नही आ सके। मेरे पास ऐसे मित्र भी आए थे जो आपके यहां से विधान सभा के सदस्य या ससद् के सदस्य है और उन्होंने भी जिक्र किया है और खासकरके इस दफ्तर का जिक्र किया है। मैंने उनसे कहा है कि वे अपनी ओर से भी कहे और मुझ से भी कुछ पूछेगे तो मेरी जो राय होगी मै कह दूगा। आपसे भी हम कहेगे कि ऐसा मौका आयगा तो उस पर विचार किया जायगा। पर जैसा मैंने आपसे कहा, आपके लिए अपने ऊपर भरोसा करना अच्छा होगा क्योंकि एक तो गवर्नमेंट सब को एक निगाह से देखती है और सब की तरक्की का ख्याल रखती है और सब के साथ ही आपके शहर का भी ख्याल रखेगी। देश के सामने सब बातें तो है ही, बडी-बड़ी बाते भी है और छोटी-छोटी बातें भी है। मगर इस वक्त देश के सामने सबसे बडा सवाल यह है कि लोगों के जीवन स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए। इस सम्बन्ध में बडे-बड़े काम हाथ में लिए गए है, बड़ी-बड़ी योजनाएं ली गई है, और भी चलाई जाएंगी और कई

वर्षों तक चलेंगी। तो सैंकड़ो वर्षो में जो हम पिछड़ गए हैं, अन्य दशो के मुकाबल में पहुंच सकेंगे या गत सैकड़ों वर्षो में हमारी उन्नति उस तरह से नही हुई जैसे अन्य देशों की, योरोपीय देशों की, अमेरिका के देशों की हुई। उनके मुकाबले में आने में समय लगेगा, बहुत प्रयत्न भी लगेगा।

लेकिन यह लोगों के हाथों में है। तो लोग इरादा कर लें कि देश की उन्नति करनी है, हर तरह से उसको उठाना है। तो उनको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उनसे जो परिश्रम मांगा जाय, जो त्याग मागा जाय वह सब देने के लिए वे तैयार रहे और यह भी उनको मान लेना चाहिए कि आज हम कुछ करेंगे तो उसका नतीजा कुछ दिनों के बाद मिलेगा। यह बात नही चलती कि एक हाथ से किया और दूसरे हाथ से पाया। एक हाथ देने पर कुछ इन्तजार करना होगा तभी उसका फल मिलेगा। स्वराज्य मिले १० साल हो गए और आज तक हम बहुत तरक्की नहीं कर सके तो उससे घबड़ाने की बात नहीं है। यह कोई इतना बड़ा जमाना नही गुजरा है और अगर दुनियां के और देशो का हाल आप देखेंगे तो आप समझेगे कि और देशों के मुकाबले मे हम बहुत पीछे नही रहे है। इन १० वर्षों के अन्दर और देशों की जो तरक्की हुई है उनमे कई बातों मे हम बहुत देशों से आगे हैं और जनता की जो आज से १० वर्ष पहले हालत थी उसके मुकाबले में वे बहुत आगे है। निराश होने की बात नहीं है। अगर यह कहें कि छलांग मार कर क्यों नही लंका पहुंच जाएं तो मै कहूगा कि अब बिना पुल बांधे लका पहुंचना मुश्किल है। उस पुल को बांधने में हरेक आदमी की जरूरत है। उस पुल के बाधने मे जैसा रामायण में लिखा गया है चींटी ने भी मदद की थी तब वह पुल तैयार हुआ था। उसी तरह से भारत का पुल बनाने में लोगों को उनकी गिरी अवस्था से उठाकर ऊंची अवस्था में पहुंचाने के लिए जो बीच में खाई पड़ती है उसके ऊपर पुल बनाना है तो उसमे हर आदमी को, हर बच्चे और बूढ़े को कुछ-न-कुछ कंधा लगाना है तभी पुल का काम पूरा हो सकेगा। लेकिन मै आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो आपसे फरमायश की जाय उसको अपनी तरफ से पूरी तरह से पूरा करने के लिए आप तैयार रहें और उसके नतीजे को बाद में रखें, नतीजा भी होनेवाला है। मै इससे विशेष क्या कहूं। जब से मै यहां आया आप भाइयों और बहनों ने बहुत मेरा स्वागत किया और मेरे प्रति प्रेम दर्शाया। जब कभी मै निकलता हूं आप सब प्रेम दर्शाते हैं। इस सभा में भी मैंने आपका प्रेम देखा। मै अपनी ओर से धन्यवाद के शब्द के सिवाय और क्या दे सकता हूं और वह धन्यवाद आपको हमेशा हासिल है।

आपने पहले ही छडी और बत्ती दी होती तो मै दोबारे बोलने का साहस नहीं करता । मगर आपने मेरे भाषण के बाद इन दोनों चीजों को दिया । छडी तो मेरे काम की चीज है क्योंकि जिस छडी को मैं दिल्ली से लेकर आया था वह जिस दिन मैं यहां पहुंचा उसी दिन टूट गयी और उसके टूट जाने के बाद आपके शहर के किसी भाई ने यहां ही मुझे दूसरी छडी दे दी । मै यह नही जानता हूं कि किसने दी है मगर मै उनको धन्यवाद देता हूं । आज ही से इस छडी का इस्तेमाल होगा । अभी से मै इसका इस्तेमाल करूंगा, मुझे इसकी जरूरत थी । बत्ती की जरूरत तो दो घंटे के बाद अंधेरा होने पर पड़ेगी । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

# पेनिसिलिन कारखाने का उद्घाटन

राज्यपाल जी, मुख्य मन्त्रीजी, फैक्टरी के संचालक महोदय, बहनों और भाइयो,

कुछ दिन हुए आपके फैक्टरी के जो पहले संचालक थे उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे इस फैक्टरी को देखने का प्रलोभन दिया और जब यहां का हाल मुझे सुनाया गया उसी वक्त मेरी इच्छा हो गई कि मैं यहां जरूर आऊंगा। तो मेरे नाम से इस फैक्टरी में, जैसा संचालक महोदय ने कहा, हिस्से हैं। और इस तरह से अन्य जगहों मे कारखानो मे हिस्से होंगे जिनका मुझे पता नहीं है। पर कहीं पर किसी चीज से व्यक्तिगत लाभ हो जाते हैं तो उसमें कुछ दिलचस्पी बढ़ जाती है। मैं यह नहीं जानता हूं कि खास इस फैक्टरी से बने कितने पेनीसिलिन का इस्तेमाल मैंने किया होगा। इसका हिसाब मेरे पास नही है। वह हिसाब मेरे डाक्टरों के पास होगा। मगर इस पेनिसिलिन फैक्टरी के पास मेरी खास दिलचस्पी है क्योंकि मैं पेनिसिलिन का खास इस्तेमाल किया करता हूं। और जैसा मैंने कहा, मुझे पता नही है कि जल के साथ कितना पेनीसिलिन मैंने अपने शरीर में लिया होगा। तो मुझे तो मालूम है कि इसके क्या गुण हैं और यह भी मैं समझता हूं कि केवल मैं ही ऐसा आदमी नहीं हूं जिसको इसकी जरूरत होती है बल्कि मेरे जैसे बहुत-से लोग होंगे। लेकिन मैं तो उस जमाने से इसका इस्तेमाल करता आ रहा हूं जब वह एक छोटी-सी शीशी में आता था क्योकि मुझे इन्जेक्शन लेना पड़ता था। अबमैं समझता हूं कि दाम भी वहुत कम हो गया है। जो रिपोर्ट मैंने देखी और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसको देख कर मेरा अपना उत्साह वहुत बढ़ गया क्योकि पेनिसिलिन की जितनी जरूरत इस मुल्क में होती है उसका करीब-करीब आधा इस साल आपने पैदा कर लिया है और अगले वर्ष उसकी जरूरत नही बढ़ी तो जितने पेनिसिलिन की जरूरत होती है उतना आप पैदा कर सकेंगे। इससे करोड़ों रुपये की बचत होगी और इसके अलावा जो लोगों को लाभ पहुंचता है वह तो है ही। जैसा मैंने सुना इसका और देशों मे ज्यादा खर्च है। मुझे मालूम नहीं कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में वे खर्च कर रहे हैं मगर अपने यहां और भी इसका प्रचार हो रहा है और साथ-साथ इसकी कीमत भी जैसे-जैसे इसके बनाने में तरक्की हो रही है कम होती जा रही है और अन्य देशों के मुकाबले में बराबरी में आ गया है। मगर इस देश में

---

पिम्परी पेनिसिलिन के कारखाने के निरीक्षण के बाद वहां के कर्मचारियों के सम्मुख भाषण; 18 जून, 1958

अधिक विदेशी पेनिसिलिन बिक रहा है। डाक्टरों की राय ऐसी है कि जो पेनि-सिलिन यहां बन रहा है वह विदेशी फैक्टरियों मे अच्छी-से-अच्छी फैक्टरियों में बने पेनिसिलिन के मुकाबले में आ जाता है। यह संतोष का विषय है कि दो तीन वर्षों के अन्दर इस फैक्टरी ने इतनी उन्नति कर ली है।

मुझे यह देखकर खुशी हुई कि यह कारखाना उन्नति कर रहा है और यहां के काम करनेवाले चाहे वे वैज्ञानिक हों, विशेषज्ञ लोग हों अथवा छोटे मजदूर हो सब यहा आराम से रहते है। अब इसका फैसला हो गया है कि इस फैक्टरी को बढ़ा दिया जाय और दो-तीन वर्षों में यह फैक्टरी दूनी हो जायगी और जितना पेनिसिलिन आज यहां पैदा हो रहा है उससे दुगुना पैदा होने लगेगा। उस हालत में हम अपनी जरूरत पूरी कर सकेंगे और मुमकिन है कि और देशों मे भी बेच सके।

इस तरह से यहां बीमारी आराम करने के लिए औषधि बनाने के अलावा यह स्थान एक भारी व्यापारिक केन्द्र बनता जा रहा है। इस तरह से हर तरह से इससे देश को लाभ पहुंचेगा इसमें कोई शक नही। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ने शुरू से आखिर तक किस तरह से एक प्रक्रिया के बाद दूसरी होती है और किस तरह से पेनिसिलिन बोतल मे बन्द होकर निकल जाता है सब को मैंने गौर से देखा और सब चीजों को मैंने समझा। मेरी इसकी प्रक्रिया को गौर से देखने मे दिलचस्पी थी।

यह देखकर मुझे और भी खुशी हुई कि जो यहां काम करनेवाले है चाहे वे ऊपर के हों चाहे छोटे दर्जे के हों सब के रहने के लिए यहां बहुत अच्छे मकान बन गए हैं और मुझे विश्वास है कि वे आराम से रहते होंगे। जहां पेनीसिलिन की फैक्टरी हो वहां बीमारी होनी ही नही चाहिए। अगर कुछ हो जाय तो उसके लिए भी इन्तजाम है और यहां एक अस्पताल भी खोल रखा गया है। मगर उसमें कोई बीमार नहीं है। वह हमेशा खाली ही रहता है। हां उसमें एक आदमी है जो अपने घर से ही अस्वस्थ होकर आए थे। यहां किसी को उस अस्पताल में जाने की जरूरत ही नही पड़ती। तो इस तरह से आप जानते है कि यहां सब तरह की सुविधा मौजूद है। मैंने जाकर देखा कि किस तरह से आप फैक्टरी में सफाई रखते है। तो आप सफाई रखना जानते है और अपने घरों को साफ-सुथरा रखते हैं। ऐसी हालत में यहां किसी को बीमार नही होना चाहिए। हां घर में थोड़ा कुछ हो जाय तो उसके लिए यहां इन्तजाम कर रखा गया है। कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई इत्यादि का भी इन्तजाम है। मै आशा करता हूं कि आप दिन-प्रति-दिन

प्रगति करेंगे और इस फैक्टरी को और फैक्टरियों के लिए एक नमूना बनाकर रखेंगे जिसमें सिर्फ बीमारी ही आराम नहीं हो इससे देश की सम्पत्ति भी बढ़े।

मैं आप सब का आभारी हूं कि आपने मुझे सब कुछ दिखलाया जो देखकर मुझे खुशी हुई और सब भाइयों और बहनों से मुलाकात हो गई।

# एक सर्वोदय केन्द्र का निरीक्षण

राज्यपाल महोदय, भाई देशपांडे जी, बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आपके इस सर्वोदय केन्द्र में पहुंच सका और आप सब बहनों और भाइयों से मुलाकात हो सकी। जब कुछ दिन पहले मैंने सुना कि भाई देशपांडे जी ने एक मित्र से कहा था कि मुझे इस केन्द्र में एक बार आना चाहिए उसी वक्त मैंने सोचा कि जब कभी मेरा पूने की तरफ आना होगा तो मै यहां आऊंगा और जब मै एक दूसरे काम से यहां पहुंचा तो पहले मैंने निश्चय कर ही लिया था मगर ठीक जगह का पता नहीं था और इसलिए मैंने सोचा कि जगह का पता लगाकर यहां आजाऊंगा। उसी निश्चय के अनुसार यहां आ गया।

इस प्रकार का गांवों में जो काम हो रहा है वह महत्व का काम है क्योंकि हमारी आशा है कि उससे लोगों में ऐसी जागृति उत्पन्न होगी जिसके द्वारा हम अपना सुधार स्वयं करने लग जाएंगे और वह सुधार भी किसी एक प्रकार का सुधार नही, किसी एक बात का सुधार नही बल्कि समस्त जीवन का सुधार होगा। जिससे हमारी खेती अधिक उपजेगी, गावो मे सब चीजें अधिक मिल सकेंगी, उनके बच्चों को अधिक शिक्षा मिल सकेगी, उनकी स्त्रियों को अधिक भोजन सामग्री मिल सकेगी जिसमे वे अधिक आराम से रह सकें और खा सकें और उनका चरित्र भी ऐसा अच्छा होगा कि वे विपत्तियों का मुकाबला कर सकेंगे, लोगो के जीवन में जो आपत्ति आती रहती है उसका भी वे अच्छी तरह से मुकाबला कर सके और ठीक तरह से सब काम करते रहें। यही उद्देश्य सारे सर्वोदय केन्द्रों का है और जिस वक्त सर्वोदय केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया था उस वक्त यही सोचा गया था कि गांव के लोगों की जिस तरह से उन्नति होनी चाहिए वह हो।

मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि यहां इस प्रकार का काम हो रहा है। यहां जिस तरह का काम हो रहा है उससे बहुत भिन्न प्रकार का काम दूसरे केन्द्रों में हो रहा है। इस केन्द्र के लिए भी यहां की सरकार की सहायता आपको मिलती है और दूसरे प्रकार के कामों में भी सरकारी सहायता मिलती है। हमको

---

पूने के पास पिरंगुट सर्वोदय केन्द्र का निरीक्षण करने के उपरान्त वहां के निवासियों के बीच भाषण, 19 जून, 1958

ग्रौर ग्रापको यह देखना ग्रौर सोचना है कि किस तरह से हम ग्रपने को इस योग्य बना लें कि न तो इस सहायता की ग्रावश्यकता रहे ग्रौर न ग्रापको किसी पर किसी चीज के लिए भरोसा करना पड़े। ग्रापका गांव ऐसा हो जाए कि ग्राप स्वतन्त्र रूप से रह सकें, हरेक प्रकार से स्वतन्त्र रूप से रह सकें। ग्रापको न ग्रन्न के लिए कही जाना पड़े, न वस्त्र के लिए जाना पड़े, न ग्रौषधि उपचार के लिए जाना पड़े, न शिक्षा के लिए जाना पड़े, ग्राप हर तरह से इस तरह से उन्नत हो सकें। ग्रगर गांव में ज़मीन भी हो मगर उसमे ग्राप इतना ग्रन्न पैदा कर सके तो सब के लिए काफी हो। हर घर में चर्खा चलकर इतना सूत पैदा हो कि कपड़ा सब के लिए हो जाय ग्रौर इस प्रकार से सब तरह से दूसरो पर निर्भर करना बिल्कुल ग्राप छोड़ दें ग्रौर ग्रपने पांव पर खड़े हो जाएं।

जब इस तरह के गाव सारे भारत में हो जाएंगे तो भारतवर्ष हमेशा के लिए स्वतन्त्र रह सकेगा। ग्रगर गावों को छोड़कर हम दूसरे तरीके से चलें ग्रौर यदि हमने ग्रपनी स्वतन्त्रता दूसरों के हाथ मे रख दी तो हमारी स्वतन्त्रता न तो स्थायी हो सकेगी ग्रौर न सच्चे ग्रर्थ मे हम स्वतन्त्र कहे जा सकेंगे। यह सोचने की बात है। मै तो ग्राशा रखता हूं कि दिन-प्रति-दिन ग्रापका काम बढ़ता जायगा। जब ग्रच्छे काम करनेवाले मिल जाते है तो वह काम ठीक तरह से चलता है, ग्रच्छे रास्ते से चलता है। ग्रौर इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि ग्रापके केन्द्र से ऐसे सच्चे कार्यकर्ता निकले जो सच्ची सेवावृत्ति के लोग हो, त्यागी ग्रौर निस्वार्थी कार्यकर्ता हों ग्रौर लोगों से मिलकर काम करें जिसमे सभी गांवों की हालत सुधर जाय। मै ग्राशा करता हूं कि ग्रापका प्रयत्न सफल होगा ग्रौर मेरी यही प्रार्थना है कि ग्रापको सहायता देकर तात्या भाई ग्रापके साहस को बढाते रहें।

# एक हरिजन बस्ती में

श्री कृष्णन, भाइयो और बहनों,

आज मैं आप से मिलकर बहुत खुश हुआ। जो रिपोर्ट अभी पढ़कर सुनाई गई उससे यह मालूम हुआ कि इन मकानों के बनाने में आप लोगो ने खुद अपने शरीर से परिश्रम करके अपनी सहायता की है और और प्रकार से इस काम मे श्री कृष्णन खुद भी वहुत जोरो से लगे रहे हैं और तभी यह काम पूरा हो सका है।

आज इस देश के अन्दर करोड़ो हरिजन और आदिवासी भाई और वहन बस रहे है और उन लोगों की हालत बहुत बातो मे बहुत पिछड़ी हुई और बहुत गिरी हुई है। उनको उन्नत करना, उनको और लोगो के मुकाबले में ला देना एक बड़ा काम है और इसलिए जहा कोई भी इस तरह का काम करता है या करना चाहता है उसको प्रोत्साहन देना भी हम मे से सब का एक कर्तव्य हो जाता है। इसलिए मुझे यह सुनकर बडी खुशी हुई कि हमारे गृह मन्त्री श्री गोविन्द वल्लभ पत ने आपकी इस कालोनी के बसाने और बनाने मे केवल उत्साह ही नहीं दिखलाया है बल्कि पैसे से भी उन्होंने मदद करायी है। मगर मैं उनसे भी अधिक आप सब को बधाई देना चाहता हू कि आपने इसकी जरूरत महसूस की और यह समझकर कि आपके अपने रहने के लिए ये सब मकान बननेवाले है आपने अपने शरीर से इसमे मेहनत की और जो रुपये-पैसे की जरूरत रही वह बाहर से या दूसरे तरीके से आपको मिले मगर मेहनत का काम वहुत कुछ आपने खुद भी किया और दूसरों से भी कराया और नतीजा यह हुआ कि इतने मकान बन गए हैं और अभी आपका इरादा है कि इस तरह के और भी मकान बनावे और केवल मकान ही नही बनावे बल्कि इन मकानों मे जो आराम ऐश की जो चीजें होती हैं उनको भी हर तरह से पहुंचा दिया जाय। यह बड़ी खुशी की बात है और मैं इससे बहुत खुश हुआ। मैं समझता हूं कि जब दिल्ली में पंतजी को यह खबर मिलेगी या हमारे प्रधान मन्त्री को यह खबर मिलेगी कि मैंने आकर इन मकानों को देखा और आप लोगों को देखा तो वे खुश होंगे और मैं कृष्णन जी से यह कहूंगा कि जब वह दिल्ली जाएं तो उन लोगों तक यह बात पहुंचा दें।

---

सिकन्दराबाद में जवाहरनगर हरिजन कालोनी के निरीक्षणोपरान्त भाषण; 1 जुलाई, 1958

एक बात और मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं। दूसरे लोग चाहे वे गवर्नमेंट मे काम करते हों या गवर्नमेंट से बाहर हों आपकी मदद कर सकते है और करेंगे। आज देश में जागृति पैदा हो गई है। अछूतपन को केवल निकाल ही देना नही है बल्कि जो लोग इस वक्त तक अछूत समझे जाते रहे है और जिनकी दशा गिरी रही है उनको उन्नत करना सब लोग आवश्यक समझते है और यह मानते है कि देश की उन्नति बगैर उनकी उन्नति के नही हो सकती है। इसलिए आप लोगो को भी उसी तरह से उस काम मे भी अपनी ओर से जो कुछ हो सके मदद देनी है। अपने रहन-सहन का सुधार करना, जिस तरीके से आप रहते हैं सफाई से रहना, बच्चों को जहां तक हो सके शिक्षा देना, जो भी काम हो उसको छोटा नही समझ कर अच्छी तरह से उसको करना और इस तरीके से करना जिसमे दूसरे लोग भी देख करके उससे खुश रहें और आपका अपना दिल भी उससे खुश रहे, अगर आप भी इस तरह से आगे बढ़ेगे तो आपकी तरक्की जल्द होगी और उसमें कोई रुकावट नही हो सकेगी।

आपकी तायदाद देश भर में काफी है। मगर केवल तायदाद पर भरोसा नही करके आप अपने को इस योग्य बनावे कि कोई भी काम हो आप कर सकें और अपनी सेवा से, अपने काम से सब का विश्वास आपको प्राप्त करना चाहिए और दूसरे लोगो का यह काम है कि वे नि.स्वार्थ भाव से आपकी सहायता करें, आपकी मदद करें।

मैं आशा करूंगा कि ये दोनों बातें पूरी होंगी और आप जल्द से जल्द तरक्की कर सकेंगे ।

# संस्कृत पाठशाला के लिए भूमि दान

राज्यपाल महोदय, डाक्टर कृष्णन, सर किशन प्रसाद के सम्बन्धी जन, बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज के इस समारोह में मैं शरीक हो सका। जैसा आपने कहा है, मेरी दिलचस्पी संस्कृत के प्रचार में शुरू से ही रही है और गरचे मैं यह दावा नही कर सकता हूं कि मैं खुद संस्कृत बहुत जानता हूं पर इतना मैं जानता हू और कह सकता हू कि जो कुछ आज हममें से बहुतेरों को मिला है वह संस्कृत के द्वारा ही मिला है और आज की जो दूसरी भाषाएं इस मुल्क में चलती है उनका अगर मूल खोजा जाय तो बहुत करके संस्कृत में ही मिलेगी। इसलिये संस्कृत का पढ़ना-पढाना जरूरी हो जाता है जिसमें इन दूसरी भाषाओं की तरक्की आगे हो सके।

आजकल अकसर हमारे सामने यह सवाल आता है कि जो नये ख्याल, नये विचार, नये विज्ञान और सायन्स का सवाल हमारे सामने आता है उनके लिये हमारे देश की भाषाओं में ठीक शब्द नही मिलते, खासकरके टेकनिकल शब्द हमको नही मिलते। इसकी वजह यह है कि हमारे देश की भाषाओं को इस तरह के काम में नही लगाया गया और इसलिये उनमे इस तरह के लफ्ज बनाने या गढ़ने का हमको कोई मौका नहीं मिला। मगर इसमें कोई शक नही कि अगर हमको आज इन भाषाओं को ऐसे लफ्ज देने है तो बहुत करके हमको संस्कृत पर भरोसा करना होगा। कुछ लोगो का ऐसा ख्याल होता है कि इस प्रकार के जितने टेकनिकल शब्द विदेशी भाषाओ में जैसे अग्रेजी, जर्मन, रशियन या फ्रेन्च में है उनको ले लेना चाहिये। हमको मालूम नही कि इसमें हम कहां तक कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द होगे जिनको हमे लेना पड़े और हम लेंगे मगर सब शब्द दूसरी भाषाओं से लेकर अपनी भाषाओं में चला सकते हैं या नही मालूम नहीं। यह भी नही कहा जा सकता है कि यूरप और अमेरिका में सायन्स की एक ही शब्दावली है। उनको भी अपने-अपने मुल्कमें अलग-अलग बहुत शब्द गढ़ने पड़े है और उन्होंने अपनी-अपनी भाषाओं में अलग शब्दावली तैयार की है। तो कोई वजह नहीं कि हम अपने देश में क्यों नही ऐसा करें। अगर यह करना है तो संस्कृत का

---

महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर के जामाता तथा लड़कियों द्वारा संस्कृत शिक्षा की केन्द्रीय परिषद्, अलवल को कुछ भवनों का दान दिये जाते समय भाषण, 8 जुलाई, 1958

ज्ञान, उसकी शिक्षा हम लोगों के लिये जरूरी हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी अपनी संस्कृति है उसका मूलभूत आधार आज से नहीं बराबर से संस्कृत ही रही है। हमको इस चीज को नही भूलना चाहिये कि हमारे इस देश में बाहर से भी बहुत लोग आये हैं और जो आये हैं वह कुछ-न-कुछ हमको देकर गये हैं। उन सबों को लेना सिर्फ मुनासिब ही नही, जरूरी भी है। हमें उनमें से किसी को छोड़ना नही है, निकाल करके फेंकना नही है बल्कि उन सब को बचाकर रखना है क्योंकि हमारी यह खूबी हमेशा से रही है कि बहुत-से आपस के भेद-भाव के रहते भी हममें एकता रही है और सारे मुल्क को सामने रखे और सारे इतिहास को देखें तो इतने प्रकार की विभिन्नता, इतने प्रकार के भेद उत्तर से दक्षिण तक देखने में आयेंगे कि अगर किसी विदेशी का इन विभेदों की तरफ ध्यान जाय तो उसको पता ही नहीं लग सकता कि हिन्दुस्तान एक देश है। मगर इन सब भेदो के रहते हुये कोई विदेशी अगर किसी दक्षिण के आदमी को देखे चाहे उत्तर के किसी आदमी को देखे तो यह नही कह सकता यक वह हिन्दुस्तानी नही है। यह इस बात का बहुत बडा सबूत है कि इतनी विभिन्नताओ के रहते हुए हमने सारे देश को एक बनाये रखा है और वह एकता बहुत करके संस्कृत के आधार पर ही बनी है। उत्तर से दक्षिण जहा कही जाइये वहा सस्कृत को आधार किसी न किसी रूप में पाते हैं। हो सकता है कि वह कही-कही कमजोर हो और कही ज्यादा जोरदार हो। पर यह कोई नही कह सकता कि कोई हिस्सा हिन्दुस्तान से बिल्कुल अलग हो गया है या बिल्कुल अलग होकर अपने को कायम रख सकता है। इसलिये ऐसी मोलिक चीज को कायम रखना निहायत जरूरी है। मै यह नही कहता कि जो आधुनिक चीजें हैं उन पर ध्यान नही दिया जाय। उन पर ध्यान दिया जाय, उनमें जितना समय लगाना आप जरूरी समझते हैं लगावें मगर साथ-ही-साथ संस्कृत की भी आवश्यक शिक्षा होनी चाहिये, उसका प्रचार होना चाहिये।

एक चोज और मै सब जगहों पर कहा करता हूं। पुराने जमाने में संस्कृत पढ़ाने की दो खूबिया थीं। एक खूबी तो यह थी कि संस्कृत की शिक्षा हमेशा मुफ्त होती रही है। उसके लिये कभी कहीं किसी को पैसे नहीं देना पड़ता था। यहां तक कि जो पुराने ख्याल के पंडित थे वे तो यह समझते थे कि जो विद्या दान के लिये पैसे लेता है वह अपने धर्म से गिर जाता है। पुराने पंडितों का ऐसा ख्याल था और अभी भी है क्योंकि मुझे ख्याल है कि जब मैं कम उम्र का था तो एक जगह पर पंडितों का शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें मैं शरीक हुआ। तो उनमें से एक नये जमाने का पंडित अंग्रेजी पड़ा हुआ पंडित था मगर संस्कृत का भी अगाध विद्वान था। वह उस समय प्रोफेसर या शिक्षक था। जो पुराने पंडित थे उन्होंने कह दिया

कि तुम पतित हो गये हो, तुम से हम क्या बहस करें, तुम पैसे लेकर विद्या दे रहे हो। आजकल के जमाने मे वह नही चल सकता है। मगर तो भी विद्यार्थियों को पैसे लेने से बचा सकें तो बड़ा अच्छा हो। पाठशाला का खर्च अगर पंडितों को किसी तरह से जिन्दा रखना है तो दूसरे लोग दें जिसमें विद्यार्थियों की कुछ मदद हो जायगी और पुराने ख्याल का कुछ बचाव हो सकेगा।

दूसरी चीज यह रही है कि जिस तरीके से वह पढ़ाते थे वह विद्या बहुत गहरी होती थी। जैसी हमारे देश की खूबी रही है कि हम बाहरी चीजों पर भरोसा कम-से-कम करते है। संस्कृत विद्या में भी बाहरी भरोसा बहुत कम हुआ करता था और सब कुछ बरजमानी रहा करता था और बरजमानी रखने का तरीका भी ऐसा तरीका निकाला गया था कि आसानी से सब चीजे आदमी जबानी याद रख सके।

अभी आपने वेद मन्त्र का उच्चारण सुना। वेद पढ़ने की भी कई रीतिया है और उनका खास कारण यही है जिसमे उनको याद रखा जाय और एक बडे आश्चर्य की बात यह है कि आज संस्कृत के जितने भी ग्रन्थ है सबों का अलग-अलग पाठ है। महाभारत में नये श्लोक मिल जाते हैं, अध्याय के अध्याय लोग कहते है कि जोड़े हुए हैं, रामायण मे भी है। और सब ग्रन्थों मे भी भेद पाते है मगर वेदों में पाठ भेद बहुत कम है या शायद नही मिलता है। उसका कारण यही है कि खास करके उनको याद रखने का तरीका निकाला गया जिसमे वे हमेशा याद रहें। इस तरह से वेदो को कई तरह से पढ़ा जाता है। कही शुरू से, कही उलटा आखिर से, कहीं बीच मे एक-एक शब्द छोड़कर, कई तरह से पढ़ाया जाता है जिसमे कहीं एक शब्द या मात्रा गलत न पड़ने पावे और यही वजह है कि उनमे पाठ भेद नही मिलता है। मगर यह तो एक बात हुई। मगर वह विद्या बहुत गहरी हुआ करती थी क्योंकि सब कुछ अपने दिमाग में रखना होता था। अब इस तरह के पंडित उठते जा रहे हैं। शायद अभी भी कुछ हों, सारे हिन्दुस्तान में दो-चार ऐसे पंडित हो जिनकी विद्या प्रस्तुत हो, जिनको इन्डेक्स देखने की जरूरत नही पड़ती हो, जिनको पुस्तक ही देखने की जरूरत नही हो तो पुस्तक को कौन पूछे।

तो इस तरह से आजकल जो कोई भी काम होता है उसके लिये हमको दूसरी चीजों पर भरोसा करना पड़ता है। कोई वैद्य हो, डाक्टर हो, जब तक बहुत से यन्त्र नही हों तब तक वह बीमार की बीमारी ही नहीं पहचान सकता, उसका निदान ही नहीं कर सकता कि कौन-सी बीमारी है। इसी तरह से और भी चीजें हैं, सभी चीजों में हम बाहरी चीजों पर भरोसा करने लग गये है लेकिन संस्कृत

विद्या के आज भी कुछ-न-कुछ उदाहरण हमारे सामने मिलेंगे जहा पुस्तको पर ही भरोसा नही करना पड़ता है और सब कुछ जबानी मस्तिष्क में रखकर काम चलाया जाता है। मै यह नही कहता कि सब को आज भी उसी तरह से संस्कृत पढाई जाय या सिखायी जाय। मगर इस चीज को आज भी जिन्दा रखने की जरूरत है और अगर पुराने तरीके से पढ़ाया जायगा तभी वह जिन्दा रह सकती है। अगर कम-से-कम कुछ लोगों को उस तरीके से पढ़ाकर तैयार रखेंगे, तभी हम समझते है कि हम सस्कृत को जिन्दा रख सकेगे। अगर यह सोचा गया कि सब से आसान तरीका कौन है और किस तरह से हमको संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाय और आज उसी तरीके से हम पढना चाहे तो यह हो सकता है कि संस्कृत का प्रचार हो जाय मगर वह गहरापन नही आयगा। उस गहरापन के लिये कम-से-कम कुछ लोगों को तैयार रखना चाहिये और ऐसी पाठशाला होनी चाहिये जहा उस तरह से पढ़ाया जा सके।

तो मै उम्मीद करता हू कि जो पाठशाला आप कायम करेंगे या कालेज कहिये या जो कुछ नाम दीजिये तो इस तरफ आपका ध्यान जायगा।

मै डाक्टर मदन गोपाल साहब को और दूसरे वंशज लोग जो महाराजा किशन प्रसाद के आज है उनको अपनी तरफ से तथा आप सब लोगो की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हू, मुबारकबाद करना चाहता हू कि एक बड़े शुभ कार्य के लिये दान देना अपना फर्ज समझा और खुशी से अपने इस महल को उसके लिये देना पसन्द किया। मैं आशा करता हूं कि जो नमूना उन्होंने पेश किया है वह औरों को भी पसन्द आयगा और आपका काम आगे बढ़ेगा। संस्कृत काउन्सिल के लोगों को मै धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि थोडे अर्से में उन्होंने अपना काम इतना फैलाया, इतना बढ़ाया। मै आशा करता हू कि आपका काम और भी आगे बढ़ेगा।

केवल एक बात मै आप से कह देना चाहता हूं। कोई संस्था हो और उसको बहुत से लोगों से पैसे लेकर काम चलाने की जरूरत पड़ती हो तो इसका ख्याल रखना पड़ता है कि किसी को एक शब्द भी कहने की गुजाश नही हो, एक लफ्ज भी कहने का मौका नही मिले कि साहब उसके पैसे ठीक तरह से खर्च नहीं होते। मैं आशा करता हू कि आप इस पर पूरा-पूरा ध्यान रखेगे जिसमें किसी को एक लफ्ज कहने का मौका नहीं मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका काम ठीक चलेगा और जिस तरह से आज आपको सहायता मिल रही है वह सहायता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जायगी।

# आंध्र युवती मंडल

राज्यपाल महोदय, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती दुर्गा बाई, श्रीमती रेड्डी, देवियो और सज्जनो,

अभी जो रिपोर्ट आपके सामने आंध्र महिला सभा के सम्बन्ध मे पढ़-कर सुनायी गयी उससे आपको मालूम हो गया होगा कि यह सभा कितने बड़े पैमाने पर आज तक मद्रास शहर में काम करती आयी है और अब उसने अपना काम यहा हैदराबाद मे भी फैलाना शुरू किया है और उसका पहला कदम हुआ है कि यहां पर एक रिजनल हैंडीक्राफ्ट इन्स्टीट्यूट कायम करे। इसको कायम करने के लिये उसको प्रोत्साहन भारतीय हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से मिला है और आप लोग इस तरह के काम में बराबर से दिलचस्पी रखते आये हैं, इसलिये इस काम को आपने अपने हाथ में लेना जरूरी और मुनासिब समझा है।

हमारे यहां की दस्तकारियां आज से नही अनन्त काल से बहुत मशहूर रही है और उनके नमूने जो अभी भी पुराने देखने को मिलते है वे सब को चकित करते हैं। आज भी गरचे बड़े-बड़े कारखानों और मशीनों के जारी हो जाने के बाद छोटी दस्तकारियों को बहुत धक्का पहुंचा है तो भी वह अपनी खूबसूरती और कला के कारण आज भी मुकाबला कर सकती है और मै यह चाहूंगा कि इस तरह की जो भी संस्था जहां भी कायम की जाय वह दो बातों की तरफ ध्यान रखे।

एक चीज तो यह है कि इस बात को पहले जान लेना और समझ लेना चाहिये कि पुरानी दस्तकारिया जो यहां जारी थीं उनको किसने जारी रखा और किस तरीके से जारी रखा और अगर यह ठीक मालूम हो जाय तो यह भी मालूम हो जायगा कि उन दस्तकारियों को जारी रखने के लिये हमारे मुल्क मे कालेज, स्कूल या इन्स्टीट्यूट पहले नही हुआ करती थी बल्कि सुन्दर से सुन्दर काम, मजबूत से मजबूत काम और बड़ा से बड़ा काम भी लोग अपने बाप दादा से सीखकर इतनी खूबी के साथ अंजाम किया करते थे कि उनके नमूने आज भी मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि ताज के बनानेवाले यहां पर कितने कहां अब हैं और उनमें से किसी ने किसी इंजीनियरिंग कालेज में शिक्षा पायी थी या नही। मैं यह भी नहीं जानता कि हमारे यहां जो सुन्दर से सुन्दर कपड़े बनते थे जो सारी दुनिया में मशहूर थे और जिनके लिये दूर-दूर से लोग इस मुल्क में आया करते थे उनके बनानेवालों को

---

आंध्र युवती मंडल भवन में हैंडीक्राफ्ट इन्स्टीट्यूट का उद्घाटन करते समय भाषण; हैदराबाद, 9 जुलाई, 1958

किसी ने सिखाया था और किसी स्कूल या इन्स्टीट्यूशन में उनको पढ़ना पड़ा था या सीखना पड़ा था। मुझे यह भी मालूम नही कि जो हमारे यहां के पुराने जमाने के चित्र आज मौजूद है, जो अजन्ता तथा अन्य जगहों की तस्वीरें आज भी दुनियां को चकित कर रही है, जो मूर्तियां सारे देश भर में आज फैली हुई है उनके बनानेवालों को कहां शिक्षा मिली थी और कहां उन सब चीजों को उन्होंने सीखा था। आज उनके वंशज मौजूद है। अभी भो तालाश की जाय तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर मिल जायेंगे और अगर हम थोड़ा-सा भी ध्यान दें तो उन चीजों को हम कायम रख सकते है। हम यह इसलिये नही चाहते कि उनके जरिये से फिर से उसी तरह की इमारतें या उसी तरह की मूर्तियां या चित्र या और और चीजें बनावें बल्कि इसलिये कि उनसे हम सीख लें कि उनका क्या तरीका था जिससे वे उन चीजों को बनाते थे क्योंकि यदि केवल हम इमारतों को ही ले लें तो इतना तो मानना पड़ेगा कि जो आज इमारतें बन रही है वे 500 वर्ष ठहरेंगी या नही वह 500 वर्ष बाद जो आयेंगे वे ही कहेगे। लेकिन बहुत-सी जगहें है जहां 500 वर्ष की इमारतें आज हिन्दुस्तान में मौजूद है और इसमें शक-शुभा की गुंजाइश नहीं है कि वे 500 वर्ष ठहर गयी है। वे किस मसाले से बनी थी, किस चीज से बनी थी इसका पता कम-से-कम हमको ठीक ठीक हो सके और अगर उन चीजों को हम फिर से काम ला सकें तो कोई वजह नही कि आज की नयी रोशनी में उन में और तरक्की देकर क्यों नही हम काम में लावे।

दस्तकारियो के सम्बन्ध में मुझे कुछ विशेष अनुभव नही है। मगर मै खादी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। मै इतना कह सकता हूं कि जिन घरों में दस्त-कारियां पहले से चलती आयी हैं उन लोगों को उन दस्तकारियों की पूरी तरह से शिक्षा दे देना, उनमें नयी उन्नति कर देना, उनमें नया तरीका दाखिल कर देना आसान है, उनको समझा देना आसान है। उनके दिल में कोई शक हो तो उनको दूर कर देने पर नये तरीके अख्तियार करना उनको जबर नही लगता है। मैं जानता हूं कि जिस घर में 60, 70 नम्बर का सूत पुराने चर्खे या तकली पर काता जाता था और जहां वे दिन भर में बहुत थोड़ा सूत कात सकते थे नये तरीके से बहुत जल्द बहुत ज्यादा सूत तैयार कर सकते हैं और यह देखा गया है कि जहां-जहां यह चीज दाखिल की गयी है वहां आसानी से लोगों ने उस चीज को मान लिया, कबूल कर लिया और जारी भी किया क्योंकि उससे उनको खास नफा पहुंचता है। उसी तरह से जो बुनकर हैं, मैं जानता हूं कि हमारे बुनकर जो पुराने खानदानी बुनकर है उनके कोई तालीम नहीं मिली है; मगर आज भी वह दावे से कहते हैं

कि कोई भी फूल कोई भी नमूना या नक्शा उनके सामने रख दें और वह पुराने तरीके से उसे बनाकर आपको दे देंगे और दे देते है । इसके लिये न तो बहुत देर तक रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है और न ही बहुत बड़ा कल कारखाना तैयार करने की जरूरत पड़ती है । आसानी से अपने यहां अपने घर में वक्त रहता है और तैयार कर लेते हैं । अब तो महीन से महीन कपड़ा बनाने का कारखाना स्थापित हुआ है मगर वे अपने हाथों अपने घरों में बने करघों के जरिये महीन से महीन कपड़ा जिसको शबनम कहते है, जिसके आर-पार दिखाई देता है वे अपने घरों में तैयार कर सकते है । आज भी ऐसे आदमी मौजूद है ।

तो मैं चाहूंगा कि जो दस्तकारी आप सिखलाना चाहें उसके सम्बन्ध में इस बात की जांच कर लें कि वह दस्तकारी कहां से चली और आज भी उसके बनाने वाले मौजूद है या नहीं और अगर हैं तो किस तरीके से वह काम करते हैं और उस तरीके में कहां आप तरक्की कर सकते हैं, कहां नया रास्ता आप बता सकते हैं । यह सब जांच कर उनको आप सिखायेंगे तो मैं समझता हूं कि दस्तकारी का काम बड़ी तेजी से बढ़ेगा । इसका मतलब यह नहीं है कि नयी चीजें नही सिखायी जायें । जो जानते है जो आज तक इस काम को करते आये है उनकी तरक्की साथ-साथ होनी चाहिये । जो दूसरे आना चाहें, सीखना चाहें तो उनके लिये आपके पास सामान मौजूद होना चाहिये, सिखानेवाले चाहिय और जो कुछ जरूर हो आपको करना चाहिय । तो इस तरह से नये और पुराने दोनों को मिलाकर हम काम आगे बढा सकते है ।

यह कहने की जरूरत नही है कि हमारे मुल्क में आज बहुत-से लोग परेशान है, खासकरके ऐसे लोग जिनकी आमदनी माहवार की शकल में है, जिनकी कम आमदनी है और कीमत के बढ़ जाने की वजह से जो आज बहुत दिक्कत महसूस कर रहें हैं इस तरह के मझोले दर्जे के लोग सभी शहरों में सभी जगहों में आज हजारों हजार की तायदाद में मिलते है और हमारे यहां का जैसा तौर-तरीका, जैसा रस्म-रिवाज वह बाहर निकल कर, बाहर उनकी स्त्रियां कोई दूसरा काम करें यह सम्भव नहीं है । अगर उनके दर्म्यान में आप दस्तकारी दाखिल कर सकें और उस तरीके से कुछ आमदनी करके घर की आमदनी कुछ बढ़ा सकें तो यह एक बड़ी भारी चीज होगी और मेरा अपना विश्वास है कि इसके लिये पूरी गुंजाइश है । आप जो यहां इस इन्स्टीट्यूट को कायम कर रहे है तो इन दोनों चीजों पर ध्यान दें कि जो पुराने कारीगर हैं उनकी किस तरह से तरक्की कर सकते हैं और जो नये लोग उसमें आना चाहते हैं, जिनको आप मदद पहुंचाना चाहते हैं उनको किस तरह से बैठा

सकते हैं। इन दोनों चीजों पर ध्यान देकर अगर आपकी इन्स्टीट्यूट काम चलायेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द तेजी के साथ तरक्की कर सकेगी।

अभी यहां आने के पहले कुछ नमूने मुझे दिखलाये गये। चमड़े के काम पर सुन्दर से सुन्दर चीजें नाखून से बनायी गयी हैं। उसी तरह से वहां कागज की चीजें कूट की चीजें आदि बनाकर रखी गयी हैं। वे सब ऐसी चीजें हैं जिनकी बिक्री में कोई खास दिक्कत नही होनी चाहिये। अभी मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि दस्तकारी की चीजों की बिक्री में कोई खास दिक्कत आपको नही होती है। मेरा अपना विश्वास है कि इस तरह की चीजें जो सच्ची लगन से तैयार की जायेंगी उनकी अपनी कला होती है, हुनर होती है और उस कला की बड़ी कीमत है। चाहे हम उस कीमत को नही भी समझे तो दूसरे देश वाले उसकी कीमत को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मैंने सुना है कि हमारी दस्तकारियों की चीजों की विदेशों में बहुत मांग है।

मुझे लोग कहते हैं कि खादी के बारे में एक साथ इतने बड़े आर्डर आते हैं कि खादी बोर्ड उसको पूरा नही कर सकता क्योंकि वे एक साथ एक किस्म की चीजें बहुत बड़ी तायदाद में मागते हैं। दस्तकारी की चीजों में एक साथ एक किस्म की चीजें बड़ी तायदाद मे पैदा करना मुश्किल है। उस कला को कायम रखते हुए जहां तक हो सके एक सा बनाना, एक कीमत का बनाना यह जरूरी है। लेकिन बिल्कुल एक सी चीजें नही बन सकती हैं। मै चाहूंगा कि आप इस तरीके से सिखाये, लोगों को तैया‾ करें कि वे कला भी सीख लें और उनके दिलों में कला का प्रेम जो रहा है वह और जबरदस्त बने और साथ-साथ वे अपने लिये कुछ आमदनी भी कर सकें। दोनों चीजें साथ चलेगी तो आपके पास न तो सिखानेवालो की कमी रहेगी और न उनकी बनायी हुई चीजों की बिक्री में कोई दिक्कत आयगी।

मै बहुत खुश हुआ जब मुझ से कहा गया कि मै आपके इस समारोह में शरीक होऊं और इस इन्स्टीट्यूट का उद्घाटन करूं। मै खुशी के साथ इसे करता हूं और आशा करता हूं कि आप जिस उद्देश्य से इस इन्स्टीट्टूट को कायम कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से कामयाब रहेंगे।

# भद्राचलम क्लब में

यहां के काम करनेवाले भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं यहां आया और जब से मैं यहां आया हूं तब से जो कुछ यहां काम हो रहा है उसको मैं देख रहा हूं और मुझे देखकर और भी इस बात की खुशी है कि यहां का काम दिन-प्रति-दिन तरक्की करता जा रहा है और जितना कोयला आप आज पैदा कर रहे हैं उससे ज्यादा पैदा करने का आपका मनसूबा भी है। कोयले के कारखाने के अलावा यहां बिजली घर है, बारूद बनाने का काम होता है, अस्पताल है। इन चीजों को मैंने साथ-साथ देखा और यहां आकर सब भाइयों से मुलाकात हुई इसकी मुझे खुशी है। जो कुछ मैंने देखा उसका मेरे ऊपर असर पड़ा है और मैंने पूछताछ भी कर ली है। मेरे ऊपर तो यह असर पड़ा है कि आप लोग अच्छी तरह से काम बड़ा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं।

कोई भी कारखाना हो वहां पर जब तक काम करनेवाले जी लगाकर अच्छी तरह से काम नही करें तब तक कारखाने की तरक्की नहीं हो सकती है। आप लोग जो यहां कारखाने में काम करते हैं मेहनत कर रहे हैं और मेहनत जी लगाकर करते हैं। इसका नतीजा इतना ही नहीं होगा कि पैदावार बढ़ जाये बल्कि उसके साथ-साथ आपका रहन-सहन भी तरक्की करे और आप ज्यादा आराम से रह सकें।

मैंने सुना है कि जो मजदूरी या माहवारी तनख्वाह आपको मिल रही है वह गवर्नमेंट के मुकर्रर किये गये कायदे के मुताबिक मिल रही है। गवर्नमेंट सब तरह से काम निकालना चाहती है जिसमें सारे मुल्क को फायदा पहुंचे, सब लोगों को फायदा पहुंचे। इसलिये आप जो कुछ पा रहे हैं वह गवर्नमेंट की नीति के अनुसार पा रहे हैं। वह नीति सारे मुल्क को ध्यान में रखकर मुकर्रर की गयी है। इसलिये मैं आशा रखता हूं कि आपका काम आगे बढ़ेगा, उसकी तरक्की होगी और आपकी तरक्की भी होगी।

मुझे आप सब से मुलाकात हुई इसकी खुशी है और मैं समझता हूं कि आप भी खुश हुए हैं।

---

भद्राचलम आंध्र प्रदेश में आफिसर्स क्लब में भाषण; 11 जुलाई, 1958

# शहरों और गांवों को एक दूसरे के निकट लाना जरूरी

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के मेयर महोदयो, देवियो तथा सज्जनो,

मै आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे निमन्त्रण देकर यह मौका दिया कि आज इतने भाइयो और बहनों से एक साथ मै मिल सका। जब कभी मै यहां आता हूं तो यह ख्याल रहता है कि जहां तक हो सके लोगों के साथ थोडी देर के लिये भी अगर सम्पर्क हो जाये तो वह ठीक है और इस तरह के सम्पर्क को कायम करने में जिस तरह का निमन्त्रण आपने दिया वह केवल आपकी ही दृष्टि से नही बल्कि मेरी दृष्टि से बहुत महत्त्व रखता है क्योंकि जैसा मैंने कहा इससे मुझे सब से मिलने और वहां के लोगो को अपनी आंखों से देखने और कुछ सुनने का सुअवसर मुझे मिल जाता है। आपने अभी जो मेरा स्वागत किया और जब से मै आया हूं जिधर कभी निकलता हूं सडकों पर लोगों की ओर से और विशेष करके छोटे-छोटे बच्चों की ओर से जो स्वागत मुझे दिन-प्रति-दिन मिलता है उसके लिये मै आपको धन्यवाद नही दे सकता हूं क्योकि धन्यवाद देना काफी नहीं है और यह सिर्फ इसी साल की बात नही है। मै इधर तीन-चार वर्षो से करीब-करीब हर साल चन्द दिनों के लिये यहां आ जाया करता हूं और जब कभी आता हूं तो वही प्रेम, मुहब्बत आप सब हर साल हमेशा दिखाते है और उसी उत्साह के साथ मेरा स्वागत भी किया गया है।

आपने यह ठीक कहा है कि देश बहुत-बहुत मुश्किल मे होकर गुजरा है और आज एक खास स्थिति में पहुंचा हुआ है। हम लोगों को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि अभी तक जो कुछ हम कर पाये है वह खुद तो अच्छा है मगर अभी तक वह काफी नही है। क्योकि अभी उसके अलावा और भी बहुत कुछ करना है। स्वराज्य लेने मे जितनी कठिनाई हमारे सामने थी उससे कहीं अधिक मुश्किलों का सामना हमको उस स्वराज्य को सफल और कामयाब बनाने में करना होगा क्योंकि दूसरों के हाथों से किसी चीज़ को ले लेना उतना मुश्किल नहीं जितना उस चीज़ को लेकर उसको सम्भालने और उसको कायम रखने तथा और भी तरक्की देना जितना मुश्किल काम होता है। तो हमने अंग्रेज़ों के हाथ से अपने हाथ में अख्तियार सब ले लिया है मगर उस अख्तियार का ठीक तरह से इस मुल्क के

---

हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के नागरिको द्वारा किये गये स्वागत समारोह में भाषण; 12 जुलाई, 1958

निर्माण और सब लोगो की उन्नति और तरक्की के लिये इस तरह से इस्तेमाल करना है जिसमे सब लोग सुखी हों, जिसमे इस देश से गरीबी और कंगालियत दूर हों, जिसमें कोई अनपढ़ नहीं रह जाय, जिसमे गावों, बस्तियों, शहरो और गलियों मे से बीमारी दूर हो जाय। यह सब काम हमारे सामने है। इसके अलावा यह तो जरूरी है ही कि सब लोगों को हम इस तरह से मिलाकर और एक-दूसरे के साथ जोड करके रखें जिसमें सभी चाहे वह किसी भी मजहब के हो, चाहे वे किसी भी जबान के बोलनेवाले हो, चाहे वह किसी भी भाग के रहनेवाले हो इस देश को अपना मुल्क समझकर इसकी खिदमत करना, इसकी हिफाजत करना, इसकी तरक्की करना अपना फर्ज समझें। जब हम इस काम मे पूरी तरह से कामयाब हो जायेंगे और सब लोगों के दिल मे एक तरह की आग पैदा हो जायेगी जो देश की आजादी के लिये हमेशा जलती रहे तब हम इस आजादी को जिन्दा रख सकेंगे और देश को सिर्फ आजाद ही नही रख सकेंगे, उसकी तरक्की भी कर सकेगे।

इसलिये हम चाहते है कि जो कुछ पंचवर्षीय योजना है और किसी भी शकल मे कोई भी कार्रवाई गवर्नमेंट की ओर से की जाती है और जो हमारे देश के नेता लोग है वे कोई सुझाव देश के सामने रखते है तो उसका मकसद यही है कि देश की तरक्की हो और देश की आजादी जो बहुत ही कीमती चीज़ है महफज और सुरक्षित रहे।

अभी इस वक्त अभी हाल मे जो साल गुजरा है व साल हमारे लिये कई तरह से एक मुश्किल का साल रहा है। सब से बड़ी चीज यह हुई गरचे आपका सूबा खुशकिस्मती से उससे बचा रहा कि उत्तर की तरफ खासकरके अन्न की बहुत कमी हो गई और कई फसलें मारी गयी या कमजोर हो गयी। इस वजह से देश की अन्न की पैदावार बहुत कम हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत जगहो मे अन्न की कमी हो गई और इस वक्त गवर्नमेट को वहां अन्न पहुचाने के लिये कोशिश करनी पड़ रही है। यह खुशी की बात है कि पहले से ही गवर्नमेंट ने अपने पास विदेशों से अन्न मंगा कर रख लिया है और आज ही मैने देखा है कि हमारे खाद्य विभाग के दिल्ली के जो मन्त्री है उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस समय इतना गल्ला मौजूद है कि इस वक्त कही भी किसी को ज़रूरत पड़े तो हम वहा अन्न पहुंचा सकते है और खाने के बगैर एक भी आदमी मरने नही पायेगा।

यह खुशी की बात है मगर साथ ही हमको यह भी सोचना है कि 20, 25 लाख टन अन्न हम साल में विदेशों से कब तक मंगाते रहे और कब तक हम अन्न के लिये दूसरे देशों का मुह देखते रहें। यह देश काश्तकारों का मुल्क है, एक

कृषिप्रधान मुल्क है जहां पर लोगों को सिर्फ अपने ही लिये नहीं बल्कि औरो के लिये काफी गल्ला पैदा करना चाहिये और अगर लोग चाहें तो इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत काफी गल्ला पैदा कर सकते हैं। आज इस वक्त अभी लोग कहते हैं कि जितना अन्न पैदा होता है उसका दसवां हिस्सा भी अगर बढ़ जाय तो इस वक्त की हमारी ज़रूरत टल सकती है और विदेशों से अन्न मंगाने की ज़रूरत नही रहेगी यानी जहां दस मन अन्न पैदा होता है वहां ग्यारह मन पैदा कर लिया जाय तो वह इस वक्त की हमारी ज़रूरतों के लिये काफी हो सकता है। मगर दस मन के बदले ग्यारह मन पैदा करना किसी एक आदमी का काम नहीं है, न किसी एक सूबे या एक जगह पर करना है बल्कि सारे मुल्क मे जो करोड़ों किसान बसते हैं उन करोड़ो किसानों के पास छोटे-छोटे खेत है उन छोटे-छोटे खेतों में अन्न की पैदावार बढ़ानी है और जब सभी लोग मिल-जुलकर इस काम को करेंगे तब इस काम में पूरी कामयाबी हो सकती है।

अमेरिका जैसे मुल्क में बड़े-बड़े काश्तकार है। इनमें से एक-एक आदमी को हजारों-हजार एकड़ ज़मीन है और वहां वे बड़े पैमाने पर कल के जरिये से, मशीन के जरिये से खेती किया करते हैं। हमारे यहां के किसान गरीब हैं जिनके पास थोड़ी-थोड़ी ज़मीन है और बहुत करके बहुत जगहों पर कलों के जरिये से काश्तकार खेती करते हैं और कहीं-कहीं इतनी थोड़ी ज़मीन होती है कि आदमी अपने हाथों से कोड करके खेती करता है। तो इस तरह की जहां इस तरह की आबादी हो, जहां करोड़ों आदमी हों जिनको खेती से अपने ही लिये नहीं सारे मुल्क के करोड़ों लोगों के लिये अन्न पैदा करना है वहां उनमें ऐसा उत्साह पैदा करना, ऐसी लालसा पैदा करनी कि वे अपने ही लिये नही सब के लिये अन्न पैदा करे कोई आसान काम नहीं है।

इसके अलावा हमको यह भी मालूम है कि गांवों में अन्न पैदा करनेवालों का सिर्फ अपने ही खाने के लिये पैदा नहीं करना होता है बल्कि जो शहरों की आज आबादी है, उन शहरों में अन्न पैदा नहीं होता है उनके लिये भी अन्न पैदा करना होता है। और यह भी एक चीज़ है कि एक तरफ हमारे यहां औद्योगीकरण होता जा रहा है और हमारे यहां बड़े-बड़े कारखाने खुलते जा रहे हैं वैसे-वैसे शहरों की तायदाद बढ़ती जा रही है और लोग गांवों से शहरों की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं और शहरों में बस रहे है। पिछले दस वर्षों में मैं समझता हूं कि शहरों की आबादी बहुत बढ़ गयी है। आप हैदराबाद और सिकन्दराबाद के तजुर्बे से ही कह सकते हैं कि यहां कितनी आबादी थी और आज कितनी हो गयी है। तो आप

समझें कि और जगहों में भी इसी तरह से आबादी बहुत बढ़ी है । दिल्ली जैसे शहर की आबादी लड़ाई के पहले 5, 6 लाख थी वह आज 20 लाख से कम नहीं है । इसी तरह से कलकत्ता, बम्बई जैसे शहरो की आबादी बहुत बढ़ गयी है । इसके अलावा किसी छोटी जगह पर भी कोई कारखाना हो जाता है तो वहां शहर बस जाता है, बहुतेरे लोग वहां आकर जम जाते हैं । वह इसलिये कि उनको वहां रोजगार मिलता है, काम मिलता है । मगर उनके खाने के लिये अन्न, गल्ला गांव से ही आ सकता है । तो जितनी आबादी शहरों की बढ़ती जा रही है उतनी ही अन्न की ज्यादा ज़रूरत बढ़ती जा रही है, ऐसे अन्न की जो गांवों से शहर में लाया जा सके । तो 20, 25 लाख टन या उससे भी ज्यादा अन्न जो विदेशो से मंगाना पड़ता है वह ज्यादा करके शहरों के लिये मंगाना पड़ता है ।

तो आज ज्यादा ज़रूरत इस बात की है कि शहरों और गांवो के दर्म्यान जो खाई पड़ी है उसको दूर करें और शहर के लोग गांव को अपना समझें और गांव के लोग शहर को अपना समझें और दोनों अपना काम करें । अन्न के अलावा जितनी और ज़रूरत की चीज़ें हैं शहर के लोगों का काम है कि गांव के लोगों को मुहैय्या करें और गांव के लोगों का काम है कि शहर के लिये अन्न मुहैय्या करें । जब दोनों का इस तरह का ख्याल होगा और काम होगा तभी हम हर तरह से तरक्की कर सकेंगे, मुल्क की चौमुखी तरक्की हो सकेगी । अगर एक तरफ हम तरक्की करें और दूसरी तरफ काम ढीला पड़ जाय तो उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं होता है । अच्छा नतीजा तब होता है जब हर तरह से तरक्की साथ-साथ हो । एक छोटे काम में देखें । तीन-चार आदमी को मिलकर कोई काम करना हो, एक बोझ तीन-चार आदमी को मिलकर उठाना हो और एक-एक आदमी अलग-अलग उठावे तो बोझ नही उठ सकता है पर अगर चार एक साथ कंधा लगाकर उठायें तो बोझ उठ जाता है । उसी तरह से अलग-अलग तबके के लोग मुल्क में एक चीज़ को ध्यान में रखकर, उसको मकसद मानकर, मुल्क की बेहबूदी, स्थिति सब के सामने रखकर सब लोग मिल-जुलकर एक साथ कंधा लगायेंगे तो हमारी चौमुखी तरक्की हो सकती है और हर तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं । मगर यदि अपनी-अपनी ओर सब खींचेंगे तो आगे बढ़ने के बदले हम पीछे ही चले जायेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते । यही वजह है कि बहुत जगहों मे हम कोशिश करते है, हम प्रयत्न करते हैं, मगर हमें तरक्की नहीं मिलती । इसका कारण यही है कि सब कोशिश एक साथ होकर नहीं होती और सब अलग-अलग अपना-अपना खिचाव रखते हैं, सब अपना-अपना तनाव रखते है और उसका नतीजा यह होता है कि हम कई जगहों में बावजूद हजारों कोशिशों के कामयाब नहीं होते हैं ।

तो मैंने आपके सामने अन्न का मिसाल इसलिये रखा कि अन्न एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई आदमी जी नही सकता और जिसकी ज़रूरत चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब सब को एक-सी होती है। साथ-ही-साथ इसकी जरूरत बेहद नही होती। कोई आदमी अगर एक साथ एक पाव अन्न खाता है तो दूसरा आदमी डेढ पाव खायेगा, दो पाव खायेगा, सेर भर खायेगा, पर मन डेढ़ मन कोई नही खायेगा। इसकी एक तरफ जरूरत ऐसी है कि हर आदमी को महसूस होती है और दूसरी तरफ उसकी ज़रूरत महफूज है, उसकी ज्यादा जरूरत नही हो सकती है। मगर सभी चीजों को देखकर और जांच कर बताया गया है कि देश के अन्दर जितना अन्न हम पैदा कर रहे है उसकी पैदावार बढायी जाय तभी हम उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसलिये इस वक्त मुल्क के सामने सबसे बडा सवाल अन्न का ही है। उसके साथ-साथ दूसरी बात यह है कि अगर हमको विदेशों से अन्न लाना पड़ता है तो उसकी कीमत हमे रुपयों में ही देनी पडती है। यह 100, 200 करोड रुपये सालाना अन्न के लिये हमको बाहर भेजने पडेगे तो वे कहा से आयेंगे। अन्न के लिये हम विदेशो को क्या भेज सकते है। अभी भी हम कोशिश तो कर रहे है कि कुछ-न-कुछ हम अन्न के बदले में उनको दे और हम अन्न ले सके। मगर इसमें पूरी कामयाबी नही हो रही है। उसकी वजह यह है कि अन्न के अलावा और भी बहुत चीजे हमको मंगानी पडती है जिनकी जरूरत मुल्क के लिये है, मुल्क की तरक्की के लिये है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे यहा कल कारखाना बढे और-और चीज़े हम पैदा कर सके तो उनके लिये हम को बाहर से कल कारखाने मंगाने पडते है और उनको मंगाने मे करोडो-करोड रुपये देने पडेगे, पूजी के लिये सैकडो करोड देने पडते है क्योकि कारखाने तो पूर्जो से ही चलेगे।

बात यह है कि कोई काम हाथ में लिया जाता है और यदि वह बडा काम होता है और उससे बडा नतीजा निकलनेवाला होता है तो उसमे बहुत-बहुत मेहनत करने की जरूरत पडती है और मेहनत करके कोई यह उम्मीद करके कि इस हाथ से दे और उस हाथ से ले ले ऐसा नही हो सकता है। छोटे काम में भी इंतजार करना होता है। किसान बीज खेती में डालता है तो उस वक्त वह मिट्टी मे सड़ने के लिये ही डालता है। मालूम नहीं कि वक्त से पानी बरसे या नहीं, पानी नही बरसे, बेवक्त बरसे, कम बरसे और हजारों आफतों और आपत्तियों बर्दाश्त करने पर तीन-चार महीने की इंतजारी के वाद अन्न मिलता है। जब खेती में इतने परिश्रम और इन्तजारी की ज़रूरत होती है तो सारे मुल्क की तरक्की के लिये ज्यादा मेहनत भी करनी है और ज्यादा इन्तजार भी करना है।

इसलिये आज जो बडे-बडे काम हाथ में लिये गये है, बडी-बडी जो योजनाएं, इस वक्त चल रही है उनमें गरचे बहुत काम हुआ है, बहुत कामयाबी भी हासिल हुई है मगर आज उनका नतीजा हमको पूरी तरह से देखने को नही मिल रहे हैं और उनका नतीजा चन्द दिनों के बाद मिलेगा। जब नतीजा मिलेगा तब हम अच्छी तरह से महसूस कर सकेंगे कि हमको कितना फायदा हुआ है। मगर आज अभी तो परिश्रम करने और बीज लगाने का ही वक्त है। इसलिये जो कुछ करना है चाहे वह काश्तकारी की तरक्की के लिये हो चाहे कारखाने की तरक्की के लिये हो आज वक्त मेहनत करने और पैसे लगाने का वक्त है। और हो सकता है कि हमारी जिन्दगी में, आप में से चन्द आदमियों की जिन्दगी मे उसका फल नहीं भी देखने को मिले। मगर इसमे शक नही कि चन्द वर्षो के बाद और खासकरके आप लोग जो जवान है उनके वक्त में इसका पूरा नतीजा पूरी तरह से देखने को मिलेगा। तब लोगों को इस बात की खुशी होगी कि जो काम इस वक्त किया जा रहा है उसका फल हुआ, उसका नतीजा भी निकला। इसलिये आज सब को यह सोचकर कि जिस तरह से कोई बात अपने ऊपर तकलीफ और मुसीबत उठाकर अपने बाल-बच्चो के लिये कुछ-न-कुछ छोड जाने के लिये कोशिश करता है, जिस तरह से गृहस्थ बहुत मेहनत करके दूसरी फसल के लिये इन्तजार करता है उसी तरह से हमको भी काम में पैसे लगाना, परिश्रम लगाना और इन्तजार करना है जिसमे बाद की पीढ़ी और मुमकिन है कि हमारी पीढ़ी मे ही कुछ दिनों के बाद उसका नतीजा मिले। मै तो यह चाहूंगा कि जो आज काम हो रहा है उसे हममे से प्रत्येक आदमी अपना काम समझकर उसमे इस तरह से लगे जैसे अपने काम मे हम लगते है और इसका ख्याल नहीं करें कि इससे तो सारे मुल्क को फायदा होगा तो हम क्यो इतना करें। इसमें कोई शक नही कि उससे सारे मुल्क को लाभ होगा पर सारे मुल्क का लाभ होगा तो हमारा भी लाभ होगा और अगर सारा मुल्क गिरा तो हम भी गिरेंगे। जब यह भावना पूरी तरह से आ जायेगी तो देश की तरक्की होगी। मुझे आशा है कि जो काम इस वक्त हो रहा है वह अच्छी तरह से किया जायेगा।

एक चीज ज़रूरी है। इसमे मेहनत और इंतजारी करना तो है ही। मगर हमको यह भी सोचना है कि कोई काम अगर सचाई से किया जाता है, ईमानदारी से किया जाता है तो उसका नतीजा और भी अच्छा होता है। अगर शुरू से कहीं पर उसमें सचाई की कमी हो गयी, अगर ईमानदारी से काम नहीं किया गया तो अन्त में उसका नतीजा बुरा रहेगा। हो सकता है कि जो ऐसा करते है उसको बुराई नहीं मिले। मगर उसका नतीजा कभी-न-कभी होनेवाला है ही। हम तो यह भी देखते

हैं और बहुत जगहों पर यह सुनने में भी आता है कि बहुत जगहों में हमारी सचाई में हमारी ईमानदारी में कमी हो गयी है। चाहे वह जिस वजह से हो, जिस कारण से हो पर लोग शिकायत करते हैं। तो दूसरों की तरफ न देखकर अपनी तरफ देखना चाहिये। फलां यह है, फलां वह है, चोर है झूठा है यह कहने से काम नहीं चलता हमको देखना है कि हम क्या है, हम झूठे हैं या सच्चे हैं, हम ईमानदार है या बेईमान-दार हैं। हम अपनी तरफ से गलतियां कर रहे है या नहीं कर रहे हैं। अगर हरेक आदमी अपनी तरफ ज्यादा ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि इस मामले में हम ज्यादा तरक्की कर सकते है।

आप समझें कि दूसरो की गलती निकालना आसान काम नहीं है पर अपनी गलती निकालना आसान काम है। तो जो आसान काम है उसको छोड़ कर दूसरों की गलतियां ढूंढ़ना जो एक बहुत ही कठिन काम है उसमें पड़ना और बदनामी लेना झगड़ा मोल लेना अक्लमन्दी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। इसलिये हममें से हरेक आदमी को अपनी-अपनी गलतियों की तरफ ध्यान देना चाहिये। चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे कोई छोटे काम में लगा हो चाहे बड़े काम में लगा है, चाहे मजदूरी का काम करता हो चाहे बड़े-बड़े ओहदों पर बैठकर काम करता हो सब को देखना चाहिये कि वे ठीक तरह से अपने काम का अंजाम दे रहे हैं या नहीं सचाई से काम कर रहे है या नहीं। अगर हरेक आदमी दिल लगाकर सोचे और देखे तो मैं समझता हूं कि हमारी ज्यादा तरक्की हो सकती हैं बजाय इसके कि गवर्नमेंट की तरफ से अफसर मुकर्रर किये जायें जो दूसरों की गलतियाँ ढूंढ़कर निकालें। अपनी गलतियों की तरफ देखने से लोग ज्यादा कामयाब होते हैं और उससे लोग ज्यादा समझते और सुधरते हैं। कोई चीज़ ऊपर से लादी जाती हैं जो उसका उतना असर नहीं होता। अगर वह चीज़ अपने दिल से उपजती है तो उसका असर ज्यादा देर तक ठहरता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो आजकल देश के काम में लगे हुए है चाहे किसी छोटे काम में लगे हों चाहे बड़े काम में लगे हो इसकी ओर ध्यान दें। खासकरके जो लोग शिक्षा के काम में लगे हैं उनका ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि जो बच्चे उनके मातहत शिक्षा पा रहे हैं उनको वे किस तरह से तैयार कर रहे हैं जिसमें आगे चलकर वे सच्चे मुल्क के खिदमतगार हों, देश के खिदमतगार हों, जिसमें वे अपना भला करें और देश का भला करें। मै चाहूंगा कि आप सब आसान चीज़ों पर ध्यान दें और जो कुछ आप से हो सके अपने लिये करें और देश के लिये करें। दोनों में कोई फर्क नहीं समझें। आप अपने लिये वही करें जो देश के लिये फायदेमन्द हो और मुल्क के लिये जो फायदे-

मन्द हो उसे अपने लिये भी फायदेमन्द समझें। इन दोनों में मैं विरोध नहीं समझता मुखालफत नहीं समझता । मै समझता हूं कि जो हमारे लिये भला है वह सब के लिये भला होना चाहिये और जो हमारे लिये फायदेमन्द है वह सब के लिये होना चाहिये। इस दृष्टि से, इस ख्याल से हम काम करेंगे तो हम और भी अपना भला कर सकेंगे और मुल्क का भला कर सकेंगे ।

आपने मेरे प्रति प्रेम दिखलाया, मोहब्बत दिखलायी सब के लिये एक बार और धन्यवाद देता हूं ।

# सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं से

श्री प्रभाकरजी, वल्लभ स्वामीजी, बहनो तथा भाइयो,

मै आपके इस सम्मेलन में बहुत करके इसलिये शरीक हुआ कि मुझे यहां जो सर्वोदय का काम हो रहा है उसका हाल कुछ सुनने को मिलेगा और वह आशा मेरी पूरी हुई क्योंकि भाइयों ने अभी अपने-अपने स्थानों की रिपोर्ट यहां पर पेश की और उससे यह पता लगा कि सर्वोदय का कैसे-कैसे काम आप कहां पर क्या कर रहे है।

सर्वोदय का कार्यक्रम एक प्रकार से जितने महात्मा गाधी के रचनात्मक कार्यक्रम थे या जो कुछ उसमे सम्मिलित था या नही था सब सर्वोदय के कार्यक्रम में सम्मिलित है और इसलिये हरिजनोद्धार से लेकर हिन्दी प्रचार तक, ग्रामदान, श्रमदान, सम्पत्तिदान और इस तरह के और भी जितने काम हो रहे है सभी उसमें शरीक है। खादी तो हमेशा से रचनात्मक कामो का केन्द्रबिन्दु बनी रही है। खादी का प्रचार एक प्रकार से हमेशा ऐसा काम रहा है और रहेगा । इसलिये जो सर्वमुखी काम आप कर रहे है उसकी रिपोर्ट सुनकर मुझे खुशी हुई और मै यह चाहूंगा कि यह काम और भी जोरों से चलाया जाय जिसमें इस सारे सूबे भर में कोई ऐसा स्थान नही रह जाय, कोई ऐसा गांव नही रह जाय जहां पर यह काम नही होता हो और जहां तक इसकी रोशनी नही पहुंचती हो।

बात यह है कि जहा तक मै सोच सकता हूं, इस प्रकार के काम की ज़रूरत कई विचारों से है। महात्मा गांधी के सामने केवल स्वराज्य की प्राप्ति ही ध्येय नही था बल्कि वह स्वराज्य को भी एक साधन मानते थे। ध्येय उनके विचार में यह था कि एक ऐसे नये समाज का संगठन हो जिसमें न गरीबी रहे, न दुःख रहे, जिसमे न झगडा रहे न फिसाद रहे, जिसमें सभी लोग सुख और शाति से, सचाई के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर सकें और उस नये समाज का एक चित्र भी अपनी आंखों के सामने रखा था जिसका जब तक अपने लेखों के द्वारा, अपने व्याख्यानों के द्वारा और और जिस तरीके से हो सकता था प्रचार भी उन्होंने किया। अभी इस वक्त तक जितना काम इस तरह से समाज के गठन के लिये ज़रूरी थी नहीं हो पाया है और यह भी मै नहीं कह सकता कि आज उस रीति से, उस ढंग से

---

आंध्र प्रदेश के सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं के सम्मेलन में भाषण; शिवरामपल्ली, 14 जुलाई, 1958

किस हद तक काम किया जा रहा है और गांधी जी के स्वप्न का स्वराज्य—उस प्रकार के समाज को गठित करने मे हम सफल नही हो सके है।

मै जहा तक देखता हूं, बहुत बातों में जो कुछ आज हम कर रहे है उसकी मूल गांधी जी के विचारों से नही मिलती है। साथ ही यह भी है कि बहुत-सी सिद्धांत की बातें, मौलिक बातें जो गाधी जी चाहते थे उन पर भी सारा देश और गवर्नमेट दोनों साथ-साथ नही चल रहे है। मै यह चाहूं कि जितने सर्वोदय समाज के काम करनेवाले है या जो लोग इस प्रकार की गैर-सरकारी सस्थाओ के साथ रहकर और मिलकर काम कर रहे है, जिन पर सरकारी कानूनो, कायदों का बंधन नही है वे अपने कामो को निर्भीक होकर अपने तरीके से चलाते जायें।

जब मे एक चोज देखता हू तो मेरे हृदय को एक प्रकार से चोट पहुंचती है। मुझे यह सुनकर दुःख होता है कि आज हमारे देश में इस प्रकार के गैर-सरकारी लोगों की बहुत कमी हो गया है जो अपने बल पर अपनी शक्ति से किसी काम को चाहे वह बडा काम हो या छोटे-से-छोटा काम हो किसी भी काम को करने के लिये तैयार हो। कोई छोटी बात भी होती है, कोई छोटा काम भी होता है तो सब का रुख गवर्नमेट की तरफ जाता है और सब यही चाहते है कि यदि उसे गवर्नमेंट नही कर दे तो कम से कम उनको उस काम के करने मे आर्थिक सहायता दे। और चाजों मे लोग अपने पैरो पर खड़े हो सकते है या नही मगर ग्रामदान हम इतनी तायदाद मे पा रहे है और इतनी जमीन लोगो ने दी है पर उससे न संतुष्ट होकर हम चाहते है कि गवर्नमेट कानून द्वारा हमको मदद दे। मुझे यह चोज पसन्द नहीं क्योंकि मै चाहता हू कि चाहे हम लोग कम कर सके या ज्यादा कर सके मगर थोडा-बहुत अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों को अपने पैरो पर खड़े करने को हम सिखा सकें तो वह काम बडे महत्त्व का काम होगा और बड़ा काम होगा। जो इस प्रकार से विचार पैदा हो रहा है कि चाहे जिस तरह का भी काम हो, हमको गवर्नमेट पर भरोसा करना ही चाहिये, गवर्नमेंट की मदद के बिना हम उसे कर ही नही सकते यह दूर होना चाहिये।

जब हम इस चोज को देखते है तो यहां एक सिद्धान्त की बात सामने आ जाती है। क्या हम चाहते है कि हमारी जिन्दगी में सब काम गवर्नमेंट ही कर दिया करे या चाहते है कि गवर्नमेंट हमारी जिन्दगी के काम में कम से कम दखल दे? अगर सब काम हम गवर्नमेंट से कराना चाहे तो हो सकता है कि हम आराम से रहे। मगर मै यह मानता हूं कि गवर्नमेंट की मदद के बगैर हम तकलीफ से भी रहें तो बेहतर है। यहां पर मैने एक सिद्धान्त की बात कही है। हमको सोचना

है कि सब बातों के लिये गवर्नमेंट पर भरोसा करना कहां तक ठीक है । अन्न पैदा करना है किसानों को, खेत उनके हाथ में है, मेहनत उनको करनी है । अगर उसमें गवर्नमेंट ऐसी मदद करे जिससे वे ज्यादा पैदा कर सकें तो वे जरूर मदद लें । गवर्नमेंट को सारे देश को खिलाना है, इसलिये उसको अन्न चाहिये । गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपील करती है, मदद करती है जिसमें हम ज्यादा अन्न पैदा कर सके । यह ठीक है । मगर हमेशा गवर्नमेंट का मुह देखते रहना गलत है । जहां तक गवर्नमेंट मदद कर सकती है उसको लेने में कोई हर्ज नही है । मगर साथ ही साथ यह विचार भी छोड़ देना चाहिये कि गवर्नमेंट की मदद अगर हमको नहीं मिलती है तो उस काम को हम आगे बढ़ा नही सकते । अगर काम हम अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ायेंगे तो गवर्नमेंट हमारे पीछे-पीछे चलेगी । गवर्नमेंट में अपनी शक्ति नही होती । उसकी शक्ति जनता की शक्ति है । जनता के हाथों में शक्ति नही होगी तो अपने देश की गवर्नमेंट को भी वह झुका नहीं सकती । अगर हम गवर्नमेंट का मुंह देखते रहे तो उस हालत मे उस शक्ति का निर्माण हमारे लोगों के दिलों में नहीं होगा और जब तक वह शक्ति नही आयगी तब तक हमको सच्चा स्वराज्य या मुक्ति नही मिल सकेगी । मै इस विचार को माननेवाला हूं ।

मै गवर्नमेंट का एक तरह से प्रमुख समझा जाता हूं और हू भी । मै गवर्नमेंट के सब से बड़े ओहदे पर हूं । जो गवर्नमेंट की नीति निर्धारित होती है उसके अनु-सार काम भी करता रहता हू । मगर यह कहना हमारे लिये सही नही है कि अगर मै कहूं कि मै 16 आने गांधी जी के बताये रास्ते पर चल रहा हूं । यह मानना पड़ता है कि बहुत बातों मे गांधी जी के बताये रास्ते पर गवर्नमेंट नही चल रही है, उसका दूसरा रास्ता है । मै यह नही कहना चाहता कि वह रास्ता गलत है या सही । मै कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की मदद नही मिले तो कुछ नहीं हो सकता है ऐसा सोचना गलत है । मेरा अपना विश्वास है कि अगर दृढ़ रहकर अपने तरीके मे लोग काम चलायें तो ठीक है ।

गांधी जी चाहते थे कि हमारे गाव बिल्कुल स्वतन्त्र रहने चाहियें । ग्राम कब स्वतन्त्र होंगे ? जब ग्राम की सारी जरूरत ग्राम से पूरी हो सके । हरेक मनुष्य के लिये मुमकिन नही है कि वह अपनी सारी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सके । इसलिये उसको दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है । इसी तरह से हर गाव को दूसरे गावों पर भरोसा करना पड़ता है । अगर एक गांव दूसरे से मिल-जुल कर काम करें तो दोनों स्वतन्त्र रहेंगे । मगर इसका मतलब यह नहीं है कि यदि कोई गांव पूर्णरूप से स्वतन्त्र रह सकता हो तो भी न रहे । यदि एक गांव में आग

लग जाये तो दूसरा गांव भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे यह ठीक नही है। एक जगह बाढ़ आ जाये और कुछ गांव बह जायें तो दूसरे गांव भी बेकरार हो जायें यह नहीं होना चाहिये । अपने ऊपर भरोसा नही करने से जितने जोरों से और बड़े पैमाने पर हम काम करना चाहेंगे उसमें उतना ही खतरा रहेगा। अगर हैदराबाद शहर में एक पानी का कल टूट जाये तो सारे शहर को पानी के बिना तरसना पड़ेगा। अगर घर-घर में कुएं रहें तो सारे शहर को पानी के बिना नहीं तरसना पड़ेगा। अगर आज बिजली के कारखाने में आग लग जाये या और कुछ हो जाय तो सारे शहर में अन्धेरा छा जायगा। पर यदि घर-घर में दिया जलाया जाये तो अंधेरा आ जाने पर यदि कुछ घरों का दिया बुझ भी जाय तो भी सभी घरों में अंधेरा छाने नही पायेगा। यह तो विकेन्द्रीकरण तथा केन्द्रीभूत करने की बात हुई। यहां पर कुछ सिद्धान्त की बात नहीं आती है । चूकि हम अधिक गवर्नमेंट पर भरोसा करते जा रहे हैं। इसलिये अधिक चीजे गवर्नमेंट के हाथ में आती जा रही हैं। यदि गांव में काफी अन्न पैदा नही हो सकता है तो गवर्नमेंट को दूसरी जगहों से अन्न मंगाना पड़ता है। एक बनिया हो और वह ठीक तरह से काम नही करता हो तो गवर्नमेंट को उस पर भी नियन्त्रण करना पड़ता तो कन्ट्रोल आकर लग जाता है। और इसके माने यह हो जाते है कि सब की स्वतन्त्रता दूर हो जाती है। इसी तरह से अगर एक भी मिसाल लेकर आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जायगा। बड़ी-बड़ी योजनाएं बन रही हैं। पर यदि कुओं से खेत पटाने का काम चल जाय तो नागार्जुनकोंडा में नदी को बाधना तो ठीक है पर मेरा अपना ख्याल है कि घर-घर में कुओं का होना बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि 500 मील की दूरी पर नदी है उस पर भरोसा करके बैठे रहें। मगर आज दुनिया उसी तरफ चल रही है और हम उससे अपने को अलग नहीं रख सकते ।

अन्न जो आप पैदा कर रहे हैं उसकी कीमत हम नहीं लगा सकते। उसकी कीमत अमेरिका में लगायी जाती है। गांव में जो गन्ने की खेती होती है उससे चीनी बनायी जाती है पर चीनी की कीमत मौरिशस टापू में या और दूसरी जगहों पर तय होती है। जूट हम पैदा करते हैं पर उसकी कीमत लगायी जाती है दूसरी जगह पर। तो इस दुनिया में एक ऐसा वातावरण चालू हो गया है जिसकी वजह से एक दूसरे पर भरोसा इतना होता जा रहा है कि न मालूम इसका अन्त कहां होगा। जितना ही एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता जा रहा है मनुष्य का अपना व्यक्तित्व कम होता जा रहा है। यह सिद्धान्त की बात है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मगर यहां पर इतना ही जरूरी है कि जहां तक हो सके अपने को स्वतन्त्र रखने

की हम कोशिश करें और यह कोशिश करें कि गवर्नमेंट की मदद के बिना भी हम अपने काम मे लगे रहें।

मैं जानता हूं कि जो काम आप लोग कर रहे हैं उसमे कठिनाई आती है और बहुत कठिनाई और भी आयेगी। मगर इन कठिनाइयों पर किसी न किसी तरह से काबू पाने मे ही बहादुरी है, उसी मे आत्मनिर्भरता है। अगर किसी तरह से थोड़ी देर के लिये भी गाव के लोगों को समझा दे तो आपका काम आगे बढेगा। अगर कठिनाइयों से डर कर दूसरों पर भरोसा करने लग गये तो आप पीछे हटेंगे। अगर हरिजनोद्धार का काम आप करना चाहते हैं तो कानून पास करके हरिजनों के मन्दिर मे जबर्दस्ती ले जाने से वह काम नही हो सकता है। वह काम तो लोगों को समझाने-बुझाने और उनमे प्रचार करने से ही होगा।

इसी तरह से आप सब जगहों पर बुनियादी संघ की तरफ से बुनियादी तालीम को बढ़ाना चाहते हैं तो जब तक उसमें गवर्नमेंट मदद नही करे तब तक वह काम बढ ही नही सकता है। बात यह है कि गाधी जी ने यह पद्धति इसलिये निकाली थी जिसमे लोग स्वतन्त्र रहे और जो खर्च प्राइमरी एडूकेशन को चलाने मे लगता था वह कम हो जाय। अगर हमने और ज्यादा खर्च बढाया तो स्वतन्त्र के बदले दूसरों पर निर्भर हो जायेंगे।

मै चाहुगा कि गाधी जी का जो कार्यक्रम था उसको सामने रखकर अगर थोड़े लोग भी काम करते जाये तो कोई न कोई समय आ जायगा जब उस काम को लोग समझेंगे। मेरा अपना विश्वास है कि दुनियां जिस तरह से चल रही है जल्द ही वह समय आयगा जब गाधी जी के रास्ते पर लोगों को चलना होगा। शायद हम लोग अपने देश के पैगम्बर को नही समझें, दूसरे देश के लोग समझे। आज हिन्दुस्तान में बहुत कम बौद्ध हैं मगर दुनिया के बड़े-बड़े हिस्सों में वे फैले हुए हैं यद्यपि उस धर्म के प्रवर्तक बुद्ध हिन्दुस्तान में ही हुए थे। उसी तरह से अपनी कमजोरी की वजह से यदि हम गाधी जी को छोड़ भी दें मगर दुनिया उनको नही छोड़ेगी। जिस तरह से बुद्ध को हम भूल गये है, गांधी जी को दुनियां नही भूलेगी, उनको कायम रखेगी। तब हमको भी सोचना पड़ेगा। जैसे हम आज बुद्ध को फिर से याद करने लग गये हैं उसी तरह से हम गाधी जी को याद करेंगे और उसमें उतनी देर नही लगेगी। मगर इस वक्त शायद हम उनको भूलते जा रहे हैं।

जहां सर्वोदय का काम होता है, जहा सर्वोदय काम सम्बन्धी विचार होता है वहा मुझे बुलाया जाता है तो मै जाता हू कि मुझ से सर्वोदय का काम नही भी

हो सके तो कम-से-कम अपनी उन्नति हो जाये और जो कुछ आप लोग करते हों उसको देख सकू, जान सकू और कही पथभ्रष्ट भी होऊं तो कम से कम चिन्तन करने का मौका मिलता है। इसीलिये मै आपके यहा खुशी से आया। मै आशा करता हूं कि आप दीप को प्रज्वलित रखेंगे जिसमें उससे रोशनी मिलती जाय।

जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा पायी है चाहे वे अपना काम करे चाहे शिक्षण का का काम करें। वे इस ध्येय को नही भूलें कि यह शुभ काम है। वे अपने काम में सफल हो यही मेरी कामना है।

मुझे खुशी हुई कि मेरे हाथों आपने श्री चलपतिराव जी के चित्र का अनावरण कराया।. उनसे मेरी मुलाकात थी और आंध्र प्रदेश कायम होने के बाद वह मुझ से मिले थे। मै खुश हुआ कि मेरे हाथों उनके चित्र का अनावरण कराया।

352

# तिलक की स्मृति में

स्वामीजी, बहनों और भाइयो,

मेरी दिलचस्पी खादी में आरम्भ से ही है और वह दिलचस्पी अभी कम नहीं हुई है। इसलिये जब कभी मौका होता है कि खादी के काम को कुछ देख सकू तो मैं खुशी से उस मौके मे कुछ लाभ उठाने की कोशिश करता हूं और इसलिये आप पर मैंने कोई एहसान नही किया है। अगर मै यहां खादी के नमूने रखे गये हैं उनको देखने के लिये खादी भंडार में गया या जो अम्बर चर्खे का शिक्षण आप दे रहे हैं और अम्बर चर्खे से यहां हजारों बहनों को काम मिल रहा है उसका थोड़ा नमूना देख सका, अपने ही उससे लाभ उठाया आप पर एहसान नही किया।

यह भी खुशी की बात है जैसा आपने बताया कि अम्बर चर्खे का काम आपके इस प्रांत में काफी जोरों से सफलतापूर्वक चल रहा है। इस शहर में ही, जैसा आपने कहा, दो हजार अम्बर चर्खे चल रहे हैं और यहां अम्बर चर्खे का शिक्षण पाकर जिन लोगों ने अपनी कार्यवाही दिखलायी उनमें से सबसे ऊंचा स्थान यहां की ही एक बहन को मिला है और उनको आपने मेरे हाथों से एक छोटा-सा इनाम भी दिलवाया। यह तो खुशी की बात है। मै तो यह देखता हूं कि अम्बर चर्खे के द्वारा केवल खादी का प्रचार ही नहीं बढ़ेगा बल्कि उससे बहुत ऐसे लोगों के घरों में जो दूसरे तरीके से आमदनी नहीं हो सकती कुछ थोड़ी बहुत आमदनी हो जायगी और जो बहनें इस काम में दिल लगाकर पड़ेंगी वे कम से कम अपने खाने लायक तो जरूर उससे पैदा कर सकेंगी। मैं आशा करता हूं कि हैदराबाद जैसे शहर में जहां बहुतेरे इस तरह के खानदान के लोग हैं जो अपने घरों की स्त्रियों को अपने घर से बाहर निकलने देना पसन्द नहीं करते उनके घरों में अगर आप अम्बर चर्खा दाखिल करा सकें और बड़ी तायदाद में करा सकें तो उन लोगों को एक अच्छी राहत पहुंचेगी और उससे उनको काफी मदद पहुंचेगी। मामूली चर्खे से जितनी आमदनी होती है उससे कई गुना अधिक आमदनी अम्बर चर्खे से होती है और गरचे उसके सीखने में थोड़ा वक्त लगता है मगर एक वार सीख लेने के बाद घर में बैठकर कहीं बगैर गये हुए कुछ आमदनी पैदा की जा सकती है और बहनें कर रही हैं। यह बड़ी खुशी की बात है और मैं उम्मीद करता

---

तिलक स्मारक महाराष्ट्र मंडल में भाषण, हैदराबाद; 15 जुलाई, 1958

हु कि यह काम और भी आगे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा और अम्बर चर्खे आप बड़ी तायदाद में दाखिल करा सकेंगे और बहुत बहनों और भाइयों की इस तरह से मदद कर सकेंगे ।

मैं आपको एक बार और धन्यवाद देता हू ।

# सर्वोदय और महिलाएं

मुख्य मन्त्रीजी, प्रभाकरजी, बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि आपने इस शहर में सर्वोदय का काम इतने उत्साह के साथ आरम्भ किया है और मुझे इसका विश्वास है कि जिस तरह के लोग इस काम में लगे है, परिश्रम के साथ इस काम में लगे है तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी काम हो उस काम की आशा तो उसी वक्त हो जाती है जब उसमे सच्चे हृदय से आदमी काम करना आरम्भ कर देता है और आगे चाहे उसका जो फल निकले वह तो ईश्वर के हाथ की बात है मगर जब अपना प्रयत्न पूरा हो जाता है तो मनुष्य को उतना से ही संतोष करना उचित है।

सर्वोदय का काम बहुत बड़ा काम है, महत्व का काम है। सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय, हरेक का उदय, हरेक का कल्याण, और हरेक के अन्दर गरीब-अमीर, ऊंचा-नीचा, छोटा-बड़ा, स्त्री-पुरुष, बच्चा-बूढ़ा सभी शरीक हैं। सब का उदय, सब का कल्याण एक अत्यन्त महत्व का काम है और इसमें शक नहीं कि इस काम मे बहुत परिश्रम करना होगा, विशेष करके भारतवर्ष ऐसे देश में जहां 38, 39 करोड़ लोग बसते है और आपके इस आंध्र के सूबे में तीन साढ़े तीन करोड़ लोग बसते है। इस काम को पूरा करने में समय भी लग सकता है, परिश्रम तो लगता ही है, इसमे कोई शक नहीं है। मगर जिस तरीके से काम शुरू किया गया है उससे शायद लोगों का ध्यान उस ओर अधिकाधिक जायगा क्योंकि जिस समय आज से 7, 8 वर्ष पहले पूज्य विनोबा जी ने दान का काम आरम्भ किया था तो उस वक्त भी इसी इलाके मे यहां से थोड़ी दूरी पर वह काम आरम्भ हुआ था। उस समय हम में कोई भी ऐसा नही था जिसने सोचा होगा कि यह काम थोड़े दिनों के अन्दर इतना बढेगा। काम भी बहुत मुश्किल था क्योंकि मनुष्य अपने धन को जल्द दे देना नहीं चाहता और धन में भी विशेष करके जमीन एक ऐसी चीज समझी जाती है जिसको लोग बहुत महत्व देते है, जिसको रखना बड़े मान का कारण समझा जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण चीज को दान मे दे देना और इतनी बड़ी संख्या में दान में आना एक संसार को चकित करनेवाली बात है और इसमें कोई शक नहीं कि जब से वह चीज आंध्र से फैली, तीस चालीस लाख एकड़ जमीन सारे देश में मिल गयी है और हजारों गांव के गांव दान में मिल गये है।

---

आंध्र युवती मंडल में सर्वोदय मंडली का उद्घाटन करते समय भाषण; हैदराबाद, 15 जुलाई, 1958।

अब सर्वोदय के काम करनेवालों का एक बहुत बड़ा काम यह भी हो गया है कि दान में मिली हुयी जमीन का किस तरह से ऐसा प्रबन्ध करें जिससे उसका जो उद्देश्य था उसकी सिद्धि हो अर्थात् सर्वोदय की सिद्धि हो। यह काम भी महत्व का तो है ही, परिश्रम का तो है ही, इसमें बहुत बुद्धि लगाने की भी जरूरत है और मै यह देखता हूं कि इस काम में जो लोग जमीन प्राप्त करने में बहुत काम नही करते थे वे लोग भी दिलचस्पी लेंगे और उनकी भी दिलचस्पी रहेगी तभी इस काम में पूरी सफलता मिल सकती है। मै आशा करता हूं कि विशेष करके गांव के गरीब लोगों का ध्यान इस प्रकार की भूदान में मिली हुई जमीन की ओर जायगा और विशेष करके जहां समस्त ग्राम दान मे मिले है वहां पर इस काम को और भी खूबी के साथ चलाया जायगा। मैं आशा करता हूं कि सर्वोदय के काम करनेवाले इस पर पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और जो इसका उद्देश्य है उसको पूरा करने में सफल होंगे।

अभी आपने मेरे हाथो गांधी साहित्य के प्रचार काम को भी शुरू कराया। आंध्र प्रदेश में गांधी जी का बड़ा विश्वास था और जब से उन्होंने असहयोग का काम, सत्याग्रह का काम भारतवर्ष में शुरू किया उनका बहुत कुछ भरोसा आंध्र प्रदेश पर रहा। इसलिये गाधी साहित्य का प्रचार इस प्रदेश में आवश्यक तो है ही, मैं समझता हूं कि सहज भी होना चाहिये क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इस साहित्य में पहले से ही है और आज जब उनको अपनी भाषा में यह साहित्य सुलभ हो जाता है तो लोग इसको खुशी से अपनायेंगे और इससे लाभ उठायेंगे इसमें कोई शक की बात नही है। यह भी अच्छा सोचा गया कि ट्रस्ट ने यह निश्चय किया है कि इस साहिय के प्रचार के लिये जो पुस्तकें छपें वह बिना नफा के लोगों को बेची जायें। कुछ नफा रखने से दाम बढ जाता है। नफा नही रहेगा तो कम दाम में पुस्तकें मिलेगी और इस देश में जहां गरीबी काफी है, जितनी सस्ती पुस्तकें आप दे सकें उतने अधिक ग्राहक और पाठक उन पुस्तकों को मिल सकते है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ट्रस्टियों का यह निश्चय बहुत ही शुभ निश्चय है कि बिना नफा किये पुस्तकें लोगों को बेची जायेंगी। मुझे इस काम को आरम्भ कर देने में भी बड़ी प्रसन्नता है।

दूसरी चीज जो सर्वोदय-पात्र यहां प्रसारित करने का काम आपने मेरे हाथों से कराया वह भी एक बड़ा शुभ काम है। इस प्रकार का पात्र घर-घर में रखा जाना भारतवर्ष की कम से कम उन जगहों के लिये जहां से मै आया हूं कोई नयी बात नहीं है। सर्वोदय के लिये नहीं पर किसी न किसी काम के लिये इसी

तरह से घर-घर में हांडी रख दी जाती है और उसमें घर की गृहणी जब घर के लिये अन्न निकालती है तो थोड़ा सा अन्न डाल दिया करती है और जिस काम के लिये वह अन्न निकाला जाता था उसी काम में लगता था । मुझे याद है कि मेरे अपने घर में मेरी कम उम्र के दिनों में इसी तरह का पात्र रखा जाता था और उन दिनों में इसी तरह का पात्र रखा जाता था और उन दिनों मे गोलक्ष्मी के लिये अन्न दान लिया जाता था । जब 1920, 21 में हम लोगों ने आन्दोलन आरम्भ किया तो हमारे सामने यह भी एक बड़ा प्रश्न था कि हजारों हजार की तायदाद में काम करनेवाले जो घर छोड़कर निकलते थे उनको क्या खिलाया जाय । यह मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब अभी तिलक स्वराज्य फंड नही खुला था । जिसमें लाखों रूपये जमा किये गये और जब कांग्रेस का काम बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया । हम ने बिहार में इसी तरह का पात्र रखने की परिपाटी चलायी और घर-घर में इस तरह का पात्र रखा गया था और जहां तक मुझे याद है दो ढाई वर्षों में जो अन्न जमा हुआ उसी से हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अपना काम चलाते रहे और जितने हमारे नेशनल स्कूल खोले गये उनका खर्च भी उसी तरह से चलाते रहे । दो-ढाई वर्षों तक यह खूब अच्छा चला, उसके बाद जैसे और सब काम ढीला पड़ गया, यह भी ढीला पड़ गया । तो उन्होंने हमको उस समय अब दिया और मैं जानता हूं कि लोगों को अगर यह बात ठीक से बता दी जाय और उनको जच जाय कि इसमें दान देना आवश्यक है और अच्छा है तो कोई शक नही कि घर-घर में लोग एक मुट्ठी अन्न देने में हिचकेंगे नहीं ।

जैसा मैंने कहा, उस वक्त हम लोग हजारों हजार रुपये मासिक इस तरीके से कमाया करते थे । यह जरूर था कि हर घर का अन्न एक प्रकार का अन्न नहीं हुआ करता था । चावल भी कई प्रकार का हुआ करता था क्योंकि जिस घर में जैसा चावल खर्च होता था उसी प्रकार का चावल निकाल दिया जाता था । इसका ध्यान जरूर रखना पड़ता था कि चावल के पात्र में गेहूं न मिला दिया जाय । अन्न भी विभिन्न प्रकार के होते हैं । मगर एक पात्र में एक ही प्रकार का अन्न डाला जाना चाहिये और जो काम करनेवाले हैं जब पात्रों को जमा करेंगे तो एक प्रकार के अन्न को एक बड़े पात्र में रखें जिसमें एक ही प्रकार का अन्न रखा जाये । उस समय जो अन्न मिलता था वह चावल ही हुआ करता था और हम लोग चावल खर्च किया करते थे, बेचते नहीं थे, जो अन्न मिलता था हम लोग खाते थे । यह होता था कि दो किस्म के चावल रहें और दोनों को एक साथ पकाने में कुछ अधपका रह जाता था और कुछ गल जाता था । मगर लोग बर्दाश्त कर लिया करते थे ।

तो मैं यह आपको दो-ढाई साल का अनुभव बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि उससे आप लाभ उठा सकें और लाभ उठाना भी चाहिये। मेरा तो विश्वास है कि सर्वोदय के काम के प्रचार के लिये यह एक अच्छा साधन भी है क्योंकि जिस घर में पात्र रखा जायगा उस घर के लोगों को आपको बतलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि किस लिये वहां पर पात्र रखा जायगा क्योंकि वे तभी उसमें अन्न डालेंगे जब वे समझेंगे कि यह काम करने योग्य है। तो एक प्रकार से सर्वोदय की भावना के लिये क्रियात्मक रूप से प्रचार होगा और सब लोगो को आप उसमे शरीक होने का मौका देंगे।

हर आदमी के लिये यह मुमकिन नही है कि वह भूदान कर सके क्योंकि सब के पास जमीन नहीं होती। यह भी सब के लिये मुमकिन नहीं है कि वह अपना समय इस काम में लगा सके। सब के पास पैसे नहीं होते कि वह पैसे दे सके। सब लोग अपने-अपने काम में लगे रहते है और श्रमदान में भी सब लोग शरीक नहीं हो सकते। मगर अन्न खाये बगैर कोई नही रहता। और जिस घर मे एक आदमी के लिये खाना बनता है उसमें से चार दाना भी डालता है और यह समझकर डालता है कि उससे ज्यादा वह नही डाल सकता तो आप समझें कि उसने अपना काम पूरा किया। और सब लोग इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा दें तो जिस घर में बहुत लोग रहते हैं वहां तो कुछ अधिक अन्न खर्च होता है, वहां तो संभवतः कुछ अधिक डाल दिया करेंगे। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक तरह से प्रचार करेंगे तो इससे आपको काफी सहायता मिल सकती है और आपका काम चल सकता है। इसलिये मुझे इस बात की खुशी हुई कि इसका उद्घाटन आपने मेरे हाथो कराया। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और आशा करता हू कि आप इस प्रयोग में सफल होंगे और आप अपना काम पूरा करेंगे।

# शिक्षण में विज्ञान का स्थान

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, शिक्षा मन्त्रीजी, सज्जनों और देवियो,

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं इस विज्ञान भवन का शिलान्यास कर सका। यह युग विज्ञान और टेकनोलाजी का युग है जितनी विज्ञान की शिक्षा लोगों को दी जा सके और जितने लोग इसको ग्रहण सकें और इससे लाभ उठा सकें उतना ही देश का अधिक कल्याण होगा और इसी ख्याल से विज्ञान की शिक्षा बढ़ाने का सभी जगहों में, सभी प्रान्तों में प्रयत्न जोरों से चल रहा है। यह शुभ है कि आपने इस प्रान्त मे भी विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है और उसी सिलसिले मे इस कालेज में कुछ नये विभाग खोलकर उनमें भी शिक्षा देने का निश्चय किया है।

जैसा मैंने अभी सुना, जिआलोजी, बोटेनी और इस तरह की और चीजें जो अब तक नहीं थी उनका भी आपने यहां प्रबन्ध किया है। मैं समझता हूं कि जो टेकनिकल कालेज होते जा रहे हैं वे अपनी जगह पर अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मगर टेकनोलजिकल कालेज के अलावा ऐसे कालेजों की जरूरत भी बनी रहे जहां विज्ञान की मौलिक शिक्षा लोगों को मिल सके और वह विशेष करके यूनिवर्सिटी और कालेज मे ही हो सकता है। इसलिये जो भी कही कालेज हो, यूनिवर्सिटी हो और वहां विज्ञान पढ़ाने का कुछ प्रबन्ध हो उसमे तरक्की देकर प्रबन्ध होना चाहिये और उसके लिये जो आवश्यक साधन हों उनको जुटाना चाहिये। इसलिये आपने जो निश्चय किया कि जिआलोजी और बोटेनी को भी स्थान हो और उसके लिये आप विशेष लेबोरेटरी कायम करें और विशेष क्लास खोलें यह ठीक ही आपने निश्चय किया क्योंकि हमारे देश मे बोटेनी पर ही बहुत कुछ निर्भर है। जिओलोजी का जो कुछ अनुभव हो वह भी बहुत जरूरी है क्योंकि वह भी हमारे देश के लिये एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। क्योंकि यह देश एक तरफ कृषिप्रधान है और दूसरी तरफ यहां भूगर्भ के अन्दर न मालूम कितना बेपरिमाण, बेअन्दाज माल भरा हुआ है। तो बोटेनी के जरिये से एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देकर उसमे तरक्की करनी है और दूसरी तरफ जो जमीन के भीतर जो माल भरा पड़ा है उसका जिओलोजी की सहायता से पता लगाकर फिर मिनरोलोजी आ जाती है उसको साथ लेकर उसकी भी तरक्की होगी।

---

सायन्स कालेज का शिलान्यास करते समय भाषण; भोपाल, 19 जुलाई, 1958

तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि सब को मिला कर एक समन्वय होना चाहिये और एक साथ मिलाकर सब कालेज तथा यूनिवर्सिटी चलें जिसमें जो उनके सीमित साधन हैं उनसे जितना हम लाभ उठा सकें उठावें और ऐसा नहीं हो कि एक काम एक जगह पर हो रहा हो उसको बगैर जरूरत के दूसरी जगह पर दुहराया जाय। इसका ध्यान रखें और जितने कालेज खुलें, यूनिवर्सिटीयां हों उनमें सभी जगहों से पता लगाकर जिस चीज की कमी हो उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। मगर जितने फ़ंडामेंटल सायन्स हैं, मौलिक विज्ञान है उनकी शिक्षा का प्रबन्ध तो सभी स्थानों पर हमेशा होना चाहिये। इसलिये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मुझ से कहा गया कि मैं इस कालेज का शिलान्यास रखू। मुझे विश्वास है कि इस प्रान्त को इससे काफी लाभ होगा और यहा के युवक इससे लाभ उठायेंगे और उनको बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका होगा।

हमारे देश में जो प्रगति हो रही है विज्ञान की, वह अच्छी हो रही है। मगर तो भी अपने देश की जो स्थिति है, जो यहां के हालात हैं उनको सामने रखते हुए इन चीजों को ध्यान में रखकर हमेशा किस तरह से किस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमको मिली है और जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिये हम हमेशा दूसरों पर भरोसा करतें रहेंगे हमको काम करना चाहिये। कुछ चीजों को छोड़कर जिनके बिना हमारा काम नही चल सकता हम काम अपने यहां की चीजों से चलाने का प्रयत्न करते रहेगे और अनुसंधान का काम चलायेंगे तो जो पैसे अन्य देशों को भेजने पड़ते है और दूसरों का मुह देखना पड़ता है उसको भी हम बचा सकेंगे।

सायन्स के जो शिक्षक है उनसे मेरे जैसा व्यक्ति क्या कहे। मैं उनको क्या कहूं। मैं आशा करूंगा कि पढ़ाने के अलावा वे लोग अनुसंधान की तरफ भी ध्यान देंगे। और यहा की स्थिति को ध्यान में रख अनुसंधान के काम को आगे बढ़ायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मै इस समारोह में शरीक हो सका।

# इतिहास परिषद् सम्मेलन

राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी, देवियो और सज्जनो,

इतिहास परिषद एक ऐसी संस्था है जो बहुत काम कर सकती है, और आपकी इतिहास परिषद अभी प्रायः तीन वर्ष की भी नही हुई है और बाज़ाब्ता इसके रजिस्टर्ड हुए अभी एक साल भी नही हुआ है। तो इतने थोड़े काल में आपकी संस्था ने इतना काम कर दिखाया है और विशेष करके उन लोगो ने जो इस मे दिलचस्पी ले रहे है पहले से जो काम किया है उससे यह आशा होती है कि आइन्दे आप बडे-बडे काम कर सकेंगे।

भारत का इतिहास गौरवपूर्ण है और यद्यपि उसमे बहुत चढाव-उतार रहा है, अध्ययन की जरूरत है जिसमे हम चढाव को भी समझ सकें और उतार के कारणों को भी समझ सकें और अगर इतिहास से हम कोई शिक्षा पा सकते है तो वह शिक्षा हम ग्रहण करें।

आपका यह प्रान्त ऐतिहासिक स्थानो, खडहरो और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं से भरा पड़ा है। और जितनी इसकी खोज की जाय और जितना समय लगाकर इसकी सभी चीजों का अध्ययन किया जाय उतनी ही सच्ची और काम की वस्तु निकलेगी क्यों कि जमीन बहुत है, क्षेत्र बहुत बड़ा है और यह काम भी ऐसा-वैसा नही है कि हर आदमी इस काम को आसानी से अंजाम दे सके बल्कि इसके लिये विशेष योग्यता चाहिये और योग्यता से भी अधिक विशेष उत्साह चाहिये जिसमें मरी चीजों को निकाल कर उन्हें फिर से जिन्दा करके इस देश के लोगों के सामने रख सकें और लोग उससे लाभ उठा सके।

जो प्राचीन मन्दिर और दूसरे प्रकार के खंडहर इस देश मे पड़े है अगर उनका एक-एक करके पूरी तरह से अध्ययन किया जाय तो मै समझता हूं कि हमारे देश की केवल कलाओं की ही नहीं बल्कि उसके इतिहास की पूरी खबर उससे बहुत कुछ मिल सकती है और इसी तरह से इतिहास का अध्ययन भी होना चाहिये।

आपकी बातें भी कुछ ऐसी है जिनको हम बिलकुल भुला नहीं सकते। प्राचीन इतिहास तो प्राचीन ग्रन्थों, हस्तलिखित पुस्तकों, शिला-लेखों, मूर्तियों,

---

मध्यप्रदेश इतिहास परिषद् सम्मेलन का उद्घाटन करते समय भाषण; भोपाल, 19 जुलाई, 1958।

मन्दिरो, शिलाओ और खंडहरो में हम पा सकते है पर इधर हाल के 300 वर्षों का इतिहास बहुत घरों में आप पा सकते है । बहुतेरे घरों मे अभी भी इस तरह की हस्तलिखित पुस्तकें होंगी या इस तरह के कागजात होंगे जिनसे ऐतिहासिक बातें बहुत कुछ हम निकाल सकते है और जान सकते है। मालूम नही उन चीजों के अध्ययन की तरफ आपका ध्यान गया है या नही पर मैं समझता हू कि इस चीज को भी नजरअन्दाज नही करना चाहिये और पिछले दो-तीन सौ वर्षों का इतिहास भी अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिये।

इस प्रान्त मे बहुतेरे राजवाड़े थे जिनमे बहुतेरों का अपना-अपना प्राचीन इतिहास है और उनके पास बहुत ऐतिहासिक सामग्री आप अभी पा सकते हैं । उन लोगो के अलावा ऐसे लोग जिनका सम्बन्ध उन राजवाड़ों के साथ रहा उनके पास भी बहुत कुछ सामान आप पा सकते है। जहां तक मै जानता हूं इस तरह के सामान महाराष्ट्र मे मरहटा इतिहास को मिल गये है और पुराने ग्रन्थ बड़ी संख्या मे वहा इकट्ठे किये गये है और उनमें से बहुत लोगो के घर निकले है। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें आपके प्रान्त मे प्रचुर सख्या मे मिलती है और उनकी तलाश करके उनसे जो कुछ सीख सकते है सीखना चाहिये ।

इतिहास का अर्थ यही है कि जो प्राचीन चीजे थीं उनको जनता के सामने लाकर रखें जिसमे उनसे क्या लाभ उठा सकते है वे समझें और लाभ उठायें । इसका अर्थ यह नही है कि जो कुछ मिल सके उसे इस तरह से रंजित करके हम लोगों के सामने रखें कि हम अपने प्राचीन गौरव को देख करके बहुत खुश हों बल्कि इतिहासवेत्ता और लेखकों का सबसे बड़ा काम यही है कि सच्चाई के साथ जो कुछ सामग्री उसके सामने आवे उसका ठीक अध्ययन करके जो चित्र वे उस सामग्री से निकाल सकते हों उस चित्र को लोगों के सामने रखे ।

हम जानते है कि हमारे देश का इतिहास उस वक्त का जब हमारी दुर्दशा हुई एक विशेष पृष्ठभूमि में लिखा गया है और उसका उद्देश्य भी कुछ अच्छा नहीं और उसमें ऐसी चीजों पर जोर दिया गया है कि जिनको हम शायद भुला देना पसन्द करें । लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि एकबारगी उसे भुला दिया जाय बल्कि वह क्यों भुलाने लायक है उसकी भी खोज करनी चाहिये और क्यों ऐसी स्थिति आयी जिसके कारण हमारी दुर्दशा हुई जिसको याद रखना हम पसन्द नहीं करते । उन कारणों का अनुसंधान करके, खोज करके जनता के सामने रख सकें तो वही सच्चा इतिहास होगा । हम चाहते हैं कि हमारे देश के विद्वान भारत का नया इति-हास तैयार करें मगर उसमें सच्चाई नही गिरे और जो सच्चाई से दूर हो उससे

बचाने का, निवारण का रास्ता आप ढूंढ़ सकते हैं। दूसरे देशों के इतिहास से जो सबक हम सीख सकते हैं वह बतलाना और उससे जो अच्छाई निकाल सकें हमारे सामने आदर्श के रूप में रखना आपकी परिषद का सबसे बड़ा काम है। इस उद्देश्य को सामने रखकर सब तरह से सबक सिखाना, शिलालेखों से ऊंचा से ऊंचा आदर्श बतलाना और जो खंडहरों में चीजें पड़ी है, उन चीजों से सबक निकालना, जो कुछ बतला सकते हों बतलाना एक बड़ा काम है। मै आशा करता हूं कि यह काम आपकी परिषद करेगी और सफलतापूर्वक करेगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको बल दे जिसमे जो कुछ दिक्कत आपके सामने आवे उसको आप दूर कर सकें। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से आपने काम शुरू किया है और जिस तरह से आपको पोषण मिला है, इस काम को आप पूरा कर सकेंगे।

# राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन का उद्घाटन

जब इस उत्सव में भाग लेने का निमन्त्रण मुझे मिला और बाद में डा० काटजू ने भी इसे स्वीकार करने के लिये अनुरोध किया तो मैंने इस सम्मेलन का उदघाटन करना सहर्ष स्वीकार कर लिया।

आरम्भ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है, और वह भी सर्वसम्मति से, कि भारतीय गण-राज्य की भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी, इसके लिये यह शर्त रखी गयी है कि यह कार्य एक सुविचारित क्रम के अनुसार होगा और यह क्रम हर पांच वर्ष के बाद नियुक्त किये गये आयोगों की सिफारिशों पर और संसद् की विशेष-समिति की रिपोर्ट के आधार पर किये गये सरकार के निर्णय के अनुसार होगा। यह आशा की गयी है कि इस व्यवस्था को 15 वर्ष की अवधि में कार्यरूप दिया जा सकेगा। इसके लिये भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा-सम्बन्धी कुछ शर्तें रखी गई हैं। राज्यों की सरकारों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वे अपनी विधान सभा के निर्णय के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं या हिन्दी का प्रयोग करेंगी।

इसलिये यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई भी धारणा कि हिन्दी केन्द्रीय सरकार पर अथवा राज्यों की सरकारों पर लादी जा रही है एकदम निराधार होगी। संविधान का अभिप्राय केवल इतना है कि संघ को अधिकृत भाषा के रूप में अंग्रेजी की जगह हिन्दी को देने के बारे में जितनी कार्यवाही की जाय वह सुगम और सुविधाजनक तथा प्रादेशिक भाषाओं और हितों को प्रतिनिधित्व-युक्त संसद् की समिति के परामर्श के अनुकूल हो। जो पहिला भाषा आयोग नियुक्त किया हुआ था उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और अभी यह कहना संभव नहीं कि इसकी अंतिम सिफारिशें, जो सरकार के निर्णय का आधार होंगी, क्या होंगी, क्योंकि वे अभी विचाराधीन हैं। इसलिये ऐसी आशंका किसी को नहीं होनी चाहिये, और मैं कह सकता हूं कि न ऐसा किसी का विचार ही है, कि हिन्दी को किसी पर लादा जाय। जब कभी हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान दिया जायेगा, और ऐसा करने के लिये जो क्रमिक कार्यवाही की जायेगी उसके बारे में समय और कार्य दोनों ही का निर्णय भारतीय संसद् करेगी। अन्य कार्यों की तरह इस मामले में भी संसद् ही देश के कानून और राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के लिये सर्वोपरि अधिकारपूर्ण संस्था है।

---

अष्टम अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन के वार्षिक उत्सव में उद्घाटन भाषण; 19 जुलाई, 1958

अब इस प्रश्न के पक्ष और विपक्ष के सम्बन्ध में विस्तार से कुछ कहना आवश्यक है। पहिले तो यह जान लेना चाहिये कि राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के बीच नही, बल्कि अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के बीच प्रतिस्पर्धा है। मै नही जानता यदि किसी ने ऐसा प्रस्ताव भी रखा है कि प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहनी चाहिये। यह एक ऐसा सुझाव है जो, मै समझता हूं, न युक्तिसंगत है और न व्यक्त किये जाने योग्य है। करीब 150 वर्ष तक अंग्रेजी के शिक्षण के बाद यह नहीं कहा जा सकता, और न ऐसा किसी ने दावा ही किया है, कि अंग्रेज़ी का ज्ञान इस देश की जन-संख्या के एक बहुत ही छोटे भाग के अतिरिक्त अधिक व्यापक हो पाया है। यदि सरकारी कामकाज ऐसी भाषा में चलाया जाय जिसे जनता का एक लघु अश मात्र, वह भी अधिकाश शहरों में कहने वाले लोग, ही समझ सकते हों, तो यह जन-तंत्र प्रणाली की विडम्बना से बढ़कर और कुछ नही होगा। अग्रेजी न जानने वाले भारत के जन-साधारण की अवहेलना नही की जा सकती, क्योंकि राज्यों की सरकारों को अपना कामकाज प्रादेशिक भाषाओं मे ही करना पडेगा।

यह उचित और एकदम स्वाभाविक ही है कि राज्यों की विधान सभाओं ने अपना कार्य प्रादेशिक भाषाओं में चलाने के पक्ष मे फैसला कर लिया है। अंग्रेजी को अपना स्थान यथाशीघ्र प्रादेशिक भाषाओं को देना होगा और जितनी ही इन भाषाओं की अभी तक अवहेलना हुई है उसी हद तक इन्हें शासन कार्य में समुचित स्थान हमें देना पड़ेगा। जब ये भाषाएं अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशासन के समस्त कार्य-भार को संभालनें लगेगी, और दूसरे सार्वजनिक कामों में जनता द्वारा इनका पूरा प्रयोग हो ही रहा है, तब यह प्रश्न उठेगा कि यह कहा तक उचित है कि केन्द्रीय सरकार की और अंत:राज्यीय सम्पर्क की भाषा अग्रेजी बनी रहे ; जब प्रादेशिक भाषाये अपने-अपने क्षेत्र में उचित स्थानों पर आरूढ़ हो जायेंगी और जब अपने अनुभव से ये और भी समृद्ध हो जायेंगी और इसके साथ ही राज्यों के कर्मचारी इन भाषाओं के ज्ञान और प्रयोग मे सकुशल हो जायेंगे, तब यह प्रश्न सामने आयेगा कि अंत:राज्यीय कामकाज के लिए इन लोगों को और कौन सी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। स्पष्ट है कि वह भाषा भारतीय भाषाओं में से ही कोई एक हो सकती है। इस कार्य के लिए हिन्दी को चुना गया है, क्योंकि हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में निकट का सम्बन्ध है, जिसका आधार है संस्कृत के व्यापक प्रभाव के कारण एक सामान्य ऐतिहासिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि। प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षित लोग हिन्दी आसानी से सीख सकते है और अंग्रेजी

जैसी विदेशी भाषा की अपेक्षा इसका ज्ञान अधिक सरलता से प्राप्त कर सकते है।

इस विचार का आधार व्यावहारिक है, किन्तु इस मामले में हम भावुकता को भी असंगत नही कह सकते। राष्ट्र का आत्मसम्मान, देशभक्ति की भावना तथा एकता की भावना, इन सब की यही मांग है कि भारतीय भाषा ही देश की सरकारी भाषा हो। अपने अनुभव से हम यह पहले ही महसूस कर चुके हैं कि बहुत से विदेशी लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि विदेशी मामलों में अभी तक हम अंग्रेजी का ही क्यों प्रयोग कर रहे हैं। छोटे-छोटे देश भी अपने औपचारिक कागजात अपनी भाषाओं में ही लिखने और हमे प्रस्तुत करने का आग्रह करते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अंग्रेजी जानते हुए भी बहुतेरे विदेशी प्रतिनिधि, कम से कम औपचारिक अवसरों पर, निजी भाषाओं का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे कागजात जो विदेशों को भेजने पड़ते हैं या जिनका विदेशी सरकारों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध होता है, हमें भी हिन्दी में तैयार करने होते हैं। समय के साथ यह भावना और भी दृढ होती जायेगी।

मेरा विश्वास है कि इन बातों पर विचार करने के बाद सभी विचारशील व्यक्ति राष्ट्रभाषा के प्रचार की आवश्यकता को स्वीकार करेंगे। आरम्भ में मैंने कहा कि भारत जैसे वृहत् देश के लिये एक सामान्य भाषा का होना राष्ट्रीय एकता के लिये आवश्यक है। मैं जानता हूं कि राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये सामान्य भाषा की व्यवस्था मात्र ही काफी नहीं। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके होने पर ही राष्ट्र एकता का भवन तैयार हो सकता है, किन्तु वह निर्विवाद है कि जहा कही एकता की भावना को सबल देने वाली दूसरी बातें उपलब्ध हैं वहा राष्ट्रभाषा का होना राष्ट्रीय एकता की गारंटी समझनी चाहिये। हमारे देश में कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। हमारी प्राचीन परम्परा और विचारधारा, हमारे लौकिक और पारलौकिक आदर्श, हमारे हजारों वर्ष पुराने संस्कार—इन सभी के ताने-बाने से वह परिधान बन सका है जिसे हम राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता कहते हैं। मैं मानता हूं कि एकता का यह चित्र सदा सम्पूर्ण नहीं रहा। राजनैतिक दृष्टि से अनेकों बार इस एकता पर आघात हुए और प्रायः यह विशाल देश कई टुकड़ों में बट गया। यह श्रेय आधुनिक युग को है—और इस पर हम सब गर्व कर सकते हैं—कि सास्कृतिक एकता के परिधान में हम राजनैतिक एकता के सूत्र भी जोड़ सके हैं। सौभाग्य से हमें ऐसे नेता मिले जिनके नैतिक बल और पथ-प्रदर्शन के परिणामस्वरूप हमने यह कठिन मंजिल

पार की। अब जबकि सास्कृतिक ऐक्य के कारण राजनतिक एकता का पौधा इस भूमि म लग चुका है, हम सब का यह कर्तव्य है कि इस पौधे को सीचने में हम कुछ भी उठा न रखें। मैं समझता हूं कि राष्ट्रभाषा प्रचार का कार्य उन इने-गिने कामों में से एक है जिनसे इस पौधे को बल मिल सकता है।

इसलिये यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कौनसी भारतीय भाषा इस कार्य के लिये उपयुक्त है। हमारे देश में बहुत सी भाषायें हैं, जो उन्नत हैं और जिनके साहित्य समृद्ध हैं। हमें इन में से एक को चुनना है। हमारी सविधान परिषद ने इस काम के लिये हिन्दी को चुना, क्योंकि किसी भी दूसरी भाषा की अपेक्षा यह अधिक व्यापक क्षेत्र में और अधिक लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाती है। संविधान परिषद ने इस लिए भी यह निर्णय किया क्योंकि अतीत में अंग्रेजी न जानने वाले देशवासियों के लिये हिन्दी एक सामान्य भाषा के समान रही है। यात्रा और व्यापारी लोगों को किमी न किसी बोलचाल की भाषा का आश्रय लेना पड़ता है और देश के विभिन्न भागों में जिस बोलचाल की भाषा का अधिकतम प्रयोग होता आया है वह एक प्रकार की हिन्दी ही है।

दक्षिण मे हिन्दी प्रचार का आन्दोलन 40 वर्ष हुए आरम्भ हुआ था और हम जानते हैं कि इस अवधि में इसके फलस्वरूप करीब 50 लाख आदमियों ने हिन्दी सीखी है, जबकि दक्षिण के राज्यों में अंग्रेजी पढ़े-लिखे की कुल संख्या 10 लाख से कुछ ही ऊपर है। यह हो सकता है कि अग्रेजी जानने वालों का ज्ञान-स्तर या इन में से अधिकाश का स्तर हिन्दी शिक्षितों की अपेक्षा कुछ ऊंचा हो। किन्तु इसका इससे बढ़कर और कुछ अर्थ नही कि हिन्दी के ज्ञान का स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता है। यह सफलता ऐसे समय प्राप्त की गई जबकि अंग्रेजी के अध्ययन को पूर्ण प्रोत्साहन मिलता था और नौकरी आदि की सभी सुविधाएं अंग्रेजी पढ़े लोगों के लिए थी, जब कि हिन्दी जानने वालों को कोई भी सुविधा प्राप्त न थी।

इस समय स्थिति यह है कि दक्षिण में 5,000 हाई-स्कूल हैं और इन में से प्राय: सभी मे हिन्दी पठन-पाठन की व्यवस्था है और 200 से ऊपर कालेजों में भी हिन्दी के शिक्षण का प्रबन्ध है। दूसरी विशेष बात यह है कि चाहे कही हिन्दी शिक्षा का अनिवार्य विषय हो अथवा ऐच्छिक, हिन्दी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आंध्र और केरल में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और मद्रास राज्य में ऐच्छिक रूप से, किन्तु फिर भी, मद्रास में 75 प्रतिशत के ऊपर विद्यार्थी हिन्दी पढ़ते हैं।

दक्षिण के लोगों के लिए यह श्रेय का विषय है और यह उनकी देशभक्ति और राष्ट्रीयता का प्रमाण है। हिन्दी के अध्ययन पर आपत्ति कुछ स्थानों में मद्रास राज्य में उठायी गयी है, किन्तु वहां भी यद्यपि राष्ट्र की सरकारी भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाये जाने का विरोध है, फिर भी इसके शिक्षण और प्रसार को दृढ़ समर्थन प्राप्त है। जहा तक दक्षिण के दूसरे राज्यों का सम्बध है, एसी विरोध की भावना उनमें से किसी में भी देखने म नही आयी है। यह हर्ष का विषय है कि तामिलनाड में हिन्दी अध्ययन के प्रति पहले जैसा ही उत्साह अब भी दिखाई देता है। दक्षिण भारत प्रचार सभा द्वारा संचालित परीक्षाओं के 1957 और 1958 के आकडों से भी यह प्रमाणित होता है कि मद्रास राज्य में हिन्दी परीक्षार्थियों की संख्या मे वृद्धि हुई है।

हिन्दी के विरुद्ध आलोचकों को सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यह भाषा इतनी समृद्ध नहीं कि इससे आजकल की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। यह एक ऐसी आपत्ति है जो कम या अधिक सभी भारतीय भाषाओं पर लागू हो सकती है। इसका कारण सरल है और आसानी से समझ में आ सकता है। इन भाषाओ को अभी तक इन जरूरतों को पूरा करने का अवसर नही मिला। जिन विषयों में और जिन क्षेत्रों में हिन्दी तथा दूसरी भाषायें कमजोर पड़ती है वे सभी ऐसे है जो अभी तक हिन्दी या दूसरी भाषाओं के माध्यम से हमारे स्कूलों या कालेजों में नहीं पढ़ाए गए। हमारे शिक्षकों और अध्यापकों ने कभी इन्हे नही पढ़ाया और न ही इनके सम्बन्ध में अपने विचार हिन्दी अथवा दूसरी भाषाओं में व्यक्त करने का उन्हें अवसर मिला। ज्ञानोपार्जन की दिशा में उन्होंने जो कुछ अभी तक किया है वह अंग्रेजी के माध्यम से ही किया और स्वभावतः हमारी भाषाओं का इतना विकास नही हुआ जितना होना चाहिये था। जब कभी भी हमारी भाषाओं को कुछ कर दिखाने का अवसर मिला, जैसे दर्शन-शास्त्र की व्याख्या आदि का, वे कसौटी पर पूरी उतरी। अच्छे और महान् लेखकों के हाथों मे हमारी भाषाओं ने पूर्ण सफलता प्राप्त की जो बहुतों की प्रशंसा प्राप्त कर सकी।

मुझे इसमे जरा भी सन्देह नही कि अवसर मिलने पर हमारी भाषाएं वांछित स्तर तक विकसित हो सकेंगी। क्या कोई यह कह सकता है कि संसार की किसी भी भाषा में विज्ञान-सम्बन्धी विषयों के लिये बनी-बनाई या सहल शब्दावली उपलब्ध थी? क्या यह सच नही है कि विज्ञान और टैकनोलाजी की उन्नति के साथ-साथ संसार की सभी भाषाओं में नये शब्द घढ़े गये है? तब, क्या कोई कारण है कि यदि एक बार हम अपनी भाषाओं को आधुनिक एवं

वैज्ञानिक विचारधारा को अभिव्यक्त करने का भार सौंपें तो भारत में भी ऐसा ही क्यों न हो ? हमारे विज्ञान वेत्ता आवश्यकतानुसार नये शब्द घढ़ सकेंगे और इस काम में उन्हें संस्कृत से विशेष सहायता मिलेगी । जरूरत केवल इस बात की है कि वे भारतीय भाषाओं में जिनमें हिन्दी भी शामिल है, एक बार लिखना आरम्भ करें । जैसा कि मैंने कहा उपयुक्त वैज्ञानिक शब्दावली का सभी भारतीय भाषाओं में अभाव है । मेरा यह विश्वास है कि संस्कृत की सहायता से हम सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य वैज्ञानिक शब्दावली तैयार कर सकते है । भारत सरकार द्वारा इस दिशा में पारिभाषिक शब्दकोष तैयार करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह असाधारण रूप में सफल रहा है । सम्भव है कुछ नये शब्द एकदम नवीन या विचित्र भी दिखाई दें किन्तु यह प्रयास उचित और प्रशंसनीय है । मुझे आशा है ये शब्द ज्यों-ज्यो व्यवहार में आयेंगे भाषा में सुधार होता जायेगा और इस प्रकार वह समृद्ध भी होती जायेगी । सभी देशों में सभी भाषाओं को इस प्रकार की स्थिति से होकर गुजरना पडा है । कोई कारण नही कि हमारा भी यही अनुभव क्यों न हो । जहां एक बार यह प्रक्रिया आरम्भ हुई हम भाषा-सम्बन्धी सबसे बड़ी कठिनाई पर पार पा लेंगे और हमारे मार्ग में कोई रुकावट न रहेगी । सरकारी कामकाज की और प्रशासन सम्बन्धी शब्दावली तैयार करना इतन कठिन नही और निःसन्देह इन क्षेत्रों मे भारतीय भाषायें विज्ञान और टैक्नोलाजी की अपेक्षा पहिले ही सफलता प्राप्त कर लेंगी ।

मेरा कहने का यह अभिप्राय नही कि अंग्रेजी जैसी उपयोगी भाषा का पठन-पाठन हमारे स्कूलों में बंद कर दिया जाय । अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र भिन्न हे । इसलिये जब हमारी भाषायें राज्यो में उचित स्थान ग्रहण कर लेंगी इनमें और अंग्रेजी में किसी प्रकार के संघर्ष की गजाइश नही रहेगी । हम अपने लोगों को अंग्रेजी पढ़ने से रोकना नही चाहते है, यही नही बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी अंग्रेजी को उसी तत्परता से पढ़ें जैसे अन्य देशो में किसी भी महत्वपूर्ण विदेशी भाषा का अध्ययन किया जाता है

यदि मै यह कहूं कि जो हिन्दी-विरोधी भावना हम आज देख रहे है उसका कारण बहुत हद तक हमारा अपना अनुचित उत्साह है, मुझे आशा है हिन्दी के प्रसार और इसकी उन्नति में दिलचस्पी रखने वाले भाई मुझे गलत नही समझेंगे । राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी स्वीकार करने के लिये प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी हिन्दी भाषा-भाषियों पर नहीं आती है । यह कार्य अहिन्दी भाषी

लोगों की सद्भावना और समर्थन से किया जाना चाहिए । अहिन्दी भाषी भाइयों को हमें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हिन्दी को अपनाने से उनके किसी भी हित को हानि नहीं पहुंचेगी और भारत के सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी का प्रयोग हमारी राष्ट्र-भक्ति की भावना और राष्ट्रीयता की मांग है । मेरा अपना यह विश्वास है कि अहिन्दी क्षेत्रों में इस धारणा को जड़ पकड़ने में बहुत समय नहीं लगेगा । इस बीच में हिन्दी के सभी प्रेमियों का यह कर्तव्य है कि भाषा को उन्नत करने के महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्य में वे हाथ बंटाएं, इसकी शब्दावली और इसके साहित्य को हिन्दी न जानने वालों के लिए आकर्षक बनायें।

हिन्दी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये हिन्दी भाषियों को संकुचित दृष्टि नही रखनी चाहिये अपितु उदार दृष्टि से काम लेना चाहिये और अहिन्दी भाषियों की हिन्दी-शैली यदि थोड़ी-बहुत भिन्न हो तो इसके कारण उनके प्रति चिढ़ने के बजाय, हिन्दी भाषा के शब्द भंडार को बढाने में और नये शब्द, नये मुहावरे, नयी शैली और कुछ हद तक भाषा के व्याकरण परिवर्तन में भी उनका सहयोग मानना तथा लेना चाहिये । परिणामत. यह संभव है कि इसके कारण किंचित् विभिन्नता लिये हुए विभिन्न शैलियों का उदय हो जाय और वास्तव मे देखा जाय तो आज भी किसी हद तक उनका अस्तित्व है ही, लेकिन हमें इस भिन्नता को सहन ही नहीं, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिये । यदि हम केवल इंग्लैड और अमेरिका के उदाहरण को ही लें तो जो कुछ मैंने कहा है उसकी पर्याप्त पुष्टि हो सकती है । यद्यपि अंग्रेजी दोनों देशों की भाषा है किन्तु दोनों देशों में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसके रूप में बहुत सी बातों में काफी अन्तर है । पर इस कारण से दोनों देशों की भाषा अलग नही समझी जाती और न ही अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरा नाम ही उसे दिया गया है । यदि किसी लेखक या प्रदेश में भाषा शब्दावली और मुहावरों में कोई भिन्नता या विशेष शैली झलकती है तो उसे हमको भाषा का दास न समझकर उसे भाषा की उन्नति की निशानी समझना चाहिये । हम केवल हिन्दी भाषा को ही लेकर सोचें तो हम देख सकते हैं कि **प्रेम सागर** और प्रेम चन्द की भाषा और शैली में कितना अन्तर है और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की शैली और वर्तमान हिन्दी कवियों तथा लेखकों की भाषा शैली में भी अन्तर है । इसलिये, यदि एक महाराष्ट्री या बंगाली कुछ विभिन्न शैली में लिखता है तो हमें आश्चर्य नही होना चाहिये, क्योंकि उस पर उसकी अपनी भाषा की शैली, शब्दावली और मुहावरे इत्यादि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । जिस सीमित उद्देश्य के लिये हिन्दी का प्रचार

वांछनीय है उसकी पूर्ति के लिये इसी रूप से अहिन्दी भाषयों में हिन्दी प्रचलित और स्वीकृत हो सकती है ।

हमें यह याद रखना चाहिये कि अपने-अपने क्षेत्रमें ही सब भारतीय भाषाओं को उन्नत और विकसित होना है और उनके विकास में सहायता देने के लिये हम वचनबद्ध है और यह हमारा कर्त्तव्य भी है । इस प्रकार इन सब भाषाओं के विकास के लिये विस्तृत क्षेत्र है और जब यह विकसित हो जाएंगी, हिन्दी को उनसे समुचित और यथोचित लाभ उठाने के लिये तैयार रहना चाहिये । मेरा विश्वास है कि केवल भौतिक समृद्धि में ही नही बल्कि भारत की भाषाओं के संबंध में भी यह बात सत्य है कि एक की उन्नति और विकास का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नही रह सकता ।

यदि हम इस शताब्दी के आरम्भ काल की ओर दृष्टिपात करें तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि वंगीय साहित्य का हिन्दी साहित्य के विकास पर कितना असर पडा था । हिन्दी बहुतेरे अहिन्दी-भाषी व्यक्तियो की जिन्होने हिन्दी साहित्य की समृद्धि में बड़ा मूल्यवान योगदान दिया है, ऋणी है और कोई कारण नही कि भविष्य में भी ऐसे लोग क्यों न हों । हिन्दी को केवल हिन्दी-भाषियों की बपौती ही नही माना जा सकता । यह एक सामान्य अनुभव है कि एक व्यक्ति जब मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा को सीखने का यत्न करता है तो वह उसका बेहतर और अधिक सावधानी से अध्ययन करता है और वह उस भाषा में उस भाषा के बोलने वाले लोगों से भी अधिक प्रवीण हो जाता है । आज भी दक्षिणभारत में ऐसे लोग है जो मेरे जैसे आदमी से अधिक सुन्दर, परिमार्जित और मुहावरेदार हिन्दी बोल और लिख सकते है । मेरी यह धारणा है कि जिस गति से हिन्दी का प्रचार हो रहा है और जिस लगन व उत्साह से कतिपय अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में उसका अध्ययन किया जा रहा है, उससे केवल हिन्दी भाषी चकित ही नही होंगे बल्कि बहुत स्थानों में अहिन्दी भाषी उनकी जगह भी ले लेंगे । अंग्रेज और अन्य विदेशी लोग भारतीयों के अंग्रेजी भाषा में बोलने और लिखने की सुन्दर शैली और प्रवाह से चकित हों जाते है । यह अनुभव हिन्दी के सम्बन्ध में भी होना आवश्यम्भावी है । जब कभी यह दिन आएगा, वह एक उल्लास का दिन होगा और तब तक हिन्दी के प्रति कोई विरोध का भाव नही रह जाएगा, बल्कि सभी प्रांतों में खुशी के साथ लोग सार्वदेशिक कार्यो के लिए हिन्दी का उपयोग करने लग जायेंगे । हिन्दी भाषियों का यह कर्तव्य है कि वे लगन-पूर्वक हिन्दी की ऐसी सेवा करें कि वह सभी अहिन्दी भाषियों के द्वारा मान्य

हो जाय श्रौर सभी प्रकर के श्राधुनिक भावों को व्यक्त करने के लिये वह योग्य माध्यम बन जाये श्रौर उसका साहित्य इतना समृद्ध हो जाये कि वह दूसरों को श्राकर्षित कर सके । दूसरे लोगों के देश-प्रेम पर हमें भरोसा रखन चाहिये श्रौर उन पर यह छोड़ दना चाहिये कि किस गति से श्रौर किस तरीके से संविधान को कार्यान्वित किया जाय ।

# विधान-सभा के सदस्यों के लिए घर

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, स्पीकर साहिब, विधान-सभा के सदस्यगण, बहनों तथा भाइयो,

जिस समय इस नये सूबे की रचना हुई उस समय श्री शुक्ल जी मौजूद थे और कई बार उनसे मेरी बाते हुयी । जैसा आपने कहा वह इस चीज को महसूस कर रहे थे और एक तरह से यह लाजिमी बात थी कि यहां पर जो लोग दफतर मे काम करेगे उनके लिये न तो रहने के लिए कोई ठीक स्थान है और न दफतर के लिए काफी जगह है । इसके अलावा इस विधान सभा या विधान सभा के सदस्य हैं उनके लिए योग्य स्थान नही था और इस बात की चिन्ता उनको रहती थी कि जब तक ये सब सुविधाएं उनको न हो जायें तब तक उनके लिए ठीक तरह से काम सुचारु रूप से चलाना मुश्किल है । बहुत सी बातो की कमी थी जिसमे एक इस बात की भी कमी थी कि एक जगह पर दफतर के लिए काफी स्थान नही था । पहले के बने मकान थे और कुछ दफतर उनमें रखे जाते पर जगह की कमी भी एक कारण था जिसकी वजह से इस तरह के फैसले में कुछ अधिक सुविधा हो गयी ।

तो उस वक्त उन्होंने मुझ से कहा था कि दो हजार मकानो में हाथ लगा दिया गया है और वे जल्द से जल्द तैयार हो जायेगे । उस समय विधान सभा के सदस्यों के रहने के लिए मकान बनाने का निश्चय नही हुआ था मगर दफतर के लोगों के लिए मकान बनाने का कई बार जिक्र उन्होंने मुझसे किया । मुझे इस बात की खुशी है कि जो उनकी इच्छा थी वह पूरी हुई और उससे भी ज्यादा जो जरूरत थी उस जरूरन को आपने किसी न किसी तरह से बहुत जल्द पूरा किया और और उसके साथ अब सदस्यों के लिए भी आपने मकान तैयार कर लिए । इसमें कोई शक नहीं कि जब लोग आराम से रहेंगे तो ठीक से काम कर सकेंगे ।

अभी मै ने मकानों को देखा । दूर से बाहर से देखने में तो अच्छे लगे । मै देखता हूं कि बहुत सी इमारतें बन रहीं है जो बहुत अजीब तरह की होती हैं । इस तरह से बहुत सी इमारतें बहुत जगहों में बन रही है जिन पर करोड़ों

---

विधान-सभा के सदस्यों के लिये बने भवनों का उद्घाटन करने समय भाषण; भोपाल, 20 जुलाई, 1958

रुपये खर्च हो रहे हैं जिनके अन्दर तो बहुत आराम होता है पर बाहर से देखने-वालों को बहुत आराम नहीं होता । मगर इन मकानों मे अब आपने इसका ख्याल रखा है कि अन्दर जो लोग रहे उनको भी आराम मिले और बाहर से देखकर जो लोग आराम लेना चाहते हैं उनको भी आराम मिले । तो यह एक बड़ी चीज होगी, एक नयी चीज होगी । मै जाऊंगा और देखूगा और जो हमारा अपना विचार होगा उसे आपसे कहने या सुनाने के लिए तो नहीं आऊगा मगर आपके मुख्यमन्त्री जी से, गवर्नर साहब से तो कह ही दूगा । मगर इसका मुझे विश्वास है और इसमे कोई शक नहीं कि जो लोग इन मकानो मे रहेंगे वे आराम से रहेगे और जो लोग बाहर से देखकर सतोष करते है उनको भी आराम रहेगा ।

आजकल मकान पर खर्च बहुत हो रहा है जो एक तरह से जरूरी भी है । हम किसी तरह से उससे बच नही सकते है । मगर यह जरूरी है कि जहां तक हो सके चारो तरफ जो खर्च का भार बढता जा रहा है उतना कम करना चाहिए । मुझे विश्वास है कि खास करके आपके इस सूबे में जो काम हो रहा है वह ठीक तरह से चलता जाएगा । आपके विधान-सभा के सदस्यगण यहा नही रहते थे या उनको रहने में पूरा आराम नही था इसलिए वह पूरी तरह से काम मे दिलचस्पी नही ले रहे थे । अब उनको पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए । मै उम्मीद करता हू कि वे आपके प्रान्त के हित को सामने रखकर और हर चीज को अपनी आखो के सामने रखकर काम करेंगे । और मै यह जानता हू कि मै जो आशा करता हूं वह आशा मेरी पूरी होगी ।

# कृषक समाज की मध्य प्रदेश शाखा की कार्यकारिणी कमिटी की प्रथम बैठक का उद्घाटन

राज्यपाल जी, मुख्य मन्त्रीजी, श्री तख्तमलजी, भाइयो और बहनो,

आपने कृषक समाज का सगठन करके अच्छा काम किया है और चूकि मेरी दिलचसपी इस फारम में आरम्भ से ही रही है और डाक्टर पंजाबराव देशमुख की कृपा से उसकी प्रगति की रिपोर्ट हमको हमेशा मिलती गयी है उससे मै जानता हूं कि तेजी के साथ काम सारे देश मे बढा है । यह शुभ लक्षण है क्योंकि बहुत सी संस्थाए जो संगटित हुयी है उनमे से अधिकाश का लक्षण किसी न किसी रूप मे आन्दोलन रहा करता है। आन्दोलन और रचनात्मक काम मे हमेशा ऐक्य होना जरा मुश्किल है और इसलिए जो भी सस्था अधिक आन्दोलन पर जोर देती है वह रचनात्मक तरीके से काम मे कुछ ढीली पड़ जाती है । पर जहा तक मै जानता हूं आपके इस समाज का मुख्य उद्देश्य आन्दोलन नही बल्कि किसानो को अधिक पैदावार करने मे सहायता करना और उस के लिए तैयार करना है । इसलिए मेरी दिलचसपी शुरू से ही खास करके इसमें रही है और मै दो एक चीज आपके विचार के लिए आपके सामने रख देना चाहता हूं ।

अभी यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुयी कि आपके सूबे के अन्दर अभी जमीन काफी खाली पडी है और बहुत जंगल भी है जिनमे से कुछ को आप आबाद कर सकत है । यह खुशी की बात है । यह कैफियत सभी प्रान्तो की नहीं है । जिस प्रान्त से मै आता हू वहां आधे हिस्से मे अगर आप जाएं तो शायद दस-पांच इंच भी जमीने गैर-आवाद नही मिलेगी । दूसरे हिस्से में जाएं तो वहा अलबत्ता कुछ जमीन मिल सकती है । आप इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस सूबे मे एक हिस्से में धान की खेती अच्छी होती है और दूसरे हिस्से मे गेहूं की खेती और उसके अलावा गन्ने और कपास की खेती होती है । और चने का तो मुझे खास अनुभव है क्योंकि जब कभी मै इटारसी स्टेशन से गुजरता हूं तो वहा चना जरूर खरीदता हूं । तो चना भी बहुत अच्छा और सुन्दर होता है और दूसरे अन्न भी अच्छे और पुष्ट हुआ करते है । आप जितना अभी भी पैदा करते है उसमें से अपने खर्च सें बचाकर दूसरे सूबों को चावल भी दे सकते है और गेहूं भी शायद कुछ दे सकते हैं और कपास तो खास करके अधिकतर दूसरे सूबो

---

कृषक समाज की मध्य प्रदेश शाखा की कार्यकारिणी कमिटी की प्रथम बैठक का उद्घाटन करते समय भाषण; भोपाल, 20 जुलाई, 1958

के लिए ही आप पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति सब सूबों की नहीं है और बहुत सूबे ऐसे हैं कि अगर वे चाहें भी तो मुश्किल से अपनी जरूरत के लिए काफी अन्न पैदा कर सकते है।

तो आज भारतवर्ष के सामने एक अन्न का ऐसा बड़ा मसला है जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यहां मै देख रहा हू कि किसान देश के प्राण है। वेद में लिखा हुआ है कि प्राण अन्न में बसता है और अन्न किसानो के हाथ मे है। तो इसलिए इसे एक प्रकार से वेद वाक्य ही समझना चाहिए कि किसान देश के प्राण है क्योंकि अन्न उसके हाथ मे है और अन्न पर प्राण निर्भर है। आज इस देश के सामने जो प्रश्न है वह ऐसा एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर हमारा सारा भविष्य निर्भर करता है। अभी हम सैकड़ों करोड खर्च करके विदेशो मे अन्न मंगाते है यह बहुत दिनो तक नही चल सकता। अभी तक हम चलाते आये हैं मगर एक कृषि-प्रधान देश में हम काफी अन्न नही पैदा करे और उसके लिये पैसे ही नही देना पडे बल्कि दूसरे देशो का मुह भी देखना पड़े तो यह हमारे लिये लज्जा की बात है। जहां-जहां जमीन हो और जहां-जहां किसान अन्न अधिक से अधिक पैदा कर सकते हों उनको अधिक से अधिक पैदा करना चाहिए।

इसमें एक बड़ी कठिनाई हमारे सामने आती है। हमे नये तरीके अनुसंधान करके निकालने है, नये किस्म का खाद, नये औजार, नया आबपाशी का इन्तजाम ये सब हम बहुत सोचते है। मगर जहां एक-एक किसान के पास थोड़ी सी जमीन है वहा उन सब चीजों को पहुंचाना भी एक मुश्किल काम हो जाता है क्योकि उसके पास उतनी सम्पत्ति नही कि वह इन सब चीजों को खरीद सके। दूसरी चीज यह भी होती है कि इन सब अनुसंधानों के जो नतीजे निकलते है उन नतीजो को उन तक किस तरह से पहुंचाया जाय। यह मै नही मानता कि हमारे देश के किसान रूढ़ीवादी है, जो पुरानी बातें चली आती है उनको वे छोड़ना नही चाहते। मेरा अपना अनुभव यह है कि किसान रूढीवादी नहीं है, होशियार जरूर है। जिस चीज से उनको यह पता लग गया कि उनको नफा होगा, अपने काम मे फायदा होगा उस चीज को वे तुरन्त अख्तियार कर लेते है और जिस चीज के बारे में उनको शक है या अनुभव नही है कि उससे उनको फायदा होगा तो आप लाख लेक्चर देते रहें पर वे ध्यान नही देते। मै ने देखा है जब पहले-पहल चीनी के कारखाने खुले तो जो अपने यहा पुराने किस्म का गन्ना होता था वह कारखाने के लिये ठीक नही निकला। कारण यह था कि पहले का गन्ना पेड़ने के लिये बैल जोते जाते थे। उस गन्ने का छिलका पतला होता था जिसमें बैल आसानी से उसे पेड़े। इसलिए इस किस्म का गन्ना पैदा किया जाता था

जिसमें आसानी से रस निकाला जा सके। जब भाप से चलनेवाले लोहे के कारखाने बन गए जिनके लिये गन्ना चाहे कितना भी कड़ा क्यों न हो रस निकालने में दिक्कत नही थी तो पुराने किस्म का गन्ना एक तरह से बेकार हो गया और नये किस्म का गन्ना निकला जिसको दबाने में तो दिक्कत होती थी पर जिनसे रस ज्यादा निकलता था या जिसके रस से चीनी ज्यादा निकलती थी। नये किस्म का गन्ना जब आया तो मैं ने अपनी आंखों से देखा कि देहातवालों ने उसको पसन्द नही किया क्योकि उस वक्त तक उनका गन्ना बडे-बडे कारखानों में नही पहुंचता था, उनको अपने घरों में ही कोल्हू पर पेड़ करके रस निकालना पड़ता था और बैल को जोतना पड़ता था । पर एक मरतबे उन्होंने कारखाने में गन्ना देना शुरू किया और उनको मालूम हो गया कि इससे ज्यादा दाम मिलता है तो तुरन्त उन्होने नये किस्म का गन्ना बोना शुरू कर दिया और मै जानता हूं कि दो तीन साल के अन्दर स्थिति ऐसी हो गयी कि पुराने किस्म का गन्ना खोजने पर भी नही मिलता था। मैंने देखा हर दूसरे-तीसरे साल नये किस्म का गन्ना जिससे ज्यादा रस निकलता है दाखिल किया जाता है, जिस गन्ने से कारखाने मे ज्यादा पैसे मिलते है अपनाया जाता है । वही अनुभव मै ने सुना है पजाब मे या और प्रान्तो मे गेहूं के सम्बन्ध मे हुआ है। इससे मै समझता हूं कि यदि हमारे किसान को बता दिया जाये कि फलां तरीके से उनको लाभ पहुंचता है तो उसे आसानी से वे मजूर कर लेगे। मगर उनको दिखला देना चाहिए, कहने से वे माननेवाले नही है, करके दिखला देना चाहिए।

तो मै चाहूंगा कि आपकी इस संस्था का यह मुख्य काम होना चाहिए नये किस्म के बीज, नया खाद, पानी पटाने की सुविधाए या और भी जो कुछ खेती के तरीके मे नये किस्म के औजार उनको बताये और आप अपनी तरफ से उन सब चीजों को लोगों के पास पहुंचाये क्योंकि जो उनको अपनी संस्था कहेगी उस पर उनका अधिक विश्वास होगा और उनका ध्यान जाएगा ।

एक दूसरी चीज मै आपके ख्याल के लिये देना चाहता हू। जगल अभी बहुत है मगर बहुत जोरों से, तेजी से कटता भी जा रहा है जिसका नतीजा कई जगहो में यह देखा गया है कि यह हो रहा है कि या तो बरसात कम हो रही है, मौसम मे बहुत फर्क पड़ रहा है या इस तरह की और कई बातें हो रही हैं और होनेवाली है । तो अगर जंगल को काटकर खेती के लिये जमीन बनानी है तो ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि जिसमें वही जंगल कटे जिसके कटने से नुकसान नहीं पहुंचे या कम से कम नुकसान पहुंचे । खास करके पहाड़ों पर जो जंगल है उनके काटने

से कुछ जमीन भी काम में नहीं आती क्योंकि वह खेती के लायक जमीन है ही नहीं लेकिन जंगल के काटने से नुकसान ही नुकसान हो तो इस किस्म का जंगल नहीं काटना चाहिए। मगर जहां अच्छी जमीन पर जंगल हो और उनको काटना भी जरूरी हो तो आप इस तरह की चकबन्दी बनालें कि जहा विशेषज्ञ लोग कहे कि जंगल रखना जरूरी है वहां रखें और जहां कहा कि बिना नुक्सान के काट सकते है वहां का जंगल काट दे। इस तरह की खेती के सम्बन्ध में पहले से योजना बना लेंगे तो मै समझता हूं कि उससे ठीक काम चलेगा।

दूसरी चीज मै यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश मे आज तक खेती का काम हमेशा बैलों के द्वारा चलता आया है और अभी न मालूम और कितने दिनों तक बैलों से काम लेना होगा। बड़े-बड़े कल-पुर्जे, ट्रेक्टर वगैरह आयेंगे मगर उनका इस्तेमाल बहुत लोग नही कर सकेगे क्योंकि उनके पास न तो उतने पैसे है और न ही उतनी जमीन है जिसमे उनसे ज्यादा काम लिया जा सके। तो हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम बैलो की नस्ल ठीक रखें क्योंकि हमारी सारी खेती उसी पर निर्भर करती है।

इसके अलावा इस देश मे दूध भी बहुत कम हो गया है। हम किताबो मे पढ़ते है कि कोई जमाना था जब यहां दूध की नदियां बहा करती थी। अब नदियां कौन कहे, बच्चों को सीप से पिलाने के लिए भी दूध नही मिलता है। इस देश में जहां अधिकतर लोग मांसाहारी होने पर भी मास नही पाते और नहीं खाते वहां दूध जैसा पौष्टिक पदार्थ या दूध से बनी चीजें भोजन के लिए आवश्यक है। तो दूध और खेती दोनों साथ-साथ हमे चलाना है और जब हम गोवंश को दुरुस्त करेंगे, उनकी रक्षा करेगे तो हमको दूध भी मिलेगा और खेती के लिए बैल भी मिलेंगे। तो इस ओर आप जरूर ध्यान रखे और जितने किसान है सब अपने-अपने घरों में गाय रखें क्योंकि वह ऐसी है जो दूध भी देती है और अच्छे बछड़े भी देती है।

इधर अंग्रेजी फौज मे उनको दूध की जरूरत हुआ करती थी और मास की भी जरूरत हुआ करती थी। इसलिए पिछले पचास-सौ वर्षों मे अंग्रेजी फौज के लिये नस्ल की तरक्की इसलिए की गयी कि उनको ज्यादा से ज्यादा दूध मिले और चाहे बछड़े कैसे भी हों उसकी परवाह नही क्योकि उसको काट देना है क्योंकि उनको मांस की जरूरत होती थी। तो जितनी तरक्की उनकी नस्ल में की गयी यह ध्यान में रख कर कि दूध ज्यादा मिले, बछड़े का ख्याल नहीं किया गया, मगर हमको दूध और बछड़ा दोनों चाहिएं। इसलिए आप खेती के साथ-साथ

गाय की नस्ल की तरफ ध्यान दें तो ऐसी नस्ल ग्राप रखें जिसमे दूध ग्रौर बछड़ा दोनों ग्रापको ग्रच्छा मिल सके । ग्रौर इस तरह की नस्ल हमारे मुल्क के ग्रन्दर है, यह कोई नयी बात नही है । हमारे मुल्क के लोगों ने गोधन को बहुत बढ़ाया था ग्रौर उसके विज्ञान को ग्रच्छी तरह से समझा था। मुगलिया जमाने में भी बैलों को सब काम के लिये तैयार किया जाता था । गाड़ी के लिये एक किस्म के बैल हुग्रा करते थे ग्रौर हल चलाने के लिये दूसरे किस्म के बैल हुग्रा करते थे । मै ने देखा है कि महाराष्ट्र मे छोटी-छोटी गाड़ियो को खीचने केलिये तीसरे किस्म के बैल होते है । वे बहुत तेज चल सकते है पर ज्यादा बोझ नही खीच सकते । देहातों में जो जोतने के लिये बैल हों उनमें दोनों शक्ति होनी चाहिए । जिस तरह से गाय को हम चाहेगे कि वह दूध भी दे ग्रौर बछड़े भी दे उसी तरह से बैल के सम्बन्ध मे हम चाहेगे कि वे तेज भी चले ग्रौर बोझ भी खीचें, हल भी चलाये ग्रौर गाड़ी भी खीचे । तो इन सब चीजों को ध्यान मे रखकर नस्ल तैयार करनी चाहिए । जब हम एक तरफ किसानों को ग्रधिक ग्रन्न पैदा करने के योग्य बना देंगे ग्रौर दूसरी ग्रोर सारे देश के लोग गोपालन की पद्धति ग्रच्छी तरह से सीखेंगे ग्रौर गोपालन ग्रच्छी तरह से कर सकेंगे तो हमारी खाद्य समस्या ग्रासानी से हल हो जाएगी ग्रौर जब तक यह नही होता तब तक यह समस्या ज्यो की त्यों बनी रहेगी ।

सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ग्राप लोगों से कहे या कहलवाये कि गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना बनेगी उसको सौ-दो-सौ ग्रादमी के द्वारा नही करना है, उसको कराना है करोड़ करोड ग्रादमी से जो गांव में में बसते हैं । जिनके पास धन कम है, जमीन थोड़ी है, इस तरह से उनके हृदय में भावना पैदा करके कि उनको ग्रधिक से ग्रधिक ग्रन्न पैदा करना चाहिए । यह चीज जरूरी है ग्रौर यह तभी हो सकता है जब ग्राप समझायें कि यह उनका सब से बडा कर्तव्य है । ग्रगर ग्राप कह दें कि सिफ ग्रपने खाने के लिये ग्रन्न पैदा करे तो उसे सब ग्रासानी से कर सकते है मगर जो ऐसे प्रान्त है जहां ग्रन्न काफी पैदा नही होता या हर प्रान्त मे ऐसे लोग होते है जो खेत मे ग्रन्न पैदा नही करते वे क्या खायेगे ? उनको खिलाने का काम गांववालों का ही है जो ग्रन्न पैदा करते है । इस वक्त शहरों की ग्राबादी को जो करोड़ तक है जिनमे से कोई भी ग्रन्न पैदा नही करता । जो शहर मे बसते हैं उनके पास जमीन नही होती जिसमें वे ग्रन्न पैदा कर सके । उनके पास तो बसने भर की जमीन होती है । ग्रौर वे सब खानेवाले ही है, खिलानेवाले नही । वे दूसरी चीजें पैदा करनेवाले है । जिस तरह से दूसरी चीजें पैदा करके वे शहरों से देहातों

मे भेजते है उसी तरह से देहात वालों का यह काम है कि अन्न पैदा करके शहरों में भेजें, सिर्फ इसलिए नहीं पैदा करें कि उससे दस-पांच रुपये कमा लें बल्कि इस भावना से कि देश को अन्न की जरूरत है वे ज्यादा अन्न पैदा करें। आपकी संस्था इस तरह की भावना पैदा कर दे कि किसानो का यह काम है कि अधिक से अधिक अन्न पैदा करें और इस प्रकार का काम करके हरेक किसान से ज्यादा अन्न पैदा करा सकें तो मै समझूगा कि आपकी संस्था यह सब से बड़ा काम करेगी और मै चाहूंगा कि आपकी संस्था लोगों के हृदय में यह भावना पैदा करे कि उनको अधिक से अधिक अन्न सिर्फ अपनी जरूरत के लिये सारे देश के लिये पैदा करना है जिससे उनको भी लाभ हो और सारे देश को भी लाभ हो। अगर यह काम आप कर सकेंगे और करा सकेंगे तो मै आपको हृदय से बधाई दूगा और तभी समझूगा कि आपका जो उद्देश्य है वह पूरा हुआ।

# राष्ट्रपति भवन में इंडियन पुलिस सर्विस प्रोबेशनर्स को उपदेश

बात यह है कि आप जानते हो कि पुलिस पर बहुत बातें मुनहस्सर है, उन पर निर्भर करती है। पुलिस चाहे उनको बना दे चाहे बिगाड़ दे। और खास करके जो अफसर होते है उन पर इस बात की जवाबदेही रहती है कि नीचे के लोगों को किस तरह से सम्भाल कर रखें, किस तरह से उनके मोराल को ऊंचा रखें, उनमें काम करने की जो शक्ति है, ताकत है उसको भी ठीक रखे जिससे वे ठीक तरह से से काम कर सकें। यह काम तो अफसर के देखने का है। सब लोगों पर निगरानी रखना जिसमे उनसे गलती न होने पावे, कहीं कोई ज्यादती न होने पावे यह सब तो है ही। उनके मोराल को ठीक रखना अफसरों का काम है है और यह एक जरूरी काम है।

बात यह है कि पुलिस का जो काम है वह बहुत लोगो को होता है। जितने बद लोग है आप जो कुछ करेंगे वे नही सुनेंगे। मगर इसमे अच्छी बात यह है कि बद लोगों की तायदाद किसी भी सोसायटी मे थोड़ी होती है। ज्यादा लोग अच्छे होते है। जो लोग अच्छे है वे तो आप जो काम करेंगे अगर वह काम ठीक रहा तो खुश रहेंगे पर बद लोग उसको पसन्द नही करेंगे। तो इस समय आपका काम इस तरीके से होना चाहिये कि चाहे बद लोग हो चाहे अच्छे लोग हों किसी को यह कहने का मौका न हो कि आपने काम ठीक तरह से नहीं किया। अगर कोई खराब आदमी है चाहे काम उसको नापसन्द भी हो मगर ठीक तरह से कार्रवाई की जाती है तो उसको भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलता है भले ही अपने दिल मे वह समझें कि उसे अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला और इस बात की रंजिश उसको हो सकती है। पर अगर आप अपनी ओर से काम ठीक तरह से करेंगे तो उसको कुछ कहने का मौका नही मिलेगा। तो सब से जरूरी चीज यह है कि आपके काम का तरीका ऐसा होना चाहिये कि अच्छे लोग तो खुश रहेंगे ही, जो बद लोग है उनको भी कम से कम शिकायत करने की हिम्मत नही पड़ेगी पर मै यह नहीं कहता कि आप उनको दबाकर रखे बल्कि अपनी कार्रवाई के तरीके से उनको खुश करके रखें जिसमें उनको भी कहने का मौका नही रहे कि पुलिस जालिम है। जो लोग अच्छे है उनको खुश रखना आसान है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वे खुश रहेंगे क्योंकि वे चाहते

---

राष्ट्रपति भवन मे इंडियन पुलिस सर्विस प्रोबेशनर्स को उपदेश; 25 जुलाई, 1958

है कि ठीक तरह से काम होता रहे । पर जो बद लोग हैं उनको खुश करना मुश्किल काम है। इसके साइकोलौजिकल रिजन्स भी होते हैं । वे लोग अच्छाई देखते ही नहीं, सब जगह बुरा ही देखते है । कोई आदमी कितना भी अच्छा हो और कितनी भी नेकनीयती से काम करे पर वे उसमें बुराई निकालेंगे । ऐसे लोगों का मुंह बन्द करने के लिये आपको अपना काम सचाई से, सफाई से और होशियारी से और होशियारी से भी ज्यादा सचाई से करना होगा। अगर आपका काम सचाई से हुआ तो मुंह बन्द रहता है, कोई शिकायत की जगह नहीं रह जाती है।

यह तो आप सब जानते ही है कि सब आदमी पुलिस की मदद चाहते हैं और मदद मिलती भी है । मगर लोग शिकायत भी करते है। अच्छे लोग भी शिकायत करते है । आपको शुरू से ही जान लेना चाहिये कि अगर एक आदमी भी खराबी करता है तो उसका बुरा असर सारी सर्विस पर पड़ता है अगर आप अपने को दुरुस्त रखते हैं और ऐसा वातावरण, एटमोसफियर क्रियेट कर देते है कि अगर एक आदमी भी बुराई की तरफ जाता है तो पब्लिक औपिनियन इतना स्ट्रौन्ग रहे कि वह उधर जाने नही पावे । तो आपको अपने को दुरुस्त करना है, अपनी अच्छाई को दुरुस्त रखना है, अपने लोगों में जो कमजोरी हो उसको दुरुस्त करना है और इसकी जरूरत खास करके इसलिए है कि पहले से पुलिस कुछ बदनाम है । इसको दूर करना है ।

अब इस वक्त मुल्क मे बहुत तरह के काम हो रहे है और गर्वर्नमेंट का काम इतना बढ़ता जा रहा है, इतना फैलता जा रहा है, कि उसमे बहुत ऐसी जगहे भी पैदा होती जा रही है जहां लोगों के गलती करने का, बेईमानी करने का, गडबड़ करने का मौका भी बढ़ता जा रहा है । इस वक्त अकसर यह चर्चा रहती है कि करपशन बढ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है । यह बात नहीं है कि करपशन जो है वह किसी एक महकमे मै है, खास किसी एक आदमी में है या खास किसी एक गिरोह के लोगों में है। करपशन जो कुछ है वह एक जगह में नही है, वह फैला हुआ है । हम यह नहीं कह सकते कि खास कोई आदमी करप्ट है या खास कोई गिरोह करप्ट है । पर किसी जगह पर एकाध आदमी भी ऐसा निकल जाता है तो शिकायत की बात हो जाती है । तो करपशन रोकने का काम आपका है । जितना ही गवर्नमेंट के काम का दायरा बढ़ता जाता है उतना ही करपशन या बुराई का दायरा भी बढता जाता है क्योंकि कुछ लोग हर जगह हर मौके से लाभ उठानेवाले होते ही है। तो उन लोगों को ठीक रखना आप लोगों का काम है । अगर कहीं कोई बुराई होती है तो लोग कहते है यह क्यों

होता है, इस बुराई को रोकनेवाला कोई नही है ? लोग समझते है कि यह काम आपका ही है ।

अब जैसे कोई दफ्तर है जिससे आपका कोई खास ताल्लुक नही है मगर उस दफ्तर मे बुराई होती है और यदि आप उसका पता लगा सकते है तो आपकी बहादुरी है और आपकी बड़ी तारीफ होगी । जिससे आपका ताल्लुक नही है वहां पर भी आपका हाथ है क्योंकि आपको मौका है, कहीं जाने में आपको रुकावट नहीं है, सभी जगहों में आपका प्रवेश है । आप जहां भी जाना चाहें जा सकते है और जिस चीज के बारे में आप दरियाफ्त करना चाहे कर सकते है । हो सकता है कि महकमों का आपस में काम का बटवारा हो, पर पुलिस के हाथों में सब चीजें है । कही किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करपशन होता है तो आप किसी न किसी तरह से दस्तनदाजी कर सकते है । उस दफतर के अफसर को आप वार्निंग दे सकते है कि ऐसी-ऐसी बात चल रही है, ऐसी शिकायत सुनने में आयी है, आप इस तरह से खबरदार रहें, इस तरह से निगाह रखे । जहा कहीं चोरी डकैती होती है वहां तो आप का काम है ही । देखने से तो मालम पड़ता है कि आपका वही काम है । मगर सिर्फ वही काम नही है । हमारी सोसायटी के लोगों का जो मोरल स्टैन्डर्ड है उसको मेनटेन करना आपका काम है, उसको आप मेनटेन करें जिसमें सभी लोग अच्छे निकलें और उनका स्टैन्डर्ड भी अच्छा निकले आपकी जिम्मेदारी है । जितनी जिम्मेदारी आप लेना चाहे ले सकते है । अगर आप समझें कि चोरी पकडना ही आपका काम है तो आप उतना ही कर सकते है । अगर आप इससे भी ज्यादा काम करना चाहें तो कही दरवाजा बन्द नही है, आपके लिये मैदान खाली है । मै चाहूंगा कि आप लोग अपने स्टैन्डर्ड को इतना ऊंचा कर ले कि आप सब के लिये नमूने बन जायें, अगर ऐसा आप करेंगे तो आप बहुत बडा काम मुल्क का कर सकेंगे और इस वक्त जरूरत इसी की है ।

अभी हाल मे ही हमें आजादी मिली है । हमे आजाद हुए दस-ग्यारह वर्ष हुए है । इन 10, 11 सालों में बहुत बड़े-बड़े काम हुए है, बडी-बड़ी मुश्किलें सामने आयी जिनको किसी न किसी तरह से हमें पार करना पडा । उसको हमने किया है और करते जा रहे है और साथ ही साथ बहुत बडे पैमाने पर काम भी होता जा रहा है । वे काम ऐसे है जिनमे बहुत तरह के प्रलोभान आते है, टेम्पटेशन आते है । जितना काम बढ़ता जा रहा है उतना ही टेम्पटेशन बढ़ता जा रहा है । करपशन की जो शिकायत हम सुनते है वह एक तरह से है मगर उसका दूसरा रूप यही

है कि टैम्पटेशन बढ़ता जा रहा है। जितना ही टैम्पटेशन बढता है उतना ही करपशन भी बढ़ता है। हम तो काम बहुत बड़ा कर रहे हैं अगर साथ ही मौका भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं कि हम मे इस तरह का करपशन आवे। इसलिए हमारी जरूरत इस बात की बढ़ गई है कि हमारे लोगों पर निगरानी का काम, विजिलेन्स का काम, सेन्सरशिप का काम ठीक तरह से हो।

एक जमाना था जिसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा जिस वक्त पुलिस के लोग अच्छे अच्छे लोगों के पीछे दौड़ाये जाते थे । जो अच्छे लोग थे उन्ही के पीछे वे दौड़ते थे । वह जमाना अब खतम हो गया। मगर ऐसे बुरे लोग आज भी है जिनके पीछे आपको रहना है अगर वे सचमुच बुरे है। आपको यह भी देखना है कि गलती से अच्छे लोगों पर ज्यादती न हो। अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो जितनी सर्विस, सेवा का मौका आपको है उतना औरों को नही। एक तरह मे आपको रोब भी कायम रखना है । अगर रोब नहीं रहा, प्रेस्टिज नही रही तो आप काम ठीक नही कर सकेंगे। दूसरी तरफ भले आदमी को भी आपको खुश रखना है । दोनों विरोधी चीजे है पर दोनों जरूरी है। खास करके जब भले आदमी बुराई करने लग जायें तो आपके लिये मुश्किल आजाती है उसके लिये तुरन्त एकबारगी भले आदमी का बर्ताव आप छोड़ नही सकते। तो कोई भला आदमी बुराई करे तो उसके साथ भले आदमी की तरह ही आपको बर्ताव करना होगा हालाकि आप जानते है कि वह खराब आदमी है। इस तरह मे काम मुश्किल हो जाता है। जैसे-जैसे सोसाइटी मे कम्पलीकेशन्स आते है आपके काम मे भी कम्पलीकेशन्स बढते जा रहे है।

आप यह नहीं समझे कि आपका काम छोटा है । हाकिम बनकर बैठे तो वह बडा काम है। मगर उसका सीधा सम्पर्क लोगो के साथ नही है। उसके साथ पकायी चीजे आजाती है और उनको देखकर जज ईमानदारी से कह देता है कि यह सही है, यह गलत है । जज का सीधा सम्पर्क जनता के साथ नही होता। जितना सीधा ताल्लुक जनता के साथ आपका है उतना और किसी का नही है। जैसे फौज है । फौज का काम है देश को सुरक्षित रखना । मगर उसका काम वक्त-वक्त पर ही होता है, दिन-रात रोज-ब-रोज उसका ताल्लुक लोगो से नही होता । जो मिनिस्टर है उनका भी लोगों मे नजदीक का उतना सम्पर्क नहीं होता जितना आपका होता है । आपका सभी वर्ग के लोगों से, गरीब से गरीब से लेकर बडे से बडे आदमी के साथ नजदीक का सम्पर्क होता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अपने सामने एक ऊचा आदर्श रखना चाहिए

कि हमे मुल्क को ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है हर तरह से । यों तो दूसरे लोगों का काम है प्लैन बनाना, स्कीम बनाना और उसे दूसरे लोग करेंगे । आपका काम है कि आप देखे कि जो भी प्लैन बनता है वह ठीक तरह से चलता है या नही, उसमें बेईमानी शैतानी तो नहीं होती है । कोई भी स्कीम हो उसमें आपका काम आता है । कोई भी सोसाइटी हो चाहे वह जंगल में हो, चाहे बड़े-बड़े शहरों मे हो चाहे देहातो में हो, सब जगह आपका काम रहता है ।

हमारे यहां पुलिस की तादाद और देशो के मकाबले में बहुत कम है । यह एक तरह से अच्छा है । यह बात नहीं है कि पुलिस की डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह एक ही है । जहा अधिक बुराई होती है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वहा पुलिस की तादाद बढ़ानी पड़ती है, मगर सब मिलाकर और देशो के मुकाबले में यहा पुलिस कम है । इसमे हमारे लोगों की तारीफ है । इसका कारण यह है कि आज से नही न मालूम कितने जमाने से हमारी जिन्दगी एक किस्म से धर्म पर बनायी गयी है । धर्म का अर्थ यह नही है कि हम ग्रन्थ साहब पढ़ते है, कुरान पढते है, भगवत् गीता पढते है या रामायाण पढते है । चाहे हम कुछ भी पढें या नही पढ़ें मगर यहा इस चीज पर विशेप जोर दिया गया है कि किस तरह से हमे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज ठीक है । यह सभों ने हमेशा से माना है और सिखाया है । हमारे यहा सिखाया गया है कि चोरी करना गलत है । यहा मौरल रूल्स, मौरल प्रिन्सिपल्स सभी धर्मो मे कामन है । हिन्दू धर्म मे इस पर खास करके जोर दिया गया है । उसने यह नही कहा है कि इस चीज मे विश्वास करो । हिन्दू धर्म मे खास करके इस चीज की पूरी आजादी रही है कि किसी चीज पर विश्वास करो या नहीं करो आदमी एथीइस्ट भी हो सकता है मगर उसमे कडक्ट पर ज्यादा जोर दिया गया है, बिलीव पर ज्यादा जोर नही दिया गया,है, फौरमूला या डोगमा पर ज्यादा जोर नहीं देकर इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि हमारा काम ठीक होना चाहिए, हमारा कंडक्ट ठीक होना चाहिए । उसी धर्म मे हमारे यहां का काम आज तक चला है । पेनल कोड के जरिए से हम कहां तक किसी को रोक सकते है । अगर हम चोरी नही करते है तो पैनल कोड के डर से नही करते है ऐसी बात नहीं है चोरी हम इसलिए नहीं करते है कि हम समझते है कि चोरी चीज बुरी है । हमारे ही साथ यह नही है, हमारे यहा करोड़ों करोड लोगों का ऐसा विश्वास है । हम गलतियां इसलिए नही करते है इस डर से से नहीं कि पैनल कोड

में पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। हम बहुत गलतियां भी रोज करते हैं जो पैनल कोड में मना हैं और बहुत सही काम भी करते है जो बगैर पैनल कोड के करते है। तो अगर इस चीज को लोगों में उभाड़ा जाए तो आपका काम ठीक चलेगा मगर पेनल कोड के जरिए से आप ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। इसी में अपने जीवन की बात आजाती है। अगर आप अपना जीवन इस तरह से बनावें तो ज्यादा काम कर सकेंगे और यदि यह समझ कर कि आप देश की सेवा करने जा रहे हैं, सब को उठाने जा रहे है कामकरेंगे तो वह बहुत बड़ा काम होगा। और मै तब समझूंगा कि नये लोगों की जो नयी पीढ़ी पैदा हो रही है उनको आप सुधार सकेंगे।

# भारतीय देवनागरी परिषद् के शिष्टमण्डल से मुलाकात

आपने बहुत ही अच्छा और महत्व का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया। मै आज से पचास वर्ष पहले एक ऐसी संस्था के साथ सम्बद्ध हुआ जिसका ध्येय यह था देवनागरी लिपि में भारतवर्ष की सभी भाषायें लिखी या छापी जायें। कलकत्ते में एक जस्टिस शारदा चरण मित्तर नामक एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक आन्दोलन आरम्भ किया था लिपि विस्तार परिषद् के नाम से कि देवनागरी लिपि में सभी भाषायें लिखी और छापी जायें और एक पत्र भी उन्होने निकाला था जिसका नाम था "देवनागर" जिसमें सभी भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि मे छापे जाते थे। कई वर्षो तक वह चलता रहा फिर वह भी गुजर गये और जैसे बहुत सी संस्थाओं के साथ होता है यह संस्था भी एक तरह से खतम हो गई। मेरी दिलचस्पी उसी समय से रही है। इस परिषद् का उदय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जन्म से पहले हुआ था।

वह तो पहले की बात हुई पर अभी कुछ दिन पहले सारे देश भर से चुनकर आये हुए संसद् के सदस्यों में से बहुतेरे हिन्दी के प्रेमी तो थे ही साथ-साथ देवनागरी लिपि के प्रति भी उनका प्रेम था। मैंने उन लोगो से यह निवेदन किया कि अच्छा होगा यदि 'देवनागर' पुनर्जीवित किया जाय और उन्होने मेरी यह तुच्छ बात मान ली और उन्होंने 'देवनागर' नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका निकालना आरम्भ कर दिया जो इधर कई वर्षो से निकल रही है। समय-समय के 'देवनागर' से इसमें थोड़ा सा अन्तर है। पहले के 'देवनागर' में केवल लेख वह जिस किसी भाषा में जैसे उड़िया में, बंगाली में या दक्षिण की किसी भाषा में हो, उसी भाषा में जैसे उड़िया में, बंगाली में या दक्षिण की किसी भाषा में पर छोड़ दिया जाता था कि जो उसको समझना चाहें प्रयत्न कर के समझ ले। इस 'देवनागर' में उन्होंने यह परिवर्तन किया है कि किसी भी भाषा का लेख हो उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी पर देवनागरी लिपि में छापते है। अगर कन्नड का कोई लेख हो तो उसका अनुवाद हिन्दी या गुजराती या मराठी या किसी भाषा में उसके साथ-साथ छाप दिया जाता है। इसका लाभ यह होता है कि इस तरह से जो पढ़ना चाहते है या सीखना चाहते है उनको दोनों भाषाओं को सीखने का संयोग प्राप्त हो जाता है। वह पत्रिका अच्छी चल रही है। अभी इस यात्रा में आने से पहले हाल में उसका एक अंक निकला है उसकी प्रति उन्होंने

---

भारतीय देवनागरी परिषद् के शिष्टमण्डल से मुलाकात के समय भाषण; बंगलौर, 13 अगस्त, 1958

मेरे पास भेजी थी। यह काम अच्छा है जो बहुत दिनों से चल रहा है पर जैसा आपने कहा उसमें गति नहीं रही। इस समय यद्यपि ऐसे लोग है जो कहते हैं कि सभी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाय, मगर ऐसे लोग भी हैं जो और भाषाओं के बारे में तो क्या हिन्दी को भी रोमन लिपि में लिखने की बात कहते है। जैसा आप जानते है ऐसे लोग भी है जो कहते है कि अंग्रेजी भाषा ही हमारी सार्वदेशिक भाषा हो। मगर यह एक दूसरा सवाल है। हमारा काम यह होना चाहिये कि देश के सभी लोगो के लिये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखवाने का प्रयत्न करें और अगर यह हुआ तो यह बहुत बडा काम होगा। मै समझता हूं कि यह उतना कठिन भी नहीं है। क्योकि एक समय था जब सभी लोग देवनागरी पढ़ते थे और जानते थे, क्योंकि संस्कृति के सभी ग्रंथ देवनागरी में ही है।

आज की बात मै नही कहता पर जब मै पढ़ता था उस समय की बात है। आप जानते है कि बगालियों को अपनी भाषा पर कितना अभिमान है, मगर बंगाल में भी जो संस्कृत ग्रंथ पढ़ना चाहते है जैसे, रघुवंश, तो उसको देवनागरी लिपि में ही पढ़ते है और उसके नीचे बंगाली लिपि मे भावार्थ छपा रहता है। तो वे भी इस चीज को समझते है और वे भी संस्कृत पढ़ते है तो देवनागरी लिपि में ही पढ़ते है। मैं समझता हूं कि यह क्रम और जगहों मे भी है। जितने संस्कृत के ग्रंथ है वे देवनागरी में ही है और आपके दक्षिण में भी ग्रन्थ लिपि उन्होने निकाल ली थी और पुराने ग्रंथ उसी लिपि में लिखे गये थे।

एक सुविधा यह भी है कि यद्यपि लिपि अलग-अलग है मगर सब भाषाओं की वर्णमाला एक ही है। केवल भारतवर्ष में ही नहीं बाहर के देशों में भी जैसे बर्मा, श्याम, तिब्बत वगैरह में जहां-जहां पाली का असर पड़ा है उसमें वर्ण-माला एक ही है। चीन में तो अक्षर है ही नहीं वहां तो चित्र बना कर लोग अर्थ निकालते हैं। वहां की बात मैं नही कहता। लेकिन जहां-जहां वर्णमाला है वह देवनागरी की ही वर्णमाला है। मगर आजकल आप जानते है सभी लोगों को अपनी भाषा प्यारी होती है। जैसा आपने कहा देवनागरी से अगर किसी के हृदय में यह शक हो कि उससे उसकी अपनी भाषा कमजोर होगी तो विरोध भी हो सकता है। मैं समझता हूं इससे कोई भाषा कमजोर नहीं होती किन्तु एक दूसरे का भाषा साहित्य समृद्ध होता है और अन्य भाषाओं का ज्ञान भी बढ़ता है अतः यह काम होना चाहिये। अगर आप दक्षिण से यह काम आरम्भ करें तो अच्छा होगा।

उत्तर में जैसा आप समझते है अधिकांश भाषाओं की लिपि देवनागरी है। हिन्दी और मराठी का तो कोई सवाल ही नही है, गुजराती लिपि में भी देवनागरी से बहुत कम अन्तर है। बिहार में एक लिपि होती है जिसमें शिरो रेखा नही होती उसको हम लोग कैथी कहते हैं। उसमे लिखने से लोग जल्द लिखते है। गुजराती मे भी वही बात है वह शिरो रेखा नही लगाते पर अक्षर देवनागरी के होते है। दूसरी लिपि वहां बंगाली, उडिया और आसामी है। बंगाली और आसामी लिपि मे बहुत फर्क नही है। बगाली और उड़िया लोग मान जायें तो वहां उत्तर में देवनागरी लिपि स्वीकृत हो जायगी। मगर यह काम सगठित रूप से संस्था कायम कर के कभी नही किया गया। जस्टिस शारदा चरण मित्तर ने किया था। उसके बाद से नही हुआ। कुछ लोग यों ही कभी लिख देते है, बोल देते है। मेरा विचार है कि इसके लिये कुछ करना चाहिये और अगर कोई संस्था कायम की जाय और इस काम को चलाया जाय तो मै समझता हूं इस काम मे काफी सहयोग मिलेगा। मै तो कह ही सकता हूं और फिर से जैसा मैने कहा पार्लियामेंट के सदस्यो से मौका मिला तो कहूंगा।

हिन्दी भाषा का प्रचार तो दक्षिण भारत प्रचार सभा कर ही रही है। पर और सभी भाषाओ के लिये अगर देवनागरी लिपि का प्रचार हो जाय तो उसे हिन्दी को उन्नत करने का संयोग मिल जायगा क्योकि एक दूसरे को लोग आसानी से समझने लगेगे और भाषा का जटिल प्रश्न भी हल हो जायगा। इसलिये यह काम करने योग्य है और इसको करना चाहिये। इसमें आप यदि उत्तर भारत की मदद चाहते हैं तो इसमें आपको मदद जरूर मिलेगी। आपने एक सस्था कायम की है। यह विचार बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसी के द्वारा इस कार्य की प्रगति अच्छी तरह हो सकती है। संस्था बहुत अच्छी है और मेरी आशा है इस कार्य में वह सफलता प्राप्त करेगी।

# स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर

आपके नगर में स्वाधीनता दिवस सम्बन्धी समारोह में भाग लेने के लिए मै ठीक चार वर्ष के बाद आया हूं। इस अवधि में भी एक बार मेरा यहां आना हुआ था जब कि राज्यो के पनर्गठन के बारे में सरकारी निर्णय के अनुसार विशाल मैसूर राज्य का उद्घाटन मैंने किया था। सरकार के इस निर्णय पर कि स्वाधीनता दिवस की परेड के अवसर पर राष्ट्रपति प्रति वर्ष दक्षिण भारत में सलामी लें, सब से पहले 1954 में आपके इस सुन्दर नगर में ही अमल किया गया था। दक्षिण की चारों राजधानियों में सलामी ले चुकने के बाद आज उसी क्रम के अनुसार बंगलौर में फिर आने की मुझे बहुत खुशी है। इस शुभ अवसर पर मैं आज से आरम्भ होने वाले वर्ष में आप सब का अभिनन्दन करता हूं और आपके प्रति अपनी शुभ कामनायें भेंट करता हूं।

आज की परेड मे भाग लेने वाली सभी टुकडियों को मै उनकी चुस्ती और तात्परता पर बधाई देता हूं और उनके प्रति अपनी शुभ-कामना प्रकट करता हू। सेना के दस्ते जिन मे ब्वायज़ बटालियन भी शामिल है, वायुसेना के दस्ते स्थानीय पुलिस, एन० सी० सी० के युवक और युवतियां, स्काउटों तथा भारत सेवक समाज के दस्ते—इन सभी ने परेड में अपने कौशल का परिचय दिया है।

चिरकाल तक विदेशी सत्ता के अधीन रह चुकने के बाद पूरे 11 वर्ष हुए भारत स्वाधीन हुआ था। जब हम स्वाधीनता के लिए अहिंसात्मक संग्राम में व्यस्त थे, हमने अपने सामने कुछ आदर्श रखे थे और कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिनमे आस्था की हमने शपथ ली थी और जिन्हे पूरा करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के फलस्वरूप मिले सुअवसर का सदुपयोग करने का हमने सकल्प किया था। जब संविधान बनाने का समय आया हमने उन आदर्शो को उचित स्थान देने का यत्न किया और उन्हे आदेश सम्बन्धी अध्याय मे सुविचारित रूप से सुलझी हुई भाषा मे अपने संविधान मे रखा, जिस से कि संसार और हमारे देश के लोग यह जान ले कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उन्ही आदर्शों की गरिमा से सत्प्रेरणा मिलती रहे।

हमने फैसला किया कि अपने देश के विकास के लिए और यथासंभव अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमे प्रजातान्त्रात्मक

---

·स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर भाषण; बंगलौर, 15 अगस्त, 1958

प्रणाली और प्रशासन की पार्लमेंट्री शैली को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप है। इसमें सन्देह नहीं कि जो मार्ग हमने अपनाया वह सहल अथवा निष्कंटक नही है। कठिनाइयां और अस्थाई असफलता इसका अनिवार्य अंग है। ऐसे अवसर आ सकते है जब आदर्श और यथार्थ मे तथा विचार और कर्म में सामंजस्य स्थापित करना अत्यन्त कठिन दिखाई दे। यहीं नही, यह स्वीकार करने में हमें सकोच नहीं होना चाहिए कि यह कार्य स्वाभाविक रूप मे दुस्तर है। किन्तु इस कारण हमें अपने आदर्शो मे कांट-छाट नही करनी चाहिए, बल्कि बराबर इस बात का प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारे कर्म इतने उन्नत हों और आदर्शो मे मेल खा सके। ऐसा करने के अतिरिक्त हमारे सामने और कोई उपाय नही। ऐसा करना हमारे लक्ष्य के ही नही बल्कि इस प्राचीन देश की महान परम्पराओं के भी अनुरूप है। सामयिक सुविधा के अनुसार काम करके आदर्श के साथ समझौता करने की बजाए हमे भूल द्वारा सुधार करने और सतत प्रयत्न करते रहने को ही श्रेयस्कर मानना चाहिए।

भारत को हम संसार का सबसे बड़ा प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्र कह सकते है। और सभी प्रणालियों के मुकाबले मे प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली को ही हमने सर्व-श्रेष्ठ माना है और इसके सिद्धान्तों के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने और जीवन निर्वाह करने का हमने सकल्प किया है। सबके लिए समान अवसर, सभी नागरिकों के लिए धर्म स्वातन्त्र्य और प्रत्येक भारतीय को कतिपय आधारभूत अधिकारों की पूर्ण गारंटी---इन सब में हमारा दृढ विश्वास है। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि छोटे बड़े, गरीब, अमीर तथा पिछड़े हुए और उन्नत, सब लोग कानून की दृष्टि मे एक समान है और समाज के चाहे किसी विभाग से उनका सम्बन्ध हो सामाजिक न्याय सब के लिए उपलब्ध होगा। प्रजातन्त्र में हमारी आस्था की नीव इन्हीं धारणाओं और विश्वासों पर रखी है। अपनी अन्तरात्मा की पुकार के फलस्वरूप ही हमने प्रजातन्त्र को अपनाया है और हमारा विश्वास है कि हमारे देश की ही नही बल्कि संसार भर की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता इस प्रणाली में है।

"जियो और जीने दो" की नीति में, जिसे राजनयन की भाषा में शातिपूर्ण सह-अस्तित्व कहा जाने लगा है, हमारा अडिग विश्वास है और इस विश्वास का आधार भी हमारी उपयुक्त धारणायें है। अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार देश के आन्तरिक प्रशासन में और अपनी परराष्ट्र नीति में हमने

इस सिद्धान्त को उतारने का भरसक प्रयत्न किया है और भविष्य में भी हम ऐसा बराबर करते रहेंगे। किसी भी प्रकार की आलोचना अथवा निजी दुर्बलताओं से हमें इस निश्चित् मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए।

पूर्ण सोच विचार तथा लोगों के इच्छापूर्ण समर्थन के बल पर हमने इस मार्ग को अपनाया है। मैं एक प्रश्न सबके सामने रखना चाहूंगा। हम अपने संकल्प को दैनिक जीवन में कहां तक व्यावहारिक रूप दे सके हैं और अपने विचारों तथा कर्म को कहां तक उक्त आदर्श के अनुरूप बना सके हैं? मैं अपने प्रत्येक देश-वासी से यह अपील करना चाहूंगा कि वह अपने आप से यह प्रश्न करे और स्वयं इसका जवाब दे। प्रत्येक नागरिक को आत्म-विश्लेषण करना चाहिए और यह जानने का यत्न करना चाहिए कि वह इस आदर्श को कहां तक अपना पाया है।

मैंने यह सब इसलिए कहा क्योंकि मैं समझता हूं यह आवश्यक है कि यदा-कदा हम ऐसे आधारभूत प्रश्नों पर विवेकपूर्ण विचार करते रहें। किसी भी कारण जब कभी मन मे सन्देश के बादल उमड़ते हैं तो उच्च आदर्श में आस्था ही मानव को मानसिक संघर्ष से मुक्त कर सकती है। मेरे विचार में अहिंसा के आधार पर स्थापित प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों में इस आस्था को उपजाना और उसे बल देना ही हमारी सर्वप्रथम आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक विचारशील भारतीय इस बात पर ध्यान देगा और अपने अन्दर प्रजातन्त्र का अनुशासन पैदा करेगा।

धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से हम अपने बहुमुखी रचनात्मक कार्यक्रम को कार्यान्वित करते जा रहे हैं। यह बात निस्संदेह उत्साहवर्द्धक है। यह नही भूलना चाहिए कि किसी भी राष्ट्र के नागरिको को सम्पन्न बनाने और किसी हद तक उन्हे दैनिक जीवन की जरूरतों से ऊपर उठाने के लिए अनिवार्य रूप से बहुत समय तक घोर परिश्रम करना होता है। हमारा देश इस नियम का अपवाद नहीं हो सकता। चाहे हमारी कुछ ही कठिनाइयां हों और हम में कुछ ही कमियां हों, हमें हतोत्साह नही होना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ाने और अपने साधनों के अनुसार लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ने का यत्न करते रहना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भौतिक उन्नति ही, चाहे वह कितनी ही शानदार क्यों न हो, हमें आदर्श के निकट नहीं ले जा सकती। नैतिक सिद्धान्तों को अपनाये बिना और

उच्च आदर्शों में आस्था स्थापित किए बिना कोई भी राष्ट्र ऊंचा नहीं उठ सकता। ऐसी आस्था भौतिक सम्पन्नता की पहली सीढ़ी भले न हो, किन्तु इन दोनों में पारस्परिक सामंजस्य अनिवार्य है। यह आस्था हमें बल दे जिससे कि हम नैराश्य को जीवन में स्थान न दें। हमारे आदर्श हमें प्रेरणा दें और हमारे अन्दर मानव जाति तथा इस देश के गौरवमय भविष्य के प्रति और मानवता के कल्याण के प्रति आत्म-विश्वास की भावना पैदा हो—यह मेरी कामना है।

एक बार फिर मैं आप सब को और आपके द्वारा अपने समस्त देशवासियों को शुभ कामनायें भेंट करता हूं।

# दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख भाषण

**श्री सत्यनारायण जी तथा भाइयो,**

हिन्दी प्रचार का काम जो आप लोग कर रहे है और जिसे देखने और सुनने का मुझे कुछ मौका मिला है आप चाहते है कि मै उस सम्बन्ध मे कुछ कहूं । जो कुछ काम हुआ है उससे मुझे संतोष तो है ही । मै सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यह काम आपने उठाया है और इतने दिनों तक चलाया है इसके लिये आप बधाई के पात्र है और मै चाहूंगा कि इस काम को आप और ज़ोरों से आगे बढ़ाये ।

बात यह है कि आज इस प्रकार की बातें चल रही है कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी को नहीं चाहते है और इसलिये हिन्दी नही होनी चाहिये । अगर यह कहा जाता है कि जहा की किसी भाषा को वह स्थान दिया जाय जो अंग्रेजी को मिला है तो मै उसे समझ सकता था । मगर बात वह नही कही जाती है । बात यह कही जाती है कि अंग्रेजी देश में कुछ दिनों के लिए ही नही, हमेशा के लिये बनी रहे ।

हिन्दी को जो सार्वदेशिक कामों के लिये चुना गया वह किसी एक तरह से नही हुआ था कुछ ऐसी स्थिति देश की रही है कि हिन्दी समझने वालों और जानने वालों की संख्या उत्तर भारत में तो है ही, दक्षिण भारत मे भी अच्छी है और यह समझ-बूझ कर हिन्दी को मान लिया गया है कि राष्ट्रीय कामों के लिये, सार्वदेशिक कामों के लिये हिन्दी का उपयोग किया जाये । तो आज जब यह आवाज़ उठ रही है तो मै यही कहना चाहता हूं कि यह मामला आप लोगों को तय करना है कि आप लोग किस चीज़ को पसन्द करते है और देश के हित मे, जनता के हित मे और विशेष करके जिस प्रजातन्त्र को हम ने अपनाया है उसको दृष्टि में रखकर किस भाषा को आप समझते है कि सार्वदेशिक कामों के लिये भाषा स्वीकार कर सकते है ।

मै जहा तक देखता हूं और सुनता हूं, अभी इस वक्त सभी जगहों मे इस बात की मांग हो रही है कि प्रान्तीय भाषा मे ही उस प्रान्त का काम किया जाय । उसमे हिन्दी का स्थान नही है और न कोई चाहता है कि प्रान्तीय कामो में हिन्दी दाखिल की जाये । तो वास्तव मे झगड़ा तो, अगर कोई झगड़ा है, विदेशी भाषा और प्रान्तीय भाषाओं का है क्योंकि हरेक प्रान्त मे वहां के कामों के लिये प्रान्तीय

---

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख भाषण; बंगलौर, 16 अगस्त, 1958

भाषा को लोग प्रयोग में लाना चाहते हैं। तो यह काम ज़रूरी है और जब हो जाता है तो सवाल यह उठेगा कि सार्वदेशिक कामों के लिये कौन-सी भाषा हो। मैं जहां तक समझता हूं सभी जगहों में प्रान्तीय कामों के लिये वहां की भाषा जैसे आपके यहां कन्नड़ है, तामिल है, तेलुगू है, मलयालम है या बंगाल में बंगला है, महाराष्ट्र में मराठी है, वहां के लिये वहां की भाषा सरकारी काम के लिए होनी चाहिये : जहां तक मैं समझता हूं सभी जगहों पर यह मांग है और सभी जगहों की सरकारें अब इस मांग को स्वीकार कर चुकी हैं और उन्होंने कुछ न कुछ इस तरफ कदम भी उठाया है। सभी जगहों में इसका प्रयत्न हो रहा है कि प्रादेशिक काम वहां की भाषा में हों। यह काम जल्द से जल्द वहां चले और ज़ोरों से यह काम हो जाय तो लोगों को प्रसन्नता होगी। इसमें सन्देह कुछ नहीं कि सब मिलकर हिन्दी को ही मानेंगे।

वजह यह है कि जो इस वक्त स्थिति है उसमें जो हमारी देशी भाषाओं में कमी बतायी जाती है वह यह है कि हम लोगों के पास टैकनिकल शब्दावली नहीं है चाहे वह टैक्नीकल काम के लिये हो चाहे विज्ञान के लिये हो। यह शब्दावली बनेगी तो संस्कृत के साहित्य से ही बन सकती है और वह सारे देश भर के लिये एक ही होगी। एक भाषा से दूसरी भाषा में हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत अन्तर हो मगर मूलतः यह शब्दावली संस्कृत की होगी और वह हिन्दुस्तान भर की सभी भाषाओं में चलेगीं। अगर वह हो जाता है तो जितनी देशी भाषाएं हैं सभी एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं। तो उसके बाद उनमें से किसी एक भाषा को स्वीकार करना आसान हो जायेगा और हिन्दी सब से अधिक समझी जाती है, बोली जाती है इसलिये खुशी से लोग उसको स्वीकार कर लेंगे।

आज भी मैं यह नहीं मानता हूं कि जनता की ओर से अंग्रेजी को रखने के लिये मांग हो रही है। हमारे देश के लोगों में से जिनकी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी में हुई उनमें से चन्द लोगों का ख्याल है कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम चल सकता है और जो काम हो उसे हम अपनी भाषा में कर सकते हैं।

मैं तो अंग्रेजी की ही मिसाल देता हूं। आप समझें कि जिस समय अंग्रेजी पहिले-पहल हिन्दुस्तान में दाखिल हुई उस वक्त अंग्रेजी भाषा उतनी उन्नत नहीं थी जितनी आज है, और न उस वक्त विज्ञान उन्नत था। बाद में अंग्रेजी इंगलैण्ड में और दूसरे देशों में प्रचलित हुई और उन्नत हुई। उस समय अगर हमारी भाषाओं में से कोई प्रचलित हुई होतीं तो वह भी उन्नत होती। जापान में उन्होंने अपनी

भाषा को प्रचलित किया तो आज वह संसार की उन्नत भाषाओं के मुकाबले में है। उन्होंने अपनी भाषा को उन्नत कर लिया तो कोई कारण नहीं कि हमारी भाषाएं जिनका अपना-अपना इतिहास है अगर उनको हम काम में लगाते तो वे उस योग्य नहीं होतीं यह समझने का कोई कारण नही है। अगर उनको हम काम में लगाये होते, उनको इसका अवसर मिला होता तो इसमें कोई शक नही कि उनसे हमारा काम आज चलता। और हिन्दी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं मे हम काम करने लगे और उनको उन्नत कर लें तो उनमें हम इतनी योग्यता ला सकते हैं कि उनसे हमारा सब काम चले।

आप दक्षिण भारत के रहने वालों का यह काम है कि जनता मे इसका प्रचार करे क्योंकि यहां की जनता आपको अधिक समझ सकती है। लोगों को आप अपनी तरफ खीचें, अपनी सेवा से, अपने काम से खीचें। इसमें दो तरह का काम है। हिन्दी प्रचार का काम आपका है। हिन्दी वालो का काम है कि वे हिन्दी के साहित्य की वृद्धि करें। जब दो तरफ से यह काम होने लगेगा तब यह पूरा हो सकेगा। इसको मैं समझता हूं और आप भी जानते हैं। यह कोई नई बात तो है नही। आप अच्छी तरह से काम कर रहे है और आगे करेंगे।

# भूदान तथा सम्पतिदान के कार्यकर्त्ताओं के बीच भाषण

मुख्य मन्त्रीजी, वल्लभ स्वामी जी, डाक्टर नटराजन, बहनों तथा भाइयो,

सर्वोत्तम के काम मे दिलचस्पी होना किसी के लिये भी स्वाभाविक है और जब से पूज्य विनोबा जी ने इस काम का आरम्भ किया उसकी दिन-प्रतिदिन प्रगति होती गयी है और समय-समय पर उसके रूप मे भी परिवर्तन होता गया है। आरम्भ भूदान से हुआ, कुछ दिनों के बाद सम्पत्तिदान उसमें जोड़ा गया। फिर ग्रामदान आ गया। बुद्धिदान भी उसमें जोड दिया गया। अब सर्वोत्तम पात्र की योजना देश के सामने है। इन सब योजनाओं की तह में केवल एक ही चीज़ है और वह है कि किस तरह से हमारे देश के लोगों के हृदय में इस भावना को जागृत किया जाय कि वे अपने मे सेवा भाव लावें और सेवा केवल किसी सीमित क्षेत्र में नही, न कुछ थोडे लोगों की सेवा बल्कि मानव मात्र की सेवा और उसके लिये जो उन्होंने रास्ता बतलाया है वह रास्ता भी ऐसा है कि उसमे सभी लोग थोड़ा-बहुत चल सकते है और योगदान दे सकते है। इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि थोड़े ही दिनों के अन्दर मे इतना भूदान मिला, इतने ग्रामदान मिले और इस प्रकार से यह काम आगे बढ़ा कि जिसकी कल्पना शायद आरम्भ मे विनोबा जी ने भी नही की थी और अब सर्वोदय पात्र की योजना निकली है।

अभी आपको बताया गया है कि शहर मे कितने ज़ोरों से यह काम फैल रहा है। कुछ लोग जैसा अभी कहा गया है ऐसा कह देते है और समझ लेते है कि जिसके पास कम है और हिन्दुस्तान मे सभी लोगों के पास थोडा ही है, उसको बाटने का अर्थ यह है कि अपनी गरीबी बांटे। मै यह नही मानता हूं। मै मानता हूं कि गरीबी बांटने की बात नही है। जो देता है वह धनी हो जाता है। फारसी मै एक शेर है जिसका मतलब है कि आदमी का बडा होना अवस्था या उम्र बड़ी होने से नहीं होता और आदमी की अमीरी केवल धन के होने से नही बल्कि दिल से होती है। तो जिसके पास दिल है तो वह गरीबी भी हो और वह देता है तो वह और ज्यादा धनी हो जाता है। तो गरीबी बाटनी नही है अमीरी बांटनी है।

मै तो आरम्भ से ही इसकी तरफ खिचा और और यह समझ कर खिचा कि इससे लोगों को इस बात की शिक्षा मिल रही है कि किस तरह से हम थोड़ा बहुत त्यागें तो उनको करना सीखें और त्यागना चाहें तो किसी उद्देश्य से नही

---

भूदान तथा सम्पत्तिदान के कार्यकर्त्ताओं के बीच भाषण; बंगलौर, 16 अगस्त, 1958

बल्कि त्याग की भावना से । जिस समय हम लोग स्वराज्य के काम में लगे हुए थे तो उस वक्त भी जो कुछ त्याग लोगों ने किया उसकी जड़ में कुछ स्वार्थ तो था ही, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं पर देश का स्वार्थ था । मगर इसमें कहीं न तो देश का स्वार्थ है, न किसी व्यक्ति का स्वार्थ है और न किसी कुटुम्ब का स्वार्थ और न किसी प्रान्त का इसमें स्वार्थ है, सच्ची त्याग की भावना से ही यह त्याग है और इसीलिए शुरू में ही मै इस तरफ खिचा क्योंकि विनोबा जी ने ऐसी चीज़ की माग की है जिससे लोग बहुत ही प्यार करते है ।

सम्पत्ति के जितने रूप है उन सब में अधिक प्यारवाला रूप भूमि का है । पैसे दे देने में लोगों को हम संकोच होता है, और किसी चीज़ को दे देने में कम संकोच होता है पर भूमि सब से प्यारी चीज़ मानी जाती है और उसको देने में सब को संकोच होता है । तो उन्होने सब से जो प्यारी चीज़ है उसी की माग की है और लोगों के खुले दिल से जितनी सोची नही गयी थी जितनी कल्पना मै नहीं आयी थी उतमी भूमि दान में दे दी है । इससे यह मालूम होता है कि जो त्याग की भावना वह स्वीकार कराना चाहते हैं वह भावना स्वीकृत हुई है । मगर भूमि सब के पास नही है । इसलिये सब कोई भूमि नही दे सकते, सब लोग जमीन नही दे सकते । सब लोगों के पास पैसे नही भी होते कि वे दे । यह जो सर्वोदय का पात्र रखना चाहते है इसमे गरीब से गरीब आदमी हिस्सा ले सकता है । इसमें भी त्याग की भावना स्वीकार कराने का रास्ता है ।

कोई भी आदमी भोजन किये बिना नही रह सकता । अगर वह दो कण इस पात्र मे डाल देता है तो उसे भी त्याग की भावना स्वीकार हो तभी वह डाल सकता है । विशेष करके यह कहा जाता है कि यह काम बच्चों से कराना चाहिये । तो उसका अर्थ यही होता है कि आइन्दे के लिये, भविष्य के लिये हम इस बात का इन्तजाम कर लेते हैं कि जब बच्चे सयाने होंगे तो इस भावना को वे काम में लायेंगे और आइन्दे के लिये हमेशा के लिये हम एक प्रकार से उनको पक्का बना लेना चाहते हैं ।

तो इस तरह से यह काम आरम्भ हुआ था और इस तरह से चल रहा है । मै आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग इस काम को जोरो से चलावें । जैसा अभी वल्लभ स्वामी जी ने कहा, विनोबा जी को बंगलौर शहर पर बहुत विश्वास है, आशा है और वह इस बात की आशा रखते है कि यहां आप एक आदर्श संस्था कायम कर सकेंगे जो सिर्फ दान के काम में ही लोगों को अग्रसर नहीं करेगी बल्कि जो सारे संसार मे अहिंसात्मक वातावरण पैदा करने का उनका विचार है

उस वातावरण को भी शान्ति सेना द्वारा कायम कर सकेंगे। इसके लिये उन्होंने आपके इस शहर को यह गौरव दिया है और आपसे उन्होंने इस चीज की मांग की है। मै आशा करता हूं कि उनके इस विश्वास को आप सफलीभूत करेंगे और जिस तरह से उन्होंने आपसे कहा है उसी तरह से एक संस्था भी कायम करके इस काम को और भी जोरों से आप चलायेंगे।

# कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्त्ता के सम्मेलन में भाषण

मुख्य मन्त्रीजी, श्री निजलिगप्पा जी, श्री हल्लिकेरी, बहनों तथा भाइयो,

आप यहां अपने कामों के लिये इकट्ठे हैं। एक तो हिन्दी प्रचार का काम है और दूसरा खादी का काम है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इनमें मेरी भी रुचि है और इसलिये मैं भी यहां आया हूं। आपको इन चीजों के सम्बन्ध में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी आवश्यकता को समझकर ही इन संस्थाओं को आप चला रहे हैं और जो कुछ आप कर सकते हैं कर रहे हैं।

हिन्दी के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि पिछले 40 वर्षों से हिन्दी का काम इन प्रदेशों में हो रहा है। आरम्भ में महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से यह काम शुरू किया गया और थोड़े दिनों तक बाहर के कुछ लोगों ने आकर इसमें सहायता भी की। मगर थोड़े ही दिनों के अन्दर दक्षिण के लोगों ने इस काम को इस तरह से अपना लिया, अपना बना लिया कि बाहर से न तो कार्यकर्त्ताओं के आने की आवश्यकता रही और न हिन्दी प्रान्तों से पैसे लेने की ही आवश्यकता रही। यह आपके लिये और सारे देश के लिये एक ऐसी मिसाल है कि जिस पर हम गौरव कर सकते हैं क्योंकि इसका अर्थ यह है कि आप सारे संसार को इस बात की घोषणा करके बता रहे हैं कि आपने हिन्दी को अपनाया है और हिन्दी को सारे देश के लिये, सार्वदेशिक कामों के लिये कम-से-कम भाषा मान ली है।

जिस समय संविधान सभा के सामने यह प्रश्न आया तो सर्वसम्मति से लोगों ने इस बात को मान लिया कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहिये या कम-से-कम सार्वदेशिक कामों के लिये भाषा रखा जायगा और वह देवनागरी लिपि में लिखी जायगी। यह सर्वसम्मति से बात तय हुई थी और मैं समझता हूं कि यह सर्वसम्मति सचमुच सारे देश की सम्मति थी क्योकि हिन्दी का अगर अन्य प्रादेशिक भाषाओं से भेद है तो सब से अधिक भेद दक्षिण की भाषाओ से है, उसकी विभिन्नता दक्षिण की भाषाओं के साथ है। उत्तर की सभी भाषाएं एक-दूसरे से मिलती जुलती है। जो थोड़ा बहुत भेद है वह है मगर वे बहुत मिलती-जुलती हैं। मगर दक्षिण की भाषाओं में और हिन्दी में बहुत अधिक विभिन्नता है मगर तो भी सस्कृत के कारण जो सभी भाषाओं की स्रोत रही है सभी भाषाओं में बहुत कुछ सामंजस्य भी है। मगर जो कुछ भी विभेद रहा हो, दक्षिण के लोगों ने स्वयं

---

कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्त्ताओं के सम्मेलन में भाषण; बंगलौर, 16 अगस्त, 1958

हिन्दी के प्रचार में जितने रुपये खर्च किये, उसमें जितने लोग लगे है और किसी दूसरे काम में उतने लोग जोरों से नहीं लगे है।

आप हमको याद रखे कि हिन्दी के प्रचार के काम मे अंग्रेजी राज्य मे तो कोई सहायता मिली ही नही और इधर भी जो कुछ सहायता मिली है वह उसके मुकाबले में जो लोगो ने अपने उत्साह से योगदान दिया बहुत कम है। इसलिये मेरे दिल मे शक नही कि दक्षिण के लोग उसको अपना रहे है। इसका उन्होंने पूरा प्रमाण दे दिया है कि वे हिन्दी को अपना रहे है। अग्रजी 125, 130 साल साल से किसी न किसी रूप मे चल रही है और आज भी बहुत जोरों से चल रही है। मगर इतने दिनों के अन्दर जितने लोग अंग्रेजी पढ़ सके है, सीख सके है या उसमे केवल योग्यता प्राप्त कर सके है उनके मुकाबले में आपके इन प्रान्तों मे पिछले 30, 40 वर्षो मे जिन लोगों ने हिन्दी सीखी है उनकी संख्या पांच गुनी है। तो जिस चीज का अपने उत्साह से लोगों ने इतना प्रचार कर लिया, जिसे अंग्रेजी सरकार ने 150 साल में नहीं कर सकी उसे लोगों ने 40 साल में कर दिखाया उसे इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिये कि यहां के लोग उसको अपना रहे रहे हैं और इसके बाद इस बात को भी मानना चाहिये कि हिन्दी का प्रचार अंग्रेजी के मुकाबले में बहुत जल्द, तेजी के साथ और सफलतापूर्वक हो सकती है। इसका सबूत मिल चुका है। अब अगर थोड़ी इस तरह की कोशिश की गयी, गवर्नमेंट की थोड़ी भी मदद मिली और यहां पर जिस उत्साह से यह काम चलता है उसी उत्साह से चलता रहा तो इसमे कोई शक नही कि कोई आदमी बिना हिन्दी सीख नही रह जायेगा।

मगर हिन्दी भाषा मे और प्रान्तीय भाषाओ मे कोई कमजोरी हो तो उसको दूर करना चाहिये और उसको हम तभी दूर कर सकते है जब इन भाषाओं से हम सब काम लेने लगें। जिस समय अंग्रेजी शुरू-शुरू में जारी की गयी, 1830, 35 के साल में, उस समय अंग्रेजी भाषा भी उतनी उन्नत नही थी जितनी वह आज है। अंग्रेजी भाषा में भी वह शक्ति नही थी जो आज देखने को मिलती है। उस समय उसको भी लैटिन और ग्रीक भाषा का भरोसा करना पड़ता था मगर जैसे-जैसे काम बढ़ता गया और उस भाषा को लोग पढ़ते-पढ़ाते गये तो आज वह इस योग्य हुई है। अगर हिन्दी को भी इस काम में लगाया गया होता तो आज हिन्दी उससे ज्यादा नहीं तो कम-से-कम उसी तरह उन्नत होती। क्योंकि दूसरे देशों में भी जहा लोगों ने अपनी भाषा को उन्नत करने का प्रयत्न किया है वह कर पाये है। जापान में विज्ञान के कामों के लिये तथा अपने सभी राष्ट्रीय कामों के लिये लोग अपनी भाषा से ही काम लेते है। यह बात साबित कर सकती है कि

जापानी भाषा इस योग्य है कि वह सब कुछ कर सकती है। तो हमारी भाषा उस भाषा के मुकाबले में कमजोर नहीं है। हां, उसको अवसर नही मिला है इसलिये वह इस निशा में उन्नत नहीं हुई है, उसका शब्द भंडार उतना नही बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिये और अगर इस दिशा में वह आज काम करने लग जाये तो थोड़े ही दिनों के बाद वह इस योग्य हो जायेगी कि सभी काम का अंजाम दे सके।

तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हिन्दी के प्रचार के काम में लगे है इस काम को करते जायें, न केवल उसका प्रचार बल्कि उसके शब्द भंडार को भी बढ़ाते जायें तो हिन्दी को उन्नत करने में आप सहायता कर सकते है।

अभी मेरे हाथों में छोटी-सी पुस्तक दी गयी। मैंने इसके व्यवहार में चित्र द्वारा उसको आसान करने का प्रयत्न किया गया है। तो इसमें जो काम करने वाले है उनका काम है कि जो त्रुटि नजर आवे, जो कठिनाई नजर आये उसको दूर करने का काम करें। आज से 40 वर्ष पहले कौन कह सकता था कि यहां की चार भाषाओं में इतने ग्रन्थ तैयार हो जायेंगे और हिन्दी के लिये एक क्षेत्र आप कायम कर सकेंगे। मगर काम शुरू हुआ तो सब कुछ हो गया। उसमें न तो पैसे की कमी रही और न काम करने वालों की कमी रही। दोनों आये और काम पूरा हो गया और जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है उसके लिये क्षेत्र तैयार हो गया है।

मै आपसे यही कहूंगा कि आप जिस तरह से काम करते आये है करते जायें। आपको और भी सुविधा है। आपको सरकार की मदद मिलनी चाहिये। अगर उसमें कोई कमी हो तो आप सरकार के पास पहुंचे। यहां की सरकार के पास या भारत सरकार के पास आप पहुंचें और जितनी जो उचित सहायता होनी चाहिये वह आपको मिलेगी, मेरे दिल में कोई संदेह नहीं कि आपको सहायता मिलेगी क्योंकि दोनों सरकार इस मामले में एकमत है कि इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो मै आशा करूंगा कि आपका काम और तेजी से बढ़ेगा और चलेगा और आपको इस बात से संतोष होगा कि जो काम आप कर रहे है वह अत्यन्त महत्व का काम है। देश के लिये, देश को उन्नत बनाने के लिये, देश को सम्मान पहुचाने के लिये इसकी जरूरत है सब महसूस कर रहे है।

अभी मैं यहां आया हूं उसके चन्द दिन पहले की बात है। एक छोटे से देश के राजदूत मेरे पास आये। राजदूत राष्ट्रपति के सामने अपना प्रमाण-पत्र पेश करते हैं और उस मौके पर दो-चार शब्द कहते हैं। बल्गेरिया एक छोटा-सा देश है। उसका राजदूत आये और प्रमाणपत्र तो अपनी भाषा में दिया ही, जो दो-चार शब्द

कहने थे वह भी अपनी भाषा में ही उन्होंने कहे । उन्होंने क्या कहा मैं बिल्कुल नहीं समझ सका । मगर जब उन्होंने भाषण किया तो मैंने भी हिन्दी में उत्तर दिया । मैं ने उनकी बात नही समझी और उन्होंने मेरी बात नही समझी । मुझे मालूम नही हुआ कि वह क्या कह रहे है और वह नही समझ सके कि मै क्या कह रहा हूं । मगर जब बाजाप्ता कार्यवाई खतम हो गयी तो वह अंग्रेजी में धर्राले के साथ बातें करने लगे । तब मै ने समझ लिया कि सब देशों के लिए यह एक सम्मान का चिह्न है कि वे अपनी भाषा में काम करें । सिर्फ एक ही देश की बात नहीं है, इस तरह से बहुतेरे राजदूत मेरे पास आते है और अपनी भाषा में बोलते हैं । जो अंग्रेजी जानते है वे भी बोलते है और जो नही जानते है उनके लिये तो अपनी भाषा मे बोलना लाजिमी ही हो जाता है । अगर हम उनको अंग्रेजी में उत्तर दें तो वे अपने दिल मे कहेंगे कि अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी में बोलता है । तो इस चीज को ध्यान मे रखना चाहिये ।

आज विदेशों मे लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि आज भी स्वतन्त्र होने के बाद भी हम क्यों अपना काम अंग्रेजी में कर रहे है । उसके लिये अगर किसी भाषा को स्वीकार नही करेंगे तब तक सब लोगो की यह धारणा बनी रहेगी । जो लोग हमारे संविधान को बनाने वाले थे उन्होंने एक मत से इस बात को तय किया कि हिन्दी को सार्वदेशिक कामों के लिए भाषा माना जाय । इसका मतलब यह नही कि हिन्दी सब से अधिक उन्नत है । दूसरी भाषाएं उन्नत नही है । हिन्दी उन्नत हो या नही हो मगर संविधान ने उसे मंजूर कर लिया है तो उस चीज पर टिके रहना चाहिये और संविधान ने उसे मंजूर किया है तो इसलिये नही कि वह सब से उन्नत भाषा है बल्कि इसलिये कि यह सब से अधिक समझी जाती है, बोली जाती है । अगर दूसरी कोई भाषा उतनी ही फैली हुई होती उसे उतने ही लोग बोलते होते, समझते होते और उसको ही संविधान सभा की मंजूरी मिली होती तो उसमें हमको कोई आपत्ति नही होती । जब मै किसी प्रान्त में जाता हूं और वहां लोग अपनी भाषा में बोलने लग जाते है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नही होती । जब मैं बंगाल में जाता हूं तो मै बंगला में ही बोलता हूं क्योंकि मै बंगला बोल लेता हूं । कलकत्ता विश्वविद्यालय का कंवोकेशन मैं ने बंगला में दिया था । सब को अपनी भाषा पर गौरव होता है और इसलिये मै सबका सम्मान करता हूं । मै आशा करता हूं कि जिस उत्साह के साथ आप हिन्दी प्रचार का काम करते आये उसी तरह से आगे करते जायेंगे ।

# बम्बई राज्य के सूरत जिले के किसानों के एक दल के सामने राष्ट्रपति भवन में भाषण

सूरत जिला के किसान बहनों और भाइयो,

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपसे यहां आज मुलाकात हुई। मैंने देखा है कि अब सारे भारतवर्ष के लोगों की यह इच्छा हो रही है कि इस देश में कहां क्या हो रहा है उसको प्रत्यक्ष जाकर देखें और अपनी आंखों से देखकर सारे स्थानों का एक प्रकार से दर्शन करें। इसी इच्छा से आप सब भी इकटठे चले है तथा और जगहों से होते हुए यहां अब पहुंचे हैं और भी कई जगहों में आप यहां से जायेंगे और देखेंगे ।

अभी हम लोगों को स्वराज्य मिले 11 साल हुए है और इन 11 वर्षों में देश में प्रगति करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये है यह आप अभी कुछ जाकर देख सकेंगे ऐसी मेरी आशा है। अभी हो सकता है कि जो प्रयत्न हो रहे है सब का पूरा फल हम को देखने को नही मिला है। मगर कोई भी बड़ा काम होता है तो उसका फल देखने में कुछ समय लगता है। आप सब किसान है। कोई एक फसल आप खेत में बोते है तो उसके तैयार होने में 6 महीने लग ही जाते है। तो आप इस बात को समझते है कि जिस दिन बीज डाला गया उसी दिन फसल आप नही काट सकते। उसके लिये आपको कई महीने तक प्रयत्न करते रहना पड़ता है और बहुत प्रयत्न के बाद भी कभी-कभी फसल बिगड़ ही जाती है। कभी ठीक समय पर पानी नहीं बरसा या अधिक वर्षा हो गयी तो भी फसल बिगड़ जाती है। और भी कई प्रकार के विघ्न बाधाएं होती है जिसकी वजह से फसल बिगड़ जाती है। तो किसान लोग अच्छी तरह से समझते है कि किसी काम के लिये प्रयत्न करके फल के लिये किस तरह से इन्तजार करना चाहिये। यह जरूरी है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसका आपको अन्दाज मिल जाये और तभी आप समझ सकते है कि कैसा काम हुआ है। और उसको देखने का तरीका यही है कि आप स्वयं जाकर अपनी आंखों से सब कुछ नहीं तो कुछ तो देख ही सकते है और अभी तक तो प्रयत्न हुए है उसका अन्दाज आप लगा आवें और मैं समझता हूं कि आपकी यह यात्रा इसी काम के लिये हुई है।

---

बम्बई राज्य के सूरत जिले के किसानों के एक दल के सामने राष्ट्रपति भवन में भाषण; 20 अगस्त, 1958

देश में कठिनाई है ही । अन्न की कठिनाई कम नहीं है । आप सब किसान हैं । आपसे यही कहना है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से अन्न की उपज बढ़ायी जाये और जहां आज आप एक मन पैदा करते हैं वहां दो मन पैदा करने की जरूरत है और इसमें चाहे दूसरे कुछ कहें या बताये पर जब तक आप नहीं करेंगे वह काम पूरा नही हो सकेगा । मैं तो सब से यही कहता हूं कि हमारे यहां ज्यादा किसान लोग बसते हैं अन्न की कमी होना लज्जा की बात है । यहां के लोगों का दूसरे देशों पर भरोसा करना कि वहां से अन्न आवे तो खायें नही तो भूखे रह जायें यह शर्म की बात है । तो यह आपका काम है कि देश की इस दिक्कत को दूर करें ।

इसमें जो कठिनाई है वह यह है कि किसानों की संख्या बहुत करोड़ की संख्या है । इन करोड़ों तक किस तरह से पहुंचा जाय, किस तरह से सब लोगों को बताया जाय और जब तक सब लोग अपने छोटे-छोटे खेतों में छोटे-छोटे गांवों में अन्न की उपज नही बढ़ायेंगे तब तक हमारे देश में अन्न की पैदावार कैसे बढ़ेगी ? जहां 10, 5 आदमी को काम करना है वहां 10, 5 आदमी का ही सवाल रहता है । एक बड़े कारखाने के मालिक को उस कारखाने की पैदावार बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है पर उसको जल्द दूर किया जा सकता है । मगर जहां करोडों की संख्या में लोगों के पास पहुंचना हो उसमें पहुंचना और उनको बताना कि किस तरह से वे पैदावार बढ़ा सकते हैं और उनके हृदय में उत्साह पैदा करना कि सिर्फ अपने ही लिये नही बल्कि देश भर के लोगों के लिये उपज बढ़ानी है मुश्किल काम है, मगर इसे आप ही कर सकते हैं ।

इस समय सब से आवश्यक काम है कि अन्न की पैदावार बढ़ायी जाय और उसके लिये पानी का प्रबन्ध किया जा रहा है, कुएं, तालाब, नहर आदि खोदकर और नदियों को बांधकर पानी का प्रबन्ध हो रहा है । यह करोड़ों रुपये खर्च करके किया जा रहा है । मगर किसानों के सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप लोग सब कुछ देखकर जायें और आप यह समझें कि देश का भविष्य आप किसानों पर ही निर्भर है । तो कहां पर क्या और कितना हो रहा है यह सब आप देखें और उससे लाभ उठायें । यह आप नहीं समझें कि वह दूसरों का काम है । हरेक आदमी को समझना चाहिये कि देश का काम उसका अपना ही काम है । जिस तरह से आप लोगों में से हरेक आदमी अपनी-अपनी उन्नति के लिये काम करता है उसी तरह से आप समझें कि हरेक आदमी काम

करेगा तभी देश की उन्नति होगी। देश की उन्नति को अपनी ही उन्नति आप समझें। इसी दृष्टि से आप अन्न की इतनी उपज बढ़ावें कि देश में अन्न की कमी दूर हो जाये।

अभी कई सौ करोड़ मन बाहर से अन्न मंगाना पड़ता है। यह क्यों होता है? हमारे यहां की भूमि अच्छी है। यहां पानी भी बरसता है। जहां पानी नही बरसता है वहां भी पानी का इन्तजाम किया जा रहा है। जब देश में अन्न काफी उपजेगा तो लोगों की गरीबी दूर होगी। कारखानों मे जो दिक्कतें रही है उसका भी बन्दोबस्त हो रहा है। मै चाहता हूं कि आप भाखरा अवश्य जाकर देखें और देखकर और समझ कर जायें कि यह सब से बड़ा प्रयत्न पानी के लिये ही हो रहा है। कारखाने तो बन रहे है। मगर उसके साथ आपका सीधा सम्पर्क नहीं है। हां, इस अर्थ में है कि जो कारखाने में काम करते है वे आप लोगो का भी काम करते है क्योंकि वे आपके इस्तेमाल की चीजें तैयार करते है। उनको खिलाने के लिये आपको अन्न की उपज बढ़ानी है क्योंकि वे अन्न पैदा नही कर सकते। जब दोनों पैदावार बढ़ायेंगे तो देश की उन्नति होगी। हम तो आशा करते है कि यह काम आप कर सकेंगे।

# राष्ट्रपति भवन में काश्मीर यात्रा से लौटे कोल्हापुर के निवासियों तथा गुड़गांव से आये विद्यार्थियों के सामने भाषण

कोल्हापुर के बहनों और भाइयो,

मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत दूर से घूमते-घामते दिल्ली में पहुंचे है। आजकल यह एक बहुत अच्छी रीति चली है कि गाव के लोग सारे भारतवर्ष का परिचय पाने के लिये दूर-दूर तक जाते है और सब बड़े-बड़े स्थानों को देखते है। प्राचीन काल में हमारे देश के लोग तीर्थो में जाया करते थे और इस तरह से सारे देश का परिचय उनको मिलता था। आजकल तीर्थ स्थानों के साथ-साथ और भी जगहे ऐसी है जहा निर्माण कार्य हो रहा है और यहां लोगों का जाना अच्छा होगा। इसलिये आजकल लोग निर्माण और तीर्थ स्थानों में भी जाते है और दूसरी जगहों में भी जाते है और सब चीजो को देखकर देश का परिचय प्राप्त करते है। यह एक बहुत बड़ी चीज है। जबतक लोग घूम-घूम कर नही देखे तब तक देश का पूरा परिचय नही हो सकता कि यह कितना बड़ा देश है, इसमे कैसे लोग बसते है, क्या-क्या भाषाएं बोली जाती है, किस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते रहते है और किस तरह से इतने बड़े देश को एक सूत्र मे बांध रखा गया है। आज एक प्रजातन्त्र राज्य देश मे हो गया है जिसमें न कोई राजा है और न कोई प्रजा है : या तो सब के सब राजा है या सब प्रजा है, सब बराबर है और मिलजुल कर यह निश्चय करते है कि राज काज कैसे चलाया जाय और उसी मुताबिक राज्य का काम होता है।

आज हरेक आदमी चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जिसकी अवस्था 21 साल की हो चुकी है उसको आज अधिकार है कि वोट देकर ऐसे लोगों को चुनें जो राज-काज चलाये और वैसे ही लोग आज यहां बेठकर काम चला रहे है। आज जो ब से बड़े स्थानो मे काम कर रहे है वे आपके चुने ही लोग है तो यह एक बड़ी चीज हमने हासिल की है। मुझे खुशी है कि आप इतनी दूर से कश्मीर की यात्रा के लिये जो देश के उत्तरी कोने में है आप आये है। आप दक्षिण के कोने से आये है। वास्तव में दक्षिण का कोना कन्याकुमारी है, उत्तर का कोना कश्मीर, पूर्व का कोना प्राग-ज्योतिपुर या गोहाटी और पश्चिम में द्वारकापुरी। यह देश इतनी दूरी में फैला हुआ है इस इतने बड़े देश के एक भाग के रहनेवालों के लिये देश के दूसरे भागों में

---

राष्ट्रपति भवन में काश्मीर यात्रा से लौटे कोल्हापुर के निवासियों तथा गुड़गांव से आये विद्यार्थियो के सामने भाषण; 25 अगस्त, 1958

क्या हो रहा है यह जानना जरूरी है और इस काममें यात्रा से पूरी सहायता मिलती है । इसलिये आप लोगों ने अच्छा किया कि आपने यह यात्रा की और घूम कर सब स्थान देख रहे हैं ।

विद्यार्थी लोग तो गुड़गांव के रहने वाले है और दिल्ली के पासके ही रहने वाले हैं । वे तो यहां बराबर आते-जाते रहते है । उनके लिये दिल्ली कोई नयी चीज नहीं है और यहां आना उनके लिये कोई बडी बात नही है । यहां तो वे आसानी से चले आते हैं पर मुझे खुशी है कि आपके दिल में यह लालसा हुई कि आप यहां आवें और देखें कि यहां का काम काज कैसे चलता है । आपके दिल में यह लालसा हुई यही एक बड़ी चीज है । इसका अर्थ यह है कि आप समझते हैं कि शहर और देहात के लोगों में कोई अन्तर नही है । इसके लिये आपको धन्यवाद है ।

आपने मुझे गुडगांव आने के लिये जो निमंत्रण दिया उसके लिये धन्यवाद । अभी तो मेरे लिये निश्चित रूप से कहना सम्भव नही है । इस विषय में मैं बातचीत करूंगा और फुर्सत देखकर समय निकालूगा । क्योंकि इसमें कही दूर जाना तो है नही । तो यही बात है ।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जितने देश के लोग है सभी तो यहां आ नहीं सकते क्योंकि यहां आने में कठिनाई है । पर जो नजदीक मे रहते है वे यहां आते हैं तो हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है । मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां आने का इन्तजाम किया ।

चाय पानी आपके लिये तैयार है और मुझ दूसरे काम क लिये इजाजत दीजिये ।

# रबी फसल आन्दोलन के सम्बन्ध में भाषण

अपने देशवासियों, खास कर किसान भाइयों से, मुझे यह कहने की जरूरत नही कि कई सालों के प्रयत्नों के बावजूद भी अभी तक हम अनाज के उत्पादन को उतना नहीं बढ़ा पाए जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं। मै जानता हूं कि अनाज के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। फिर भी देश में अन्न की कमी है और इसके कई कारण हैं। बढ़ती हुई आबादी, वर्षा की कमी या समय पर पानी न पड़ना और बाढ़ आदि दैवी विपत्तियों के कारण पैदावार में कमी हो जाती है जबकि हमारी आवश्यकता मे बराबर वृद्धि हो रही है।

अनाज की कमी के कारण जो स्थिति सामने आई है उसके निवारण के दो ही तरीके हैं। नयी जमीन को तोड़ा जाय, ऊसर और बंजर भूमि में खेती की जाय। दूसरा तरीका यह है कि आबाद जमीन में हर बीघे या एकड़ में अधिक उत्पादन किया जाय। यद्यपि अभी भी देश मे ऐसी ज़मीन है जो खेती के योग्य बनाई जा सकती है और जिसमें अनाज पेदा किया जा सकता है, फिर भी, देश की आज़ादी और ज़रूरतों को देखते हुए यह ज़मीन इतनी नहीं है कि इससे हमारी ज़रूरत बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक पूरी हो सके। इसके अलावा, बहुत परती ज़मीन गोचर के रूप में काम में लाई जाती है और बहुत जमीन पर बन और जंगल लगे हुए हैं। गोचर को कायम रखना खेती के लिए और दूध के लिए और बोयी हुई जमीन को खाद देने के लिये आवश्यक है। जगल को बिना समझे और नफा-नुकसान का विचार किये बिना काट डालना बुरा है, क्योंकि जंगल काटने का असर वर्षा और आबोहवा पर बहुत पड़ता है। इसलिये जहां तक नई जमीन खेती में लायी जा सकती है वह सोच समझ-कर ज़रूर लानी चाहिये, पर हमारा अधिक भरोसा तो इस पर है कि बीघे पीछे पैदावार को बढ़ाया जाय।

और देशों के मुकाबले में हमारे यहां पैदावार बहुत कम है—आधे और चौथाई से भी कम। इस दिशा में यदि कोशिश की जाय तो उतनी ही ज़मीन मे दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी फसल उपजाई जा सकती है। हमारा प्रयत्न यही होना चाहिये। इसके लिये अच्छे बीज, खाद, सीचने के लिये पानी, कीड़ों से फसल को बचाने के उपाय आवश्यक हैं। सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि ये सब चीज़ें आवश्यकतानुसार समय पर किसानों को उपलब्ध कराई जायं। इसके लिए स्थान-स्थान पर खोज और अनुसंधान का काम किया जा रहा

---

रबी फसल आन्दोलन के सम्बन्ध में भाषण; 11 सितम्बर, 1958

है, जिससे विद्वान लोग इन विषयों में उन्नति के तरीके निकाल सकें। पर यह सब कुछ तभी लाभदायक हो सकता है जब हमारे किसान उत्साह के साथ इन खोजों को काम में लावें और नये तरीकों पर अमल करें।

भारत कृषि-प्रधान देश है और हमें यह शोभा नहीं देता कि अपने खाने के लिये भी हमें विदेशों से अन्न मंगाना पड़े। जिस देश के 100 में से 70 मे अधिक लोग खेती के काम में लगें हों, जहां की ज़मीन अच्छी और उर्वरा हो और जहां प्रधान व्यवसाय हजारों वर्षों से खेती ही रहा हो, उस देश के लोग अनाज के लिये यदि दूसरे देशों का मुह देखें तो यह लज्जा की बात है। यह कमी, मै तो कहूंगा, यह कलंक, किसान ही दूर कर सकता है और उसका यह कर्त्तव्य कि वह इसे दूर करे। हां, इसमें जो अधिक-से-अधिक सहायता ज़रूरी हो और जो कुछ वह अपने बल पर न कर सकता हो, वह सब करने में सरकार को उसको मदद करनी चाहिये। सरकार ऐसा करने को तैयार ही नहीं बल्कि उत्सुक है।

आपको यह भी मालूम होगा कि खेती में सुधार के लिये विज्ञान की सहायता से ढूंढ़-खोज और छानबीन भी देश के कई भागों में की जा रही है। इसके कारण बहुत-सी नई और उपयोगी बातों का पता लगता है। यदि ये सब बातें किसानों तक पहुंचा दी जायें और खेती के काम में उनसे पूरा लाभ उठाया जाय, तो अनाज की फसलें बढ़िया होंगी और अन्न परिमाण में अधिक होगा। इसलिये इस काम पर भी बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, जिससे कि किसान विज्ञान की सारी छानबीन का पूरा लाभ उठा सकें। इसी उद्देश्य को सामने रख कर सरकार ने निश्चय किया है कि हाल ही में बोई जाने वाली रबी की फसल ऐसे ढंग से बोई जाय और उसकी देखरेख इस तरह की जाय कि अधिक अनाज पैदा हो। यह काम अधिकतर किसानों का है। उन्हीं के परिश्रम से, उन्ही की मेहनत से इस आन्दोलन में सफलता मिल सकती है। हा, इस काम के लिये उन्हें जो सुविधायें चाहियें, उनका प्रबन्ध करना जरूरी है। केन्द्रीय सरकार ने ऐसा आन्दोलन या संगठित प्रयत्न करने का फैसला किया है। इस काम में सभी राज्यों की सरकारे मदद करेंगी। सरकारी कर्मचारियों को हिदायत की गई है कि लोगों की जरूरतों का पता लगावें और उन्हें पूरा करने का यत्न करें। इस सम्बन्ध में किसानों को अच्छे बीज, सुधरे हुए हल आदि खेती के औजार, अच्छी खाद और जहा तक हो सके सिंचाई के लिये पानी देने का सरकार प्रबन्ध करेगी। मेरे यह कहने की ज़रूरत नहीं कि सरकार के प्रयत्न तभी सफल हो सकते है जब हमारे किसान भाई स्वयं हिम्मत करें और इन सुविधाओं से पूरा लाभ उठावें।

आप जानते हैं कि हर जिले में देहात सुधार और खेती के काम में मदद करने के लिये एक दफ्तर खुला है। इसके साथ ही खेती की शिक्षा के लिये भी स्कूल और कालेज हैं। इन संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाले सब लोगों के कहा गया है कि इस अवसर पर जब रबी की फसलों को बोया जा रहा है वे देहात में घूम-फिर कर आप लोगों से मिलें और हर तरह से आपकी सहायता करें। आपका भी यह कर्त्तव्य है कि बुवाई के काम में आपकी कोई कठिनाई हो उसे इन कर्मचारियों के सामने रखें। ये आपकी पूरी सहायता करेंगे। बोने से पहले आप अपनी तसल्ली कर लें कि बीज अच्छा है, फसल ठीक बोई जा रही है और खाद का ठीक बन्दोबस्त है। जिस अनाज के लिये भूमि उपयुक्त हो वही बीज उसमें डाले। गेहूं, जौ, चना और जवार रबी की प्रधान फसलें हैं और भूमि का ध्यान रख कर इन्ही में से आपको ठीक फसल का चुनाव करना है।

मैं देश के किसानों से यह निवेदन करूंगा कि उन्हे यह न समझना चाहिये कि वे खेती के काम में अपने परिवारों का ही पेट भरने के लिये लगे हैं। सारे राष्ट्र के लोगों को भरपेट भोजन मिले और हमे अनाज के लिये विदेशों का मुह न ताकना पड़े, इस बात की जिम्मेदारी हमारे किसानों पर है। उन्हे यह समझ लेना चाहिये कि खेती का काम उतना ही राष्ट्रीय महत्व का है जितना कोई भी और काम हो सकता है। उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिये कि उन्हे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौपा गया है, और इस बात से उन्हे उत्साह और प्रेरणा मिलनी चाहिये।

खेती के काम को उन्नत करने के उद्देश्य से कुछ साल हुए प्रतियोगिताओं या कम्पीटीशन की परिपाटी चलाई गई थी। इसके अनुसार एक एकड़ भूमि में अधिक से अधिक अन्न पैदा करने वाले को सरकार की ओर से पुरस्कार दिया जाता है। जिन फसलों के लिये अभी तक ऐसा पुरस्कार दिया जाता रहा है इस साल से उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और उनमें गेहू, जवार, चना आदि भी शामिल कर दिए गए हैं। मेरा यह सुझाव है कि यह प्रतियोगिता केवल व्यक्तिगत किसानों तक ही सीमित न रह कर गावों, सामुदायिक विकास केन्द्रों या विकास खण्डों के बीच होनी चाहिये। व्यक्तिगत प्रतियोगिता में एक व्यक्ति अपने परिश्रम और मेहनत से एक एकड़ में अधिक पैदा करके इनाम पा सकता है, पर उसी गांव के दूसरे किसान इस इनाम से न तो लाभ उठा सकते हैं और न जितना चाहिये उतना प्रभावित होते है। किन्तु यदि सामूहिक रूप से गांव भर के या इलाके भर के किसानों के अपने-अपने छोटे-बड़े सभी खेतों में थोड़ी-बहुत भी वृद्धि हो जाय, तो सब मिल-कर कही अधिक अन्न उपजा सकेंगे। सभी किसान एक-दूसरे की

सहायता करके सारे गांव के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे जिससे उनका गांव प्रतियोगिता में जीत सके। उत्पादन के साथ-साथ यह भी होगा कि उनकी सगठन शक्ति बढ़ेगी और सहयोगिता को बल मिलेगा।

इस तरह प्रतियोगिता का क्षेत्र बढेगा और इसके कारण जो सुधार होगा उससे सामूहिक उत्पादन पर कही अधिक असर पड़ेगा। अगर हर जिले में इस प्रकार का मुकाबला हो और सब से अधिक अनाज पैदा करने वाले गाव या इलाके को पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित किया जाय तो जिला भर की पैदावार में निश्चय ही वृद्धि होगी। इस तरह हम जिला प्रतियोगिता, राज्य प्रतियोगिता और राष्ट्रीय प्रतियोगिता इन तीन प्रकार के मुकाबले रख सके है। इनके कारण किसानों का उत्साह बढेगा और उन्हे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

मैं आशा करता हू कि इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप, विशेष करके किसानों के उत्साह और विवेकपूर्ण परिश्रम, से, देश अन्न-संकट से बच जायेगा और हम सब को एक बड़ी चिन्ता दूर होगी। अन्न मनुष्य के जीवन के लिये सब से अधिक आवश्यक वस्तु है और इसके दाम में उतार-चढ़ाव का प्रभाव सभी दूसरी चीज़ों की कीमत पर पड़ता है। देश तभी उन्नत और सुखी होगी तथा देश में तथी खुश-हाली आएगी जब गांवों में रहने वाले किसान सुखी होंगे। ये लोग तभी समृद्ध हो सकते हैं जब वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ शहर के लोगों को भी काफी मात्रा में अनाज दे सके और अरबों रुपये जो हमें विदेशों में अन्न के लिये भेजने पड़ते है, उन्हे देश के लिये बचा सके। इसमें देश का लाभ तो है ही, किसानों का निजी हित भी है। मेरा यह विश्वास है कि हमारा यह सकल्प पूरा होगा और हमारे किसान ही इसे पूरा करेंगे।

# पार्लियामेन्ट के केन्द्रीय हाल में तीन महानुभावों के चित्रों का अनावरण

प्रधान मन्त्रीजी, डाक्टर विधानचन्द्र राय, संसद् के सदस्यगण बहनों तथा भाइयो,

आज के इस समारोह में भाग लेना मेरे लिये बड़े गौरव की बात है। जिन तीन महानुभावों के चित्र में ने अनावरण किये वे भारतवर्ष के इतिहास के निर्माताओं मे से ह और उन्होंने अपने-अपने तरीके से भारत के उद्धार के काम में योगदान दिया और काम किया वह आज बहुतेरे लोग शायद पूरी तरह से न भी जानते हों क्योंकि मै देखता हूं कि बहुतेरे नवजवान प्रादेशिक काम के क्षेत्र में आ गये हैं और काम करने लग गये है। स्वराज्य मिले 11 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 11 वर्षों मे एक नयी पीढ़ी आगे बढ़ आई है और दिन-प्रतिदिन वह बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक है कि जो हमारे पूर्वज काम कर गए है उसका उनको प्रत्यक्ष परिचय नही हो। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद है जिन्होंने अपने कानो से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के वाणी सुनी थी, जिन्होंने अपनी आखों से कविवर रवीन्द्र नाथ को देखा था और जिन्होंने देशबन्धु चित्तरंजन दास के त्यागमय और सेवामय जीवन को अपने सामने व्यतीत होते भी देखा था। इस तरह से आज यद्यपि अभी कुछ लोग मौजूद है मगर ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रति दिन कम होतो जा रही है और इसलिये यह आवश्यक होता जा रहा है कि उनकी स्मृतियों को किसी न किसी रूप में इस तरीके से कायम रखना चाहिये कि जिससे हमारे यहा की नयी पीढ़िया प्रेरणा ले सके और काम करने का उनमें उत्साह पैदा हो सके।

जिस समय अभी हमारे जैसे आदमी भी पैदा नहीं हुए थे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने जेल की यात्रा की थी और वह ऐसे काम को छोड़ कर जिसको उन दिनों में सब से ऊंचा काम समझा जाता था अर्थात् इडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ही सिर्फ नही गयी, थोड़े ही दिनों के बाद अपनी निर्भीकता के कारण और अपने स्वतन्त्र विचारों को प्रदर्शित करने के कारण उनको जेल जाना पड़ा। उनकी नौकरी जाने से उस समय की ब्रिटिश सरकार को चाहे जो कुछ भी नुकसान हुआ हो, देश को तो बहुत बड़ा लाभ हुआ क्योंकि सारे देश में घूम-घूम कर उन्होने जागृति पैदा की और फैलायी जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कांग्रेस की संस्था पैदा हुई, पनपी और बढ़ी उसने फल भी पाया। उनके जीवन मे

---

पार्लियामेन्ट के केन्द्रीय हाल मे श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, श्री देशबन्धु चितरंजन दास तथा श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का अनावरण करते समय भाषण; 12 सितम्बर, 1958

ही उसने इस तरीके से काम करना शुरू किया कि आगे चल कर बहुतेरे लोगों की नजर में वह काफी नही था। मगर तो भी उस समय के लिये वह अत्यन्त आवश्यक था और अगर वह बीज उस वक्त नही बोया गया होता और उसका पौधा उस वक्त नहीं सींचा गया होता तो आगे चलकर और कितनी देर लगती या क्या नतीजा निकलता यह महज विचार करने की बात है। जब काग्रेस का जन्म हुआ उसके पहले सारे देश का भ्रमण करके सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने अपनी वक्तृत्व शक्ति का पूरा परिचय लोगो को दिया और सारे देश को जागृत किया। हम मे से जिस किसी को उनका भाषण सुनने का सुअवसर और भौभाग्य प्राप्त हुआ हो वह जानते है कि उनकी वाणीमें कितनी शक्ति थी, उनके वक्तृत्वमें कितना ओज था और किस तरीके से जो बड़ी से बड़ी सभा उस जमाने में होती थी उसे वह मुग्ध कर लिया करते थे।

यही नही, यद्यपि यह समझा जाता था कि एक वैधानिक पुरुष थे जो विधान के अन्दर रहकर काम करना चाहते थे पर साथ ही यह भी ठीक है कि जहा जरूरत पड़ी उन्होंने काफी जोर से उस समय की गवर्नमेट का विरोध किया और उस विरोध के कारण जो खतरे आ सकते थे उन खतरों का मुकाबला भी किया।

जब बंगाल का विच्छेद हुआ, उस समय बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा करने का यश प्रारम्भ मे उनका ही था। आगे चलकर बहुतेरे लोग उसमे शरीक हुए और उसको बहुत बड़ा बल मिला मगर इसमे कोई शक नही कि अगर उनकी वाणी और लेखनी की शक्ति उस काम में उस वक्त नही पड़ी होती तो हम नही कह सकते कि हम कहा तक जाते और उस विच्छेद को तुड़वा सकते या नही तुड़वा सकते।

चित्तरंजन दास उन लोगों में से है जिन लोगों ने आज के भारत का निर्माण किया है और उन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी बारिस्ट्री छोड़ी और फकीर बनकर देश की सेवा की। जिस समय उनके अन्तिम दिन आ रहे थे मुझे याद है वह अकसर पटने में जाया-आया करते थे क्योकि उनके छोटे भाई जस्टिस पी० आर० दास वहां थे तो मै बराबर जाकर उनसे मिला करता था और उस समय जो परिवर्तन-वादी और अपरिवर्तनवादी दल काग्रेस के अन्दर चला था उसका एक प्रकार से सुलह से खातमा हुआ था और यह भी तय हुआ था कि सभी काग्रेसी लोगों को चर्खा चलाना चाहिये। मै उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे कहा, मुझे चर्खा सिखलाओ और अगर खुद तुम नही आ सकते हो तो किसी आदमी को मुकर्रर कर दो जो आकर मुझे चर्खा सिखाये। मैंने अपना बड़ा सौभाग्य समझा और कई दिनों तक खुद जाकर दिन प्रति दिन उनको चर्खा सिखलाता रहा और दूसरे आदमी को भी मुकर्रर कर दिया जो समय से हमेशा जाया करता था। यह एक छोटी सी

बात थी मगर इसे इसलिये मैंने कहा कि जो बात एक बार तय हो जाती थी तो उसको वह पूरा करना चाहते थे और पूरा करते थे। ऐसी बात नहीं थी कि फैसला एक हो और काम दूसरा हो या काम ढीला छोड़ दिया जाय।

जब तक असहयोग का कार्यक्रम पूरी तरह से कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया था, बहुत विषयों में उनका मतभेद रहा और उन्होंने अपने मतभेद को छिपाया नहीं, उन्होंने जाहिर भी किया। मगर जब एक बार उनकी राय दूसरों से मिल गयी और कांग्रेस का फैसला हो गया तो सब से आगे उस कार्यक्रम का प्रचार करने में और प्रचार से अधिक उस कार्यक्रम के अनुसार अपने जीवन को ढालने में वह लग गये और उसी का नतीजा हुआ कि जब उनको जेल जाना पड़ा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा। मैं समझता हूं कि जितनी जल्द उनका स्वर्गवास हुआ वह शायद ये सब कष्ट उनको नही उठाने पड़ते तो स्वर्गवास का समय कुछ टल सकता था। जब तक वह जिन्दा रहे देश की ही सोचते रहे, सेवा करते रहे और इतने समय में एक नया काम, अपने ढंग का निराला काम उन्होंने किया। बड़े-बड़े मुकदमे में बहुत पैसे उन्होंने कमाये मगर बारिस्ट्री करके उन्होंने अपने को भिखारी ही बनाया था। बारिस्ट्री करके कोई धनी बनता है, उन्होंने बारिस्ट्री में जिस तरह से वह अलीपुर के मुकदमे में काम करते रहे अपने लिये उन्होंने कुछ नहीं लिया बल्कि अपने पास से कुछ दिया ही होगा।

दानशील तो इतने थे कि कोई आदमी उनके पास नहीं गया जिसको उन्होंने मुंहमांगा नहीं दिया हो। उनकी एक अच्छी कमाई थी। कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो जिससे देश को लाभ पहुंचता हो और अगर कोई उनके पास पहुच जाय तो उसमें वह मदद करते। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से न मालूम कितने लोगों की मदद उन्होंने की होगी। इतनी बड़ी आमदनी रहते हुए भी उनके पास पैसे नहीं रहते थे और जिस समय उनकी मृत्यु हूई वह कुछ छोड़कर नहीं गये बल्कि जो कुछ भी उनके पास था उसका ट्रस्ट बनाकर दान कर दिया था।

कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सारे संसार में ख्याति पायी। पुराने हमारे कवियों ने, प्राचीन काल के हमारे दार्शनिकों ने जो लिखा वह आज भी हमको मालूम है, उसे आज भी संसार के लोग पढ़कर चकित होते है। पर आधुनिक काल में सारे भारतवर्ष का नाम अपनी कविता और दर्शन द्वारा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सभी देशों में अच्छी तरह से रौशन किया और अगर यह हम कहें कि अपने देश से भी ज्यादा विदेशी लोगों ने उनकी कृतियों की कद्र की, अपने देश के लोगों से पहले विदेशी लोगों ने कद्र की और पीछे देश के लोगों ने कद्र की तो यह कोई

गलत बात नहीं होगी । क्योंकि आप जानते हैं कि जब उनको वह पुरस्कार (नोबल पुरस्कार) जो विरले लोगों को ही मिला करता है, उसके बाद बंगाल के बाहर के लोगों ने उनको पहचाना । बंगाल के अन्दर भी मैं समझता हूं कि शायद दो दल थे । कुछ लोग उनकी कविता को सर्वोच्च मानते थे पर कुछ लोग वैसा विचार नही रखते थे और बंगाल के बाहर तो उनको ज्यादा लोग नहीं जानते थे, थोड़े ही लोग जानते थे । मगर जब विदेश में उनकी कविता का अनुवाद होकर गया और विदेशी लोगों ने उनकी कद्र की, उनको पहचाना तब हमारी आंखें खुली ।

मै चाहता हूं कि हमारे देश के लोग अपने लोगों को अच्छी तरह से पहचानना सीखें, उनकी कद्र करना सीखे । इसका अर्थ यह नही कि विदेशी लोगों के साथ हमारा सम्पर्क नही हो या उनके साथ हमारा कोई द्वेष है पर जो हमारी चीजें है उनको हेय की निगाह से देखना ठीक नही है । कोई चीज हो और जब दूसरे लोग उसका विरोध करें तो हम भी करे यह भी ठीक नही है । हम अपनी बुद्धि और विवेक से अपने देश की चीजों को, अपने देश के लोगों को, अपने देश की कृत्तियों को, अपने देश की कलाओं को अच्छी तरह से समझे और समझकर उनसे जो कुछ लाभ उठा सकते हैं उठाने का प्रयत्न करे ।

ये तीन चित्र यहां संसद् भवन में लटकाये गये हैं । ससद् का आप जानते हैं बहुत बड़ा फैलाव है । इसमें सिर्फ यही जगह नही है बल्कि और भी कमरे हैं, कई बड़े-बड़े स्थान हैं । सच पूछिए तो संसद् की बैठक यहां होती भी नही है । संसद् के दोनों भवनों के सदस्य दूसरी जगहों में बैठा करते है । तो यहां आप देखते हैं कि जगह की कमी होती जा रही है और अभी हमको याद करना होगा औरों को । तो सभी को हम इस एक कमरे के अन्दर नही अटा सकेंगे । इसलिये और चित्रों को संसद् के और कमरों में पर संसद् के अन्दर रखा जायगा जिसमें जो यहां आवे इन चित्रों को देखें और उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर देश हित के लिए अपने को अर्पण करें ।

मैं, जैसा मै ने कहा, इस बात का गौरव मानता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि इन चित्रों का अनावरण मैं करूं ।

जिस कलाकार ने इन चित्रों को बनाया है उसको मै बधाई देता हूं क्योंकि उसने बहुत सुन्दर चित्र बनाये है । और उन लोगों को जिनमे डाक्टर विधान चन्द्र राय भी हैं जिन्होंने दान दिया और इन चित्रों को यहां लाकर संसद् को दिया धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया ।

# जापान के सम्राट द्वारा दिये गये राजभोज के अवसर पर

इस अवसर पर मैं महामहिम के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस सुन्दर और महान देश की यात्रा के लिये मुझे कृपापूर्वक आमंत्रित किया। मैं महामहिम की सरकार तथा टोकियो के नागरिकों का भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने मेरे यहां आगमन के समय से ही मेरा सुस्वागत किया है। यद्यपि संसार के इस भूभाग की मेरी यह प्रथम यात्रा है और मैं जो कुछ यहां देख रहा हूं उसमें मेरे लिये काफी नवीनता है, फिर भी चारों ओर सद्भावना और भ्रातृत्वपूर्ण वातावरण के कारण मुझे ऐसा लग रहा है मानों मैं चिरपरिचित मित्रों के बीच घूम रहा हूं।

जापान और भारत के सम्बन्ध तथा सम्पर्क सदियों पुराने हैं और हमारे देशो के बीच मानवोपयोगी अनेक चित्रो में आदान-प्रदान रहा है। सम्भव है ऐसा कहना उपचारप्रद मात्र प्रतीत हो, किन्तु इस उक्ति का आधार प्राचीन इतिहास है और इसकी पुष्टि हमारे दोनों देशों के लोगों की मैत्री की उत्कट इच्छा से होती है। वे पुराने सम्बन्ध आधुनिक काल मे फिर सुदृढ़ रूप मे स्थापित हो और दोनों देशों में सद्भावना, पारस्परिक शुभकामना और निजी लोगों के कल्याण तथा विश्व के हित में एक-दूसरे की सहायता करने की आकांक्षा मैत्रीपूर्ण बन्धनो के रूप में उभर आए, यह देखकर स्वाभाविक है कि हमे बहुत खुशी हो।

आज हम ऐसी दुनिया मे रह रहे हैं जहां विज्ञान और टैक्नोलोजी की प्रगति ने व्यक्ति के ही नही बल्कि समष्टि के विचारों की पृष्टिभूमि को बदल डाला है। यह परिवर्तित पृष्टभूमि कुछ पुरानी संकलपनाओं को चुनौती देती जान पड़ रही है। मानव की उन्नति तथा सुख समृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि स्थिति पर शान्तिपूर्वक विचार कर यह निर्णय किया जाय कि इस नवीन ज्ञानवृद्धि को हम मानव के लिये वरदान देखना चाहते हैं अथवा अभिशाप। आणविक शक्ति के अर्वाचीन आविष्कार मानव समाज के सामने एक गम्भीर, प्रश्न प्रस्तुत करते हैं जिसका जवाब हमें देना होगा। क्या हम इन आविष्कारो को मानव के विनाश का साधना बनने देंगे अथवा अभाव तथा दुख के निवारणार्थ उनका उपयोग करेंगे। यह ऐसा प्रश्न है कि जिसका सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र से है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मानव समाज के जीवित बने रहने के लिये यह जरूरी है कि हम इस बात का भरसक प्रयत्न करें कि इन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जो

---

जापान के सम्राट द्वारा दिये गये राजभोज के अवसर पर भाषण; टोकियो, 28 सितम्बर, 1958

शक्ति हमारे हाथ में आई है उसका उपयोग मानव जाति और राष्ट्रों के उन्नयन के लिये हो और उसे हम सर्वनाश का साधन न बनने दें।

मै समझता हूं यही कारण है कि आज संसार में विश्व-शान्ति के पक्ष को प्रत्यक्ष रूप से व्यापक समर्थन प्राप्त है। मुझे आशा है कि नवीन परिस्थितियो को समझ यह स्वीकार किया जायगा कि मानवीय सम्बन्धों को उनके अनुकूल बनाना आवश्यक है। हो सकता है कि इसका अर्थ किसी अंश में अतीत से विच्छेद हो। नये पथ का अनुसरण तो निश्चय ही करना होगा।

यह उचित है कि प्रत्येक राष्ट्र हिंसा परित्याग कर शान्ति के लिये यत्नशील हो और इस विचार को अपनाये कि अन्तर्राष्ट्रीय झगडे सहिष्णुता की भावना से आपसी बातचीत द्वारा तय किये जाने चाहिये।

इस अवसर पर मै पूर्वी देशों में कुछ समय से दिखाई देने वाली जन-जागरण और अभ्युदय की लहर पर भी अपना सन्तोप प्रकट करना चाहूंगा। एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में जो उन्नति हो रही है उसका स्वागत हम किसी प्रकार की सकीर्णता की भावना से नही करते। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय, यह उन्नति मानव जाति के उज्जवल भविष्य के हित में है। अविकसित अथवा अर्ध-विकसित देश विश्व की उन्नति तथा समृद्धि के मार्ग में भारी बाधा हो सकते है। हम आशा करते है कि ये देश जो प्रगति के पथ पर अग्रसर हुए है बिना रोकटोक आगे बढ़ते रहेंगे और अपने प्रजाजनों का जीवन उन्नत करने के अतिरिक्त संसार की सुख-समृद्धि में भी उचित योगदान दे सकेंगे।

यह वास्तव में हर्ष का विषय है कि महामहिम की सरकार की पूर्ण आस्था विश्वशान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री के आदर्शो मे है। क्या मै कह सकता हूं कि भारत भी आदर्श को हृदय से स्वीकार करता है और इसकी पूर्ति के लिए नम्रता पूर्वक यथाशक्ति यत्न करता है? इस सामान्य आदर्श ने जापान और भारत की सदियों पुरानो मैत्री को और भी पक्का कर दिया है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि ज्यों-ज्यों समय बीतेगा ये सम्बन्ध और अधिक दृढ़ होते जायेगे।

एक बार फिर मै इस महान देश की यात्रा के निमन्त्रण के लिये महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके फलस्वरूप मुझे बहुत सी नयी चीजें देखने और जानने का सुअवसर मिला जिनकी सदा कद्र करूंगा। क्या मै महामहिम के द्वारा महामहिम की सरकार और जापान के लोगों की सुखसमृद्धि के लिये भारत सरकार और भारतीय जनता की शुभ कामनायें प्रकट कर सकता हूं?

M2President/62—27

# ओसाका, जापान, में भारतीय नागरिकों द्वारा किये गये स्वागत समारोह में

हिन्दुस्तानी बहनो और भाइयो,

मुझे इस बात की बढ़ी खुशी हुई कि मै यहा चन्द दिनों के लिये आ सका और इस देश के कुछ हिस्सों को देख सका और साथ ही आप सब बहनो और भाइयों से भी मुलाकात हो सकी । इसकी खुशी मुझे और भी अधिक होती मगर एक दुर्घटना की वजह से इस खुशी में कुछ किरकिरापन आ गया है और वह है यहा के लोगों ने जो स्वागत समिति बनायी थी उसके अध्यक्ष श्री भगत का आकस्मिक और असामयिक अवसान ।

मै समझता हूं कि उन्होने इस देश में रहकर आप सब की और अपनी तो सेवा की ही, बड़े काम भी किये और इस देश और भारत के बीच में अच्छे ताल्लुकात कायम करने में दोनों देशों के विद्यार्थियों को वजीफे देकर मदद भी की । इसलिये मुझे अफसोस है कि मै उनसे मिल नहीं सका । मगर इसमें किया ही क्या जा सकता है । ईश्वर की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है ।

मै समझता हूं कि आप प्राय. 400 भारतवासी इस देश मे व्यापार, व्यवसाय के ख्याल से आकर रहते हैं । यह बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश के लोग दूसरे-दूसरे देशों में जाकर वहां के लोगों से सम्पर्क स्थापित करें और दोनो देशो के बीच आपस में बर्ताव सुन्दर बनावे । इसलिये मैं हमेशा इस बात पर जोर दिया करता हू कि कोई भी हिन्दुस्तानी जो देश से बाहर जाकर कही भी विदेश मे रहता है तो वह एक प्रकार से भारत का नुमाइन्दा या प्रतिनिधि बनकर ही वहा रहता है । वह इस देश की सब चीजों को, सब बातों को, तौर-तरीके, रहन-सहन, उस देश के लोगों को अगर वह देखता है और समझने की कोशिश करता है तो उस पर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वह व्यवहार में, अपनी रहन-सहन मे इस तरीके से बरते कि जिसमे भारत का नाम ऊंचा हो और उसका अपना नाम भी ऊंचा हो ।

अब ऐसा समय सारे संसार के लिये आ गया है जब कोई भी देश सब दूसरों से अलग रहकर अकेले अपना काम नही चला सकता और आजकल के आने-जाने का तौर-तरीका इतना तेज और सहज हो गया है कि एक देश से दूसरे देश में

---

ओसाका, जापान, में भारतीय नागरिकों द्वारा किये गये स्वागत समारोह में ाषण; 1 अक्तूबर, 1958

जाने-ग्राने मे किस किस्म की दिक्कत नही, समय भी कम लगता है । इसलिये ग्रब सम्पर्क दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जायगा ।

हम ग्रपने देश में स्वतन्त्र है ग्रौर जापान के लोग ग्रपने देश में स्वतन्त्र है ग्रौर इसलिये दोनों देशो का ताल्लुक ग्रौर सम्पर्क दिन-प्रति-दिन बढ़ेगा ग्रौर नजदीक होगा तथा एक दूसरे के साथ हमारा बर्ताव ग्रौर ग्रधिक सुन्दर होता जायगा । इसलिये ग्राप जो यहा रहते है बड़े खुशकिस्मत है क्योकि ग्राप यहा पहले से ही उस काम में लगे हुए है ग्रौर यहां की हालत से वाकिफ है । भारत का भी, मैं समझता हूं कुछ हाल-चाल ग्राप जानते ही है ग्रौर गरचे मैं ने सुना है कि ग्रापमें से वहुतेरे बहुत कम भारत जाया-ग्राया करते है तो भी ग्रापका ताल्लुक ग्रौर सम्पर्क हमेशा के लिये वहां से छूटा नही है ग्रौर छूटेगा भी नही । इसलिये इस नये जमाने में भी जैसे-जैसे हम इस देश के नजदीक ग्राते जायेगे ग्रौर हमारे ताल्लुकात ग्रौर भी उनके साथ घनिष्ट होते जायेंगे, ग्राप देखेगे कि केवल सांस्कृतिक मामलों में ही नही बल्कि कारबार मे, व्यवसाय मे, व्यापार-धंधे में एक दूसरे का सम्बन्ध ग्रधिक नजदीक होगा । इसमे ग्रापको मदद करनी है ।

ग्रापको मै यह बताऊं कि ग्राप यहा ग्रच्छी तरह मे रहकर ईमानदारी के साथ, सचाई के साथ हिन्दुस्तान का नाम ऊचा करते ग्राये है, ग्रापने पैसे भी कमाये है ग्रौर उस पैसे मे केवल ग्रपने लिये ही नही, केवल ग्रपने कुटुम्ब ग्रौर परिवार के लिये ही नही बल्कि कुछ दूसरो को भी ग्रापने हिस्सा दिया है ग्रौर वह जैसे श्री भगत ने किया, हिन्दुस्तान ग्रौर जापान के विद्यार्थियो के लिये । जापान के विद्यार्थियों के लिये हिन्दुस्तान मे पढ़ने के लिये ग्रौर हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों के जापान मे पढ़ने के लिये उन्होने पैसे दिये । यह एक नमूना है जिसको ग्राप सब ग्रपने सामने रख सकते है ग्रौर जिनमे ईश्वर की दया से ऐसी योग्यता हो, शक्ति हो, उस शक्ति के ग्रनुसार दोनो देशों के बीच में एक दूसरे की मदद करने की प्रवृत्ति सामने रखे ।

मै यह भी जानता हू कि यहा के लोग बहुत परिश्रमी है, त्यागी है । उन्होने ग्रपना कारबार बडी खूबी से ग्रौर ग्रच्छी तरह से बढ़ाया है ग्रौर दिन-रात उनके उद्योग तरक्की करते जा रहो है । लडाई के बाद उन्होने चन्द वर्षों में ही बहुत तरक्की कर ली है । यह तो हमारे लिये एक सबक देने वाली बात है । ग्राप यह सब बातें सीखें ग्रौर हिन्दुस्तान तक पहुंचाये जिसमे हम वहा भी देश से गरीबी को निकाल सकें, जो वहां निरक्षरता से उसको दूर कर सके, वहा से बीमारी को भगा सकें ग्रौर भारत को फिर से वैसा देश बना सकें जहां दूध की गंगा बहा करती

थी। जहां के लोग सुख से अपने जीवन को इस संसार में बिताते थे और परमात्मा की भी याद करते थे। और उसमें से भी समय निकाल कर संसार के सामने उन्होंने बडी-बड़ी चीजें रखी है जिसका एक नतीजा इस देश में, जैसा आपने कहा, वर्तमान है। मै चाहता हूं और मेरी आशा है कि वह दिन आ सकता है जब हिन्दुस्तान भी एक ऐसा देश हो जाये जिसकी आवाज सारी दुनियां में पहुंच सके और प्रत्येक भारतवासी चाहे वह हिन्दुस्तान मे रहता हो चाहे हिन्दुस्तान से बाहर रहता हो उसका कर्त्तव्य है कि उसमे वह योगदान दे।

आपने बडे उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया और स्वागत से ज्यादा मेरे लिये कीमती चीज यह है कि मुझे मौका मिला कि मै आप सब से मिल सका और इतने भाइयों और बहनों को इस दुरस्त देश मे देख सका। मै चाहूंगा कि आप फूलें-फलें और भारत का ख्याल कभी न भूले।

# संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर

प्रति वर्ष हम संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ मनाते है और उन सिद्धांतों के पालन का व्रत लेते है जो 13 साल हुए इस संस्था के जन्म के समय इसके अधिकार-पत्र में शामिल किए गए थे। इस अवधि मे संयुक्त राष्ट्र नें जो कुछ किया हैं, उसकी सफलतायें अथवा विफलताये, उसकी दृढ़ता अथवा दुर्बलता—ये सब बातें संसार के सामने है और संयुक्त राष्ट्र के मूल प्रयोजन को जानने के लिये इन्हें कोई भी देख और समझ सकता है।

इतना कह देना ही काफी होगा कि किसी भी अपवाद के बिना ससार भर के लोग संयुक्त राष्ट्र वांछनीयता के सम्बन्ध मे एकमत है और उनकी यह भी धारणा है कि अन्तर्राष्ट्रीय झगडों का शान्तिपूर्ण ढग से निपटारा करने के लिये ही नही बल्कि विश्व के जन-साधारण के कल्याण के लिए राष्ट्रो मे आपसी सहयोग स्थापित करने की दृष्टि से भी यह सस्था आवश्यक है।

राष्ट्रो के बीच आक्रमण की भावना का परित्याग इतना बडा काम है कि यह स्वय इस महान् विश्व संस्था के अस्तित्व का बलवान प्रेरक कहा जा सकता है, किन्तु मै आज संसार के नागरिको का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो आक्रमण के परित्याग की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नही।

धरा पर मानव के आविर्भाव के समय से इतिहास का घटनाचक्र बराबर गतिमान रहा है। सृष्टि के मच पर नाना प्रकार के दृष्य घटते आए है और एक दूसरे के बाद भांति-भांति के पात्र प्रकट होते रहे है। इस अविरल गतिविधि के बीच हमे सभी राष्ट्रो और सभी युगो में कुछ ऐसी दिव्य आत्मायें स्पष्ट दिखाई देती हैं जिन्होने मानव को प्रेम और पारस्परिक सद्भावना का संदेश दिया। कभी-कभी यह संदेश चाहे कुछ लोगों को असंगत जान पड़ा हो किन्तु इसकी एकदम अवहेलना कभी नही की जा सकी। जनगण ने इस संदेश को आदरपूर्वक ग्रहण किया और वे निष्ठा से विभोर हो उठे, और जिन विभूतियों ने यह संदेश दिया था उनको उन्होने सन्तों और अवतारों की पदवी प्रदान की। यह देखते हुए कि इस दिव्य संदेश का प्रभाव मानव जाति के हृदय पर बहुत गहरा और व्यापक पडा है, हम कह सकते है कि इनकी वाणी तथा संदेश मानव स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप है।

इसलिए मै यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के समर्थन के लिए यह जरूरी नहीं कि युद्ध के परित्याग को ही हम एकमात्र तर्क समझें, यद्यपि मानव

---

संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर भाषण; 23 अक्तूबर, 1958

जाति के जीवित बने रहने के लिए युद्ध का परित्याग आवश्यक है। मेरा विश्वास है कि इसमे भी बडी सचाई यह है कि पारस्परिक सद्भावना तथा सहिष्णुता मानव प्रकृति के आधारभूत तत्व है। मानव की रचना में इन गुणों का समावेष है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रेम और सहिष्णुता अपने आप में विलक्षण गुण हैं और इनकी विलक्षणता स्वत: सिद्ध है जो किसी भी प्रकार के प्रदर्शनी की मोहताज नही और किन्हीं भी घटनाओं पर आश्रित नही। मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र की बुनियाद इसी ठोस और अनश्वर आधारशिला पर रखी है।

मुझे आशा है कि समस्या के इस महत्वपूर्ण पहलू पर उचित जोर दिया जाएगा और यथासंभव हम इसकी बुनियाद को और भी दृढ़ करने का यत्न करेंगे। इस अवसर पर मैं सभी सदस्य राष्ट्रों का अभिनन्दन करता हूं और संसार भर के लोगों के प्रति भारत की शुभकामनायें प्रकट करता हूं।

# आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का उद्घाटन

मुझे बहुत खुशी है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के सौजन्य से इस समारोह में मैं शामिल हो रहा हूं । इस सुखद उत्सव के साथ प्राय: आरम्भ से ही मेरा सम्बन्ध रहा है । भारत का राष्ट्रपति होने के नाते मुझे बहुत से उत्सवों और आयोजनों में भाग लेना होता है । कर्तव्य के पालन की भावना तो इन सभी अवसरों पर होनी स्वाभाविक है, किन्तु यह स्वीकार करने मे मुझे संकोच नहीं कि यह वार्षिक संगीत समारोह उन आयोजनों में से एक है जिनकी मैं कुछ उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा किया करता हूं । इसलिए सूचना तथा प्रसार मंत्री डा० केसकर के निमन्त्रण को मैंने सहर्ष और सधन्यवाद स्वीकार किया ।

मेरी यह धारणा है कि संगीत द्वारा मानव अपने आप को ऊंचा उठा सकता है । बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना मानव संगीत द्वारा अपने अन्दर एक विशेष प्रकार के समन्वय अथवा सामंजस्य की भावना का अनुभव कर परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है । दूसरी ललित कलाओं की तरह संगीत में भी ऐसी शक्ति है जो जीवन की व्यवस्था, एकाग्रता और आत्मचिन्तन की ओर ले जाती है । संगीत की इन विशेषताओं का अनुभव केवल गायक तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि श्रोताओं पर भी इसका प्रभाव पडता है । यदि ऐसा न होता तो मेरे लिए यह विचार प्रकट करना कैसे संभव हो पाता, क्योंकि मैं गायक नहीं हूं और सदा ही श्रोता रहा हूं ।

इन गुणों से सम्बन्धित होने के कारण ही संगीत को मानव के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सदा स्थान मिला है । यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अपनी मान्यता के लिए संगीत सभ्यता का कभी मोहताज नहीं रहा । उन युगों मे भी जब मानव को असभ्य माना जाता था संगीत लोकप्रिय था और उन लोगों में जिन्हें आज हम आदिवासी कहते है और जिन पर आधुनिक सभ्यता का बहुत कम असर पड़ा है, उन में भी संगीत लोकप्रिय ही नहीं बल्कि तथाकथित सभ्य जातियों की अपेक्षा अधिक प्रचलित है । दूसरी ओर यह बात भी उतनी ही सच है कि आधुनिक सभ्यता के अनेक उपकरण, उसकी असीम चमक-दमक और मनोरंजन के अगणित साधनों का आविष्कार संगीत के रस को फीका नहीं कर पाया

---

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में उद्घाटन भाषण; 1 नवम्बर, 1958

है और न कभी कर पायेगा। यह कहना अतिरंजन न होगा कि इस परिवर्तनशील जगत में जो थोड़े से तथ्य अपरिवर्तनीय है संगीत का जादू भी उन्हीं में से एक है।

संगीत जनहित का साधन मात्र है अथवा एक स्वतःसिद्ध सत्य होने के नाते केवल संगीतज्ञ या गायक के सुख का ही साधन है, यह प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक नहीं, क्योकि समाज में और जनसमूह में संगीत की शक्ति का प्रमाण कोई भी देख सकता है। इस विवाद में पड़ने की बजाए यह कहीं उपयोगी होगा कि हम संगीत को इस तरह अपनाएं और इसमें ऐसा सुधार करें जिससे वह व्यक्ति और समष्टि दोनों को बहला सके और दोनों के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त कर सके।

यह बहुत ही संतोष का विषय है कि इस दिशा मे केन्द्रीय सूचना तथा प्रसार मंत्रालय, विशेषकर आकाशवाणी ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है और उसका परिणाम भी अच्छा निकला है। सगीत नाटक अकादमी की स्थापना से पहले ही आकाशवाणी इस दिशा मे प्रयत्नशील रही है। मूझे हस बात की खुशी है कि उन्होंने मध्यमार्ग को अपनाया। उन्होने कठिन शास्त्रीय संगीत को ही सब कुछ मान कर जनसाधारण की प्रवृत्तियों की अवहेलना नही की और न ही औसत श्रोता की रुचि को संगीत का मापदंड मान चिर-प्रचलित वैज्ञानिक प्रणाली का निरादर किया है।

जिस समन्वय की भावना से आप लोग प्रेरित हुए है, उसका मै स्वागत करता हूं। हमें यह समझ लेना चाहिये कि कोई परम्परागत प्रणाली अथवा विचार-धारा न अपने आप में अच्छी है और न बुरी। हमारे लिये वह कहां तक ग्रहण करने योग्य है वह उसकी उपादेयता पर निर्भर करेगा, किन्तु उसे उपयोगी और अपनी आवश्यकताओ के अनुकूल बनाना हमारा काम है। बहुत हद तक परिवर्तन अथवा संशोधन प्रगति का लक्षण है। इस लिये कही भी प्राचीन प्रणाली मे परिवर्तन से अकारण संकोच करना ठीक नहीं। संगीत भी इसका अपवाद नही। संगीत कितना ही उन्नत हो और जीवन में कितना ही बड़ा साध्य क्यों न हो, किन्तु यह तो मानना पड़ेगा कि संगीत मानव के लिये है और मानव संगीत के लिए नही। इस लिए मै समझता हूं कि आकाशवाणी के प्रयास का विशेष महत्व है और उसका सम्बन्ध भारत के जनसाधारण से समझना चाहिये। संगीत की विभिन्न प्रणालियों में समन्वय स्थापित करना, संगीत को लोकप्रिय और सुगम बनाने की दृष्टि से राग-रागनियों में यथेष्ठ संशोधन करना और गायकों तथा संगीत प्रेमियों को प्रोत्साहित करना निस्सन्देह राष्ट्रीय महत्व के काम है।

मुझे खुशी है कि यह महोत्सव बराबर लोकप्रिय होता जा रहा है और इस वर्ष 1300 से ऊपर कलाकार विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं।

इस सफल आयोजन पर मै आकाशवाणी को बधाई देता हूं और सभी संगीत-प्रेमियों के प्रति शुभ कामनाये प्रकट करता हूं।

अब मै सहर्ष इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हू।

# बाल दिवस के अवसर पर

बाल दिवस के अवसर पर गत वर्ष की तरह इस बार फिर बच्चों के प्रति स्नेह और अपनी शुभ-कामनायें प्रकट कर सकने की मुझे खुशी है। हम यह दिन केवल इस लिए नहीं मनाते कि पिछले साल जो उपयोगी काम हुआ है उसकी जांच-पडताल करें। इसे मनाने का अभिप्राय यह भी है कि आगामी वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाय। हमारे सामने अनेकों गहन और पेचीदा समस्याये हैं, किन्तु फिर भी बच्चों के कल्याण-सम्बन्धी काम मे किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिये।

देश भर में बाल दिवस मनाना हमारे कार्यक्रम का एक अंग है। आज के दिन हमें बच्चों से सम्बन्ध रखने वाली विशेष समस्याओं पर सोच-विचार करना चाहिये और बच्चों की स्थिति में सुधार के उपाय आदि की चिन्ता करनी चाहिये। आम तौर से किसी भी बच्चे का रहन-सहन तथा पालन-पोषण उसके माता-पिता के आर्थिक, मानसिक और नैतिक साधनों के अनुसार ही होता है। कुछ लोग इन साधनों की दृष्टि से सम्पन्न हो सकते है, किन्तु प्रत्येक समाज मे, खासकर हमारे भारतीय समाज में बहुत से बच्चे ऐसे होते है जिनके माता-पिता जीवित नहीं होते या जो ऐसी स्थिति में नहीं होते कि बच्चों का पालन-पोषण उचित ढंग से अथवा शिक्षा और स्वास्थ्य की कम से कम जरूरतों के अनुसार कर सकें।

बच्चे राष्ट्र की निधि होते है और कोई भी सभ्य हमाज उनके कल्याण के प्रश्न को केवल संयोग पर ही छोड़ कर संतोष नहीं कर सकता। यह देखना समाज की जिम्मेदारी है कि बच्चों के रहन-सहन और पालन-पोषन मे सुधार हो, गरीब वर्ग के लोगो के बच्चों की देख-रेख भी उचित तरीके से हो, भले ही इसके लिये सरकारी सहायता आवश्यक हो, और शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को आवश्यक सहायता मिले जिससे कि स्वस्थ्य और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में उनका भरण-पोषण हो सके।

बच्चों के कल्याण का सवाल हमारी शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की योजनाओं के अन्तर्गत आता है क्योंकि इन दोनों विभागों का सम्बन्ध बच्चों से भी है। हमारी शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की योजनाओं में बच्चों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। बहुत सी गेर-सरकारी संस्थायें भी हैं जो बाल-कल्याण के काम में खास दिलचस्पी लेती हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात

---

बाल दिवस के अवसर पर ब्राडकास्ट भाषण; नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1958

की है कि सरकारी विभागों और गैरसरकारी संस्थाओ द्वारा बच्चों के सुधार और कल्याण-सम्बन्धी जो काम किया जा रहा है, उसमें उचित एकीकरण या ताल-मेल हो । इस काम को बाल-कल्याण की भारतीय परिषद् में अपने ऊपर ले लिया है ।

बाल सुधार के काम का एक ऐसा पहलू है जिसका ध्यान इस प्रश्न मे दिलचस्पी रखने वालों को रखना चाहिये । यदि हम चाहते है कि हमारी बाल-कल्याण की योजनाओं का हमारी इच्छा के अनुसार फल हो, तो इन योजनाओं पर समय से अमल करना आवश्यक है । इस प्रकार की सुधार-सम्बन्धी कार्यवाही का जोड़ एक विशेष बात अथवा उम्र से है । जब तक इस कार्यवाही का लाभ समय के भीतर ही नही पहुंचेगा, बच्चों को वह सहायता नही मिलेगी जो हम उन्हें देना चाहते है । बच्चो को सामयिक सहायता की उपमा हम खेतों की सिंचाई से दे सकते हैं । पानी से फसलों को बहुत लाभ होता है यदि वह समय से मिल जाए, नही तो पानी बेकार बल्कि हानिकारक तक हो सकता है । इसी तरह हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बच्चों की भलाई के लिए हम जो कुछ भी करना चाहते है, वह ठीक समय पर किया जाए । बड़े-बड़े लोगों-सम्बन्धी मामलो में देरी निराशाजनक या अधिक से अधिक झुझलाहट का कारण हो सकती है, किन्तु बाल से सम्बन्ध रखने वाले कामों में देरी सांघातिक हो सकती है ।

मुझे खुशी है कि भारतीय बाल-कल्याण परिषद् इन सभी समस्याओं के बारे मे जागरूक है और वह अपने सुधार के काम को आगे बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प है। मै परिषद् की सफलता की कामना करता हूं और एक बार फिर भारत के बच्चो को अपनी स्नेहपूर्ण शुभकामनायें भेजता हूं।

# वेदान्त सम्मेलन में भाषण

पूज्य महात्मागण, बहनों और भाइयो,

आज मैं इस सभा में उपस्थित हो सका और आप सब क एक साथ ही दर्शन मिले इसे मैं अपने लिये सौभाग्य मानता हूं। मैं यहां भाषण या उपदेश देने के लिये नही आया हूं। मै तो यहा जो विद्वान, महात्मा, साधु लोग उपस्थित है उनसे कुछ पाने के लिये आया और आपने जो उपदेश दिये उनसे मैंने कुछ पाया भी है।

बात यह है कि हमारे देश को हमारे पूर्वजों ने, महात्माओं ने, स्वामी रामतीर्थ जैसे स्वामियों और साधुओं ने जो कुछ धरोहर दे रखा है वह कम नही है। हमे अपने को उनके योग्य बनाना है जिसमें हमेशा के लिये आज जिस स्थिति मे हम है उससे और ऊपर उठकर अपना और संसार का कुछ काम और कल्याण कर सकें तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा।

इस देश के अन्दर बहुत धर्म के मानन वाले लोग बसते है, बहुत प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उत्तर से दक्षिण तक जाने में आपस की रहन-सहन, तौर-तरीके में भी काफी फर्क है। मगर इतने तरह की आपस की एक दूसरे से विभिन्नता होते हुए भी सारा भारतवर्ष एक है और हमेशा एक रहा है चाहे देश भर मे राज्य एक रहा हो या नही रहा हो मगर भारतवर्ष एक रहा और वह एकता हमारे उस आध्यात्मिकवाद के बल पर कायम रही जिसका जिक्र स्वामियो ने किया और जिसका जिक्र हमारे महात्माओं द्वारा हमेशा होता रहेगा। मैं तो यही चाहूंगा कि जहां एक तरफ हम, जैसा अभी स्वामी जी ने बताया, भौतिक पदार्थों से कोई नफरत का ख्याल नही रखें, दूसरी तरफ आत्मा को भी भूलें नही और आत्मा के साथ-साथ तो परमात्मा है ही, उसको तो कभी भूलना है ही नही। और जब हम एक बार इस बात को समझ लेंगे कि चाहे जो भी धर्म हो, जो भी भाषा हो, जो भी रीति-रिवाज हो, या मैं यों भी कहूं कि जो भी योनि हो, मनुष्य की हो या दूसरे जानवरों की हो मगर सब के अन्दर घट-घट में एक ही ईश्वर विराजमान है तो न एक दूसरे से नफरत हो सकती है और न विभिन्नता का भाव रह सकता है और इसी चीज को हमारे साधु-महात्माओं ने सिखाया है, बताया है। पर दुर्भाग्य-वश हम अक्सर इन चीजों को भूल जाते है और ऊपर की बातों को लेकर आपस में

---

करोलबाग, नई दिल्ली, में वेदान्त सम्मेलन में भाषण; 16 नवम्बर, 1958

झगड़ जाया करते है। इस मौलिक ज्ञान को, चाहे हम उसे वेदान्त के नाम से कहें या किसी भी नाम से कहें जब हम प्राप्त कर लेंगे तो हम अपना भी कल्याण कर सकेंगे और संसार का भी कल्याण कर सकेंगे। स्वामी रामतीर्थ का यही उपदेश था। तो आशा है कि सब लोग इस चीज़ को समझेंगे। आप लोग प्रति वर्ष इस उत्सव को मनाते है तो उसके द्वारा हजारों हजार व्यक्तियों के पास उनके संदेश को पहुंचाते हैं और उसके लिये आप सभी धन्यवाद के भागी है। मैं अपनी ओर से भी श्रद्धा भक्ति और धन्यवाद आप सब को अर्पण करता हूं।

# कालिदास स्मृति समारोह के अवसर पर

इस प्राचीन नगरी मे आकर महाकवि कालिदास के स्मृति समारोह में भाग ले सकने की मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये शब्द मै औपचारिक रूप से नही कह रहा हूं, क्योंकि आप सब विद्वज्जनों के दर्शन करना और कालिदास जैसे महान् साहित्यकार की कृतियों तथा उनसे सम्बन्धित अन्य महत्वतपूर्ण विषयों के विवेचन में उपस्थित रहना मेरे लिये लाभप्रद होगा।

इधर कई वर्षों से, विशेषकर जब से श्री सूर्यनारायण व्यास और उनके साथियों के प्रयास के फलस्वरूप कालिदास की स्मृति में वार्षिक समारोह का आयोजन होने लगा है, हमारे समाज के शिक्षित वर्ग की रुचि स्वाभाविक रूप से इस ओर बढ़ी है। मुझ जैसे लोग जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है, संस्कृत का साधारण-सा ज्ञान रखते हुए भी इस प्रकार के आयोजन के महत्व को पूरी तरह समझते है। इसके कारण दो है। एक तो कवि, कलाकार और सूक्ष्मद्रष्टा के रूप मे कालिदास इतने महान् है कि आज भी इतनी शताब्दियो के बीत चुकने के बाद उनकी गणना संसार के प्रमुख साहित्यकों में होती है। ऐसी असाधारण प्रतिभाशाली विभूति के प्रति आकर्षित होना और उसके महत्व को समझना शिक्षित वर्ग के लिए स्वाभाविक है। दूसरे, जो लोग अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से पढे है, वे जानते है कि इंग्लैण्ड मे वहा के लोगो ने शैक्सपीयर को कितना ऊंचा स्थान दिया है। उस देश मे शैक्सपीयर का जो स्थान है कालिदास का वही संस्कृत साहित्य मे स्थान है और उनका वैसा ही सम्मान भारत में होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि कालदिास के सम्बन्ध में इस देश के जनसाधारण का ज्ञान बहुत कम और अधूरा है तथा हम उन्हें संस्कृति, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी उनके योग्य मान्यता नही दे पाये है, तो हृदय को दुख होता है। यह स्वाभाविक है कि दूसरे देशो के महान् कवि और कलाकारो की मान-प्रतिष्ठा को देखते हुए हम कालिदास को भारतीय समाज में उसी प्रकार प्रतिष्ठित न पाकर अपनी भूल का सुधार करने के लिये प्रयत्नशील हों।

इस सम्बन्ध में मै समझता हूं मध्य प्रदेश, विशेषकर उज्जयिनी के साहित्य प्रेमियों ने, गत 28 वर्षों से कालिदास स्मृति समारोह का आयोजन करके एक महत्वपूर्ण काम किया है। यह सन्तोष का विषय है कि उक्त समारोह दिनों-दिन लोकप्रिय होता जा रहा है और इसके परिणाम-स्वरूप कालिदास तथा

---

कालिदास स्मृति समारोह के अवसर पर उद्घाटन भाषण; उज्जैन, 21 नवम्बर, 1958

कालिदास-कालीन अवन्तिका के सम्बन्ध में कम से कम शिक्षित वर्ग में चेतना का संचार हो रहा है। यह प्रयास एक बड़े काम का श्रीगणेश है, और निर्धारित लक्ष्य के प्रारम्भ के रूप में इसका बड़ा महत्व है। इसके लिए मैं उज्जयिनी निवासियों और समारोह से सम्बन्धित अन्य साहित्य प्रेमियों को बधाई देता हूं।

कालिदास का जन्म कब और कहा हुआ इसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं, यद्यपि अनुसन्धान और शोध कार्य द्वारा इस प्रश्न पर जैसे-जैसे प्रकाश पड़ता जायगा, सम्भव है यह मतभेद भी दूर हो जाय। कुछ भी हो, इसमें तो किसी को सन्देह नही कि कालिदास का जन्म इसी देश में हुआ, यही उन्होंने साहित्य साधना की और देश के भूगोल, प्राकृतिक सौंदर्य, तत्कालीन समाज व्यवस्था आदि को उन्होंने अपने काव्य और नाटकों की पृष्ठभूमि बनाया। इसे हम एक एतिहासिक तथ्य समझते हैं। । भारतीय होने के नाते हमें कालिदास की रचनाओं पर चाहे कितना ही गर्व हो, किन्तु इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिये कि अपनी साहित्यिक प्रतिभा और काव्य सौष्ठव के बल पर कालिदास को ठीक ही समस्त विश्व का नागरिक माना गया है। आधुनिक युग में जब पश्चिम का भारत से सम्पर्क हुआ और कुछ पश्चिमी विद्वानो ने संस्कृत का अध्ययन किया, उस समय भारतीय संस्कृति और साहित्य-सम्बन्धी परम्पराओं का मूल्यांकन करने में उन्हे कालिदास की कृतियों से यथेष्ट सहायता मिली। उस समय से पश्चिमी देशों मे कालिदास की रचनाओं के अनुवाद का क्रम आरम्भ हुआ और संस्कृत भाषा तथा साहित्य के सम्बन्ध में कुछ जानने के लिये शिक्षित वर्ग में उत्सुकता बढ़ी। किसी हद तक यह कहा जा सकता है कि हम लोग भी जो अपनी पुरानी साहित्यिक परम्परा के प्रति कुछ उदासीन हो चले थे पश्चिम से मूल्यांकन के कारण फिर सचेत हुए और कालिदास तथा दूसरे साहित्यकारों की कृतियों पर गर्व करने लगे।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि विश्व का साहित्यिक समाज आज कालिदास की गणना सभी देशों और सभी युगों के सर्वप्रथम इने-गिने कवियो मे करता है। इस सार्वभौम मान्यता के कारण हम पर और भी गहरा दायित्व आता है कि ऐसे युग प्रवर्तक कवि की समृति को हम बराबर बनाये रखें, और कालिदास की जीवनी, कला, तथा साहित्य के ज्ञान को पाठशालाओ तथा विश्वविद्यालयों तक ही सीमित न रहने दें बल्कि भारत के जन-साधारण की रुचि का विषय बनाने में समर्थ हों।

यह कहना कठिन है कि संस्कृत के अतुल साहित्य भण्डार को सार्वभौमिकता और श्रेष्ठता के जो गुण प्राप्त हो सके है उनकी प्राप्ति में कालिदास की कृतियों का कहां तक हाथ है। कुछ भी हो यह निर्विवाद है कि कालिदास की रचनाओं द्वारा किसी भी अन्य अकेले साहित्यिक की कृतियो की अपेक्षा संस्कृत साहित्य अधिक समृद्ध हुआ है। वे कौन सी विशेषतायें हैं जिनके कारण कालिदास की रचनायें इतनी लोकप्रिय हुई और विश्व साहित्य में उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। अनुपम पद-विन्यास और काव्य-गरिमा के अतिरिक्त कालिदास का सब से बड़ा गुण उनकी रचनाओ में यथार्थ और आदर्श का असाधारण समन्वय है। प्रकृति-वर्णन और मानव के आन्तरिक भावों का निरूपण कालिदास ने ऐसे यथार्थ दृष्टिकोण से किया है कि पाठक उससे प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। अपनी विलक्षण कल्पना और काव्य कौशल के बल पर उन्होने मानव स्वभाव के सम्बन्ध मे अनेकों ऐसी बातें कहीं है जिन्हें सृष्टि में सदा ध्रुव सत्य की संज्ञा दी जायेगी।

जिस युग में कालिदास का जन्म हुआ और उन्होंने साहित्य रचना की वह संस्कृत का स्वर्णिम युग था, किन्तु ऐसे युग में भी कालिदास युगवप्रवर्तक कवि कहलाये। इसका प्रमुख कारण यही हो सकता है कि उनकी रचनाओं में भारतीय साहित्यिक परम्परा तथा आदर्श की पूरी झांकी मिलती है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि कालिदास का शृंगार आदर्शपूर्ण है और उनका आदर्श यही शृंगारमय है। यही कारण है कि उनकी सभी रचनायें और रचनाओं का प्रत्येक पद उस काल के भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

यह सब होते हुए भी कालिदास सच्चे अर्थो में सार्वभौम कवि हैं, क्योंकि उनके नाटकों मे जो भाव व्यक्त किये गये है और जिस प्रकार मानव की मानसिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रयाओं को चित्रित किया गया है वह निरूपण आज के मानव के लिये भी दर्पण के समान हैं। कालिदास के पात्र को उल्लसित देख हम आनन्द-विभोर हो उठते हैं, किसी को विलाप करते देख हमें विव्हलता का अनुभव होता है और किसी को शोकमग्न देख हमे वेदना होने लगती है। सच्चे साहित्य की यही सब से बड़ी कसौटी है। देश, जाति, काल आदि के भेद के बिना कालिदास का अध्ययन करने वाले विश्व के सभी लोगों का अनुभव एक समान है और सभी उनकी सार्वभौम प्रतिभा को स्वीकार करते हैं।

संसार की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं में कालिदास के नाटक अनूदित हो चुके हैं और उन्हे श्रेष्ठ साहित्य के रूप में मान्यता मिली है। इंग्लैण्ड,

जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में कालिदास के कुछ नाटक इतने लोकप्रिय हुए हैं कि उनका मंच पर अभिनय भी हुआ है। रूस ने इस महाकवि को इतनी मान्यता दी है कि कालिदास की स्मृति में विशेष डाक टिकट तक प्रकाशित किया है, जो असाधारण सम्मान का सूचक माना जाता है। इसी प्रकार चीन, जापान आदि एशियाई देशों मे भी कालिदास को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माना जाता है और उनकी रचनाओं का वैसा ही आदर किया जाता है।

इन सब बातों को देखकर जहा सन्तोष होता है, वहा यह विचार मन मे आये बिना नही रहता कि कालिदास की जन्मभूमि मे ही अभी महाकवि को वह सम्मान नही मिला जिसके वे स्वय और भारत राष्ट्र अधिकारी है। कालिदास की रचनाएं केवल पाठ्य पुस्तकों का विषय नही हैं। न ही वे मनोरजन अथवा विद्योपार्जन के साधन मात्र हैं। कालिदास की साहित्य साधना समस्त देश के बौद्धिक, भावात्मक और मानसिक विकास मे एक कडी के समान है। वह एक नये युग की प्रवर्तक और अभिनव प्रवृत्तियो की द्योतक है। वास्तव में, युगों के संचित अनुभव द्वारा निर्मित और सास्कृतिक परम्पराओं द्वारा पोषित जिन मानवोचित आदर्शों से किसी भी राष्ट्र के लोगों को प्रेरणा मिलती है, कालिदास की साहित्य साधना उन्ही परम्पराओं का अविभाज्य अग है। भारत के जनसाधारण इस बात को समझे और तदनुसार कालिदास के साहित्य और देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, पारस्परिक सद्भावना तथा स्नेह के उच्च आदर्शों को राष्ट्रीय जीवन मे स्थान दें, इसी में मै कालिदास परिषद् के लक्ष्य की सिद्धि और आप महानुभावों के प्रयत्नों की सफलता समझता हू।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस दिशा मे सामूहिक प्रयास का सूत्रपात हो चुका है और परिस्थितिया भी अब अनुकूल जान पड़ती है। हमारे विश्वविद्यालय और अनेकों विदेशी विश्वविद्यालय भी कालिदास के साहित्य में विशेष रुचि प्रगट करने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी रचनाओं के ज्ञान का विस्तार अधिक व्यापक हो रहा है। कालिदास स्मारक निर्माण की योजनाये भी प्रशंसनीय हैं और मुझे आशा है उनसे भी लोगो मे जागृति पैदा होगी। मै समझता हू कि राष्ट्रीय विभूतियों के सम्मानार्थ कोई भी स्वाधीन राष्ट्र जो कुछ कर सकता है वह कालिदास की स्मृति बनाये रखने और उनका यथोचित आदर करने की दृश्टि से अवश्य किया जाना चाहिये। किन्तु सब से बड़ा, सुन्दर और स्थाई स्मारक तो उनकी अपनी रचनाएं हैं और हम जितने साधन

और अवसर उनके अध्ययन और अनुशीलन के जुटा पायेंगे और जितने बड़े और विस्तृत पैमाने पर ऐसे आयोजन कर सकेंगे उतना ही इससे लाभ उठा सकेंगे। प्रचार का एक साधन यह भी है कि सभी भारतीय भाषाओं में उनकी जिन कृतियों का अनुवाद नहीं हुआ है, अनुवाद किया जाय और मूल तथा अनुवाद दोनों ही जन साधारण के लिये सुलभ बनाए जाएं। स्थान-स्थान पर और समय-समय पर कालिदास गोष्ठियां की जाये जिनमें उनके भाषालालित्य, काव्य और नाटक-रचना तथा समकालीन समाज के चित्रों और उनकी कृतियों में प्रतिपादित भारत भूगोल पर गवेषणापूर्ण और अध्ययनपूर्ण विचार-विमर्श किया जाय। उनके काल, जन्मस्थान, कर्मस्थल तथा जीवन सम्बन्धी अन्य बातों पर जो अनुसन्धान हुआ है वह प्रकट किया जाय और जो विवादग्रस्त विषय है उन पर अधिक खोज की जाय। कालिदास स्मृति-समारोह द्वारा इन विषयों की ओर सब का ध्यान आकर्षित हो और प्रचार बढ़े तो यह समारोह सफल समझा जायगा।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि उन्होंने यथासमय कालिदास स्मारक विशेष डाक-टिकट जारी करने का निश्चय किया है।

मैं इस समारोह के आयोजकों का आभारी हूं कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे यहां निमन्त्रित कर कुछ कहने का अवसर दिया। मेरी यह कामना और प्रार्थना है कि कालिदास परिषद् तथा कालिदास स्मृति-समारोह को इस सत्प्रयास में सफलता प्राप्त हो।

# नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के उत्तर में भाषण

राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्रीजी, नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय, बहनों तथा भाइयो,

मै आपके इस प्राचीन और भव्य नगरी मे आकर अपने को धन्य मानता हूं क्योंकि मेरा आना एक ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिये हुआ है जिसको आज सारा भारतवर्ष एक प्रकार से मनाता है और आइन्दे और भी मनाएगा । यह स्थान अत्यन्त प्राचीन तो है ही, उसके अलावा यह हमारे देश की संस्कृति, काव्यकला तथा हर प्रकार की कृतियों का केन्द्र रहा है और इसलिये यहा एक गौरव है जो दूसरे अनेक स्थानों को उपलब्ध नहीं है । मै आप सब को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि आपने कालीदास जयन्ती समारोह का आयोजन इस स्थान पर किया और यह आयोजन मैं समझता हूं कि बड़े जोरों से और जगहों में भी फैला है और फैलेगा ।

आज भारतवर्ष में एक ऐसा सध्या-काल बीत रहा है जो भविष्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है । एक तरफ हम स्वतन्त्र हुए है और हर प्रकार के राजनीतिक तथा दूसरे प्रकार के बन्धनों से अपने को मुक्त समझ रहे है तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि हम भविष्य को सुधारें, मजबूत बनावें जो हमारे अतीत के गौरव के योग्य हो और जिससे हमारा भविष्य और भी अधिक गौरवान्वित हो सके । हम चाहते है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश बने जिसकी सांस्कृतिक भावनाएं जिनका अतीत मे सम्बन्ध है कायम रहें और जो भविष्य को उज्ज्वल बनाने मे जबर्दस्त भावना रखता हो। इस प्रकार के समन्वय की आवश्यकता यहा उतनी कभी नही हुयी होगी जितनी आज है । मुमकिन है कि इन भावनाओं का आक्रमण बहुत जोरों से, एक प्रकार से गुप्त रूप से हमारे ऊपर हो रहा है और हो सकता है कि ये सांस्कृतिक भावनाएं जिनके बल पर हजारों बाधाओं को झेलते हुए भारतवर्ष आज तक भारतवर्ष बना हुआ है कही कमजोर न पड़ जाये । इसलिये आवश्यकता इस चीज की है कि वह कला, वह काव्य, वे चीजें जो भारतवर्ष की विशेष रही है वे सभी हमारे देश को आज भी उपलब्ध हों और आज जो ससार उन्नति कर रहा है और जिन वृत्तियों

---

नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के उत्तर मे भाषण; उज्जैन, 22 नवम्बर, 1958

में लगकर हम अपने को अधिक समृद्ध बनाना चाहते हैं उनमें जो कुछ ग्राह्य हो, उत्तम हो उनको यहा हम हासिल करें और अपनावें। इस प्रकार के समन्वय की जरूरत है । तो इन दोनों प्रकार के प्रतिनिधियों की जरूरत है। हमारे सास्कृतिक स्थानों के प्रतिनिधि स्वरूप उज्जैन नगर जैसे शहरों की जरूरत है तो आधुनिक उन्नति के प्रतिरूप आज बड़े-बड़े शहरों की भी हमारे लिये जरूरत है और इन दोनों भावनाओं का समन्वय करके एक ऐसा देश शीघ्राति-शीघ्र इस देश मे कायम कर लें जिसमें हर तरह का समन्वय हो और कोई यह नही कहे कि यह प्रतिक्रियावादियों का देश है और न कोई यह कह सके कि हम अपने प्राचीन को भूलकर, बेजड़, बेमूल होकर, अपने स्थान मे उखड़कर हवा में उड़ते हुए मालूम पड़ रहे हैं । यह ज़रूरी है कि इस देश में हम ज़मीन पर चले और जब तक इन दोनों चीजों का मेल नही होगा तब तक उन्नति नही हो सकेगी। इस समन्वय की ज़रूरत आज भारतवर्ष के लिये है और सारे ससार के लिये है ।

इसलिये आपने कालिदास समारोह का यह आयोजन किया इसका मै बहुत महत्व मानता हूं क्योंकि इससे एक प्रकार से जमने का स्थान मिलता है और एक ऐसी दृढ़ भित्ति मिलती है जिस पर हम अपना नया महल खड़ा कर सके तो वह नया महल सुन्दर होगा, भव्य होगा और सब के लिये सुखद होगा। ऐसी हम भावना रखते हैं और ऐसी आशा करते हैं । इसी तरह का आप लोगों का आज संकल्प भी है क्योंकि जितनी जो चीजें परम्परागत चली आ रही हैं उनको पुनर्जीवित करना आसान होता है, उनका पुनरुत्थान करना सहज होता है। अगर आप पुरानी संस्कृति और सभ्यता को पुनर्जीवित कर सकते हों तो वह आपके लिये बड़े गौरव की बात होगी। यह केवल आपका ही नही बल्कि सारे देश का काम होना चाहिये तथा सारे देश का योगदान इसमें होना चाहिये और मुझे इस बात का विश्वास और भरोसा है कि आपको योगदान मिला है । इसलिये मै आप लोगों को बधाई देता हूं ।

आज 10, 11 साल हो गये जब हमें स्वराज्य मिला और तब से हम स्वतन्त्र होकर इस योग्य हो गये हैं कि अपने भाग्य का निर्णय करें, उसको बनावें या बिगाड़ें। बनायेंगे तो उसका श्रेय हमको ही मिलेगा और बिगाड़ेंगे तो उसकी बदनामी भी हम को ही मिलनी चाहिये। इस योग्य तो हम हो गये हैं और आपको यह जरूर महसूस होता होगा। आप इस बात को समझ रहें हैं कि आपके सेवक इस बात के प्रयत्न में लगे हुए है कि देश को इस तरह से उन्नत

करें जिसमें सभी लोग सुखी हो जायें। इसमें जो बाधाएं थी उनको हम बहुत हद तक दूर कर चुके हैं और जो अभी बाकी हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इस प्रयत्न में भी लगे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को सुखी बना सकें, अशिक्षा जो फैली हुयी है उसको दूर कर सकें, गरीबी को दूर कर सकें, बीमारी को हटा सकें और हर तरह से इस देश को सुखी और समुन्नत बना सके।

प्रयत्न हो रहा है। मगर वसन्त के आने पर आम में मंजर देखने में आ जाते हैं और यद्यपि उसकी गन्ध चारों तरफ फैल जाती है मगर उसी वक्त कोई चाहे कि सुगन्ध के साथ-साथ फल भी मिल जाये तो यह बुद्धिमत्ता नही। उसी तरह से आज हमको स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की वसन्त की सुगन्ध तो मिल रही है और वह हर तरफ फैल रही है मगर फल मिलने में देर हो रही है और उस देर से बुद्धिमान लोग घबड़ाते नही। कोई आदमी जो समझता है कि आम मे मंजर लगने के बाद भी फल मिलने में समय लगता है वह तो समझ सकता है कि जब मंजर लग गये है तो फल मिलेगे ही और उसका काम यही है कि बुद्धिमानी से उसमें जो विघ्न-बाधा आनेवाली है उसको दूर करे। सारे देश का यह कर्तव्य है कि जो सुन्दर वसन्त आयी है उससे लाभ उठाकर जो मंजर निकले हैं उनको सुरक्षित रखे और इस बात की उम्मीद करे कि जो काम आज किया जा रहा है और बड़े-बड़े काम किये जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायी जा रही हैं, बड़ी-बड़ी योजनाओं पर काम हो रहा है जब वह फलीभूत होंगे तो सारा देश उनसे अच्छी तरह से फल पा सकेगा और उन्नत हो सकेगा। इसलिये आज किसी के घबड़ाने की बात नहीं है और न किसी को इसकी चिन्ता में पड़ना चाहिये कि हम मुश्किल में पड़े हैं, स्वराज्य हुए 10 वर्ष बीत गये और अभी तक हमको जितना फल मिलना चाहिये नही मिला।

मैं जहां-कहीं जाता हूं मैं देखता हूं कि हजारों-हजार की संख्या में मेरे स्वागत में लोग आते है तो मै समझता हूं कि यह भी एक चीज है जो मनुष्य के हृदय को प्रफुल्लित और उत्साहित करती है। उससे मालूम होता है कि जन-समूह में चेतना जगती जा रही है कि यह सारा देश एक है और हम सब एक हैं और राष्ट्रपति को बनाना उनका अपना अधिकार है उन सब को अधिकार मिला है और राष्ट्रपति एक प्रतीकमात्र है, देश को बनाने और बिगाड़ने का काम हमारा है और देश जिस तरह से चाहेगा उसको काम करना होगा और उसी तरह से देश को बनाना होगा। यह महसूस होना, इस तरह का भाव लोगों

के हृदय में आना उन्नति का चिन्ह है और इस चीज को जहां-कहीं मैं जाता हूं अपनी आंखों से देखता हूं तो मुझे निराशा नहीं होती है। मै तो प्रफुल्लित हो जाता हूं और लोगों को समझाता हूं और कहता हूं कि अब मंजर लग गये हैं इस वक्त गाछ को सींचा जा रहा है उसमें हर तरह के विघ्न-बाधाओं से बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब इन्तजारी करनी है। इसमें कुछ वक्त लगता है पर फल तो आपको अवश्य मिलेगा। ईश्वर उसकी ही मदद करता है जो पुरुषार्थ पर भरोसा करते है। हम पुरुषार्थ पर भरोसा करके ईश्वर पर ध्यान लगाये काम करते जा रहे हैं।

मै आप सब बहनों और भाइयो को बधाई देना चाहता हूं कि देश का उत्थान जो एक बहुत बड़ा काम है और सुन्दर काम है उसकी कड़ी को बनाने और जोड़ने में आप कुछ काम कर सकते है और आपको करना चाहिये। मैं आप सब को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि आप इसकी चेतना रखते है।

जब से मै यहां आया हूं जब-जब निकला हूं जहां-जहां गया हूं मेरे स्वागत में जनता की भीड़ उमड़ पड़ी है। मै इस सब के लिये आप सब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझ से जो कुछ भी सेवा हो सकती है वह आपको मिलेगी जैसे पहले हमेशा मिली है।

# चेम्सफोर्ड क्लब में गुरू नानक के जन्म दिवस समारोह में भाषण

बहनों और भाइयो,

हर साल की तरह में आज भी इस सभा मे इस ख्याल से शरीक हुआ कि ऐसे दिन पर बुजुर्गों की याददाश्त मे इनसान कुछ सबक सीख सकता है और खुद अपने लिये कुछ फायदा उठा सकता है। हमारे शास्त्रों में बार-बार कहा गया है कि जब कभी संसार में धर्म की ग्लानि होती है, लोगों में कमजोरी आ जाती है और झूठ-सांच को समझना उनके लिये मुश्किल हो जाता है तो ऐसे बुजुर्ग आते हैं जो लोगों को सच्चा रास्ता बताते हैं और उस तरफ चलने के लिये बढ़ावा देते हैं। गुरु नानक जी ऐसे ही महात्माओं में से थे जो सैकड़ों वर्षों पर अवतार लिया करते हैं और जिनके शब्द उनके सिर्फ ही वक्त तक नही बल्कि बहुत बाद तक और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिये नही जिनके कानों तक उनकी अपनी आवाज पहुंचती है बल्कि उनके गुजर जाने के बाद हजारों-हजार वर्षों तक वह आवाज़ गूजती रहती है और उनके शब्द लोगों के कानों मे पहुंचते रहते हैं और वे शब्द अर्थ से भरे रहते हैं क्योंकि वे खास मतलब से कहे जाते हैं और वह मतलब होता है लोगों के हृदयों मे ईश्वर के लिये विश्वास और प्रेम पैदा करना और इन्सान आपस में किस तरह से प्रेम का बर्ताव करे यह सिखाना। गुरु नानक देव इन दोनों चीज़ों को लेकर आये और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिये नही जिनको उनकी जिन्दगी में उनके शब्द सुनने का सौभाग्य हुआ बल्कि आज हमारे लिये भी उनकी आवाज़ वैसी ही कीमती और कारगर है जैसी वह उन लोगों के लिये थी जो उनके वक्त में हाजिर थे।

हमारी बदकिस्मती यह है कि हम उन शब्दो पर पूरी तरह से अमल नहीं करते और उनके अर्थ का अनर्थ करके इस तरह से चलते हैं जो उनके बताये रास्ते से ठीक उलटी तरफ हमको ले जाता है। हम यही चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क में जहां कितने ही धर्मों के माननेवाले लोग बसते हैं गुरु नानक देव जी ने शब्द बोले उनको याद रखें और याद रखकर हम एक-दूसरे के साथ प्रेम तथा सद्भावना का बर्ताव करें जिसमे हर किस्म के आपस के तनाजे और झगड़े मिट जायें और हम सब एक-दूसरे से मोहब्बत करने के लिये न कि एक-दूसरे से लड़ने के लिये तैयार हो जायें। आखिर इन्सान की लड़ाई होती है कोई खास चीज़ को

---

चेम्सफोर्ड क्लब में गुरु नानक के जन्म दिवस समारोह में भाषण; 24 नवम्बर, 1958

लेकर और अकसर हम लोग बिना किसी खास चीज़ के लड़ पड़ते है। हम तो यही चाहते है कि किसी चीज़ के लिये हम लड़ें नहीं और एक-दूसरे के साथ मिलकर सुलह से मोहब्बत के साथ रहे। चाहे राय में कुछ तफरकात भी क्यों न हो पर सुलह से रहे और मोहब्बत के साथ अपनी जिन्दगी काटें और एक-दूसरे की मदद किया करें। अगर हम इतना नही करें तो कम-से-कम हम लड़ें नहीं।

हमारे मुल्क में इस चीज़ की ज़रूरत आज और भी है क्योंकि अभी हाल मे हम आजाद हुए है और आजादी के बाद हमारे सामने इतने बड़े और अहम सवाल मौजूद है जिनका हल निकालना कोई आसान काम नही है और अगर इन मुश्किलों में हम एक यह मुश्किल भी जोड़ दें जो हम आपस में पैदा करते है तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ती जायेंगी और हमारे लिये आगे बढ़ना मुश्किल होगा।

इसलिये ऐसे मौके पर जब हम मिलते है तो जिस तरीके से हम यहा आकर मिले है और जिस सद्‌भावना को लेकर कितने ही मजहबो को माननेवाले और हर तरह के लोग यहा इकट्ठे हुए है इसको एक नमूना बनाकर अपनी ज़िन्दगी मे हम इस तरह से चलें जैसा सबक हमको गुरु नानक ने सिखाया तो यह हमारे लिये खुशकिस्मती की बात होगी और मै समझता हू कि उनकी सीख उसी तरह की रही है। हम उसमे जब तक पूरी तरह से अपने को वाकिफ करके पूरी तरह से उस पर अमल करने के लिये तैयारी नही कर लेगे तब तक हमारी तरक्की मुश्किल रहेगी। आज इसकी ज़रूरत है कि सब लोग मिल जुल कर रहे। ईश्वर एक है, मरने के बाद भी सब को एक ही जगह जाना होता है चाहे वह जगह कही भी हो। तो ऐसी हालत मे जो चन्द दिन हमें यहां गुजारने है उनमे हम क्यो झगड़े, क्यो एक-दूसरे से लड़ाई करे। और यह समझना कि हमारी अपनी तरक्की किसी दूसरे पर मोहस्सर है गलत है। ससार मे बहुत जगह है और ईश्वर सब को मौका देता है। सब अगर चाहे तो अपने-अपने रास्ते पर चलकर ईश्वर तक भी पहुच सकते है तो दुनिया की छोटी-मोटी चीजें तो कुछ है ही नही। तो जो झगड़े धर्म के नाम पर होते है वे तो बिल्कुल बेबुनियाद है।

अगर किसी चीज़ के लिये झगड़ा हो तो हम समझ सकते है कि हा एक चीज़ के लिये झगड़ा हुआ। ज़मीन है, मकान है या है कोई दूसरी सम्पत्ति है उसके लिये झगड़ा हो तो आदमी देख सकता है कि एक चीज़ मिलती है। मगर धर्म में तो सिवाय ईश्वर की भक्ति के और दूसरी कोई चीज़ है ही नही चाहे

कोई भी धर्म हो उसकी ही खोज करने का सब से बड़ा काम होता है और यही एक काम है जिसको लेकर हम मिल सकते हैं यह खासकरके समझने की जरूरत है। चाहे जिस मुल्क में हों, जिस नाम से हों, जिस तरीके से हों हम सब उसी की पूजा करते हैं, उसी की खोज करते हैं और, अगर हम इस सबक को नहीं सीखते तो यह हमारे लिये बदकिस्मती है। गुरु नानक के जन्म दिन पर हम इकट्ठे होते हैं यह खुशी की बात है।

मैंने जैसा आरम्भ में कहा, मैं यहां आया करता हूं तो अपने लिये कुछ ले जाता हूं, कुछ सीखता हूं। कम-से-कम बुजुर्गों की याद आ जाती है जिससे कुछ मदद मिलती है।

# द्रोणाचार्य एस० डी० कालेज में दीक्षान्त भाषण

मंत्री महोदय, श्री द्रोणाचार्य महाविद्यालय के प्रिन्सिपल महोदय, भाइयो और बहनो तथा कालेज के छात्रो,

जब मुझ से आपके प्रिन्सिपल ने कहा कि मुझे यहा आना चाहिये तब मैं यहां के इतिहास से वाकिफ नही था और न यह जानता था कि इस कालेज का नाम गुरु श्री द्रोणाचार्य महाविद्यालय क्यों है। मुझे अब मालूम हुआ है कि यही स्थान है जहां गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवो और कौरवों को शिक्षा दी थी और इसी वजह से इस स्थान का भी नाम गुड़गांव पड़ा और जब कालेज यहां स्थापित किया गया तो उस कालेज का भी नाम उनके नाम से जोड़ा गया। तो इसलिये खासकरके इस कालेज का एक महत्व है और जो लोग यहां पढ़ते या पढ़ाते है उनकी एक विशेष जिम्मेदारी है।

यहां के शिक्षकों और विद्यार्थियों को यह याद दिलाने की जरूरत नही होनी चाहिये कि प्राचीन काल में हमारे देश में गुरु और शिष्य में क्या सम्बन्ध हुआ करता था और उसका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उदाहरण गुरु द्रोण से ही मिलता है जिन्होंने अपने ऐसे अन्छे विद्यार्थियों को तैयार किया था जो चिरकाल के लिये सिर्फ भारतवर्ष के लिये ही नही बल्कि ससार क लिये आदर्श बन गये। गुरु द्रोणाचार्य क सम्बन्ध मे और उनके दूसरे शिष्य के सम्बन्ध मे एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वह एकलव्य की कथा है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के यहां शिक्षा लेना चाहता था पर जब उसको वह शिक्षा मिलने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ तो उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर अपने सामने रखकर अपनी शिक्षा उसने ऐसी ली कि वह उनके दूसरे शिष्यों के मुकाबले में आ गया। वह एक जमाना था जब गुरु की वजह से या किसी प्रकार से शिष्य को निराशा भी होती थी तो वह गुरु की प्रतिमा देखकर अपने को सुशिक्षित बना सकता था। आज हम लोग इस देश में कुछ ऐसी अवस्था में पड़ गये हैं जो हमारे लिये बहुत शोचनीय होती जा रही है। आज ही अखबार में मैंने देखा कि किसी गुरु ने किसी विद्यार्थी को परीक्षा में नकल करते देखा और उसको पकड़ लिया और इस कुसूर पर विद्यार्थी ने उनको छुरा मार दिया। एक वह आदर्श हमारे सामने है और दूसरा यह चीज हम अपनी आंखों से अपने दुर्भाग्य से आज देखते और सुनते है। सारे भारतवर्ष में इस वक्त विद्यार्थी

---

**द्रोणाचार्य एस० डी० कालेज में दीक्षान्त भाषण; गुड़गांव, 29 नवम्बर, 1958**

समाज में कुछ हलचल सी है। इसका कारण जो भी हो मगर इससे इनकार नही कि कुछ न कुछ हलचल है और इसमें यह भी जानना ज़रूरी है कि इस हलचल का एक मुख्य कारण यह भी है कि जो सम्बन्ध गुरु और शिष्य मे प्राचीन काल में हमारे देश मे हुआ करता था वह सम्बन्ध आज बहुत ढीला पड़ गया है। कसूर किसका है यह जानना ज़रूरी नहीं है जितना इस अवस्था को दूर करना ज़रूरी है और इसको दूर करने के लिये जो भी साधन अपनाया जाये वह ऐसा होना चाहिये कि जो सचमुच रोग को दूर करे न कि एक रोग को दूर करके उसकी जगह पर एक दूसरा रोग रखकर खड़ा कर दे।

मै जहा तक देखता और सोचता हूं मुझे यह मालूम होता है कि हमारी शिक्षा-पद्धति आज बहुत विच्छृंखल हो गयी है। हमारे विद्यार्थियों के सामने कोई विशेष उद्देश्य या आदर्श नहीं रह जाता है। वे चाहते है पढ़ना वे चाहते है सीखना मगर जब पढ़-लिखकर वे तैयार होते है तो उनक सामने कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे वे अपना जीवन सार्थक बना सके अर्थात् सुख से रहकर और भी कुछ सोच सकें और विचार सकें। कुछ रोटी की ही चिन्ता पड़ जाती है। कोई साधन या नौकरी जल्द मिलती नहीं और साथ ही साथ शिक्षा पद्धति भी ऐसी है जिसमें परीक्षा पर अधिक जोर देने की वजह से परीक्षा पास करना ही एक प्रकार से उद्देश्य बन जाता है और वही कारण है कि इस किस्म के वाकयात हुआ करते है। परीक्षा मे किसी किस्म की त्रुटि हुई और परीक्षा में नकल करने में किसी ने बाधा डाली तो उसको ही कसूरवार ठहराया गया। इस तरह की बातें सामने आती है।

और दूसरी बातों को हम छोड़ देते है तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि इतनी युवतियां और युवक आज आपके इस कालेज से पास करके प्रमाण पत्र ले गये। यह खुशी की बात है। मगर उनके सामने भी यह सवाल तो है ही कि इसके बाद क्या करना है और किस तरह से अपने जीवन को ठीक तरह से सम्भाल सकें और बिता सकें। मेरा अपना ख्याल है कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी बननी चाहिये जिसमें जो हमारे पुराने विचार रहे है जो हमारे सांस्कृतिक तौर-तरीके रहे है उनको हम बिल्कुल नही भूलें, छोड़ न दें और साथ ही आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपने को इस योग्य बना लें कि मुश्किलों का सामना कर सकें। होता है यह कि वे पढ़ते है एक दृष्टि से और उनके सामने काम आ जाता है, कोई दूसरा जिसके लिये जब वे अपने को तैयार नहीं पाते तो उनको कठिनाई होती है निराशा होती है

श्रौर उनमें मायूसी श्राजाती है। इसमें विद्यार्थियों का ही काम नहीं है बल्कि सभी शिक्षा प्रेमियों का श्रौर उन लोगों का खासकरके जो शिक्षा सस्थाश्रों से सम्बन्ध रखते है यह काम है कि जो बच्चे उनके मातहत श्रा जाते है उनको वे इस तरह से तैयार करें जिसमें वे शरीर से भी मजबूत हों, उनके शरीर मे भी बल हो, मन में भी बल हो, चरित्र में भी बल हो श्रौर साथ ही साथ विद्या का भी पूरा श्रभ्यास हो। जब तक इन सब चीजों का ऐसा मेल नही हो जायगा कि श्रगर कोई श्रनहोनी बात हो जाय तो उससे वह नहीं घबड़ाये श्रौर मुश्किल से मुश्किल काम भी सामने श्रा जाये तो उसमें हिम्मत के साथ पड़कर श्रपने लिये रास्ता खोज लें तब तक हमारे देश में जो कमजोरी है वह दूर नहीं होगी। श्रौर श्रब जब हम स्वतन्त्र हो गये है श्रौर श्रपने को स्वतन्त्र रखना श्रौर देश को श्रधिक समृद्ध श्रौर सुखी बनाना हममें से प्रत्येक का कर्तव्य हो गया है तो यह श्रौर भी श्रावश्यक है कि हम श्रपनी शिक्षा संस्थाश्रों को ऐसा सुधारें जिससे हम ये श्राशाएं पूरी कर सकें। हम तो यह भी श्राशा रखते है कि श्रापका यह विद्यालय जिसके नाम के साथ गुरु द्रोणाचार्य का नाम जुड़ा हुश्रा है एक उच्च श्रादर्श श्रपने सामने रखकर विद्यार्थियों को इस तरीके से तैयार करेगा जो इस नवयुग श्रौर नव भारत के तकाजे को पूरी तरह से श्रदा कर सकें श्रौर उनको ऐसा योग्य बना दे कि केवल नौकरी के जरिये से ही नही बल्कि दूसरे तरीके से भी श्रपना निर्वाह वे कर सकें श्रौर साथ ही साथ देश की श्रौर दूसरों की सेवा भी करने के योग्य बन जायें। साथ ही उनके हृदय में ऐसी भावना भी हो जाये कि केवल श्रपने को सुखी बना लेना काफी नहीं समझें बल्कि समझें कि श्रपने को सुखी बनाने का एक तरीका यह भी है कि जहां तक हो सके दूसरों को भी सुखी बनाया जाये।

तो हम चाहते है कि हमारे साधन बढ़ें श्रौर इसके लिये हजारो तरीके निकाले जा रहे है श्रौर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायी जा रही हैं, बड़े-बड़े काम हाथ मे लिये गये है जिसमे लोगों की सम्पत्ति कुछ बढ़े, लोगों की श्राय कुछ बढे श्रौर लोगो का जीवन-स्तर कुछ ऊंचा हो जाये। इन सब कामो में सब को मदद करनी चाहिये, बिना सब लोगो की मदद के ये सब काम पूरे नहीं हो सकते। साथ ही साथ हमको यह भी सोचना है कि जो रोटी श्रौर दाल के श्रलावा मनुष्य के जीवनके लिये दूसरी चीजें भी है जो श्रधिक श्रावश्यक नहीं तो कम-से-कम बराबर श्रावश्यक है। श्रपनी प्रवृत्तियां, श्रपने हृदय के भाव, ऊंचे ख्याल, सद्भावना, सत्चरित्रता इन सब चीजों को भी रोटी के काम की योग्यता के साथ-साथ हासिल कर लें तो उनका यह जींवन श्रौर वाद का जीवन दोनों सुखी होगा।

मेरा इन बच्चे-बच्चियों को यही आशीर्वाद है कि वे अपने को इस योग्य बनायें कि जो आशाएं उनसे की जाती है चाहे वह देश की तरफ से हो, शिक्षिकों की तरफ से हो चाहे अपने घर की तरफ से हो वे सब आशाओं को पूरा कर सकें।

## सर जगदीश चन्द्र बोस की १००वीं जयन्ती के अवसर पर

देवियो और सज्जनों,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे आज यह अवसर मिला कि मैं आचार्य जगदीश चन्द्र बोस के सम्बन्ध में दो शब्द कह करके भारतवर्ष की पुरानी रीति के अनुसार थोडी गुरु-दक्षिणा दे सकू। गुरु-दक्षिणा इसलिये कह रहा हूं कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त था कि सर जगदीश चन्द्र बोस ने मुझे थोड़े दिनों तक साइन्स पढ़ाया था। मुझे याद है कि उस ज़माने के स्कूल और कालेज की पढाई मे और आज की पढाई मे बहुत अन्तर पड़ गया है। उन दिनो में साइन्स और आर्टस अलग-अलग नही पढाये जाते थे बल्कि उस वक्त दोनों एक साथ ही पढाये जाते थे और मै उन लोगो में से हूं जिन्हे साइन्स नही पढ़कर भी कुछ न कुछ साइन्स मुझे पढना पडा था। उस जमाने मे इन्टरमिडियेट की परीक्षा नही हुआ करती थी और पहले एट्रन्स की परीक्षा हुआ करती थी। एन्टन्स की परीक्षा के बाद एक दूसरी परीक्षा हुआ करती थी, एफ० ए० फर्स्ट एक्जामिनेशन इन आर्टस। एफ० ए० मे साइन्स और आर्टस दोनों की पढ़ाई होती थी अर्थात् अग्रेजी और एक और भाषा, हिस्टरी, लौजिक, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स ये सब विषय पढने पड़ते थे। मै एन्ट्रेन्स पास करके प्रेसिडेन्सी कालेज मे गया और वहा उस वक्त डाक्टर बोस फिजिक्स के प्रोफेसर थे। फर्स्ट इयर और सेकन्ड इयर दोनो वर्षो मे उन्होंने मुझे फिजिक्स पढाया और यदि मै साइन्स मे रह जाता तो एफ० ए० पास करने के बाद भी मै उनका विद्यार्थी रहता पर मै उस योग्य नही था और साइन्स से हटकर आर्टस मे चला गया और उनका साथ टूट गया। मगर उन दो वर्षो मे उन्होने जो थोड़ा-बहुत पढ़ाया था और मुझे जान लिया था उसे उन्होने बहुत दिनो तक याद रखा क्योंकि जब वहां मै उनके क्लास से अलग हुआ उसके बाद उनसे मिलने का मुझे करीब-करीब 25 वर्षों के बाद सुअवसर मिला। और वह इस तरीके से कि वह पटना आये हुए थे और उन्होंने मुझे याद करके तलाश करके बुलवाया। उस वक्त मै एक-दूसरे काम मे लगा हुआ था। वह ऐसा काम था जिससे खासकरके ऐसे लोगों का जिनका उस वक्त गवर्नमेंट से ताल्लुक हुआ करता था कम ताल्लुक हुआ करता था। और उस समय वह थोड़े ही दिनों के लिये वहा से निकले थे और पटना यूनिवर्सिटी

---

सर जगदीश चन्द्र बोस की 100 वीं जयन्ती के अवसर पर किये गये समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय मे भाषण; 30 नवम्बर, 1958

में कनवोकेशन ऐड्रेस देने के लिये बुलाये गये थे। इसलिये वह गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर के साथ ठहरे थे और मुझे सदाकत आश्रम से उन्होंने गवर्नमेंट हाउस में बुलवाया। उन दिनो में मेरे जैसे आदमी के लिये यह बड़ी बात थी। मगर इतना ही नही, वह खुद आश्रम मे गये और आश्रम में जो हमारी तरह और लोग उस काम मे लगे हुए थे सब को उन्होंने बुलाया, वह सब से मिले और वहा पर उन्होंने एक प्रदर्शन भी दिया। इसके अलावा उन्होने जो कुछ वैज्ञानिक काम किया था उसका थोड़ा-सा प्रदर्शन यूनिवर्सिटी मे किया उसमें भी मुझे पकड़ कर ले गये और मुझे भी जाना पडा। मेरा उनसे सम्पर्क तो गुरु और शिष्य के तरीके से हुआ था मगर मै ऐसा शिष्य था कि उनको भूल गया था मगर जिसको गुरु नही भूले थे। मै समझ सकता था कि उनको मेरे लिये कैसा प्रेम था।

उन्होंने जो विज्ञान का काम किया उसके सम्बन्ध मे हमारे देश के बड़े-बड़े वैज्ञानिक लोगो ने थोड़ा आपको बताया। जो उनकी सारी जिन्दगी रही उसके सम्बन्ध मे जस्टिस दास ने बहुत सुन्दर शब्दों मे आपको बताया। मै जानता हू कि इन सब चीजों के अलावा उनके हृदय में देश के गरीबो के साथ बहुत गहरा प्रेम था और वह प्रेम कभी-कभी फूटकर निकल आता था और उसका रूप भी सेवा का ही हुआ करता था।

कलकत्ते से करीब 200 मील पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है गिरिडीह। उसकी जलवायु अच्छी है। वहा पर अपने लिये उन्होने एक मकान ले लिया था और छुट्टियों पर वह वहा जाया करते थे। वह जगह एक ऐसी जगह है जिसके आस-पास बड़ी-बड़ी कोयले की खाने है। वहा से थोडी दूर पर अबरख की खान भी है। वह जब वहा जाते थे तो उन खानों मे काम करनेवालों के साथ उनका सम्पर्क हुआ करता था। बहुत वर्षों के बाद उन्होने मुझे फिर से याद किया। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था जिसके जरिये से उन्होने कई काम हाथ में लिये थे। उनमें से एक यह भी था कि कोयले की खानों में काम करनेवालों के बीच, खास करके गरीब लोगों के दर्म्यान शराब बन्दी का काम ट्रस्ट के रुपये से किया जाय। जब यह करने का विचार उनका हुआ और उन्होंने ट्रस्ट बनाया तो मुझे उन्होंने याद किया और मुझ से कहा कि यह काम करो और कई वर्षों तक मै उस काम को करता रहा। 1942 में जब एक तूफान आया, ट्रस्ट के रुपये मेरे पास आते थे, मैं अपने नाम से ही एकाउन्ट रखा करता था और जो काम करनेवाले थे उनको दिया करता था। तूफान मे हमारे नाम से जितने एकाउन्टस थे सब को गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। मेरे सामने दिक्कत आयी। हमारे पास अपना

तो कुछ था नही । जो कुछ था वह ट्रस्ट का ही था । मैंने गवर्नमेंट के पास लिखा कि वे रुपये मेरे नही, वे डाक्टर बोस के रुपये है जो उन्होने प्रोहिबिशन के काम के लिये दिये थे और उसी काम मे वे लगाये जा रहे है और फलां-फलां उसमे काम करनेवाले है। एक ट्रस्टी लेडी बोस उस वक्त जिन्दी थी। मैंने लिखा कि लेडी बोस के पास उस रकम को ट्रान्सफर कर दिया जाय, मेरा अपना जो कुछ है वह जब्त रहे तो परवाह नही। गवर्नमेंट ने मेहरबानी करके इसे मंजूर कर लिया। और जब तक लेडी बोस जिन्दी रही मुझे याद रखती थी और इस तरह से जैसे मा अपने बच्चो की याद रखती है।

यहा पर आपने उनके जीवन के सम्बन्ध मे अभी सुना। मै सायन्स के सम्बन्ध मे कुछ कह नही सकता क्योंकि मै नालायक विद्यार्थी निकला लेकिन वह जो क्लास मे पढ़ाया करते थे शायद ही एक घण्टा पढ़ाते थे। वह 30, 35 मिनटों तक पढ़ाते थे और इसी दर्म्यान जिस चीज़ को वह पढ़ाते थे इतनी सफाई से वह बताते थे कि मै अपने बारे में कह सकता हूं कि मै किताब नही पढ़ता था, उनका पढ़ाना ही मेरे लिये काफी हो जाता था और उसी जरिये से मैंने परीक्षा भी पास कर ली। उनके पढ़ाने का ऐसा अच्छा तरीका था कि क्लास में जो एक्सपेरीमेट दिखलाते थे वह ऐसे सुन्दर तरीके से दिखाते थे कि उसका नक्श ऐसे आदमी के दिल पर बैठ जाता था कि आदमी भूलता नहीं था। सुबह वह 9 बजे आ जाते थे और 8 बजे रात तक बैठते थे। जब क्लास का वक्त होता था तो लैबोरेटरी से आकर क्लास करते थे और क्लास खतम होने पर फिर लैबोरेटरी मे चले जाते थे। वह जमाना ऐसा था जिस वक्त यह बात कलकत्ते मे मशहूर थी कि जो सुविधा उनको मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है और पढाने का बोझ उन पर काफी डाला जा रहा है जिसमें उनका ज्यादा वक्त पढ़ाने में लगे और रिसर्च के लिये कम समय बचे। पढ़ाने का तो काम वह करते ही थे और साथ-साथ वह रिसर्च का भी काम किया करते थे और अब उनके विद्यार्थी बडे-बडे सायनटिस्ट हो गये है।

आप लोग इस विषय को अच्छी तरह से जानते है। जो उनका इन्स्टीट्यूट है, जो उनकी कीर्तियां है उनको कायम रखना भारतवासियों का कर्तव्य है और विशेषकरके जो उनके शिष्य है, जो सायन्स के जाननेवाले लोग है उनको कायम रखना उनका बडा कर्तव्य हो जाता है क्योंकि केवल रुपये से ही कोई इन्स्टीट्यूट नही चलता है। उसके लिये काम करनेवाले चाहिये। आप लोग है और उसे चला रहे है। यह आशा की जाती है कि हर तरह से वह इन्स्टीट्यूट दिन

रात तरक्की करता जायगा जो उनके जीवन का सच्चा यादगार है। मै अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से यही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा जीवन जो परिश्रमी ही नहीं था, बल्कि जो त्याग से भरपूर था और जिसको अपने देश के लिये बड़ा गौरव था बिरले ही मिला करता है।

जब उनके बड़े-बड़े आविष्कार हुए और सब जगहो के लोगों ने कुछ-न-कुछ कहा तो उन्होंने उत्तर मे यही कहा था कि मैंने कोई नयी बात नहीं कही है, मैंने वही कहा है जो हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले गगा के किनारे बैठकर कहा करते थे। यही उनकी भावना रही और उसी भावना से उन्होंने काम किया, देश को ऊपर उठाया और साथ ही साथ विज्ञान को आगे बढ़ाया । यह हमारे लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उनकी आज 100वी जयन्ती मना रहे हैं। उनकी आत्मा हमको आशीर्वाद देगी इसमे कोई शक नही।

# इंडियन एसोसियेशन द्वारा किये गये स्वागत समारोह में भाषण

मुझे बडी खुशी इस बात की है कि अपने देश से इतनी दूरी पर मैं आप लोगों को देख सका। भारतवर्ष के लोग बहुत पहले जमाने मे दूर-दूर तक गये और भारतवर्ष की सस्कृति और सभ्यता का काफी प्रचार किया। बीच में कुछ दिनों तक वह सम्बन्ध कमजोर पड़ गया मगर जब अब हम भारत में स्वतन्त्र हुए है और दूसरे देश भी स्वतन्त्र होते जा रहे है तो वह सम्बन्ध पुन नये तौर से जुटता जा रहा है और दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है। इसलिये जब कभी देश के बाहर भारतीयों से मुलाकात होती है तो मुझे बडी खुशी होती है और उनमे मै यही कहना चाहता हू कि जिस देश मे आप आये हुए हो, जहां रोजगार कर रहे हो, जहां अपने जीवन निर्वाह के लिये पैसे पैदा कर रहे हो वहा के लोगों के साथ आप ऐसा घुलमिल जाओ कि जिसमे कोई यह नही समझे कि आप विदेशी हो और साथ ही आप भारत को भी नही भूलो क्योंकि आपका जन्म तो वहां ही हुआ है और आप मे से जिनका जन्म विदेश मे हुआ है उनका सम्बन्ध भी तो भारत के साथ लगा ही हुआ है। इसलिये जिस देश में आप रहते हो, अपना जीवन निर्वाह करते हो वहां के लोगों के साथ घुलमिल जाओ, उस देश के प्रति अपनी श्रद्धा और अपना प्रेम बढाओ और साथ ही साथ भारत को भी याद रखो। यही मै आपसे कहना चाहता हू और यही शुभ कामना आप लोगो को देना चाहता हू कि आप सब अच्छी तरह से फूलो फलो।

---

इडियन एसोसियेशन द्वारा किये गये स्वागत समारोह मे भाषण; बैंडुग, 11 दिसम्बर, 1958

# भारतीयों द्वारा किये गये स्वागत समारोह में भाषण

सुरबाया में रहनेवाले भारतीय भाइयो तथा बहनो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं इस देश मे आप सब लोगो के दर्शन कर सका। चन्द दिनों से मै यहां फिर रहा हूं और जहां-जहा मै गया हू भारतीय बहनों और भाइयों से मेरी मुलाकात हुयी है और उन्होंने हृदय से मेरा स्वागत किया है। यह स्वाभाविक है क्योकि जिस देश से आप आये है उसी देश से आये एक भाई को देखकर आपके हृदय मे प्रेम होना स्वाभाविक है और खासकरके जब मै यह देखता हू कि मै केवल एक भारतवासी ही नही हू बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो हमने प्रजातन्त्र स्थापित किया है उस प्रजातन्त्र का एक तुच्छ अधिकारी हू तो उनकी और भी खुशी बढ़ जाती है।

मुझे इस बात से खुशी होती है कि यद्यपि इतनी दूरी पर आप है और इतने दिनों से आये हुए है अपने देश को और अपने लोगो को आप भूले नही है और मै यह आशा रखता हू कि न तो आप अपने देश को भूलेगे और न अपने देश की सभ्यता को भूलेंगे। प्रत्येक भारतवासी जो कही भी विदेश मे गया हुआ है उसका यह कर्तव्य होना है कि वह जहा भी हो वहा के लोगो के साथ इस तरह से घुलमिल जाये कि वे आपस मे भाई-बहन होकर रह सके और यह तभी हो सकता है जब वह उस देश के सुख मे अपना सुख और उसके दुख मे अपना दुख माने।

मुझे यह सुनकर खुशी हुयी और मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहता हू कि यहा की गवर्नमेट और यहा की जनता तथा यहां के राष्ट्रपति डाक्टर सूकार्नो आप सब के साथ अच्छा और सुन्दर व्यवहार रखते है जिससे आप खुश है और सुखो है। यही अपेक्षा थीऔर इसमे कोई शक नही कि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हमारा ताल्लुक और बढ़ता जायगा, हमारी यह मित्रता और भी ज्यादा जबर्दस्त होती जायगी। अभी भी पिछले 10, 12 वर्षों के अन्दर यह दोस्ती काफी जम गयी है और हमने यह तय कर लिया है कि हम अच्छे दोस्त की तरह बर्ताव करना चाहते है और वही चीज इधर से भी हमको मिली है और सब देशों के मामलों के निर्णय के लिये जो राष्ट्र संघ कायम हुआ है उसमें इस देश के नुमाइन्दे उसी तरह से काम करते है जिस तरह से हमारे देश

---

भारतीयों द्वारा किये गये स्वागत समारोह मे भाषण, सुरबाया, 14 दिसम्बर, 1958

के नुमाइन्दे काम करते है। यह एक और अच्छी बात है और उसके फलस्वरूप सब देश स्वतन्त्र होते जा रहे हैं।

हम चाहते है कि आप इस तरह से रहें कि भारत का नाम और भी ऊचा हो, उसकी कीर्ति और भी बढ़े और इस देश के लोग भी आपके जरिये से भारत की सस्कृति और सभ्यता को अच्छी तरह से सीख सके और जान सकें।

मुझे आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुयी । आपने जो मान पत्र दिया उसके लिये मै आपको धन्यवाद देता हू।

# राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न भागों से आये हुए विद्यार्थियों के दल के सम्मुख भाषण

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप इतनी तायदाद मे दिल्ली आये है और मुझे इस तरह से प्रायः प्रति दिन कुछ न कुछ देश के विद्यार्थियों से मिलने का मौका मिलता है। आप इस समूह को देखकर समझ जायेगे कि मेरे लिये यह सम्भव नही कि मैं प्रत्येक आदमी से अलग-अलग मिल सकू या खास-खास इन्स्टीट्यूशन के लोगो से अलग-अलग मिल सकू क्योंकि इतनी तायदाद स्कूलो, कालेजों और यूनिवर्सिटियो की आजकल देश में है और उनमे से इतने लोग आते है कि यदि सब से मै अलग-अलग मिलना चाहूं तो मुझे और दूसरा काम करने का समय ही नही मिले। इसीलिये मैं यह इन्तजाम करता हूं कि जब सब लोग इकट्ठे हो जाते है तो उनसे इकट्ठे मिल लेता हू। मै जानता हूं कि इससे लोगों को पूरा संतोष नही होता होगा पर दूसरा इलाज भी नहीं है।

यह खुशी की बात है कि यह विचार देश के लोगों में फैल गया है कि देश में चारों तरफ घूमना और देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों से परिचित हो जाना सब के लिये जरूरी है और इसी ख्याल से केवल विद्यार्थी लोग ही नही बल्कि किसान लोग भी, गांव के रहनेवाले, स्त्री, पुरुष सभी यहां आते है और भिन्न-भिन्न जगहों मे जाते है और जाकर सब जगहों का परिचय लेते है। इससे यह लाभ होता है कि उनको देश का अन्दाजा मिल जाता है और वे यह भी देख लेते है कि हमारे देश मे प्राचीन कैसा भी सुन्दर और भव्य रहा हो लेकिन अब नये तरीके से हम किस तरह से तरक्की कर रहे है और देश किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। दोनो चीजों का नक्शा उनको मिल जाता है जिसको देखकर वह समझ सकते है कि इस देश का बड़ा प्राचीन और पुराना गौरव है मगर साथ ही यह प्रयत्न हो रहा है कि इसे आइन्दे इतना बड़ा, ऊंचा और उन्नत बना दे जिससे इसका भविष्य और भी गौरवमय हो। इसलिये देश को जान लेना जरूरी है।

जब देश का परिचय आप प्राप्त करोगे तो आप समझ सकते हो कि देश मे कितने प्रकार के लोग बसते हैं, कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। कितने प्रकार के मजहब के माननेवाले लोग यहां हैं। जब तक देश के हर हिस्से से आपका परिचय नहीं हो तब तक यह जान लेना आसान नही है। इसीलिये यह जरूरी है और अब यह काम हो रहा है।

---

राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न भागों से आये हुए विद्यार्थियों के दल के सम्मुख भाषण; 24 दिसम्बर, 1958

मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से देश को समझे और देश के लोगों की खिदमत करने के लिये अपने को तैयार करें। आपके लिय अपन को तैयार करने का यह समय है। इस वक्त आपका यही काम है कि आप अपने को इस योग्य बनायें कि अपनी, अपने परिवार की, अपने कुटुम्ब की, गाव की, शहर की, देश की और मानवमात्र की सेवा कर सकें। यह सब काम करना है। जो कुछ आदर्श आपके सामने हैं उन सब को पूरा करे यही मेरा निवेदन है और यही मरा आशीर्वाद भी है।

# नेशनल स्टेडियम में चौथे नेशनल स्कूल चैम्पियनशिप का उद्‌घाटन

श्रीमती अरुणा आसफ अली, आर्गेनाइजिग कमिटी के अध्यक्ष महोदय, बहनो और भाइयो,

यह बड़ी खुशी की बात है कि हमने यह निश्चय कर लिया है कि सारे हिन्दुस्तान के बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ खेल-कूद में भी भाग लेने के लिये हम प्रोत्साहन देंगे और उसी निश्चय के मुताबिक पिछले चार वर्षो से किसी न किसी जगह पर सभी जगहों से अच्छे से अच्छे खिलाड़ी और लड़के और लड़कियो को जमा किया जाता है और उनमे स जो सब से अच्छे निकलते है उनको इनाम दिये जाते है।

इस खेल का महत्व है। यह मानी हुयी बात है कि जब तक सेहत अच्छी नही हो, शरीर मजबूत नही हो, तब तक कुछ पढ़ना लिखना भी अच्छा नही हो सकता। इसलिये शरीर को अच्छा बनाना, शरीर को स्वस्थ बनाना सबसे पहला काम मनुष्य का है। और शरीर को अच्छा और स्वस्थ बनाने के लिये खेल-कूद निहायत ज़रूरी है जिनसे दो तरह की सेहत हम हासिल कर सकते है। एक तो शरीर की सेहत जिससे बदन मजबूत हो, हाथ पैर मज़बूत हों और सिर्फ मजबूत ही नही, उनमें स्फूर्ति हो, लचीलापन हो। बैल बहुत बोझ ढो सकता है मगर घोड़े के बराबर वह दौड़ नही सकता। हम चाहते है कि हमारे बच्चों मे हाथी की जैसी ताकत हो, बैल की जैसी बोझ ढोने के लिये ताकत हो और घोड़े की जैसी तेज दौड़ने की ताकत हो। यदि सारे देश के बच्चो का शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी मजबूत होगा तो शरीर और दिमाग की मजबूती के साथ-साथ उनका चरित्र भी अच्छा होगा।

जब एक साथ खेल करना होता है तो बच्चे सीखते है कि किस तरह से मिल जुल कर रहना चाहिये, किस तरह से एक-दूसरे की मदद करनी चाहिये, किस तरह से सिर्फ अपने ही लिये नहीं बल्कि जिस दल के साथ वह खेल रहे है उस दल की मदद करनी चाहिये। यह सब सीखने को मिलता है और साथ ही यह भी सीखने को मिलता है कि जो कुछ करना हो वह सिर्फ अपने ही लिये नही बल्कि अपने दल के लिये, अपने स्कूल के लिय, अपनी सारी पार्टी के लिये, सब के लिये

---

**नेशनल स्टेडियम मे चौथे नशनल स्कूल चैम्पियनशिप का उद्‌घाटन करते समय भाषण; 28 दिसम्बर; 1958**

करना है यह सीखने को मिलता है। इस तरीके से हम शरीर की मजबूती, दिमाग की मजबूती और चरित्र की मजबूती खेल-कूद से हासिल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इससे पूरा लाभ उठायें और यह जो जलसा किया जा रहा है, समारोह किया जा रहा है उसका यह फल हो कि हमारे यहां खेल-कूद को प्रोत्साहन मिले जिससे हमारे बच्चे और बच्चियां हर तरह से तैयार हो जाये जिससे देश का और सब का भला और कल्याण हो सके।

!President/62—(Sec. II)—200—4-6-62—GIPF.